vol 7

4874
सुनन नसाई
5761

हदीस नं.

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त
जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

सुनन नसाई शरीफ़

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निग़रानी सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर

مرکزی انجمن خدّام القرآن والحدیث جودھپور

तालीफ़

امام ابو عبد الرحمٰن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ

इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)

नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात

हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)

-: तहकीक व तख़रीज :-

हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई

-: उर्दू तर्जुमा :-

हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

जिल्द

7

हदीस नम्बर 4874 से 5761

-: हिन्दी तर्जुमा :-

दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त

जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ़

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निगरानी सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर

جمعیت اہل حدیث جودھپور

नाशिर मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर

مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

तालीफ

امام ابوعبدالرحمن احمد بن شعیب النسائی رحمہ اللہ

इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)

नज़रे सानी, तस्हीह व तन्क़ीह और इज़ाफ़ात
हाफ़िज़ सलाहुद्दीन यूसुफ़ (रह.)

-: तहक़ीक व तख़रीज :-
हाफ़िज़ अबू ताहिर ज़ुबैर अली ज़ई

-: उर्दू तर्जुमा :-
हाफ़िज़ मुहम्मद अमीन

जिल्द
7

हदीस नम्बर 4874 से 5761

-: हिन्दी तर्जुमा :-
दारूत-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअ़त
जमीअ़त अहले हदीस, जोधपुर (राज.)

सुनन नसाई शरीफ

سنن نسائی شریف

ज़ेरे निगरानी **सुबाई व शहरी जमीअ़त अहले हदीस, राजस्थान-जोधपुर**
جمعیت اہل حدیث جودھپور
नाशिर **मरकज़ी अन्जुमन ख़ुद्दामुल क़ुरआन वल हदीस, जोधपुर**
مرکزی انجمن خدام القرآن والحدیث جودھپور

सर्वाधिकार प्रकाशनाधीन सुरक्षित है

इस किताब के प्रकाशन सबंधी सर्वाधिकार प्रकाशक के पास सुरक्षित है। कोई व्यक्ति/संस्था/प्रकाशन आदि इस किताब को मुद्रित/प्रकाशित नहीं कर सकता। इस चेतावनी का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ कठोर कानूनी कार्रवाही की जाएगी, जिसके समस्त हर्ज ख़र्च के वे स्वंय उत्तरदायी होंगे। सभी विवादों का न्यायक्षैत्र जोधपुर (राजस्थान) होगा।

नाम किताब	सुनन नसाई (जिल्द - 7)
तालीफ़	इमाम अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (रह.)
उर्दू तर्जुमा	हाफिज मुहम्मद अमीन
हिन्दी तर्जुमा	दारूल-तर्जुमा, शोबा नश्रो इशाअत जमीअत अहले हदीस, जोधपुर (राज.)
तहक़ीक़ व तख़्रीज	हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ (रह.)
नज़रे सानी	मौलाना जमशेद आलम सल्फी (63758-92334)
लेज़र टाइपसेटिंग	अब्दुल वाजिद, (99506-96917)
मेनेजिंग डायरेक्टर मार्केटिंग मैनेजर	अली हम्जा, (82338-55857) अहमद अब्बास (97397-31956)
प्रिण्टिंग	आदर्श आफसेट, स्टेडियम शॉपिंग सेन्टर, जोधपुर 92144-85741
बाइंडिंग	कमाल बाईण्डिंग हाउस मो. शाहिद भाई 93516-68223 0291-2551615

तादाद पेज	516	तादाद कॉपी	500 (पांच सौ)
प्रकाशन (प्रथम संस्करण)	मई-2021	कीमत (मुकम्मल 7 जिल्द)	4500/-

प्रकाशक	मर्कजी अन्जुमन खुद्दामुल कुरआन वल हदीस, जोधपुर
जेरे निगरानी	शहरी व सूबाई जमीअत अहले हदीस, जोधपुर-राजस्थान

मिलने के पते

मकतबा तर्जुमान, 4116 उर्दू बाजार, नई दिल्ली
फोन: 011-23273407

सल्फ़ी बुक सेन्टर,
मटिया महल, दिल्ली। फोन: 91365-05582

अल हिरा पब्लिकेशन, 423 उर्दू बाजार, मटिया महल जामा मस्जिद, दिल्ली 090153-82970

शैख जुबैर, मस्जिदे अक्शा स्ट्रीट, बसन्त नगर, हुसाद, महाराष्ट्र। फोन: 88069-90007

मोहम्मद अब्बास, 903, बडे ओम्ती,
जबलपुर, (एम.पी.) 89595-13602

मदरसा दारूल उलूम सलफिया,
मोहल्ला सब्जी फरोश, रतलाम, (एम.पी.)

मकतबा अहसान
लखनऊ, यू.पी. फोन: 97931-18234

मकतबा अलफहीम,
मऊनाथ, भंजन (यूपी) 0547-2222013

हुजैफा : मकतबा दारूस्सलाम,
इस्लामिया सीनियर धोबियां इमली रोड़ मऊनाथ भंजन, मऊ, (यूपी) 275101 फोन: 74287-38778

साद सिद्दीकी:
राजा बाजार चौक, लखनऊ। फोन: 78608-22244

तौहीद किताब सेन्टर, 80039-72503 सीकर (राज.)

कलीम बुक डिपो, सीकर (राज.) 70148-98515

हाफ़िज़ मोहम्मद राशिद,
विज्ञान नगर, कोटा (राज.) 70146-75559

GUIDANCE PUBLISHERES & DISTRIBUTORS
D-105, Shop No. 2, Abul Fazl Enclaves, Jamia nagar, Okhla, New Delhi-110025,
9899693655, 9958923032

तौसीफ बुक डिपो
दरियागंज, दिल्ली। फोन: 98732-96944

दारूल इल्म,
नागपाड़ा, मुम्बई 022-23088989, 23082231

मो. इस्हाक, अल हुदा रिफाई फाउण्डेशन,
खजराना, इन्दौर 95846-51411

सैफुल्लाह खालिद,
माणक बाग, इन्दौर 98273-97772

अबू रेहान मुहम्मदी मदनी,
जुलैखा चिल्ड्रन हॉस्पीटल केसर कॉलोनी,
औरंगाबाद 88307-46536, 95452-45056

इकरा बुक डिपो, 2/3978, ग्राउण्ड फ्लोर, फारूकी मंजिल सरगरामपुरा, सूरत, गुजरात 84608-53200

अमरीन बुक एजेन्सी:
जमालपुर, अहमदाबाद। फोन: 84010-10786

आई.आई.सी. नूरी होटल के पास, डाण्डा बाजार, भुज, कच्छ (गुजरात) 094291-17111

उम्मेद अली: इस्लामिया सीनियर सैकण्डरी स्कूल, वार्ड नं. 10, सीकर। फोन: 7742457343

HAFIZ JAVED S/O M. SIDDIQUE BALKHI
GALI No.1 NEAR RAILWAY STATION, TELI ROAD, LADNUN DIST. NAGOUR 9509370903

ALL INDIA DISTRIBUTOR
AL KITAB INTERNATIONAL
JAMIA NAGAR, NEW DELHI-25
PH: 26986973 M. 9312508762

SOLE DISTRIBUTOR
POPULAR BOOK STORE
OUT SIDE MERTI GATE, JODHPUR [RAJ.]
9460768990, 9664159557

फेहरिस्ते-मजामीन

चोर की सज़ा और उसकी हिकमत	16
चोर का हाथ काटने का बयान	17
बाब : (1) चोरी बहुत बड़ा गुनाह है	17
बाब : (2) मार पीट कर और क़ैद करके चोरी की तफ़्तीश करना	19
बाब: (3) चोर को रूजूअ का मश्वरा या मौक़ा देना	21
बाब : (4) हाकिम के सामने मुक़द्दमा पेश करने के बाद मुताल्लिक़ा शख़्स का चोर को चोरी माफ़ करना और सफ़वान बिन उमैया की हदीस़ में अ़ता पर इख़्तिलाफ़ का बयान	22
बाब : (5) कौन सी चीज़ महफ़ूज़ होती है और कौन सी ग़ैर महफ़ूज़?	23
बाब : (6) मख़्ज़ूमी चोर औरत वाली ज़ोहरी की रिवायत में लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़	31
बाब : (7) हद क़ाइम करने की तर्ग़ीब	39
बाब : (8) वह मिक़्दार जिसकी चोरी पर चोर का हाथ काटा जायेगा	40
बाब : (9) ज़ोहरी पर रावियों के इख़्तिलाफ़ का बयान	44
बाब : (10) अबू बक्र बिन मुहम्मद और अ़ब्दुल्लाह बिन अबू बक्र का इस हदीस़ में अ़म्रा पर इख़्तिलाफ़	48
बाब : (11) दरख़्त पर लगा हुआ फल चुरा लिया जाये तो?	59
बाब : (12) खलियान में रखने के बाद अगर फल चुरा लिया जाये तो?	60
बाब : (13) किन चीज़ों की चोरी में हाथ नहीं काटा जायेगा?	62
बाब : (14) हाथ काटने के बाद (मज़ीद चोरी की सूरत में) चोर का पाँव काटना	69
बाब : (15) चोर के दोनों हाथ और दोनों पाँव काटना	70
बाब: (16) सफ़र के दौरान (चोर का) हाथ काटना	72
बाब : (17) बुलूग़त की हद, और उसका बयान कि किस उ़म्र तक पहुँचने की सूरत में मर्द और औ़रत पर हद लगाई जायेगी?	74
बाब : (18) चोर का हाथ काटने के बाद उसकी गर्दन में लटकाना	75
ईमान का लुग़वी व इस़्तेलाही मफ़हूम	77
ईमान और उसके फ़राइज़ व अहकाम का बयान	78
बाब : (1) अफ़ज़ल अ़मल का बयान	78
बाब : (2) ईमान का मज़ा (कब महसूस होता है?)	79
बाब : (3) ईमान की मिठास	80
बाब : (4) इस्लाम की मिठास	81
बाब : (5) इस्लाम का बयान	81
बाब : (6) ईमान व इस्लाम का बयान	84
बाब : (7) अल्लाह तआ़ला के फ़रमान : 'बदवी कहते हैं हम ईमान लाये, कह दीजिये: (अभी) तुममें ईमान नहीं आया बल्कि तुम कहो, हम मुसलमान हो गये' की तफ़्सीर	87
बाब : (8) मोमिन की सिफ़त का बयान	90
बाब : (9) मुसलमान की सिफ़त का बयान	91
बाब: (10) आदमी के इस्लाम की ख़ूबी और हुस्न	92
बाब : (11) कौन सा इस्लाम अफ़ज़ल है?	93

बाब : (12) कौन सा इस्लाम बेहतर है?	93
बाब : (13) इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है?	94
बाब : (14) इस्लाम (के कामों) पर बैअत करना	96
बाब : (15) लोगों के साथ कब तक जंग हो सकती है?	97
बाब : (16) ईमान की शाख़ों का ज़िक्र	97
बाब : (17) अहले ईमान (दर्जात के लिहाज़ से) एक दूसरे से बढ़ कर हैं	99
बाब : (18) ईमान बढ़ने का बयान	101
बाब : (19) ईमान की निशानी	105
बाब : (20) मुनाफ़िक़ की अलामत	109
बाब : (21) रमज़ानुल मुबारक का क़याम (ईमान का जुज़ है)	110
बाब : (22) लैलतुल क़द्र में इबादत	112
बाब : (23) ज़कात (भी ईमान के कामों में दाख़िल है)	112
बाब : (24) जिहाद (भी ईमान का जुज़ है)	114
बाब : (25) ख़ुम्स की अदायगी (भी ईमान में दाख़िल है)	115
बाब : (26) जनाज़े में हाज़िर होना (भी ईमान में दाख़िल है)	116
बाब : (27) हया (भी ईमान का जुज़ है)	116
बाब : (28) दीन (पर अमल करना) आसान है	117
बाब : (29) अल्लाह (عزوجل) के नज़दीक सबसे प्यारा दीन (तरीक़-ए-इबादत)	118
बाब : (30) दीन को बचाने के लिये फ़ित्नों से भागना (भी ईमान का जुज़ है)	119
बाब : (31) मुनाफ़िक़ की मिसाल	120
बाब : (32) मोमिन और मुनाफ़िक़ की मिसाल जो कुर्आन पढ़ते हैं	120
बाब : (33) मोमिन की निशानी	121
सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	123
बाब : (1) फ़ितरी चीज़ें (जिनसे ज़ीनत हासिल होती है)	123
बाब : (2) मूँछों को ख़त्म करना	125
बाब : (3) सर मुण्डाने की रुख़्सत	126
बाब : (4) औरत के लिये सर मुण्डवाने की मुमानिअत	127
बाब : (5) क़ज़अ (कुछ सर मुण्डने, कुछ छोड़ देने) की मुमानिअत	128
बाब : (6) मूँछें काटना	128
बाब : (7) कंघी नाग़े से करनी चाहिए	131
बाब : (8) कंघी करते वक़्त दायीं तरफ़ से इब्तेदा करना	132
बाब : (9) सर के बाल (लम्बे) रखना	132
बाब : (10) ज़ुल्फ़ें और मेण्ढियाँ	134
बाब : (11) लम्बे लम्बे बाल रखना	136
बाब : (12) दाढ़ी को गिरहें देना	136
बाब : (13) सफ़ेद बाल उखेड़ने की मुमानिअत	137
बाब : (14) बालों को रंगना जायज़ है	138
बाब : (15) काला ख़िज़ाब करने की मुमानिअत	141
बाब : (16) मेहंदी और वस्मा मिलाकर लगाना जायज़ है	142
बाब : (17) ज़र्द रंग से ख़िज़ाब करना	145
बाब : (18) औरतों के लिये मेहंदी लगाना	147

बाब: (19) मेहंदी की बू नापसन्द होने का बयान	148
बाब : (20) बाल उखेड़ना	148
बाब : (21) जाली (नकली) बाल मिलाना	149
बाब : (22) जाली बाल लगाने वाली औ़रत	151
बाब : (23) जाली बाल लगवाने वाली औ़रत	151
बाब : (24) बाल उखेड़ने वालियाँ	153
बाब : (25) रंग भरवाने वाली औ़रतों का बयान और इस हदीस़ में अ़ब्दुल्लाह बिन मुर्रा और शअ़बी पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र	154
बाब : (26) दाँतों को ब'तकल्लुफ़ कुशादा करने वालियाँ	158
बाब : (27) दाँतों को रगड़ रगड़ कर बारीक करना हराम है	160
बाब : (28) सुरमा लगाने का बयान	161
बाब : (29) तेल लगाने का बयान	161
बाब : (30) ज़ाफ़रान का बयान	162
बाब : (31) अ़म्बर ख़ूशबू लगाने का बयान	162
बाब : (33) मर्दों और औ़रतों की ख़ूशबू में फ़र्क़	163
बाब : (33) बेहतरीन ख़ूशबू का बयान	164
बाब : (34) ज़ाफ़रान और ख़लूक़ लगाना	164
बाब : (35) कौन सी ख़ूशबू औ़रतों के लिये नामुनासिब (ममनूअ़) है?	167
बाब : (36) अगर औ़रत ख़ूशबू लगा ले तो उसे अच्छी तरह नहाना चाहिए	168
बाब : (37) औ़रत ने ख़ूशबू लगाई हो तो वह मस्जिद में नमाज़ के लिये नहीं आ सकती	169
बाब : (38) बख़ूर का बयान	172
बाब : (39) औ़रतों के लिये ज़ेवरात और सोने की नुमाइश की कराहत का बयान	173
बाब : (40) मर्दों पर सोना ह़राम है	178
बाब : (41) किसी शख़्स़ की नाक कट जाये तो क्या वह सोने की नाक लगवा सकता है?	187
बाब : (42) मर्दों के लिये सोने की अंगूठी की रुख़्स़त का बयान	188
बाब : (43) सोने की अंगूठी का बयान	188
बाब : (43) इस हदीस़ में यहया बिन अबी कस़ीर पर इख़्तिलाफ़ का बयान	196
बाब : (44) उ़बैदा की हदीस़	197
बाब : (45) अबू हुरैरह (ﷺ) की हदीस़ और क़तादा पर इख़्तिलाफ़ का बयान	198
बाब : (46) चाँदी की अंगूठी किस मिक़्दार की होनी चाहिए?	202
बाब : (47) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की अंगूठी कैसी थी?	203
बाब : (48) अंगूठी किस हाथ में पहननी चाहिए? ह़ज़रत अ़ली और अ़ब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) की हदीस़ का ज़िक्र	206
बाब : (49) लोहे की अंगूठी, जिस पर चाँदी का ख़ोल चढ़ा हो, पहनना	207
बाब : (50) पीतल की अंगूठी पहनना	208
बाब : (51) नबी-ए-अकरम (ﷺ) का फ़रमान: 'अपनी अंगूठियों पर अ़रबी इबारत नक़्श न करवाओ।'	210
बाब : (52) अंगुश्ते शहादत में अंगूठी पहनने की मुमानिअ़त	210
बाब : (53) बैतुल ख़ला में दाख़िल होते वक़्त अंगूठी उतार लेने का बयान	211
बाब : (54) घुंघरू और छोटी घण्टी का बयान	215

ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (मुज्तबा में से)	219
बाब : (55) फ़ितरत का बयान	219
बाब : (56) मूँछें ख़त्म करना और दाढ़ी पूरी रखना	219
बाब : (57) बच्चों के सर मुण्डवाना (जायज़ है)	220
बाब : (58) बच्चे के कुछ बाल मुण्डने और कुछ छोड़ देने की मुमानिअत	221
बाब : (59) कानों से नीचे तक ज़ुल्फ़ें छोड़ना	222
बाब : (60) बालों को संवारना	223
बाब : (61) बालों में माँग निकालना	224
बाब : (62) कंघी करना	225
बाब : (63) दायीं तरफ़ से कंघी शुरू करना	226
बाब : (64) ख़िज़ाब करने का हुक्म	226
बाब : (65) दाढ़ी को ज़र्द करना	227
बाब : (66) दाढ़ी को वर्स और ज़ाफ़रान से ज़र्द करना	227
बाब : (67) बालों में दूसरे बाल मिलाना	228
बाब : (68) धजी से बाल जोड़ना	229
बाब : (69) जाली बाल लगाने वाली औरत पर लानत का बयान	230
बाब : (70) जाली बाल लगाने और लगवाने वाली दोनों पर लानत का बयान	230
बाब : (71) गोदने वाली और गुदवाने वाली (रंग भरने वाली और भरवाने वाली) औरतों पर लानत का बयान	231
बाब : (72) बाल उखेड़ने वाली और दाँत खुले करने वाली औरतें भी मलऊन हैं	231
बाब : (73) ज़ाफ़रान लगाना	233
बाब : (74) ख़ूशबू का बयान	233
बाब : (75) बेहतरीन ख़ूशबू का ज़िक्र	236
बाब : (76) सोना पहनने की हुर्मत का बयान	236
बाब : (77) (मर्द के लिये) सोने की अंगूठी पहनने की मुमानिअत	237
बाब : (78) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की अंगूठी और उसके नक़्श का बयान	240
बाब : (79) अंगूठी की जगह (किस उँगली में है)	242
बाब : (80) नगीने की जगह	244
बाब : (81) अंगूठी उतार फेंकना और उसे दोबारा न पहनना	244
बाब : (82) कौन से कपड़े पहनने मुस्तहब और कौन से मकरूह हैं?	247
बाब : (83) रेशमी धारियों वाला हुल्ला पहनने की मुमानिअत	247
बाब : (84) औरतों के लिये रेशमी धारीदार हुल्ला पहनने की रुख़्सत	249
बाब : (85) इस्तबरक़ रेशम पहनने की मुमानिअत	250
बाब : (86) इस्तबरक़ कैसा होता है?	251
बाब : (87) (मर्दों के लिये) दीबाज पहनने की मुमानिअत	252
बाब:(88) सोने के तारों से बना हुआ रेशम पहनना	252
बाब : (89) इसके मन्सूख़ होने का बयान	254
बाब : (90) हरीर (रेशम) पहनने पर सख़्त वईद और इसका बयान कि जो शख़्स इसे दुनिया में पहनेगा, आख़िरत में नहीं पहन सकेगा	255
बाब : (91) क़स्सी कपड़े पहनने की मुमानिअत का बयान	257
बाब : (92) (मख़्सूस हालात में) रेशम पहनने की इजाज़त	258

बाब : (93) हुल्ले (उम्दा पोशाक) पहनना	260
बाब : (94) धारीदार चादर पहनना जायज़ है	260
बाब : (95) मुअस्फ़र (कुसम से रंगे हुये) कपड़े पहनने की मुमानिअत	261
बाब : (96) सब्ज़ कपड़े पहनना	262
बाब : (97) स्याह धारीदार चादरें पहनना	262
बाब : (98) सफ़ेद कपड़े पहनने का हुक्म	264
बाब : (99) क़बाएँ पहनना	265
बाब : (100) शलवार पहनना भी जायज़ है	266
बाब : (101) तहबन्द को घसीटने पर सख़्त वईद	266
बाब : (102) तहबन्द कहाँ होना चाहिए?	268
बाब : (103) तहबन्द टख़नों से नीचे हो तो?	269
बाब : (104) तहबन्द टख़नों से नीचे लटकाना	269
बाब : (105) औरतों को दामन लटकाने की इजाज़त है	271
बाब : (106) इस्तेमालें सम्मा की मुमानिअत	273
बाब : (107) एक कपड़े में गोठ मारने की मुमानिअत	274
बाब : (108) स्याही माइल पगड़ी पहनना	274
बाब : (109) ख़ालिस़ स्याह रंग की पगड़ी पहनना	274
बाब : (110) पगड़ी का शम्ला कंधों के दरम्यान लटकाना	275
बाब : (111) तस्वीरों का बयान	276
बाब : (112) उन लोगों का ज़िक्र जिन्हें सबसे ज़्यादा सख़्त अज़ाब होगा	281
बाब : (113) उस चीज़ का तज़्किरा जिसका क़यामत के दिन तस्वीर साज़ों को हुक्म दिया जायेगा	283
बाब : (114) उस शख़्स का ज़िक्र जिसे सबसे ज़्यादा अज़ाब होगा	285
बाब : (115) लिहाफ़ का बयान	286
बाब : (116) रसूलुल्लाह (ﷺ) का जूता मुबारक कैसा होता था?	287
बाब : (117) एक जूते में चलने की मुमानिअत का बयान	288
बाब : (118) चमड़े के बिछोने का बयान	289
बाब : (119) नौकर और सवारी रखना	290
बाब : (120) तलवार को मुज़य्यन करना	291
बाब: (121) उर्जवानी रंग के रेशमी गदीलों पर बैठने की मुमानिअत	292
बाब : (122) कुर्सी पर बैठने का बयान	293
बाब : (123) सुर्ख़ क़ुब्बे (ख़ैमे) बनाना	294
(क़ज़ा और) क़ाज़ियों के आदाब व मसाइल का बयान	295
बाब : (1) फ़ैसले में इन्साफ़ करने वाले हाकिम की फ़ज़ीलत	295
बाब : (2) आदिल हुक्मरान	296
बाब : (3) सही फ़ैसला करने (के अज्र व सवाब) का बयान	297
बाब: (4) जो शख़्स ओहद-ए-क़ज़ा का तालिब और हरीस हो, उसे क़ाज़ी मुक़र्रर न किया जाये	298
बाब : (5) हुकूमत और इमारत माँगने की मुमानिअत का बयान	299
बाब : (6) शायरों को आमिल मुक़र्रर करना	301
बाब : (7) जब लोग किसी शख़्स को अपना फ़ैसल मुक़र्रर करें और वह उनके दरम्यान फ़ैसला करे (तो ये अच्छी बात है)	302
बाब : (8) (फ़ैसला करने के लिये) औरतों को क़ाज़ी (या हाकिम) मुक़र्रर करने की मुमानिअत	303

बाब : (9) मुशाबिहत और क़यास के साथ फ़ैसला करना और इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस़ में वलीद बिन मुस्लिम पर इख़्तिलाफ़	305
बाब : (10) (रावियों का) इस हदीस़ में अबू इस्हाक़ पर इख़्तिालफ़ का ज़िक्र	308
बाब : (11) अहले इल्म के इत्तेफ़ाक़ व इज्मा के मुताबिक़ फ़ैसला करना	310
बाब : (12) अल्लाह तआला के फ़रमान: ' जो शख़्स अल्लाह तआला के उतारे हुये अहकाम के मुताबिक़ फ़ैसला न करे, वह काफ़िर है' की तफ़्सीर	314
बाब : (13) फ़ैसला ज़ाहिर दलाइल की बिना पर किया जायेगा	317
बाब : (14) क़ाज़ी का अपने इल्म (और . ज़हानत) से फ़ैसला करना	318
बाब : (15) हक़ वाज़ेह करने के लिये हाकिम का ये कहना कि मैं ऐसे करूँगा ज़ब कि उसका इरादा वह काम करने का न हो	319
बाब : (16) एक हाकिम अपने जैसे या अपने से बड़े हाकिम के फ़ैसले को तोड़ सकता है	320
बाब : (17) हाकिम का नाहक़ किया हुआ फ़ैसला रद्द करने का बयान	322
बाब : (18) किस चीज़ से हाकिम को इज्तेनाब (परहेज़) करना चाहिए?	323
बाब : (19) जिस हाकिम के बारे में ग़लती का ख़तरा न हो वह गुस्से की हालत में फ़ैसला कर सकता है	324
बाब : (20) हाकिम या क़ाज़ी का अपने घर में फ़ैसला करना	326
बाब : (21) किसी के ख़िलाफ़ अदालत में दावा दाइर करना	327
बाब : (22) औरतों को अदालतों में बुलाने से एहतिराज़ करना	328
बाब : (23) हाकिम का उस शख़्स को बुला भेजना जिसके बारे में बताया गया हो कि उसने ज़िना किया है	332
बाब : (24) हाकिम का अपनी रिआया के दरम्यान सुलह करवाने के लिये जाना	333
बाब:(25) हाकिम किसी फ़रीक़ (मुद्दई या मुद्दआ अलैह) को मुसालिहत का मश्वरा दे सकता है	334
बाब : (26) हाकिम फ़रीक़े स़ानी को माफ़ी का मश्वरा भी दे सकता है	335
बाब : (27) हाकिम नर्मी करने का मश्वरा भी दे सकता है	336
बाब : (28) हाकिम (मुक़द्दमे का) फ़ैसला करने से पहले किसी फ़रीक़ से सिफ़ारिश कर सकता है	337
बाब : (29) हाकिम का अपनी रिआया को माल ज़ाया करने से रोक देना जब कि उनको माल की ज़रूरत भी हो	338
बाब : (30) फ़ैसला थोड़े माल के बारे में भी हो सकता है और ज़्यादा में भी	339
बाब : (31) हाकिम ग़ैर मौजूद शख़्स के बारे में फ़ैसला कर सकता है जब वह उसे पहचानता हो	340
बाब : (32) एक मुक़द्दमे में दो मुख़्तलिफ़ फ़ैसले करने की मुमानिअत	342
बाब : (33) फ़ैसले के नतीजे में जो कुछ हासिल हो उसका बयान	342
बाब : (34) ज़िद्दी और झगड़ालू शख़्स (अल्लाह तआला को सख़्त नापसन्द है)	343
बाब : (35) जब किसी के पास दलील (गवाह वग़ैरह) न हो तो (फ़ैसला किया हो) ?	344

बाब : (36) क़सम उठाते वक़्त हाकिम का नसीहत करना	344
बाब : (37) हाकिम क़सम किस तरह ले?	345
किताबुल इस्तिआज़ा	348
अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान	349
बाब : (1) उन सूरतों का बयान जिनके ज़रिये से पनाह पकड़ी जाती है	349
बाब : (2) उस दिल से अल्लाह तआला की पनाह तलब करना जो अल्लाह तआला से न डरे	357
बाब : (3) सीने (दिल) के फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह तलब करना	358
बाब : (4) कान और आँख के शर से अल्लाह तआला की पनाह माँगना	359
बाब : (5) बुज़दिली से अल्लाह तआला की पनाह तलब करना	360
बाब : (6) बुख़्ल से अल्लाह तआला की पनाह तलब करना	361
बाब : (7) फ़िक्र से अल्लाह तआला की पनाह तलब करना	362
बाब : (8) रंज व ग़म से अल्लाह तआला की पनाह माँगना	364
बाब : (9) क़र्ज़ और गुनाह से पनाह माँगना	365
बाब : (10) कान और आँख के शर से (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना	365
बाब : (11) आँख के शर से (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना	366
बाब : (12) काहिली और सुस्ती से (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना	366
बाब : (13) निकम्मे पन से (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना	367
बाब : (14) ज़िल्लत से (अल्लाह तआला की) पनाह हासिल करना	368
बाब : (15) क़िल्लत से पनाह माँगना	370
बाब : (16) फ़क्र से पनाह माँगना	370
बाब : (17) फ़ित्न-ए-क़ब्र के शर से (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना	371
बाब:(18) ऐसे नफ़्स से पनाह माँगना जो सैर न हो	372
बाब : (19) शदीद भूख से (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना	373
बाब : (20) ख़्यानत से (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना	373
बाब : (21) मुख़ालिफ़त व दुश्मनी, निफ़ाक़ और बद ख़ुल्क़ी से पनाह माँगना	374
बाब : (22) शदीद क़र्ज़ से अल्लाह तआला की पनाह माँगना	375
बाब : (23) (वाजिबुल अदा) क़र्ज़ या हक़ से पनाह तलब करना	375
बाब : (24) क़र्ज़ और वाजिबुल अदा हक़ के ग़ल्बे से पनाह माँगना	376
बाब : (25) क़र्ज़ के बोझ से पनाह माँगना	377
बाब : (26) मालदारी के फ़ित्ने के शर से पनाह माँगना	377
बाब : (27) दुनिया के फ़ित्ने से पनाह तलब करना	378
बाब : (28) शर्मगाह के शर से अल्लाह तआला की पनाह तलब करना	380
बाब : (29) कुफ़्र के शर से पनाह हासिल करना	380
बाब : (30) गुम्राही से पनाह हासिल करना	381

बाब : (31) दुश्मन के ग़ल्बे से बचाव की दुआ	381
बाब : (32) दुश्मनों की नारवा ख़ुशी से बचाव की दुआ	382
बाब : (33) शदीद बुढ़ापे से बचाव की दुआ	382
बाब : (34) बुरी तक़दीर से बचने की दुआ	383
बाब : (35) बदबख़्ती की गिरफ़्त से बचाव की दुआ	384
बाब : (36) जुनून से बचाव की दुआ	385
बाब: (37) जिन्नों की नज़रे बद से बचने की दुआ	385
बाब: (38) शदीद बुढ़ापे से बचाव की दुआ करना	386
बाब: (39) ज़लील तरीन उम्र से बचाव की दुआ	287
बाब : (40) बुरी उम्र से बचाव की दुआ	387
बाब : (41) नफ़ा के बाद नुक़सान से बचाव की दुआ	388
बाब:(42) मज़लूम की बद दुआ से पनाह माँगना	389
बाब : (43) (सफ़र के बाद) ग़मनाक वापसी से पनाह की दुआ	389
बाब : (44) बुरे पड़ौसी से पनाह माँगना	390
बाब : (45) लोगों के ग़ल्बे से बचने की दुआ	390
बाब : (46) दज्जाल के फ़ित्ने से बचाव की दुआ	391
बाब : (47) जहन्नम के अज़ाब और मसीह दज्जाल के शर से बचने की दुआ	392
बाब:(48) शैतान इन्सानों के शर से पनाह माँगना	393
बाब : (49) ज़िन्दगी के फ़ित्ने से पनाह माँगना	393
बाब:(50) मौत के फ़ित्ने से बचाव की दुआ करना	395
बाब : (51) अज़ाबे क़ब्र से पनाह की दुआ	396
बाब : (52) क़ब्र की आज़माइश से पनाह माँगना	396
बाब:(53) अल्लाह के अज़ाब से पनाह की दुआ	397
बाब : (54) जहन्नम के अज़ाब से पनाह माँगना	397
बाब : (55) आग के अज़ाब से पनाह माँगना	398
बाब : (56) आग की तपिश से बचाव की दुआ	398
बाब : (57) अपने किये हुये गुनाहों के शर से पनाह माँगना और इस हदीस़ में अब्दुल्लाह बिन बुरैदा पर इख़्तिलाफ़	400
बाब : (58) अपने बुरे आमाल के शर से अल्लाह तआ़ला की पनाह माँगना और (रावि-ए-हदीस़) हिलाल पर इख़्तिलाफ़ का बयान	401
बाब:(59) ना कर्दा गुनाहों के शर से पनाह माँगना	403
बाब : (60) धँसाये जाने से अल्लाह तआ़ला की पनाह माँगना	404
बाब : (61) नीचे गिर जाने और दब कर मर जाने से पनाह की दुआ	405
बाब : (62) अल्लाह तआ़ला की नाराज़ी से बचने के लिये अल्लाह की रज़ामन्दी की पनाह हासिल करना	407
बाब : (63) क़यामत के दिन तंगि-ए-मक़ाम से बचाव की दुआ	407
बाब : (64) ऐसी दुआ से पनाह माँगना जो सुनी न जाये	408
बाब : (65) उस दुआ से पनाह जो क़बूल न हो	409
मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल	411
बाब : (1) ख़म्र (शराब) की हुर्मत का बयान	411
बाब : (2) वह शराब जो हुर्मत के हुक्म के वक़्त बहाई गई	415
बाब : (3) गदर (अध पकी) और ख़ुश्क खजूरों को मिला कर तैयार कर्दा नशावर मशरूब को ख़म्र कहा जा सकता है	417

बाब : (4) दो चीज़ों, गदर और ख़ुश्क खजूर को मिला कर बनाये गये नबीज़ की मुमानिअ़त का बयान	418
बाब : (5) बलह (कच्ची) और ज़हू (पकने के क़रीब) खजूर की मुश्तरका नबीज़	418
बाब : (6) पकने के क़रीब और ताज़ा पकी हूई खजूर की मुश्तरका नबीज़	420
बाब : (7) पकने के क़रीब और गदर खजूर की मुश्तरका नबीज़	420
बाब : (8) गदर और ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़	421
बाब : (9) गदर और ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़	421
बाब : (10) मुनक़्क़ा और ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़	422
बाब : (11) ताज़ा खजूर और मुनक़्क़ा की मुश्तरका नबीज़	423
बाब : (12) गदर खजूर और मुनक़्क़ा की मुश्तरका नबीज़	423
बाब : (13) वह इल्लत जिसकी वजह से दो फलों की मुश्तरका नबीज़ मना है कि एक दूसरी से मिल कर क़वी हो जायेगी	424
बाब : (14) अकेली गदर खजूर की नबीज़ बनाने और पीने की रुख़्सत बशर्ते कि उसमें तब्दीली (नशा पैदा) न हो	425
बाब : (15) उन मश्कीज़ों में नबीज़ बनाना जिनके मुँह को (तागे वग़ैरह से) बाँधा जाता है	426
बाब : (16) अकेली ख़ुश्क खजूरों की नबीज़ बनाना	426
बाब : (17) सिर्फ़ मुनक़्क़ा की नबीज़ बनाना	427
बाब:(18) सिर्फ़ गदर खजूर की नबीज़ की रुख़्सत	427
बाब : (19) अल्लाह तआ़ला के फ़रमान: 'और खजूरों और अंगूरों के कुछ फलों से तुम नशावर मशरूब और अच्छा (हलाल व उ़म्दा) रिज़्क़ तैयार करते हो।' की तफ़्सीर	428
बाब : (20) जब शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ तो किन चीज़ों से शराब तैयार होती थी?	430
बाब : (21) पीने वालों के लिये हर नशावर मशरूब हराम है, ख़्वाह वह किसी क़िस्म के फल या ग़ल्ले से तैयार हो	432
बाब : (22) हर नशावर मशरूब को शराब (ख़म्र) कहा जायेगा	433
बाब : (23) हर नशावर मशरूब हराम है	434
बाब : (24) बित्अ़ा और मिज़्र की तफ़्सीर	439
बाब : (25) जो मशरूब ज़्यादा पीने से नशा आता हो, उसे पीना मुत्लक़न हराम है	441
बाब : (26) जिआ़ नबीज़ हराम है और ये मशरूब जौ से तैयार किया जाता है	444
बाब : (27) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के लिये किस चीज़ में नबीज़ बनाई जाती थी?	445
उन बर्तनों का तफ़्सीली ज़िक्र जिनमें नबीज़ बनाना मना है	445
बाब : (28) ख़ालिस मिट्टी के मटके में नबीज़ बनाने की मुमानिअ़त	445
बाब : (29) सब्ज़ मटके का बयान	448
बाब : (30) कद्दु के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानिअ़त	449
बाब : (31) कद्दु के बर्तन और तारकोल लगे बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानिअ़त	450

बाब : (32) कद्दु के बर्तन, रौग़नी मटके और खजूर की जड़ से बनाये गये बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानिअ़त	451
बाब : (33) कद्दु के बर्तन, रौग़नी मटके और तारकोल लगे हुये बर्तन की नबीज़ की मुमानिअ़त	452
बाब : (34) कद्दु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, तारक़ोल लगे बर्तन और रौग़नी मटके की नबीज़ पीने की मुमानिअ़त	453
बाब : (35) तारकोल लगे बर्तनों का बयान	455
बाब : (36) इस बात की दलील कि मज़्कूरा बर्तनों से मनाही क़तअ़न हुर्मत पर महमूल थी न कि कराहत पर	456
बाब : (37) मज़्कूरा बर्तनों की तफ़्सीर	457
कुछ मख़्सूस बर्तनों का बयान जिनमें नबीज़ बनाने की इजाज़त अहादीस में आई है	458
बाब : (38) चमड़े के मश्कीज़ों में नबीज़ बनाने की इजाज़त का बयान	458
बाब : (39) मटके में ख़ुसूसी इजाज़त का बयान	460
बाब : (40) (मज़्कूरा बर्तनों में से) हर एक में इजाज़त का बयान	460
बाब : (41) शराब की क़बाहत	464
बाब : (42) वह रिवायात जिन से मालूम होता है कि शराब पीना गुनाहे कबीरा है	466
बाब : (43) शराबी की नमाज़ों की हालत बयान करने वाली रिवायत	469
बाब : (44) उन गुनाहों का ज़िक्र जो शराब पीने के नतीजे में सादिर हो सकते हैं, जैसे: नमाज़ का तर्क, किसी बेगुनाह जान का क़त्ल और हराम कारियों का इर्तिकाब वग़ैरह	470
बाब : (45) शराबी की तौबा कैसे होगी?	473
बाब : (46) आदी शराब नोशों के मुताल्लिक़ हदीस का बयान	475
बाब : (47) शराबी को जला वतन करना	476
बाब : (48) वह अहादीस जिन से कुछ लोगों ने नशावर मशरूब पीने का जवाज़ निकाला है	477
बाब : (49) उस ज़िल्लत व रुस्वाई और दर्दनाक अ़ज़ाब का बयान जो अल्लाह (ﷻ) ने नशावर मशरूब पीने वाले के लिये तैयार कर रखा है?	494
बाब : (50) मुश्तबह चीज़ को छोड़ देने की तर्ग़ीब का बयान	495
बाब : (51) नशावर नबीज़ बनाने वाले को मुनक़्क़ा बेचने की कराहत (मुमानिअ़त) का बयान	496
बाब : (52) अंगूरों का जूस बेचना मना है	496
बाब : (53) कौन सा तिलाअ पीना जायज़ और कौन सा नाजायज़ है?	498
बाब : (54) अंगूरों का जूस किस हाल में पीना जायज़ है और किस में नाजायज़?	502
बाब : (55) बाब : (56) कौन सी नबीज़ पीनी जायज़ हैं और कौन सी नाजायज़?	503
बाब : (56) कौन सी नबीज़ पीनी जायज़ हैं और कौन सी नाजायज़?	505
बाब : (57) नबीज़ की बाबत इब्राहीम नख़ई पर इख़्तिलाफ़ का बयान	510
बाब : (58) मुबाह और जायज़ मशरूबात का बयान	513

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

चोर की सज़ा और उसकी हिकमत

चोरी इन्तेहाई क़बीह (बदतरीन) अमल है जिसकी कोई मज़हब भी इजाज़त नहीं देता बल्कि दुनिया के हर मज़हब में ये क़ाबिले सज़ा अमल है। ये अलग बात है कि आज कल के योरोपी क़वानीन (जो योरोप के अलावा उन ममालिक में राइज हैं जहाँ उनकी हुकूमत रही है) में इसकी सज़ा क़ैद और जुर्माना है। और शरीयते इस्लामिया में इसकी सज़ा हाथ काटना है। आज कल के 'रोशन ख़्याल' हज़रात हाथ काटने की सज़ा को वहशियाना और ज़ालिमाना कहते हैं कि इस तरह मुआशरे में माज़ूर अफ़राद ज़्यादा होंगे और वह मुआशरे और हुकूमत के लिये बोझ बन जायेंगे, हालांकि वह नहीं जानते कि ये ऐसी सज़ा है जो चोरी को मुआशरे से तक़रीबन कल्अदम कर देगी। सिर्फ़ चन्द हाथ काटने से अगर मुआशरा चोरी से पाक हो जाये तो ये घाटे का सौदा नहीं। उन चन्द अफ़राद का बोझ हुकूमत या मुआशरे के लिये उठाना उन करोड़ों अरबों के अख़राजात से बहुत हल्का है जो पोलिस और जेलों पर ख़र्च करने पड़ते हैं जब कि जेलों में छोटे चोर बड़े चोर बन जाते हैं। वहाँ जराइम पेशा अफ़राद इकट्ठे हो जाते हैं जिससे जराइम के मन्सूबे बनते हैं। ये समझना कि इस्लामी सज़ा के निफ़ाज़ से 'हथ कटे' अफ़राद की कसरत होती है, जहालत है। चन्द हाथ कटने से चोरी ख़त्म हो जायेगी। पुलीस और अदालतों की तौसीअ की ज़रूरत नहीं रहेगी। शहर में एक आध 'हथ कटा' फ़र्द सारे शहर के लिये इबरत बना रहेगा। इससे कहीं ज़्यादा अफ़राद के हाथ हादसात में कट जाते हैं, लिहाज़ा ये सिर्फ़ प्रोपेगेण्डा है कि इस सज़ा से 'हथ कटों' का सैलाब आ जायेगा। सऊदी अरब जहाँ इस्लामी सज़ायें सख़्ती से नाफ़िज़ हैं, इस हक़ीक़त की ज़िन्दा मिसाल है। वहाँ कोई फ़र्द हथ कटा नज़र नहीं आता मगर चोरी का तसव्वुर तक़रीबन ख़त्म हो चुका है। करोड़ों की मालियत का सामान बग़ैर किसी मुहाफ़िज़ के पड़ा रहता है और लोग दुकानें खुली छोड़ कर नमाज़ पढ़ने चले जाते हैं। ज़ेवरात से लदी फंदी औरतें सहराओं में हज़ारों मीलों का सफ़र करती हैं मगर किसी को नज़रे बद की भी जुर्अत नहीं होती, हालांकि इस्लामी सज़ा के निफ़ाज़ से पहले दिन दहाड़े क़ाफ़िले लूट लिये जाते थे। और लोग हाजियों की मौजूदगी में उनका सामान उठा कर भाग जाया करते थे जैसा कि आज कल अमेरिका वग़ैरह में हाल है, बावजूद इसके कि वहाँ जेलें भरी पड़ी हैं मगर चोरी, डाके रोज़ रोज़ बढ़ रहे हैं। इस्लाम ने चोरी की ये सज़ा इसलिये रखी है कि चोरी बढ़ते बढ़ते डाका डालने की आदत डालती है। डाके में बेदरेग़ क़त्ल किये जाते हैं और जबरन इस्मतें लूटी जाती हैं। गोया चोर आहिस्ता आहिस्ता डाकू, क़ातिल और ज़िना बिलजब्र का मुर्तकिब बन जाता है, लिहाज़ा इब्तेदा ही में उसका एक हाथ काट दिया जाये ताकि वह ख़ुद भी पहले क़दम पर ही रुक जाये बल्कि वापस पलट जाये और मुआशरा भी डाकूओं, बेगुनाह क़त्ल और ज़िना बिल जब्र जैसे ख़ौफ़नाक और क़बीह जराइम से महफ़ूज़ रह सके। बताइये! इस सज़ा से चोर और मुआशरे को फ़ायदा हासिल हुआ या नुक़सान? जब कि क़ैद और जुर्माने की सज़ा इन जराइम में मज़ीद इज़ाफ़े का ज़रिया बनती है। पहली चोरी का जुर्माना उससे बड़ी चोरी के ज़रिये से अदा किया जाता है और जेल जराइम की तर्बीयत गाह साबित होती है। जराइम तभी ख़त्म होंगे जब उन पर कड़ी और बेलाग इस्लामी सज़ायें नाफ़िज़ की जायेगी क्योंकि वह फ़ितरत के ऐन मुताबिक़ हैं।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كتاب قطع السارق

चोर का हाथ काटने का बयान

باب(۱): تَعْظِيمِ السَّرِقَةِ

बाब : (1) चोरी बहुत बड़ा गुनाह है

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهَا أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ " .

(4874) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: जब कोई शख़्स ज़िना करता है तो वह मोमिन नहीं होता। जब कोई शख़्स चोरी करता है तो वह साहिबे ईमान नहीं होता। जब कोई शख़्स शराब पीता है तो वह ईमान से ला'ताल्लुक़ हो जाता है। और जब कोई शख़्स ताक़त व कुव्वत के ज़ोर पर ज़बरदस्त डाका डालता है कि लोग बेचारे देखते रह जाते हैं तो वह भी ईमान से ख़ाली होता है।'

(4874) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7354, बुख़ारी, हदीस: 2475, मुस्लिम: 757.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, साबिक़ा हदीस: 4873.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ

(4875) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़ानी जब ज़िना करता है तो मोमिन नहीं होता। चोर जब चोरी करता है तो मोमिन नहीं होता। और शराबी जब शराब पीता है तो मोमिन नहीं होता। अलबत्ता तौबा फिर भी हो सकती है।'

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي حَدِيثِهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ثُمَّ التَّوْبَةُ مَعْرُوضَةٌ بَعْدُ " .

(4875) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 57/104, बुख़ारी, हदीस: 6810, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7355, 7356.

फ़ायदा : 'तौबा' ये इशारा है कि यहाँ मुत्लक़न ईमान की नफ़ी मक़सूद नहीं बल्कि वक़्ती तौर पर या ईमाने कामिल की नफ़ी मक़सूद है क्योंकि ये गुनाह हैं, कुफ़्र नहीं बशिर्ते कि फ़ाइल तौबा करे और वापस आ जाये।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي زِيَادٍ - عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَذَكَرَ رَابِعَةً فَنَسِيتُهَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ خَلَعَ رِبْقَةَ الإِسْلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ .

(4876) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मरवी है कि जब कोई शख़्स ज़िना करता है तो वह मोमिन नहीं होता। और (जब कोई शख्स) चोरी करता है तो वह मोमिन नहीं होता और (जब) शराब पीता है तो मोमिन नहीं होता। उन्होंने एक चौथी चीज़ का भी ज़िक्र फ़रमाया लेकिन मैं भूल गया। जो आदमी ये काम करता है, वह इस्लाम का तौक़ अपनी गर्दन से उतार देता है लेकिन अगर वह तौबा करे तो अल्लाह तआला उसकी तौबा क़बूल फ़रमा लेता है।

(4876) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7357.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْمُخَرِّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، رضى الله عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ " .

(4877) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला चोर पर लानत करे वह अण्डा चुरा लेता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है। रस्सी चुरा लेता है तो उसका हाथ काट दिया जाता है।'

(4877) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1687, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7358.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'लानत करे' कि वह मामूली चीज़ों के बदले अपना क़ीमती हाथ जिसका कोई बदल नहीं, कटवा बैठता है। दुनिया में इससे बड़ा नुक़सान क्या होगा? हाथ से महरूमी, ज़िन्दगी भर की माज़ूरी, बदनामी और रुस्वाई जो मरते दम तक जुदा न होगी और इन सबसे बढ़ कर अल्लाह तआला की नाराज़ी और ईमान से महरूमी। और लानत क्या होती है? किसी शख़्स का नाम लेकर उस पर लानत डालना जायज़ नहीं, ख़्वाह वह काफ़िर हो, मगर ये कि वह कुफ़्र पर मरे या उसका कुफ़्र क़तई हो। अलबत्ता किसी कबीरा गुनाह का ज़िक्र करके उसके फ़ाइल पर (बग़ैर किसी का नाम लिये या किसी को मुअय्यन किये) लानत डाली जा सकती है जैसा कि इस हदीस़ में है। लानत सबसे बड़ी बद दुआ है। मुराद अल्लाह तआला की रहमत से महरूमी है, इसी लिये ये किसी मोमिन के बारे में तो हो ही नहीं सकती। काफ़िर भी मुमकिन है, किसी वक़्त मुसलमान हो जाये, लिहाज़ा उसके लिये भी मुनासिब नहीं। (2) 'अण्डा, रस्सी' कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिये फ़रमाया। मुराद मामूली चीज़ है। ज़ाहिर है दुनिया का माल कितना भी क़ीमती हो, इन्सानी हाथ और इन्सानी शर्फ़ के मुक़ाबले में मामूली ही है वरना अण्डा, रस्सी पर हाथ नहीं काटा जा सकता बल्कि हाथ काटने के लिये चोरी की एक हद मुक़र्रर की गई है जिसकी तफ़्सील आइन्दा आयेगी। इन्शाअल्लाह! कुछ हज़रात ने बेज़ा के मानी ख़ूद किये हैं जो लड़ाई के वक़्त सर पर पहना जाता है। वह क़ीमती होता है। उस पर हाथ काटा जा सकता है। और रस्सी से मुराद कश्ती के रस्से लिये हैं जो बहुत मोटे होते हैं। क़ीमती भी बहुत होती है। मानी तो ये भी बन सकते हैं मगर इससे कलाम की बलाग़त ख़त्म हो जाती है। कलाम का मक़सद तो चोरी की मज़म्मत है न कि हाथ काटने की तफ़्सील बयान करना। वल्लाहु आलम!

बाब : (2) मार पीट कर और क़ैद करके चोरी की तफ़्तीश करना

امْتِحَانِ السَّارِقِ بِالضَّرْبِ وَالْحَبْسِ

(4878) हज़रत नोमान बिन बशीर (ﷺ) से मरवी है कि बनू कलाअ के कुछ लोगों ने उनके पास मुक़द्दमा पेश किया कि कपड़ा बनाने वाले कुछ लोगों ने हमारा सामान चुरा लिया है। उन्होंने उनको चन्द दिन क़ैद में रखा, फिर छोड़ दिया। मुक़द्दमा पेश करने वाले आये और कहा: आपने उनको बग़ैर किसी मार पीट और तहक़ीक़ व तफ़्तीश (छान बीन) के छोड़ दिया है? हज़रत नोमान ने फ़रमाया: तुम क्या चाहते हो? अगर तुम चाहो तो मैं उनको मार पीट करता हूँ। अगर तुम्हारा

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ حَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَرَازِيُّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، أَنَّهُ رَفَعَ إِلَيْهِ نَفَرٌ مِنَ الْكَلاَعِيِّينَ أَنَّ حَاكَةً سَرَقُوا مَتَاعًا فَحَبَسَهُمْ أَيَّامًا ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُمْ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا خَلَّيْتَ سَبِيلَ هَؤُلاَءِ بِلاَ امْتِحَانٍ وَلاَ ضَرْبٍ . فَقَالَ النُّعْمَانُ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ

أَضْرِبُهُمْ فَإِنْ أَخْرَجَ اللَّهُ مَتَاعَكُمْ فَذَاكَ وَإِلاَّ أَخَذْتُ مِنْ ظُهُورِكُمْ مِثْلَهُ . قَالُوا هَذَا حُكْمُكَ . قَالَ هَذَا حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم .

सामान उनसे बरामद हो गया तो बेहतर वरना मैं तुम्हारी पीठों पर भी उतनी ही मार पीट करूँगा। उन्होंने कहाः ये आपका फ़ैसला है? उन्होंने फ़रमायाः ये अल्लाह तआला का फ़ैसला है, और उसके रसूले मुकर्रम (ﷺ) का फ़ैसला है।

(4878) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीसः 4382, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 7361.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुहक़्क़िक़े किताब का इस रिवायत की सनद को ज़ईफ़ कहना दुरुस्त नहीं। उनके नज़दीक वजहे ज़ुअफ़ ये है कि अज़हर बिन अ़ब्दुल्लाह के हज़रत नोमान बिन बशीर से सिमाअ़ में नज़र है लेकिन उन्होंने इस नज़र की कोई दलील ज़िक्र नहीं की और उसूली बात ये है कि जब सिक़ा या सदूक़ रावी 'अ़न' से बयान करे और वह मुत्तहम बित तदलीस भी न हो तो उसकी रिवायत सिमाअ़ पर महमूल होगी। और अज़हर को किसी ने मुदल्लिस नहीं कहा। शायद इसी लिये शैख़ अलबानी और दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इस रिवायत को हसन कहा है। **(2)** इस बाब में चोर से मुराद वह शख़्स है जिस पर चोरी का इल्ज़ाम हो मगर कोई गवाह न हो और न माले मसरूक़ा उससे बरामद हुआ हो। ऐसे शख़्स को जिस पर चोर होने के क़राइन हों, तहक़ीक़ की ग़र्ज़ से क़ैद किया जा सकता है। अगर वह तस्लीम कर ले या उससे माले मसरूक़ा बरामद हो जाये तो उसको चोरी की सज़ा लाज़िम है। अगर कुछ भी साबित न हो तो उसे छोड़ दिया जायेगा जैसा कि हज़रत नोमान बिन बशीर(رضی اللہ عنہ) के तर्ज़े अ़मल से साबित होता है, और उसे मारने की इजाज़त नहीं होगी क्योंकि मार पीट से तो किसी भी बेगुनाह से ऐतराफ़ करवाया जा सकता है। किसी बेगुनाह या मशकूक शख़्स को मारना ज़ुल्म है। हाँ अलबत्ता ये दुरुस्त है कि दानाई और हिकमत से सच उगलवाया जाये या धमकियों वग़ैरह से मरऊ़ब करके हक़ीक़त मालूम की जाये।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ نَاسًا فِي تُهْمَةٍ .

(4879) हज़रत बहज़ बिन हकीम अपने बाप से, वह (बहज़) उनके दादा (हज़रत मुआविया बिन हैदा क़ुशैरी (رضی اللہ عنہ)) से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ लोगों को एक इल्ज़ाम में क़ैद कर दिया था।

(4879) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीसः 3630, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 7262, व सहीह इब्ने अल जारूद, हदीसः 1003, वल हाकिमः 4/102

फ़ायदा : तफ़्तीश के लिये न कि बतौर सज़ा क्योंकि जब तक मुल्ज़िम के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम साबित न हो, वह मुजरिम नहीं बनता। और तफ़्तीश के लिये क़ैद के दौरान में उस पर तशद्दुद नहीं किया जा सकता वरना तशद्दुद करने वाले के ख़िलाफ़ क़िसास की कार्यवाही की जायेगी।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهْمَةٍ ثُمَّ خَلَّى سَبِيلَهُ .

(4880) हज़रत बहज़ बिन हकीम के दादा (हज़रत मुआविया बिन हैदा क़ुशैरी (ﷺ)) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को किसी इल्ज़ाम में क़ैद कर दिया था, फिर (इल्ज़ाम साबित न होने पर) उसे छोड़ दिया।

(4880) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 1417, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7362.

باب(٣): تَلْقِينِ السَّارِقِ

बाब : (3) चोर को रूजूअ का मश्वरा या मौक़ा देना

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الْمُنْذِرِ، مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصٍّ اعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَلَمْ يُوجَدْ مَعَهُ مَتَاعٌ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَا إِخَالُكَ سَرَقْتَ " . قَالَ بَلَى . قَالَ " اذْهَبُوا بِهِ فَاقْطَعُوهُ ثُمَّ جِيئُوا بِهِ " . فَقَطَعُوهُ ثُمَّ جَاءُوا بِهِ فَقَالَ لَهُ " قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ " . فَقَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ . قَالَ " اللَّهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ "

(4881) हज़रत अबू उमैया मख़ज़ूमी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक चोर लाया गया जिसने ख़ुद ब ख़ुद चोरी का ऐतराफ़ किया था लेकिन उसके पास (चोरी का) सामान नहीं मिला था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे फ़रमाया: 'मैं नहीं समझता कि तूने चोरी की होगी।' उसने कहा: क्यूँ नहीं (बल्कि की है) आपने फ़रमाया: 'इसे ले जाओ और इसका हाथ काट कर फिर मेरे पास ले आओ।' वह उसका हाथ काट कर उसे वापस लाये तो आपने उसे फ़रमाया: 'कह मैं अल्लाह तआला से बख़्शिश तलब करता हूँ और तौबा करता हूँ।' उसने यही अल्फ़ाज़ दोहरा दिये। आपने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! इसकी तौबा क़बूल फ़रमा।'

(4881) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4380, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7363.

बाब : (4)
हाकिम के सामने मुक़द्दमा पेश करने के बाद मुताल्लिक़ा शख़्स का चोर को चोरी माफ़ करना और सफ़वान बिन उमैया की हदीस में अ़ता पर इख़्तिलाफ़ का बयान

باب : (۴)
الرَّجُلُ يَتَجَاوَزُ لِلسَّارِقِ عَنْ سَرِقَتِهِ، بَعْدَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ الإِمَامَ وَذِكْرُ

(4882) हज़रत सफ़वान बिन उमैया (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने उनकी चादर चुराई। वह उसे (चोर को) नबी-ए-करीम (ﷺ) के पास ले आये तो आपने उसका हाथ काट देने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने उसको माफ़ कर दिया। आपने फ़रमाया: 'अबू वहब! (माफ़ ही करना था तो) हमारे पास लाने से पहले क्यूँ माफ़ न कर दिया?' फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उसका हाथ काट दिया।

(4882) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7364.

أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً، سَرَقَ بُرْدَةً لَهُ فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ . فَقَالَ " أَبَا وَهْبٍ أَفَلاَ كَانَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ " . فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़ाबिले हद मसला जब हाकिम के सामने पेश कर दिया जाये तो फिर उसकी माफ़ी नहीं हो सकती। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि हाकिम के पास लाने से पहले माफ़ कर दिया जाये, ताहम शरीयत ने जिस चीज़ को मुस्तस्ना (अलग) क़रार दिया उसमें हाकिम के पास लाने के बाद भी माफ़ हो सकता है जैसे, मक़्तूल के वारिसीन क़ातिल को बाद में भी माफ़ कर सकते हैं। **(2)** इस्लामी और शरई सज़ाएँ वहशियाना क़तअन नहीं बल्कि ये तो क़ाबिले रश्क मुआशरे की तशकील के लिये नागुज़ीर और हयात बख़्श हैं। शरई सज़ाओं के निफ़ाज़ से न सिर्फ़ बुराइयों का क़लअ़ क़मअ़ हो जाता है बल्कि मुआशरा अमन व सुकून का गहरावा बन जाता है। **(3)** 'काट दिया' यानी काटने का हुक्म दे दिया।

(4883) हज़रत सफ़वान बिन उमैया (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने (मेरी) चादर चुरा लीं वह उसे नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास ले

أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ

بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ مُرَقِّعٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّ رَجُلاً، سَرَقَ بُرْدَةً فَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ تَجَاوَزْتُ عَنْهُ . قَالَ " فَلَوْلاَ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ يَا أَبَا وَهْبٍ " . فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

गये। आपने उसका हाथ काट देने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने इसे माफ़ कर दिया। आपने फ़रमाया: 'अबू वहब! तूने ये काम मेरे पास पेश करने से पहले क्यूँ न किया?' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसका हाथ काट दिया।

(4883) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7365, व स़हीह इब्ने अल जारूद, हदीस़: 828.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّ رَجُلاً، سَرَقَ ثَوْبًا فَأُتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ الرَّجُلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ لَهُ . قَالَ " فَهَلاَّ قَبْلَ الآنَ".

(4884) हज़रत अ़ता बिन अबू रबाह से रिवायत है कि एक आदमी ने कपड़ा चुरा लिया। उसे पकड़ कर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाया गया। आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दे दिया। (कपड़े वाले) आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये कपड़ा उसको माफ़ है। आपने फ़रमाया: 'इस वक़्त से पहले क्यूँ न (माफ़) किया।'

(4884) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4882, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7366.

مَا يَكُونُ حِرْزًا وَمَا لاَ يَكُونُ

बाब : (5) कौन सी चीज़ महफ़ूज़ होती है और कौन सी ग़ैर महफ़ूज़?

أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، - هُوَ ابْنُ أَبِي بَشِيرٍ - قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى ثُمَّ لَفَّ رِدَاءً لَهُ مِنْ بُرْدٍ

(4885) हज़रत स़फ़वान बिन उमैया (رضي الله عنه) से रिवायत है कि उन्होंने बैतुल्लाह का तवाफ़ किया, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर अपनी चादर तह कर के अपने सर के नीचे रख ली और सो गये। एक चोर आया और उसने वह चादर उनके सर के नीचे से खिसका ली। उन्होंने उसे पकड़ लिया और नबी-

فَوَضَعَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ فَنَامَ فَأَتَاهُ لِصٌّ فَاسْتَلَّهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَأَخَذَهُ فَأَتَى بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ هَذَا سَرَقَ رِدَائِي . فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَسَرَقْتَ رِدَاءَ هَذَا " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " اذْهَبَا بِهِ فَاقْطَعَا يَدَهُ " . قَالَ صَفْوَانُ مَا كُنْتُ أُرِيدُ أَنْ تُقْطَعَ يَدُهُ فِي رِدَائِي . فَقَالَ لَهُ " فَلَوْ مَا قَبْلَ هَذَا " . خَالَفَهُ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ.

ए-अकरम (ﷺ) के पास ले आये और कहा: इसने मेरी चादर चुराई है। नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने उससे पूछा: 'तूने उसकी चादर चुराई है?' उसने कहा: जी हाँ। आपने (दो आदमियों को) हुक्म दिया: 'इसे ले जाओ और इसका हाथ काट दो।' सफ़वान ने कहा: मेरा ये मक़सद नहीं था कि आप मेरी चादर की बिना पर इसका हाथ काट दें। आपने फ़रमाया: 'इससे पहले क्यूँ (माफ़) न किया?'

अशअस बिन सव्वार ने इसकी मुख़ालिफ़त की है।

(4885) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4882, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7367.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इक्रिमा से रिवायत बयान करने वाले दो रावी हैं: एक अब्दुल मलिक बिन अबू बर्शर और दूसरे अशअस बिन सव्वार। अब्दुल मलिक ने जब ये रिवायत बयान की तो कहा: हद्दसना इक्रिमा अन सफ़वान बिन उमैया. जब यही रिवायत अशअस ने बयान की तो कहा: अन इक्रिमा अन इब्ने अब्बास, यानी अशअस ने इसे सफ़वान बिन उमैया के बजाये इब्ने अब्बास की मुसनद बनाया। लेकिन ये याद रहे कि अशअस की मुख़ालिफ़त, अब्दुल मलिक की रिवायत के लिये मुज़िर नहीं क्योंकि वह सिक़ा रावी है जबकि अशअस ज़ईफ़ है जैसा कि इमाम नसाई (رحمه الله) ने बज़ाते ख़ुद इसकी सराहत अगली, यानी अशअस की बयानकर्दा रिवायत में कर दी है। वल्लाहु आलम! **(2)** बाब का मक़सद ये है कि चोर महफ़ूज़ चीज़ उठाये तो उसका हाथ काटा जायेगा, ग़ैर महफ़ूज़ चीज़ उठाने से वह चोर तो बनेगा लेकिन उसका हाथ नहीं काटा जायेगा। बतौर ताज़ीर कोई और सज़ा दी जा सकती है। महफ़ूज़ से मुराद, जैसे: या तो मालिक पास हो और उसने वह चीज़ अपने पास संभाल कर रखी हो, ख़्वाह वह सोया हो या जागता हो या वह चीज़ बन्द जगह में हो, जैसे: कमरे में हो और कमरे का दरवाज़ा बन्द हो। लेकिन अगर कोई चीज़ घर से बाहर पड़ी हो और मालिक भी पास न हो तो उसे ग़ैर महफ़ूज़ तसव्वुर किया जायेगा। या ऐसे मक़ाम पर हो जो सबके लिये खुला है, जैसे: मस्जिद, दफ़्तर, स्कूल वग़ैरह और दरवाज़ा भी खुला हो, मालिक भी पास न हो तो उसे भी ग़ैर महफ़ूज़ तसव्वुर किया जायेगा। मज़्कूरा वाक़िये में हज़रत सफ़वान ने चादर तह करके सर के नीचे रखी हुई थी। ज़ाहिर है ये महफ़ूज़ थी। उसने चुरा कर अपने आपको हाथ काटने का सज़ावार क़रार दे लिया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامٍ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي خِيَرَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، - يَعْنِي ابْنَ الْعَلاَءِ الْكُوفِيَّ - قَالَ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ صَفْوَانُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ وَرِدَاؤُهُ تَحْتَهُ فَسُرِقَ فَقَامَ وَقَدْ ذَهَبَ الرَّجُلُ فَأَدْرَكَهُ فَأَخَذَهُ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ قَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَلَغَ رِدَائِي أَنْ يُقْطَعَ فِيهِ رَجُلٌ . قَالَ " هَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنَا بِهِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَشْعَثُ ضَعِيفٌ .

(4886) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत सफ़वान मस्जिद में सोये हुये थे जबकि उनकी चादर उनके (सर के) नीचे थे। वह चुरा ली गई। उनको जाग आई तो चोर जा चुका था। उन्होंने भाग कर उसे पकड़ लिया और नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास ले आये। आपने चोर का हाथ काटने का हुक्म दे दिया। सफ़वान ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी चादर इतनी क़ीमती तो नहीं कि इसकी बिना पर किसी आदमी का हाथ काट दिया जाये? आपने फ़रमाया: 'ये बात इसको मेरे पास लाने से पहले क्यूँ न सोची।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने फ़रमाया: (इस रिवायत का रावी) अशअस ज़ईफ़ है। (मक़सद ये है कि हज़रत इब्ने अब्बास का ज़िक्र इस रिवायत में सही नहीं)

(4886) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस: 2304, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7368.

फ़ायदा : 'इतनी क़ीमती' क़ीमती तो थी, यानी चोरी के निसाब को पहुँच जाती थी इसलिये तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हाथ काटने का हुक्म दिया मगर उनका ख़याल था कि हाथ तो बहुत क़ीमती है। इसकी दियत पचास ऊँट है। इसे तीस दिरहम की चोरी के ऐवज़ नहीं काटना चाहिए। लेकिन असल बात ये है कि ये हाथ उस वक़्त क़ीमती है जब बेगुनाह हो। जब उससे चोरी जैसा गुनाह कर लिया गया तो अब ये क़ीमती न रहा। अब ये चन्द दिरहम के बदले काट दिया जायेगा। चोरी किस क़द्र ज़लील काम है कि पचास ऊँट की क़ीमत रखने वाली चीज़ को तीन या ज़्यादा से ज़्यादा दस दिरहम की बना दिया।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو، عَنْ أَسْبَاطٍ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ أُخْتِ، صَفْوَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، قَالَ كُنْتُ نَائِمًا فِي الْمَسْجِدِ

(4887) हज़रत सफ़वान बिन उमैया (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं मस्जिद में अपनी मुनक्क़श (धारीदार) चादर पर सोया हुआ था जिसकी क़ीमत तीस दिरहम थी। एक आदमी आया और उसे खिस्का ले गया। वह आदमी

عَلَى خَمِيصَةٍ لِي ثَمَنُهَا ثَلاَثُونَ دِرْهَمًا فَجَاءَ رَجُلٌ فَاخْتَلَسَهَا مِنِّي فَأُخِذَ الرَّجُلُ فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِهِ لِيُقْطَعَ فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ أَتَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ ثَلاَثِينَ دِرْهَمًا أَنَا أَبِيعُهُ وَأُنْسِئُهُ ثَمَنَهَا . قَالَ " فَهَلاَّ كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ " .

पकड़ा गया और नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास लाया गया। आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दे दिया। मैं आपके पास आया और अ़र्ज़ की। आप सिर्फ़ तीस दिरहम के बदले उसका हाथ काट रहे हैं? मैं ये चादर उसको बेच देता हूँ। क़ीमत उससे बाद में ले लूँगा। आपने फ़रमाया: 'ये सब कुछ मेरे पास मुक़द्दमा लाने से पहले क्यूँ न किया?'

(4887) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 4886, अबू दाऊद: 4394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7369.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا - وَذَكَرَ، - حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ، أَنَّهُ سُرِقَتْ خَمِيصَتُهُ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ وَهُوَ نَائِمٌ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخَذَ اللِّصَّ فَجَاءَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ أَتَقْطَعُهُ قَالَ " فَهَلاَّ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ تَرَكْتَهُ " .

(4888) हज़रत स़फ़वान बिन उमैया (ﷺ) से रिवायत है कि मेरे सर के नीचे से एक धारीदार चादर चुरा ली गई जबकि वह नबी-ए-अकरम(ﷺ) की मस्जिद में सोये हुये थे वह चोर को पकड़ कर नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास ले आये। आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दे दिया। स़फ़वान ने कहा: आप (इतनी चीज़ में) उसका हाथ काट देंगे? (मैं उसे माफ़ करता हूँ) आपने फ़रमाया: 'तूने इसे मेरे पास लाने से पहले क्यूँ न छोड़ दिया?'

(4888) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 48882, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7370.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تَعَافَوُا الْحُدُودَ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي بِهِ فَمَا

(4889) हज़रत अ़म्र बिन शुऐब के परदादा (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ)) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '(मुल्ज़िमों को) मेरे पास पेश करने से पहले हुदूद माफ़ कर दिया करो। मेरे पास कोई हद वाला मुक़द्दमा आया तो हद लाज़िमन लगेगी।'

أَتَانِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ " .

(4889) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, 4376, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7372, व सहीह अल हाकिम: 4/383, अल फ़तह: 12/87.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस़ सरीह और वाज़ेह दलील है कि हाकिमे वक़्त और अदालत के सामने पेश होने और मुल्ज़िम को पेश करने से पहले बाहम हुदूद में माफ़ करना मुस्तहब और पसन्दीदा अमल है। बिल ख़ुसूस अगर जुर्म करने वाला कोई ऐसा इज़्ज़तदार और मुआशरे का मोअज़्ज़ज फ़र्द हो जो न तो आदी मुजरिम हो और न अपने किये पर फ़ख़्र का इज़हार करे बल्कि अपनी ग़लती पर नादिम और शर्मिन्दा हो तो उसे माफ़ कर देना ही बेहतर और अफ़ज़ल है। **(2)** ऐनी शाहिदों, यानी मौक़े के गवाहों के लिये ये क़तअन ज़रूरी नहीं कि वह ज़रूर अदालत में जाकर, जो कुछ उन्होंने देखा है उसकी बाबत गवाही दें बल्कि एक मुसलमान के ऐब की पर्दापोशी मुस्तहब और शरअन पसन्दीदा अमल हैं इसके मुताल्लिक़ बहुत सी अहादीस़ मौजूद हैं। हाँ, अगर मामला अदालत में या हाकिम के पास चला जाये तो फिर हक़ सच की गवाही देना ज़रूरी होता है। इस सूरत में हक़ की गवाही छुपाना कबीरा गुनाह है। **(3)** 'हुदूद माफ़ करो' जैसे: चोरी को अदालत में पेश किये बग़ैर छोड़ दो, या ज़ानी के ख़िलाफ़ गवाह अदालत में न जायें या शराबी का केस अदालत में न ले जाया जाये। इन सूरतों में अदालत ज़बरदस्ती केस अपने हाथ में नहीं लेगी। लेकिन जो केस अदालत में आ गया, मुल्ज़िम ने ऐतराफ़ कर लिया या गवाहों ने गवाही दे दी, यानी जुर्म स़ाबित हो गया तो फिर अदालत के लिये हद क़ाइम करना लाज़िम होगा। वह माफ़ नहीं कर सकती। अदालत में जुर्म के सबूत के बाद मुताल्लिक़ा अश्ख़ास़ भी माफ़ी नहीं दे सकते। अलबत्ता क़िसास़ का मसला इस ज़ाबिते से मुस्तस्ना (अलग) है। क़त्ल का मुक़द्दमा अदालत में चला जाये, गवाह दस्तयाब हो जायें या मुल्ज़िम ऐतराफ़ कर ले यहाँ तक कि अदालत सज़ाए मौत भी सुना दे, तब भी मक़्तूल के वारिसीन माफ़ कर सकते हैं यहाँ तक कि फाँसी का फंदा क़ातिल के गले में पड़ा हो, तब भी उसे माफ़ किया जा सकता है। लेकिन अदालत किसी भी मरहले पर या हाकिमे वक़्त किसी भी अपील पर क़ातिल को माफ़ नहीं कर सकता।

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَعَافَوُا الْحُدُودَ فِيمَا

(4890) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तक बात तुममें है, तुम हुदूद माफ़ कर सकते हो लेकिन अगर कोई हुदूद वाला मुक़द्दमा मुझ तक पहुँच गया तो (मेरे लिये) हद लगाना वाजिब और लाज़िम हो जायेगा।'

بَيْنَكُمْ فَمَا بَلَغَنِي مِنْ حَدٍّ فَقَدْ وَجَبَ " .

(4890) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7373.

फ़ायदा : ऊपर दी गई दोनों रिवायात को मुहक़्क़िके किताब ने इब्ने जुरैज की तदलीस की वजह से सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने कहा है कि ये रिवायत शवाहिद की बिना पर स़ही हैं। सिलसिल-ए-स़हीहा में शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इब्ने मसऊद (ﷺ) की रिवायत ज़िक्र की है जो इसी मफ़हूम की है। देखिये: (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा, हदीस़: 1638) इसलिये राजेह बात यही है कि ये रिवायात क़ाबिले इस्तेदलाल हैं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً، مَخْزُومِيَّةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ فَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَطْعِ يَدِهَا .

(4891) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि एक मख़ज़ूमी औरत लोगों से घरेलू सामान इस्तेमाल के लिये लिया करती थी, फिर बाद में मुकर जाती थी। नबी (ﷺ) ने उसका हाथ काट देने का हुक्म दिया।

(4891) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 4395, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7374.

फ़ायदा : इस हदीस़ से मालूम होता है कि अगर कोई शख़्स़ आरयतन कोई चीज़ लेकर इन्कार कर दे जबकि गवाह मौजूद हों तो उसे चोर समझ कर उसका हाथ काट दिया जायेगा। ये इमाम अहमद और इस्हाक़ वग़ैरह का मौक़िफ़ है क्योंकि ये भी चोरी की एक क़िस्म है बल्कि इसका नुक़सान मुआशरे के लिये ज़्यादा है क्योंकि अगर इस पर सज़ा न दी जाये तो लोग आरयतन चीज़ें देने से इन्कार कर देंगे जिससे ग़रीब लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। फिर उसकी चोरी के साथ मुशाबिहत है कि ये भी हीले के साथ लोगों के माले महफ़ूज़ को उड़ाना है और चोरी में भी यही कुछ होता है, लिहाज़ा इस जुर्म पर भी चोरी वाली सज़ा दी जायेगी। और रसूलुल्लाह (ﷺ) शरअन इस बात के मजाज़ हैं कि शरई इत्लाक़ात की वज़ाहत फ़रमायें, इसलिये कुछ मुहद्दिसीन इस जुर्म पर भी हाथ काटने के क़ाइल हैं जबकि जुम्हूर अहले इल्म इसके क़ाइल नहीं बल्कि सिर्फ़ चोरी पर क़तअेयद नाफ़िज़ करते हैं। इस हदीस़ की तावील वह इस तरह करते हैं कि आपने इस जुर्म पर इसका हाथ नहीं काटा था बल्कि चोरी पर काटा था जैसा कि कुछ रिवायात में वज़ाहत है कि उसने चोरी की थी। ये जुर्म तो उसकी मज़ीद मज़म्मत करने के लिये ज़िक्र किया गया है। चूंकि दीगर रिवायात व तुरुक़ में बस़राहत चोरी पर क़तअ का ज़िक्र मौजूद है, फिर वाक़िया भी एक दफ़ा ही पेश आया है, इसलिये राजेह मौक़िफ़ जुम्हूर ही का है कि क़तअेयद सिर्फ़ (हाथ का काटना) चोरी पर होगा। वल्लाहु आलम!

(4892) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: एक मख़्ज़ूमी औरत अपनी पड़ौसनों की मारफ़त चीज़ें उधार ले लिया करती थी, फिर बाद में मुकर जाया करती थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसका हाथ काट देने का हुक्म फ़रमाया।

(4892) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7375.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا عَلَى أَلْسِنَةِ جَارَاتِهَا وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَطْعِ يَدِهَا .

(4893) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत लोगों के ज़ेवरात माँग कर ले जाया करती थी और फिर वापस करने से इन्कार कर देती थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये औरत अल्लाह और उसके रसूल के सामने ऐलानिया तौबा करे और जो कुछ उसने लोगों से लिया है, उनको वापस करे।' (लेकिन वह औरत न मानी तो) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाल! उठो और इसका हाथ काट दो।'

(4893) तख़रीज : (सनद सही) अलतबरानी फ़िल्कबीर: 12/366, हदीस: 13360, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7376.

أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْجَنْبِيُّ أَبُو مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ لِلنَّاسِ ثُمَّ تُمْسِكُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَرُدَّ مَا تَأْخُذُ عَلَى الْقَوْمِ " . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُمْ يَا بِلاَلُ فَخُذْ بِيَدِهَا فَاقْطَعْهَا " .

फ़ायदा : 'वापस कर दे' इस जुर्म में ये गुंजाइश है कि अगर वह मुजरिम बाद में चीज़ वापस कर दे तो उसे माफ़ी मिल जायेगी, अलबत्ता चोरी में ये गुंजाइश नहीं बल्कि जुर्म साबित होने के बाद किसी भी सूरत में माफ़ी नहीं हो सकती और हाथ काटा जायेगा।

(4894) हज़रत नाफ़ेअ (رحمه الله) से रिवायत है कि एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़माने में इस्तेमाल के लिये ज़ेवरात माँग लिया करती थी। इस तरह उसने काफ़ी ज़ेवरात इकट्ठे कर लिये।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ فِي زَمَانِ

رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا فَجَمَعَتْهُ ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا " . مِرَارًا فَلَمْ تَفْعَلْ فَأَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ .

फिर वह अपने पास रख लिये (और वापस करने से मुकर गई।) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस औरत को चाहिए कि वह तौबा कर ले और जो कुछ उसने लिया है, वापस करे।' आपने कई दफ़ा फ़रमाया मगर वह न मानी। आख़िर उसका हाथ काट दिया गया।

(4894) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7377.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَعَاذَتْ بِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " . فَقُطِعَتْ يَدُهَا .

(4895) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि बनू मख़ज़ूम की एक औरत ने चोरी कर ली। उसे नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास लाया गया उसने हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) के यहाँ पनाह हासिल कर ली। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर (चोरी करने वाली) फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद (ﷺ) भी होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।' फिर उस औरत का हाथ काट दिया गया।

(4895) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1689, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7378.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद' ये आपने कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिये फ़रमाया वरना कहाँ ख़ानदाने रसूल और कहाँ चोरी? अल्लाह की पनाह! इत्तेफ़ाक़न उस चोर औरत का नाम भी फ़ातिमा बिन्ते अस्वद बिन अब्दुल असद था **(2)** ज़ाहिरन तो ये और साबिक़ा रिवायात एक ही वाक़िया बयान करती हैं। इस सूरत में चोरी से मुराद आरिया की वापसी से इन्कार ही है क्योंकि आरिया की वापसी से इन्कार को मजाज़न चोरी कहा जा सकता है मगर चोरी को किसी भी लिहाज़ से आरिया की वापसी से इन्कार नहीं कहा जा सकता। या फिर अलग वाक़िया मानना होगा मगर ये मुश्किल है। मुहद्दिसीन ने इसे एक ही वाक़िया क़रार दिया है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ،

(4896) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से मरवी है कि बनू मख़ज़ूम की एक औरत ने दूसरे लोगों के वास्ते से ज़ेवरात इस्तेमाल के लिये लिया, बाद में

عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ اسْتَعَارَتْ حُلِيًّا عَلَى لِسَانِ أُنَاسٍ فَجَحَدَتْهَا فَأَمَرَ بِهَا النَّبِيُّ ﷺ فَقُطِعَتْ .

मुकर गई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म से उसका हाथ काट दिया गया।

(4896) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7379, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَهُ نَحْوَهُ، .

(4897) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से इस जैसी रिवायत और सनद से भी आती है।

(4897) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7380.

باب : (٦)
ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ

बाब : (6)
मख़्ज़ूमी चोर औरत वाली ज़ोहरी की रिवायत में लफ़्ज़ी इख़्तिलाफ़

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، قَالَ كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ مَتَاعًا وَتَجْحَدُهُ فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكُلِّمَ فِيهَا فَقَالَ " لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " . قِيلَ لِسُفْيَانَ مَنْ ذَكَرَهُ قَالَ أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

(4898) हज़रत सुफ़ियान से मरवी है कि एक मख़्ज़ूमी औरत लोगों से सामान माँग कर ले जाती, फिर (वापस करने से) मुकर जाया करती थी। उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की अदालत में पेश किया गया, और इसके बारे में (माफ़ी की) सिफ़ारिश भी की गई। आपने फ़रमाया: 'अगर (मेरी बेटी) फ़ातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।

सुफ़ियान से पूछा गया: (ये रिवायत) किसने बयान की है? उन्होंने कहा: अय्यूब बिन मूसा ने ज़ोहरी से, उन्होंने उर्वा से, उन्होंने आयशा से। इन्शा अल्लाहुल अज़ीज.

(4898) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3712, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7381.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَرَقَتْ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أُسَامَةَ فَكَلَّمُوا أُسَامَةَ فَكَلَّمَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " يَا أُسَامَةُ إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ كَانُوا إِذَا أَصَابَ الشَّرِيفُ فِيهِمُ الْحَدَّ تَرَكُوهُ وَلَمْ يُقِيمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا أَصَابَ الْوَضِيعُ أَقَامُوا عَلَيْهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا " .

(4899) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत ने चोरी कर ली। उसे नबी-ए-अकरम(ﷺ) के पास लाया गया। लोगों (औरत के रिश्तेदारों) ने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने सिफ़ारिश की कौन जुर्अत कर सकता है? उसामा शायद करे। उन्होंने हज़रत उसामा (ﷺ) से कहा: उसामा ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से (उस औरत की माफ़ी की) सिफ़ारिश कर दी। नबी-ए अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उसामा! बनू इस्राईल इसी लिये हलाक हुये थे कि जब उनमें कोई बलन्द मर्तबा शख़्स कोई हद फलाँग लेता तो उसे छोड़ देते और हद न लगाते और जब कोई कम मर्तबा शख़्स ग़लती कर बैठता तो उस पर हद क़ाइम कर देते। अगर इसकी बजाये मुहम्मद(ﷺ) की बेटी फ़ातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।'

(4899) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7382.

फ़ायदा : 'उसामा शायद करे' उन्होंने ये बात इस वजह से कही कि हज़रत उसामा (ﷺ) आपके मुतबन्ना हज़रत ज़ैद बिन हारिसा (ﷺ) के बेटे थे, इसलिये आपको उनसे शदीद मोहब्बत थी लेकिन अल्लाह तआला की मोहब्बत पर ग़ालिब न थी। तभी तो आपने उनकी सिफ़ारिश न मानी।

أَخْبَرَنَا رِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ أُتِيَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِسَارِقٍ فَقَطَعَهُ قَالُوا مَا كُنَّا نُرِيدُ أَنْ يَبْلُغَ مِنْهُ هَذَا . قَالَ " لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ لَقَطَعْتُهَا " .

(4900) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास एक चोर लाया गया। आपने उसका हाथ काट दिया। लोग कहने लगे: हमें ये ख़याल न था कि आप उसको इस हद तक सज़ा देंगे। आपने फ़रमाया: 'अगर (इसके बजाये) फ़ातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।'

(4900) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7383.

फ़ायदा : शैख़ अल्बानी (رحمه الله) और दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इस रिवायत की सनद को रिज़्कुल्लाह की वजह से ज़ईफ़ कहा है क्योंकि उसका मतन मुन्कर है। बाक़ी तमाम रिवायात में मर्द की बजाये औरत का ज़िक्र है और यही राजेह है। चोर औरत थी न कि मर्द, मर्द का ज़िक्र रावि-ए-हदीस़ रिज़्कुल्लाह का वहम है।

(4901) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि एक औरत ने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में चोरी कर ली। लोग कहने लगे: हम तो इसके बारे में आपसे बात नहीं कर सकते और भी कोई नहीं कर सकता मगर उसामा जो आपको बहुत प्यारे हैं। हज़रत उसामा (رضي الله عنه) ने आपसे सिफ़ारिश की तो आपने फ़रमाया: 'ऐ उसामा! बनी इस्राईल इस जैसे कामों की वजह से हलाक हुये। जब उनमें से कोई बलन्द मर्तबा शख़्स़ चोरी कर लेता तो उसको छोड़ देते और अगर कोई कम मर्तबा शख़्स़ उनमें चोरी कर बैठता तो उसका हाथ काट देते। अगर (चोरी करने वाली) मुहम्मद (ﷺ) की बेटी फ़ातिमा होती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।'

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَرَقَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا مَا نُكَلِّمُهُ فِيهَا مَا مِنْ أَحَدٍ يُكَلِّمُهُ إِلاَّ حِبُّهُ أُسَامَةُ . فَكَلَّمَهُ فَقَالَ " يَا أُسَامَةُ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ هَلَكُوا بِمِثْلِ هَذَا كَانَ إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِنْ سَرَقَ فِيهِمُ الدُّونُ قَطَعُوهُ وَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُهَا " .

(4901) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7384, देखें, हदीस़: 4903, बुख़ारी: 4898.

फ़ायदा : 'हलाक हुये' हलाकत से मुराद उख़रवी हलाकत भी हो सकती है और दुनियावी भी क्योंकि हुदूद का निफ़ाज़ न करने से जराइम बढ़ते हैं और जराइम की कस़रत क़ौमों की तबाही का बाइस़ बनती है, और नाफ़रमानी से अज़ाब भी आता है।

(4902) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: एक औरत ने दूसरे लोगों की मारफ़त कुछ ज़ेवरात आरज़ी तौर पर इस्तेमाल के लिये ले लिये। वह लोग तो मारूफ़ थे मगर वह औरत मारूफ़ नहीं थी। उसने वह ज़ेवरात बेच दिये और क़ीमत हज़्म कर ली। उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाया गया तो उसके घर वाले (सिफ़ारिश

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اسْتَعَارَتِ امْرَأَةٌ عَلَى أَلْسِنَةِ أُنَاسٍ يُعْرَفُونَ - وَهِيَ لاَ تُعْرَفُ - حُلِيًّا فَبَاعَتْهُ وَأَخَذَتْ ثَمَنَهُ فَأُتِيَ

के लिये) हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) की तरफ़ भागे। हज़रत उसामा (ﷺ) ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से उसकी सिफ़ारिश कर दी। रसूलुल्लाह (ﷺ) का चेहरा (ग़ुस्से से) सुर्ख़ हो गया। फिर आपने फ़रमाया: 'तू मेरे पास अल्लाह तआला की मुक़र्ररकर्दा हुदूद में से एक हद न लगाने की सिफ़ारिश कर रहा है?' उसामा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे लिये बख़्शिश की दुआ फ़रमाइये। फिर उसी दिन ज़ुहर के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) (ख़िताब के लिये) उठे। अल्लाह तआला की तारीफ़ फ़रमाई जो उसकी शान के लाइक़ है। फिर फ़रमाया: 'सुन लो! तुम से पहले लोग इस बिना पर हलाक हुये कि जब उनमें से कोई बलन्द मर्तबा शख़्स चोरी कर लेता तो उसे हद लगा देते। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद की जान है! अगर मुहम्मद (ﷺ) की बेटी फ़ातिमा चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता।' फिर आपने उस औरत का हाथ काट दिया।

(4902) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7385.

بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَعَى أَهْلُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ فَكَلَّمَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهَا فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يُكَلِّمُهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَشْفَعُ إِلَيَّ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ " . فَقَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشِيَّتَئِذٍ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ الشَّرِيفُ فِيهِمْ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الضَّعِيفُ فِيهِمْ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " . ثُمَّ قَطَعَ تِلْكَ الْمَرْأَةَ.

(4903) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि एक मख़्ज़ूमी औरत जिसने चोरी की थी, की वजह से क़ुरैश बड़े फ़िक्रमन्द हुये। वह कहने लगे: इसकी सिफ़ारिश रसूलुल्लाह (ﷺ) से कौन करेगा? फिर (ख़ुद ही) कहने लगे: इसकी जुर्अत रसूलुल्लाह (ﷺ) के महबूब उसामा बिन ज़ैद(ﷺ) के सिवा कौन कर सकता है! हज़रत उसामा ने आपसे इसकी सिफ़ारिश की तो

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا، أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ

صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ " . ثُمَّ قَامَ فَخَطَبَ فَقَالَ " إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " .

रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू अल्लाह तआला की मुक़र्ररकर्दा हुदूद में से एक हद (को नाफ़िज़ न करने) की बाबत सिफ़ारिश कर रहा है?' फिर आप खड़े हुये और ख़िताब करते हुये फ़रमाया: 'तुम लोगों से पहले लोग इसी बिना पर हलाक हुये कि जब उनमें से कोई बलन्द मर्तबा शख़्स चोरी कर लेता तो उसे छोड़ देते थे और जब कोई कमज़ोर शख़्स चोरी कर लेता तो उसको हद लगा देते। अल्लाह की क़सम! अगर (बिल फ़र्ज़) मुहम्मद (ﷺ) की बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।'

(4903) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3475, मुस्लिम, हदीस: 1688, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7386.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ سَرَقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي مَخْزُومٍ فَأُتِيَ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُهُ فِيهَا قَالُوا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ . فَأَتَاهُ فَكَلَّمَهُ فَزَبَرَهُ وَقَالَ " إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ الْوَضِيعُ قَطَعُوهُ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُهَا".

(4904) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: क़ुरैश के एक क़बीले बनू मख़्ज़ूम की एक औरत ने चोरी कर ली। उसे पकड़ कर नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास लाया गया। उसके रिश्तेदार कहने लगे कि कौन इसकी सिफ़ारिश कर सकता है? कुछ लोग कहने लगे: हज़रत उसामा (رضي الله عنه) ये काम कर सकते हैं। उसामा आपके पास आये और उस औरत की सिफ़ारिश की। आपने उन्हें डाँटा और फ़रमाया: 'बनी इस्राईल का हाल ये था कि जब उनका कोई बलन्द मर्तबा शख़्स चोरी करता था तो उसे छोड़ देते। (कुछ नहीं कहते थे) और जब कोई कम मर्तबा शख़्स चोरी कर लेता था तो उसका हाथ काट देते। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद (ﷺ) की जान है! अगर (मेरी बेटी)

फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।'

(4904) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7387.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَبَلَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ قُرَيْشًا، أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا قَالُوا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ سَرَقَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " .

(4905) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि क़ुरैश को एक मख़्ज़ूमी औरत के मामले ने परेशान कर दिया जिसने चोरी कर ली थी। वह कहने लगे: इसके बारे में कौन सिफ़ारिश करेगा? फिर ख़ुद ही कहने लगे: इसकी जुर्अत रसूलुल्लाह(ﷺ) के महबूब उसामा बिन ज़ैद(ﷺ) के सिवा कौन कर सकता है! हज़रत उसामा ने आप से सिफ़ारिशत की तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुमसे पहले लोग इसी बिना पर हलाक हुये कि जब उनमें कोई बड़ा (चौधरी) चोरी कर लेता तो उसे छोड़ देते थे और जब कोई कम मर्तबा शख़्स चोरी कर लेता था तो उस पर हद लगा देते थे। अल्लाह की क़सम! अगर मुहम्मद की बेटी फ़ातिमा चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता।'

(4905) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7388, देखें, हदीस़: 4903.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي

(4906) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अ़हदे मुबारक में ग़ज़्व-ए-फ़तहे मक्का के मौक़े पर एक औरत ने चोरी कर ली तो उसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास लाया गया। हज़रत उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) ने इसके बारे में आपसे बात की (माफ़ी की सिफ़ारिश की) जब उन्होंने आपसे बात की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) का

غَزْوَةِ الْفَتْحِ فَأُتِيَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَكَلَّمَهُ فِيهَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ فَلَمَّا كَلَّمَهُ تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ " . فَقَالَ لَهُ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ إِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ " . ثُمَّ قَالَ " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ قَطَعْتُ يَدَهَا " .

चेहर-ए-अनवर मुतग़य्यर (ग़ुस्से से सुर्ख़) हो गया फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क्या तू अल्लाह तआला की मुक़र्ररकर्दा हुदूद में से एक हद (को साक़ित करने) की बाबत सिफ़ारिश कर रहा है?' हज़रत उसामा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे लिये माफ़ी की दुआ फ़रमाइये। फिर जब ज़ुहर (की नमाज़) हूई तो रसूलुल्लाह (ﷺ) खड़े हुये और अल्लाह (عزوجل) की तारीफ़ की जो अल्लाह (عزوجل) की शाने जलीला के मुताबिक़ थी। फिर फ़रमाया: 'सुन लो! तुम से पहले लोग इसी बिना पर हलाक हुये कि जब उनमें कोई ऊँचा (बड़ा) आदमी चोरी कर लेता तो उसे छोड़ देते थे। (कुछ न कहते थे) और जब कोई कमज़ोर आदमी चोरी कर बैठता था तो उस पर हद लागू कर देते (उसे सज़ा देते) थे।' फिर फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! अगर फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता।'

(4906) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 2648, मुस्लिम: 9/1688, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7389.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ امْرَأَةً، سَرَقَتْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ - مُرْسَلٌ - فَفَزِعَ قَوْمُهَا إِلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ يَسْتَشْفِعُونَهُ - قَالَ عُرْوَةُ - فَلَمَّا كَلَّمَهُ

(4907) हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर से मुर्सलन रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहदे मुबारक में फ़तहे मक्का की जंग के वक़्त एक औरत ने चोरी कर ली। उसकी क़ौम के लोग घबरा कर हज़रत उसामा बिन ज़ैद (رضي الله عنه) के पास आये कि वह उसकी सिफ़ारिश फ़रमा दें। जब हज़रत उसामा ने आपसे उसकी बाबत बात चीत की तो रसूलुल्लाह (ﷺ) के चेहर-ए-अक़्दस का रंग बदल गया।

أُسَامَةُ فِيهَا تَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " أَتُكَلِّمُنِي فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ " . قَالَ أُسَامَةُ اسْتَغْفِرْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ . فَلَمَّا كَانَ الْعَشِيُّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَطِيبًا فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ " أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّمَا هَلَكَ النَّاسُ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا " . ثُمَّ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِيَدِ تِلْكَ الْمَرْأَةِ فَقُطِعَتْ فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا بَعْدَ ذَلِكَ . قَالَتْ عَائِشَةُ رضى الله عنها وَكَانَتْ تَأْتِينِي بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

आपने फ़रमाया: 'क्या तू अल्लाह तआला की हुदूद में से एक हद के बारे में सिफ़ारिश करता है?' उसामा ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरे लिये इस्तेग़फ़ार फ़रमायें। ज़ुहर के बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुत्बे के लिये खड़े हुये और अल्लाह तआला की तारीफ़ फ़रमाई जो उसकी शान के लायक़ है। फिर फ़रमाया: 'अम्माबाद! (ऐ लोगो!) तुमसे पहले लोग इस बिना पर तबाह हुये कि जब उनमें कोई ताक़तवर शख़्स चोरी करता तो उसको छोड़ देते। और जब कोई कमज़ोर शख़्स चोरी करता तो उस पर हद नाफ़िज़ कर देते। क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद (ﷺ) की जान है! अगर (बिल फ़र्ज़) फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद (ﷺ) चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता।' फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) ने उस औरत का हाथ काटने का हुक्म दिया। उसका हाथ काट दिया गया। लेकिन उसके बाद उसने बहुत अच्छी तौबा कर ली। हज़रत आयशा(رضي الله عنها) ने फ़रमाया: उसके बाद वह मेरे पास आया करती थी और मैं उसकी गुज़ारिशात व ज़रूरियात रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में पेश किया करती थी।

(4907) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7390.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा तमाम अहादीस़ से मालूम होता है कि हुदूद में सिफ़ारिशात करना ममनूअ है बशर्ते कि मामला अदालत या हुक्कामे बाला तक पहुँच चुका हो। **(2)** इन अहादीसे मुबारका से ये मसला भी साबित होता है कि जिस तरह चोरी करने वाले मर्द का हाथ काटा जा सकता है उसी तरह चोरी करने वाली औरत का हाथ भी काटा जा सकता है। क़ुरआने करीम ने तो मुकम्मल सराहत के साथ चोर मर्द और चोर औरत के हाथ काटने का हुक्म दिया है। देखिये: (अल माइदा 5/38) **(3)** हज़रत

उसामा बिन ज़ैद (ﷺ) की अज़ीम क़द्रो मन्ज़िलत पर भी ये अहादीस़ वाज़ेह दलालत करती हैं कि वह न स़िर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के महबूब थे बल्कि लोगों में भी महबूब समझे जाते थे। **(4)** मज़्कूरा अहादीस़ से मालूम हुआ कि सय्यदा फ़ातिमा (ﷺ) रसूलुल्लाह(ﷺ) के यहाँ बहुत ज़्यादा क़द्रो मन्ज़िलत की हामिल थीं, ताहम ये भी वाज़ेह होता है कि हुदूदुल्लाह के क़ाइम करने में न तो किसी की मोहब्बत को ख़ातिर में लाया जा सकता है और न किसी की सिफ़ारिश ही क़बूल की जा सकती है। वल्लाहु आलम! **(5)** 'आया करती थी' गोया वह हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आ गई थी। तौबा और सज़ा के बाद गुनाह ख़त्म हो जाता है। **(6)** किसी हदीस़ की तमाम असानीद को तफ़्स़ीलन बयान करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि वाक़िये की तमाम तफ़्स़ीलात सामने आ जाती हैं, कोई इब्हाम बाक़ी नहीं रहता।

बाब : (7)
हद क़ाइम करने की तर्ग़ीब

باب(٧): التَّرْغِيبِ فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عِيسَى بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنِي جَرِيرُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " حَدٌّ يُعْمَلُ فِي الأَرْضِ خَيْرٌ لأَهْلِ الأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا ثَلاَثِينَ صَبَاحًا " .

(4908) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़मीन में एक हद का लगाया जाना ज़मीन पर रहने वालों के लिये इस बात से बेहतर है कि उन पर तीस दिन बारिश बरसे।'

(4908) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 3538, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7391, इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1507.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ सज़ाएँ 'हद' कहलाती हैं और कुछ 'ताज़ीर' हद तो वह सज़ा होती है जो अल्लाह तआला की तरफ़ से मुक़र्ररकर्दा हो जबकि ताज़ीर उस सज़ा को कहते हैं जो क़ाज़ी और जज या कोई भी ज़िम्मेदार शख़्स़, जुर्म की नोईयत देख कर उसकी मुनासिबत से, उस जुर्म की रोक थाम के लिये अपनी स़वाब दीद के मुताबिक़ दे सकता है। मतलब ये है कि ताज़ीर अल्लाह तआला की तरफ़ से मुक़र्ररकर्दा नहीं होती। यही वजह है कि इसमें कमी बेशी हो सकती है। अलबत्ता हद और ताज़ीर दोनों के निफ़ाज़ का मक़स़द लोगों को जराइम से रोकना होता है। ये सज़ाएँ इसलिए दी जाती हैं कि मुजरिम का हश्र देख कर दूसरे लोग इबरत हास़िल करें और जुर्म से इज्तेनाब करें। **(2)** आम तौर पर बारिश हर जगह और हर इलाक़े की ज़रूरत होती है लेकिन स़हराई इलाक़ों में इसकी ज़रूरत कई गुना ज़्यादा होती है। अरब जो बहुत बड़े सहराई इलाक़े पर मुश्तमिल है वहाँ उसकी ज़रूरत मुसल्लमा है,

इसलिये इससे तश्बीह दी। (3) 'बेहतर है' क्योंकि हुदूद का निफ़ाज़ मुआशरे में अमन व अमान और सुकून व इत्मिनान पैदा करता है, और लड़ाई झगड़े और ख़ूनरेज़ी को ख़त्म करता है। बारिश का फ़ायदा वक़्ती है मगर हुदूद का फ़ायदा दाइमी और मुस्तक़िल है, और बारिश सिर्फ़ दुनिया में मुफ़ीद है जबकि हुदूद का निफ़ाज़ आख़िरत में भी मुफ़ीद होगा। रिज़्क़ का क्या फ़ायदा अगर जान और माल व इज़्ज़त ही महफ़ूज़ न हो? बल्कि रिज़्क़ की कस्रत बसा औक़ात जान व इज़्ज़त के लिये ख़तरा बन जाती है जब मुआशरे में अमन व अमान न हो। हुदूदे इन्सान के जान व माल और इज़्ज़त को महफ़ूज़ करने के लिये नुस्ख़-ए-कीमीया हैं। तर्जुबा शर्त है। (4) 'तीस दिन' कस्रत मुराद है जैसा कि आइन्दा हदीस़ से मालूम होता है, और ये एक फ़र्ज़ी बात है वरना मुसल्सल तीस दिन बारिश बरसती रहे तो नुक़सान का सबब बन सकती है। अलबत्ता पहाड़ी इलाक़ों में मुसल्सल बारिश भी मुफ़ीद रहती है या वक़्फ़े से मुराद होगी, यानी ज़रूरत के मुताबिक़ पड़ती रहे। बारिश का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिये फ़रमाया कि बारिश के साथ ही ज़मीनी ज़िन्दगी की बक़ा है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً .

(4909) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: ज़मीन में एक हद नाफ़िज़ कर देना ज़मीन पर बसने वालों के लिये चालीस दिन की बारिश से भी ज़्यादा मुफ़ीद है।

(4909) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7392.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत अगरचे मौक़ूफ़ है लेकिन हुक्मन मरफ़ूअ ही है क्योंकि ये बात कोई सहाबी अपनी राय से नहीं कह सकता। वल्लाहु आलम! (2) मुहक़्क़िक़े किताब ने मज़्कूरा दोनों रिवायतों को सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है लेकिन दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने शवाहिद की बिना पर इनको हसन कहा है। देखिये: (अस्सहीहा, हदीस़: 231, व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई, 37/30-32)

باب(٨): الْقَدْرِ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ

बाब : (8) वह मिक़्दार जिसकी चोरी पर चोर का हाथ काटा जायेगा

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

(4910) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ)ने एक ढाल की चोरी पर हाथ काट दिया था जिसकी क़ीमत

عُمَرَ، يَقُولُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . كَذَا قَالَ .

पाँच दिरहम थी। (इमाम साहिब (ﷺ) ने फ़रमाया:) रावी ने इसी तरह बयान किया है। (उसे ग़लती लगी है।)

(4910) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ लिशुज़ूज़िही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7393.

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ .

(4911) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक ढाल की चोरी पर हाथ काट दिया था जिसकी क़ीमत तीन दिरहम थी।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) बयान करते हैं कि ये रिवायत दुरुस्त है।

(4911) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 6/1686, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7394.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कितनी मालियत की चीज़ चुराने पर हाथ काटा जायेगा? मज़्कूरा बाब के तहत बयान की गई पहली रिवायत: 4910 में ढाल की क़ीमत पाँच दिरहम बयान की गई है, ये क़तअन दुरुस्त नहीं, ये रावी का वहम और उसकी ग़लती है। दीगर सही रिवायात में ढाल की क़ीमत तीन दिरहम बयान की गई है जैसा कि आइन्दा रिवायत में है। पाँच दिरहम वाली रिवायत शाज़ (ज़ईफ़) है क्योंकि उसके रावी मख़्लद ने अपने से औसक़ व अहफ़ज़ रावियों की मुख़ालिफ़त की है। उन्होंने हज़रत नाफ़ेअ (ﷺ) से ये रिवायत बयान की तो क़ीमत तीन दिरहम बयान की है, जबकि ये पाँच दिरहम बयान करते हैं। अगरचे ढाल की क़ीमत मुख़्तलिफ़ हो सकती है मगर चूंकि ये एक ही रिवायत की दो सनदें हैं, लिहाज़ा एक को रावी की ग़लती कहा जायेगा। वैसे अगर दोनों रिवायात सही हों तब भी कोई फ़र्क़ न पड़ता क्योंकि तीन दिरहम या उससे ज़्यादा में हाथ काटा जाता है। अगर कोई चीज़ सौ दिरहम की हो तो उसमें भी काटा जायेगा, अगर लाख दिरहम की हो तब भी, लिहाज़ा पाँच दिरहम में हाथ काटने से तीन दिरहम में हाथ काटने की नफ़ी नहीं होती। अलबत्ता तीन दिरहम से कम में हाथ काटने का कहीं ज़िक्र नहीं, लिहाज़ा तीन दिरहम और रुबुअ दीनार में कोई फ़र्क़ नहीं। नबी(ﷺ) के दौर में दीनार दस, बारह दिरहम का होता था। बारह का चौथाई तो तीन ही है। दस का रुबुअ भी तीन दीनार ही को कहा जायेगा क्योंकि शरीयत कस्र पर हुक्म नहीं लगाती बल्कि उसे पूरा कर देती है, यानी ढाई दिरहम की बजाये तीन दिरहम पर क़तअेयद का हुक्म लगेगा। तीन दिरहम और रुबुअ दीनार की रिवायात क़तअन सही और

बुख़ारी व मुस्लिम की हैं, इसलिये उन्हीं पर अ़मल होगा। अहनाफ़ ने कुछ ज़ईफ़ रिवायात की बिना पर निसाबे मस्रूक़ा दस दिरहम मुक़र्रर किया है। ये बात सरासर उसूल के ख़िलाफ़ है कि सही अहादीस़ के मुक़ाबले में ज़ईफ़ रिवायत को तर्जीह दी जाये। अगरचे अहनाफ़ ने इसे एहतियात क़रार दिया है मगर ये अ़जीब एहतियात है जिससे शरीयत का सही और सरीह हुक्म कल्अदम हो जाये।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .

(4912) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक ढाल की चोरी पर हाथ काटा था जिसकी क़ीमत तीन दिरहम थी।

(4912) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 1686, बुख़ारी: 6795, मौता: 2/831, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7395.

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ يَدَ سَارِقٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .

(4913) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एक चोर का हाथ काट दिया था जिसने औ़रतों वाले छप्पर से एक ढाल चुराई थी जिसकी क़ीमत तीन दिरहम थी।

(4913) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7396.

फ़ायदा : 'औ़रतों वाले छप्पर से' मस्जिदे नबवी में औ़रतों के लिये एक सायेदार जगह बना दी गई थी उसे सुफ़्फ़तुन्निसा (औ़रतों का छप्पर) कहा जाता था।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ، وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ .

(4914) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एक ढाल की चोरी पर हाथ काट दिया था जिसकी क़ीमत तीन दिरहम थी।

(4914) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7397, मुस्लिम.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَطَعَ فِي مِجَنٍّ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ .

(4915) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि रसूले अकरम (ﷺ) ने एक ढाल चुराने पर हाथ काट दिया था।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) ने फ़रमाया: ये ग़लत है।

(4915) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7398, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : इमाम नसाई (ﷺ) का मक़सद ये बयान करना है कि हिशाम दस्तवाई ने क़तादा से, उन्होंने हज़रत अनस (ﷺ) से जो मरफ़ूअन बयान किया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ढाल चुराने पर हाथ काटा था, ये रिवायत मरफ़ूअन बयान करना दुरुस्त नहीं बल्कि दुरुस्त ये है कि ये रिवायत मौक़ूफ़, यानी हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) का फ़ेअल है। इमामे हदीस शोबा (ﷺ) ने क़तादा(ﷺ) से उन्होंने हज़रत अनस (ﷺ) से मौक़ूफ़न ही बयान किया है जैसा कि अगली रिवायत: 4916 में सराहत है और इस मौक़ूफ़ रिवायत को इमाम नसाई (ﷺ) ने सही और दुरुस्त क़रार दिया है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَطَعَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ . هَذَا الصَّوَابُ .

(4916) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने एक ढाल की चोरी पर हाथ काट दिया था जिसकी क़ीमत पाँच दिरहम थी। ये दुरुस्त है।

(4916) तख़रीज : (सनद सही) अल बैहक़ी, हदीस: 8/259, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7399.

फ़ायदा : मक़सद ये है कि हज़रत अनस (ﷺ) की हज़रत अबू बक्र (ﷺ) से बयानकर्दा ये रिवायत दुरुस्त है, यानी मौक़ूफ़न दुरुस्त है, मरफ़ूअन नहीं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يَقُولُ سَرَقَ رَجُلٌ مِجَنًّا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقُوِّمَ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ فَقُطِعَ .

(4917) हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया: एक आदमी ने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के दौरे मुबारक में एक ढाल चुरा ली। उसकी क़ीमत पाँच दिरहम थी तो उन्होंने उसका हाथ काट दिया।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7400, पिछली हदीस देखें, अलबैहक़ी: 8/259, 260.

फ़ायदा : पाँच दिरहम पर हाथ काटने से तीन दिरहम पर हाथ काटने की नफ़ी नहीं होती। (देखिये, रिवायत: 4911)

बाब : (9)
ज़ोहरी पर रावियों के इख़्तिलाफ़ का बयान

باب(٩): ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الزُّهْرِيِّ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَفْصِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رُبُعِ دِينَارٍ.

(4918) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक चौथाई दीनार चोरी करने पर हाथ काटा है।

(4918) **तख़रीज : (सनद सही)** फ़ी तहज़ीबिल कमाल: 5/33, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7401.

फ़ायदा : तफ़्सील देखिये, हदीस: 4911.

أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا "

(4919) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: '(चोर का) हाथ नहीं काटा जायेगा मगर एक ढाल की क़ीमत में (यानी) तिहाई दीनार या निस्फ़ दीनार या उससे ज़्यादा में।'

(4919) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 1684, मुस्लिम, हदीस: 1684.

फ़ायदा : 'इस रिवायत में' तिहाई दीनार या निस्फ़ दीनार' के अल्फ़ाज़ हैं। इन अल्फ़ाज़ के साथ ये रिवायत दुरुस्त नहीं, इसलिये कि अव्वलन तिहाई दीनार या निस्फ़ दीनार में रावी को तरद्दुद है, जबकि सही तरीन रिवायात में बिला तरद्दुद ढाल की क़ीमत चौथाई दीनार ही बयान की गई है। सानियन: मज़्कूरा रिवायत मुंन्कर (ज़ईफ़) है क्योंकि ये अल्फ़ाज़ यूनुस बिन यज़ीद से क़ासिम बिन मबरूर बयान करता है, जो कि ज़ईफ़ है। इसके मुक़ाबले में यूनुस बिन यज़ीद से अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक और इब्ने वहब, जो कि पाये के सिक़ा हैं, जो बयान करते हैं तो चौथाई दीनार ही ढाल की क़ीमत बताते हैं। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 6790, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 1684) 'चौथाई दीनार' वाले अल्फ़ाज़ दुरुस्त हैं जबकि 'तिहाई दीनार या निस्फ़ दीनार' वाले अल्फ़ाज़ मुन्कर हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई लिलअत्यूबी: 37/48) फिर मुहक़्क़िके किताब का इस रिवायत के बारे में अ़लल इत्लाक़ कहना कि इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है, ग़लत है

बल्कि इस रिवायत में तो बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायत की मुख़ालिफ़त है, इसलिये एक मुन्कर रिवायत को बुख़ारी व मुस्लिम की तरफ़ मन्सूब करना किसी सूरत दुरुस्त नहीं।

أَنْبَأَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ نِزَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَبْرُورٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ ثُلُثِ دِينَارٍ أَوْ نِصْفِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .

(4920) हज़रत आयशा (ﵴ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ चौथाई दीनार की चोरी पर काट दिया जायेगा।'

(4920) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6789, मुस्लिम, हदीस: 1684, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7403.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا ".

(4921) हज़रत आयशा (ﵴ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ चौथाई दीनार पर या उससे ज़्यादा की चोरी पर काट दिया जायेगा।'

(4921) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 4919, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7404.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .

(4922) हज़रत आयशा (ﵴ) का बयान है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी पर काट दिया जायेगा।'

(4922) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4920, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7405.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى

(4923) हज़रत आयशा (ﵴ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी पर काट दिया जायेगा।'

الله عليه وسلم قَالَ " تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .

(4923) तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 4920, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7406.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

(4924) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में काटा जायेगा।

(4924) तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 4920, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7407.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ - قَالَ قُتَيْبَةُ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ - يَقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا.

(4925) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में (चोर का हाथ) काट दिया करते थे।

(4925) तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 4920, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7408.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .

(4926) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में काटा जायेगा।' (कम में नहीं)

(4926) तख़रीज : **(सनद सही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7409.

أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .

(4927) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में काटा जायेगा।'

(4927) तख़रीज : **(सनद सही)** पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7410.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ يُقْطَعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى .

(4928) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती थीं: चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में हाथ काटा जायेगा।

अबु अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) ने फ़रमाया यहया की हदीस़ से ये दुरुस्त है।

(4928) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4926, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7411.

फ़ायदा : इमाम नसाई का मतलब ये है कि यहया की बयानकर्दा मरफ़ूअ हदीस़ के मुक़ाबले में उनकी बयानकर्दा हज़रत आयशा (ﷺ) पर मौक़ूफ़ रिवायत स़ही है। और मौक़ूफ़ हदीस़ के स़ही होने की वजह ये है कि अक्स़र रुवात जो यहया से बयान करते हैं उन्होंने उसे मौक़ूफ़ बयान किया है। अब्दुल्लाह बिन मुबारक, अब्दुल्लाह बिन इदरीस, सुफ़ियान बिन उयय्ना और इमाम मालिक(ﷺ) इसके मौक़ूफ़ होने पर मुत्तफ़िक़ हैं। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई, लिलअत्यूबी: 37/58) ताहम ये अस़हियत सिर्फ़ यहया की रिवायत के बारे में है, दीगर तुरुक़ के ऐतबार से नहीं क्योंकि दीगर तुरुक़ से ये रिवायत मरफ़ूअन स़ाबित है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

(4929) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में काट दिया जायेगा।

(4929) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4926, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7412.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَعَبْدِ، رَبِّهِ وَرُزَيْقٍ صَاحِبِ أَيْلَةَ أَنَّهُمْ سَمِعُوا عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

(4930) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि हाथ काटने का हुक्म चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में लागू होता है।

(4930) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4926, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7413.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ،

(4931) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: ज़्यादा अर्स़ा नहीं गुज़रा और न मैं भूली हूँ कि हाथ काटने का हुक्म चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ مَا طَالَ عَلَىَّ وَلاَ نَسِيتُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

की चोरी पर लागू होता था।

(4931) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7414, मौता: 2/832.

باب(١٠): ذِكْرِ اخْتِلاَفِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ

बाब : (10)
अबू बक्र बिन मुहम्मद और अब्दुल्लाह बिन अबू बक्र का इस हदीस में अम्रा पर इख़्तिलाफ़

वज़ाहत : अबू बक्र बिन मुहम्मद और उनके बेटे अब्दुल्लाह बिन अबू बक्र का इख़्तिलाफ़ ये है कि अबू बक्र ने ये रिवायत बयान की है तो अम्रा अन आयशा अन्नहा समिअतु रसूलल्लाहि (ﷺ) ... कहा है, यानी रिवायत मरफ़ूअन बयान की है जबकि उनके बेटे अब्दुल्लाह ने यही रिवायत बयान की है तो अन अम्रा क़ालत: क़ालत आयशा ...... कहा है, यानी रिवायत मौक़ूफ़न बयान की है। इस इख़्तिलाफ़ से नफ़्से रिवायत की सेहत पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता, ताहम ये रिवायत मरफ़ूअ ही राजेह है क्योंकि अक्सर हुफ़्फ़ाज़े हदीस मरफ़ूअ ही बयान करते हैं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا أَبُو صَالِحٍ، مُحَمَّدُ بْنُ زُنْبُورٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .

(4932) हज़रत आयशा (ؓ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी के बग़ैर नहीं काटा जायेगा।'

(4932) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 4/1684, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7415.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ، [عَنِ ابْنِ الْهَادِ،] عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَ الأَوَّلِ

(4933) हज़रत आयशा (ؓ) ने रसूलुल्लाह(ﷺ) से ऐसे ही अल्फ़ाज़ नक़ल फ़रमाये हैं।

(4933) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7416.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، قَالَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

(4934) हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) ने फ़रमाया: हाथ काटने का हुक्म चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में नाफ़िज़ होगा।

(4934) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, मौता: 2/832, 833, हदीस: 7417.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ رُبُعُ دِينَارٍ " .

(4935) हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चोर का हाथ ढाल की क़ीमत के बराबर चोरी पर काट दिया जाये और (उस वक़्त) ढाल की क़ीमत चौथाई दीनार थी।'

(4935) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6791, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7418.

फ़ायदा : 'व समनुल मिजन्नि रूबउ दीनारिन' बज़ाहिर लगता है कि ये वज़ाहत रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाई है हालांकि दरहक़ीक़त ये वज़ाहत हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) की है जैसा कि हदीस: (4939) में इसकी सराहत है।

أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقْطَعُ الْيَدَ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

(4936) हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी में (चोर का) हाथ काटा करते थे।

(4936) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7419, बुख़ारी, हदीस: 6791.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ

(4937) हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चौथाई दीनार से कम की चोरी में हाथ नहीं काटा जायेगा।'

ذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبْعِ دِينَارٍ " .

(4937) तख़रीज : (सनद सहीह) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7420.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَّبَرَانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَحْرٍ أَبُو عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ، أَنَّ امْرَأَةً، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " تُقْطَعُ الْيَدُ فِي الْمِجَنِّ "

(4938) उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: 'ढाल की चोरी में हाथ काटा जायेगा।'

(4938) तख़रीज : (सनद सहीह) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7421.

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، حَدَّثَهُ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، سَمِعَتْ عَائِشَةَ، تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ " . قِيلَ لِعَائِشَةَ مَا ثَمَنُ الْمِجَنِّ قَالَتْ رُبْعُ دِينَارٍ .

(4939) हज़रत आयशा (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ढाल से कम की चोरी में चोर का हाथ नहीं काटा जायेगा।' हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा गया ढाल की क़ीमत कितनी थी? उन्होंने फ़रमाया: चौथाई दीनार।

(4939) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 3/1684, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7422.

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَمْرَةَ،

(4940) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'चोर का हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा की चोरी के अलावा (कम में) नहीं काटा जायेगा।'

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا " .

(4940) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7423, मुस्लिम, हदीस: 3/1684.

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ، مَوْلَى الأَخْنَسِيِّينَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ " .

(4941) हज़रत आयशा (ﵐ) बयान फ़रमाती थीं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ढाल या उसकी क़ीमत से कम की चोरी में हाथ नहीं काटा जायेगा।'

(4941) तख़रीज : (सनद सही) फ़ी तहज़ीबिल कमाल: 12/489, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7424.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي قُدَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْوَلِيدِ، يَقُولُ سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ كَانَتْ عَائِشَةُ تُحَدِّثُ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي الْمِجَنِّ أَوْ ثَمَنِهِ " . وَزَعَمَ أَنَّ عُرْوَةَ قَالَ الْمِجَنُّ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ. قَالَ وَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يَزْعُمُ أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَةَ، تَقُولُ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَمَا فَوْقَهُ"

(4942) हज़रत आयशा (ﵐ) बयान फ़रमाती थीं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: (चोर का) हाथ ढाल या उसकी क़ीमत से कम की चोरी में नहीं काटा जायेगा।' (रावि-ए-हदीस उस्मान बिन अबुल वलीद का ख़याल है कि) हज़रत उर्वा ने कहा कि ढाल चार दिरहम की होती है।

हज़रत आयशा (ﵐ) से ये अल्फ़ाज़ भी मन्कूल हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाथ चौथाई दीनार या उससे ज़्यादा (की चोरी) के अलावा नहीं काटा जा सकता।'

(4942) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7425.

फ़ायदा : 'चार दिरहम' हज़रत उर्वा ताबेई हैं। मुमकिन है कि उनके दौर में ढाल की क़ीमत चार दिरहम हो गई हो, लेकिन जिस ढाल में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हाथ काटा था, वह तीन दिरहम की थी। क़तअ़ेयद के निसाब में काफ़ी इख़्तिलाफ़ है। राजेह बात ये है कि रुबुअ दीनार $\frac{1}{4}$ असल निसाब है। जहाँ तक दराहिम या ढाल का ताल्लुक़ है तो उसकी क़ीमत हालात व ज़ुरूफ़ के बदलने से बदलती रहती है। रसूले अकरम (ﷺ) के दौर में ढाल, तीन दिरहम और रुबुअ दीनार की क़ीमत तक़रीबन बराबर होती थी। दौरे हाज़िर में उनकी क़ीमतों में काफ़ी तफ़ावुत है, इसलिये असल निसाब रुबुअ दीनार ही है, लिहाज़ा अस्रे हाज़िर में इसके मुताबिक़ क़ीमत लगाई जायेगी। ढाल, तीन दिरहम की वेल्यू (Volume) से कम हो या ज़्यादा। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ لاَ تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلاَّ فِي الْخَمْسِ . قَالَ هَمَّامٌ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ الدَّانَاجَ فَحَدَّثَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لاَ تُقْطَعُ الْخَمْسُ إِلاَّ فِي الْخَمْسِ .

(4943) हज़रत सुलैमान बिन यसार (رحمه الله) ने फ़रमाया: पाँच (उँगलियाँ) नहीं काटी जायेंगी मगर पाँच (दिरहम की चोरी) में। हम्माम ने कहा कि मैं अ़ब्दुल्लाह दानाज को मिला तो उन्होंने कहा: पाँच नहीं काटी जायेंगी मगर पाँच में।

(4943) तख़रीज : (सनद सही मक़्तूअ) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7426.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत सुलैमान बिन यसार जलीलुल क़द्र ताबेई और सात फ़ुक़हा-ए मदीना में से एक हैं। हज़रत सुलैमान यसार (رحمه الله) के कलाम का मतलब ये है, वल्लाहु आलम! कि पाँच उँगलियाँ, यानी चोर का हाथ उस वक़्त काटा जायेगा जब उसने पाँच दिरहम मालियत की चोरी की होगी। अगर चोरी की मालियत पाँच दिरहम से कम होगी तो हाथ नहीं काटा जायेगा, लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं जिस तरह कि पहले भी बयान हो चुका है। एक तो इसलिये कि ये उन सही तरीन अहादीस़ के ख़िलाफ़ है जिनमें दो टूक और वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन दिरहम मालियत की ढाल चुराने वाले का हाथ कटवा दिया था। देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस़: 6795, व सहीह मुस्लिम, हदीस़: 1686) दूसरा इसलिये भी ये बात दुरुस्त नहीं कि ये रिवायत अगरचे सनदन सही है, लेकिन ये मक़्तूअ, यानी ताबेई का अपना क़ौल है जो सही मरफ़ूअ हदीस़ के मुक़ाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखता। **(2)** क़ाल हम्मामुन, हम्माम बिन यहया ये बात बतलाना चाहते हैं कि जिस तरह ये रिवायत मैंने क़तादा के वास्ते से अ़ब्दुल्लाह दानाज से बयान की है इसी तरह बराहे रास्त

अ़ब्दुल्लाह दानाज से मुलाक़ात करके ये रिवायत उनसे भी बयान की है, यानी इस तरह उनकी सनद आली (ऊँचे दर्जे की) बन जाती है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ لَمْ تُقْطَعْ يَدُ سَارِقٍ فِي أَدْنَى مِنْ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ .

(4944) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: ढाल से कम क़ीमत की चीज़ में चोर का हाथ नहीं काटा जायेगा। और (हर क़िस्म की) ढाल काफ़ी क़ीमत की होती थी।

(4944) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6793, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7427.

फ़ायदा : ज़ाहिर है उस दौर के लिहाज़ से तीन दिरहम काफ़ी क़ीमत थी। हदीस का मतलब ये है कि मामूली चीज़ की चोरी में हाथ नहीं काटा जा सकता।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عِيسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَطَعَ فِي قِيمَةِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ .

(4945) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने पाँच दिरहम क़ीमत रखने वाली चीज़ (की चोरी) में हाथ काटा है।

(4945) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7428.

وَأَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ يَقْطَعِ النَّبِيُّ ﷺ السَّارِقَ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ.

(4946) हज़रत ऐमन से रिवायत है कि नबी ए-अकरम (ﷺ) ने चोर का हाथ ढाल की क़ीमत से कम में नहीं काटा। और ढाल की क़ीमत उन दिनों एक दीनार (दस दिरहम) होती थी।

(4946) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़, मुर्सल होने की वजह से) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7429, अल बैहक़ी, हदीस: 8/257, तहावी: 3/63, इब्ने हिब्बान फ़िस्सिक़ात: 4/47.

फ़ायदा : ये रिवायत मुर्सल होने के साथ साथ सही रिवायात के मुआरिज़ होने की वजह से मुन्कर भी है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ

(4947) हज़रत ऐमन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में ढाल की क़ीमत से कम चीज़ की चोरी पर हाथ नहीं काटा

الْيَدُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَتُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

जाता था। और ढाल की क़ीमत उन दिनों एक दीनार थी।

(4947) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7430, अल हाकिम: 4/379.

أَخْبَرَنَا أَبُو الأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَقِيمَةُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

(4948) हज़रत ऐमन से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के ज़मान-ए-मुबारक में ढाल की क़ीमत से कम में हाथ नहीं काटा गया। और ढाल की क़ीमत उन दिनों एक दीनार थी।

(4948) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4946, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7431.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لَمْ تُقْطَعِ الْيَدُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

(4949) हज़रत ऐमन से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अहदे मसऊद में ढाल की क़ीमत से कम में हाथ नहीं काटा गया। और उसकी क़ीमत उन दिनों एक दीनार थी।

(4949) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4946, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: .....

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَىٍّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَكَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دِينَارًا أَوْ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ .

(4950) हज़रत ऐमन ने फ़रमाया: चोर का हाथ ढाल की क़ीमत के बराबर चोरी में काटा जायेगा। और ढाल की क़ीमत रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में एक दीनार या दस दिरहम थी।

(4950) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 4946, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7433, अल बैहक़ी: 8/257.

(4951) हज़रत अता और मुजाहिद से रिवायत है कि हज़रत ऐमन बिन उम्मे ऐमन ने मरफ़ूअन (रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान) बयान फ़रमाया कि चोर का हाथ ढाल की क़ीमत से कम में नहीं काटा जायेगा। और ढाल की क़ीमत उन दिनों एक दीनार थी।

(4951) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 4946, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7434, तहावी फ़ी मआनिल आसार: 3/163.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ أُمِّ أَيْمَنَ، يَرْفَعُهُ قَالَ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ إِلاَّ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " . وَثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ دِينَارٌ .

फ़ायदा : इस रिवायत से मालूम होता है कि हदीस के रावी हज़रत ऐमन सहाबी हैं। और हज़रत उसामा (ﷺ) के माँ की तरफ़ से भाई हैं। लेकिन ये रावी की ग़लती है। दुरुस्त बात ये है कि ये ऐमन हब्शी मक्की हैं जो ताबेई थे। कहा गया है कि उन्हें हज़रत ज़ुबैर या इब्ने ज़ुबैर ने आज़ाद किया था, इसलिये ये रिवायत ताबेई के मुर्सल होने की वजह से ज़ईफ़ होगी, और ये सही रिवायात के मुआरिज़ होने की वजह से भी नाक़ाबिले हुज्जत है, इसलिये मुहक़्क़िक़े किताब का इसे सही कहना दुरुस्त नहीं। बिलफ़र्ज़ अगर ये ऐमन वाक़ेअतन सहाबी ऐमन ही मुराद हों तो फिर भी ये रिवायत मुन्क़तअ है क्योंकि हज़रत अता और मुजाहिद की हज़रत ऐमन जो कि सहाबी हैं, से मुलाक़ात हीं नहीं। ये दोनों बाद के दौर के हैं और इस रिवायत (दीनार या दस दिरहम) को बयान करने वाले यही दो बुज़ुर्ग हैं, लिहाज़ा अगर ऐमन ताबेई हैं तब भी और अगर सहाबी हैं तब भी, दोनों सूरतों में सनद मुन्क़तअ है और ग़ैर मोतबर, ख़ुसूसन जब कि उससे कम क़ीमत तीन दिरहम या चौथाई दीनार पर हाथ काटना सहाब-ए-किराम (ﷺ) से बिलाशुब्हा साबित है।

(4952) हज़रत ऐमन ने फ़रमाया: चोर का हाथ ढाल की क़ीमत से कम में नहीं काटा जायेगा।

(4952) **तख़रीज : (सनद ज़ईफ़ मौक़ूफ़)** देखें, हदीस: 4946, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7435, अल हाकिम: 4/379.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنْ أَيْمَنَ، قَالَ لاَ يُقْطَعُ السَّارِقُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ .

(4953) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: ढाल की क़ीमत उन दिनों दस दिरहम थी।

(4953) **तख़रीज : (सनद हसन)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7436.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ

شُعَيْبٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ ثَمَنُهُ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ .

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقَوَّمُ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ .

(4954) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी है कि ढाल की क़ीमत रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में दस दिरहम लगाई जाती थी।

(4954) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी, हदीस़: 8/257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7437, व सहीह अल हाकिम: 4/378, 379, पिछली हदीस़ देखें.

फ़ायदा : इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरवी मज़्कूरा दोनों रिवायात अहादीसे सहीहा के मुख़ालिफ़ होने की वजह से शाज़ हैं क्योंकि सही तरीन रिवायात में ढाल की क़ीमत तीन दिरहम या रुबुअ दीनार है।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَطَاءٍ، مُرْسَلٌ .

(4955) ये रिवायत हज़रत अ़ता से मुर्सल भी आती है। (सहाबी के ज़िक्र के बग़ैर)

(4955) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7438.

फ़ायदा : हज़रत अ़ता का ये अस़र मुर्सल और मरफ़ूअ हदीस़ के मुख़ालिफ़ होने की वजह से नाक़ाबिले इस्तेदलाल है।

أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، - وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ - عَنِ الْعَرْزَمِيِّ، - وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ - عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ أَدْنَى مَا يُقْطَعُ فِيهِ ثَمَنُ الْمِجَنِّ . قَالَ وَثَمَنُ الْمِجَنِّ يَوْمَئِذٍ عَشْرَةُ دَرَاهِمَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَيْمَنُ الَّذِي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا

(4956) हज़रत अ़ता ने फ़रमाया: कम अज़ कम मिक़्दार जिस की चोरी में हाथ काटा जाता है, ढाल की क़ीमत है। और ढाल की क़ीमत उन दिनों दस दिरहम थी।

अबू अ़ब्दुर्रमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने फ़रमाया: वह हज़रत ऐमन जिनकी हदीस़ हम इससे पहले (इस बाब में) ज़िक्र कर चुके हैं, मेरे ख़याल के मुताबिक़ वह सहाबी नहीं। उनसे एक और हदीस़ मरवी है जो हमारी

لِحَدِيثِهِ مَا أَحْسَبُ أَنَّ لَهُ صُحْبَةً وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ حَدِيثٌ آخَرُ يَدُلُّ عَلَى مَا قُلْنَاهُ .

बात की दलील है। (और वह हदीस़ ये है, यानी 4957)

(4956) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 4954, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7439.

फ़ायदा : हज़रत अता का अस़र मक़्तूअन (अता के क़ौल के तौर पर) स़ही है लेकिन स़ही हदीस़ के मुख़ालिफ़ होने की वजह से क़ाबिले इल्तेफ़ात नहीं।

حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، ح وَأَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ، - هُوَ الأَزْرَقُ -قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، مَوْلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ - وَقَالَ خَالِدٌ فِي حَدِيثِهِ مَوْلَى الزُّبَيْرِ - عَنْ تُبَيْعٍ عَنْ كَعْبٍ قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ صَلَّى - وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ فَصَلَّى الْعِشَاءَ الآخِرَةَ - ثُمَّ صَلَّى بَعْدَهَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ فَأَتَمَّ -وَقَالَ سَوَّارٌ يُتِمُّ - رُكُوعَهُنَّ وَسُجُودَهُنَّ وَيَعْلَمُ مَا يَقْتَرِئُ - وَقَالَ سَوَّارٌ يَقْرَأُ - فِيهِنَّ كُنَّ لَهُ بِمَنْزِلَةِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ .

(4957) हज़रत अता ने हज़रत ऐमन मौला इब्ने ज़ुबैर या मौला ज़ुबैर से बयान किया, वह रिवायत करते हैं, हज़रत तबीअ से और वह बयान करते हैं हज़रत कअब से, उन्होंने फ़रमाया: जो शख़्स़ वुज़ू करे और अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर इशा की नमाज़ (बा'जमाअत) पढ़े, फिर उसके बाद चार रकअतें पढ़े उनमें रुकूअ सज्दा पूरा पूरा करे और जो कुछ पढ़े, सोच समझ कर पढ़े तो ये चार रकआत उसके लिये (स़वाब के लिहाज़ से) लैलतुल क़द्र की तरह बन जायेंगी।

(4957) तख़रीज : (सनद हसन मक़्तूअ) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7441, 7442.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़स़द बिल्कुल वाज़ेह है कि हज़रत अता के उस्ताद हज़रत ऐमन ताबेई हैं जो किबारे ताबेईन से बयान फ़रमाते हैं, जैसे वह इस रिवायत में हज़रत तबीअ ताबेई से बयान कर रहे हैं। अगर वह स़हाबी होते तो किसी स़हाबी से या रसूलुल्लाह (ﷺ) से बयान करते। बाक़ी रहे स़हाबी-ए-रसूल हज़रत ऐमन बिन उम्मे ऐमन (رضي الله عنه) तो उनसे हज़रत अता की मुलाक़ात ही नहीं। आइन्दा हदीस़ भी इस बात की ताईद के लिये ज़िक्र फ़रमा रहे हैं।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَيْمَنَ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ عَنْ تُبَيْعٍ، عَنْ كَعْبٍ، قَالَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ ثُمَّ شَهِدَ صَلاَةَ الْعَتَمَةِ فِي جَمَاعَةٍ ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا أَرْبَعًا مِثْلَهَا يَقْرَأُ فِيهَا وَيُتِمُّ رُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا كَانَ لَهُ مِنَ الأَجْرِ مِثْلُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

(4958) हज़रत ऐमन मौला इब्ने उ़मर हज़रत तबीअ़ से और वह हज़रत कअ़ब से रिवायत करते हैं, उन्होंने फ़रमाया: जो शख़्स वुज़ू करे और अच्छी तरह वुज़ू करे, फिर इशा की नमाज़ बा'जमाअ़त पढ़े, फिर बाद में उस जैसी चार रकअ़तें और पढ़े, उनमें (तवज्जा के साथ) क़िराअत करे और रुकू सज्दे मुकम्मल करे, उसे लैलतुल क़द्र की इबादत के बराबर सवाब मिलेगा।

(4958) तख़रीज : (सनद हसन मक़्तूअ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7443, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : हज़रत ऐमन के बारे में इख़्तिलाफ़ है कि हज़रत ज़ुबैर के मौला थे या इब्ने ज़ुबैर के या इब्ने उ़मर के, बहरहाल ये ताबेई थे, हब्शी थे, मक्की थे। (तफ़्सील के लिये देखिये: 4951, 4957) और मज़्कूरा बाला दोनों रिवायात की सनद अगरचे हसन है लेकिन ये मक़्तूअ़ हैं, यानी ताबेई का क़ौल है जो क़तअ़न हदीसे रसूल की हैसियत इख़्तियार नहीं कर सकता।

أَخْبَرَنَا خَلاَّدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ كَانَ ثَمَنُ الْمِجَنِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَشْرَةَ دَرَاهِمَ .

(4959) हज़रत अ़म्र बिन शुऐ़ब के परदादा (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ)) बयान करते हैं कि ढाल की क़ीमत रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौरे मुबारक में दस दिरहम थी।

(4959) तख़रीज : (सनद हसन) अल बैहक़ी: 8/259, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7444, देखें, हदीस: 4953, 4954.

फ़ायदा : मुहक़्क़िके किताब का इस रिवायत को अ़लल इत्लाक़ हसन कहना दुरुस्त नहीं क्योंकि सही अहादीस की मुख़ालिफ़त की वजह से ये रिवायत शाज़ है। सही रिवायात में ढाल की क़ीमत तीन दिरहम मज़्कूर है।

बाब : (11) दरख़्त पर लगा हुआ फल चुरा लिया जाये तो?

باب : (١١) الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ يُسْرَقُ

(4960) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा (अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ)) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया कि हाथ कितने (माल) में काटा जायेगा? आपने फ़रमाया: 'दरख़्त पर लगे हुये फल तोड़ने से हाथ नहीं काटा जायेगा, अलबत्ता जब फल तोड़ कर ढेर लगा दिया गया हो तो ढाल की क़ीमत के बराबर चोरी करने से हाथ काटा जायेगा। (इसी तरह) पहाड़ पर चरती बकरी चुराने से हाथ नहीं काटा जायेगा, अलबत्ता बकरी बाड़े में आ जाये तो फिर उसे चुराने में हाथ काटा जायेगा बशर्ते कि उसकी क़ीमत ढाल से कम न हो।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي كَمْ تُقْطَعُ الْيَدُ قَالَ " لاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَرٍ مُعَلَّقٍ فَإِذَا ضَمَّهُ الْجَرِينُ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ وَلاَ تُقْطَعُ فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَإِذَا آوَى الْمُرَاحَ قُطِعَتْ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ".

(4960) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1712, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7445.

फ़ायदा : हदीस का मतलब ये है कि ग़ैर महफ़ूज़ चीज़ चुराने पर क़तअेयद की सज़ा नाफ़िज़ नहीं होगी, अलबत्ता कोई और सज़ा दी जा सकती है जो हाकिमे वक़्त की सवाबदीद पर मौक़ूफ़ है। दरख़्त पर लगा हुआ फल महफ़ूज़ तसव्वुर नहीं किया जाता, इसी तरह चरता हुआ जानवर, ख़्वाह मम्लूका ज़मीन में ही चर रहा हो। हाँ, फल तोड़ने के बाद खलियान में लगा दिया जाये तो वह महफ़ूज़ हो जाता है। इसी तरह जानवर को खूंटे से बाँध दिया जाये या वह बाड़े में बन्द हो तो फिर वह महफ़ूज़ हो जाता है। अब उसको चुराने पर हाथ काट दिया जायेगा। ये ज़ाब्ता है क़तअेयद का कि किसी ग़ैर महफ़ूज़ चीज़ को चुराने पर हाथ नहीं काटा जा सकता, अलबत्ता मालिक पास हो तो चीज़ को महफ़ूज़ तसव्वुर किया जायेगा, ख़्वाह वह खुले मैदान या खेतों में पड़ी हो। (मज़ीद देखिये, हदीस: 4885)

بَابُ : (١٢) الثَّمَرِ يُسْرَقُ بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ

बाब : (12) खलियान में रखने के बाद अगर फल चुरा लिया जाये तो?

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ فَقَالَ " مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلاَ شَىْءَ عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَىْءٍ مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ شَيْئًا مِنْهُ بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الْجَرِينُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ وَمَنْ سَرَقَ دُونَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَالْعُقُوبَةُ ".

(4961) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से दरख़्त पर लगे हुये फल को तोड़ने के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'अगर कोई हाजतमन्द फल तोड़ कर खा ले, साथ न ले जाये तो उसे कुछ नहीं कहा जायेगा। और अगर वह फल साथ भी ले जाये तो उससे दुगनी क़ीमत वसूल की जायेगी और सज़ा भी दी जायेगी। और अगर खलियान में रखने के बाद किसी शख़्स ने कोई फल उठा लिया और उसकी क़ीमत ढाल की क़ीमत के बराबर या ज़्यादा हो तो उसका हाथ काट दिया जायेगा। और अगर ढाल की क़ीमत से कम चुराया तो उससे दुगनी क़ीमत ले ली जायेगी और उसे सज़ा भी मिलेगी।'

(4961) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1710, 4390, तिर्मिज़ी, हदीस: 1289, व सहीह इब्ने अल जारूद, देखें, हदीस: 2496.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हाजतमन्द' इससे मुराद वह शख़्स है जिसके पास खाने की कोई चीज़ न हो। इतनी रक़म भी न हो कि कुछ ख़रीद सके। भूख भी शदीद हो। उसके लिये फल तोड़ कर खाना जायज़ है क्योंकि जान बचाना ज़रूरी है। अलबत्ता अगर मालिक पास हो तो उससे इजाज़त हासिल करे। वह इजाज़त न दे तो ऐसा लाचार शख़्स बिला इजाज़त भी फल तोड़ कर खा सकता है। लेकिन वह सिर्फ़ भूख दूर करने पर इक्तेफ़ा करे। साथ न ले कर जाये, न कपड़े में डाल कर न हाथ में पकड़ कर। ख़ुब्ना में ये दोनों सूरतें दाख़िल हैं। **(2)** 'दुगनी क़ीमत' असल क़ीमत तो ख़रीदने वाले को भी देना पड़ती है। अगर उसको भी असल क़ीमत ही डालें तो फिर दोनों में फ़र्क़ क्या हुआ? **(3)** 'सज़ा भी' यानी जिस्मानी सज़ा और जुर्माना दोनों आइद किये जायेंगे, इसलिये कि कुछ लोग जिस्मानी सज़ा से बहुत बचते हैं, जुर्माने की परवाह नहीं करते और कुछ लोग कंजूस। 'दमड़ी न जाये चाहे चमड़ी जाये' का मिस्दाक़ होते हैं, इसलिये

दोनों क़िस्म की सज़ा जारी फ़रमाई गई ताकि हर क़िस्म के लोग इबरत हासिल करें। खलियान से फल उठाना ज़रूरत के लिये भी जायज़ नहीं क्योंकि वह हक़ीक़तन चोरी है। अगर वह मुक़र्ररा हद तक पहुँच गया तो हाथ काट दिया जायेगा। कम होगा तो दुगनी क़ीमत और सज़ा दोनों भुगतनी पड़ेंगी।

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ مُزَيْنَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي حَرِيسَةِ الْجَبَلِ فَقَالَ " هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَىْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْمُرَاحُ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ قَطْعُ الْيَدِ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ " . قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَرَى فِي الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَالَ " هُوَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَلَيْسَ فِي شَىْءٍ مِنَ الثَّمَرِ الْمُعَلَّقِ قَطْعٌ إِلاَّ فِيمَا آوَاهُ الْجَرِينُ فَمَا أُخِذَ مِنَ الْجَرِينِ فَبَلَغَ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ الْقَطْعُ وَمَا لَمْ يَبْلُغْ ثَمَنَ الْمِجَنِّ فَفِيهِ غَرَامَةُ مِثْلَيْهِ وَجَلَدَاتُ نَكَالٍ " .

(4962) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि मुज़ैना क़बीले का एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! पहाड़ पर चरने वाली बकरी (या किसी और जानवर) के बारे में आपका क्या ख़्याल है? आपने फ़रमाया: 'दुगनी क़ीमत और जिस्मानी सज़ा। जानवर की चोरी में हाथ नहीं काटा जायेगा, मगर ये कि वह ज़ानवर बाड़े में हो और उसकी क़ीमत ढाल के बराबर या उससे ज़्यादा हो तो फिर उसकी चोरी पर हाथ काट दिया जायेगा। और अगर उसकी क़ीमत इससे कम हो तो दुगनी क़ीमत ली जायेगी और बतौर सज़ा कोड़े लगाये जायेंगे।' उस आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! दरख़्त पर लगे हुये फल के बारे में आपका क्या ख़्याल है? आप ने फ़रमाया: 'इसमें भी दुगनी क़ीमत और जिस्मानी सज़ा। दरख़्त पर लगे हुये फल की चोरी में हाथ नहीं काटा जायेगा। अलबत्ता अगर फल खलियान में लगा दिया जाये, उसके बाद चोरी हो और उसकी क़ीमत ढाल के बराबर या ज़्यादा हो तो हाथ काटा जायेगा। अगर फल ढाल की क़ीमत से कम का हो तो चोर से दुगनी क़ीमत ली जायेगी और जिस्मानी सज़ा के तौर पर कोड़े भी लगाये जायेंगे।'

(4962) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अल जारूद फ़िल मुन्तक़ा, हदीस: सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7447, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : मालूम हुआ, चोरी बहरसूरत जुर्म है। इतनी बात है कि अगर मामूली हो तो हाथ न कटेगा मगर माली और जिस्मानी सज़ा नाफ़िज़ होगी। और अगर निसाब को पहुँच जाये तो हाथ काट दिया जायेगा बशर्ते कि चीज़ महफ़ूज़ हो। ग़ैर महफ़ूज़ चीज़ की सूरत में भी माली और जिस्मानी सज़ा हो गयी, अलबत्ता मोहताज आदमी मुस्तस्ना (अलग) है जैसा कि साबिक़ा हदीस़ में स़राहत के साथ बयान हुआ है।

باب(١٣): مَا لاَ قَطْعَ فِيهِ

बाब : (13) किन चीज़ों की चोरी में हाथ नहीं काटा जायेगा?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيَّ - عَنِ الْحَسَنِ، - وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .

(4963) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'फल और गिरी (खजूर के मग़ज़) में हाथ नहीं काटा जायेगा।'

(4963) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7448.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फल से मुराद वह फल है जो दरख़्त पर लगा हो जैसा कि पहले वज़ाहत गुज़र चुकी हैं **(2)** इस क़िस्म के फलों में हाथ न कटने का ये मतलब नहीं कि उसे कोई और सज़ा भी नहीं दी जायेगी, बल्कि दुगनी क़ीमत और जिस्मानी सज़ा आइद की जायेगी। 'कसर' से मुराद खजूर की वह नर्म गिरी और मग़ज़ है जो उसके तने के ऊपर किनारे में होता है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ سَعِيدٍ الْقَطَّانَ، يَقُولُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .

(4964) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'फल और गाभे (गूदे) में हाथ नहीं काटा जायेगा।'

(4964) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 4388, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7449, व स़हीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1505, व इब्ने अल जारूद, हदीस़: 826.

أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .

(4965) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'फल और गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं काटा जायेगा।'

(4965) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7450.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .

(4966) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फल और गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं काटा जायेगा।'

(4966) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7453.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .

(4967) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फल और गाभे में हाथ नहीं काटा जायेगा।'

(4967) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7454.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .

(4968) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फल और गाभे में हाथ नहीं काटा जायेगा।'

(4968) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7455.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، - هُوَ ابْنُ أَبِي رَجَاءٍ - قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، وَاسِعٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ

(4969) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फल और गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं काटा जायेगा।'

(4969) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2593, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7456.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ، أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " . وَالْكَثَرُ الْجُمَّارُ .

(4970) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'फल और गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं काटा जायेगा।' और गाभा खजूर के मग़ज़ को कहते हैं।

(4970) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7457, तिर्मिज़ी, हदीस: 1449.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ أَبُو مَيْمُونٍ لاَ أَعْرِفُهُ .

(4971) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फल और गाभे (गूदे) में हाथ नहीं काटा जायेगा।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) बयान करते हैं कि ये ग़लत है। अबू मैमून को मैं नहीं पहचानता।

(4971) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4969, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7458.

फ़ायदा : इमाम नसाई (ﷺ) के कलाम का मतलब ये है कि 'अबू मैमून' मज्हूल है। मैं नहीं जानता कि ये कौन है, लिहाज़ा ये ख़ता है क्योंकि मारूफ़ रिवायत की सनद, जो कि हुफ़्फ़ाज़े मुहद्दिसीन, जैसे: लैस और सुफ़ियान सौरी की है, इस तरह है: अन मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान, अन अम्मिही

वासेअ, अन राफ़ेअ बिन ख़दीज और: अन यहया बिन सईद, अन मुहम्मद बिन यहया बिन हिब्बान, अन अम्मिही अन राफ़ेअ बिन ख़दीज .....' जैसा कि मज़्कूरा रिवायत से पहले वाली दो रिवायतें हैं। अबू मैमून वाली सनद में ख़ता और ग़लती है। वल्लाहु आलम! ताहम मतने हदीस़ सही है क्योंकि दूसरी सही इस्नाद से भी इसी तरह मरवी है।

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ قَوْمِهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ " .

(4972) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'फल और गाभे में हाथ नहीं काटा जायेगा।'

(4972) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 4969, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7459.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ قَوْمِهِ حَدَّثَهُ عَنْ عَمٍّ، لَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلاَ كَثَرٍ "

(4973) हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'फल और गाभे (की चोरी) में हाथ नहीं काटा जायेगा।'

(4973) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस़: 4969, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7460.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مَخْلَدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ " . لَمْ يَسْمَعْهُ سُفْيَانُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ .

(4974) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़यानत करने वाले, लूटने वाले और झपट कर छीन लेने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा।'

सुफ़ियान (स़ोरी) ने अबू ज़ुबैर से नहीं सुना।

(4974) तख़रीज : (सनद सही) अल ख़तीब: 9/135, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7461, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1503.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ये बताना चाहते हैं कि ये सनद मुन्क़तअ है क्योंकि सुफ़ियान स़ौरी ने अबू ज़ुबैर से बराहे रास्त नहीं सुना बल्कि सुफ़ियान स़ौरी और अबू ज़ुबैर के दरम्यान

इब्ने जुरैज का वास्ता है जैसा कि अगली रिवायत में है। **(2)** इमाम नसाई (رحمه الله) ने इस रिवायत और इसके बाद वाली रिवायत की सनद को अगर चे मुन्क़तअ कहा है लेकिन ये दोनों रिवायतें सही हैं। शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने इब्ने जुरैज के अबू ज़ुबैर से मज़्कूर हदीस के सिमाअ की बाबत बहुत उम्दा और नफ़ीस मुहक़्क़िक़ाना बहस की है। इस तहक़ीक़ से ज़ुअफ़ वाली वजह ही ख़त्म हो जाती है। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 37/99-101) **(3)** किसी के पास अमानत रखी हो और वह उसे दबा जाये तो उसे ख़ाइन कहते हैं। ज़बरदस्ती जागती आँखों के सामने माल उठाने वाले को मुन्तहिब (डाकू) कहते हैं और चालाकी के साथ हाथों से झपट कर भाग जाने वाले को मुख़्तलिस कहते हैं। ऐसा काम करने वाले पर चोर की तारीफ़ सादिक़ नहीं आती, इसलिये उन पर चोरी वाली हद नहीं लगेगी। वल्लाहु आलम! **(4)** इन सूरतों में किसी का माल हासिल किया जाता है मगर उसमें चोरी का वस्फ़ नहीं पाया जाता। चोरी ये है कि किसी का महफ़ूज़ माल चुपके से उठा लिया जाये और उसे पता न चले। चूंकि इस सूरत में चोर का पता नहीं चलता, लिहाज़ा उसका नुक़सान मुआशरे में ज़्यादा है, लिहाज़ा उस पर हाथ काटने की सज़ा मशरूअ की गई बख़िलाफ़ पहली सूरतों के कि उनमें फ़रीक़े सानी का इल्म होता है और किसी हुकूमती इदारे की मदद से माल वापस लिया जा सकता है, लिहाज़ा उनका हुक्म मुख़्तलिफ़ है लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि उन्हें कोई सज़ा नहीं दी जायेगी बल्कि कोई और सज़ा जो हाकिम मुनासिब समझे, नाफ़िज़ करेगा, चाहे वह हाथ काटने से सख़्त ही हो, जैसे: डाकू चूंकि मुसल्लह होकर डाका डालता है, इसमें बेगुनाह लोगों की जान जाने का ख़तरा होता है, इसलिये उसे सज़ा-ए-मौत भी दी जा सकती है जैसा कि आयते मुहारबा में बयान हुआ। (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 14028 और 4029 के फ़वाइद)

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ " . وَلَمْ يَسْمَعْهُ أَيْضًا ابْنُ جُرَيْجٍ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ

(4975) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ख़यानत करने वाले, लूट डालने वाले और झपटने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा।'

इब्ने जुरैज ने भी अबू ज़ुबैर से नहीं सुना।

(4975) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4391-4393, तिर्मिज़ी, हदीस: 1448, दारमी: 2/175, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7462, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1502-1504, इब्ने हिब्बान, हदीस: 1502 वग़ैरह.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ " .

(4976) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'झपट्टा मार कर छीन ले जाने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा।'

(4976) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7465.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ حَجَّاجٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى وَابْنُ وَهْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ وَمَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ وَسَلَمَةُ بْنُ سَعِيدٍ - بَصْرِيٌّ ثِقَةٌ - قَالَ ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ . فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ وَلاَ أَحْسَبُهُ سَمِعَهُ مِنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(4977) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने फ़रमाया: ख़यानत करने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा।

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने फ़रमाया: ईसा बिन यूनुस, फ़ज़्ल बिन मूसा, इब्ने वहब, मुहम्मद बिन रबीआ, मख़लद बिन यज़ीद और सलमा बिन सईद जो कि बसरी और सिक़ा हैं (और जिनके बारे में मुहम्मद बिन उ़स्मान) इब्ने अबू सफ़वान ने कहा है कि वह (सलमा बिन सईद) अपने ज़माने के बेहतरीन शख़्स थे, उन सब ने इब्ने जुरैज से ये (मज़्कूरा) रिवायत बयान की है लेकिन इन (छः जलीलुल क़द्र और सिक़ा अहले इल्म) में से किसी एक ने भी 'हद्दसना अबू ज़ुबैर' नहीं कहा। और मेरा नहीं ख़याल कि इस (इब्ने जुरैज) ने अबू ज़ुबैर से सुना हो। वल्लाहु आ़लम!

(4977) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7465, 7466.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) के कलाम का मा हसल ये है कि ये रिवायत सनदन मुन्क़तअ़ है। उन्होंने अबू ज़ुबैर से इब्ने जुरैज के, ये रिवायत सुनने की नफ़ी की है। इमाम नसाई का कहना है कि मज़्कूरा छः जय्यद अहले इल्म ने इब्ने जुरैज से ये रिवायत तो बयान की है लेकिन उनमें से किसी ने भी अबू ज़ुबैर से उनके सिमाअ़ (सुनने) की तसरीह नहीं की, इसलिये ये रिवायत मुन्क़तअ़, यानी ज़ईफ़ है। ये है इमाम नसाई (رحمه الله) का रूझान लेकिन मज़्कूरा छः अहले इलम का इब्ने जुरैज के अबू ज़ुबैर से मज़्कूरा हदीस के सिमाअ़ की तसरीह न करना, इस दावे के इस्बात के लिये काफ़ी नहीं कि ये सनद मुन्क़तअ़ है क्योंकि उनके अ़दमे सिमाअ़ की तसरीह से उन मुहद्दिसीन के इस्बाते तसरीह की नफ़ी नहीं हो सकती जिन्होंने इब्ने जुरैज के अबू ज़ुबैर से, मज़्कूरा हदीस सुनने की तसरीह की है। वैसे भी इस्बात करने वाला नफ़ी करने

वाले से मुक़द्दम होता है क्योंकि जिस शख़्स को बात याद होती है वह उस शख़्स के मुक़ाबले में हुज्जत होता है जिसे बात याद नहीं होती। ये मुसल्लमा उसूल है। मुहक़्क़िकुल अस्र शैख़ नासिरूद्दीन अल्बानी (رحمہ اللہ) ने सही सनद से इब्ने जुरैज के अबू ज़ुबैर से सिमाअ की तसरीह की है जैसा कि पहले भी इशारा किया गया है। तफ़्सील के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (ज़ख़ीरतुल उक्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 37/99-101, वल मुसन्नफ़ लिअब्दुर्रज़्ज़ाक़: 10/206) मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़ के अल्फ़ाज़ तो सिमाअ में बिल्कुल वाज़ेह और दो टूक हैं जो ये हैं: अन इब्ने जुरैज, क़ाल: क़ाल ली अबू ज़ुबैर, यानी इब्ने जुरैज ने कहा है कि मुझे अबू ज़ुबैर ने कहा फिर मज़्कूरा रिवायत बयान की, लिहाज़ा जब सही तौर पर तहदीस व सिमाअ की सराहत मौजूद है तो यक़ीनन उसे ही तर्जीह हासिल होगी।

أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ رَوْحٍ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - يَعْنِي ابْنَ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ - قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلاَ مُنْتَهِبٍ وَلاَ خَائِنٍ قَطْعٌ " .

(4978) हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'झपट्टा मार कर छीनने वाले, लूट डालने वाले (डाकू) और ख़्यानत करने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा।'

(4978) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 8/279, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7468.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ضَعِيفٌ .

(4979) हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि ख़्यानत करने वाले को हाथ काटने की सज़ा नहीं दी जा सकती।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمہ اللہ)) ने फ़रमाया: अशअस बिन सव्वार ज़ईफ़ है।

(4979) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7469.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمہ اللہ) ये कहना चाहते हैं कि अशअस बिन सव्वार की हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) से बयानकर्दा मौक़ूफ़ रिवायत ज़ईफ़ है। इसकी एक वजह तो ये है कि अशअस बिन सव्वार ख़ुद ज़ईफ़ रावी हैं मुहद्दिसीने इज़ाम इसकी रिवायत को क़ाबिले हुज्जत नहीं समझते। दूसरी वजह ये है कि अशअस ने इस रिवायत को, सिक़ात की मुख़ालिफ़त करते हुये मौक़ूफ़ बयान किया है जबकि दीगर सिक़ा रावी

उसे मरफ़ूअ बयान करते हैं, लिहाज़ा मुख़ालिफ़ते सिक़ात की वजह से ये रिवायत मुन्कर (ज़ईफ़) ठहरी। वल्लाहु आलम! ये मसला सनद की हद तक है, ताहम इस सनद के ज़ईफ़ होने के बावजूद मसला बिऐनिही इसी तरह है जिस तरह दीगर सही अहादीस़ में बयान हुआ कि ख़ाइन, लुटेरे, और झपट्टा मार कर चीज़ छीनने वाले का हाथ नहीं काटा जायेगा।

बाब : (14) हाथ काटने के बाद (मज़ीद चोरी की सूरत में) चोर का पाँव काटना

باب : (١٤) قَطْعِ الرِّجْلِ مِنَ السَّارِقِ بَعْدَ الْيَدِ

(4980) हज़रत हारिस़ बिन हातिब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक चोर लाया गया। आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर दो।' लोगों ने कहा: अल्लाह के रसूल (ﷺ)! इसने तो चोरी की है? आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर दो।' लोगों ने फिर कहा: अल्लाह के रसूल! इसने तो स़िर्फ़ चोरी की है? आपने फ़रमाया: 'इसका हाथ काट दो।' उसने फिर चोरी कर ली। फिर उसका पाँव काट दिया गया। फिर उसने हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के दौर में चोरी कर ली यहाँ तक कि एक एक करके उसके चारों हाथ पाँव काट दिये गये। फिर उसने पाँचवीं दफ़ा चोरी कर ली। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(ﷺ) को उस (की हैस़ियत) का ख़ूब इल्म था। तभी तो आपने (पहली दफ़ा ही) फ़रमाया था: 'इसे क़त्ल कर दो।' फिर हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने इसे चन्द क़ुरैशी नोजवानों के सुपुर्द कर दिया कि इसे क़त्ल कर दें। उन नोजवानों में हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) भी शामिल थे। वह हुकूमत के बड़े शाइक़ थे। वह कहने लगे: तुम मुझे अपना (वक़्ती) अमीर बना

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْمَصَاحِفِيُّ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُوسُفُ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَاطِبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِلِصٍّ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ . فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ . قَالَ " اقْطَعُوا يَدَهُ " . قَالَ ثُمَّ سَرَقَ فَقُطِعَتْ رِجْلُهُ ثُمَّ سَرَقَ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ رضى الله عنه حَتَّى قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ كُلُّهَا ثُمَّ سَرَقَ أَيْضًا الْخَامِسَةَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه كَانَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ قَالَ " اقْتُلُوهُ " . ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى فِتْيَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ لِيَقْتُلُوهُ مِنْهُمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ - وَكَانَ يُحِبُّ

الإِمَارَةَ - فَقَالَ أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ . فَأَمَّرُوهُ عَلَيْهِمْ فَكَانَ إِذَا ضَرَبَ ضَرَبُوهُ حَتَّى قَتَلُوهُ .

लो। उन्होंने उनको अमीर बना लिया। जब वह उसे मारते थे, तब दूसरे मारते थे यहाँ तक कि इस तरह उन्होंने उस चोर को क़त्ल कर दिया।

(4980) तख़रीज : (सनद स़ही) अल बैहक़ी: 8/272, 273, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7470.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इसे क़त्ल कर दो' आपका मक़सूद क़त्ल का हुक्म न था बल्कि ये आपकी पेशगोई थी कि उसका अंजाम कार क़त्ल होगा, जो उसके हक़ में पूरी हूई। ये भी मुमकिन है कि आपको बज़रिय-ए-वह्य बता दिया गया हो कि ये शख़्स बाज़ नहीं आयेगा और बिल आख़िर उसे क़त्ल करना पड़ेगा, इसलिये आपने पहली बार ही क़त्ल का हुक्म दिया। स़हाब-ए-किराम (ﷺ) ने आपके हुक्म की तामील में तरद्दुद इसलिए किया कि आप (ﷺ) ने ख़ुद चोर की सज़ा हाथ काटना बताई थी। वह समझते कि आपको उसके जुर्म का स़ही अन्दाज़ा नहीं हुआ, इसलिये स़हाबा ने जब उसके जुर्म की दोबारा वज़ाहत की तो आपने उसका हाथ काटने का हुक्म दिया। **(2)** 'पाँव काट दिया गया' क़ुर्आन मजीद में चोरी की सज़ा में स़िर्फ़ हाथ काटने का ज़िक्र है, इसलिये कुछ लोग चोरी की सज़ा में पाँव काटने के क़ाइल नहीं लेकिन जुम्हूर अहले इल्म पाँव काटने के क़ाइल हैं कि दूसरी चोरी पर बायाँ पाँव काट दिया जाये। फिर चोरी कर ले तो बायाँ हाथ और फिर चोरी करे तो दायाँ पाँव। अगर पाँचवीं दफ़ा चोरी करे तो उसे जेल में डाल दिया जाये। कुछ पाँचवीं दफ़ा चोरी पर क़त्ल के क़ाइल हैं जैसा कि इस हदीस़ में है। कुछ अहले इल्म एक हाथ और एक पाँव के बाद क़तअ के क़ाइल नहीं क्योंकि इस तरह वह बिल्कुल अपाहिज हो जायेगा और अपने कामकाज के क़ाबिल भी नहीं रहेगा। न खा पी सकेगा, न इस्तिन्जा कर सकेगा और न दूसरे काम ही कर सकेगा। आख़िर ये काम कौन करेगा? जुम्हूर अहले इल्म की दलील आयते मुहारबा भी है। इसमें फ़सादी लोगों के लिये हाथ पाँव काटने का स़रीह ज़िक्र है। (औ तुक़्तअ ......) (अल माइदा: 33) अक़्लन भी हाथ पाँव का हुक्म एक है, लिहाज़ा जुम्हूर का मस्लक ही स़ही है।

قَطْعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ مِنَ السَّارِقِ

बाब : (15)
चोर के दोनों हाथ और दोनों पाँव काटना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ

(4981) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक चोर लाया गया। आपने फ़रमाया: 'इसे क़त्ल कर दो।' लोगों ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! उसने स़िर्फ़ चोरी की है। आपने फ़रमाया: (इसका दायाँ

جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ . قَالَ " اقْطَعُوهُ " . فَقُطِعَ ثُمَّ جِيءَ بِهِ الثَّانِيَةَ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ . قَالَ " اقْطَعُوهُ " . فَقُطِعَ فَأُتِيَ بِهِ الثَّالِثَةَ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ . فَقَالَ " اقْطَعُوهُ " . ثُمَّ أُتِيَ بِهِ الرَّابِعَةَ فَقَالَ " اقْتُلُوهُ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا سَرَقَ . قَالَ " اقْطَعُوهُ " . فَأُتِيَ بِهِ الْخَامِسَةَ قَالَ " اقْتُلُوهُ " . قَالَ جَابِرٌ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى مِرْبَدِ النَّعَمِ وَحَمَلْنَاهُ فَاسْتَلْقَى عَلَى ظَهْرِهِ ثُمَّ كَشَّرَ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ فَانْصَدَعَتِ الإِبِلُ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ ثُمَّ حَمَلُوا عَلَيْهِ الثَّالِثَةَ فَرَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ فَقَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَلْقَيْنَاهُ فِي بِئْرٍ ثُمَّ رَمَيْنَا عَلَيْهِ بِالْحِجَارَةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ وَمُصْعَبُ بْنُ ثَابِتٍ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

हाथ) काट दो।' उसका हाथ काट दिया गया। फिर उसे दोबारा (चोरी करने पर) लाया गया। आपने फ़रमायाः 'उसे क़त्ल कर दो।' लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इसने सिर्फ़ चोरी की है। आपने फ़रमायाः 'इसका बायाँ पाँव काट दो' उसका पाँव काट दिया गया। तीसरी मर्तबा फिर उसे लाया गया। आपने फ़रमायाः 'इसे क़त्ल कर दो।' लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इसने तो सिर्फ़ चोरी की है। आपने फ़रमायाः 'इसका (बायाँ हाथ) काट दो।' फिर उसे चौथी मर्तबा (पकड़ कर) लाया गया। आपने फ़रमायाः 'इसको क़त्ल कर दो।' लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के रसूल! इसने सिर्फ़ चोरी की है। आपने फ़रमायाः इसका (दायाँ पाँव) काट दो। पाँचवीं बार फिर उसे लाया गया तो आपने फ़रमायाः 'इसे क़त्ल कर दो।' हज़रत जाबिर (ﷺ) ने फ़रमायाः हम उसे उठाकर ऊँटों के एक बाड़े में ले गये तो वह चीत लेट गया। फिर अचानक अपने (कटे हुये) हाथों और पाँव पर भाग उठा। ऊँट (डर कर) बिदकने लगे। लोगों ने भाग कर दोबारा उसको पकड़ लिया। उसने फिर इसी तरह किया। फिर तीसरी दफ़ा उसको पकड़ा तो हमने उसको पत्थर मार मार कर क़त्ल कर दिया। फिर हमने उसे एक कुएँ में डाल दिया और ऊपर से पत्थर फेंक दिये।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि ये हदीस़ मुन्कर है। और मुसअब बिन साबित हदीस़ में क़वी (और मज़बूत) नहीं।

(4981) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीसः 4410, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 7471.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ये हदीस़ मुन्कर है' यानी इसका रावी ज़ईफ़ होने के बावजूद सिक़ा रावियों की मुख़ालिफ़त करता है। (2) 'हाथों और पाँव पर' यानी जानवरों की तरह। (3) मुहक़्क़िक़े किताब और शैख़ अल्बानी (رحمه الله) ने मज़्कूरा रिवायत को दीगर शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया है।

बाब : (16) सफ़र के दौरान (चोर का) हाथ काटना

باب (١٦): الْقَطْعُ فِي السَّفَرِ

(4982) हज़रत बुस्र बिन अबी अरतात (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'सफ़र में चोर के हाथ न काटे जायें।'

(4982) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस़: 4408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7472, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1450.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنِي حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ بُسْرَ بْنَ أَبِي أَرْطَاةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ تُقْطَعُ الأَيْدِي فِي السَّفَرِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत में सफ़र से मुराद जंग का सफ़र है। जब दुश्मन का इलाक़ा क़रीब हो और ख़तरा हो कि हाथ काटने से मुश्तइल होकर वह कुफ़्फ़ार के इलाक़े में भाग जायेगा और उनके साथ मिलकर मुर्तद हो जायेगा। मुत्लक़ सफ़र मुराद नहीं क्योंकि हज़रत उबादा बिन सामित (رضي الله عنه) से रिवायत है कि 'सफ़र व हज़र में हुदूद क़ाइम करो।' (मुसनद अहमद: 5/316, अस्सहीहा लिलअल्बानी, हदीस़: 1972) और सफ़र में हद न लगाने की कोई वजह नहीं। शरीयत जिस तरह हज़र के लिये है, उसी तरह सफ़र के लिये भी है, लिहाज़ा ख़ास सफ़र मुराद है। (2) इस हुक्म का ये मतलब नहीं कि हद बिल्कुल साक़ित कर दी जाये कि जब सफ़र से वापसी होगी तो हद लगाई जायेगी क्योंकि शरीयत की मुक़र्ररा हुदूद साक़ित नहीं हो सकतीं। (3) हदीस़ से मालूम हुआ कि हुदूद के निफ़ाज़ में इन्तेहाई दूर अन्देशी और एहतियात लाज़िम है। अगर हद के निफ़ाज़ से नुक़्साने अज़ीम का ख़तरा हो तो वक़्ती तौर पर उसे मुअख़्ख़र किया जा सकता है।

(4983) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ،

عَنْ عُمَرَ، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ - عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِنَشٍّ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ فِي الْحَدِيثِ .

ग़ुलाम चोरी कर ले तो उसे बेच दो अगरचे निस्फ़ क़ीमत पर बिके।'

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) बयान करते हैं कि (हदीस़ का रावी) उ़मर बिन अबू सलमा हदीस़ में क़वी नहीं।

(4983) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 4412, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7473.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'चोरी कर ले' यानी मालिक की चोरी करे क्योंकि किसी दूसरे की चोरी करेगा तो उसका हाथ काटा जायेगा। मालिक की चोरी में हाथ काटना जायज़ नहीं क्योंकि वह भी घर में रहता है। गोया कि वह घर का एक फ़र्द है और घर के अफ़राद पर घर से चोरी की बिना पर हद नहीं लगाई जाती। इस हदीस़ की बाब से मुनासिबत भी यही है कि जिस तरह घर के फ़र्द या ग़ुलाम पर चोरी की हद नाफ़िज़ नहीं होती, उसी तरह सरहदी इलाक़े के सफ़र के दौरान में भी चोरी की हद नहीं लगाई जायेगी, यानी ये भी उसकी एक नज़ीर है अगरचे फ़र्क़ भी है कि सफ़र से वापसी पर तो हद लगाई जायेगी मगर ग़ुलाम पर घर की चोरी में बिल्कुल हद नहीं लगाई जायेगी। अलबत्ता उसे कोई और सज़ा दी जायेगी, जैसे: कोड़े लगाये जायें या क़ैद वग़ैरह किया जाये। **(2)** 'बेच दो' क्योंकि उसको चोरी की आ़दत पड़ गई है, लिहाज़ा उसका घर में रहना अब ठीक नहीं। ये मसला बार बार पैदा होगा। बेच देना ही बेहतर है। मुमकिन है दूसरे घर के हालात उसकी ये आ़दत छुड़ा दें लेकिन बेचते वक़्त उसका ये ऐ़ब ख़रीदने वाले को साफ़ बताया जाये ताकि वह धोखे में न रहे वरना गुनाह होगा, और सौदा वापस भी हो सकता है। **(3)** 'निस्फ़ क़ीमत' अ़रबी में लफ़्ज़ 'नश' इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी निस्फ़ औक़िया होते हैं और मुत्लक़ निस्फ़ भी। निस्फ़ औक़िया तो बीस दिरहम का होता है। मुत्लक़ निस्फ़ से मुराद निस्फ़ दिरहम भी हो सकला है और निस्फ़ क़ीमत भी। तीनों मानी मुमकिन हैं। वल्लाहु आ़लम! **(4)** बेचने का हुक्म ज़रूरी नहीं बल्कि बेहतर है क्योंकि किसी को उसका ग़ुलाम बेचने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये उसकी अपनी मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ है।

बाब : (17)
बुलूग़त की हद, और उसका बयान कि किस उम्र तक पहुँचने की सूरत में मर्द और औरत पर हद लगाई जायेगी?

باب(١٧): حَدِّ الْبُلُوغِ وَذِكْرِ السِّنِّ الَّذِي إِذَا بَلَغَهَا الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ أُقِيمَ عَلَيْهِمَا الْحَدُّ

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ كُنْتُ فِي سَبْيِ قُرَيْظَةَ وَكَانَ يُنْظَرُ فَمَنْ خَرَجَ شِعْرَتُهُ قُتِلَ وَمَنْ لَمْ تَخْرُجِ اسْتُحْيِيَ وَلَمْ يُقْتَلْ .

(4984) हज़रत अतिया (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं बनू क़ुरैज़ा के क़ैदियों में शामिल था। (फ़ैसले के मुताबिक़) देखा जाता था कि जिस क़ैदी के ज़ेरे नाफ़ बाल उगे होते थे उसे क़त्ल कर दिया जाता था और जिसके ज़ेरे नाफ़ बाल नहीं उगे होते थे, उसे ज़िन्दा छोड़ दिया जाता था और क़त्ल नहीं किया जाता था।

(4984) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3460, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7474.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सद ये है कि लड़का या लड़की किस उम्र में बालिग़ होते हैं? उसकी ज़रूरत इसलिये पेश आई कि शरई हदें और सज़ाएँ किसी मुजरिम पर उस वक़्त नाफ़िज़ होती हैं जब इन्सान बालिग़ हो जाये। जब तक कोई शख़्स बालिग़ नहीं हो जाता उस वक़्त तक उस पर हद नहीं लग सकती। बाक़ी रहा ये मसला कि अगर कोई नाबालिग़ बच्चा ऐसा जुर्म कर बैठे जिस पर शरई हद लागू होती हो तो उस वक़्त क्या किया जाये? मसला बिलकुल यही है कि नाबालिग़ बच्चे पर शरई हद नहीं लग सकती, ताहम क़ाबिले हद जुर्म सरज़द होने की सूरत में क़ाज़ी और जज या हाकिमे वक़्त, अदब सिखाने की ख़ातिर उसे कोई मुनासिब सज़ा दे सकता है। वल्लाहु आलम! **(2)** शरीयते मुतह्हरा ने कुछ अलामात बताई हैं जब उनमें से कोई एक अलामत किसी लड़के या लड़की में पाई जाये तो वह बालिग़ होता है। मर्दों के लिये तीन अलामतें हैं, वह तीनों हों या उनमें से कोई एक हो तो मर्द बालिग़ समझा जायेगा: एहतिलाम होना, ज़ेरे नाफ़ सख़्त बाल उगना या उम्र पन्द्रह साल होना। अलबत्ता औरत के लिये मज़्कूरा तीन अलामतों के अलावा, जो कि मर्द और औरत दोनों में मुश्तरक हैं, दो और भी हैं जो सिर्फ़ औरतों के साथ ख़ास हैं और वह हैं: हैज़ आना या किसी औरत का हामिला होना। **(3)** 'बनू कुरैज़ा के क़ैदी' बनू कुरैज़ा मदीना में रहने वाले यहूदियों का एक क़बीला था जिन्होंने जंगे ख़न्दक़ में मुसलमानों से बग़ावत करके हमला करने वाले दुश्मन का साथ दिया, लिहाज़ा जंगे ख़न्दक़ ख़त्म होने

के बाद उन्होंने अपना फ़ैसला अपने हलीफ़ क़बीले के सरदार हज़रत सअ़द बिन मुआज़(ﷺ) के सुपुर्द कर दिया। उन्होंने फ़ैसला दिया कि उनके बालिग़ मर्द क़त्ल कर दिये जायें और औरतें बच्चे क़ैद कर लिये जायें, लिहाज़ा उनके फ़ैसले के मुताबिक़ अमल हुआ। (4) मियाँ बीवी के सिवा किसी के लिये ये जायज़ और हलाल नहीं कि वह किसी की शर्मगाह देखे, ताहम हक़ीक़ी शरई उ़ज़्र इस उसूल से मुस्तस्ना (अलग) है, जैसे: किसी की जान बचाने का मसला दरपेश हो और ऑपरेशन नागुज़ीर हो तो मुआलिज मरीज़ को ज़रूरत के मुताबिक़, बे लिबास कर सकता है और फिर ज़रूरत ख़त्म होते ही शर्मगाह को ढाँपना ज़रूरी है। (5) 'जिस क़ैदी' यानी नो उ़म्र क़ैदी जिसकी बुलूग़त में शक होता था वरना बड़ी उ़म्र के आदमी के बाल देखने की ज़रूरत ही नहीं। (6) 'ज़िन्दा छोड़ दिया जाता' यानी उसे क़ैदी (गुलाम) बना लिया जाता था। ये अ़तिया भी उनमें शामिल थे और बाद में मुसलमान हो गये।

बाब : (18)
चोर का हाथ काटने के बाद उसकी गर्दन में लटकाना

باب(١٨):
تَعْلِيقِ يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ

(4985) हज़रत इब्ने मुहेरीज़ से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत फ़ज़ाला बिन उ़बैद(ﷺ) से चोर का हाथ उसकी गर्दन में लटकाने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: (ये) सुन्नत है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक चोर का हाथ काट कर उसकी गर्दन में लटका दिया था।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ سَأَلْتُ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ، يَدِ السَّارِقِ فِي عُنُقِهِ قَالَ سُنَّةٌ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ سَارِقٍ وَعَلَّقَ يَدَهُ فِي عُنُقِهِ .

(4985) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4411, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7475, तिर्मिज़ी: 1447.

(4986) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन मुहेरीज़ बयान करते हैं कि मैंने हज़रत फ़ज़ाला बिन उ़बैद (ﷺ) से पूछा: फ़रमायें क्या चोर का हाथ उसके गले में लटकाना सुन्नत है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक चोर लाया गया। आपने उसका हाथ काट कर उसके गले में लटका दिया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، قَالَ قُلْتُ لِفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ أَرَأَيْتَ تَعْلِيقَ الْيَدِ فِي عُنُقِ السَّارِقِ مِنَ السُّنَّةِ هُوَ قَالَ نَعَمْ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

وسلم بِسَارِقٍ فَقَطَعَ يَدَهُ وَعَلَّقَهُ فِي عُنُقِهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ضَعِيفٌ وَلاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ .

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने फ़रमाया: (इस हदीस़ और साबिक़ा हदीस़ का रावी) हज्जाज बिन अरतात ज़ईफ़ है। इसकी हदीस़ क़ाबिले हुज्जत नहीं होती।

(4986) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7476.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ سَمِعْتُ سَعْدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا مُرْسَلٌ وَلَيْسَ بِثَابِتٍ .

(4987) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब चोर पर हद नाफ़िज़ कर दी जाये तो उस पर चोरी का तावान न डाला जायेगा।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा: ये (हदीस़) मुर्सल है और स़ाबित नहीं है।

(4987) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल बैहक़ी: 8/277, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7477, मीज़ान: 4/113, तबरी: 8/277.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

ईमान का लुग़वी व इस्तेलाही मफ़हूम

लुग़तन ईमान अमन से है। अमन के मानी हैं बे'ख़ौफ़ होना। और ईमान के मानी हैं बे'ख़ौफ़ करना लेकिन उमूमन इस लफ़्ज़ का इस्तेमाल मान लेने, तस्लीम कर लेने और तस्दीक़ करने के मानी में होता है और वह भी ग़ैबी उमूर में। क़ुर्आन व हदीस़ में उमूमन ईमान व इस्लाम एक मानी में इस्तेमाल होते हैं। अलबत्ता कभी कभी लुग़वी मानी की रिआयत से उनमें फ़र्क़ भी किया गया है। (क़ुल लम तूमिनू कूलू अस्लम्नाा) (अल हुजुरात: 49/14) यहाँ इस्लाम, ज़ाहिरी इताअत और ईमाने क़ल्बी तस्दीक़ के मानी में है। जुम्हूर अहले सुन्नत (सहाबा व ताबेईन) के नज़दीक ईमान इक़रारून बिल्लिसानि व तस्दीक़ुन बिल क़ल्बि अमलुन बिलजवारिहि को कहते हैं। मुख़्तसरन क़ौल व अमल को ईमान कहते हैं क्योंकि तस्दीक़ अमल में आ जाती है। और वह दिल का अमल है। इसी तरह अहले सुन्नत के नज़दीक ईमान में मुख़्तलिफ़ वुजूह से कमी बेशी होती रहती है। क़ल्बी कैफ़ियत के लिहाज़ से, मूमिन बिहि की क़िल्लत व कसरत के लिहाज़ से और आमाल की कमी बेशी के लिहाज़ से। सलफ़ के बाद अइम्मा-ए-सलासा मालिक, शाफ़ेई, अहमद (رحمہم اللہ), अहले मदीना और तमाम मुहद्दिसीन इसी बात के क़ाइल हैं। बिदअती फ़िर्क़े, जैसे: जहमिया, मुर्जिआ, मोतज़िला और ख़वारिज वग़ैरह अहले सुन्नत से इस मसले में इख़्तिलाफ़ रखते हैं जिनकी तफ़्सील का मौक़ा नहीं। अहले सुन्नत में से अशअरी और अहनाफ़ भी मुहद्दिसीन से कुछ इख़्तिलाफ़ रखते हैं, जैसे: अहनाफ़ अमल को ईमान का जुज़ नहीं समझते बल्कि उसे ईमान का लाज़िम क़रार देते हैं। इसी तरह वह ईमान में कमी बेशी के भी क़ाइल नहीं, हाँ अहले ईमान में तफ़ाज़ुल के क़ाइल हैं। अहले सुन्नत किसी कलिमा को मुसलमान को किसी वाजिब व फ़र्ज़ के तर्क या किसी कबीरा गुनाह के इर्तिकाब की बिना पर ईमान से ख़ारिज नहीं करते जब कि मोतज़िला और ख़वारिज उसको ईमान से ख़ारिज कर देते हैं बल्कि ख़वारिज तो सराहतन काफ़िर कह देते हैं। मआज़ल्लाह! जहमिया और मुर्जिआ वैसे ही अमल को ज़रूरी नहीं समझते। उनके नज़दीक सिर्फ़ तस्दीक़े क़ल्ब काफ़ी है। मज़ीद तफ़्सील इन्शाअल्लाह आगे आयेगी।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب الإيمان وشرائعه

ईमान और उसके फ़राइज़ व अहकाम का बयान

باب(۱): ذِكْرِ أَفْضَلِ الأَعْمَالِ

बाब : (1) अफ़ज़ल अमल का बयान

حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ - مِنْ لَفْظِهِ - قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ أَىُّ الأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ " الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ " .

(4988) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया: कौन सा अमल अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह(ﷻ) और उसके रसूल पर ईमान लाना।'

(4988) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 26, मुस्लिम, हदीस: 83.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ईमान लाना' ये अमल ईमान की जड़ है जिसके बग़ैर ईमान व इस्लाम के दरख़्त का तसव्वुर भी नहीं किया ज़ा सकता। और उसके बग़ैर कोई नेक अमल फ़ायदा नहीं देता। जब ये ईमान मौजूद हो तो दुख़ूले जन्नत क़तई है, ख़्वाह अव्वलन या सज़ा भुगतने के बाद। इस हदीस में ईमान को एक अमल क़रार दिया गया है। इससे मुहद्दिसीन की ताईद होती है जो आमाल को ईमान का जुज़ क़रार देते हैं। **(2)** क़ुर्आनी आयात में ईमान और अमले सालेह को अलग अलग ज़िक्र करना अमल की अहमियत की वजह से है, जैसे नमाज़े अस्र की अहमियत के पेशे नज़र अलग से भी उसकी मुहाफ़िज़त का हुक्म है: (हाफ़िज़ू अल ....) (अल बक़र: 2/238).

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيٍّ الأَزْدِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبْشِيٍّ الْخَثْعَمِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ أَىُّ الأَعْمَالِ

(4989) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हुब्शी ख़स्अमी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए अकरम (ﷺ) से पूछा गया: कौन सा अमल अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'ऐसा ईमान जिसमें ज़र्रा भर शक न हो, वह जिहाद जिसमें किसी क़िस्म की ख़यानत न हो और नेक व पाक हज।

(4989) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 2527.

أَفْضَلُ فَقَالَ " إِيمَانٌ لاَ شَكَّ فِيهِ وَجِهَادٌ لاَ غُلُولَ فِيهِ وَحَجَّةٌ مَبْرُورَةٌ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) गोया अस़ल फ़ज़ीलत ख़ुलूस़ को हासिल है जिस चीज़ में भी हो। ईमान में हो या जिहाद में या हज में। (2) अफ़ज़ल अ़मल के सवाल के जवाब में मुख़्तलिफ़ अहादीस़ आई हैं। तत्बीक़ ये है कि आपने हालात और साइल के लिहाज़ से जवाबात दिये हैं। किसी हालत में कोई अ़मल अफ़ज़ल है, किसी में कोई। ज़मान व मकान का इख़्तिलाफ़ एक क़तई चीज़ है। इसी तरह किसी शख़्स़ के लिये कोई अ़मल अफ़ज़ल है किसी के लिये कोई। किसी के लिये जिहाद अफ़ज़ल है, किसी के लिये ज़िक्र और किसी के लिये हज। और किसी के लिये कोई और अ़मल अफ़ज़ल है। ये बड़ी वाज़ेह बात है। (3) 'नेक व पाक हज' और वह ये है जिसमें कोई शहवानी क़ौल व फ़ेअ़ल न किया गया हो। किसी फ़र्ज़ का तर्क और किसी कबीरा गुनाह का इर्तिकाब न किया गया हो। और साथियों के साथ लड़ाई झगड़ा न किया गया हो। (ला रफ़स वला फुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज) कुछ ने इसके मानी 'हज्जे मक़्बूल' भी किये हैं। ज़ाहिर है हज्जे मक़्बूल भी तो ऐसा ही होगा, लिहाज़ा कोई फ़र्क़ नहीं।

बाब : (2)
ईमान का मज़ा (कब महसूस होता है?)

باب(٢): طَعْمِ الإِيمَانِ

(4990) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन चीज़ें ऐसी हैं कि जिस शख़्स़ में भी पाई जायें, ईमान उसको लज़ीज़ मालूम होता है। (उसे ईमान में मज़ा आने लगता है।) अल्लाह (ﷻ) और उसका रसूल (ﷺ) उसे हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हों। उसकी मोहब्बत और नाराज़ी ख़ालिस़ अल्लाह तआ़ला के लिये हो। अ़ज़ीम भड़कती आग में गिर पड़ना उसे अल्लाह तआ़ला के साथ किसी को शरीक ठहराने से ज़्यादा पसन्द हो।'

(4990) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/207, 278, पिछली हदीस़ देखें.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ وَطَعْمَهُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَأَنْ يُحِبَّ فِي اللَّهِ وَأَنْ يُبْغِضَ فِي اللَّهِ وَأَنْ تُوقَدَ نَارٌ عَظِيمَةٌ فَيَقَعُ فِيهَا أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا".

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ईमान का मज़ा' ये तजुर्बाती चीज़ है कि जब इन्सान ईमान में खप जाये

तो उसे ईमान के कामों में उसी तरह लज़्ज़त महसूस होती है, जैसे अ़वामुन्नास को खाने, पीने और नाज़ व नेमत की दीगर चीज़ों में लज़्ज़त महसूस होती है। और वह ईमान की वजह से अपनें आपको उसी तरह ख़ूश नसीब तसव्वुर करता है जिस तरह मालदार शख़्स अपने माल की वजह से अपने आपको ख़ूश क़िस्मत समझता है। लेकिन ये इससे कहीं ज़्यादा ऊँचा मर्तबा है। चे निस्बत ख़ाक राबा आ़लम पाक! (2) 'प्यारे हों' यानी उनको हर चीज़ पर तर्जीह दे, माल और यहाँ तक कि अपनी जान और ख़्वाहिश पर भी। नतीजा ये होगा कि वह अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की इताअ़त के मुक़ाबले में हर चीज़ को रद्द कर देगा यहाँ तक कि अपनी ख़्वाहिश से भी दस्तबरदार हो जायेगा। (3) 'अल्लाह तआ़ला के लिये हो' यानी उसके पेशे नज़र अपना मफ़ाद नुक़सान न हो बल्कि मोहब्बत इसलिये कि अल्लाह तआ़ला और उसका रसूल (ﷺ) उसे पसन्द करते हैं और नाराज़ी इसलिये कि अल्लाह और उसका रसूल उसको नापसन्द करते हैं। (4) 'भड़कती आग' यानी शिर्क से उसे शदीद नफ़रदत हो जाये यहाँ तक कि जान जाने का ख़तरा हो तब भी शिर्क न करे। (5) ये तीनों काम बड़े मुश्किल हैं। कोई साहिबे ईमान ही उन पर कारबन्द रह सकता है।

बाब : (3) ईमान की मिठास

باب(٣): حَلاَوَةِ الإِيمَانِ

(4991) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) ने बयान फ़रमाया कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस शख़्स में ये तीन चीज़ें पाई जायें, वह ईमान की मिठास महसूस करता है: जो शख़्स किसी आदमी से मोहब्बत करता है किसी मफ़ाद के लिये नहीं बल्कि सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला की रज़ा के लिये। जिसे अल्लाह तआ़ला और उसका रसूल हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हों। जिस शख़्स को आग में कूद जाना कुफ़्र की तरफ़ लौट जाने से ज़्यादा पसन्द हो जब कि अल्लाह तआ़ला ने उसको कुफ़्र से निकाल लिया है।'

(4991) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 21, मुस्लिम, हदीस: 43/68.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، رضى الله عنه يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِيمَانِ مَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَمَنْ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ كَانَ أَنْ يُقْذَفَ فِي النَّارِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ أَنْ أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ " .

फ़ायदा : 'ईमान की मिठास' मतलब ये है कि ईमान मीठी चीज़ की तरह लज़ीज़ है। मीठे में लज़्ज़त

महसूस करना इन्सान की फ़ितरत है। इसी तरह जो शख़्स सही फ़ितरते इन्सानी पर क़ाइम हो, वह ईमान में भी लज़्ज़त महसूस करेगा। तफ़्सील बयान हो चुकी है।

बाब : (4) इस्लाम की मिठास

باب(٤): حَلاَوَةِ الإِسْلاَمِ

(4992) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन औसाफ़ जिस शख़्स में पाये जायें, वह (उनकी बरकत से) इस्लाम की मिठास महसूस करेगा। वह शख़्स जिसको अल्लाह तआला और उसका रसूल (ﷺ) हर चीज़ से ज़्यादा प्यारे हों: जो किसी शख़्स से सिर्फ़ अल्लाह तआला की रिज़ा के लिये मोहब्बत करे। जिस शख़्स को कुफ़्र की तरफ़ लौटना इतना नापसन्द हो जितना आग में फेंक दिया जाना।'

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الإِسْلاَمِ مَنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَمَنْ أَحَبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلاَّ لِلَّهِ وَمَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُلْقَى فِي النَّارِ ".

(4992) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : ईमान की तशरीह में बयान हो चुका है कि शरअन इस्लाम व ईमान में कोई फ़र्क़ नहीं। ये हदीस भी उसकी ताईद करती है। साबिक़ा हदीस में जिन औसाफ़ को ईमान की मिठास का दारोमदार क़रार दिया गया है, इस रिवायत में उन्हीं औसाफ़ को इस्लाम की मिठास का सबब बतलाया गया है, गोया ईमान व इस्लाम एक ही चीज़ है।

बाब : (5) इस्लाम का बयान

باب(٥): نَعْتِ الإِسْلاَمِ

(4993) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने फ़रमाया: एक दिन हम रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर थे कि एक आदमी हमें अचानक नज़र पड़ा। उसके कपड़े इन्तेहाई सफ़ेद थे और सर के बाल इन्तेहाई स्याह। न तो उस पर सफ़र के निशानात नज़र आते थे और न उसे कोई पहचानता था यहाँ तक कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आकर बैठ गया और उसने अपने घुटने रसूलुल्लाह (ﷺ) के

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى

الله عليه وسلم ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِسْلاَمِ قَالَ " أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلاً " . قَالَ صَدَقْتَ . فَعَجِبْنَا إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ ثُمَّ قَالَ أَخْبِرْنِي عَنِ الإِيمَانِ قَالَ " أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ " . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الإِحْسَانِ قَالَ " أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ " . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ " مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ بِهَا مِنَ السَّائِلِ " . قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ " أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ

घुटनों के साथ लगा दिये। और अपनी हथेलियाँ आपकी रानों पर रख लीं फिर कहा: ऐ मुहम्मद! मुझे इस्लाम के बारे में बताईये? आपने फ़रमाया: 'ये कि तू गवाही दे कि अल्लाह तआला के सिवा कोई इबादत के लाइक़ नहीं और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह तआला के रसूल हैं। और तू नमाज़ की पाबन्दी करे, ज़कात अदा करे, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और अगर तू ताक़त रखे तो बैतुल्लाह का हज करे।' उसने कहा: आप सच फ़रमाते हैं। हमें इस पर हैरानी हुई कि ये आपसे पूछता भी है और तस्दीक़ भी करता है। फिर उसने कहा: आप मुझे ईमान के बारे में बतलाइये? आपने फ़रमाया: 'ये कि तू अल्लाह तआला पर, उसके फ़रिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों, यौमे आख़िरत और हर अच्छी बुरी तक़दीर पर ईमान रखे।' उसने कहा: आप सच फ़रमाते हैं। मुझे एहसान के बारे में बतलाईये? आपने फ़रमाया: 'ये कि तू अल्लाह तआला की इबादत इस तरह करे गोया उसे तू देख रहा है, फिर अगर तू उसे नहीं देखता तो वह तुझे देख रहा है।' उसने कहा: मुझे क़यामत के बारे में ख़बर दीजिये? आपने फ़रमाया: 'जिससे पूछा गया है, वह पूछने वाले से क़यामत का ज़्यादा इल्म नहीं रखता।' उसने कहा: फिर मुझे उसकी निशानियाँ बतला दीजिये? आपने फ़रमाया: (एक निशानी ये है) कि लौण्डी अपनी मालिक को जनेगी और (दूसरी) ये कि तू नंगे पाँव फिरने वाले, नंगे जिस्म रहने वाले, बकरियों के कंगाल चरवाहों को देखेगा कि वह एक दूसरे के मुक़ाबले में फ़ख़रिया अन्दाज़ में

الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ " . قَالَ عُمَرُ فَلَبِثْتُ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عُمَرُ هَلْ تَدْرِي مَنِ السَّائِلُ " . قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أَتَاكُمْ لِيُعَلِّمَكُمْ أَمْرَ دِينِكُمْ " .

ऊँची ऊँची इमारतें बनाने लगे हैं।' (फिर वह चला गया) हज़रत उ़मर (ﷺ) ने फ़रमायाः तीन दिन में इसी तरह (शश्दर) ठहरा रहा। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमायाः 'उ़मर! जानते हो वह साइल कौन था?' मैंने कहाः अल्लाह और उसका रसूल ही ख़ूब जानते हैं। आपने फ़रमायाः 'वह जिब्रील (ﷺ) थे। तुम्हें तुम्हारे दीनी मामलात सिखाने आये थे।'

(4993) तख़रीज : (सनद सह़ी) मुस्लिम, हदीस़: 8/1.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से ये मसला स़ाबित होता है कि फ़रिश्ता, अम्बिया(ﷺ) के अ़लावा दूसरे लोगों के सामने भी इन्सानी शक्ल व सूरत में आ सकता है, लोग उसे देख सकते हैं, वह उनकी मौजूदगी में बातें कर सकता है और वह उसकी बातें सुन भी सकते हैं। **(2)** ये शरअ़न पसन्दीदा अ़मल है कि बन संवर कर, नहा धोकर और स़ाफ़ सुथरा लिबास में मल्बूस होकर उ़लमा व फ़ुज़ला और मुलूक व सलातीन की मजालिस में जाया जाये। जिब्रील अमीन (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमते अक़्दस में लोगों को उनका दीन सिखलाने और तालीम देने के लिये ही आये थे और वह तालीम उन्होंने अपने हाल व मक़ाल के साथ दी है। वह बेहतरीन और स़ाफ़ सुथरे लिबास में मल्बूस थे। उन पर थकावट और मैल कुचेल के कोई निशान नहीं थे। **(3)** अहले इल्म की मज्लिस में हाज़िर होने वाले शख़्स के लिये ये भी मुनासिब है कि लोगों को किसी मसले की ज़रूरत है और वह पूछ नहीं रहे तो वह ख़ुद पूछे ताकि सब लोगों को मसले का इल्म हो जाये और इस तरह उनकी दीनी ज़रूरत पूरी हो। **(4)** 'अचानक नज़र पड़ा' यानी दूर से आता नज़र नहीं आया। क़रीब ही देखा। फिर बालों और कपड़ों से अन्दाज़ा होता था कि अभी घर से नहा धोकर निकला है मगर उसे पहचानता कोई भी नहीं था। गोया वह मुसाफ़िर था। **(5)** 'अपने घुटने' बे तकल्लुफ़ी के अन्दाज में या शागिर्दों की तरह दो ज़ानू होकर बैठा। **(6)** 'आपकी रानों पर' यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) की रानों पर जैसा कि अगली रिवायत में इसकी तस़रीह है। इस सूरत में गोया उसने अपने आपको उज्जड बदवी, ज़ाहिर किया क्योंकि ये अन्दाज़ अदब के ख़िलाफ़ है। **(7)** इस हदीस़ में इस्लाम और ईमान की तारीफ़ मुख़्तलिफ़ की गई है। गोया लुग़वी मुनासिबत का लिहाज़ फ़रमाया। इस्लाम ज़ाहिरी इताअ़त को कहा गया है और ईमान क़ल्बी तस्दीक़ को। ज़ाहिर है लुग़तन तो उनमें कुछ फ़र्क़ है, अलबत्ता शरअ़न कोई फ़र्क़ नहीं। **(8)** 'हैरानी हूई, क्योंकि पूछना दलील है कि वह नावाक़िफ़ है मगर तस्दीक़ करना उसे आ़लिम ज़ाहिर करता है। दरअस़ल उसने अपने हर काम में इब्हाम रखा जिससे हैरानी रही। **(9)** 'वह तो तुझे देख रहा है' यानी तेरे उसको

देखने का भी यही मक़सूद है कि वह तुझे देखता है क्योंकि जब इन्सान को यक़ीन हो कि अल्लाह तआला मुझे देख रहा है तो वह इन्तेहाई ख़ुशूअ ख़ुज़ूअ से इबादत करेगा। अगर अल्लाह तआला बन्दे को न देखता हो तो अल्लाह तआला को देखने के तसव्वुर से इतना ख़ुशूअ पैदा नहीं होगा कुछ लोगों ने ये मतलब बयान किया है कि एहसान के दो मतलब हैं: पहला और आला तो ये है कि तू इबादत में यूँ समझे कि मैं अल्लाह तआला को देख रहा हूँ। वल्लाहु आलम! **(10)** इन अल्फ़ाज़ से ये भी मालूम हुआ कि कोई शख़्स दुनियावी ज़िन्दगी में अल्लाह तआला को नहीं देख सकता वरना 'गोया कि' कहने की ज़रूरत नहीं थी। **(11)** 'ज़्यादा इल्म नहीं रखता' यानी मैं तुझ से क़यामत का ज़्यादा इल्म नहीं रखता या कोई मस्ऊल किसी साइल से क़यामत का इल्म ज़्यादा नहीं रखता। मतलब ये है कि नुज़ूले क़यामत के वक़्त को कोई नहीं जानता। **(12)** 'लोण्डी मालिक को जने' बहुत से मतलब बयान किये गये हैं। ज़्यादा मुनासिब मतलब ये है कि औलाद नाफ़रमान हो जायेगी और माँओं से लौण्डियों जैसा सुलूक किया जायेगा। गोया वह औलाद नहीं, मालिक हैं। वल्लाहु आलम! **(13)** 'ऊँची ऊँची इमारतें, यानी ग़रीब लोग बहुत अमीर हो जायेंगे। माल आम हो जायेगा। तंग ज़रफ़ी की वजह से माल संभाल न सकेंगे। इमारतें बनाने में ज़ाया कर देंगे। **(14)** 'शश्दर रहा' क्योंकि जिस तरह वह अचानक आया था, उसी तरह अचानक ग़ाइब हो गया। लोगों ने बहुत तलाश किया मगर न मिला। **(15)** इस हदीस़ को 'हदीसे जिब्रील' कहते हैं।

बाब : (6) ईमान व इस्लाम का बयान

باب(٦): صِفَةِ الإِيمَانِ وَالإِسْلاَمِ

(4994) हज़रत अबू हुरैरह और हज़रत अबू ज़र(ﷺ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने सहाबा में इस तरह तशरीफ़ फ़रमा होते थे कि कोई अजनबी आदमी आता तो वह नहीं पहचान सकता था कि आप कौन से हैं यहाँ तक कि वह (आपकी बाबत) पूछता, इसलिये हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इजाज़त तलब की कि हम आपके बैठने के लिये मख़्सूस जगह बना दें ताकि अजनबी आदमी आये तो वह भी आपको पहचान सके। इजाज़त मिलने पर हमने आपके लिये मिट्टी का एक थड़ा बना दिया। आप उस पर तशरीफ़ फ़रमा होते थे। एक दफ़ा हम बैठे थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) भी अपने

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي فَرْوَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي، ذَرٍّ قَالاَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَجْلِسُ بَيْنَ ظَهْرَانَىْ أَصْحَابِهِ فَيَجِيءُ الْغَرِيبُ فَلاَ يَدْرِي أَيُّهُمْ هُوَ حَتَّى يَسْأَلَ فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجْلِسًا يَعْرِفُهُ الْغَرِيبُ إِذَا أَتَاهُ فَبَنَيْنَا لَهُ دُكَّانًا مِنْ طِينٍ كَانَ يَجْلِسُ

عَلَيْهِ وَإِنَّا لَجُلُوسٌ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسِهِ إِذْ أَقْبَلَ رَجُلٌ أَحْسَنُ النَّاسِ وَجْهًا وَأَطْيَبُ النَّاسِ رِيحًا كَأَنَّ ثِيَابَهُ لَمْ يَمَسَّهَا دَنَسٌ حَتَّى سَلَّمَ فِي طَرَفِ الْبِسَاطِ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ . فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ قَالَ أَدْنُو يَا مُحَمَّدُ قَالَ " ادْنُهْ " . فَمَا زَالَ يَقُولُ أَدْنُو مِرَارًا وَيَقُولُ لَهُ " ادْنُ " . حَتَّى وَضَعَ يَدَهُ عَلَى رُكْبَتَىْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الإِسْلاَمُ قَالَ " الإِسْلاَمُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ " . قَالَ إِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ أَسْلَمْتُ قَالَ " نَعَمْ " . قَالَ صَدَقْتَ . فَلَمَّا سَمِعْنَا قَوْلَ الرَّجُلِ صَدَقْتَ أَنْكَرْنَاهُ قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا الإِيمَانُ قَالَ " الإِيمَانُ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ " . قَالَ فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَقَدْ آمَنْتُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ " . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَا

मख़्सूस मक़ाम पर तशरीफ़ फ़रमा थे कि एक इन्तेहाई ख़ूबसूरत और ख़ूशबू में बसा हुआ एक आदमी आया। उसके कपड़ों को हल्का सा मैल कुचेल भी नहीं लगा था यहाँ तक कि उसने नीचे बिछी हूई चटाई के किनारे के पास आकर सलाम कहा और कहा: ऐ मुहम्मद! अस्सलामुअलैकुम! आप (ﷺ) ने उसे जवाब दिया। उसने कहा: ऐ मुहम्मद! मैं क़रीब आ सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'क़रीब आ जाओ।' वह बार बार इसी तरह कहता रहा: और क़रीब आ जाऊँ? और आप फ़रमाते रहे: 'क़रीब आ जाओ।' यहाँ तक कि उसने अपना हाथ रसूलुल्लाह (ﷺ) के मुबारक घुटनों पर रख दिया और कहा: ऐ मुहम्मद! मुझे बताइये: इस्लाम क्या है? आपने फ़रमाया: 'इस्लाम ये है कि तू ख़ालिस़ अल्लाह तआला की इबादत करे और उसके साथ किसी चीज़ को शरीक न समझे, नमाज़ क़ाइम करे, ज़कात अदा करे, बैतुल्लाह का हज करे और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे।' उसने कहा: जब मैं ये काम कर लूँ तो क्या मैं मुसलमान हो गया? आपने फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: आपने सच फ़रमाया। जब हमने उस शख़्स की ये बात सुनी तो हमने उस पर ताज्जुब किया (कि पूछता भी है और तस्दीक़ भी करता है) फिर उसने कहा: ऐ मुहम्मद! फ़रमाइये ईमान क्या है? आपने फ़रमाया: 'ईमान ये है कि तू अल्लाह तआला, उसके फ़रिश्तों, किताबों, नबियों और तक़दीर को दिल व जान से तस्लीम कर ले।' उसने कहा: जब मैं ये काम कर लूँगा तो क्या मैं मोमिन हो गया? आप ने फ़रमाया: 'हाँ' उसने कहा: आपने सच फ़रमाया। फिर कहने

الإِحْسَانُ قَالَ " أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ " . قَالَ صَدَقْتَ . قَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي مَتَى السَّاعَةُ قَالَ فَنَكَسَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا ثُمَّ أَعَادَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا ثُمَّ أَعَادَ فَلَمْ يُجِبْهُ شَيْئًا وَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ " مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ وَلَكِنْ لَهَا عَلاَمَاتٌ تُعْرَفُ بِهَا إِذَا رَأَيْتَ الرِّعَاءَ الْبُهَمَ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ وَرَأَيْتَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ مُلُوكَ الأَرْضِ وَرَأَيْتَ الْمَرْأَةَ تَلِدُ رَبَّهَا خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ اللَّهُ { إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ } إِلَى قَوْلِهِ { إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ } " . ثُمَّ قَالَ " لاَ وَالَّذِي بَعَثَ مُحَمَّدًا بِالْحَقِّ هُدًى وَبَشِيرًا مَا كُنْتُ بِأَعْلَمَ بِهِ مِنْ رَجُلٍ مِنْكُمْ وَإِنَّهُ لَجِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ نَزَلَ فِي صُورَةِ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ " .

लगा: ऐ मुहम्मद! बतलाइये: एहसान क्या है? आपने फ़रमाया: 'एहसान ये है कि तू अल्लाह तआला की इबादत इस तरह करे गोया तू अल्लाह तआला को देख रहा है। अगर तू उसे नहीं देखता तो वह तो तुझे देख रहा है।' वह कहने लगा: आपने सच फ़रमाया। फिर वह कहने लगा: ऐ मुहम्मद! मुझे बताइये: क़यामत कब आयेगी? आपने सर झुका लिया और उसे कुछ जवाब न दिया। उसने दोबारा फिर वही सवाल किया। आपने फिर कोई जवाब न दिया। उसने तीसरी दफ़ा फिर वही सवाल किया। आपने फिर भी कोई जवाब न दिया। फिर आपने अपना सर मुबारक उठाया और फ़रमाया: 'जिस शख़्स से क़यामत के बारे में पूछा गया है, वह पूछने वाले से ज़्यादा नहीं जानता लेकिन क़यामत की कुछ अलामात हैं जिनके साथ इसका पता चल जायेगा, जैसे: जब तू देखे कि बकरियाँ भेड़ों के चरवाहे इमारतें बनाने में एक दूसरे का फ़ख़रिया अन्दाज में मुक़ाबला कर रहे हैं और तू नंगे पाँव चलने वाले और नंगे जिस्म रहने वाले को ज़मीन का बादशाह बने देखे और देखे कि औरतें अपने मालिक जनने लगी हैं (तो फिर क़यामत का इन्तेज़ार कर) पाँच चीज़ें ऐसी हैं जिनको अल्लाह तआला के सिवा कोई नहीं जानता। फिर आपने ये आयत पढ़ी (इन्नल्लाह इन्दा .....) 'अल्लाह ही को क़यामत का इल्म है ....' फिर फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसने मुहम्मद (ﷺ) को सच्चा नबी बनाया जो रहनुमाई करने वाला और ख़ुशख़बरी देने वाला है! तुम्हारी तरह मैं भी उस आदमी को पहचान नहीं सका था। 'फिर मालूम

हुआ कि) वह जिब्रील (ﷺ) थे जो दिह्या कल्बी की सूरत में आये थे।'

(4994) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4698, सहीह मुस्लिम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'घुटनों पर रख दिया' बतौर एहतिराम आपके घुटने छूए। और इसमें कोई हर्ज नहीं। **(2)** 'भेड़ बकरियों के चरवाहे' अरब माहौल में भेड़ बकरियों के चरवाहों को फ़क़ीर और ज़लील ख़्याल किया जाता है, अलबत्ता ऊँटों वालों को मुअज़्ज़ज़ समझते थे। या इसलिये कि चरवाहे आम तौर पर गुलाम और नोकर होते थे। अरबी में लफ़्ज़ अरिंआअलबुहुम इस्तेमाल फ़रमाया गया है। इसके कई और मानी भी किये गये हैं, जैसे: काले रंग के चरवाहे या ग़ैर मारूफ़ चरवाहे या क़ल्लाश चरवाहे वग़ैरह। **(3)** 'पहचान नहीं सका था' आने वाले का अन्दाज़ ही ऐसा हैरान कुन था कि आख़िर वक़्त तक रसूलुल्लाह (ﷺ) को भी अन्दाज़ा न हो सका। वह तो उसके ग़ाइब हो जाने से मालूम हुआ कि ये तो फ़रिश्ता था। **(4)** 'दिह्या कल्बी की सूरत में' ये अल्फ़ाज़ शाज़ हैं और स्याक़े हदीस के ख़िलाफ़ हैं। अस़ल अल्फ़ाज़ वही हैं जो हज़रत उमर (رضي الله عنه) की रिवायत में हैं ला यअरिफ़ुहु मिन्ना अहदुन कि उसे हममें से कोई भी पहचानता नहीं था। इस वज़ाहत से मालूम हुआ कि ये अल्फ़ाज़ 'जो दिह्या कल्बी की सूरत में आये थे' दुरुस्त नहीं क्योंकि अगर वह हज़रत दिह्या (رضي الله عنه) की सूरत में आये होते, फिर तो पहचाने जाते। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 37/229)

बाब : (7)
अल्लाह तआला के फ़रमान : 'बदवी कहते हैं हम ईमान लाये, कह दीजिये: (अभी) तुममें ईमान नहीं आया बल्कि तुम कहो, हम मुसलमान हो गये' की तफ़्सीर

باب(٧): تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ { قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا قُل لَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَٰكِن قُولُوا أَسْلَمْنَا }

(4995) हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: नबी (ﷺ) ने कुछ लोगों को माल दिया लेकिन उनमें से एक आदमी को कुछ न दिया। सअद ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़ुलां और फ़ुलां को तो माल दिया है लेकिन फ़ुलां को कुछ नहीं दिया, हालांकि वह भी साहिबे ईमान है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، - وَهُوَ ابْنُ ثَوْرٍ - قَالَ مَعْمَرٌ وَأَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَعْطَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رِجَالاً وَلَمْ يُعْطِ

رَجُلاً مِنْهُمْ شَيْئًا قَالَ سَعْدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَلَمْ تُعْطِ فُلاَنًا شَيْئًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَوْ مُسْلِمٌ " . حَتَّى أَعَادَهَا سَعْدٌ ثَلاَثًا وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَوْ مُسْلِمٌ " . ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي لأُعْطِي رِجَالاً وَأَدَعُ مَنْ هُوَ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْهُمْ لاَ أُعْطِيهِ شَيْئًا مَخَافَةَ أَنْ يُكَبُّوا فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ " .

नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: '(बल्कि वह) मुसलमान है।' सअ़द ने अपनी बात तीन दफ़ा दोहराई। नबी-ए-अकरम(ﷺ) हर दफ़ा यही फ़रमाते थे: '(बल्कि वह) मुसलमान है।' फिर नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बसा औक़ात मैं कुछ लोगों को माल देता हूँ जब कि उन लोगों को छोड़ देता हूँ जो मुझे ज़्यादा प्यारे होते हैं। मैं उन्हें कुछ नहीं देता। (देता हूँ) इस ख़ौफ़ से कि कहीं वह जहन्नम में औंधे मुँह न गिराये जायें।'

(4995) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 27, मुस्लिम, हदीस: 150.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से मालूम होता है कि ईमान और इस्लाम की हक़ीक़त अलग अलग है, यानी इस्लाम ज़ाहिरी इन्क़ियाद व आमाल का नाम है जबकि ईमान यक़ीने क़ल्ब और तस्दीक़े लिसान के साथ साथ कमा हक़्क़हू उनके तक़ाज़े पूरे करने का नाम है। मतलब ये है कि ईमान, इस्लाम से आला व अरफ़अ दर्जा होता है और उसका ताल्लुक़ ज़ाहिरी इन्क़ियाद के मुक़ाबले में ईक़ाने क़ल्ब से ज़्यादा होता है। **(2)** ये हदीसे मुबारका उस अहम मसले की तरफ़ भी रहनुमाई करती है कि हतमी तौर पर किसी शख़्स के कामिल मोमिन होने की तस्दीक़ उस वक़्त तक नहीं करनी चाहिए जब तक उस पर शारेअ (ﷺ) की तरफ़ से वाज़ेह नस न हो। **(3)** इस हदीस से मुर्जिआ गुमराह फ़िर्क़े का भी सरीह तौर पर रद्द होता है जो ये अक़ीदा रखते हैं कि सिर्फ़ ज़बान से ईमान का इक़रार करने से इन्सान जन्नत में चला जायेगा, अमल करने की चन्दां (कुछ भी) ज़रूरत नहीं। **(4)** शरई हाकिम के लिये ये जायज़ है कि वह सरकारी माल में अपनी सवाबदीद के मुताबिक़ तसर्रुफ़ करे, किसी को दे किसी को न दे और किसी को कम दे किसी को ज़्यादा दे, और ज़ाहिरन अहम आदमी को छोड़ दे, उसकी निस्बत ग़ैर अहम को दे दे। शरई मसलिहत की बुनियाद पर ये सब कुछ किया जा सकता है, ख़्वाह रिआया और अवामुन्नास पर ये मामला मख़फ़ी ही हो। **(5)** हाकिम के यहाँ सिफ़ारिश करना दुरुस्त है बशर्ते कि वह सिफ़ारिश जायज़ हो। इसी तरह मक़ाम व मर्तबे के लिहाज़ से कम तर शख़्स, अपने से बरतर शख़्स को मश्वरा दे सकता है, ताहम नसीहत और ख़ैरख़्वाही का जज़्बा हो, और किसी के रू ब रू कहने के बजाये तन्हाई में हो, ये ज़्यादा मुअस्सिर होती है मगर ये कि हालात का तक़ाज़ा ऐलानिया बात करने का हो। **(6)** '(बल्कि वह) मुसलमान है' यानी तुम किसी शख़्स की ज़ाहिरी हालत ही को देखते हो,

लिहाज़ा तुम ज़ाहिर की गवाही दो। बातिन की अल्लाह जाने। कुछ ने मानी किये हैं 'बल्कि मुसलमान कहो' ये मानी भी किये गये हैं कि तुम सिर्फ़ मोमिन न कहो बल्कि यूँ कहो' वह मोमिन या मुसलमान है।' इस सूरत में अव् आतिफ़ा होगा और उसे अत्फ़ तल्क़ीनी कहते हैं कि तुम ये भी कहो। तीनों मानी ठीक हैं। (7) 'ख़ौफ़ से' इसका ताल्लुक़ शुरू जुम्ला के साथ है, यानी मैं कुछ लोगों को इसलिये देता हूँ कि उनका ईमान अभी कमज़ोर है। ख़तरा है कि वह मुर्तद न हो जायें और मुर्तद होना औंधे मुँह आग में गिरने के मुतरादिफ़ है जबकि पुख़्ता ईमान वाले शख़्स के बारे में कोई ख़तरा नहीं होता, लिहाज़ा कभी उसको नहीं भी देता तो वह महसूस नहीं करता है। मोमिन को माल की तमअ़ नहीं होती। मिल गया ख़ैर, न मिला तब भी ख़ैर।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلاَّمُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ قَسْمًا فَأَعْطَى نَاسًا وَمَنَعَ آخَرِينَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطَيْتَ فُلاَنًا وَمَنَعْتَ فُلاَنًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ . قَالَ " لاَ تَقُلْ مُؤْمِنٌ وَقُلْ مُسْلِمٌ " . قَالَ ابْنُ شِهَابٍ { قَالَتِ الأَعْرَابُ آمَنَّا } .

(4996) हज़रत सअ़द (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने माल तक़्सीम फ़रमाया, कुछ लोगों को दिया, कुछ को न दिया। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने फ़ुलां फ़ुलां को दिया, और फ़ुलां को नहीं दिया, हालांकि वह भी मोमिन है। आपने फ़रमाया: मोमिन न कहो, मुसलमान कहो।'

इब्ने शिहाब (ज़ोहरी) ने फिर ये आयत तिलावत की: (क़ालतिल ....) 'देहाती कहते हैं हम ईमान लाये'

(4996) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يُنَادِيَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ " أَنَّهُ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مُؤْمِنٌ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ " .

(4997) हज़रत बिश्र बिन सुहैम (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें अय्यामे तशरीक़ में ये ऐ़लान करने का हुक्म दिया कि जन्नत में सिर्फ़ मोमिन ही दाख़िल होगा, और ये दिन खाने पीने के हैं।

(4997) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, 4/335, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 2960.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अय्यामे तशरीक़' ज़ुलहिज्जा की 11, 12, 13 तारीख़ को कहते हैं। गोया ये ऐ़लान हज्जतुल विदा के मौक़े पर किया गया। (2) 'सिर्फ़ मोमिन ही' जिसका ईमान ज़बान से

आगे गुज़र कर दिल तक पहुँच गया। वही जन्नत का मुस्तहिक़ है और गुनाहगार मोमिन किसी न किसी वक़्त जन्नत में ज़रूर जायेगा, अलबत्ता काफ़िर जन्नत में नहीं जा सकेगा। (3) 'खाने पीने के दिन हैं' लिहाज़ा इन दिनों में रोज़ा न रखा जाये।

बाब : (8) मोमिन की सिफ़त का बयान

باب(٨): صِفَةِ الْمُؤْمِنِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ " .

(4998) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अस़ल मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ हों। और अस़ल मोमिन वह है जिससे लोगों को अपनी जान व माल के बारे में कोई ख़तरा न हो।'

(4998) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2627.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से मालूम हुआ कि मुसलमानों के मुख़्तलिफ़ दर्जे हैं। उनमें से कुछ तो दर्ज-ए-कमाल को पहुँचे हुये हैं और कुछ इस कमाल तक नहीं पहुँच पाये बल्कि इससे किसी क़द्र नीचे हैं। **(2)** जानी और माली हुक़ूक़ में अस़ल हुर्मत है, यानी उन्हें बग़ैर किसी शरई वजह के पामाल नहीं किया जा सकता, ताहम जब जान व माल के ज़रिये से शरई तक़ाज़े मजरूह किये जायें या इन्सान उसका सबब बन रहा हो तो फिर उसकी हुर्मत भी जाती रहती है, जैसे: अगर कोई शख़्स़ किसी का हाथ काट दे तो क़िसास़ में हाथ काटने वाले का हाथ काट दिया जायेगा या फिर उससे पचास ऊँट दियत ली जायेगी। इसके बरअक्स अगर कोई शख़्स़ एक ढाल चुरा ले या तीन दिरहम चुराये तो चोर का हाथ काट दिया जायेगा और वह भी दायाँ हाथ। अब एक हाथ की क़ीमत तो पचास ऊँट लगी है जबकि दूसरा स़िर्फ़ तीन दिरहम में कट गया है। इसकी वजह यही है कि पहला हाथ जिसकी क़ीमत पचास ऊँट लगी है वह मअ़स़ूम था जबकि दूसरा गुनाहगार था। उसने शरई तक़ाज़े मजरूह किये, इसलिये इसकी हुर्मत ख़ुद ब ख़ुद पामाल हो गई। **(3)** यहाँ मुसलमान और मोमिन से कामिल मुसलमान और कामिल मोमिन मुराद है वरना जिस शख़्स़ में ये औस़ाफ़ न पाये जायें, उसे भी मुसलमान और मोमिन कहा जायेगा। दरअस़ल आपने लफ़्ज़ी मानी की तरफ़ तवज्जा दिलाई है। इस्लाम सलामती से और ईमान अमन से है, लिहाज़ा हर मुसलमान और मोमिन को सलामती और अमन का पैकर होना चाहिए।

बाब : (9) मुसलमान की सिफ़त का बयान

باب(۹): صِفَةِ الْمُسْلِمِ

(4999) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'असल मुसलमान वह है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ हों और असल मुहाजिर वह है जो उन चीज़ों को छोड़ दे जिनसे अल्लाह तआला ने मना फ़रमाया है।'

(4999) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 10.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस इस बात का शौक़ दिलाती है कि एक मुसलमान शख़्स को हर हाल में ये कोशिश करनी चाहिए कि वह दूसरे मुसलमान को किसी क़िस्म की ईज़ा और तकलीफ़ न पहुँचाये बल्कि उसे दूसरे मुसलमान के लिये मुफ़ीद साबित होना चाहिए, मुज़िर और मूज़ी नहीं। **(2)** इमाम हसन बसरी (رحمه الله) से 'अबरार' नेक व पारसा शख़्स की तारीफ़ पूछी गई तो उन्होंने फ़रमाया: अबरार वह लोग होते हैं जो चींटी तक को ईज़ा नहीं पहुँचाते और मामूली शर और बुराई को पसन्द नहीं करते। **(3)** इस हदीसे मुबारका से मुर्जिआ गुमराह फ़िर्क़े का भी रद्द होता है जिनका अक़ीदा है कि कलिमा पढ़ने के बाद सब का इस्लाम कामिल ही होता है, किसी का नाक़िस नहीं होता। **(4)** 'मुहाजिर' हिज्रत से मक़सूद दीन की हिफ़ाज़त होती है। अगर कोई अपना घर बार छोड़ दे लेकिन अल्लाह तआला की नाफ़रमानी न छोड़े, उसकी हिजरत बे मक़सद है। अलबत्ता जो शख़्स अल्लाह तआला की नाफ़रमानी छोड़ देता है, ख़्वाह वह अपने घर में ही रहे, उसने हिजरत का मक़सद पूरा कर लिया। और असल मुहाजिर वह हुआ न कि सिर्फ़ घर छोड़ने वाला।

(5000) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स हमारी तरह नमाज़ पढ़े और हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुँह करे और हमारा ज़बह किया हुआ जानवर खाये, वह मुसलमान है।'

(5000) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 391.

أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَلَّى صَلاَتَنَا وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا فَذَلِكُمُ الْمُسْلِمُ " .

फ़ायदा : ये मुसलमान के ज़ाहिरी औसाफ़ हैं। शहादतैन की अदायगी के बाद इबादात में से नमाज़ ही ऐसी इबादत है जो इस्लाम की अलामत बन सकती है क्योंकि रोज़ा मख़्फ़ी चीज़ है जबकि ज़कात हर किसी पर फ़र्ज़ नहीं। वैसे भी वह साल में एक दफ़ा लागू होती है। हज तो है ही ज़िन्दगी भर में एक बार और वह भी हर एक पर फ़र्ज़ नहीं। फिर नमाज़ चूंकि तमाम अदयान में मौजूद है, इसलिये मुसलमानों की नमाज़ का इम्तियाज़ क़िब्ले से होगा क्योंकि हर दीन का अलग क़िब्ला होता है। इबादत के बाद मामलात और मुआशरत का दर्जा है। कुफ़्फ़ार के नज़दीक हलाल व हराम का कोई तसव्वुर नहीं था, और उनके नज़दीक ज़बीहा और मैता में कोई फ़र्क़ नहीं था। अल्लाह तआला के नाम पर ज़बह करना मुसलमानों की ख़ुसूसियत है, लिहाज़ा वह मुसलमान है जो अल्लाह तआला के नाम पर ज़बह शुदा जानवर खाये, ख़ुद ज़बह करे या कोई और करे। ये मुसलमानों की मुआशरती अलामत है और ज़ाहिर है। बाक़ी अलामात मख़्फ़ी हैं, इसलिये उनका ज़िक्र नहीं फ़रमाया। वल्लाहु आलम!

बाब : (10)
आदमी के इस्लाम की ख़ूबी और हुस्न

باب(١٠): حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ

(5001) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई शख़्स मुसलमान हो जाये और अच्छा मुसलमान बन जाये तो अल्लाह तआला उसकी हर वह नेकी (उसके नाम-ए-आमाल में) लिख देता है जो उसने अपने दौरे जाहिलियत में की होती है। और उसका हर वह गुनाह माफ़ कर दिया जाता है जो उसने उससे पहले किया होता है। फिर उसके बाद (उसको उसके आमाल का) बदला मिलेगा। नेकी का सवाब दस गुना से सात सो गुना तक होगा और बुराई का बदला बुराई के बराबर ही होगा। हाँ! अल्लाह (ﷻ) चाहे तो उसे भी माफ़ फ़रमा दे।'

(5001) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 41.

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْمُعَلَّى بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ صَالِحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا أَسْلَمَ الْعَبْدُ فَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَسَنَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا وَمُحِيَتْ عَنْهُ كُلُّ سَيِّئَةٍ كَانَ أَزْلَفَهَا ثُمَّ كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ الْقِصَاصُ الْحَسَنَةُ بِعَشْرَةِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّيِّئَةُ بِمِثْلِهَا إِلاَّ أَنْ يَتَجَاوَزَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهَا " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अच्छा मुसलमान बन जाये' यानी उसका दिल कभी उसकी ज़बान के मुवाफ़िक़ हो जाये और उसका इस्लाम ज़बान से गुज़र कर दिल और तमाम जिस्मानी आज़ा तक पहुँच

जाये। वह खरा, सच्चा और पक्का मुसलमान बन जाये, ज़ाहिरन भी और बातिनन भी, यानी न वह मुनाफ़िक़ रहे और न फ़ासिक़। (2) 'लिख देता है' गोया काफ़िर की नेकियाँ तब ज़ाया होती हैं जब वह कुफ़्र पर मरता है। अगर उसे हिदायत मिल जाये तो अल्लाह तआला उसकी गुज़िश्ता नेकियाँ बाक़ी रखता है। ये अल्लाह तआला का एहसान और फ़ज़्ल व करम है वरना नेकी की क़बूलियत के लिये शर्त है कि वह ईमान की हालत में हो, मगर तफ़्सील और एहसान के लिये कोई शर्त नहीं होती। जिस तरह नेकी का बदला सात सो गुना तक मिलना भी अल्लाह तआला का फ़ज़्ल व एहसान ही है वरना अक़्ल तो इस बात का तक़ाज़ा नहीं करती। (3) 'जज़ा व सज़ा' यानी इस्लाम लाने से पहले के गुनाह तो माफ़ हो जाते हैं लेकिन इस्लाम लाने के बाद वाले गुनाहों का बदला मिलेगा, मगर ये कि अल्लाह तआला माफ़ फ़रमा दे तो ये उसका फ़ज़्ल होगा। (ला युस्अलु अम्मा यफ़अलु वहुम युस्अलून) (अल अम्बिया: 21/23) और अल्लाह तआला के फ़ज़्ल ही की उम्मीद रखनी चाहिए।

बाब : (11)कौन सा इस्लाम अफ़ज़ल है?

باب(١١): أَيُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ

(5002) हज़रत अबू मूसा (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! कौन सा इस्लाम अफ़ज़ल है? आपने फ़रमाया: 'जिस शख़्स की ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफ़ूज़ रहें।

(5002) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 11, मुस्लिम, हदीस: 42.

أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأُمَوِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بُرْدَةَ، - وَهُوَ بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ - عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَىُّ الإِسْلاَمِ أَفْضَلُ قَالَ " مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ " .

फ़ायदा : इस बाब से मुसन्निफ़ (رحمہ اللہ) का मक़सूद ये है कि सब मुसलमान इस्लाम व ईमान में बराबर नहीं होते बल्कि किसी का इस्लाम व ईमान ज़्यादा होता है, किसी का कम। और ये कमी बेशी आमाल के लिहाज़ से भी होती है और क़ल्बी कैफ़ियत के लिहाज़ से भी। 'कौन सा इस्लाम अफ़ज़ल है' मतलब ये है कि अहले इस्लाम में से कौन अफ़ज़ल है।

बाब : (12) कौन सा इस्लाम बेहतर है?

باب(١٢): أَيُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ

(5003) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा कौन सा इस्लाम बेहतर है? आपने फ़रमाया:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَىُّ الإِسْلاَمِ خَيْرٌ قَالَ " تُطْعِمُ الطَّعَامَ وَتَقْرَأُ السَّلاَمَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ " .

'तू खाना खिलाये और हर एक को सलाम कहे, ख़्वाह पहचानता हो या न पहचानता हो।'

(5003) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 28, मुस्लिम, हदीस़: 39.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'कौन सा इस्लाम बेहतर है' यानी उमूरे इस्लाम में से कौन सा काम ज़्यादा बेहतर और अफ़ज़ल है। **(2)** इसमें जहाँ भूखों को खाना खिलाने की तर्ग़ीब दी गई है वहाँ मोहताज और ज़रूरतमन्द लोगों की दिलजोई की तरफ़ भी रहनुमाई की गई है। खाना खिलाना और दिल जोई करना लोगों को अपना गर्वीदा बनाने का एक तीर बहदफ़ नुस्ख़ा है। दीनदार लोगों, बिल ख़ुसूस उ़लमा को इस अहम नुक्ते की तरफ़ भरपूर तवज्जा देनी चाहिए। **(3)** इस हदीसे मुबारका से सलाम की अहमियत वाज़ेह होती है। लोगों के दिल मोहने और उन्हें अपने क़रीब करने के लिये ये बहुत ही मुफ़ीद और मुजर्रब चीज़ है। सलाम करने के लिये चन्द लोगों को ख़ास़ न किया जाये जैसा कि मुतकब्बिर और जाबिर क़िस्म के लोगों का तरीक़ा है बल्कि हर ख़ास़ व आ़म को सलाम किया जाये क्योंकि तमाम अहले ईमान आपस में भाई भाई हैं, ताहम किसी काफ़िर व मुशरिक और यहूदी व ईसाई को सलाम करने में पहल न की जाये और न किसी फ़ासिक़ व फ़ाजिर को पहले सलाम किया जाये, अलबत्ता जिस शख़्स़ की अस़ल हक़ीक़ते हाल मालूम न हो तो उसे मुसलमान समझते हुये सलाम कहने में पहल की जा सकती है। वल्लाहु आ़लम! **(4)** अफ़ज़ल अ़मल के मुताल्लिक़ मुख़्तलिफ़ रिवायात आई हैं। ये इख़्तिलाफ़ अश्ख़ास़ व अहवाल के लिहाज़ से है, लिहाज़ा इसे तज़ाद नहीं कहा जायेगा। (तफ़्स़ील के लिये देखिये हदीस़ नम्बर: 4989)

باب(١٣): عَلَى كَمْ بُنِيَ الإِسْلاَمُ

बाब : (13) इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، - يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ - عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، قَالَ لَهُ أَلاَ تَغْزُو قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " بُنِيَ الإِسْلاَمُ عَلَى

(5004) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने उनसे कहा: आप जिहाद के लिये क्यूँ नहीं जाते? उन्होंने कहा: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'इस्लाम की बुनियाद पाँच चीज़ें हैं: गवाही देना कि अल्लाह तआ़ला के सिवा कोई माबूद नहीं (और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह तआ़ला के रसूल हैं)नमाज़ पाबन्दी के

خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصِيَامِ رَمَضَانَ " .

साथ पढ़ना, ज़कात अदा करना, हज करना और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना।'

(5004) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 8, मुस्लिम, हदीस: 16/22.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मक़सद इस्लाम के वह सुतून और अरकान बयान करना है जिन पर इस्लाम की सारी इमारत क़ाइम है। और वह सिर्फ़ पाँच हैं: उनमें से पहला और सबसे अफ़ज़ल सुतून कलिम-ए-तौहीद की शहादत देना है। ये सबसे अफ़ज़ल इसलिये है कि जब तक काफ़िर उसकी शहादत न दे तो वह काफ़िर ही रहता है, मुसलमान नहीं बन सकता। मुसलमान होने के लिये ज़रूरी है कि ज़बान से कलिम-ए-शहादत का इक़रार करे। फिर दूसरे नम्बर पर नमाज़ है। ये हर अमीर व ग़रीब मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। **(2)** बाब का मफ़ाद ये है कि जिहाद फ़राइज़े ऐनिया में शामिल नहीं बल्कि फ़र्ज़े किफ़ाया है जिसकी अदायगी हुकूमते वक़्त का काम है। वह जितने अफ़राद को मुनासिब समझे, इस काम पर लगाये। जब ज़रूरत के मुताबिक़ अफ़राद इस काम पर मामूर हों और वह मुल्की दिफ़ा का फ़रीज़ा सरअंजाम दे रहे हों तो अवामुन्नास के लिये जिहाद में जाना ज़रूरी नहीं। वह अपने दूसरे काम करें। हाँ! ये एक फ़ज़ीलत है। अगर कोई शख़्स अपने फ़राइज़ की अदायगी के बाद हुकूमते वक़्त और मुताल्लिक़ा अफ़रादे ख़ाना की इजाज़त व रज़ामन्दी से जिहाद में शिर्कत करे तो उसे फ़ज़ीलत होगी। **(3)** ये पाँच अरकान इस्लाम हैं, यानी फ़र्ज़े ऐन हैं। शहादतैन की अदायगी के बग़ैर तो कोई शख़्स इस्लाम में दाख़िल ही नहीं हो सकता। नमाज़ भी हर बालिग़ व आक़िल पर ता'हयात फ़र्ज़ है, इससे किसी को मफ़र्र नहीं। ज़कात हर मालदार शख़्स पर फ़र्ज़ है जिसके पास उसकी ज़रूरत से ज़्यादा माल हो। (तफ़सील पीछे गुज़र चुकी है।) हज हर उस शख़्स पर फ़र्ज़ है जो आसानी के साथ बैतुल्लाह पहुँच सकता हो और उसके पास हज से वापसी तक के अख़राजात मौजूद हों। रमज़ानुल मुबारक के रोज़े हर आक़िल व बालिग़ पर फ़र्ज़ हैं। कोई उ़ज़्र हो तो क़ज़ा वाजिब होगी और अगर रखने की ताक़त न हो तो फ़िदिया वाजिब होगा। **(4)** रमज़ान के रोज़े का ज़िक्र आख़िर में इसलिये है कि ये तरकी इबादत है (इसमें कुछ करना नहीं पड़ता) वरना अहमियत के लिहाज़ से इसका दर्जा नमाज़ के बाद है। वैसे भी ये नमाज़ की तरह बदनी इबादत है। **(5)** तर्जुमा में क़ोसैन वाली इबारत इसी हदीस की दीगर असानीद से सराहतन मज़्कूर है। इसके बग़ैर कलिम-ए-शहादत मोतबर नहीं।

बाब : (14)
इस्लाम (के कामों) पर बैअत करना

باب(١٤): اَلْبَيْعَةِ عَلَى الإِسْلاَمِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ " تُبَايِعُونِي عَلَى أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلاَ تَسْرِقُوا وَلاَ تَزْنُوا " . قَرَأَ عَلَيْهِمُ الآيَةَ " فَمَنْ وَفَّى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ " .

(5005) हज़रत उबादा बिन सामित (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हम नबी-ए अकरम(ﷺ) के पास एक मज्लिस में मौजूद थे। आपने फ़रमाया: 'मुझ से बैअत करो कि अल्लाह तआला के साथ किसी को शरीक नहीं बनाओगे, चोरी नहीं करोगे, ज़िना नहीं करोगे।' आपने पूरी आयत तिलावत फ़रमाई। (फिर फ़रमाया): 'जो शख़्स इस अहद को पूरा करेगा, उसका अज्र व सवाब अल्लाह तआला के ज़िम्मे है। और जिस शख़्स ने इन (मज़्कूरा कामों) में से किसी काम का इर्तिकाब किया, फिर अल्लाह तआला ने इस पर पर्दा डाल दिया तो वह अल्लाह तआला की मर्ज़ी पर मौक़ूफ़ होगा। चाहे उसे अज़ाब दे, चाहे माफ़ करे।'

(5005) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4166.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये रिवायत पीछे गुज़र चुकी है और ज़रूरी तफ़्सील बयान हो चुकी है। बैअत से मुराद अहद है। नेकी के कामों पर बैअत रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाद सहाबा व ताबेईन ने किसी हाथ पर भी नहीं की यहाँ तक कि ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन के हाथ पर भी नहीं की, लिहाज़ा इस बैअत की अब ज़रूरत नहीं। अगरचे अक़्ली व शरई तौर पर इसमें कोई क़बाहत मालूम नहीं होती मगर सहाबा व ताबेईन का इसे मुत्लक़न छोड़ देना भी तो मज़बूत दलील है। **(2)** 'पूरी आयत पढ़ी' इस आयत से सूर-ए-मुमतहिना की आयत मुराद है जो औरतों की बैअत के बारे में उतरी थी। शायद आपने मुअन्नस के सेग़े मुज़क्कर से बदल लिये होंगे क्योंकि आप क़ुर्आन तो नहीं पढ़ रहे थे, अहद ले रहे थे, लिहाज़ा अल्फ़ाज़ में तब्दीली पर कोई ऐतराज़ नहीं हो सकता।

बाब : (15) लोगों के साथ कब तक जंग हो सकती है?

باب(١٥): عَلَى مَا يُقَاتَلُ النَّاسُ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمِ بْنِ نُعَيْمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ فَإِذَا شَهِدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا وَصَلَّوْا صَلاَتَنَا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا لَهُمْ مَا لِلْمُسْلِمِينَ وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْهِمْ " .

(5006) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझे कुफ़्फ़ार से लड़ने का हुक्म दिया गया है यहाँ तक कि वह ये गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मुहम्मद(ﷺ) अल्लाह तआला के रसूल हैं। जब वह ये गवाही दें कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मुहम्मद (ﷺ) अल्लाह तआला के रसूल हैं और हमारे क़िब्ले की तरफ़ मुँह (करके नमाज़ क़ाइम) करें, हमारा ज़बह शुदा जानवर खायें, हमारी तरह नमाज़ पढ़ें तो उनके जान व माल हम पर हराम हैं, मगर ये कि उन पर कोई हक़ बनता हो। उनके वही हुक़ूक़ होंगे जो मुसलमानों के हैं और उन पर वह फ़राइज़ आइद होंगे जो मुसलमानों पर आइद होते हैं।'

(5006) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3972.

फ़ायदा : तफ़सील के लिये देखिये, अहादीस: 3971, 3972, 5000.

बाब : (16) ईमान की शाख़ों का ज़िक्र

باب(١٦): ذِكْرِ شُعَبِ الإِيمَانِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، - وَهُوَ ابْنُ بِلاَلٍ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ " .

(5007) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ईमान की सत्तर से ज़्यादा शाख़ें हैं और हया भी ईमान की एक अहम शाख़ है।'

(5007) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 9, मुस्लिम, हदीस: 35.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि आमाल भी मुसम्मा 'ईमान' में दाख़िल हैं। ये अह्लुस्सुन्नह वल जमाअत का अक़ीदा है। और यही हक़ है जबकि कुछ लोग इसके क़ाइल नहीं। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम हुआ कि हया ईमान की एक शाख़ है क्योंकि हया से इन्सान के अन्दर नेकी का जज़्बा और आमाले सालेहा का दाइया पैदा होता है, ईमान के मुनाफ़ी उमूर से इन्सान पुख़्ता है और आला अख़्लाक़ व किरदार का हामिल बनता है। (3) ईमान को दरख़्त से तश्बीह दी गई है जो कि जड़, तने, टहनियों, शाख़ों, पत्तों, फलों और फूलों के मजमूए का नाम है। इसी तरह ईमान भी बहुत से अक़ाइद व आमाल और अख़्लाक़ के मजमूए का नाम है। अक़ीदे की हैसियत जड़ की है। अरकान की हैसियत तने और टहनियों की है। दीगर आमाल शाख़ों और पत्तों की हैसियत रखते हैं और अख़्लाक़ की हैसियत फूलों और फलों की है। अक़ीदे की ख़राबी का असर आमाल व अख़्लाक़ में ज़ाहिर होता है जिस तरह बीज और जड़ की ख़राबी पौधे की हर चीज़ पर असर अन्दाज़ होती है, और आमाल की कमी बेशी दरख़्त को नाक़िस बना देती है और अख़्लाक़ की ख़राबी दरख़्त की ज़ीनत पर असर डालती है। (4) 'सत्तर से ज़्यादा' गोया ईमान बहुत से आमाल के मजमूए का नाम है। सत्तर का लफ़्ज़ कसरत के लिये भी बोला जाता है। ज़्यादा कह कर मज़ीद कसरत की तरफ़ इशारा है। मुमकिन है मुअय्यन अदद मुराद हो। ज़्यादा तर्जुमा है बिज़्अुन का जो तीन से नो तक के अदद पर बोला जाता है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الإِيمَانُ بِضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَوْضَعُهَا إِمَاطَةُ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ " .

(5008) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ईमान की सत्तर से ज़्यादा शाख़ें हैं। उनमें से अफ़ज़ल कलिम-ए-तौहीद (व रिसालत) की अदायगी है। और उनमें से कम मर्तबा रास्ते से तकलीफ़देह चीज़ को दूर करना है। और हया भी ईमान की एक (अहम) शाख़ है।'

(5008) **तख़रीज : (सनद सही)** पिछली हदीस देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'शाख़ों' से मुराद अक़ाइद व आमाल और अख़्लाक़ हैं। (2) 'अफ़ज़ल' क्योंकि इसके बग़ैर ईमान मोतबर ही नहीं होता। (3) 'कम मर्तबा' यानी दर्जे और सवाब के लिहाज़ से या मेहनत और मशक़्क़त के लिहाज़ से या हुसूल व वजूद के लिहाज़ से। (4) 'तकलीफ़देह' जिस्मानी

तौर पर, जैसे रोड़े और काँटे वग़ैरह या रूहानी तौर पर, जेसे नजासत और बदबू वग़ैरह। वल्लाहु आलम!

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ " .

(5009) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हया ईमान का अहम हिस्सा है।'

(5009) **तख़रीज : (सनद सही)** पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : हया वह ख़स्लत है जो इन्सान को क़बीह बातों और कामों से रोकती है ताकि रुस्वाई न हो। लेकिन हया शरीयत के मुताबिक़ होनी चाहिए, जैसे: तलबे इल्म, हक़ गोई और नेक काम में हया नहीं होनी चाहिए। इस हदीस में हया का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिये है कि हया हर नेकी करने और बुराई से इज्तेनाब का सबब बनती है जैसा कि एक दूसरी रिवायत में है कि हया जिस चीज़ में भी हो, उसे मज़ीद और ख़ूबसूरत बना देती है और जिस चीज़ से निकल जाये, वह क़बीह बन जाती है। (मुसनद अहमद: 3/165, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 4185)

باب(١٧): تَفَاضُلِ أَهْلِ الإِيمَانِ

बाब : (17) अहले ईमान (दर्जात के लिहाज़ से) एक दूसरे से बढ़ कर हैं

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمَّارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مُلِئَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ " .

(5010) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के एक सहाबी से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अम्मार (ﷺ) किनारों तक ईमान से लबा लब भरा हुआ है।'

(5010) **तख़रीज : (सनद हसन)** अल हाकिम: 3/392, 393, इब्ने माजा, हदीस: 147, कश्फ़ुल आसार: 3/251, 252 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये अटल हक़ीक़त है कि ईमान में सब मोमिन एक जैसे नहीं होते, इसलिये उनका दर्जा और मर्तबा भी एक जैसा नहीं हो सकता। बाब का मक़सद भी यही है कि ईमान कम व बेश हो सकता है, और जो लोग ईमानी कइमनि जिब्रील 'मेरा ईमान हज़रत जिब्रील (ﷺ) के ईमान जैसा

है' के क़ाइल हैं, वह दुरुस्त नहीं कहते। ईमान में कमी बेशी क़तई अम्र है। (ईमान की तफ़्सीर के लिये देखिये, किताबुल ईमान) **(2)** 'किनारों तक' अरबी में लफ़्ज़ मुशाश इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी हड्डियों के आख़री किनारे हैं, जैसे: कुहनियाँ, घुटने, टख़ने, कंधे वग़ैरह। इसमें हज़रत अम्मार (ﷺ) की अज़ीम फ़ज़ीलत है कि ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) उनके ईमान की तारीफ़ फ़रमा रहे हैं। (ﷺ).

خْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ " .

(5011) हज़रत अबू सईद (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स बुरा काम होता देखे, वह उसे अपने हाथ से ख़त्म कर दे और अगर ताक़त न हो तो ज़बान के साथ रोके और अगर उसकी भी ताक़त न रखता हो तो अपने दिल से बुरा जाने। और ये (आख़री दर्जा) कमज़ोर तरीन ईमान है।

(5011) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 49.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका इस बात की दलील है कि अम्र बिल मारूफ़ और नह्य अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा सर अंजाम देना ज़रूरी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये फ़रमान फ़ल्युगय्यिर्हु 'इसे मिटा डाल' इसका बय्यिन सबूत है। लेकिन ये फ़र्ज़ीयत फ़र्ज़े क़िफ़ाया के तौर पर है जैसा कि अल्लाह तआला का फ़रमान है: 'तुममें से एक जमाअत ऐसी होनी चाहिए जो ख़ैर व भलाई की तरफ़ बुलाये और वह नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके।' (आले इमरान: 3/104) **(2)** अम्र बिल मारूफ़ और नह्य अनिल मुन्कर का फ़रीज़ा सरअंजाम देने वाले के लिये दो शर्तें हैं: एक ये कि उसे इल्म हो कि जिस बात का वह हुक्म दे रहा है वह शरअन 'मारूफ़' यानी नेकी ही है और जिस बात से वह रोक रहा है, शरीयत में वह वाक़ेई 'मुन्कर' यानी नारवा और नाजायज़ काम है। इससे मालूम हुआ कि कोई जाहिल ये फ़रीज़ा अंजाम नहीं दे सकता। **(3)** अम्र बिल मारूफ़ और नह्य अनिल मुन्कर के कुछ मरातिब व दर्जात हैं: पहला दर्जा ये है कि बुराई को हाथ से रोका जाये। ज़बान से रोकना दूसरा दर्जा है। कम ज़ोर तरीन और आख़री दर्जा ये है कि सिर्फ़ दिल में बुरा समझे। अगर ये भी नहीं है तो फिर उसके पल्ले में कुछ भी नहीं। ऐसा शख़्स ईमान से ख़ाली है, ताहम इसके लिये हिक्मते अमली से काम लेना ज़रूरी है। लड़ाई झगड़े से इज्तेनाब ज़रूरी है क्योंकि इसके नुक़सानात, फ़वाइद से ज़्यादा हैं। **(4)** 'अपने हाथ से ख़त्म करे' का तलब है कि अगर वह साहिबे इक़्तेदार हो क्योंकि आम आदमी को क़ानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं वरना इससे अनारकी और बद अमनी पैदा होगी। हुदूद का निफ़ाज़ भी हुकूमते वक़्त की ज़िम्मेदारी है। अफ़राद उन्हें नाफ़िज़ नहीं कर सकते और न वह उसके मुकल्लफ़ हैं। तभी नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इस्तेताअत और ताक़त की शर्त

लगाई है। (5) 'ज़बान के साथ' ये हर शख़्स की ज़िम्मेदारी है क्योंकि ज़बान का इस्तेमाल तो हर शख़्स के इख़्तियार में है, मगर ये कि मर्तबा कम हो, जैसे: औलाद माँ बाप के सामने, शागिर्द उस्ताद के सामने, महकूम हाकिम के सामने और गुलाम आक़ा के सामने बोलने की ताक़त नहीं रखते। या जब जान जाने का ख़तरा हो जैसा कि आगे हदीस में आ रहा है। (6) 'कमज़ोर तरीन ईमान 'मालूम हुआ ईमान क़वी और कमज़ोर हो सकता है। यही बाब का मक़सद है। आख़री दर्जे को कमज़ोर तरीन कहना बुराई के ख़ातमे के लिहाज़ से है, यानी इससे बुराई ख़त्म होने का इम्कान बहुत कम है। बाक़ी रहा सवाब के लिहाज़ से तो वह दूसरों के बराबर भी हो सकता है क्योंकि हर शख़्स अपने मर्तबे और फ़राइज़ के हिसाब ही से जवाबदेह है। (ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा) (अल बक़र: 2/286)

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، قَالَ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ رَأَى مُنْكَرًا فَغَيَّرَهُ بِيَدِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِيَدِهِ فَغَيَّرَهُ بِلِسَانِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يُغَيِّرَهُ بِلِسَانِهِ فَغَيَّرَهُ بِقَلْبِهِ فَقَدْ بَرِئَ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ " .

(5012) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضی اللہ عنہ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स बुराई होती देखे और अपने हाथ से रोक दे, वह (गुनाह से) बरी हो गया। जो हाथ से रोकने की ताक़त न रखे और ज़बान से रोक दे, वह भी (गुनाह से) बरी हो गया। और जो शख़्स ज़बान से रोकने की ताक़त न रखे लेकिन दिल से बुरा समझे, वह भी (गुनाह से) बरी है। और ये कमजोर तरीन ईमान है।'

(5012) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : 'गुनाह से बरी है' मालूम हुआ गुनाह होता देखना भी गुनाह है, मगर ये कि अपना शरई फ़रीज़ा अदा कर दे।

باب(١٨): زِيَادَةُ الإِيمَانِ

बाब : (18) ईमान बढ़ने का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

(5013) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'तुम दुनिया में अपने हक़ की ख़ातिर इतना नहीं झगड़ते जितना झगड़ा मोमिन अपने रब तआला से अपने उन मुसलमान भाईयों के बारे में करेंगे जो आग में

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مُجَادَلَةُ أَحَدِكُمْ فِي الْحَقِّ يَكُونُ لَهُ فِي الدُّنْيَا بِأَشَدَّ مُجَادَلَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ فِي إِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ أُدْخِلُوا النَّارَ قَالَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِخْوَانُنَا كَانُوا يُصَلُّونَ مَعَنَا وَيَصُومُونَ مَعَنَا وَيَحُجُّونَ مَعَنَا فَأَدْخَلْتَهُمُ النَّارَ قَالَ فَيَقُولُ اذْهَبُوا فَأَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ مِنْهُمْ قَالَ فَيَأْتُونَهُمْ فَيَعْرِفُونَهُمْ بِصُوَرِهِمْ فَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ النَّارُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ إِلَى كَعْبَيْهِ فَيُخْرِجُونَهُمْ فَيَقُولُونَ رَبَّنَا قَدْ أَخْرَجْنَا مَنْ أَمَرْتَنَا قَالَ وَيَقُولُ أَخْرِجُوا مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ دِينَارٍ مِنَ الْإِيمَانِ ثُمَّ قَالَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ نِصْفِ دِينَارٍ حَتَّى يَقُولَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ وَزْنُ ذَرَّةٍ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْ فَلْيَقْرَأْ هَذِهِ الْآيَةَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ إِلَى عَظِيمًا

दाख़िल किये जायेंगे। वह (मोमिन) कहेंगे: ऐ हमारे रब! ये हमारे वह मुसलमान भाई हैं जो हमारे साथ नमाज़ें पढ़ते थे, रोज़े रखते थे और हज करते थे। तूने उनको आग में डाल दिया है? अल्लाह तआला फ़रमायेगा: जाओ जिन्हें तुम पहचानते हो, उनको निकाल लाओ। वह जायेंगे और उनको उनकी सूरतों से पहचानेंगे। उनमें से किसी को निस्फ़ पिण्डलियों तक आग लगी होगी और किसी को टखनों तक। वह उनको निकाल लायेंगे और कहेंगे: ऐ हमारे रब! जिनके बारे में तूने फ़रमाया था, वह तो हमने निकाल लिये। अल्लाह तआला फ़रमायेगा: उनको भी निकालो जिनके दिल में एक दीनार के बराबर भी ईमान है। फिर फ़रमायेगा: (उनको भी निकालो) जिनके दिल में निस्फ़ दीनार के बराबर ईमान है यहाँ तक कि फ़रमायेगा: (उनको भी निकालो) जिनके दिल में ज़र्रा भर भी ईमान है।' हज़रत अबू सईद ख़ुदरी ने फ़रमाया: जो शख़्स इस हदीस की तस्दीक़ में मुतज़ब्ज़ब हो, वह ये आयत पढ़ ले (इन्नल्लाह ला यग़फिरु अय्युशरक बिही....) 'यक़ीनन अल्लाह तआला ये तो माफ़ नहीं फ़रमायेगा कि उसके साथ किसी को शरीक ठहराया जाये, अलबत्ता उससे कम दूसरे गुनाह जिसको चाहेगा, माफ़ फ़रमायेगा ..' आख़िर आयत तक।

(5013) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 60, मिन हदीस अब्दुर्रज़्ज़ाक़.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से साबित हुआ कि अहले ईमान, यानी मोमिन सिफ़ारिश करेंगे। उनकी शफ़ाअत बरहक़ है, और उनकी सिफ़ारिश क़बूल होगी। (2) इस हदीस से बाहम मोहब्बत करने की फ़ज़ीलत भी साबित होती है कि मोमिन, उस दिन जिस दिन माल व औलाद कोई

फ़ायदा नहीं देंगे, अपने मुसलमान भाईयों के लिये बारगाहे इलाही में झगड़ेंगे। उस पर उन्हें आमादा करने वाली चीज़ बाहमी मोहब्बत होगी जो अल्लाह तआला की रज़ा के लिये एक दूसरे से किया करते थे। **(3)** गुनाहों और बद आमालियों के तफ़ावुत और फ़र्क़ की बिना पर जहन्नमियों के माबैन भी फ़र्क़ होगा। कोई जहन्नम के सख़्त तरीन तब्क़े में और कोई उससे कम तर दर्जे में, कुछ लोगों को निस्फ़ पिण्डलियों तक आग लगी होगी और कुछ को टख़नों तक। **(4)** इस में अल्लाह तआला की बेइन्तेहा वसीअ रहमत का भी ज़िक्र है कि वह किसी का मामूली से मामूली अमल भी ज़ाया नहीं करता। **(5)** इस हदीस़ से ये भी मालूम होता है कि शिर्क तमाम गुनाहों से बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं। यही वजह है कि शिर्क किसी सूरत माफ़ नहीं होगा। इसके अलावा जितने कबीरा गुनाह हैं उनकी माफ़ी मुमकिन है। मरने के बाद शिर्क की माफ़ी ही नहीं, इसलिये मुशरिक व काफ़िर हमेशा जहन्नम में रहेंगे। जुम्हूर अहले इल्म ने इसी आयते करीमा से इस्तेदलाल किया है कि क़ातिल की माफ़ी भी मुमकिन है। दीगर कबीरा गुनाहों की तरह वह भी अल्लाह तआला की मशियत के तहत है, अगर वह चाहे तो नाहक़ क़त्ल करने वाले क़ातिल को भी माफ़ फ़रमा दे। यही हक़ है जबकि हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷻ) ऐसे क़ातिल की माफ़ी के क़ाइल नहीं। कहा जाता है कि उन्होंने इससे रुजूअ कर लिया था लेकिन तहक़ीक़ की रोशनी में उनके रुजूअ का इस्बात मुश्किल है। वल्लाहु आलम! **(6)** 'पहचानेंगे' गोया आग उनके चेहरों को नहीं लगेगी जैसा कि आइन्दा कलाम से मालूम हो रहा है क्योंकि चेहरा तो सज्दे का मक़ाम है। वह नमाज़ी होंगे। आग नमाज़ के मक़ामात को नहीं छूऐगी या उनमें बिगाड़ पैदा नहीं कर सकेगी। **(7)** 'हमने निकाल लिये' मक़सद ये है कि अभी बहुत से और मोमिन भी आग में जल रहे हैं। उनको भी निकालने का हुक्म सादिर फ़रमाया जाये। **(8)** इमाम साहिब का मक़सद ईमान में कमी बेशी साबित करना है जो हदीस़ से वाज़ेह है। (दीनार के बराबर, निस्फ़ दीनार के बराबर, ज़र्रा बराबर) जो लोग ईमान में कमी बेशी के क़ाइल नहीं, वह ये कमी बेशी आमाल की तरफ़ मन्सूब करते हैं, हालांकि वह ख़ुद ईमान को दिल ही से ख़ास समझते हैं। आमाल का अस़र तो आज़ा पर होगा। **(9)** 'दीनार' सोने का एक सिक्का था जिसका वज़न मौजूदा दौर के मुताबिक़ चार माशे चार रत्ती और ग्राम के हिसाब से 4.374 ग्राम बनता है। **(10)** ज़र्रा से मुराद गुबार का ज़र्रा है। कुछ ने चींटी का मानी भी किया है। वल्लाहु आलम!

(5014) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷻ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं एक दफ़ा सोया हुआ था कि (ख़्वाब में) देखा लोग मुझ पर पेश किये जा रहे हैं। उन्होंने क़मीसें पहन रखी हैं। कुछ (तो इतनी छोटी हैं कि)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلٍ أَنَّهُ

سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ عَلَيَّ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرِضَ عَلَيَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ قَالَ فَمَاذَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الدِّينَ

पिस्तानों तक ही पहुँचती हैं और कुछ उनसे नीचे हैं। उमर बिन ख़त्ताब मुझ पर पेश किये गये तो उन पर इतनी लम्बी क़मीस़ थी कि ज़मीन पर घिसट रही थी।' स़हाब-ए-किराम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने इसकी क्या ताबीर फ़रमाई है? आपने फ़रमाया: 'दीन'

(5014) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 23, मुस्लिम, हदीस़: 2390.

फ़वाइद व मसाइल : (1) एक काम आलमे बेदारी में मज़मूम हो तो ख़्वाब में वही काम महमूद और पसन्दीदा हो सकता है, जैसे क़मीस़ नीचे तक घसीटना। जागते हुये ये काम शरअन मज़मूम और नाजायज़ है जबकि नींद में इसे महमूद व पसन्दीदा क़रार दिया गया है। यही वजह है कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इसकी ताबीर कमाले दीन फ़रमाई है। **(2)** इस हदीस़े मुबारका से ख़्वाब की ताबीर की मशरूइयत स़ाबित होती है, और स़ही मुअब्बिर से ख़्वाब की ताबीर पूछी जा सकती है। **(3)** किसी फ़ाज़िल और दीनदार शख़्स की तारीफ़ सामेईन के सामने की जा सकती है बशर्ते कि उस फ़ाज़िल शख़्सियत के ग़जब व तकब्बुर में मुब्तला होने का अन्देशा न हो जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत उमर फ़ारूक़ (رضی الله عنه) के मुताल्लिक़ सामेईन को बतला दिया, और इससे सय्यदना उमर बिन ख़त्ताब (رضی الله عنه) की फ़ज़ीलत भी स़ाबित होती है। **(4)** क़मीस़ इन्सानी बदन के उयूब व नक़ाइस़ और क़बाइह की पर्दापोशी करती है और इन्सान को जीनत बख़्शती है दीन भी इन्सानी उयूब को खत्म करता है और इन्सान को मुहज़्ज़ब बनाता है, इसलिये आपने क़मीस़ से दीन मुराद लिया। **(5)** मुहद्दिस़ीन के नज़दीक दीन, ईमान और इस्लाम एक ही चीज़ का नाम है, लिहाज़ा ईमान की कमी बेशी के बाब में दीन का ज़िक्र दुरुस्त है। और इस हदीस़ में दीन की कमी बेशी साफ़ स़ाबित हो रही है।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْسٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَءُونَهَا لَوْ عَلَيْنَا

(5015) हज़रत तारिक़ बिन शिहाब (رضی الله عنه) से मरवी है कि एक यहूदी शख़्स हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضی الله عنه) के पास आया और कहा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! तुम्हारी किताब (क़ुरआन मजीद) में एक आयत है जिसे तुम पढ़ते हो। अगर वह हम यहूदियों पर नाज़िल हुई होती तो हम उस (के नुज़ूल) के दिन

مَعْشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا قَالَ أَيُّ آيَةٍ قَالَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَقَالَ عُمَرُ إِنِّي لَأَعْلَمُ الْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ وَالْيَوْمَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ نَزَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَرَفَاتٍ فِي يَوْمِ جُمُعَةٍ

को त्यौहार बना लेते। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: कौन सी आयत? उसने कहा: (अल यौम अक्मल्तु लकुम दीनकुम ......) 'आज मैंने तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और अपना एहसान तुम पर पूरा कर दिया और तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन के तौर पर पसन्द फ़रमाया।' हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं उस जगह को भी जानता हूँ जिसमें ये आयत उतरी है और उस दिन को भी। ये आयत रसूलुल्लाह (ﷺ) पर ब मक़ाम अरफ़ात जुम्अतुल मुबारक के दिन उतरी।

(5015) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 3005.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'त्यौहार बना लेते' क्योंकि किसी उम्मत के लिये तक्मीले दीन एक बहुत बड़ा एज़ाज़ व इनाम है जो उम्मते मुहम्मदिया को नसीब हुआ। **(2)** 'जानता हूँ' यानी हमारे यहाँ वह दिन ही त्यौहार नहीं बल्कि मक़ामे नुज़ूल भी क़यामत तक के लिये ईदगाह बन चुका है। यक़ीनन हर साल इस मक़ाम पर इस दिन इतना बड़ा इज्तेमा किसी और क़ौम के तसव्वुर में भी नहीं आ सकता। वल हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक! **(3)** 'मुकम्मल फ़रमाया' गोया पहले नाक़िस था। और दीन की कमी बेशी ईमान की कमी बेशी को मुस्तलज़िम है क्योंकि दीन के हर हिस्से पर ईमान लाना ज़रूरी है।

باب(١٩): عَلَامَةُ الْإِيمَانِ

बाब : (19) ईमान की निशानी

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ يَعْنِي ابْنَ الْمُفَضَّلِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

(5016) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स साहिबे ईमान नहीं हो सकता यहाँ तक कि मैं उसे उसकी औलाद, माँ बाप और सब लोगों से ज़्यादा प्यारा न हो जाऊँ।'

(5016) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 15, मुस्लिम, हदीस: 44/70.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़सद ये बयान करना है कि रसूले करीम (ﷺ) के साथ सबसे बढ़ कर मोहब्बत करना आदमी के कमाले ईमान की

अ़लामत और दलील है। (2) 'ज़्यादा प्यारा' यहाँ मोहब्बत से अ़क़्ली मोहब्बत मुराद है जिसका दूसरा नाम इताअ़त है। वैसे भी मोहब्बत का इल्म इताअ़त के ज़रिये ही होता है। मोहब्बत तो मख़्फ़ी चीज़ है जिसका झूठा दावा भी किया जा सकता है। मोहब्बत की तस्दीक़ इताअ़त ही से होती है। इरशादे बारी तआला है: (कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फ़त्तबिऊ़नी) (आले इमरान: 3/31) मतलब ये है कि अगर रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान और अपनी औलाद या वालिदैन या अपनी दिली ख़्वाहिश के माबैन तसादुम पैदा हो तो बहरसूरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़रमान ही को तर्जीह दी जाये। फ़िदाहु अबी व नफ़्सी व रूही

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَعِيلُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ ح وَأَنْبَأَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ وَأَهْلِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

(5017) हज़रत अनस (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स मोमिन नहीं बन सकता यहाँ तक कि मैं उसे उसके अहल व अ़याल और माल व मनाल और सब लोगों से बढ़ कर महबूब न हो जाऊँ।'

(5017) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, साबिक़, बुख़ारी, हदीस: 15.

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هُرْمُزَ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ

(5018) हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का इरशादे गिरामी है: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! तुममें से कोई शख़्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक मैं उसके नज़दीक उसकी औलाद और वालिदैन से बढ़ कर महबूब न बन जाऊँ।'

(5018) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 14.

أَخْبَرَنَا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ

(5019) हज़रत अनस (رضی اللہ عنہ) से मरवी है कि अल्लाह के नबी (ﷺ) का फ़रमान मुबारक है: 'तुममें से कोई शख़्स सच्चा मोमिन नहीं बन सकता यहाँ तक कि वह अपने भाई के लिये वही चीज़ पसन्द करे जो वह अपने लिये करता है।'

(5019) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 13, मुस्लिम, हदीस: 45.

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** इस हदीसे मुबारका से ये मालूम हुआ कि ऐसा करने वाला शख़्स मुतवाज़ेअ होता है। जब कोई शख़्स अपने मुसलमान भाई के लिये भी नेकी और अच्छाई के वही जज़्बात व एहसासात रखता हो जो वह अपने लिये रखता है और अपने मुसलमान भाई के लिये भी वही कुछ पसन्द करता हो जो वह अपने लिये करता है तो ये अमल और जज़्बा इस बात की दलील है कि ऐसा करने वाला शख़्स न मुतकब्बिर है और न कीना परवर ही। ऐसे शख़्स के दिल में किसी के लिये न हसद और बुग़्ज़ की बीमारियाँ पल रही होती हैं और न उसके दिल में किसी क़िस्म का कोई खोट और मनफ़ी जज़्बा ही होता है। ये शख़्स तमाम मज़मूम और घटिया ख़साइल से कोसों दूर और ख़साइले हमीदा का पैकर होता है ऐसे शख़्स के अख़लाक़ इन्तेहाई करीमाना होते हैं। अल्लाह तआला हमें भी ऐसे सिफ़ाते जलीला का हामिल दिल अता फ़रमाये। आमीन! **(2)** 'वही चीज़' यानी उस जैसी क्योंकि वही चीज़ तो हर वक़्त नहीं दी जा सकती और न ये मुमकिन है। **(3)** साबिक़ा अहादीस में रसूलुल्लाह (ﷺ) की मोहब्बत को ईमान की निशानी बतलाया गया था और यहाँ ख़ुलूस और ख़ैरख़्वाही को। गोया ये दोनों निशानियाँ हैं। आगे मज़ीद भी आ रही हैं। उनमें कोई तनाक़ुज़ नहीं। ये सब ईमान के समरात हैं, और याद रहे कि ये निशानियाँ कमाले ईमान के लिये हैं।

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنٍ وَهُوَ الْمُعَلِّمُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ

(5020) हज़रत अस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मुहम्मद (ﷺ) की जान है! तुममें से कोई शख़्स (उस वक़्त तक) मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपने (हर मुसलमान) भाई के लिये इसी तरह ख़ैर व भलाई पसन्द न करे जिस तरह अपने लिये करता है।'

(5020) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, मुस्लिम, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : ख़ैर व भलाई से दुनिया व उक़्बा की हर ख़ैर व भलाई मुराद है, ताआत से लेकर जन्नत तक।

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَدِيٍّ

(5021) हज़रत ज़िर्र (बिन हुबैश) से रिवायत है कि हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: नबी-ए

عَنْ زِرٍّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِنَّهُ لَعَهْدُ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَنَّهُ لَا يُحِبُّكَ إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يَبْغُضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ

अकरम (ﷺ) मुझे इरशाद फ़रमाया करते थे कि तुझसे मोमिन ही मोहब्बत करेगा और तुझ से मुनाफ़िक़ ही बुग़्ज़ रखेगा।

(5021) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 78.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नबी-ए-उम्मी' उम्मी आपका वह अज़ीम वस्फ़ है जो पहली किताबों में भी मरक़ूम था। उम्मी निस्बत है उम्मुल क़ुरा (मक्का) की तरफ़ जो आपका मौलिद व मस्कन था और जहाँ आपको नबुवत व रिसालत के ओहद-ए-जलीला पर फ़ाइज़ किया गया था। या ये निस्बत है उम्म (माँ) की तरफ़ कि आप किसी स्कूल व मक्तब से नहीं पढ़े और न किसी उस्ताद के सामने ज़ानू-ए-तलम्मुज़ तह किया बल्कि आपका तर्बीयत कुनिन्दा, फ़ैज़ रसां और इल्म बख़्शने वाला सिर्फ़ आप का रब्बे जलील व अज़ीम ही है और ये बहुत अज़मत वाली बात है और अज़ीम मोजिजा भी कि आपने किसी से पढ़े बग़ैर सारी दुनिया को इल्म से मुनव्वर फ़रमाया। और आपके शागिर्द जहान के मुअल्लिम बने। (ﷺ). **(2)** 'मोमिन होगा' बशर्ते कि उसकी मोहब्बत की बिना ये हो कि हज़रत अली(رضي الله عنه) इब्ने अम्मे रसूल थे। आप पर इब्तेदाई इस्लाम लाने वाले थे। सारी ज़िन्दगी आपके जाँ निसार रहे। सब जंगों में शिर्कत की। फिर आपके दामाद बनने का शर्फ़ हासिल किया। चौथे ख़लीफ़ा बने। अगर कोई शख़्स किसी ज़ाती ताल्लुक़ की बिना पर उनसे मोहब्बत करता है तो वह उस ख़ुशख़बरी के तहत नहीं आयेगा। **(3)** 'मुनाफ़िक़ होगा' बशर्ते कि उसका हज़रत अली (رضي الله عنه) से बुग़्ज़ आपकी उन ख़ुसूसियात की बिना पर ही हो जिनका ज़िक्र ऊपर हुआ। अगर किसी ज़ाती झगड़े की बिना पर नाराज़ी हो तो वह इस वईद के तहत नहीं आयेगा।

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبْرٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُبُّ الْأَنْصَارِ آيَةُ الْإِيمَانِ وَبُغْضُ الْأَنْصَارِ آيَةُ النِّفَاقِ

(5022) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अन्सार से मोहब्बत ईमान की निशानी है और अन्सार से बुग़्ज़ निफ़ाक़ की निशानी है।'

(5022) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 74, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 17.

फ़ायदा : 'निशानी है' लेकिन ये तब है जब अन्सार से मोहब्बत या बुग़्ज़ उनके अन्सार (मददगारे नबी) होने की वजह से हो। अगर किसी नसबी ताल्लुक़ की वजह से मोहब्बत हो या किसी झगड़े की बिना पर उनसे नाराज़ी हो तो वह उस हदीस के तहत दाख़िल नहीं क्योंकि उनका नाम अन्सार, रसूले अकरम (ﷺ) की मदद व नुसरत की बिना पर रखा गया वरना तो वह औस और ख़ज़रज थे।

बाब : (20) मुनाफ़िक़ की अलामत

باب(٢٠): عَلَامَةُ الْمُنَافِقِ

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا أَوْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ الْأَرْبَعِ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

(5023) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'चार ख़स्लतें ऐसी हैं कि जिस शख़्स में (सबकी सब) पाई जायें, वह (ख़ालिस) मुनाफ़िक़ होगा और जिस शख़्स में इन चारों में से कोई एक पाई जाये, उसमें निफ़ाक़ की एक ख़स्लत होगी यहाँ तक कि वह उसे छोड़ दे: (1) जब बात करे तो झूठ बोले। (2) जब वादा करे तो ख़िलाफ़वर्ज़ी करे। (3) जब अ़हद करे तो बेवफ़ाई करे। (4) जब लड़ाई झगड़ा करे तो गाली बके।'

(5023) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 2459, मुस्लिम, हदीस़: 58.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस़ से स़ाबित होता है कि एक मुसलमान शख़्स को अख़्लाक़े रज़ीला से इज्तेनाब करना चाहिए बिल ख़ुसूस वह बुरे आमाल जिनका हदीस़ में ज़िक्र हुआ है, ये चीज़ें अ़मली निफ़ाक़ को मुस्तलज़िम हैं जो तक़ाज़ा-ए-ईमान के बिल्कुल मुनाफ़ी हैं। क़ुर्आन व हदीस़ में कुछ और अ़लामाते निफ़ाक़ भी मज़्कूर हैं, जैसे: नमाज़ में सुस्ती करना, दिखलावे की इबादत करना, दीनी मामलात में तज़ब्ज़ुब का शिकार होना, और ज़ाती मफ़ादात ही को पेशे नज़र रखना वग़ैरह, ताहम इस हदीस़े मुबारका में बतौर ख़ास़ जिन चार चीज़ों का ज़िक्र किया गया है उनका ताल्लुक़ लोगों के आ़म बाहमी मामलात से है और उ़मूमन उन्हीं मामलात में उतार चढ़ाव बाहमी इख़्तिलाफ़ व फ़साद का सबब बनता है, इसलिये शरीयते मुतह्हरा ने इन अ़लामात को नुमायाँ तौर पर ज़िक्र किया है। वल्लाहु आ़लम! **(2)** यहाँ मुनाफ़िक़ से ऐतक़ादी मुनाफ़िक़ मुराद नहीं कि उसे दाइर-ए-इस्लाम ही से ख़ारिज क़रार दे दिया जाये क्योंकि इस (ऐतक़ादी मुनाफ़िक़) का इल्म वही के बग़ैर नहीं हो सकता, बल्कि इससे अ़मली मुनाफ़िक़ मुराद है, यानी जिसके काम मुनाफ़िक़ों जैसे हों। और ये काम वाक़ेई मुनाफ़िक़ों के हैं। मतलब ये है कि ऐसा शख़्स अ़मली मुनाफ़िक़ होता है, और ये उस वक़्त है जब ये ख़सलतें उसमें पुख़्ता हों और वह उनका आ़दी बन जाये, यानी जब भी बात करे, झूठ ही बोले। जब भी वादा करे, ख़िलाफ़वर्ज़ी ही करे। जब भी अ़हद करे, तोड़ दे वग़ैरह क्योंकि कभी कभार झूठ या वादा ख़िलाफ़ी या गाली गलोच तो हर एक से हो सकते हैं। इतने से किसी को मुनाफ़िक़ नहीं कहा जायेगा।

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُهَيْلٍ نَافِعُ بْنُ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ آيَةُ النِّفَاقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

(5024) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुनाफ़िक़ की निशानियाँ तीन हैं: जब बात करे, झूठ बोले। जब वादा करे तो ख़िलाफ़वर्ज़ी करे। जब उसके पास अमानत रखी जाये तो ख़्यानत करे।'

(5024) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 33, मुस्लिम, हदीस: 59.

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ عَهِدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُحِبُّنِي إِلَّا مُؤْمِنٌ وَلَا يُبْغِضُنِي إِلَّا مُنَافِقٌ

(5025) हज़रत अ़ली (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे इरशाद फ़रमाया था कि तुझ से मोमिन ही मोहब्बत करेगा और तुझ से मुनाफ़िक़ ही बुग़्ज़ रखेगा।

(5025) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5021.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَهُوَ مُنَافِقٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ فَمَنْ كَانَتْ فِيهِ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ تَزَلْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَتْرُكَهَا

(5026) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) ने फ़रमाया: तीन आ़दतें जिसमें पाई जायें, वह मुनाफ़िक़ होगा: जब बात करे, झूठ बोले। जब उसके पास अमानत रखी जाये तो ख़्यानत करे और जब वादा करे, ख़िलाफ़वर्ज़ी करे। जिस शख़्स में इनमें से कोई एक आ़दत पाई जाये, उसमें निफ़ाक़ की ख़स्लत रहेगी यहाँ तक कि उसे छोड़ दे।

(5026) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़)

بَاب (۲۱): قِيَامُ رَمَضَانَ

बाब : (21) रमज़ानुल मुबारक का क़याम (ईमान का जुज़ है)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

(5027) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स माहे रमज़ानुल मुबारक का क़याम ईमान की हालत में

اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ شَهْرَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

और सवाब की नियत से करे उसके पहले तमाम गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

(5027) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 2204.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(5028) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ईमान की हालत में और सवाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक की रातों का क़याम करे, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

(5028) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 1603.

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 2194.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَعِيلَ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ عَنْ مَالِكٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(5029) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स रमज़ानुल मुबारक की रातों में ईमान की बिना पर और सवाब की नियत से इबादत करे, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

(5029) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 1603.

फ़ायदा : 'उसके पहले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं' इससे मुराद हुक़ूक़ुल्लाह हैं। गुनाहों की इस माफ़ी में हुक़ूक़ुल इबाद क़तअन शामिल नहीं। इस बात पर अहले इल्म का इत्तेफ़ाक़ है। हुक़ूक़ुल इबाद, सिर्फ़ बन्दों के माफ़ करने से माफ़ हो सकते हैं। अगर दुनिया में साहिबे हक़ से माफ़ न कराया गया तो रोज़े क़यामत हक़दारों के गुनाह और उनकी बुराइयाँ लेकर और अपनी नेकियाँ देकर उनकी तलाफ़ी हो सकेगी, इसके अलावा नहीं, मगर ये कि अल्लाह तआला साहिबे हक़ को अपनी तरफ़ से अज्र व सवाब देकर राज़ी कर दे और इस वजह से साहिबे हक़ अपना हक़ माफ़ कर दे।

बाब : (22) लैलतुल क़द्र में इबादत

باب(٢٢): قِيَامُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْعَثِ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ

(5030) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स ईमान के जज़्बे और सवाब की नियत से रमज़ानुल मुबारक का क़याम करे, उसके सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं। और जो शख़्स जज़्ब-ए-ईमान और नियते सवाब के साथ लैलतुल क़द्र में इबादत करे, उसके भी सब पहले गुनाह माफ़ कर दिये जाते हैं।'

(5030) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2208.

फ़ायदा : ये रिवायात और इनका मफ़हूम किताबुस सियाम में बयान हो चुका है। यहाँ ये रिवायात ज़िक्र करने से इमाम साहिब (رحمه الله) का मक़सद ये है कि ये आमाल (रोज़ा और क़ियाम वग़ैरह) ईमान का हिस्सा हैं जैसा कि मुहद्दिसीन का मस्लक है।

बाब : (23) ज़कात (भी ईमान के कामों में दाख़िल है)

باب(٢٣): الزَّكَاةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأْسِ يُسْمَعُ دَوِيُّ صَوْتِهِ وَلَا يُفْهَمُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الْإِسْلَامِ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

(5031) हज़रत तल्हा बिन उबैदुल्लाह ने फ़रमाया: एक आदमी नज्द के इलाक़े से रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। उसके सर के बाल बिखरे हुये थे उसकी आवाज़ की भुनभुनाहट तो सुनाई देती थी मगर उसकी बात समझ में नहीं आती थी यहाँ तक कि वह क़रीब आ गया तो पता चला कि वह इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'हर दिन रात में पाँच नमाज़ें।' उसने कहा: क्या उनके अलावा कोई और नमाज़ भी मुझ पर फ़र्ज़ है? आपने फ़रमाया: 'नहीं' मगर ये कि तू ख़ुशी से

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ قَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الزَّكَاةَ فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ لَا أَزِيدُ عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ

पढ़े' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'और माहे रमज़ानुल मुबारक के रोज़े।' उसने कहा: क्या इसके अलावा भी मुझ पर कोई रोज़े फ़र्ज़ हैं? आपने फ़रमाया: 'नहीं मगर ये कि तू खुशी से करे।' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसके सामने ज़कात का भी ज़िक्र फ़रमाया: उसने कहा: इसके अलावा भी कोई माली चीज़ (सदक़ा) मुझ पर फ़र्ज़ है? आपने फ़रमाया: 'नहीं मगर ये कि तू नफ़ल सदक़ा करे।' वह आदमी वापस जाने लगा तो कह रहा था: मैं न इससे ज़्यादा करूँगा न कम। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर ये आदमी अपनी बात पर पक्का रहा तो कामयाब हो गया।'

(5031) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 459.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सुनाई देती थी' गोया वह अपने सवालात दूर से ही बड़ बड़ाता हुआ आ रहा था। **(2)** 'कोई और नमाज़' जैसे: तहज्जुद, इश्राक़ व जुहा वग़ैरह की नमाज़ें। यहाँ फ़र्ज़ों से आगे पीछे पढ़ी जाने वाली सुन्नतें मुराद नहीं (जिन्हें रवातिब कहते हैं) क्योंकि ये तब होता अगर आप नमाज़ों की रकआत की तादाद बता रहे होते। **(3)** 'कोई माली सदक़ा' कुछ लोगों ने यहाँ से सदकतुल फ़ित्र और कुर्बानी के वजूब की नफ़ी पर इस्तेदलाल किया है। लेकिन सही बात ये है कि सदक़तुल फ़ित्र माली सदक़ा नहीं बल्कि सदक़तुन नफ़्स है। इसी तरह कुर्बानी भी माली सदक़ा नहीं वरना इससे ख़ुद खाना और अमीरों को खिलाना जायज़ न होता बल्कि ये अलग इबादत है, जैसे हज अगरचे इसमें माल सर्फ़ होता है। **(4)** 'ज़्यादा करूँगा न कम' यानी नफ़ल नमाज़ें, रोज़े और सदक़ात की अदायगी का अहद नहीं करता और फ़राइज़ में कमी नहीं करूँगा। इन अल्फ़ाज़ से नवाफ़िल की अदायगी की नफ़ी नहीं होती जैसा कि ज़ाहिर बीन शख़्स समझता है। तफ़्सीली बहस पीछे गुज़र चुकी है। देखिये: (हदीस: 459) **(5)** इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सूद शोअबे ईमान बयान करना है जिनमें ज़कात एक अहम हैसियत रखती है।

बाब : (24) जिहाद (भी ईमान का जुज़ है)

باب(٢٤): الْجِهَادُ

(5032) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में (जिहाद के लिये) निकलता है, उसके लिये अल्लाह तआला ने ज़मानत दे रखी है कि अगर वह सिर्फ़ मुझ पर ईमान रखते हुये और ख़ालिस मेरे रास्ते में जिहाद करने के लिये निकलता है तो मैं उसे ज़रूर जन्नत में दाख़िल करूँगा, चाहे वह (मैदाने जंग में) क़त्ल हो जाये या उसी रास्ते में फ़ौत हो जाये। या फिर वह (अल्लाह तआला) उसको उसके घर में वापस लायेगा जिससे वह निकला था जब कि उसको सवाब भी हासिल होगा और ग़नीमत भी जो उसके मुक़द्दर में है।'

(5032) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 3125.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مِينَاءَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ انْتَدَبَ اللَّهُ لِمَنْ يَخْرُجُ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْإِيمَانُ بِي وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِي أَنَّهُ ضَامِنٌ حَتَّى أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ بِأَيِّهِمَا كَانَ إِمَّا بِقَتْلٍ وَإِمَّا وَفَاةٍ أَوْ أَنْ يَرُدَّهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ يَنَالُ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

(5033) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह तआला के रास्ते में (जिहाद के लिये) निकलता है जब कि उसकी नियत सिर्फ़ अल्लाह तआला के रास्ते में जिहाद ही की हो और मुझ पर ईमान और मेरे रसूलों की तस्दीक़ ही उसको जिहाद पर मजबूर कर रहे हों तो अल्लाह तआला ने ज़मानत दे रखी है कि मैं उसे ज़रूर जन्नत में दाख़िल करूँगा या उसे उसके घर में वापस लाऊँगा जहाँ से वह जिहाद के लिये निकला था, अलावा सवाब और ग़नीमत के जो उसको मिले।'

(5033) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1876, बुख़ारी, हदीस: 36.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَمَّنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِي وَإِيمَانٌ بِي وَتَصْدِيقٌ بِرُسُلِي فَهُوَ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَالَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

फ़ायदा : 'मुझ पर ईमान' ये अल्लाह तआला के अल्फ़ाज़ की हिकायत व नक़ल है क्योंकि 'मेरे रसूलों की तस्दीक़' वाले अल्फ़ाज़ अल्लाह तआला ही के हो सकते हैं।

बाब : (25) ख़ुम्स की अदायगी (भी ईमान में दाख़िल है)

باب(٢٥): أَدَاءُ الْخُمُسِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ وَهُوَ ابْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا إِنَّا هَذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيعَةَ وَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ فَمُرْنَا بِشَيْءٍ نَأْخُذُهُ عَنْكَ وَنَدْعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَا فَقَالَ آمُرُكُمْ بِأَرْبَعٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ ثُمَّ فَسَّرَهَا لَهُمْ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْمُزَفَّتِ

(5034) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: क़बील-ए-अब्दुल क़ैस का वफ़्द रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमते अक़्दस में हाज़िर हुआ और कहा: हम क़बील-ए-अब्दुल क़ैस वाले रबीआ की नस्ल से हैं। हम हुर्मत वाले महीने के अलावा आपके पास नहीं आ सकते। हमें किसी अहम चीज़ का हुक्म दीजिये जो हम आपसे सीखें और वापस जाकर अपने इलाक़े के लोगों को इसकी दावत दें। तब आपने फ़रमाया: 'मैं तुम्हें चार चीज़ों का हुक्म देता हूँ और चार चीज़ों से रोकता हूँ: (पहली चार चीज़ें ये हैं) अल्लाह तआला पर ईमान लाना, फिर आपने उनके लिये ईमान की तफ़्सील बयान फ़रमाई। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह तआला का रसूल हूँ। नमाज़ पाबन्दी से अदा करना, ज़कात अदा करना और अपनी ग़नीमतों में से पाँचवां हिस्सा मुझे (बैतुल माल में) भेजना और मैं तुम्हें ख़ुश्क कद्दू के बर्तनों, सब्ज़ मटके और तारकोल वाले मटके से रोकता हूँ।

(5034) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 523, मुस्लिम, हदीस: 17.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका कि शहादतैन के इक़रार के साथ साथ इक़ामते नमाज़, अदायगि-ए-ज़कात, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने और माले ग़नीमत में से ख़ुमुस अदा करने की अहमियत वाज़ेह करती है, और ये भी रहनुमाई करती है कि माले ग़नीमत से ख़ुमुस निकालना ज़रूरी है,

ख़्वाह माल थोड़ा हो या ज़्यादा। (2) 'रबीआ की नस्ल से हैं' मुज़िर और रबीआ दो भाई थे। क़ुरैश मक्का मुज़िर की औलाद से थे और यमनी लोग रबीआ की। बनू अब्दुल क़ैस भी यमनी थे। उनको यमन से मदीना मुनव्वरा आने के लिये मक्का मुकर्रमा के क़ुर्ब व जवार से गुज़र कर आना पड़ता था और कुफ़्फ़ारे क़ुरैश हर उस क़ाफ़िले को रोकते थे जिसके बारे में शुब्हा होता था कि वह रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास जा रहा है। वैसे भी मुज़री क़बाइल रबीआ के क़बीलों को अपना दुश्मन ख़्याल करते थे और उनके क़त्ल और लूट मार को जायज़ समझते थे, इसलिये वह हुर्मत वाले महीने के अलावा अमन व अमान से नहीं गुज़र सकते थे। (बाक़ी बहस पीछे गुज़र चुकी है।)

बाब : (26) जनाज़े में हाज़िर होना (भी ईमान में दाख़िल है)

باب(٢٦): شُهُودُ الْجَنَائِزِ

(5035) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स जज़्ब-ए-ईमान और सवाब की नियत रखते हुये किसी मुसलमान के जनाज़े के साथ जाये और नमाज़े जनाज़ा पढ़े, फिर इन्तेज़ार करे यहाँ तक कि उसे क़ब्र में दफ़न कर दिया जाये तो उसे दो क़ीरात सवाब मिलेगा जिनमें से हर एक क़ीरात उहुद पहाड़ के बराबर होगा। और जो सिर्फ़ जनाज़ा पढ़ कर वापस आ जाये, उसको एक क़ीरात सवाब मिलेगा।'

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَّامٍ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَقُ يَعْنِي ابْنَ يُوسُفَ بْنِ الْأَزْرَقِ عَنْ عَوْفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ اتَّبَعَ جَنَازَةَ مُسْلِمٍ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا فَصَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ انْتَظَرَ حَتَّى يُوضَعَ فِي قَبْرِهِ كَانَ لَهُ قِيرَاطَانِ أَحَدُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ وَمَنْ صَلَّى عَلَيْهِ ثُمَّ رَجَعَ كَانَ لَهُ قِيرَاطٌ

(5035) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1998.

बाब : (27) हया (भी ईमान का जुज़ है)

باب(٢٧): الْحَيَاءِ

(5036) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम (हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه)) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) एक आदमी के पास से गुज़रे जो अपने भाई को ज़्यादा हया करने की वजह से डाँट रहा था। आपने फ़रमाया: 'रहने दे! हया ईमान का हिस्सा है।'

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنْ ابْنِ الْقَاسِمِ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ وَاللَّفْظُ لَهُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ

عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى رَجُلٍ يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ دَعْهُ فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنْ الْإِيمَانِ

(5036) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 24, मौता: 2/905.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हया अज़ीमुश्शन और आला सिफ़ाते हमीदा में से एक अज़ीम सिफ़त है। हर मुसलमान को चाहिये कि अपने आपको हर वक़्त ज़ेवरे हया से आरास्ता रखे। हया की बाबत बहुत सी अहादीस में तर्ग़ीब मन्कूल है। **(2)** 'डाँट रहा था' कि तू इस क़द्र हया करता है कि अपना हक़ भी नहीं माँग सकता। **(3)** 'रहने दे' क्योंकि हया न रहा तो दीन व दुनिया दोनों जाते रहेंगे। दीन तो नाम ही हया का है। दुनिया में भी बेहया ज़लील होता है।

باب(٢٨): الدِّينُ يُسْرٌ

बाब : (28)
दीन (पर अमल करना) आसान है

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ مَعْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا وَيَسِّرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنْ الدُّلْجَةِ

(5037) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दीन आसान है। जो शख़्स दीन को सख़्त बनायेगा, दीन उस पर ग़ालिब आ जायेगा, लिहाज़ा तुम अपने आमाल दुरुस्त रखो, मियाना रवी इख़्तियार करो, ख़ूश रहो। लोगों पर आसानी करो, कुछ सफ़र पहले पहर कर लिया कर, कुछ पिछले पहर और कुछ आख़िर रात को।'

(5037) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 39.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'दीन आसान है' यानी जो अहकाम अल्लाह तआला ने मशरूअ फ़रमाये हैं, वह इन्सानी ताक़त से बाहर नहीं। उन पर आसानी से अमल हो सकता है क्योंकि अल्लाह तआला वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। ये मतलब नहीं कि जो काम मुश्किल नज़र आये, वह दीन नहीं हो सकता क्योंकि बद नियत आदमी के लिये तो दीन का हर काम ही मुश्किल है। **(2)** 'सख़्त बनायेगा' यानी दीन में अपनी तरफ़ से सख़्त अहकाम दाख़िल करेगा या गुलू करेगा तो एक वक़्त आयेगा कि वह ख़ुद अपनी पैदाकर्दा सख़्ती पर पूरा नहीं उतर सकेगा। और उसका गुलू उसके गले का तौक़ बन जायेगा। **(3)** 'मियाना रवी' नवाफ़िल के बारे में वरना फ़राइज़ की अदायगी तो हमेशा ज़रूरी है। नवाफ़िल इतने ही इख़्तियार करने चाहिए जिन पर आसानी से और हमेशा अमल हो सके। **(4)** 'ख़ूश रहो' यानी

अल्लाह तआ़ला के स़वाब व रहमत पर यक़ीन रखो और पुर उम्मीद रहो। (5) 'कुछ सफ़र' अ़मल को सफ़र से तश्बीह दी गई है। सफ़र मुनासिब तरीक़ से किया जाये तो मुसाफ़िर और सवारी दोनों सहूलत में रहते हैं और सफ़र भी अच्छा कटता है लेकिन अगर सफ़र को मुसल्सल जारी रखा जाये और सवारी को थका दिया जाये तो सफ़र मुन्क़तअ़ हो जाता है। मुसाफ़िर भी बीमार पड़ जाता है। इसी तरह अ़मल भी इतना इख़्तियार किया जाये जिस पर सहूलत से अ़मल हो सके, दीगर फ़राइज़ भी अदा हो सकें और जिस्म भी कमज़ोर न पड़े। अ़रब मुआ़शरे में ये तीन औक़ात सफ़र के लिये बेहतरीन थे। बाक़ी औक़ात आराम और खाने पीने के लिये होते थे।

बाब : (29) अल्लाह (عزوجل) के नज़दीक सबसे प्यारा दीन (तरीक़-ए-इबादत)

باب(٢٩): أحب الدين إلى الله عز وجل

(5038) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) उनके पास तशरीफ़ लाये तो उन (हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها)) के पास एक औ़रत बैठी थी। आपने फ़रमाया: 'ये कौन है?' उन्होंने कहा: फ़ुलां औ़रत है। ये (रात को) बिल्कुल नहीं सोती और इसकी (नफ़्ल) नमाज़ का ज़िक्र करने लगीं। आपने फ़रमाया: 'बस करो' इतना काम किया करो जिसकी तुम ताक़त रखते हो। अल्लाह की क़सम! अल्लाह तआ़ला (स़वाब देने से) नहीं उकताएगा यहाँ तक कि तुम उकता जाओगे। दीन के कामों में से अल्लाह तआ़ला को सबसे ज़्यादा पसन्दीदा वह है जिस पर अ़मल करने वाला हमेशगी कर सके।'

أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ قَالَتْ فُلَانَةُ لَا تَنَامُ تَذْكُرُ مِنْ صَلَاتِهَا فَقَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ مِنْ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَوَاللَّهِ لَا يَمَلُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى تَمَلُّوا وَكَانَ أَحَبَّ الدِّينِ إِلَيْهِ مَا دَامَ عَلَيْهِ صَاحِبُه

(5038) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1643.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बस करो' या तो ये ख़िताब हज़रत आ़यशा को है कि ज़्यादा तारीफ़ न करो, इसलिये कि उस औ़रत का ये अन्दाज़ क़ाबिले तारीफ़ नहीं। या ख़िताब उस औ़रत से है कि ये तरीक़-ए-इबादत छोड़ दो, ये दुरुस्त नहीं बल्कि उस तरीक़े से नफ़्ल इबादत किया करो जिस पर तुम कारबन्द रह सको। (2) 'नहीं उकतायेगा' यानी अल्लाह तआ़ला के पास स़वाब की कोई कमी नहीं

कि सवाब देते देते ख़त्म हो जाये बल्कि तुम ही काम करते करते थक जाओगे और छोड़ बैठोगे। फिर सवाब भी रुक जायेगा। (3) 'हमेशगी करे' ज़ाहिर है ये वही होगा जिसमें इबादत के साथ साथ जिस्मानी आराम और सहूलत का भी लिहाज़ रखा जायेगा।

बाब : (30) दीन को बचाने के लिये फ़ित्नों से भागना (भी ईमान का जुज़ है)

باب(٣٠): الْفِرَارُ بِالدِّينِ مِنَ الْفِتَنِ

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ ح وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ قَالَا حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ مُسْلِمٍ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الْفِتَنِ

(5039) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह वक़्त क़रीब है जब मुसलमान का बेहतरीन माल बकरियाँ होंगी जिनको लेकर वह पहाड़ की चोटियाँ या बारिशी इलाक़ों में चला जायेगा ताकि अपने दीन को फ़ित्नों से बचाये।'

(5039) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 19, मौता: 2/970.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अपने दीन व ईमान की हिफ़ाज़त के लिये फ़ित्नों से भाग जाना भी शोब-ए-ईमान में से एक अज़ीम शोबा है, इसलिए बवक़्ते ज़रूरत एक ईमानदार शख़्स को फ़ित्नों की आमाजगाह और फ़ित्ना परवर लोगों से अपना दीन व ईमान बचाने के लिये राहे फ़रार इख़्तियार कर लेनी चाहिए, शरअन इसमें कोई हर्ज नहीं। (2) ये हदीसे मुबारका बकरियाँ पालने और चराने वग़ैरह की फ़ज़ीलत पर भी दलालत करती है, और अपना दीन महफ़ूज़ करने के लिये अलग थलग यहाँ तक कि पहाड़ की चोटी को अपना मस्कन बना लेने की फ़ज़ीलत की तरफ़ भी इशारा करती है। (3) ये हदीसे मुबारका दलाइले नबूवत में से आपकी नबुवत पर एक अज़ीम दलील है कि जिस तरह नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने आख़री ज़माने में फ़ित्नों की ख़बर दी थी बिऐनिही इसी तरह फ़ित्ने गाहे गाहे सर उठाते रहते हैं यहाँ तक कि बसा औक़ात एक ज़हीन व फ़हीम मोमिन भी हैरान व शश्दर होता है कि इन हालात में उसे क्या करना चाहिए और अपना दीन इन फ़ित्नों से किस तरह बचाना चाहिए। (4) इस्लाम में रोहबानियत और गोशा नशीनी नहीं, ख़्वाह वह इबादत के लिये ही हो, बल्कि लोगों में रह कर इबादत बजा लाना इस्लामी तरीक़ा है ताकि अपने साथ साथ लोगों को भी दीन पर क़ाइम करने की कोशिश कर सके। अलबत्ता जब हालात इतने संगीन हो जायें कि लोगों में रह कर दीन पर क़ाइम रहना मुमकिन न हो

और उसके रहने से लोगों को भी कोई शरई फ़ायदा न हो तो फिर गोशा नशीनी जायज़ है जैसा कि हदीस़ में बयान है। (5) बारिशी इलाक़ों से मुराद वादियाँ हैं जहाँ बारिश का पानी जमा होता है। या वह जगहें हैं जहाँ बारिशें ज़्यादा बरसती हैं, फिर उससे मुराद भी पहाड़ी इलाक़े ही होंगे।

बाब : (31)
मुनाफ़िक़ की मिस़ाल

باب(٣١): مَثَلُ الْمُنَافِقِ

(5040) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुनाफ़िक़ की मिस़ाल उस बकरी की तरह है जो बकरे की तलब में दो रेवड़ों के दरम्यान रहती है। कभी इस रेवड़ में जाती है, कभी उस रेवड़ में। उसको तसल्ली नहीं होती कि किस रेवड़ के साथ रहे।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ تَعِيرُ فِي هَذِهِ مَرَّةً وَفِي هَذِهِ مَرَّةً لَا تَدْرِي أَيَّهَا تَتْبَعُ

(5040) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 17/2784.

फ़ायदा : मुनाफ़िक़ीन के लिये इससे ज़्यादा मुनासिब मिस़ाल मुमकिन नहीं और इसमें उनकी इन्तेहाई तौहीन है कि उनको मुअन्नस़ से मुशाबिहत दी गई है। गोया मर्दाना स़िफ़ात से आरी हैं और कमीनों की तरह माल की तलब में कभी मुसलमानों की ख़ूशामद करते हैं कभी काफ़िरों की, लेकिन तसल्ली फिर भी नहीं होती, हैरान व परेशान ही रहते हैं।

बाब : (32)
मोमिन और मुनाफ़िक़ की मिस़ाल जो क़ुर्आन पढ़ते हैं

باب(٣٢): مَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مِنْ مُؤْمِنٍ وَمُنَافِقٍ

(5041) हज़रत अबू मूसा अशअ़री (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उस मोमिन की मिस़ाल जो क़ुर्आन मजीद पढ़ता है, नारंगी की तरह है जिसका ज़ाइक़ा भी अच्छा है और ख़ूशबू भी उम्दा। और जो मोमिन क़ुर्आन नहीं पढ़ता, उसकी मिस़ाल खजूर जैसी है जिसका ज़ाइक़ा तो

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الْأُتْرُجَّةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ

उम्दा है मगर उसमें ख़ुशबू नहीं। जो मुनाफ़िक़ क़ुर्आन पढ़ता है, उसकी मिसाल नाज़बू की तरह है जिसकी ख़ुशबू तो अच्छी है मगर ज़ाइक़ा कड़वा है। और जो मुनाफ़िक़ क़ुर्आन नहीं पढ़ता, उसकी मिसाल ऐलवे की तरह है। उसका ज़ाइक़ा भी कड़वा है, ख़ुशबू भी नहीं।

(5041) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5020, मुस्लिम, हदीस: 797.

وَرِيحُهَا طَيِّبٌ وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ طَعْمُهَا طَيِّبٌ وَلَا رِيحَ لَهَا وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ طَعْمُهَا مُرٌّ وَلَا رِيحَ لَهَا

फ़ायदा : इन मिसालों में ईमान को अच्छे ज़ाइक़े से तश्बीह दी गई है जो ईमान की तरह नज़र आने वाली चीज़ नहीं और क़िराअते क़ुर्आन व नमाज़ को ख़ुशबू के साथ क्योंकि ये दोनों ज़ाहिर चीज़ें हैं। महसूस हो सकती हैं। मालूम होता है इस रिवायत को ज़िक्र करने से मक़सूद ईमान की कमी बेशी बयान करना है क्योंकि सब खजूरों या नारंगियों की मिठास एक सी नहीं होती बल्कि फ़र्क़ होता है। इसी तरह सब मोमिन ईमान में बराबर नहीं होते। इनमें भी फ़र्क़ होता है।

बाब : (33) मोमिन की निशानी

باب(٣٣): عَلَامَةُ الْمُؤْمِنِ

(5042) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से कोई शख़्स कामिल मोमिन नहीं बन सकता यहाँ तक कि अपने मुसलमान भाई के लिये वही कुछ पसन्द करे जो अपने लिये करता है।'

किताबुल ईमान इख़्तिताम पज़ीर हूई।

क़ाज़ी इब्ने कस्सार कहते हैं कि मैंने अब्दुस समद बुख़ारी से सुना, वह फ़रमाते थे कि हफ़्स बिन उमर जो (हदीस 5000 में) अब्दुर्रहमान बिन महदी से बयान करते हैं मैं उन्हें नहीं जानता। हाँ अगर वह हफ़्स बिन अम्र रबाली हों जो उमूमन बसरियों से रिवायत करते हैं तो वह सिक़ा रावी

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ قَالَ الْقَاضِي يَعْنِي ابْنَ الْكَسَّارِ سَمِعْتُ عَبْدَ الصَّمَدِ الْبُخَارِيَّ يَقُولُ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الَّذِي يَرْوِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ لَا أَعْرِفُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَقَطَ الْوَاوُ مِنْ حَفْصِ بْنِ عَمْرٍو الرَّبَالِيِّ الْمَشْهُورُ بِالرِّوَايَةِ عَنْ

الْبَصْرِيِّينَ وَهُوَ ثِقَةٌ ذَكَرَهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ فِي حَدِيثِ مَنْصُورِ بْنِ سَعْدٍ فِي بَابِ صِفَةِ الْمُسْلِمِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا أَعْلَمُ رَوَى حَدِيثَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْمَرْفُوعَ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ بِزِيَادَةِ قَوْلِهِ وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا وَأَكَلُوا ذَبِيحَتَنَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ وَيَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ الْبَصْرِيَّ وَهُوَ فِي هَذَا الْجُزْءِ فِي بَابِ مَا يُقَاتِلُ النَّاسَ

हैं। क़ाज़ी कहते हैं कि मैंने उन्हें ये कहते हुये भी सुना: मैं नहीं जानता कि अनस बिन मालिक से मरफ़ूअ़ रिवायत: (उमिर्तु अन अक़ातिल ....) वसतक्बलू.....) के इज़ाफ़े के साथ सिवाए अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक और यहया बिन अय्यूब मिस्री के किसी ने हुमैदुत तवील से बयान की हो। और वह इसी जुज़ में बाब अ़ला मा युक़ातिलुन्नास के तहत गुज़र चुकी हैं

(5042) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5019.

वज़ाहत : ये इबारत यहाँ बे महल है। हफ़्स बिन अम्र की बहस़ का ताल्लुक़ हदीस़: 5000 से है और इसमें भी राजेह यही है कि ये हफ़्स बिन अम्र ही है और अ़ब्दुस स़मद का दाव-ए-तस़हीफ़ दुरुस्त नहीं। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 37/249) दूसरी बात हदीस़: 5006 से मुताल्लिक़ है। इसमें जो दावा किया गया है कि (वस्तक़्बलू .....) का इज़ाफ़ा हुमैदुत तवील से स़िर्फ़ अ़ब्दुल्लाह बिन मुबारक और यहया बिन अय्यूब मिस्री बयान करते हैं तो ये भी दुरुस्त नहीं क्योंकि मुहम्मद बिन ईसा भी हुमैदुत तवील से ये इज़ाफ़ा नक़ल करते हैं जैसा कि बाब तहरीमुद दम, हदीस़: 3971 में है। तफ़्स़ील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 37/392)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الزينة من السنن

सुनन कुब्रा से ज़ीनत के मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

باب(1): الْفِطْرَةِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَشَرَةٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَالاِسْتِنْشَاقُ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ " . قَالَ مُصْعَبٌ وَنَسِيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةَ .

बाब : (1) फ़ितरी चीज़ें (जिनसे ज़ीनत हासिल होती है)

(5043) हज़रत आयशा (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दस चीज़ें फ़ितरते इन्सानिया का तक़ाज़ा हैं: मूँछें काटना, नाख़ुन तराशना, उँगलियों के जोड़ों और पोरों को अच्छी तरह धोना, दाढ़ी पूरी रखना, मिस्वाक करना, नाक में पानी चढ़ाना (और नाक की सफ़ाई करना,) बग़लों के बाल उखेड़ना, शर्मगाह के बाल मुण्डना, पानी के साथ इस्तिन्जा करना।' मुसअब बिन शैबा (रावि-ए-हदीस) ने कहा: दसवीं चीज़ मैं भूल गया। उम्मीद है कि वह कुल्ली करना होगा।

(5043) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 261, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9226, 9286.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से इस तरफ़ इशारा मिलता है कि उमूरे फ़ितरत सिर्फ़ दस चीज़ें नहीं बल्कि ये दस तो 'कुछ' उमूरे फ़ितरत हैं। ये इसलिये कि हदीस के अल्फ़ाज़ हैं: अश्रतुम मिनल फ़ित्रति, और लफ़्ज़ मिन तबईज़ के लिये है, यानी कुछ उमूरे फ़ितरत ये हैं न कि सारे उमूरे फ़ितरत का यहाँ अहाता है। कुछ अहादीस में दस के बजाये पाँच चीज़ों को उमूरे फ़ितरत कहा गया है, वहाँ भी एहाता और हस्र मक़सूद नहीं। वल्लाहु आलम! (2) उन दस चीज़ों के फ़ितरत होने से मुराद ये है कि फ़ितरते इन्सानिया उन उमूर का तक़ाज़ा करती है। फ़ितरत के मानी सुन्नत भी किये गये हैं क्योंकि दीने इस्लाम भी तो फ़ितरते इन्सानिया के ऐन मुताबिक़ है। तमाम अम्बिया (عليهم السلام) उन चीज़ों पर अमल पैरा

रहे। उनमें से अक्सर उमूर की तफ़्सील किताबुत तहारा में बयान हो चुकी है। (देखिये, अहादीस़: 1 से 3) (3) बराजिम, बुर्जुमतुन की जमा है। इससे मुराद वह तमाम जगहें हैं जहाँ मैल कुचेल जमा होता है और तवज्जो न की जाये तो पानी वहाँ नहीं पहुँचता, जेसे: उँगलियों की गिरहें और पोर, जिस्म के दीगर जोड़ और हथेली की लकीरें वग़ैरह।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ طَلْقًا، يَذْكُرُ عَشْرَةً مِنَ الْفِطْرَةِ السِّوَاكَ وَقَصَّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمَ الأَظْفَارِ وَغَسْلَ الْبَرَاجِمِ وَحَلْقَ الْعَانَةِ وَالاِسْتِنْشَاقَ . وَأَنَا شَكَكْتُ فِي الْمَضْمَضَةِ .

(5044) हज़रत सुलैमान तैमी से रिवायत है कि मैंने हज़रत तल्क़ बिन हबीब को फ़रमाते सुना, दस चीज़ें फ़ितरी हैं: मिस्वाक करना, मूँछें काटना, नाख़ुन तराशना, उँगलियों के पोरों और जोड़ों को अच्छी तरह धोना, ज़ेरे नाफ़ बाल मुण्डना, नाक की स़फ़ाई करना, कुल्ली के बारे में मुझे शक है।

(5044) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9227.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ طَلْقِ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ عَشْرَةٌ مِنَ السُّنَّةِ السِّوَاكُ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَالْمَضْمَضَةُ وَالاِسْتِنْشَاقُ وَتَوْفِيرُ اللِّحْيَةِ وَقَصُّ الأَظْفَارِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَالْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَغَسْلُ الدُّبُرِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَجَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ مُصْعَبِ بْنِ شَيْبَةَ وَمُصْعَبٌ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ .

(5045) हज़रत तल्क़ बिन हबीब ने फ़रमाया: दस चीज़ें (अम्बिया (ﷺ) की) सुन्नत हैं: मिस्वाक करना, मुँछें काटना, कुल्ली करना, नाक की स़फ़ाई करना, दाढ़ी पूरी रखना, नाख़ुन तराशना, बग़लों के बाल उखेड़ना, ख़त्ना करवाना, ज़ेरे नाफ़ (शर्मगाह) के बाल मुण्डना और (क़ज़ा-ए-हाजत के बाद) पुश्त धोना।

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने फ़रमाया: सुलैमान तैमी की हदीस़ (जो इस हदीस़ से पहले बयान हूई है) और जाफ़र बिन इयास की मज़्कूरा (यही) हदीस़ मुसअ़ब बिन शैबा की हदीस़ (बाब की पहली हदीस़) से ज़्यादा दुरुस्त है। मुसअ़ब (इब्ने शैबा) मुन्करुल हदीस़ (ज़ईफ़ रावी) है।

(5045) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9228.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'पुश्त धोना' ढेले इस्तेमाल करने से भी गुज़ारा तो हो जाता है मगर पूरी सफ़ाई नहीं होती। मुकम्मल सफ़ाई पानी ही से मुमकिन है, लिहाज़ा कम अज़ कम तीन ढेलों से इस्तिन्जा फ़र्ज़ है। और पानी के साथ अफ़ज़ल है। हदीस नम्बर 5043 में इन्तिक़ासुलमाअ से भी यही मुराद है। (2) इन कामों से इन्सान को ज़ीनत हासिल होती है। सफ़ाई मुकम्मल होती है। वह मुहज़्ज़ब दिखाई देता है, लिहाज़ा उनको किताबुज ज़ीना में ज़िक्र फ़रमाया।

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَنَتْفُ الضَّبْعِ وَتَقْلِيمُ الظُّفْرِ وَتَقْصِيرُ الشَّارِبِ " . وَقَفَهُ مَالِكٌ .

(5046) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच चीज़ें फ़ितरी हैं: ख़त्ना करना, शर्मगाह के बाल मूण्डना, बग़लों के बाल उखेड़ना, नाख़ुन तराशना और मूँछें छोटी करना।'

इमाम मालिक (ﷺ) ने इस (रिवायत) को मौक़ूफ़ बयान किया है (जैसा कि अगली रिवायत में आ रहा है)

(5046) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 1293, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9289.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ تَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَقَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَالْخِتَانُ .

(5047) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: पाँच चीज़ें फ़ितरत और सुन्नत हैं: नाख़ुन तराशना, मूँछें काटना, बग़ल के बाल उखेड़ना, शर्मगाह के बाल मुण्डना और ख़त्ना करवाना।

तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9289, मौता: 2/921, अत्तहमीद: 21/56.

फ़ायदा : 'फ़ितरत हैं' जो शख़्स ये काम नहीं करता, वह इन्सानी फ़ितरत का बाग़ी और अम्बिया(ﷺ) के तरीक़े का मुख़ालिफ़ है।

باب(٢): إِحْفَاءِ الشَّارِبِ

बाब : (2) मूँछों को ख़त्म करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن

(5048) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मूँछों को ख़त्म करो और दाढ़ी को बढ़ने दो।'

النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى " .

(5048) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/52, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9291.

फ़ायदा : इस हदीस की तशरीह के लिये मुलाहिज़ा फ़रमाइये, हदीस: 15.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَلْقَمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَعْفُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ " .

(5049) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: दाढ़ियाँ रखो और मूँछें साफ़ करो।'

(5049) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9292.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ يُوسُفَ بْنَ صُهَيْبٍ، يُحَدِّثُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ لَمْ يَأْخُذْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا " .

(5050) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स अपनी मूँछें न काटे, वह हममें से नहीं।'

(5050) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 13, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9293.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मूँछें न काटे' यानी जब काटने की ज़रूरत हो, जैसे: वह मुँह में पड़ने लगें। मशरूब से आलूदा हों वग़ैरह, वरना हर रोज़ काटना ज़रूरी नहीं और न सारी ज़िन्दगी में एक आध दफ़ा काट लेना ही काफ़ी है। **(2)** 'हममें से नहीं' यानी हमारे तरीक़-ए-कार पर अमल पैरा नहीं, या देखने में मुसलमान नहीं लगता, या तश्बीह मुराद है कि वह ग़ैर मुस्लिमों जैसा है। वल्लाहु आलम!

बाब : (3) सर मुण्डाने की रुख़सत

باب(٣): الرُّخْصَةِ فِي حَلْقِ الرَّأْسِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى صَبِيًّا حَلَقَ بَعْضَ رَأْسِهِ

(5051) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एक बच्चा देखा जिसका कुछ सर मुण्डा हुआ था और कुछ छोड़ दिया गया था। आपने उससे मना फ़रमाया और फ़रमाया: 'सारा सर मुण्डाओ या सारा रहने दो।'

وَتَرَكَ بَعْضَ فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ " احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ " .

(5051) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2120, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9296.

फ़ायदा : काफ़िर लोग सर मुण्डते वक़्त कुछ बाल किसी बुत वग़ैरह के नाम पर रख छोड़ते थे जिस तरह आज कल भी कुछ जाहिल लोग किसी पीर के नाम की बोदी रखते हैं, हालांकि ग़ैरुल्लाह की ऐसी ताज़ीम हराम है, लिहाज़ा आपने मना फ़रमाया। वैसे भी ये चीज़ नामुनासिब लगती है। आदमी भद्दा लगता है और ये फ़ितरते इन्सानिया के ख़िलाफ़ है। अलबत्ता इसका ये मतलब नहीं कि सर के हर हिस्से से एक जैसे या एक जितने बाल कटवाये जायें, बल्कि अगर कानों के क़रीब से ज़्यादा तरश्वा लिये जायें ताकि कानों में न पड़ें और सर के ऊपर से कम कटवा लिये जायें तो कोई हर्ज नहीं बशर्ते कि देखने में मुतनासिब हों।

بَاب : (٤)
النَّهْيِ عَنْ حَلْقِ الْمَرْأَةِ رَأْسَهَا

बाब : (4)
औरत के लिये सर मुण्डवाने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلاَسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا .

(5052) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि औरत अपना सर मुण्डवाये।

(5052) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 914, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9297, अबी दाऊद, हदीस: 1985, अत्तलख़ीसुल हबीर: 2/261.

फ़ायदा : इस्लाम और इन्सानी फ़ितरत का तक़ाज़ा है कि मर्द और औरत ज़ाहिरी उमूर में मुशाबिहत न रखें बल्कि दूर से ही इम्तियाज़ होना चाहिए कि ये मर्द है और ये औरत। मर्द के लिये शरीयत ने सर मुण्डना और बाल कटवाना जायज़ क़रार दिया है, जबकि औरत के लिये न सर मुण्डवाना जायज़ है न बाल कटवाना ही ताकि मर्द के साथ मुशाबिहत न हो। इसके अलावा लम्बे बाल मर्द के काम काज में भी रुकावट बन सकते हैं। सर ढाँपने की वजह से औरत के लिये लम्बे बाल कोई मसला नहीं, इसलिये बाल कटवाना या मुण्डवाना मर्दों के साथ ख़ास कर दिया गया और सर के बाल रखना औरतों के साथ।

बाब : (5) क़ज़अ (कुछ सर मुण्डने, कुछ छोड़ देने) की मुमानिअत

باب(٥): النَّهْيِ عَنِ الْقَزَعِ

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " نَهَانِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الْقَزَعِ " .

(5053) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह (ﷻ) ने मुझे क़ज़अ से मना फ़रमाया है।'

(5053) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5920, मुस्लिम, हदीस: 2120, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9298.

फ़ायदा : ये रिवायत इन अल्फ़ाज़ के साथ मुन्कर है। मुहक़्क़िक़े किताब का इसे बुख़ारी व मुस्लिम की तरफ़ मन्सूब करना दुरुस्त नहीं क्योंकि बुख़ारी व मुस्लिम का सियाक़ आइन्दा रिवायत के मुताबिक़ है। देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/13)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ

(5054) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ज़अ से मना फ़रमाया है।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) ने कहा कि यहया बिन सईद (अल्क़त्तान) और मुहम्मद बिन बिश्र की रिवायत (इस मज़्कूरा रिवायत से) ज़्यादा दुरुस्त और सही है।

(5054) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9303, देखें, हदीस: 5230.

फ़ायदा : क़ज़अ से मुराद ये है कि सर कहीं से मुण्ड दिया जाये, कहीं से छोड़ दिया जाये। मना की वजह हदीस नम्बर 5051 में देखिये।

बाब : (6) मूँछें काटना

باب(٦): الأَخْذِ مِنَ الشَّعْرِ

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، أَخُو قَبِيصَةَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالاَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ

(5055) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) ने कहा कि मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ तो मेरे लम्बे लम्बे बाल थे। आपने फ़रमाया: 'नहूसत है (ये बुरी चीज़ है)' मैंने समझा, आपका

كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلِي شَعْرٌ فَقَالَ " ذُبَابٌ " . فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَقَالَ لِي " لَمْ أَعْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ " .

इशारा मेरी तरफ़ है। मैंने अपने बाल काट दिये। फिर मैं आपके पास हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमाया: 'मेरा इशारा तेरी तरफ़ नहीं था। वैसे ये तेरी ज़्यादा अच्छी हालत है।'

(5055) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4190, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9307.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा हदीस और उन्वान की बाहम मुताबिक़त नहीं है। हाँ! ये मुताबिक़त इस सूरत में हो सकती है कि ये बाब इस तरह हो 'अल अख़्ज़ु मिनश्शअरि' जैसा कि कुछ नुस्ख़ों में इन्हीं अल्फ़ाज़ से उन्वान क़ाइम किया गया है। देखिये (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/18) **(2)** ये हदीसे मुबारका सहाब-ए-किराम (ﷺ) की अज़मत पर भी सरीह दलालत करती है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुक्म की किस तरह तामील करते थे कि हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) ने जब नबी (ﷺ) की ज़बान मुबारक से लफ़्ज़ ज़ुबाबुन 'नहूसत है' सुना तो फ़ौरन जाकर अपने लम्बे बाल कटवा दिये। उन्होंने ये काम इसलिये किया कि वह समझे थे कि आप मेरे बालों की मज़म्मत कर रहे हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें अगरचे बाल कटवाने का हुक्म नहीं दिया था, ताहम आपने हज़रत वाइल (ﷺ) के फ़ेअल की तहसीन फ़रमाई। **(3)** बहुत ज़्यादा लम्बे बाल रखना मुनासिब नहीं कि हद्दे ऐतदाल ही से निकल जायें। यही वजह है कि नबी (ﷺ) ने हज़रत वाइल (ﷺ) के लम्बे बाल कटवा देने के अमल को सराहा और ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) के अपने बाल मुबारक आपके मुबारक शानों (कंधों) से ज़्यादा नीचे नहीं जाया करते थे। हर शख़्स को बिल ख़ुसूस हर मुसलमान को नबी (ﷺ) की इक़्तेदा करनी चाहिए। **(4)** मालूम हुआ बाल कटवाना अच्छी बात है। बहुत लम्बे बाल रखना औरतों से मुशाबिहत है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ ﷺ شَعْرًا رَجِلاً لَيْسَ بِالْجَعْدِ وَلاَ بِالسَّبْطِ بَيْنَ أُذُنَيْهِ وَعَاتِقِهِ .

(5056) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) के सर के बाल लहरदार थे। न घुंघरयाले न बिलकुल सीधे। (और उमूमन) कानों और कंधे के दरम्यान रहते थे।

(5056) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5905, 5906, मुस्लिम: 2338, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9308.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'लहरदार' मुमकिन है पैदाइशी तौर पर लहरदार हों। ये भी हो सकता है कि लम्बे होने की वजह से उनमें बल पड़ गये हों। लम्बे बालों में उमूमन ऐसे होता है। **(2)** 'कानों और कंधों

के दरम्यान' मालूम होता है कि आप कानों के निचले हिस्से के बराबर बाल काट लेते होंगे। जब वह बढ़ते बढ़ते कंधों को लगने लगते तो फिर काट देते। ये भी कहा जा सकता है कि आप सर झुकाते तो आपके बाल मुबारक कानों के बराबर महसूस होते और जब सर मुबारक उठाते तो कंधों को लगते थे। आम हालात में कानों और कंधों के दरम्यान रहते। वल्लाहु आलम! **(3)** दोनों सूरतों में बाल कटवाने पर दलालत होती है। **(4)** इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि दाढ़ी और सर के बालों का हुक्म अलग अलग है। सर के बाल कटवाना और मुण्डवाना दोनों जायज़ हैं जबकि दाढ़ी के बाल कटवाना और मुण्डवाना दोनों नाजायज़ और हराम काम हैं। **(5)** रसूलुल्लाह (ﷺ) हुस्ने तख़्लीक़ का शाहकार थे, इसलिये नीम घुंघरयाले बाल ही हुस्न व जमाल की अलामत होंगे जैसा कि नबी (ﷺ) के बाल थे।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ دَاوُدَ الأَوْدِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، قَالَ لَقِيتُ رَجُلاً صَحِبَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ .

(5057) हज़रत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान हिम्यरी से रिवायत है कि मैं एक बुज़ुर्ग को मिला जो नबी-ए अकरम (ﷺ) की ख़िदमते अक़्दस में इसी तरह रहे थे जिस तरह हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) चार साल आपकी ख़िदमते अक़्दस में रहे। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें हर रोज़ कंघी करने से मना फ़रमाया है।

(5057) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 239, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9309.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'जिस तरह हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ), ये तश्बीह मुद्दत में भी हो सकती है कि वह भी चार साल आप (ﷺ) के पास रहे। हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) 7 हिजरी के आग़ाज़ में हाज़िर हुये और रसूलुल्लाह (ﷺ) 11 हिजरी के तीसरे महीने में अल्लाह को प्यारे हुये। या ये तश्बीह कैफ़ियत में भी हो सकती है कि जिस तरह हज़रत अबू हुरैरह (رضی اللہ عنہ) हर वक़्त आप के साथ रहा करते थे, इसी तरह वह बुज़ुर्ग भी तक़रीबन हर वक़्त आप के साथ रहा करते थे। **(2)** 'हर रोज़ कंघी' क्योंकि हर रोज़ कंघी करना दलील है कि उस शख़्स की ज़ेब व ज़ीनत की तरफ़ ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जा है और ये वस्फ़ औरतों में पाया जाता है। ये शख़्स या तो औरतों की तरह बन संवर कर रहता है। उसमें वह मर्दों के लिये फ़ित्ना बनेगा या औरतों को माइल करने की ग़र्ज़ से ऐसे करता है तो औरतों के लिये फ़ित्ना बनेगा। मर्दों की तवज्जा ज़ेब व ज़ीनत की तरफ़ नहीं होनी चाहिए वरना मफ़ासिद पैदा होंगे। **(3)** हर रोज़ कंघी न करने का लाज़मी नतीजा है कि बाल कटवा के रखे जायें ताकि रोज़ाना कंघी करने की ज़रूरत ही न रहे। यही बाब से मुनासिबत है।

बाब : (7) कंघी नाग़े से करनी चाहिए

باب(۷): التَّرَجُّلِ غِبًّا

(5058) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ़्फ़ल (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बिला नाग़ा कंघी करने से मना फ़रमाया है।

(5058) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 1756, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9315, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1480, देखें, हदीस: 5060, 5061.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا .

(5059) हज़रत हसन बस़री से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने बिला नाग़ा कंघी करने से रोका है।

(5059) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9316.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا .

(5060) हज़रत हसन बस़री और हज़रत मुहम्मद बिन सीरीन ने फ़रमाया: कंघी नाग़े से होनी चाहिए।

(5060) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9317.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، قَالاَ التَّرَجُّلُ غِبٌّ .

फ़ायदा : इस फ़रमान में उन लोगों के लिये नस़ीहत है जो हर वक़्त जेब में कंघी लिये फिरते हैं। तफ़्सीली बहस़ के लिये देखिये, हदीस: 5057 स़ही बात ये है कि ऊपर दी गई तीनों रिवायात शवाहिद व मुताबिआत की वजह से स़ही हैं।

(5061) हज़रत अब्दुल्लाह बिन शक़ीक़ से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) के स़हाबा में से एक स़हाबी मिस्र के हाकिम थे। उनका एक साथी उनके पास आया तो देखा कि उनके बाल परागन्दा और बिखरे हुये हैं। वह कहने लगा: क्या वजह है कि आपके बाल बिखरे हुये हैं, हालांकि आप हाकिम हैं? उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامِلاً بِمِصْرَ فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَإِذَا هُوَ شَعِثُ

الرَّأْسِ مُشْعَانٌ قَالَ مَا لِي أَرَاكَ مُشْعَانًا وَأَنْتَ أَمِيرٌ قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَانَا عَنِ الإِرْفَاهِ . قُلْنَا وَمَا الإِرْفَاهُ قَالَ التَّرَجُّلُ كُلَّ يَوْمٍ .

अकरम (ﷺ) हमें ज़्यादा टीप टॉप से रोका करते थे। उसने कहा: टी टॉप का क्या मतलब? उन्होंने फ़रमाया: हर रोज़ कंघी करना।

(5061) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9318.

फ़ायदा : टीप टॉप तो वसीअ मफ़हूम रखता है और हर रोज़ कंघी करना इसमें दाख़िल है न कि ये उसके मानी हैं।

باب(٨): التَّيَامُنِ فِي التَّرَجُّلِ

बाब : (8) कंघी करते वक़्त दायीं तरफ़ से इब्तेदा करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُحِبُّ التَّيَامُنَ يَأْخُذُ بِيَمِينِهِ وَيُعْطِي بِيَمِينِهِ وَيُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي جَمِيعِ أُمُورِهِ.

(5062) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) दायीं तरफ़ इख़्तियार करने को पसन्द फ़रमाते थे। अपने दायें हाथ से लेते, दायें हाथ से देते बल्कि तमाम मामलात में दायीं तरफ़ को तर्जीह देते थे।

(5062) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9321, देखें, हदीस: 112, 5242.

फ़ायदा : 'तमाम मामलात' मुराद वह मामलात हैं जो दायें से मुनासिबत रखते हों वरना इस्तिन्जा करना, नाक झाड़ना वग़ैरह बायीं ही से मुस्तहब हैं, और वह मामलात एक हाथ से सरअंजाम दिये जा सकते हों वरना जो काम दोनों हाथों से होते हैं, वहाँ दोनों हाथ इस्तेमाल होंगे, जैसे: रोटी पकाना बल्कि कुछ चीज़ों को खाना, जैसे हड्डी से गोश्त नोचना। अलबत्ता ऐसे कामों में भी दाईं से इब्तेदा की जाये, और ये सिर्फ़ मुस्तहब है। इसे फ़र्ज़ नहीं समझ लेना चाहिए। हाँ खाने पीने में दायें हाथ का इस्तेमाल ज़रूरी है, और इबादात में कि इबादात आदात से मुख़्तलिफ़ होती हैं। (मज़ीद देखिये, हदीस: 112)

باب(٩): اتِّخَاذِ الشَّعْرِ

बाब : (9) सर के बाल (लम्बे) रखना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي

(5063) हज़रत बराअ (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: मैंने किसी शख़्स को सुर्ख़ हुल्ला पहने हुये रसूलुल्लाह (ﷺ) से ज़्यादा ख़ूबसूरत नहीं देखा जब कि

إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَجُمَّتُهُ تَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ .

आपके सर मुबारक के लम्बे लम्बे बाल कंधों से टकराते थे।

(5063) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5901, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9326.

फ़ायदा : (1) मक़सूद ये है कि सुर्ख़ लिबास आप पर बहुत जचता था क्योंकि वह आपके जिस्मानी रंग व रूप से बहुत ज़्यादा मुनासिबत रखता था। रंग भी सुर्ख़ व सफेद और हुल्ला भी सुर्ख़ व सफ़ेद। **(2)** 'कंधों से' मुराद मर्द के लिये बालों को काटना ज़रूरी है। कंधों के बराबर काटे या कानों के या उससे ऊपर (तफ़सील देखिये, हदीस: 5056)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ شَعْرُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ .

(5064) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाल मुबारक निस्फ़ कानों तक होते थे।

(5064) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4185, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9323.

फ़ायदा : 'निस्फ़ कानों तक' ये साबिक़ा रिवायात के ख़िलाफ़ नहीं। काटते वक़्त निस्फ़ कानों के बराबर होंगे, फिर बढ़ जाते होंगे।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ، قَالَ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ وَرَأَيْتُ لَهُ لِمَّةً تَضْرِبُ قَرِيبًا مِنْ مَنْكِبَيْهِ .

(5065) हज़रत बराअ (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने किसी शख़्स को सुर्ख़ हुल्ला पहने हुये रसूलुल्लाह (ﷺ) से बढ़ कर ख़ूबसूरत नहीं देखा, और मैंने देखा कि आपकी ज़ुल्फ़ें कंधों के क़रीब लहराया करती थीं।

(5065) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5901, देखें, हदीस: 5063, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9327.

फ़ायदा : अरबी में सर के लम्बे बालों के लिये तीन लफ़्ज़ इस्तेमाल किये जाते हैं: वफ़रा, वह बाल जो कानों के बराबर तक हों, लिम्मा, जो कानों और कंधों के दरम्यान हों और जुम्मा, वह बाल जो कंधों से टकराते हों। प्यारे रसूले मुकर्रम (ﷺ) के मुबारक बालों के बारे में तीनों अल्फ़ाज़ आम इस्तेमाल किये गये हैं। तौजीह साबिक़ा हदीस में गुज़र चुकी है।

बाब : (10) ज़ुल्फ़ें और मेण्ढियाँ

باب(١٠): الذُّؤَابَةِ

(5066) हज़रत हुबैरा बिन यरीम से मन्क़ूल है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने फ़रमायाः तुम मुझे किस की क़िराअत के मुताबिक़ पढ़ने पर मजबूर करते हो? (ज़ैद की?) जब कि हक़ीक़त ये है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) को सत्तर से ज़्यादा सूरतें सुना चुका था जब कि ज़ैद के सर पर दो मेण्ढियाँ होती थीं। वह बच्चों के साथ खेला करता था।

(5066) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9329.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ عَلَى قِرَاءَةِ مَنْ تَأْمُرُونِّي أَقْرَأُ لَقَدْ قَرَأْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَإِنَّ زَيْدًا لَصَاحِبُ ذُؤَابَتَيْنِ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ .

फ़ायदा : हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) का मक़सद ये है कि मैं क़दीमुल इस्लाम हूँ। क़ुर्आन का बड़ा क़ारी हूँ जब कि हज़रत ज़ैद बिन साबित तो कल का बच्चा है। ये मुझसे बड़ा क़ारी कैसे हो सकता है? असल बात ये है कि हज़रत अबू बक्र, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान (ﷺ) ने हज़रत ज़ैद बिन साबित (ﷺ) को क़ुर्आन जमा करने और तर्तीब देने पर मामूर फ़रमाया। उन्होंने बड़ी जाँफ़शानी से हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के दौर में क़ुर्आन मजीद जमा किया और हज़रत उस्मान (ﷺ) के दौर में क़ुर्आन मजीद क़ुरैश के लहजे में मुरत्तब फ़रमाया। उनको इस अहम काम पर मामूर करने की वजह ये थी कि वह नौजवान और तेज़ फ़हम थे। क़ुर्आन मजीद के कातिब थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उनको किताबते क़ुर्आन पर मुक़र्रर फ़रमाया था। फिर वह उस आख़री अर्से (क़ुर्आन मजीद के दौर) में मौजूद थे जो रसूलुल्लाह (ﷺ) और हज़रत जिब्रील अमीन (ﷺ) के दरम्यान हुआ था। गोया कि वह नासिख़ मन्सूख़, क़ुर्आनी लहजा और सूरतों की तर्तीब के सबसे बड़े आलिम और वाक़िफ़ थे। फिर उनका हाफ़िज़ा भी क़वी था, बख़िलाफ़ इसके हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) ने इब्तेदाई दौर में क़ुर्आन मजीद पढ़ा था। फिर वह हज़रत उस्मान (ﷺ) के दौर में बूढ़े हो चुके थे। ज़ाहिर है कि बूढ़े आदमी की याददाश्त जवान आदमी के बराबर नहीं हो सकती मगर हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) अपनी बात पर अड़े रहे और तमाम सहाब-ए-किराम (ﷺ) के मुत्तफ़क़ा नुस्ख़-ए-क़ुर्आन की मुख़ालिफ़त करते रहे। ये उनकी फ़रो गुज़ाश्त थी मगर उनकी जलालत, क़द्र और बुज़ुर्गी की वजह से उन्हें माज़ूर क़रार दिया गया और उन पर सख़्ती न की गई।

(5067) हज़रत अबू वाइल से मरवी है कि हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) ने हमें ख़िताब फ़रमाया और कहा: तुम मुझे किस तरह मजबूर करते हो कि मैं ज़ैद बिन साबित की क़िराअत के मुताबिक़ पढ़ूँ जब कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) की ज़बान मुबारक से सत्तर से ज़्यादा सूरतें पढ़ ली थीं और ज़ैद अभी बच्चों के साथ खेला करता था। उसकी दो मेण्ढियाँ होती थीं।

(5067) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5000, मुस्लिम, हदीस: 2462.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ خَطَبَنَا ابْنُ مَسْعُودٍ فَقَالَ كَيْفَ تَأْمُرُونِّي أَقْرَأُ عَلَى قِرَاءَةِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بَعْدَ مَا قَرَأْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً وَإِنَّ زَيْدًا مَعَ الْغِلْمَانِ لَهُ ذُؤَابَتَانِ .

फ़ायदा : बच्चों के बाल क़ाबू में रखने के लिये उनकी मेण्ढियाँ बना दी जाती थीं ताकि खेल कूद में बाल ख़राब न हों। जब बच्चा समझदार हो जाता था तो मेण्ढियों की ज़रूरत नहीं रहती थी। मक़सद ये है कि वह बच्चे थे। हदीस से मेण्ढियों का जवाज़ भी मालूम होता है।

(5068) ज़ियाद बिन हुसैन अपने वालिद मोहतरम (हुसैन बिन औस (ﷺ)) से बयान करते हैं कि जब वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो आपने उनसे फ़रमाया: 'आगे आ जाओ' जब वह आपके क़रीब आ गये तो आपने अपना हाथ उनके लम्बे लम्बे बालों पर रखा और सारे सर पर हाथ फेरा और उनको दुआ दी और ख़ूब दुआ दी।

(5068) तख़रीज : (सनद हसन) अत्तबरानी फ़िल्कबीर: 4/30, हदीस: 3558, 3559, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9331.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِ الْعُرُوقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غَسَّانُ بْنُ الأَغَرِّ بْنِ حُصَيْنٍ النَّهْشَلِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمِّي، زِيَادُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِيهِ، قَالَ لَمَّا قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " ادْنُ مِنِّي " . فَدَنَا مِنْهُ فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى ذُؤَابَتِهِ ثُمَّ أَجْرَى يَدَهُ وَسَمَّتَ عَلَيْهِ وَدَعَا لَهُ .

फ़ायदा : 'ज़ुआबा' मेण्ढी को भी कहते हैं, यानी गुंधे हुये बाल। और लटकते हुये बालों को भी कह दिया जाता है जिन्हें ज़ुल्फ़ें भी कहा जाता है। वैसे ज़ुल्फ़ें उन बालों को कहा जाता है जो चेहरे पर लटकते हों। वल्लाहु आलम!

बाब : (11) लम्बे लम्बे बाल रखना

باب(١١): تَطْوِيلِ الْجُمَّةِ

(5069) हज़रत वाइल बिन हुज्र (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ तो मेरे लम्बे लम्बे बाल थे। आपने फ़रमाया: '(ये) मन्हूस चीज़ है।' मैंने समझा कि आप मुझे कह रहे हैं। मैं उठा और अपने बाल काट कर फिर हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमाया: 'मैंने तुझे नहीं कहा था। वैसे ये ज़्यादा अच्छी हालत है।'

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ، قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلِي جُمَّةٌ قَالَ " ذُبَابٌ " . وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِينِي فَانْطَلَقْتُ فَأَخَذْتُ مِنْ شَعْرِي فَقَالَ " إِنِّي لَمْ أَعْنِكَ وَهَذَا أَحْسَنُ " .

(5069) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5055य, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9332.

फ़ायदा : ज़्यादा लम्बे बालों की हिफ़ाज़त मुश्किल होती है, और इसमें औरतों से मुशाबिहत है, लिहाज़ा कटवा लेने चाहिए।

बाब : (12) दाढ़ी को गिरहें देना

باب(١٢): عَقْدِ اللِّحْيَةِ

(5070) हज़रत रुवैफ़िअ बिन साबित (ﷺ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ रुवैफ़िअ! शायद तू मेरे बाद अर्से-ए-दराज़ तक ज़िन्दा रहे, लिहाज़ा लोगों को बता देना कि जिस शख़्स ने अपनी दाढ़ी को गिरहें दीं या गले में तन्दी डाली या जानवर के गोबर और हड्डी से इस्तिन्जा किया तो मुहम्मद (ﷺ) से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، وَذَكَرَ، آخَرَ قَبْلَهُ عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، أَنَّ شُيَيْمَ بْنَ بَيْتَانَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رُوَيْفِعَ بْنَ ثَابِتٍ، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا أَوِ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ".

(5070) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 36, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9336.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जानवर की हड्डी और उसके गोबर से इस्तिन्जा करना ममनूअ है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया है। (2) इन कामों से ख़ास तौर पर दूर रहना चाहिए जिनके इर्तिकाब

पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इज़्हारे बराअत फ़रमाया है। इससे बढ़ कर नाकामी और ख़सारा क्या हो सकता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ये फ़रमा दें कि फ़ुलां शख़्स से मैं बरी हूँ। इसके साथ मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं। अआज़नल्लाहु मिन्हु (3) 'शायद' ये दरअसल पेशगोई थी कि तू मेरे बाद अर्स़ ए-दराज़ तक ज़िन्दा रहेगा। और वाक़ेअतन ऐसे ही हुआ। हज़रत रुवैफ़िअ (رضی اللہ عنہ) 53 हिजरी में फ़ौत हुये और अफ़्रीक़ा में फ़ौत होने वाले आख़री सहाबी यही हैं। 'शायद' का लफ़्ज़ इज़्हारे अब्दियत के लिये है, जैसे इन्शाअल्लाह कहा जाता है। (4) 'दाढ़ी को गिरहें दें' जैसे उमूमन सिखों में देखा जाता है या बालों को बल दे कर वैसे ही गिरहें दी जायें, दोनों सूरतें ही मज़मूम हैं। कुछ लोग बालों को इस तरह बल देते और लपेटते हैं कि बड़ी से बड़ी दाढ़ी भी छोटी महसूस होती है और बा'आसानी खुल कर लटकती भी नहीं। अगरचे बज़ाहिर दाढ़ी में गाँठ महसूस तो नहीं होती लेकिन नतीजे में उससे कम भी नहीं होती, इसलिये इस सूरते तल्फ़ीफ़ से भी इज्तेनाब बेहतर है। दाढ़ी में सुन्नत तरीक़ा तसरीह है, यानी उसे खुला छोड़ा जाये। दाढ़ी को बल दे कर ऊपर चढ़ा लेना एक ग़ैर ज़रूरी तकल्लुफ़ सा लगता है, लिहाज़ा इससे एहतिराज़ बेहतर है। कुछ ने इससे मुराद ये लिया है कि नमाज़ के दौरान में दाढ़ी से खेलते नहीं रहना चाहिए। या नमाज़ शुरू करने से पहले दाढ़ी को मिट्टी से बचाने के लिये गिरह नहीं देनी चाहिए, जैसे आपने सर के बाल बाँधने और कपड़े समेटने से रोका है। गोया नमाज़ में अपने जिस्म वग़ैरह को मिट्टी से बचाने ही की फ़िक्र नहीं करते रहना चाहिए बल्कि तवज्जा नमाज़ की तरफ़ ही रहनी चाहिए। (5) 'तन्दी डाली' ज़बह शुदा जानवर के पट्ठे की रग को तन्दी कहते हैं। ये बहुत मज़बूत होती है। क़ोस के किनारों को बाँधी जाती है ताकि लचक की वजह से तीर दूर फेंकने में मदद मिले। जाहिलियत में लोग काहिनों से तन्दी पढ़वा कर अपने गले में डालते थे ताकि नज़रे बद से महफ़ूज़ रहें। चूंकि काहिन शिर्किया अल्फ़ाज़ पढ़ते थे, लिहाज़ा उससे मना फ़रमाया। (6) 'गोबर और हड्डी से इस्तिन्जा' क्योंकि उनसे सफ़ाई नहीं होती, इसलिये उनसे इस्तिन्जा करना मना है, और ये जिन्नों की ख़ूराक हैं। गोया वैसे भी गन्दगी की तरह है।

बाब : (13)
सफ़ेद बाल उखेड़ने की मुमानिअत

باب(١٣): النَّهْيِ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ

(5071) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (رضی اللہ عنہ)) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सफ़ेद बाल उखेड़ने से मना फ़रमाया है।

तख़रीज: (सनद हसन) अबू दाऊद:4202, तिर्मिज़ी:2821, इब्ने माजा: 3721, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9337.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका दाढ़ी और सर के सफ़ेद बाल बाक़ी रखने और उनको ज़ाइल न करने पर दलालत करती है, इसलिये कि मोमिन की सफ़ेद बालों की बाबत रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह मोमिन का नूर है।' (सुनन इब्ने माजा, हदीस: 3721) सुनन अबू दाऊद की रिवायत में ये वज़ाहत भी मौजूद है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस मुसलमान के बाल हालते इस्लाम में सफ़ेद हो जायें क़यामत के दिन ये उसके लिये नूर होंगे।' मज़ीद बरां आपने ये भी फ़रमाया है कि अल्लाह तआला उसके एक एक बाल के ऐवज़ उसकी नेकी लिखता है और उसके ऐवज़ उससे एक गुनाह दूर करता है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 4202) **(2)** यहाँ एक इश्काल वारिद होता है कि अहादीस में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सफ़ेद बाल रंगने का हुक्म भी दिया है। दोनों क़िस्म की इन अहादीस में तत्बीक़ ये हो सकती है कि सफ़ेद बालों को रंगने का हुक्म सिर्फ़ यहूद व नसारा की मुख़ालिफ़त करने के लिये दिया गया है क्योंकि ये अपने सफ़ेद बालों को नहीं रंगते। ये भी हो सकता है कि जब बाल हालते इस्लाम में सफ़ेद हो जायें तो फिर रंगने के बावजूद भी मोमिन मज़्कूरा फ़ज़ीलत का मुस्तहिक़ क़रार पाता है। वल्लाहु आलम!

बाब : (14) बालों को रंगना जायज़ है

باب(١٤): الإِذْنِ بِالْخِضَابِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمِّي، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ قَالَ أَبُو سَلَمَةَ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ح وَأَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لاَ تَصْبُغُ فَخَالِفُوهُمْ " .

(5072) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यहूदी और ईसाई सफ़ेद बालों को नहीं रंगते, लिहाज़ा तुम उनकी मुख़ालिफ़त करो।'

(5072) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3462, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9338, 939.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मुख़ालिफ़त करने से मुराद बाल रंगना है और उसकी कई सूरतें हैं: ○ उनको स्याह रंग से रंग लिया जाये। लेकिन हदीस में इसकी मुमानिअत है। ○ हिना, यानी महंदी से रंगा जाये और हिना का रंग मारूफ़ है, यानी सुर्ख़, ○ हिना और कतम से रंगा जाये और ये रंग स्याही

माइल सुर्ख़ होता है। (2) दाढ़ी और सर के बालों को रंगना वाजिब है या मुस्तहब? इस मसले में अहले इल्म का इख़्तिलाफ़ है, ताहम हक़ ये है कि अहादीसे मुबारका में बालों को रंगने ही का हुक्म है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है: 'यहूदी और ईसाई अपने बाल नहीं रंगते, तुम उनकी मुख़ालिफ़त करो, यानी बालों को रंगो।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5899, व सहीह मुस्लिम, हदीस: 2103) इस हदीस में मुत्लक़न मुख़ालिफ़त का हुक्म है। मतलब ये है कि बालों को सफ़ेद न रहने दो बल्कि उनको रंग लो, ख़्वाह किसी रंग से हो, बालों को काला करने के क़ाइल इसी मुत्लक़ हुक्म से इस्तेदलाल करते हैं लेकिन ये इस्तेदलाल दुरुस्त नहीं क्योंकि नबी (ﷺ) ने बिल्कुल स्याह रंग के ख़िज़ाब से मना फ़रमाया है जैसा कि सहीह मुस्लिम में है कि फ़तहे मक्का वाले दिन हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (رضي الله عنه) के वालिद हज़रत अबू क़ुहाफ़ा (رضي الله عنه) को नबी (ﷺ) की ख़िदमत में लाया गया तो उनके सर और दाढ़ी के बाल सग़ामा बूटी की तरह सफ़ेद थे। नबी (ﷺ) ने उन्हें देख कर फ़रमाया: 'उसे किसी रंग से बदल दो लेकिन स्याह रंग से बचना।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2102) इस हदीसे मुबारका से वाज़ेह हो गया कि सर और दाढ़ी के बालों को रंगने का हुक्म तो है लेकिन काले रंग के अलावा किसी और रंग से उन्हें रंगा जायेगा। बाक़ी रहा ये मसला कि बालों को रंगना फ़र्ज़ है या मुस्तहब? तो इसके मुताल्लिक़ उलमा की दोनों राय हैं। कुछ अहले इल्म वजूब के क़ाइल हैं और कुछ इसे मुस्तहब ही समझते हैं। हमारे ख़याल में इस्तेहबाब वाला मौक़िफ़ अक़रब इलस्सवाब है। हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान (رحمه الله) एक इस्तेफ़ता का जवाब देते हुये रक़म तराज़ हैं: अहादीस में रसूलुल्लाह (ﷺ) के बालों को रंगने का भी ज़िक्र है और न रंगने का भी जिससे पता चलता है कि आपका रंगने से मुताल्लिक़ अम्र नुदुब (इस्तेहबाब) पर महमूल है, अलबत्ता कुल के कुल बाल सफ़ेद हो जायें कोई एक बाल भी स्याह न रहे तो फिर रंगने की मज़ीद ताकीद है जैसा कि अबू क़ुहाफ़ा, वालिद अबी बक्र (رضي الله عنه) वाली हदीस से अयां है। देखिये: (अहकाम व मसाइल: 1/531) मौलाना सफ़ीउर्रहमान मुबारक पूरी (رحمه الله) सहीह मुस्लिम क। शरह में लिखते हैं 'ख़िज़ाब का हुक्म इस्तेहबाब के लिये होना चाहिए न कि वजूब के लिये इसलिये कि हज़रत अली, उबय बिन कअब, सलमा बिन अक्वा और हज़रत अनस और सहाबा की एक जमाअत ने ख़िज़ाब के हुक्म पर अमल नहीं किया। (رضي الله عنهم). मज़ीद बरां ये कि इनके अलावा दूसरे बहुत से सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) का तर्ज़े अमल भी इस पर शाहिद है। गोया उन्होंने इसकी ज़रूरत महसूस नहीं की। हज़रत अबू बक्र (رضي الله عنه) उनमें मुमताज़ हैं।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ

(5073) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह(ﷺ) से साबिक़ा रिवायत की मिस्ल हदीस बयान करते हैं।

اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِهِ .

(5073) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9340.

أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ " إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ تَصْبُغُ فَخَالِفُوا عَلَيْهِمْ فَاصْبُغُوا " .

(5074) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यहूदी और ईसाई बाल नहीं रंगते। तुम उनकी मुख़ालिफ़त करो और बाल रंगो।'

(5074) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9341.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى، - وَهُوَ ابْنُ يُونُسَ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ، وَأَبِي، سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ تَصْبُغُ فَخَالِفُوهُمْ" .

(5075) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यहूदी और ईसाई बाल नहीं रंगते तुम उनकी मुख़ालिफ़त करो।'

(5075) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5899, मुस्लिम, हदीस़: 2103, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9343.

أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ " غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ" .

(5076) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सफ़ेद बालों को रंग से बदल लिया करो और यहूदियों से मुशाबिहत न करो।'

(5076) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9344.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ" غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ". وَكِلاَهُمَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ .

(5077) हज़रत ज़ुबैर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सफ़ेद बालों को रंग लिया करो और यहूदियों की मुशाबिहत इख़्तियार न करो' ये दोनों रिवायतें ग़ैर महफ़ूज़ हैं।

(5077) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 1/165, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9345.

फ़ायदा : बालों से मुराद सर, दाढ़ी और मूँछों के सब बाल हैं, इसलिये तमाम बालों की बाबत हुक्म यही है, और ये भी याद रहे कि दीगर अहकाम की तरह इस हुक्म में भी औरतें मर्दों के ताबेअ़ हैं, यानी उन्होंने अपने सफ़ेद बाल रंगने हों तो वह भी उन्हें काले रंग से न रंगें बल्कि किसी और रंग ही से रंगें।

बाब : (15)
काला ख़िज़ाब करने की मुमानिअ़त

النَّهْيُ عَنِ الْخِضَابِ بِالسَّوَادِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، - وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو - عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَفَعَهُ أَنَّهُ قَالَ " قَوْمٌ يَخْضِبُونَ بِهَذَا السَّوَادِ آخِرَ الزَّمَانِ كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ لاَ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ " .

(5078) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से मरफ़ूअ़न रिवायत है कि आख़री ज़माने में ऐसे लोग होंगे जो स्याह रंग से अपने बाल रंगेंगे जैसे कबूतरों के सीने होते हैं। वह जन्नत की ख़ूशबू भी नहीं पायेंगे।

(5078) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4212, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9346, व सहीह इबने हिब्बान, वलहाकिम वग़ैरहुम.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बालों को रंगने के हवाले से नौजवान लड़के और लड़कियाँ फ़ी ज़माना मुख़्तलिफ़ बे'ऐतदालियों का शिकार हैं, जैसे: बालों वग़ैरह को डाई कराना, यानी जैसा लिबास वैसे ही बालों की रंगत और इसी तरह आँखों में, डाई शुदा बालों और लिबास की मुनासिबत से लेन्ज़ वग़ैरह लगवाना। ये काम न सिर्फ़ नाजायज़ हैं बल्कि इसमें कुफ़्फ़ार की औरतों के साथ मुशाबिहत भी यक़ीनी है। इसके साथ साथ ये तग़य्युर लिखल्किल्लाह भी है यानी अल्लाह की तख़्लीक़ को बदलना और इसमें तब्दीली करना भी है, लिहाज़ा अहले इस्लाम की ये शरई और अख़्लाक़ी ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी बहू, बेटियों, और दीगर मुताल्लिक़ा ख़्वातीन को इस क़बीह काम से रोकें, उन्हें अल्लाह तआला, उसके रसूल (ﷺ) और क़ुर्आन व हदीस़ की सरीह मुख़ालिफ़त करने से बाज़ रखें और आख़िरत की। मआज़ल्लाह! नाकामी व नामुरादी का ख़ौफ़ दिलायें। अग़यार, यानी ग़ैर मुसलमानों, यहूदियों ईसाईयों और हिन्दूओं वग़ैरह की देखा देखी, और 'रोशन ख़याली' के नाम पर हम रोज़ ब रोज़ दीन से दूर से दूर तर होते जा रहे हैं और अपनी औलाद को जहन्नम का ईंधन बना रहे हैं और ये सब कुछ ठण्डे पेटों बर्दाश्त कर रहे हैं। अल्लाह तआला हमें इस दुनियावी व उख़रवी ख़सारे से महफ़ूज़ फ़रमाये। आमीन! (2) स्याह ख़िज़ाब का इस्तेमाल हराम है, जिसकी सज़ा ये है कि ऐसा इन्सान जन्नत की ख़ूशबू भी नहीं पायेगा। (3) मरफ़ूअ़न, यानी ये रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान है। (4) 'जैसे कबूतरों के सीने' कबूतर का सीना उमूमन स्याह होता है। और मिसाल उमूम के लिहाज़ से होती है न कि

चन्द अफ़राद के लिहाज़ से। (5) 'ख़ूशबू नहीं पायेंगे' यानी जन्नत में दाख़िल होने के बावजूद या अव्वलीन तौर पर जन्नत में नहीं जायेंगे बल्कि उन्हें सज़ा भुगतना होगी।

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " غَيِّرُوا هَذَا بِشَىْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ ".

(5079) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत अबू क़ुहाफ़ा (ﷺ) को फ़तहे मक्का के दिन लाया गया तो उनके सर और दाढ़ी के बाल स़ग़ामा पौधे (के फल और फूल) की तरह बिलकुल सफ़ेद थे। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'उनको किसी रंग से बदल दो मगर स्याह रंग से परहेज़ करना।'

(5079) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 79/2102, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9347.

फ़वाइद व मसाइल : (1) स़ग़ामा एक पौधा है जो पहाड़ की चोटी पर उगता है। उसको सफ़ेद फल और फूल लगते हैं। जब वह ख़ुश्क हो जाता है तो उसकी सफ़ेदी बढ़ जाती है। और फूलों की कस़रत की बिना पर दूर से दरख़्त भी सफ़ेद ही नज़र आता है। (2) 'परहेज़ करना' जब बूढ़े शख़्स़ को जिससे धोखे का ख़तरा नहीं, स्याह रंग मना है तो जिस शख़्स़ में धोखे का इम्कान है, उसे कैसे इसकी इजाज़त हो सकती है। (3) 'अबू क़ुहाफ़ा' हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) के वालिद गिरामी थे।

باب(١٦): الْخِضَابِ بِالْحِنَّاءِ وَالْكَتَمِ

बाब : (16) मेहंदी और वस्मा मिलाकर लगाना जायज़ है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا بِهِ أَبِي، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَفْضَلُ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّمَطَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ " .

(5080) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन वह चीज़ जिसके साथ तुम सफ़ेद बालों को रंगो, मेहंदी और वस्मा है।'

(5080) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9349.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़े मुबारका से मालूम होता है कि मेहंदी और वस्मे का ख़िज़ाब बेहतरीन और अफ़ज़ल है, और ख़िज़ाब स़िर्फ़ यही दो चीज़ें (मेहंदी और वस्मा) ही नहीं बल्कि दीगर भी कई एक ख़िज़ाब हैं। एहतियात स़िर्फ़ काले स्याह ख़िज़ाब करने से है और ये मुमानिअ़त मर्द और

औरत के लिये यक्सां है। (2) ये हदीसे मुबारका कि मख़्लूत चीज़ों से बनाये गये ख़िज़ाब के इस्तेमाल पर भी दलालत करती है। (3) मेहंदी और वस्मा दोनों को मिलाने से रंग ख़ालिस स्याह नहीं रहता बल्कि सुर्ख़ी माइल हो जाता है।

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ " .

(5081) हज़रत अबू ज़र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन वह चीज़ जिससे तुम सफ़ेद बालों का रंग बदलो, मेहंदी और वस्मे का आमेज़ा है।'

(5081) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी: 1753, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9350, व सहीह इब्ने हिब्बान: 1475.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَشْعَثَ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الأَجْلَحِ، فَلَقِيتُ الأَجْلَحَ فَحَدَّثَنِي عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ " إِنَّ مِنْ أَحْسَنِ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءَ وَالْكَتَمَ "

(5082) हज़रत अबू ज़र (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'सबसे अच्छी चीज़ जिसके साथ तुम सफ़ेद बालों को रंगदार करो, मेहंदी और वस्मे का मुरक्कब है।'

(5082) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9351.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْثَرٌ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ الدِّيلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ " . خَالَفَهُ الْجُرَيْرِيُّ وَكَهْمَسٌ .

(5083) हज़रत अबू ज़र (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन वह चीज़ जिससे तुम सफ़ेद बालों को रंगीन करो, मेहंदी और वस्मे का मजमूअ है।' जुरैरी और कहमस ने (इस रिवायत के बयान करने में अज्लह की) मुख़ालिफ़त की है।

(5083) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5081, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9352.

फ़ायदा : मुख़ालिफ़त की वजह ये है कि अज्लह अपनी सनद से उसे मुत्तसिल बयान करते हैं, जबकि सईदुल जुरैरी और कहमस बिन हसन ने इसे मुर्सल बयान किया है। लेकिन इससे सेहते हदीस पर कोई

फ़र्क़ नहीं पड़ता क्योंकि मुत्तसिल रिवायत की दीगर रिवायात से ताईद होती है, बिलख़ुसूस अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला की मज़्कूरा मौसूल रिवायत भी इसकी मुईद (ताईद करने वाली) है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ " .

(5084) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सबसे अच्छी चीज़ जिसके साथ तुम सफ़ेद बालों का रंग बदलो, मेहंदी और वस्मे का आमेज़ा है।'

(5084) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5081, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9353.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ كَهْمَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ " .

(5085) हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा से रिवायत है कि मुझे ये बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेहतरीन वह चीज़ जिसके साथ तुम सफ़ेद बालों का रंग तब्दील करो, मेहंदी और वस्मे का मुरक्कब है।'

(5085) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5081, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9355.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ أَتَيْتُ أَنَا وَأَبِي النَّبِيَّ، صلى الله عليه وسلم وَكَانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالْحِنَّاءِ .

(5086) हज़रत अबू रिम्सा (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया: मैं अपने वालिद मोहतरम (رضی اللہ عنہ) के साथ नबी-ए अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। आपने अपनी दाढ़ी को मेहंदी लगा रखी थी।

(5086) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4206, 4207, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9356, तिर्मिज़ी, हदीस: 2812, व इब्ने हिब्बान, 1522, वल हाकिम: 2/426, 607 वज़्ज़हबी वग़ैरहुम.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) उमूमन दाढ़ी को नहीं रंगते थे क्योंकि सिर्फ़ चन्द बाल सफ़ेद थे जिनको उँगलियों पर गिना जा सकता था, रंगने की ज़रूरत ही नहीं थी मगर कभी कभार आपने मेहंदी लगाई होगी।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ،

(5087) हज़रत अबू रिम्सा (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) की

عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَرَأَيْتُهُ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالصُّفْرَةِ.

ख़िदमत में हाज़िर हुआ। मैंने देखा कि आपने दाढ़ी ज़र्द कर रखी थी।

(5087) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9357.

फ़ायदा : दाढ़ी ज़र्द करने से मुराद मेहंदी लगाना ही है जैसा कि ऊपर गुज़रा। मेहंदी का रंग भी तक़रीबन ज़र्द ही होता है।

باب(١٧): الْخِضَابِ بِالصُّفْرَةِ

बाब : (17) ज़र्द रंग से ख़िज़ाब करना

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْخَلُوقِ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّكَ تُصَفِّرُ لِحْيَتَكَ بِالْخَلُوقِ . قَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَفِّرُ بِهَا لِحْيَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ شَىْءٌ مِنَ الصِّبْغِ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْهَا وَلَقَدْ كَانَ يَصْبُغُ بِهَا ثِيَابَهُ كُلَّهَا حَتَّى عِمَامَتَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ قُتَيْبَةَ .

(5088) हज़रत ज़ैद बिन असलम से रिवायत है कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को देखा, उन्होंने अपनी दाढ़ी को ख़लूक़ से ज़र्द कर रखा था। मैंने कहा: ऐ अबू अब्दुर्रहमान! आप अपनी दाढ़ी को ख़लूक़ से रंगते हैं, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़लूक़ से दाढ़ी रंगते देखा है। और आपको इससे बढ़ कर कोई रंग प्यारा नहीं था। आप उससे अपने सब कपड़े यहाँ तक कि पगड़ी भी रंग लिया करते थे।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा: ये हदीस अबू कुतैबा की हदीस की निस्बत ज़्यादा सही है।

(5088) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4064, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9358.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) का मज़्कूरा क़ौल, सुनन नसाई के मुख़्तलिफ़ नुस्ख़ों में मुख़्तलिफ़ अन्दाज़ में दर्ज है। एक नुस्ख़े में अल्फ़ाज़ हैं: व हाज़ा औला ..... हिन्दी नुस्ख़े में अल्फ़ाज़ हैं: व हाज़ा औला बिस्सवाब .... एक नुस्ख़े में ये अल्फ़ाज़ हैं: व हाज़ा औला ...... शारेह सुनन नसाई अल्लामा मुहम्मद बिन अली अत्यूबी (رحمه الله) ने आख़री अल्फ़ाज़ को दुरुस्त क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/87) वल्लाहु आलम! **(2)** 'ख़लूक़' एक ज़नाना ख़ुशबू है जो ज़ाफ़रान वग़ैरह को मिलाकर बनाई जाती है। रंग ज़र्द सुर्ख़ होता है। आम तौर पर ये औरतों के इस्तेमाल में आती है, इसलिये मर्दों को इससे रोका भी गया है। शायद बयाने

जवाज़ के लिये आपने कभी कभार एक आध बार इसे इस्तेमाल फ़रमाया हो। मर्दों के लिये इसका इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। हाँ कोई और ख़ुशबू न मिले तो मजबूरी की हालत में कभी कभार इस्तेमाल हो जाये तो गुंजाइश है। वल्लाहु आलम!

(5089) हज़रत क़तादा से रिवायत है कि मैंने हज़रत अनस (ﷺ) से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बालों को रंगा है? आपने फ़रमाया: इसकी नौबत ही नहीं आई थी। सिर्फ़ आपकी कंपटियों में कुछ ही बाल सफ़ेद थे।

(5089) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3550, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9361.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَأَلَهُ هَلْ خَضَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ فِي صُدْغَيْهِ .

फ़ायदा : सही बात ये है कि आपके बाल मुबारक इतने सफ़ेद नहीं हुये थे कि उनको रंगने की ज़रूरत पड़ती। कुछ अहादीस में रंगने का जो ज़िक्र आया है, वह कभी कभार पर महमूल होगा।

(5090) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने बालों को नहीं रंगते थे। आपके सफ़ेद बाल थोड़े से दाढ़ी बच्चा में थे, कुछ कंपटियों में थे और मामूली से सर मुबारक में थे।

(5090) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 104/2341.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَكُنْ يَخْضِبُ إِنَّمَا كَانَ الشَّمَطُ عِنْدَ الْعَنْفَقَةِ يَسِيرًا وَفِي الصُّدْغَيْنِ يَسِيرًا وَفِي الرَّأْسِ يَسِيرًا .

फ़ायदा : 'दाढ़ी बच्चा' नीचे हौंट और ठोड़ी के दरम्यानी जगह के बालों को कहते हैं। सफ़ेदी उमूमन यहीं से शुरू होती है या कंपटियों से।

(5091) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि नबी (ﷺ) दस कामों को नापसन्द फ़रमाते थे (मर्दों का) ख़लूक़ लगाना, सफ़ेद बालों को स्याह करना, तहबन्द (टख़नों से नीचे) लटकाना, (मर्दों के लिये) सोने की अंगूठी पहनना, शतरंज खेलना, नामुनासिब मक़ाम पर

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ الرُّكَيْنَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَكْرَهُ

عَشْرَ خِصَالٍ الصُّفْرَةَ يَعْنِي الْخَلُوقَ وَتَغْيِيرَ الشَّيْبِ وَجَرَّ الإِزَارِ وَالتَّخَتُّمَ بِالذَّهَبِ وَالضَّرْبَ بِالْكِعَابِ وَالتَّبَرُّجَ بِالزِّينَةِ لِغَيْرِ مَحِلِّهَا وَالرُّقَى إِلاَّ بِالْمُعَوِّذَاتِ وَتَعْلِيقَ التَّمَائِمِ وَعَزْلَ الْمَاءِ بِغَيْرِ مَحِلِّهِ وَإِفْسَادَ الصَّبِيِّ غَيْرَ مُحَرِّمِهِ .

औरत का इज़्हारे ज़ीनत करना, मुअव्विज़ात वग़ैरह के अलावा दम करना, तमीमे लटकाना, मनी ग़लत मक़ाम पर ज़ाया करना और छोटे बच्चे में ख़राबी डालना लेकिन आप इस (आख़री काम) को हराम नहीं फ़रमाते थे।

(5091) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4222, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9313.

फ़ायदा : मुहक़्क़िक़े किताब का रिवायत की सनद को हसन क़रार देना महल्ले नज़र है क्योंकि अब्दुर्रहमान बिन हरमला राजेह क़ौल के मुताबिक़ ज़ईफ़ रावी है, इसलिये ये रिवायत मुन्कर और ज़ईफ़ है, ताहम दीगर दलाइल की रू से मज़्कूरा दस कामों में से कुछ क़तअन हराम हैं और कुछ मकरूह। तफ़्सील के लिये देखिये: (तमामुल मिनह, सफ़ा: 75, वल मौसूअतुल हदीसिया मुसनद अहमद: 6/92)

باب(۱۸): الْخِضَابُ لِلنِّسَاءِ

बाब : (18) औरतों के लिये मेहंदी लगाना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعُ بْنُ مَيْمُونٍ، حَدَّثَتْنَا صَفِيَّةُ بِنْتُ عِصْمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً، مَدَّتْ يَدَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِكِتَابٍ فَقَبَضَ يَدَهُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَدَدْتُ يَدِي إِلَيْكَ بِكِتَابٍ فَلَمْ تَأْخُذْهُ . فَقَالَ " إِنِّي لَمْ أَدْرِ أَيَدُ امْرَأَةٍ هِيَ أَوْ رَجُلٍ " . قَالَتْ بَلْ يَدُ امْرَأَةٍ . قَالَ " لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ " .

(5092) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि एक औरत ने अपने हाथ में एक तहरीर पकड़ कर आपकी तरफ़ बढ़ाई। आपने अपना हाथ पीछे कर लिया। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने अपने हाथ में एक तहरीर पकड़ कर आपकी तरफ़ बढ़ाई थी लेकिन आपने नहीं पकड़ी। आपने फ़रमाया: 'मुझे मालूम नहीं था कि ये औरत का हाथ है या मर्द का?' मैंने कहा: ये औरत का हाथ था। आपने फ़रमाया: 'अगर तू औरत होती तो अपने नाख़ुन मेहंदी के साथ रंग लेती।'

(5092) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4166, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9364.

बाब : (19) मेहंदी की बू नापसन्द होने का बयान

(5093) हज़रत करीमा ने कहा कि मैंने हज़रत आयशा से एक औरत को मेहंदी लगाने के बारे में सवाल करते हुये सुना। हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: कोई हर्ज नहीं लेकिन मैं इसे ना पसन्द करती हूँ क्योंकि मेरे महबूब (ﷺ) इसकी बू को नापसन्द फ़रमाते थे।

(5093) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद: 4164, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9365.

باب(١٩): كَرَاهِيَةِ رِيحِ الْحِنَّاءِ

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو زَيْدٍ، سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ سَمِعْتُ كَرِيمَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ عَنِ الْخِضَابِ، بِالْحِنَّاءِ قَالَتْ لاَ بَأْسَ بِهِ وَلَكِنْ أَكْرَهُ هَذَا لأَنَّ حِبِّي ﷺ كَانَ يَكْرَهُ رِيحَهُ . تَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ.

बाब : (20) बाल उखेड़ना

(5094) हज़रत अबुल हुसैन, हैसम बिन शुफ़ै ने कहा कि मैं और मेरा एक साथी, जो (यमन के इलाक़े) मआफ़िर से था और उसका नाम अबू आमिर था। बैतुल मक़्दिस में नमाज़ पढ़ने के इरादे से चले। वहाँ एक सहाबी जिनका नाम अबू रैहाना अज़दी (ﷺ) था, वाज़ फ़रमा रहे थे। मेरा साथी मुझसे पहले मस्जिद में चला गया (और वाज़ सुनने लगा) फिर मैं भी उसके पास पहुँच गया और उसके पहलू में बैठ गया। वह मुझसे पूछने लगा: क्या तूने हज़रत अबू रैहाना(ﷺ) का वाज़ सुना है? मैंने कहा: नहीं। वह कहने लगा: मैंने उनको फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दस कामों से मना फ़रमाया है: दाँतों को रगड़ कर बारीक करना, जिस्म को गुदवाना (जिस्म खोद कर रंग भरना), बाल उखेड़ना, आदमी का आदमी के साथ नंगे जिस्म लेटना, औरत का

باب(٢٠): النَّتْفِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي وَأَبُو الأَسْوَدِ النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، قَالاَ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ شُفَىٍّ، -وَقَالَ أَبُو الأَسْوَدِ شَفِيٍّ - إِنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ خَرَجْتُ أَنَا وَصَاحِبٌ، لِي يُسَمَّى أَبَا عَامِرٍ - رَجُلٌ مِنَ الْمَعَافِرِ - لِنُصَلِّيَ بِإِيلِيَاءَ وَكَانَ قَاصُّهُمْ رَجُلاً مِنَ الأَزْدِ يُقَالُ لَهُ أَبُو رَيْحَانَةَ مِنَ الصَّحَابَةِ قَالَ أَبُو الْحُصَيْنِ فَسَبَقَنِي صَاحِبِي إِلَى الْمَسْجِدِ ثُمَّ أَدْرَكْتُهُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ هَلْ أَدْرَكْتَ قَصَصَ أَبِي

رَيْحَانَةَ فَقُلْتُ لاَ . فَقَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ عَشْرٍ عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ وَالنَّتْفِ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَعَنْ مُكَامَعَةِ الْمَرْأَةِ الْمَرْأَةَ بِغَيْرِ شِعَارٍ وَأَنْ يَجْعَلَ الرَّجُلُ أَسْفَلَ ثِيَابِهِ حَرِيرًا مِثْلَ الأَعَاجِمِ أَوْ يَجْعَلَ عَلَى مَنْكِبَيْهِ حَرِيرًا أَمْثَالَ الأَعَاجِمِ وَعَنِ النُّهْبَى وَعَنْ رُكُوبِ النُّمُورِ وَلُبُوسِ الْخَوَاتِيمِ إِلاَّ لِذِي سُلْطَانٍ .

औरत के साथ नंगे जिस्म लेटना, अज्मियों की तरह कंधों पर रेशमी कपड़ा डालना, डाका डालना, चीते की खाल पर सवार होना और अंगूठी पहनना अलावा हाकिम के (और वह अंगूठी पहन सकता है)

(5094) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4049, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9366.

फ़ायदा : ये रिवायत ज़ईफ़ है, ताहम सफ़ेद बाल या चेहरे से बाल उखेड़ना दीगर सही अहादीस की रू से हराम है, अलबत्ता चाँदी की अंगूठी का जवाज़ है, इसी लिये कुछ उलमा ने इस रिवायत को दीगर शवाहिद की बिना पर सही लिग़ैरिही कहा है। देखिये: (अल मौसूअतुल हदीसिया, मुसनद अहमद: 28/442)

بَابُ (٢١): وَصْلِ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ

बाब : (21) जाली (नकली) बाल मिलाना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ .

(5095) हज़रत मुआविया (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जाली बाल लगाने से मना फ़रमाया है।

(5095) तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3488, मुस्लिम, हदीस: 123/2127.

फ़ायदा : औरत के लिये तज़ईन व आराइश और बनना संवरना जायज़ है मगर जिसमें ग़ैर ज़रूरी तकल्लुफ़ न हो, जैसे: वह नहाये धोये, सुरमा डाले, तेल व ख़ुशबू लगाये, (ख़ाविन्द के लिये) सुर्ख़ी व मेहंदी लगाये, ज़ेवरात पहने मगर ग़ैर ज़रूरी तकल्लुफ़ मना है जिसकी चन्द सूरतें पिछली हदीस में गुज़री हैं। बालों की कस्रत और तवालत ज़ाहिर करने के लिये असल बालों के अलावा और बाल जोड़ना जब कि इतने ज़्यादा और इतने लम्बे बालों की ज़रूरत भी नहीं। फिर इसमें धोखा भी पाया जाता है क्योंकि बाल इस तरह जोड़े जाते हैं कि नज़र यही आये कि असल बाल ही इतने लम्बे हैं। अलबत्ता बालों को क़ाबू में रखने के लिये परान्दा लगाना जायज़ है। छोटा हो या बड़ा क्योंकि वह धागे वग़ैरह से बनाया जाता

है। इसमें कोई ज़ालसाज़ी या धोखादेही नहीं। ग़ैर ज़रूरी तकल्लुफ़ मर्दों को अपनी तरफ़ माइल करने के लिये किया जाता है जिससे ज़िना फैलता है जो क़ौमों की तबाही व हलाकत का सबब है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ رَأَيْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَمَعَهُ فِي يَدِهِ كُبَّةٌ مِنْ كُبَبِ النِّسَاءِ مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ مَا بَالُ الْمُسْلِمَاتِ يَصْنَعْنَ مِثْلَ هَذَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ زَادَتْ فِي رَأْسِهَا شَعْرًا لَيْسَ مِنْهُ فَإِنَّهُ زُورٌ تَزِيدُ فِيهِ "

(5096) हज़रत सईद मक़्बुरी (رحمه الله) से रिवायत है कि मैंने देखा, हज़रत मुआविया बिन अबू सुफ़ियान (رضي الله عنه) मिम्बरे (मदीना) पर बैठे थे और उनके हाथ में जाली बालों का एक गुच्छा था। उन्होंने फ़रमाया: क्या बात है कि मुसलमान औरतें ये काम करती हैं? मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जो औरत अपने सर के बालों में और बालों का इज़ाफ़ा करे तो ये जालसाज़ी है जिससे वह इज़ाफ़ा कर रही है।'

(5096) तख़रीज : (सनद हसन) अत्तबरानी फ़िल्कबीर: 19/345, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9372.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से मालूम हुआ कि अगर कोई औरत अपने सर के क़ुदरती और असली बालों के साथ नक़ली या किसी दूसरी औरत के बाल जुड़वाये ताकि उसके बाल लम्बे नज़र आयें जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के बेहतरीन दौर में भी औरतें ये काम करती थीं, तो ऐसा करना शरअन हराम और नाजायज़ है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि औरत के बाल जब तक उसके सर पर मौजूद हों उनकी पर्दा है और ग़ैर महरम लोगों से उनको छुपाना ज़रूरी है, ताहम जब वह अलग हो जायें तो न तो उन्हें ज़ाया करना और दफ़न करना ज़रूरी है और न ग़ैर महरम मर्दों से छुपाना ज़रूरी है जैसा कि हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) ने अपने हाथ में औरत के बालों का गुच्छा पकड़ा हुआ था और उन्होंने वह गुच्छा लोगों के सामने भी किया। **(3)** बद अमली और मआसियत के मुर्तकिब लोगों को हलाकत व तबाही के गढ़े में गिरने से पहले मुतन्नबा करना, और उन्हें उसके ख़तरनाक नताइज से डराना ज़रूरी है ताकि वह लोग अल्लाह तआला के अज़ाब का शिकार होने से बच जायें और सिराते मुस्तक़ीम के राही बन जायें। **(4)** दौराने ख़ुत्बा लोगों को दिखाने के लिये कोई चीज़ हाथ में पकड़ी जा सकती है, और बनी इस्राईल या दीगर अक़्वाम की हलाकत और तबाही व बर्बादी के वाक़ेआत, इबरत के लिये बयान किये जा सकते हैं ताकि लोगों को मालूम हो कि अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की नाफ़रमानी का नतीजा किस क़द्र ख़तरनाक और तबाह कुन होता है। **(5)** ये हज़रत मुआविया (رضي الله عنه) के दौरे ख़िलाफ़त और उनके आख़री हज की बात है। वह मदीना मुनव्वरा भी हाज़िर हुये थे।

बाब : (22) जाली बाल लगाने वाली औरत

باب(٢٢): الْوَاصِلَةِ

(5097) हज़रत अस्मा बिन्ते अबी बक्र (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जाली बाल लगाने वाली और लगवाने वाली पर लानत फ़रमाई है।

(5097) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 5936, मुस्लिम: 115/2122, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9374.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنِ امْرَأَتِهِ، فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'लगाने वाली' ख़्वाह उजरत पर लगाये या ख़ुशी से क्योंकि हराम काम में तआवुन भी हराम है। **(2)** 'लानत फ़रमाई' किसी का नाम लेकर उस पर लानत करना जायज़ नहीं मगर किसी वस्फ़ का ज़िक्र करके लानत की जा सकती है, जैसे चोर पर लानत। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है।

बाब : (23) जाली बाल लगवाने वाली औरत

باب(٢٣): الْمُسْتَوْصِلَةِ

(5098) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जाली बाल लगाने वाली, लगवाने वाली, रंग भरने वाली और भरवाने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है।

वलीद बिन अबू हिशाम ने इस रिवायत को मुर्सल बयान किया है।

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 5937, 5938, 5947, मुस्लिम: 119/2124, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9376.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ . أَرْسَلَهُ الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي هِشَامٍ .

फ़ायदा : वलीद बिन अबू हिशाम ने उ़बैदुल्लाह बिन उ़मर की मुख़ालिफ़त की है क्योंकि इस (उ़बैदुल्लाह) ने ये रिवायत हज़रत नाफ़ेअ (ﷺ) से मौसूल बयान की है और वह इस तरह कि उ़बैदुल्लाह ने नाफ़ेअ से और उन्होंने अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से बयान किया कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने जाली बाल मिलाने वाली, मिलवाने वाली जिस्म गोदने वाली और गुदवाने वाली पर लानत की है। यही मज़्कूरा हदीस़ उ़बैदुल्लाह की सनद वाली है जबकि अगली रिवायत: 5099 जो कि मुर्सल बयान की गई है इसमें वलीद बिन अबू हिशाम ने नाफ़ेअ से बयान किया है और उन्होंने कहा है कि मुझे ये बात

पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने .... अलख़. अस़ल बात ये है कि उ़बैदुल्लाह, नाफ़ेअ़ से बयान करने में दीगर रुवात से मुक़द्दम है। चूंकि उ़बैदुल्लाह ने नाफ़ेअ़ से मौस़ूल बयान की है, लिहाज़ा ये रिवायत महफ़ूज़ है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، قَالَ حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِي هِشَامٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ .

(5099) हज़रत नाफ़ेअ़ से रिवायत है कि मुझे ये बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जाली बाल मिलाने वाली, मिलवाने वाली, गोदने वाली (जिस्म के मुख़्तलिफ़ हिस़्स़ों में छेद कर रंग भरने वाली या जिस्म पर नक़्श व निगार बनाने वाली) और गुदवाने वाली (जिस्म के मुख़्तलिफ़ हिस़्स़ों को छिदवा कर उनमें रंग भरवाने वाली या जिस्म के मुख़्तलिफ़ हिस़्स़ों पर छिदवा कर नक़्श व निगार कराने वाली) औ़रत पर लानत फ़रमाई है।

(5099) तख़रीज : (सनद स़ही) अल कुब्रा: 9377.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ " .

(5100) हज़रत आ़यशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआ़ला ने जाली बाल लगाने वाली और लगवाने वाली औ़रत पर लानत फ़रमाई है।'

(5100) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5934, मुस्लिम, हदीस़: 2123, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9378.

फ़ायदा : गोया ऐसा करने वाली औ़रतों पर अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (ﷺ) दोनों की लानत है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَزْرَةَ، عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَنِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ امْرَأَةً، أَتَتْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ

(5101) हज़रत मसरूक़ से रिवायत है कि एक औ़रत हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضي الله عنه) के पास आई और कहने लगी कि मेरे सर के बाल न होने के बराबर हैं तो क्या मैं जाली बाल लगा सकती हूँ? उन्होंने फ़रमाया: नहीं। वह कहने लगी: क्या ये बात आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से

زَعْرَاءُ أَيَصْلُحُ أَنْ أَصِلَ فِي شَعْرِي فَقَالَ لاَ . قَالَتْ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَوْ تَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ لاَ بَلْ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

सुनी है या किताबुल्लाह में पाई है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, मैंने ये बात रसूलुल्लाह (ﷺ) से भी सुनी है और मैं उसे किताबुल्लाह में भी पाता हूँ। फिर रावी ने पूरी हदीस़ बयान की।

(5101) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9379, बुख़ारी: 4886, 4887, मुस्लिम: 2125

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'किताबुल्लाह में भी पाता हूँ' यानी उन्होंने कुर्आन की इस उ़मूमी दलील (मा आताकुम ......) के पेशे नज़र जाली बाल न लगाने को कुर्आन का हुक्म क़रार दिया क्योंकि आपकी बात को मानना कुर्आन का हुक्म है। लेकिन अपने इज्तेहाद से मुस्तम्बत किये गये मसाइल की निस्बत अल्लाह तआ़ला की तरफ़ या रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरफ़ करना दुरुस्त नहीं है, जैसे: क़यासी मसाइल की बाबत कहना कि ये अल्लाह तआ़ला या उसके रसूल (ﷺ) का फ़रमान है, ये दुरुस्त नहीं, इसलिये इससे मोहतात रहना बहुत ज़रूरी है। वल्लाहु आ़लम! **(2)** ये हदीस़ मुफ़स्सलन स़हीह मुस्लिम में आती है। इससे मालूम होता है कि थोडे बालों वाली औ़रत भी जाली बाल नहीं लगा सकती क्योंकि इसमें भी जालसाज़ी और धोखादेही पाई जाती है, और थोड़े ज़्यादा की कोई हदबन्दी नहीं। इस तरह तो हर औ़रत कह सकती है कि मेरे बाल थोड़े हैं। जो चीज़ शरीयत ने नाजायज़ और हराम क़रार दी है वह नाजायज़ और हराम ही है इसमें क़तअ़न दूसरी कोई राय नहीं। वल्लाहु आ़लम!

बाब : (24) बाल उखेड़ने वालियाँ

باب(٢٤): الْمُتَنَمِّصَاتِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ .

(5102) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रंग भरने वाली, भरवाने वाली, बाल उखेड़ने वाली और दाँतों को रगड़ रगड़ कर बारीक करने वाली औ़रतों पर लानत फ़रमाई है जो हुस्न की ख़ातिर (अल्लाह तआ़ला की बनाई हुई सूरत में) बिगाड़ पैदा करती हैं।

(5102) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 4886, 4887, मुस्लिम: 2125, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9380.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से जिस्म को गोदने, गूदवाने और चेहरे या अबरू वग़ैरह से बाल उखेड़ने की हुर्मत स़ाबित होती है, और ख़ूबसूरती के लिये दाँत रगड़ना और रगड़वाना

भी हराम है और उन सबकी वजहे-हुर्मत अल्लाह तआला की तख़्लीक़ में तब्दीली करना है। (2) हुस्न की ख़ातिर इस क़िस्म का बनाव-सिंगार हराम है, हाँ अगर ये काम बग़र्ज़ इलाज या किसी नक़्स व ऐब के इज़ाले की ख़ातिर किये जायें तो फिर कोई हर्ज नहीं, जैसे: अगर औरत के चेहरे पर दाढ़ी उग आये तो ये उसके लिये ऐब है, इसलिये उसका इज़ाला करने में कोई क़बाहत नहीं। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (शरह सहीह मुस्लिम लिन्नववी: 15014-152) (3) 'बाल उखेड़ना' उसकी वज़ाहत हदीस़ नम्बर: 5094 में गुज़र चुकी है। याद रहे कि जिन बालों को शरीयत ने ख़त्म करने का हुक्म दिया है, वह उससे मुस्तस्ना (अलग) हैं, जैसे: बग़लों के बाल, और जिस तरह औरतों के लिये मज़्कूरा बालों के अलावा बाल उखेड़ने मना हैं, इसी तरह हुस्न की ख़ातिर मर्द भी बाल नहीं उखेड़ सकते, जैसे: दाढ़ी या अबरू के बाल उखेड़ना मर्दों के लिये भी ममनूअ है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ الْمُتَفَلِّجَاتِ . وَسَاقَ الْحَدِيثَ

(5103) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ि.) ने फ़रमाया: दाँतों को रगड़ कर बारीक करने वाली औरतें, फिर रावी ने पूरी हदीस़ बयान की।

(5103) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9382, मुस्लिम, हदीस़: 2125.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ، عَنْ أُمِّهِ، قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُسْتَوْشِمَةِ وَالْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ وَالنَّامِصَةِ وَالْمُتَنَمِّصَةِ .

(5104) हज़रत आयशा (रज़ि.) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रंग भरने वाली, भरवाने वाली, बाल मिलाने वाली, बाल मिलवाने वाली, बाल उखेड़ने वाली और उखड़वाने वाली औरतों को इन कामों से मना फ़रमाया है।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/257, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9383, बुख़ारी, व मुस्लिम वग़ैरहुम.

الْمُوتَشِمَاتِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ وَالشَّعْبِيِّ فِي هَذَا

बाब : (25) रंग भरवाने वाली औरतों का बयान और इस हदीस़ में अब्दुल्लाह बिन मुर्रा और शअबी पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

वज़ाहत : अब्दुल्लाह बिन मुर्रा और शअबी पर इख़्तिलाफ़ की नोईयत ये है कि ये दोनों हारिस़ आवर से बयान करते हैं। अब अब्दुल्लाह बिन मुर्रा से आमश बयान करते हैं तो उसे अब्दुल्लाह बिन मसऊद की मुसनद बनाते हैं। जब यही रिवायत इमाम शअबी के शागिर्द (हुसैन, मुग़ीरा और इब्ने औन) इमाम

शअ़बी से बयान करते हैं तो उसे हज़रत अ़ली (ﷺ) की मुसनद क़रार देते हैं। मज़ीद बरां इमाम शअ़बी के शागिर्दों का आपस में भी इख़्तिलाफ़ है। इब्ने औ़न कभी तो अपने दोनों साथियों (हुसैन और मुग़ीरा) की तरह उसे मुसनदे अ़ली क़रार देते हैं और कभी हारिस़ आ़वर की मुर्सल। इमाम शअ़बी से उनके एक और शागिर्द अ़ता बिन साइब भी ये रिवायत बयान करते हैं और वह अपने तीनों साथियों की मुख़ालिफ़त करते हुये उसे शअ़बी के मुर्सल क़रार देते हैं।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُرَّةَ، يُحَدِّثُ عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ آكِلُ الرِّبَا وَمُوكِلُهُ وَكَاتِبُهُ إِذَا عَلِمُوا ذَلِكَ وَالْوَاشِمَةُ وَالْمَوْشُومَةُ لِلْحُسْنِ وَلاَوِي الصَّدَقَةِ وَالْمُرْتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ الْهِجْرَةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ ﷺ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

(5105) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) ने फ़रमाया: सूद लेने वाला, देने वाला, सूद लिखने वाला बशर्ते कि वह जानते बूझते हों और हुस्न की ख़ातिर रंग भरने वाली, भरवाने वाली, ज़कात से इन्कार करने वाला और मुहाजिर बन जाने के बाद दोबारा बादिया को लौट जाने वाला, ये सब अश्ख़ास़ हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की ज़बानी क़यामत के दिन मलऊ़न होंगे।

(5105) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 1/409, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9389.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़े मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि सूद खाना और खिलाना हराम है, और सूद लेने और देने वाले और सूद लिखने वाले उन सब पर लानत की गई है, यानी ये सारे लानती हैं बशर्ते कि उन्हें सूद की हुर्मत का इल्म हो। इसके साथ साथ ये हदीस़े मुबारका ज़कात व स़दक़ात अपने पास रोक रखने और मुस्तहक़ लोगों को न देने की हुर्मत भी बताती है जबकि ज़कात की अदायगी फ़र्ज़ और दीन की असास व बुनियाद है। **(2)** 'सूद लेने वाला, अ़रबी में सूद खाने वाला कहा गया है मगर मुराद लेने वाला है। खाये या किसी और इस्तेमाल में लाये क्योंकि सूद का अपनी ज़ात के लिये इस्तेमाल हराम है चाहे किसी भी सूरत में हो। अलबत्ता अगर किसी के पास उसकी रज़ामन्दी के बग़ैर सूद का माल आ जाये तो वह उसे फकीरों में तक़्सीम और रफ़ाहे आ़म के कामों में ख़र्च कर सकता है क्योंकि माल ज़ाया करना जायज़ नहीं, अलबत्ता इसे स़वाब नहीं मिलेगा क्योंकि ये माल हक़ीक़तन उसका नहीं था, अलबत्ता उससे फ़क़ीरों को फ़ायदा हो जायेगा। **(3)** 'लिखने वाला, क्योंकि ये शख़्स़ भी कबीरा गुनाह में मुआ़विन बन रहा है। **(4)** 'जानते बूझते- यानी मुताल्लिक़ा अफ़राद को इल्म हो कि ये सूद का मामला है। जहालत माफ़ है। **(5)** 'बादिया को लौट जाने वाला' ये स़िर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) के दौर के साथ ख़ास़ है कि जिस शख़्स़ ने एक बार आपके दस्ते मुबारक पर हिजरत की बैत कर ली हो, वह

दोबारा अपने अस्ली इलाक़े में इक़ामत इख़्तियार नहीं कर सकता वरना ये इर्तिदाद के बराबर गुनाह होगा, मगर ये कि ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) उसको इजाज़त फ़रमा दें जिस तरह हज़रत सलमा बिन अक्वा (رضي الله عنه) को इजाज़त दी थी। आपके बाद कोई हिजरत इस तरह लाज़िम नहीं जिस तरह नबी (ﷺ) के ज़माने मुबारक में थी। अलबत्ता अब भी अगर कोई शख़्स दीन की ख़ातिर हिजरत करेगा तो वह भी अपने वतन (हिजरतगाह) वापस नहीं जा सकता। वल्लाहु आलम! (6) 'हज़रत मुहम्मद (ﷺ) की ज़बानी' यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया है कि वह क़यामत के दिन लानत में होगा।

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا حُصَيْنٌ، وَمُغِيرَةُ، وَابْنُ، عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ . أَرْسَلَهُ ابْنُ عَوْنٍ وَعَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ .

(5106) हज़रत अली (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, लिखने वाले और सदक़ा (ज़कात) से इन्कार करने वाले पर लानत फ़रमाई है, और आप नोहा करने से मना फ़रमाते थे।

इस रिवायत को इब्ने औन (नें हारिस से) और अता बिन साइब ने (शअबी से) मुर्सल बयान किया है।

(5106) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9390, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ قَالَ إِلاَّ مِنْ دَاءٍ فَقَالَ نَعَمْ وَالْحَالُّ وَالْمُحَلَّلُ لَهُ وَمَانِعُ الصَّدَقَةِ وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ .

(5107) हज़रत हारिस से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, उस पर गवाह बनने वाले, उसको लिखने वाले, रंग भरने वाली, भरवाने वाली मगर ये कि किसी बीमारी की वजह से हो हलाला करने वाले, हलाला करवाने वाले, ज़कात की अदायगी से इन्कार करने वाले लोगों पर लानत फ़रमाई है। और आप नौहा से मना फ़रमाते थे, अलबत्ता इसमें लानत का ज़िक्र नहीं।

(5107) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9391.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'हलाला' जिस औरत को तीसरी तलाक़ हो जाये, वह हमेशा के लिये तलाक़ देने वाले ख़ाविन्द पर हराम हो जाती है मगर ये कि किसी और ख़ाविन्द से निकाह करे और वहाँ

भी निबाह न हो सके बल्कि तलाक़ हो जाये या ये ख़ाविन्द फ़ौत हो जाये तो फिर इद्दत गुज़रने के बाद पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल हो सकती है। मगर दूसरा ख़ाविन्द पहले ख़ाविन्द के लिये हलाल करने के नुक़्त-ए-नज़र से उससे निकाह करे तो हराम है और ये शरीयत की हरामकर्दा चीज़ को हीले से हलाल करता है। और हराम को हलाल करने के लिये हीला हराम है। हलाला करने वाला दूसरा ख़ाविन्द है और करवाने वाला पहला ख़ाविन्द है। (2) 'लानत का ज़िक्र नहीं' यानी नौहा हराम तो है मगर इस फ़ेअ़ल पर लानत का लफ़्ज़ ज़िक्र नहीं किया गया।

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ، - يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ وَنَهَى عَنِ النَّوْحِ وَلَمْ يَقُلْ لَعَنَ صَاحِبَ .

(5108) हज़रत शअ़बी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सूद खाने वाले, खिलाने वाले, सूद पर गवाह बनने वाले, उसकी किताबत करने वाले, रंग भरने वाली, भरवाने वाली पर लानत फ़रमाई है। और नौहा से मना फ़रमाया है। और (रावी ने) ये नहीं कहा कि नौहा करने वाला मलऊन है।

(5108) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9392.

फ़ायदा : 'रंग भरने वाली' ये फ़ेअ़ल हराम है औरत करे या मर्द। चूंकि उमूमन औरतें ये काम करती थीं, इसलिये मुअन्नस का सेग़ा इस्तेमाल किया गया है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أُتِيَ عُمَرُ بِامْرَأَةٍ تَشِمُ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ سَمِعَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُمْتُ فَقُلْتُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنَا سَمِعْتُهُ . قَالَ فَمَا سَمِعْتَهُ قُلْتُ سَمِعْتُهُ يَقُولُ " لاَ تَشِمْنَ وَلاَ تَسْتَوْشِمْنَ " .

(5109) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया कि हज़रत उमर (ﷺ) के पास एक औरत लाई गई जो रंग भरने का कारोबार करती थी। आपने फ़रमाया: मैं अल्लाह तआला की क़सम दे कर तुमसे पूछता हूँ! क्या तुममें से किसी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से (इसकी बाबत) कुछ सुना है? मैंने खड़े होकर कहा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! मैंने सुना है। उन्होंने फ़रमाया: क्या सुना है? मैंने कहा: मैंने आपको फ़रमाते सुना है: 'न रंग भरो न भरवाओ।'

(5109) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5946, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9393.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि अमीरुल मोमिनीन ख़लीफ़-ए सानी सय्यदना उमर फ़ारूक़ (ﷺ) अगरचे ख़साइसे नबूवत के हामिल और ख़लीफ़-ए-राशिद हैं लेकिन दीनी मसाइल में वह भी अपने इज्तेहाद से कुछ कहने की बजाये पेश आमदा मसले की बाबत नुसूस (कुर्आन व सुन्नत के दलाइल) तलाश करते थे जैसा कि मज़्कूरा हदीस से वाज़ेह है। **(2)** हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने इस हदीस में हज़रत उमर (ﷺ) का जो क़िस्सा बयान फ़रमाया है उसका एक मक़सद ये बात बतलाना भी है कि उन्हें नुसूस, यानी फ़रामीने रसूल ज़ब्त थे क्योंकि हज़रत उमर(ﷺ) ऐसे मौक़े पर ख़ामोश नहीं हो जाते थे बल्कि दूसरे सहाब-ए-किराम (ﷺ) से भी तस्दीक़ करते और पूछते। लेकिन हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से हदीसे रसूल सुन कर सय्यदना फ़ारूक़े आज़म(ﷺ) ने दूसरी कोई बात नहीं कही और न हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की बात का इन्कार ही किया है। अगर हज़रत उमर (ﷺ) उसका इन्कार करते तो उसका यक़ीनन ज़िक्र होता। बिलाशुब्हा सय्यदना अबू हुरैरह (ﷺ) हाफ़िज़ुल हदीस और फ़क़ीह सहाबी-ए-रसूल हैं। **(3)** ये हदीस 'ख़बरे वाहिद' के हुज्जत होने की भी दलील है।

बाब : (26) दाँतों को ब'तकल्लुफ़ कुशादा करने वालियाँ

باب(٢٦): الْمُتَفَلِّجَاتِ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ اللاَّتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

(5110) हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना कि आप बाल उखेड़ने वाली, ब'तकल्लुफ़ दाँतों को कुशादा करने वाली और रंग भरवाने वाली औरतों पर लानत करते थे जो अल्लाह (ﷻ) की पैदाकर्दा सूरत में बिगाड़ पैदा करती हैं।

(5110) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9398.

फ़ायदा : हदीस नम्बर 5094 में गुज़रा कि जाहिलियत में औरतें अपने दाँतों को रेती से रगड़ रगड़ कर बारीक करती थीं। मक़सद ये होता था कि दाँत अलग अलग नज़र आयें। इसी बात को इस हदीस में ब'तकल्लुफ़ दाँतों को कुशादा करना कहा गया है। ये हराम है। एक तो इसलिये कि ये अल्लाह तआला की तख़्लीक़ में तब्दीली करना है और दूसरी बात ये भी है कि ख़ूबसूरती के लिये इतना ज़्यादा तकल्लुफ़ करना मुफ़्त की दुश्वारी है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَلْعَنُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ اللاَّتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

(5111) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से बाल उखेड़ने वाली, दाँतों को ब'तकल्लुफ़ कुशादा करने वाली और रंग भरवाने वाली औरतों पर लानत करते सुना है जो अल्लाह (ﷻ) की बनाई हूई सूरत में तब्दीली पैदा करती हैं।

(5111) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9399.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ، عَنِ الْعُرْيَانِ بْنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ اللاَّتِي يُغَيِّرْنَ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ " .

(5112) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'अल्लाह तआ़ला ने बाल उखेड़ने वाली, रंग भरवाने वाली और दाँतों को ब'तकल्लुफ़ खुला करने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है जो अल्लाह (ﷻ) की बनाई हूई सूरत को तब्दील करती हैं।'

(5112) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9400.

फ़ायदा : 'तब्दील करती हैं' गोया ऐसे काम जिन्हें औरतें ख़ूबसूरती के लिये इख़्तियार करती हैं, हक़ीक़तन वह इन्सानी फ़ितरी सूरत को बिगाड़ने के मुतरादिफ़ हैं। अगरचे मिज़ाज ख़राब होने की वजह से वह उसे ख़ूबसूरती तसव्वुर करती हैं लेकिन हक़ीक़त यही है कि असल हुस्न व जमाल वह है जो अल्लाह तआ़ला ने हर मर्द व औरत को ख़ुद अता फ़रमाया है। असल तख़्लीक़े इलाही से ऐराज़ और अदूल बदसूरती तो हो सकती है, ख़ूबसूरती क़तअन नहीं हो सकती।

बाब : (27) दाँतों को रगड़ रगड़ कर बारीक करना हराम है

باب(٢٧): تَحْرِيمِ الْوَشْرِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ يَلْزَمَانِ أَبَا رَيْحَانَةَ يَتَعَلَّمَانِ مِنْهُ خَيْرًا قَالَ فَحَضَرَ صَاحِبِي يَوْمًا فَأَخْبَرَنِي صَاحِبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رَيْحَانَةَ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ الْوَشْرَ وَالْوَشْمَ وَالنَّتْفَ .

(5113) हज़रत अबुल हुसैन हिम्यरी से रिवायत है कि मैं और मेरा एक साथी हज़रत अबू रैहाना (ﷺ) के साथ हर वक़्त रहते थे और उनसे अच्छी बातें सीखते (इल्म हासिल करते) थे। एक दिन मेरा साथी उनके पास गया और फिर उसने मुझे बताया कि मैंने हज़रत अबू रैहाना (ﷺ) को फ़रमाते सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दाँतों को बारीक करना, रंग भरना और बाल उखेड़ना हराम क़रार दिया है।

(5113) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9401.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ

(5114) हज़रत अबू रैहाना (ﷺ) ने फ़रमाया: हमें ये बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दाँतों को बारीक करने और गूदने (जिस्म को छेद कर नक़्श व निगार बनाने और रंग भरने) से मना फ़रमाया है।

(5114) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9402.

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْحُصَيْنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي رَيْحَانَةَ، قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْوَشْرِ وَالْوَشْمِ .

(5115) हज़रत अबू रैहाना (ﷺ) से रिवायत है कि हमें ये बात पहुँची है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दाँतों को बारीक करने और रंग भरने से मना फ़रमाया है।

(5115) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9403.

बाब : (28) सुरमा लगाने का बयान

باب(٢٨): الْكُحْلِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ - عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدَ إِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ لَيِّنُ الْحَدِيثِ .

(5116) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम्हारे लिये बेहतरीन सुरमा इस्मिद है। ये नज़र को तेज़ करता है और (पलकों के) बाल बढ़ाता है।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (रहमतुल्लाह अलैह)) ने फ़रमाया: अब्दुल्लाह बिन उस्मान बिन ख़ुसैम लय्यिनुल हदीस है। (मतलब ये कि इसकी हदीस ज़ईफ़ है।)

(5116) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4061, इब्ने माजा, हदीस: 3497, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9404.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस्मिद सुरमा लगाना मुस्तहब है। और ये इस्तेहबाब मर्दों और औरतों दोनों के लिये है क्योंकि अहादीसे मुबारका के अल्फ़ाज़ आम हैं। नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम इस्मिद सुरमा लगाया करो। इससे नज़र रोशन और तेज़ होती है और (पलकों के) बाल उगते हैं।' **(2)** सुरमा जहाँ नज़र तेज़ करने के लिये लगाना जायज़ है वहाँ ज़ीनत के लिये भी इसका इस्तेमाल जायज़ है। औरतों के लिये तो कोई इख़्तिलाफ़ नहीं, अलबत्ता मर्दों के लिये कुछ फ़ुक़हा ने बतौर ज़ीनत मना फ़रमाया है क्योंकि ये रंग वाली ज़ीनत है और रंग वाली ज़ीनत मर्दों के लिये क़तअन मना है। लेकिन ये सरीह नस्स के मुक़ाबले में राय है, इसलिये क़बूल नहीं, फिर रसूलुल्लाह ने तो ख़ुद मर्दों को सुरमा लगाने की तर्ग़ीब भी दी है। वल्लाहु आलम!

बाब : (29) तेल लगाने का बयान

باب(٢٩): الدُّهْنِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ، سُئِلَ عَنْ شَيْبِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَانَ إِذَا ادُّهِنَ رَأْسُهُ لَمْ يُرَ مِنْهُ وَإِذَا

(5117) हज़रत सिमाक से रिवायत है कि मेरे सामने हज़रत जाबिर बिन समुरा (ﷺ) से नबी-ए अकरम (ﷺ) के सफ़ेद बालों के बारे में पूछा गया। उन्होंने फ़रमाया: जब आप सर को तेल लगा लेते थे तो सफ़ेद बाल नज़र नहीं आते थे और जब तेल नहीं लगाते थे तो नज़र आते थे।

لَمْ يُدَّهَنْ رَئِيَ مِنْهُ .

(5117) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2344, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9405.

फ़ायदा : मालूम हुआ कि सर और दाढ़ी के बालों को तेल लगाना मुस्तहब है क्योंकि ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक को तेल लगाया करते थे। रसूलुल्लाह (ﷺ) की दाढ़ी मुबारक घनी थी। मज़ीद बरां ये कि आपके सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक के अगले हिस्से में चन्द सफ़ेद बाल थे जो तेल लगाने की सूरत में सफ़ेद नज़र न आते थे। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2344)

باب(٣٠): الزَّعْفَرَانِ

बाब : (30) ज़ाफ़रान का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ بِالزَّعْفَرَانِ فَقِيلَ لَهُ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَصْبُغُ .

(5118) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) अपने कपड़े ज़ाफ़रान से रंगा करते थे। उनसे पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) भी (अपने कपड़ों को) उससे रंगते थे।

(5118) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5088, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9406.

फ़ायदा : पीछे गुज़र चुका है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़ाफ़रान से रंगा हुआ कपड़ा पहनने से मना फ़रमाया है। यहाँ जवाज़ का ज़िक्र है। शायद ये इजाज़त कभी कभार ऐसा करने के लिये हो। अलबत्ता मर्दों के लिये जिस्म पर ज़ाफ़रान लगाना क़तअन जायज़ नहीं। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5089.

باب(٣١): الْعَنْبَرِ

बाब : (31) अम्बर ख़ूशबू लगाने का बयान

أَخْبَرَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا بَكْرٌ الْمُزَلِّقُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَطَاءٍ الْهَاشِمِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَطَيَّبُ قَالَتْ نَعَمْ بِذِكَارَةِ الطِّيبِ الْمِسْكِ وَالْعَنْبَرِ .

(5119) हज़रत मुहम्मद बिन अली (رحمه الله) ने फ़रमाया कि मैंने हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से पूछा। क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ूशबू लगाया करते थे? उन्होंने फ़रमाया: हाँ, मर्दों वाली ख़ुशबूएँ लगाया करते थे, कस्तूरी और अम्बर।

(5119) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9407.

फ़ायदा : 'मुहम्मद बिन अली' इनसे मुराद हज़रत अली (ﷺ) के बेटे मुहम्मद हैं जिनको मुहम्मद इब्ने अल हनफ़िया कहा जाता है।

باب(٣٣): الْفَصْلِ بَيْنَ طِيبِ الرِّجَالِ وَطِيبِ النِّسَاءِ

बाब : (33) मर्दों और औरतों की ख़ुशबू में फ़र्क़

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، - يَعْنِي الْحَفَرِيَّ - عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ "

(5120) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मर्दों की ख़ुशबू वह है जिसकी ख़ुशबू ज़ाहिर हो और रंग मख़्फ़ी हो और औरतों की ख़ुशबू दो है जिसका रंग नुमायाँ हो लेकिन ख़ुशबू मख़्फ़ी हो।'

(5120) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2787, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9408.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इसे दीगर शवाहिद की बिना पर सही क़रार दिया है। दलाइल की रू से यही बात दुरुस्त है, लिहाज़ा मज़्कूरा रिवायत सनदन ज़ईफ़ होने के बावजूद क़ाबिले अमल और क़ाबिले हुज्जत है। वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/158-161) **(2)** 'रंग मख़्फ़ी हो' मालूम हुआ मर्दों की ख़ूशबू में हल्का सा रंग हो सकता है जो दूर से नुमायाँ न हो, जैसे: कस्तूरी का रंग। इसी तरह औरतों की ख़ूशबू में मामूली सी महक हो जो रास्ता चलने वालों को महसूस न हो तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि आपने नफ़ी नहीं फ़रमाई बल्कि फ़रमाया, मख़्फ़ी हो। गोया मामूली में कोई हर्ज नहीं। **(3)** औरतों के लिये रंग वाली ख़ूशबू इसलिये मख़्सूस फ़रमाई कि उनके लिये पर्दा फ़र्ज़ है, लिहाज़ा वह लोगों को नज़र नहीं आयेगी। ख़ूशबू महसूस नहीं होगी, इसलिये लोगों की तवज्जा उनकी तरफ़ मब्ज़ूल नहीं होगी जबकि मर्द के लिये पर्दा नहीं है, इसलिए इसे रंग वाली चीज़ से रोक दिया गया। **(4)** अगर औरत अपने ख़ाविन्द के घर में हो, बाहर न जाये और घर में ग़ैर महरम मर्दों की आमद का सिलसिला भी न हो तो फिर उसे कुछ न कुछ इजाज़त दी जा सकती है। लेकिन ये पुर फ़ितन दौर है, सद्दे ज़रिया के तौर पर इससे महफ़ूज़ रहना ही बेहतर है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ الرَّقِّيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ

(5121) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मर्दों की

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ الطُّفَاوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ " .

ज़ीनत (या ख़ूशबू) वह है जिसकी ख़ूशबू ज़ाहिर हो, रंग मख़्फ़ी हो और औरतों की ज़ीनत (या ख़ूशबू) वह है जिसका रंग नुमायाँ हो, ख़ूशबू मख़्फ़ी हो।

(5121) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9409.

بَاب(٣٣): أَطْيَبِ الطِّيبِ

बाब : (33) बेहतरीन ख़ूशबू का बयान

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اتَّخَذَتْ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَحَشَتْهُ مِسْكًا " . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " هُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ " .

(5122) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बेशक बनी इस्राईल की एक औरत ने सोने की अंगूठी बनाई और उसमें कस्तूरी भरी।' (फिर) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये बेहतरीन ख़ूशबू है।'

(5122) तख़रीज : (सनद हसन) देखिये, हदीस: 1906, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9412.

بَاب(٣٤): التَّزَعْفُرِ وَالْخَلُوقِ

बाब : (34) ज़ाफ़रान और ख़लूक़ लगाना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ ظَبْيَانَ، عَنْ حُكَيْمِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِهِ رَدْعٌ مِنْ خَلُوقٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " اذْهَبْ فَانْهَكْهُ " . ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ " اذْهَبْ فَانْهَكْهُ " . ثُمَّ أَتَاهُ فَقَالَ "

(5123) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि एक आदमी नबी-ए अकरम(ﷺ) के पास आया तो उस पर ख़लूक़ का निशान था। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'जाओ, उसे अच्छी तरह धो कर आओ।' वह फिर आया तो आपने फ़रमाया: 'फिर जाओ, अच्छी तरह धोकर आओ।' वह फिर आया तो आपने फ़रमाया: 'फिर जाओ, उसे अच्छी तरह धो डालो और दोबारा न लगाना।'

اذْهَبْ فَانْهَكْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ " .

(5123) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9415.

फ़ायदा : 'ख़लूक़' ये रंगदार ख़ुशबू होती है जिसे ज़ाफ़रान वग़ैरह से बनाया जाता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو، وَقَالَ، عَلَى إِثْرِهِ يُحَدِّثُ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ لَهُ " هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ " . قُلْتُ لاَ . قَالَ " فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ" .

(5124) हज़रत यअ़ला बिन मुर्रा (ﷺ) से रिवायत है कि वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास से गुज़रे जबकि उन्होंने ख़लूक़ लगाई हुई थी। आपने फ़रमाया: 'क्या तेरी बीवी है?' मैंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'उसको धो दे। अच्छी तरह धो दे। और फिर दोबारा न लगाना।'

(5124) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 2816, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9416.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ { أَبَا، } حَفْصِ بْنَ عَمْرٍو عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ رَجُلاً مُتَخَلِّقًا قَالَ " اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ وَلاَ تَعُدْ " .

(5125) हज़रत यअ़ला बिन मुर्रा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को देखा जिसने ख़लूक़ लगा रखी थी। आपने फ़रमाया: 'जा, उसको धो, फिर धो (अच्छी तरह धो) और दोबारा न लगाना।'

(5125) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9417.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ يَعْلَى، نَحْوَهُ . خَالَفَهُ سُفْيَانُ رَوَاهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى، .

(5126) हज़रत यअ़ला (ﷺ) से इस क़िस्म की रिवायत मन्क़ूल है।

'ख़ालफ़हु सुफ़ियान' इस रिवायत में सुफ़ियान बिन उ़यय्ना ने शोबा की मुख़ालिफ़त की है।

(5126) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5124, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9418.

फ़ायदा : सुफ़ियान बिन उ़यय्ना और शोबा, दोनों ने ये रिवायत अ़ता बिन साइब से बयान की है लेकिन सुफ़ियान बिन उ़यय्ना ने शोबा की मुख़ालिफ़त की है और वह इस तरह कि जब सुफ़ियान ने अ़ता बिन साइब

से बयान किया तो कहा: 'अ़न अ़ता इब्नुस्साइब, अ़न अ़ब्दुल्लाह बिन हफ़्स' यानी सुफ़ियान ने अ़ता का उस्ताद अ़ब्दुल्लाह बिन हफ़्स बिन अ़म्र और बसा औक़ात वह इब्ने अ़म्र कहते हैं। वल्लाहु आलम! मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 38/167, 168)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ النَّضْرِ بْنِ مُسَاوِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ الثَّقَفِيِّ، قَالَ أَبْصَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَبِي رَدْعٌ مِنْ خَلُوقٍ قَالَ " يَا يَعْلَى لَكَ امْرَأَةٌ " . قُلْتُ لاَ . قَالَ " اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ " . قَالَ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ .

(5127) हज़रत यअ़ला बिन मुर्रा सक़्फ़ी (ﷺ) ने फ़रमाया: मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने देखा जबकि मेरे जिस्म पर ख़लूक़ के निशान थे। आपने फ़रमाया: यअ़ला! तेरी बीवी है?' मैंने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'जा उसे धो दे, फिर इस्तेमाल न करना। फिर धो दे, फिर इस्तेमाल न करना। फिर धो दे, फिर इस्तेमाल न करना।' उन्होंने कहा: मैंने उसे धो दिया। फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं की। फिर धो दिया, फिर इस्तेमाल नहीं की। फिर धो दिया, फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं की।

(5127) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5124, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9419.

أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّبِيحِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُوسَى، - يَعْنِي مُحَمَّدًا - قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ يَعْلَى، قَالَ مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مُتَخَلِّقٌ فَقَالَ " أَىْ يَعْلَى هَلْ لَكَ امْرَأَةٌ " . قُلْتُ لاَ . قَالَ " اذْهَبْ فَاغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ اغْسِلْهُ ثُمَّ لاَ تَعُدْ " . قَالَ . فَذَهَبْتُ فَغَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ غَسَلْتُهُ ثُمَّ لَمْ أَعُدْ .

(5128) हज़रत यअ़ला (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास से गुज़रा जबकि मैंने ख़लूक़ लगा रखी थी। आपने फ़रमाया: 'यअ़ला! तेरी बीवी है?' मैंने कहा: नहीं, आपने फ़रमाया: 'उसे धो दे, अच्छी तरह धो दे। बार बार धो दे। फिर दोबारा न लगाना।' मैं गया और उसको धो दिया, अच्छी तरह धो दिया। बार बार धोया, फिर दोबारा कभी नहीं लगाई।

(5128) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5124, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9420.

باب(٣٥): مَا يُكْرَهُ لِلنِّسَاءِ مِنَ الطِّيبِ

बाब : (35) कौन सी ख़ूशबू औरतों के लिये नामुनासिब (ममनूअ) है?

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، - وَهُوَ ابْنُ عُمَارَةَ - عَنْ غُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الأَشْعَرِيِّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ " .

(5129) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो भी औरत ख़ूशबू लगा कर लोगों के पास से गुज़रती है ताकि वह उसकी ख़ूशबू सूंघें (और उसकी तरफ़ मुतवज्जा हों) तो वह बदकारा (ज़ानिया) है।'

(5129) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 4173, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9422, तिर्मिज़ी, हदीस: 2786.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से मालूम हुआ कि ख़ूशबू से मुअत्तर औरत का घर से बाहर निकलना शरअन हराम है, जबकि आज की औरत ख़ूशबू में लथ पथ होकर दफ़्तरों में जाती और मुख़्तलिफ़ मख़्लूत पार्टियों और तक़रीबात में शामिल होती है और इसी हालत में मुख़्तलिफ़ शॉपिंग सेंटरों में भी उसका आना जाना रहता है। दीन व शरीयत से कौसों दूर, ईमान की लज़्ज़त से नाआश्ना और तहज़ीबे मग़रिब की दिल दादा, और मसनून ज़िन्दगी की बरकतों से महरूम, शमअे महफ़िल बनने के जुनून में मुब्तला आज की बज़अमे ख़ुवेश 'रोशन ख़्याल' दर हक़ीक़त ज़ुल्मतों और अन्धेरों की बासी औरत मख़्लूत महफ़िलों में न सिर्फ़ शमूलियत इख़्तियार करती है बल्कि इन महफ़िलों की ज़ीनत बनती है, उनकी रूहे रवां बनने की कोशिश करती और फिर उस बेराह रवी पर न सिर्फ़ वह बल्कि उसके दय्यूस और बेहमियत अज़ीज़ व अक़ारिब, और बाप, ख़ानदान और भाई वग़ैरह सरे आम फ़ख़्र भी करते हैं। क्या इन हज़रात व ख़्वातीन ने कभी ये सोचा है कि रोज़े क़यामत अपने रब के सामने कौन सा मुँह लेकर जायेंगे? और क्या ऐसी पैग़म्बर मुख़ालिफ़ाना ज़िन्दगी गुज़ार कर इस दुनिया से रुख़्सत होने पर नबी-ए-अकरम (ﷺ) की शफ़ाअत के हक़दार बन सकेंगे? अल्लाह करीम हम सब को अपने दीने मतीन की समझ और उस पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाये। आमीन! **(2)** ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि जो चीज़ किसी दूसरी चीज़ का सबब बनती है उस सबब बनने वाली चीज़ का हुक्म भी वही होता है जो असल चीज़ का होता है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसी औरत को ज़ानिया और बदकार क़रार दिया है जो ख़ूशबू लगा कर घर से बाहर निकलती और मर्दों को फ़ित्ने में मुब्तला करती है और ये इसलिये कि औरत के वजूद से फूटने वाली महक मर्दों को उभारती है कि वह उसे देखें, लिहाज़ा जब वह अजनबी औरत को देखेंगे तो ये नज़र और आँख का ज़िना होगा।

औरत को इसलिये ज़ानिया कहा गया है कि वह उसका सबब बनती है, लिहाज़ा उसका सबब बनने वाली औरत पर भी वही हुक्म लगाया गया है जो अस़ल चीज़ का हुक्म है। (3) 'बदकार औरत है' यानी ये बदकार और ज़ानिया औरत की अलामत है कि वह लोगों के सामने अपनी ज़ीनत ज़ाहिर करती है ताकि लोग उसकी तरफ़ माइल हों। या इशारा है कि उस काम का अंजाम बदकारी है। आख़िरकार वह ज़ानिया बन जायेगी।

باب(٣٦): اغْتِسَالِ الْمَرْأَةِ مِنَ الطِّيبِ

बाब : (36) अगर औरत ख़ूशबू लगा ले तो उसे अच्छी तरह नहाना चाहिए

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ الْهَاشِمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ سَمِعْتُ صَفْوَانَ بْنَ سُلَيْمٍ، - وَلَمْ أَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ غَيْرَهُ - يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ ثِقَةٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْتَغْتَسِلْ مِنَ الطِّيبِ كَمَا تَغْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةِ " . مُخْتَصَرٌ .

(5130) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई औरत मस्जिद को जाने लगे (और उसने पहले ख़ूशबू लगा रखी हो) तो वह अच्छी तरह गुस्ल करे, जैसे वह गुस्ले जनाबत करती है।'

ये रिवायत मुख़्तस़र है।

(5130) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9423, अबी दाऊद, हदीस़: 4174, व इब्ने ख़ुज़ेमा, हदीस़: 1682.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'मस्जिद को' मुराद घर से बाहर जाना है। मस्जिद को जाये या किसी दूसरे के घर में या खेत में। मस्जिद का ज़िक्र ख़ुसूसन इसलिये किया कि मस्जिद पाकीज़गी की जगह है। वहाँ ख़ूशबू अफ़ज़ल है मगर औरत मस्जिद को जाते वक़्त भी ख़ूशबू इस्तेमाल नहीं कर सकती चे जायेकि किसी और जगह ख़ूशबू लगा कर जाये। (2) 'अच्छी तरह गुस्ल करे' क्योंकि ख़ूशबू तो एक अज़्व (अंग) से दूसरे अज़्व (अंग) को लग जाती है, लिहाज़ा नहाये बग़ैर ख़ूशबू का अस़र ख़त्म न होगा। मक़स़द तो ख़ूशबू को ख़त्म करना है। (3) 'जैसे गुस्ले जनाबत करती है' यानी ख़ूब अच्छी तरह, ये मतलब नहीं कि ख़ूशबू लगाने से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है।

बाब : (37) औरत ने ख़ूशबू लगाई हो तो वह मस्जिद में नमाज़ के लिये नहीं आ सकती

باب(٣٧): النَّهْيِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَشْهَدَ الصَّلاَةَ إِذَا أَصَابَتْ مِنَ الْبَخُورِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى الْبَغْدَادِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ لاَ أَعْلَمُ أَحَدًا تَابَعَ يَزِيدَ بْنَ خُصَيْفَةَ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَلَى قَوْلِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . وَقَدْ خَالَفَهُ يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ رَوَاهُ عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ .

(5131) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस औरत ने ख़ूशबू लगाई हो, वह हमारे साथ इशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में न आये।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) बयान करते हैं कि मेरे इल्म के मुताबिक़ यज़ीद बिन ख़ुसैफ़ा की बुस्र बिन सईद से मरवी रिवायत में इस (यज़ीद बिन ख़ुसैफ़ा) के क़ौल: अन अबी हुरैरह की किसी ने मुताबिअत नहीं की बल्कि याक़ूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज ने इसके बरअक्स अबू हुरैरह की बजाये उसे ज़ैनब सक़फ़िया क़रार दिया है।

(5131) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 143/444, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9424.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) के इस क़ौल का मतलब ये है कि ये मज़्कूरा रिवायत यज़ीद बिन ख़ुसैफ़ा ने बुस्र बिन सईद से बयान की है और उसे हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की मुसनद बनाया है जब कि उनके अलावा किसी ने भी इसे हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) की मुसनद नहीं बनाया बल्कि याक़ूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज ने यज़ीद की मुख़ालिफ़त की है और इस रिवायत को बुस्र बिन सईद से बयान करते हुये अबू हुरैरा (ﷺ) की बजाये हज़रत ज़ैनब सक़फ़िया (ﷺ) (हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) की अहलिया मोहतरमा) की मुसनद बनाया है। मक़सद ये है कि इमाम नसाई (رحمه الله) के नज़दीक। याक़ूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज की रिवायत राजेह है। लेकिन असल बात ये है कि यज़ीद बिन अब्दुल्लाह बिन ख़ुसैफ़ा सिक़ा रावी है और सिक़ा रावी की हदीस में ज़्यादती, जबकि वह औसक़ की रिवायत के मुनाफ़ी या उसके मुख़ालिफ़ न हो, तो क़ाबिले क़बूल होती है, लिहाज़ा याक़ूब बिन अब्दुल्लाह बिन अशज की मुख़ालिफ़त से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। वल्लाहु आलम! **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला साबित होता है कि औरतें नमाज़ पढ़ने की ख़ातिर

मस्जिद में जा सकती हैं। (3) 'बख़ूर' एक क़िस्म की ख़ूशबू है। जब उसे आग से सुलगाया जाता है तो ख़ूशबू महसूस होती है, जैसे आज कल अगरबत्ती वग़ैरह। लेकिन यहाँ आम ख़ूशबू मुराद है क्योंकि किसी क़िस्म की ख़ूशबू लगा कर भी घर से बाहर जाना औरत के लिये जायज़ नहीं, ख़्वाह मस्जिद को जाये या कहीं और। इशा की नमाज़ का ख़ुसूसी ज़िक्र इसलिये कि अंधेरे में औरतों के लिये ख़तरा ज़्यादा होता है या इसलिये कि औरतें अपने ख़ाविन्दों के लिये उमूमन रात को ख़ूशबू लगाती हैं।

(5132) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ज़ैनब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब किसी औरत का इरादा इशा की नमाज़ मस्जिद में पढ़ने का हो तो वह ख़ूशबू न लगाये।'

(5132) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 142/444, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9425.

أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا " .

फ़ायदा : मालूम हुआ कि अगर घर से बाहर न जाना हो तो औरत अपने ख़ाविन्द के लिये ख़ूशबू लगा सकती है।

(5133) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ज़ैनब (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई औरत इशा की नमाज़ मस्जिद में पढ़ने का इरादा रखती हो तो वह ख़ूशबू न लगाये।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा कि यहया और जरीर की हदीस वुहैब बिन ख़ालिद की हदीस की निस्बत ज़्यादा दुरुस्त है। वल्लाहु आलम!

(5133) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9427.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ يَحْيَى وَجَرِيرٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ وُهَيْبِ بْنِ خَالِدٍ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

फ़ायदा : हमारे सामने जो नुस्ख़ा है उसमें यही है कि यहया और जरीर की हदीस वुहैब बिन ख़ालिद की हदीस की निस्बत ज़्यादा दुरुस्त है। इसमें जरीर की हदीस तो मौजूद है, (हदीस: 5133) जबकि यहया

की हदीस़ इस नुस्ख़े में नहीं। शायद कातिब और नासिख़ से यहया की रिवायत रह गई है और वह लिख नहीं सका। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَعْقُوبَ الْحِمْصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ " أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ تَقْرَبَنَّ طِيبًا " .

(5134) हज़रत ज़ैनब सक़फ़िया (ﷺ) से मरवी है कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो औ़रत मस्जिद को जाये वह ख़ूशबू न लगाये।'

(5134) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9429.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهَا أَنْ لاَ تَمَسَّ الطِّيبَ إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ.

(5135) हज़रत ज़ैनब सक़फ़िया (ﷺ), जो हज़रत अ़ब्दुल्लाह (बिन मसऊ़द) की ज़ोज-ए मोहतरमा थीं, से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे (ज़ैनब को) हुक्म दिया था कि जब वह इशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में आये तो ख़ूशबू न लगाये।

(5135) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5132, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9430.

फ़ायदा : इस हदीस़ का ये मतलब नहीं कि बाक़ी नमाज़ों में वह ख़ूशबू लगा कर आ सकती है बल्कि इशा का ज़िक्र इसलिये किया कि ये वक़्त औ़रतों के ख़ूशबू लगाने का होता है जैसा कि हदीस़ नम्बर 5131 में बयान हुआ, और हदीस़ नम्बर 5137 में आ़म नमाज़ का ज़िक्र है। ये भी मुमकिन है कि अंधेरे की वजह से औ़रतें उस वक़्त ज़्यादा हाज़िर होती हों जैसा कि फ़ज्र में आती थीं।

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، أَنَّ

(5136) हज़रत ज़ैनब स़क़फ़िया (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई औ़रत इशा की नमाज़ के लिये (मस्जिद में) आये तो ख़ूशबू न लगाये।'

(5136) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5132, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9433.

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَى الْعِشَاءِ الآخِرَةِ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا " .

أَخْبَرَنِي يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ بَلَغَنِي عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الصَّلاَةَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ .

(5137) हज़रत ज़ैनब सक़फ़िया (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई औरत नमाज़ पढ़ने (मस्जिद में) आये तो किसी भी क़िस्म की ख़ुशबू न लगाये।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) ने कहा कि ये मज़्कूरा हदीस, ज़ोहरी की हदीस (के तौर पर) गैर महफ़ूज़ (और शाज़) है।

(5137) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5132, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9434.

फ़ायदा : इमाम नसाई (ﷺ) के इस क़ौल का मतलब ये है कि मज़्कूरा रिवायत बसनद अनिज्जोहरी अन बुस्र बिन सईद अन ज़ैनब अस्सक़फ़िया दुरुस्त नहीं बल्कि सही रिवायत इस सनद से है: अन बुकैर अन बुस्र बिन सईद अन ज़ैनब अस्सक़फ़िया क्योंकि हुफ़्फ़ाज़ मुहद्दिसीन (ﷺ) ने ये रिवायत इसी तरह (बुकैर की सनद से) बयान की है। ज़ोहरी की सनद से बयान करने वाला सुनैद है और वह ज़ईफ़ रावी है।

बाब : (38) बख़ूर का बयान

باب(۳۸): الْبَخُورِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَبُو طَاهِرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا اسْتَجْمَرَ اسْتَجْمَرَ بِالأَلُوَّةِ غَيْرَ مُطَرَّاةٍ وَبِكَافُورٍ يَطْرَحُهُ مَعَ الأَلُوَّةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا كَانَ يَسْتَجْمِرُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

(5138) हज़रत नाफ़ेअ से रिवायत है कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) जब ख़ुशबू सुलगाते तो 'अगर' की लकड़ी सुलगाते और उसमें कोई दूसरी ख़ुशबू न डालते। अलबत्ता कभी 'अगर' के साथ काफ़ूर डाल लेते, फिर फ़रमाते कि रसूलुल्लाह(ﷺ) भी इसी तरह ख़ुशबू सुलगाया करते थे।

(5138) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2254, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9435.

फ़ायदा : 'बख़ूर' बुख़ार से है। चूंकि ख़ुश्बूदार लकड़ी को सुलगाने से बुख़ारात उठते हैं जिनसे ख़ुशबू फैलती है, लिहाज़ा इस क़िस्म की ख़ुशबू को बख़ूर कह देते हैं वरना बख़ूर किसी एक चीज़ का नाम नहीं।

बाब : (39) औरतों के लिये ज़ेवरात और सोने की नुमाइश की कराहत का बयान

باب(٣٩): الْكَرَاهِيَةِ لِلنِّسَاءِ فِي إِظْهَارِ الْحُلِيِّ وَالذَّهَبِ

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَا عُشَّانَةَ، - هُوَ الْمَعَافِرِيُّ - حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يُخْبِرُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَمْنَعُ أَهْلَهُ الْحِلْيَةَ وَالْحَرِيرَ وَيَقُولُ " إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ حِلْيَةَ الْجَنَّةِ وَحَرِيرَهَا فَلاَ تَلْبَسُوهَا فِي الدُّنْيَا " .

(5139) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी बीवियों को ज़ेवरात और रेशम से रोकते थे और फ़रमाते थे: 'अगर तुम जन्नत के ज़ेवरात और रेशम पहनना चाहते हो तो उनको दुनिया में न पहनो।'

तख़रीज: (सनद सही) अत्तबरानी फ़िल्कबीर: 17/302 ह: 835, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9436, व सहीह इब्ने हिब्बान ह: 1463, वल हाकिम अला शर्त अलशैख़ैन: 4/191

फ़वाइद व मसाइल : (1) अहले बैत का मक़ाम व मर्तबा बहुत बलन्द व बाला है। उनके लिये कुछ ऐसी चीज़ें भी नामुनासिब क़रार दी गईं जो आम मुसलमानों के लिये जायज़ थीं। हर बीवी अपने ख़ाविन्द से नफ़्क़े वग़ैरह का मुतालबा कर सकती है मगर अज़्वाजे मुतह्हरात को हर क़िस्म के मुतालबे से रोक दिया गया। उनको ग़लती पर दुगनी सज़ा की वईद सुनाई गई जब कि नेकी पर उनका अज्र भी दोहरा है। इरशादे बारी तआला है: 'ऐ नबी ये निहायत आसान है। और तुममें से जो अल्लाह और उसके रसूल की फ़रमांबरदारी करे और नेक अमल करे तो हम उसे उसका अज्र दोगुना देंगे और उसके लिये हमने इज़्ज़त का रिज़्क़ तैयार कर रखा है।' (अल अहज़ाब: 33/30, 31) मज़्कूरा हदीस़ भी अहले बैत के साथ ख़ास़ है कि उनको ज़ेवरात और रेशम से रोक दिया गया जब कि दूसरी औरतों के लिये आप (ﷺ) ने स़राहतन फ़रमाया: 'रेशम और सोना मेरी उम्मत की औरतों के लिये हलाल है, मर्दों के लिये हराम है।' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस़: 1720, सुनन नसाई, हदीस़: 5151) इसकी दूसरी तौजीह ये है कि पहनना जायज़ है, नुमाइश मकरूह है। **(2)** इस हदीसे मुबारका की बाबत क़वी एहतिमाल यही है कि ये उम्महातुल मोमिनीन अज़्वाजे रसूले करीम (ﷺ) के साथ ख़ास़ है, ताहम मुसलमान ख़्वातीन के शायाने शान और उनके लाइक़ भी यही है कि वह जन्नत के ज़ेवरात से आरास्ता होने और जन्नत के रेशम से शाद काम होने की ख़ातिर अज़्वाज़े मुतह्हरात (ﷺ) की इक़्तेदा करते हुये दुनिया में सोने और रेशम से मुज़य्यन होने से जहाँ तक हो सके परहेज़ करें। रेशम और सोना अगरचे मुसलमान ख़्वातीन के लिये मुबाह और हलाल है, ताहम अज़ीमत और इस्तेहबाब इसमें है कि मुमकिन हद तक दुनियावी बनाव सिंगार और ज़ेब व ज़ीनत से मोहतात रहा जाये।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتِ، حُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنِ امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ " .

(5140) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) की हमशीरा मोहतरमा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़ुत्बा देते हुये फ़रमाया: 'ऐ औरतों की जमाअत! क्या तुम्हारे लिये ये काफ़ी नहीं कि तुम चाँदी के ज़ेवरात पहन लो? ख़बरदार! जो भी औरत सोने के ज़ेवरात नुमाइश के लिये पहनेगी, उसे उसकी बिना पर अज़ाब होगा।'

(5140) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4237, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9437.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا، يُحَدِّثُ عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنِ امْرَأَتِهِ، عَنْ أُخْتِ، حُذَيْفَةَ قَالَتْ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ أَمَا لَكُنَّ فِي الْفِضَّةِ مَا تَحَلَّيْنَ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُحَلَّى ذَهَبًا تُظْهِرُهُ إِلاَّ عُذِّبَتْ بِهِ " .

(5141) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) की हमशीरा मोहतरमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें ख़िताब फ़रमाया: 'ऐ औरतों की जमाअत! क्या तुम्हारे लिये चाँदी के ज़ेवरात काफ़ी नहीं? ख़बरदार! जो औरत सोना नुमाइश के लिये पहनेगी, उसे उसी सोने से अज़ाब दिया जायेगा।'

(5141) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9438.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ عَمْرٍو، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَحَلَّتْ -يَعْنِي - بِقِلاَدَةٍ مِنْ ذَهَبٍ جُعِلَ فِي عُنُقِهَا مِثْلُهَا مِنَ النَّارِ

(5142) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद (ﷺ) बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो औरत (नुमाइश के लिये) सोने का हार पहनेगी, अल्लाह तआला (क़यामत के दिन) उसकी गर्दन में आग का हार डालेगा। और जो औरत (नुमाइश के लिये) अपने कानों में सोने की बालियाँ डालेगी, अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसके कान में आग की बालियाँ डालेगा।'

وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ جَعَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي أُذُنِهَا مِثْلَهُ خُرْصًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(5142) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 4232, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9439.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَهُ قَالَ جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ - فَقَالَ كَذَا فِي كِتَابِ أَبِي أَىْ خَوَاتِيمَ ضِخَامٍ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَضْرِبُ يَدَهَا فَدَخَلَتْ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تَشْكُو إِلَيْهَا الَّذِي صَنَعَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْتَزَعَتْ فَاطِمَةُ سِلْسِلَةً فِي عُنُقِهَا مِنْ ذَهَبٍ وَقَالَتْ هَذِهِ أَهْدَاهَا إِلَىَّ أَبُو حَسَنٍ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَالسِّلْسِلَةُ فِي يَدِهَا فَقَالَ " يَا فَاطِمَةُ أَيَغُرُّكِ أَنْ يَقُولَ النَّاسُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ وَفِي يَدِهَا سِلْسِلَةٌ مِنْ نَارٍ " . ثُمَّ خَرَجَ وَلَمْ يَقْعُدْ فَأَرْسَلَتْ فَاطِمَةُ بِالسِّلْسِلَةِ إِلَى السُّوقِ فَبَاعَتْهَا وَاشْتَرَتْ بِثَمَنِهَا غُلاَمًا -

(5143) रसूलुल्लाह (ﷺ) के आज़ादकर्दा गुलाम स़ोबान (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि हज़रत फ़ातिमा बिन्ते हुबैरा (ﷺ) रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुईं तो उनके हाथ में बड़ी बड़ी अंगूठियाँ थीं। रसूलुल्लाह(ﷺ) उनके हाथ पर (कोई चीज़) मारने लगे। वह हज़रत फ़ातिमा बिन्ते रसूल (ﷺ) के पास गईं और उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) के इस सुलूक का शिक्वा किया। (ये सुन कर) हज़रत फ़ातिमा (ﷺ) ने अपने गले में डाली हुई सोने की ज़ंजीर खींच डाली और कहने लगीं: ये ज़ंजीर मुझे अबुल हसन (हज़रत अली (ﷺ)) ने तोहफ़ा में दी है। रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो ज़ंजीर उनके हाथ ही में थी। आपने फ़रमाया: 'फ़ातिमा! क्या ये बात तेरे लिये इज़्ज़त अफ़ज़ा है कि (क़यामत के दिन) लोग कहें, रसूलुल्लाह (ﷺ) की बेटी के हाथ में आग की ज़ंजीर है?' फिर आप वापस चले गये, बैठे नहीं। हज़रत फ़ातिमा(ﷺ) ने वह ज़ंजीर बाज़ार भेज कर बेच दी और उसकी क़ीमत से एक गुलाम ख़रीद लिया और उसे आज़ाद कर दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) को सारी बात बयान की गई तो आपने फ़रमाया: शुक्र है अल्लाह तआला का उसने फ़ातिमा को आग से बचा लिया।'

(5143) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 5/278, 279, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9440.

وَقَالَ مَرَّةً عَبْدًا - وَذَكَرَ كَلِمَةً مَعْنَاهَا فَأَعْتَقَتْهُ فَحُدِّثَ بِذَلِكَ فَقَالَ " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْجَى فَاطِمَةَ مِنَ النَّارِ " .

(5144) हज़रत स़ौबान (﵁) ने फ़रमाया: हज़रत (फ़ातिमा) बिन्ते हुबैरा (﵄) रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई तो उनके हाथ में सोने की बड़ी बड़ी अंगूठियाँ थीं। बाक़ी रिवायत हस्बे साबिक़ है।

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِي يَدِهَا فَتَخٌ مِنْ ذَهَبٍ أَىْ خَوَاتِيمَ ضِخَامٍ نَحْوَهُ .

(5144) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9441, अत्तयालिसी: 990, व स़हीह अल हाकिम अ़ला शर्तिश्शैख़ैन: 3/152, 153.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत स़ौबान रसूलुल्लाह (ﷺ) के आज़ादकर्दा गुलाम थे। अ़रबी में आज़ादकर्दा गुलाम को मौला कहते हैं। (﵁). **(2)** 'सोने की' तभी तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने नाराज़ी का इज़्हार फ़रमाया।

(5145) हज़रत अबू हुरैरह (﵁) ने फ़रमाया: मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास बैठा थ कि एक औ़रत आपके पास आई और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं सोने के दो कंगन इस्तेमाल कर सकती हूँ? आपने फ़रमाया: 'ये आग के दो कंगन हैं।' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! सोने का हार? आपने फ़रमाया: 'तेरे गले में हार होगा आग का।' वह कहने लगी: सोने की बालियाँ? आपने फ़रमाया: 'बालियाँ भी आग की हैं।' रावी ने कहा: उस औ़रत ने सोने के दो कड़े पहन रखे थे, उसने उतार कर वह फेंक दिये। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर औ़रत अपने ख़ाविन्द के लिये ज़ेब व ज़ीनत न लगाये तो वह उसके

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ الْوَاسِطِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا خَالِدٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِي الْجَهْمِ، عَنْ أَبِي زَيْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كُنْتُ قَاعِدًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ سِوَارَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ " سِوَارَانِ مِنْ نَارٍ " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ طَوْقٌ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ " طَوْقٌ مِنْ نَارٍ " . قَالَتْ قُرْطَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ " قُرْطَيْنِ مِنْ

نَارٍ " . قَالَ وَكَانَ عَلَيْهِمَا سِوَارَانِ مِنْ ذَهَبٍ فَرَمَتْ بِهِمَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا لَمْ تَتَزَيَّنْ لِزَوْجِهَا صَلِفَتْ عِنْدَهُ . قَالَ " مَا يَمْنَعُ إِحْدَاكُنَّ أَنْ تَصْنَعَ قُرْطَيْنِ مِنْ فِضَّةٍ ثُمَّ تُصَفِّرَهُ بِزَعْفَرَانٍ أَوْ بِعَبِيرٍ " . اللَّفْظُ لاِبْنِ حَرْبٍ .

नज़दीक कम मर्तबा हो जाती है। आपने फ़रमाया: 'कौन सी चीज़ मानेअ है कि वह चाँदी की दो बालियाँ बना ले। फिर उसे ज़ाफ़रान या अबीर से रंग ले।'

ये अल्फ़ाज़ (उस्ताद अहमद) इब्ने हर्ब के हैं।

(5145) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 2/440, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9442, 9443.

أَخْبَرَنِي الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى عَلَيْهَا مَسَكَتَىْ ذَهَبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَلاَ أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا لَوْ نَزَعْتِ هَذَا وَجَعَلْتِ مَسَكَتَيْنِ مِنْ وَرِقٍ ثُمَّ صَفَّرْتِهِمَا بِزَعْفَرَانٍ كَانَتَا حَسَنَتَيْنِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

(5146) हज़रत आयशा (﵅) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन (हज़रत आयशा) के हाथों में सोने के दो कंगन देखे तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं तुझे इससे अच्छी चीज़ न बताऊँ कि तू उन्हें उतार दे और चाँदी के दो कंगन बना ले, फिर उनको ज़ाफ़रान के साथ सुनहरी बना ले।'

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) ने कहा: ये (हदीस़ इस सियाक़ से) ग़ैर महफ़ूज़ है। वल्लाहु आलम!

(5146) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अल्बज़्ज़ार: 3/382, 383, हदीस़: 3007, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9444.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (ﷺ) का इस सियाक़ को ग़ैर महफ़ूज़ कहना महल्ले-नज़र है। ये हदीस़ सनदन स़ही है, इसलिये उसके ग़ैर महफ़ूज़ होने की वजह नहीं बनती। वल्लाहु आलम! **(2)** सोना बहुत क़ीमती चीज़ है। इतनी मालियत वाली चीज़ को स़िर्फ़ ज़ेब व ज़ीनत के लिये रख छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं जबकि अल्लाह तआला ने इसे तिजारत के लिये पैदा फ़रमाया है। बाक़ी रही ज़ीनत! तो वह उसके रंग से भी हासिल की जा सकती है, और सोने के ज़ेवरात में नुमाइश और फ़ख़्र का ग़ालिब इम्कान है, लिहाज़ा बावजूद जवाज़ के परहेज़ बेहतर है, ख़ुसूसन अहले इल्म व फ़ज़्ल के लिये।

बाब : (40) मर्दों पर सोना हराम है

باب(٤٠): تَحْرِيمِ الذَّهَبِ عَلَى الرِّجَالِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " .

(5147) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) ने फ़रमाया कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने रेशम अपने दायें हाथ में पकड़ा और सोना अपने बायें हाथ में, फिर फ़रमाया: 'ये दोनों चीज़ें (पहनना) मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।'

(5147) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9445.

फ़ायदा : गोया औरतों के लिये जायज़ है जैसा कि आइन्दा रिवायात में सराहतन ज़िक्र है और मर्दों के लिये औरतों की मुशाबिहत इख़्तियार करना जायज़ नहीं। ज़ेब व ज़ीनत औरतों का ख़ास्सा है और ये मर्दांगी के ख़िलाफ़ है।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَبُو أَفْلَحَ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي ".

(5148) हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रेशम अपने दायें हाथ में लिया और सोना बायें में, फिर फ़रमाया: 'ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।'

(5148) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9446.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حِبَّانُ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ

(5149) हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: नबी (ﷺ) ने रेशम लिया और दायें हाथ में पकड़ा और सोना लिया और उसे बायें हाथ में पकड़ा, फिर फ़रमाया: 'ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।'

أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ هَمْدَانَ يُقَالُ لَهُ أَفْلَحُ عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ إِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ حَرِيرًا فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ وَأَخَذَ ذَهَبًا فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ ثُمَّ قَالَ " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ إِلاَّ قَوْلَهُ أَفْلَحَ فَإِنَّ أَبَا أَفْلَحَ أَشْبَهُ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा कि इब्ने अल मुबारक की हदीस़ दुरुस्त है लेकिन इसका क़ौल अफ़लह (दुरुस्त नहीं बल्कि) अबू अफ़लह स़ही है।

(5149) तख़रीज : (सनद ह़सन) देखें, हदीस़: 5147, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9447.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ أَبِي أَفْلَحَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَيْرٍ الْغَافِقِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَهَبًا بِيَمِينِهِ وَحَرِيرًا بِشِمَالِهِ فَقَالَ " هَذَا حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي".

(5150) ह़ज़रत अ़ली (رضي الله عنه) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोना अपने दायें हाथ में पकड़ा और रेशम बायें हाथ में और फ़रमाया: 'बेशक ये दोनों मेरी उम्मत के मर्दों पर हराम हैं।'

(5150) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5147, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9448.

फ़ायदा : इस हदीस़ में दायें बायें का फ़र्क़ किसी रावी की ग़लती है क्योंकि हदीस़ बुनियादी तौर पर एक ही है।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّرْهَمِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا " .

(5151) ह़ज़रत अबू मूसा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सोना और रेशम (पहनना) मेरी उम्मत की औ़रतों के लिये हलाल किया गया है जबकि मर्दों पर हराम है।'

(5151) तख़रीज : (सनद स़ही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 1720, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9450.

(5152) हज़रत मुआविया (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रेशम और सोना पहनने से मना फ़रमाया है मगर थोड़ा थोड़ा।

अब्दुल वह्हाब ने इस (सुफ़ियान बिन हबीब) की मुख़ालिफ़त की है। उसने ये रिवायत ख़ालिद, अन मैमून अन अबी क़िलाबा की सनद से रिवायत की है। (उसने अबू क़िलाबा और ख़ालिद हज़्ज़ाअ के दरम्यान मैमून का वास्ता बढ़ा दिया है।) वल्लाहु आलम!

(5152) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 4239, पिछली हदीस़ देखें.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا . خَالَفَهُ عَبْدُ الْوَهَّابِ رَوَاهُ عَنْ خَالِدٍ عَنْ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ .

फ़ायदा : 'थोड़ा थोड़ा' अरबी में लफ़्ज़ 'मुक़त्तअ' इस्तेमाल किया गया है, यानी क़लील हो और मुख़्तलिफ़ जगहों पर हो, जैसे: तलवार के दस्ते पर नक़्श व निगार की सूरत में हो या नुक़ात की सूरत में। पूरे दस्ते पर सोना न चढ़ाया जाये। इसी तरह चाँदी की अंगूठी पर सोने के निशानात हों। इसी तरह रेशम भी किसी और कपड़े पर टुकड़ों की सूरत में क़लील (कम) मिक़्दार में हो या रेशम की लाइन हों या छोटी पट्टियाँ हों तो कोई हर्ज नहीं। गोया क़लील मिक़्दार में हो और मुख़्तलिफ़ जगहों पर हो। याद रहे कि ये मर्दों के लिये है। औरतों के लिये सोने और रेशम का इस्तेमाल मुत्लक़न जायज़ है जैसे साबिक़ा हदीस़ में स़राहत हो चुकी है।

(5153) हज़रत मुआविया (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोना पहनने से मना फ़रमाया है मगर ये कि मुख़्तलिफ़ जगहों पर क़लील मिक़्दार में हो और रेशमी गदीलों पर बैठने से भी मना फ़रमाया।

(5153) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9452.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ مَيْمُونٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا وَعَنْ رُكُوبِ الْمَيَاثِرِ .

फ़ायदा : 'रेशमी गदीले' जो चीज़ें मुश्तरका इस्तेमाल की हैं उन्हें औरतें भी इस्तेमाल करती हैं और मर्द भी और इनमें इम्तियाज़ रखना मुश्किल है, वह रेशम या सोने से नहीं होनी चाहिए। गदीले पर कोई भी बैठ सकता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ، وَعِنْدَهُ، جَمْعٌ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ .

(5154) हज़रत अबुश शैख़ से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत मुआविया (ﷺ) को फ़रमाते सुना जब कि उनके पास बहुत से अस्हाबे मुहम्मद(ﷺ) बैठे थे: क्या तुम जानते हो कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने सोना पहनने से मना फ़रमाया है मगर ये कि वह मुख़्तलिफ़ जगहों पर थोड़ा थोड़ा हो? उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! हाँ!

(5154) तख़रीज : (सनद सही) अत्तबरानी फ़िल्कबीर: 19/353, हदीस: 826, अबी दाऊद, हदीस: 1794, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9453, 9599.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَسْبَاطٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي شَيْخٍ، قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ مُعَاوِيَةَ فِي بَعْضِ حَجَّاتِهِ إِذْ جَمَعَ رَهْطًا مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُمْ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . خَالَفَهُ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَلَى اخْتِلاَفٍ بَيْنَ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ .

(5155) हज़रत अबुश शैख़ से रिवायत है कि एक दफ़ा हज़रत मुआविया (ﷺ) के किसी हज के दौरान में हम उनके साथ थे कि उन्होंने हज़रत मुहम्मद (ﷺ) के सहाबा में से कई सहाबा को जमा किया और फ़रमाया: क्या तुम नहीं जानते कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (मर्दों को) सोना पहनने से मना फ़रमाया है मगर ये कि वह मुख़्तलिफ़ जगहों पर थोड़ा थोड़ा हो? उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! जी हाँ।

यहया बिन अबी कसीर ने मतर (अलवर्राक़) की मुख़ालिफ़त की है, और इस (यहया बिन अबी कसीर) पर उसके शागिर्दों ने भी इख़्तिलाफ़ किया है।

(5155) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9454, पिछली हदीस: 5162, 5163.

फ़ायदा : मतर ने इस सनद हदीस बयान की है: अन अबी शैख़ क़ाल: बैनमा नहनु मअ मुआविया जबकि यहया बिन अबी कसीर ने बयान किया है तो कहा है: हद्दसना अबू शैख़ अल्हुनाई अन अबी हिम्मान: अन मुआविया .... तो यहया ने अबू शैख़ और हज़रत मुआविया के दरम्यान अबू हिम्मान का

वास्ता बढ़ा दिया है, और यहया बिन अबी कसीर के शागिर्दों में भी इख़्तिलाफ़ है। अली बिन मुबारक ने यहया से बयान किया है तो कहा है: हद्दसनी अबू शैख़ अल्हुनाई, अन अबी हिम्मान अन मुआविया लेकिन जब यहया के शागिर्द हर्ब बिन शद्दाद ने उससे बयान किया है तो कहा है: हद्दसनी अबू शैख़ अन अख़ीह हिम्मान: अन मुआविया .... इसकी तफ़्सील अगली रिवायात में आ रहा है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ الْهُنَائِيُّ، عَنْ أَبِي حِمَّانَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ، عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ أَنْشُدُكُمُ اللَّهَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ . خَالَفَهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنْ أَخِيهِ حِمَّانَ .

(5156) हज़रत अबू हिम्मान से मरवी है कि जिस साल हज़रत मुआविया (ﷺ) ने हज किया उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के बहुत से सहाबा को काबा में जमा किया और फ़रमाया कि मैं तुमसे अल्लाह तआला का वास्ता देकर पूछता हूँ: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोना पहनने से मना फ़रमाया है? उन सबने फ़रमाया: जी हाँ। हज़रत मुआविया(ﷺ) ने फ़रमाया: मैं भी गवाही देता हूँ।

हर्ब बिन शद्दाद ने इस (अली बिन मुबारक) की मुख़ालिफ़त की है। इस (हर्ब) ने ये हदीस (इस तरह) बयान की है: अन यहया, अन अबी शैख़, अन अख़ीहि हिम्मान।

(5156) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9455.

फ़ायदा : साबिक़ा हदीस के तहत इसकी वज़ाहत हो चुकी है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ، عَنْ أَخِيهِ، حِمَّانَ أَنَّ مُعَاوِيَةَ، عَامَ حَجَّ جَمَعَ نَفَرًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ لَهُمْ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(5157) हज़रत हिम्मान से रिवायत है कि जिस साल हज़रत मुआविया (ﷺ) हज को गये उन्होंने बहुत से अस्हाबे रसूल (ﷺ) को काबा में इकट्ठा करके फ़रमाया: मैं तुमसे अल्लाह तआला के नाम पर पूछता हूँ: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोना पहनने से मना फ़रमाया है? उन्होंने फ़रमाया: जी हाँ। हज़रत मुआविया (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं भी गवाही देता हूँ।

وسلم عَنْ لُبُوسِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ . خَالَفَهُ الأَوْزَاعِيُّ عَلَى اخْتِلاَفِ أَصْحَابِهِ عَلَيْهِ فِيهِ .

औज़ाई ने इस (हर्ब बिन शद्दाद) की मुख़ालिफ़त की है, और औज़ाई के शागिर्दों ने इस पर इख़्तिलाफ़ किया है।

(5157) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9456, मुसनद अहमद: 4/96.

फ़ायदा : औज़ाई (ﷺ) ने हर्ब बिन शद्दाद की मुख़ालिफ़त इस तरह की है कि वह यहया बिन अबी कसीर से बयान करते हुये कहते हैं: हद्दसनी अबू शैख़, क़ाल: हद्दसनी हिम्मान जबकि हर्ब बिन शद्दाद ने 'हिम्मान' की बजाये 'अन अख़ीहि हिम्मान कहा है जैसा कि पहले उसकी वज़ाहत की जा चुकी है। औज़ाई के शागिर्दों का इस पर इख़्तिलाफ़ यूँ है (जिसकी तफ़्सील अगली रिवायात में आ रही है) कि शुऐब ने औज़ाई से बयान किया तो कहा: हद्दसनी अबू शैख़, क़ाल: हद्दसनी हिम्मान, क़ाल हज्जा मुआवियतु .... अम्मारा बिन बिश्र ने इससे बयान किया तो कहा: हद्दसनी अबू इस्हाक़, क़ाल: हद्दसनी हिम्मानु, क़ाल हज्जा मुआवियतु औज़ाई के एक शागिर्द उक़्बा (इब्ने अल्क़मा मआफ़िरी बैरूती) ने औज़ाई से बयान किया तो कहा: हद्दसनी अबू इस्हाक़, क़ाल: हद्दसनी इब्ने हिम्मानु, क़ाल: हज्ज मुआवियतु .... औज़ाई के चौथे शागिर्द यहया बिन हम्ज़ा ने बयान किया तो औज़ाई के दीगर बयान करने वाले तीनों शागिर्दों से इख़्तिलाफ़ करते हुये कहा: हद्दसना यहया: हद्दसना हिम्मानु क़ाल: हज्ज मुआवियतु .... ख़ुलास-ए-कलाम ये है कि शुऐब ने, अपने उस्ताद औज़ाई से यहया बिन अबी कसीर वाली रिवायत बयान की तो यहया बिन अबी कसीर का उस्ताद अबू शैख़ को बयान किया है। उमारा बिन बिश्र ने औज़ाई से यहया की रिवायत बयान की तो यहया बिन अबी कसीर का उस्ताद अबू इस्हाक़ अस्सबीई को क़रार दिया है। औज़ाई के एक और शागिर्द यहया बिन हम्ज़ा ने यही रिवायत बयान की तो यहया बिन अबी कसीर का उस्ताद हिम्मान बयान किया। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई लिल अत्यूबी: 38/227-229)

أَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَدِيثِ، يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو شَيْخٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ

(5158) हज़रत हिम्मान ने बयान फ़रमाया कि हज़रत मुआविया (ﷺ) हज को गये तो आपने अन्सार की एक जमाअत को काबा में बुलाया और फ़रमाया: मैं तुम्हें अल्लाह तआला का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुमने रसूलुल्लाह(ﷺ) को सोने के इस्तेमाल से मना फ़रमाते नहीं सुना? उन सबने कहा: हाँ! (हमने ज़रूर सुना है) हज़रत मुआविया (ﷺ) ने

بِاللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ .

फ़रमाया: मैं भी इस बात पर गवाह हूँ (मैंने भी सुना है।)

(5158) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5156, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9457, तबरानी: 19/354, 355, हदीस़: 830.

أَخْبَرَنَا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ بِشْرٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ .

(5159) हज़रत हिम्मान ने बयान फ़रमाया कि हज़रत मुआविया (ﷺ) हज को गये तो उन्होंने अन्सार की एक जमाअत को काबा में बुलाया और फ़रमाया: मैं तुम्हें अल्लाह तआला का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुमने रसूलुल्लाह(ﷺ) को सोने के इस्तेमाल से मना फ़रमाते नहीं सुना? उन्होंने कहा: अल्लाह की क़सम! जी हाँ! (हमने सुना है।) हज़रत मुआविया(ﷺ) ने फ़रमाया: मैं भी गवाही देता हूँ (कि मैंने भी आपसे सुना है।)

(5159) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5156, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9458.

وَأَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حِمَّانَ، قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا نَعَمْ . قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ .

(5160) हज़रत इब्ने हिम्मान से रिवायत है कि हज़रत मुआविया (ﷺ) हज को गये तो वहाँ उन्होंने काबा में अन्सार की एक जमाअत को बुलाया और फ़रमाया: क्या तुमने रसूलुल्लाह(ﷺ) को सोने के इस्तेमाल से मना फ़रमाते नहीं सुना? उन्होंने फ़रमाया: हाँ! (सुना है।) हज़रत मुआविया (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं भी गवाही देता हूँ।

(5160) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5156, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9459.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي حِمَّانُ، قَالَ حَجَّ مُعَاوِيَةُ فَدَعَا نَفَرًا مِنَ الأَنْصَارِ فِي الْكَعْبَةِ فَقَالَ أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعُوا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ قَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ وَأَنَا أَشْهَدُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عُمَارَةُ أَحْفَظُ مِنْ يَحْيَى وَحَدِيثُهُ أَوْلَى بِالصَّوَابِ .

(5161) हज़रत हिम्मान ने फ़रमाया कि हज़रत मुआविया (ﷺ) हज करने गये तो उन्होंने अन्सार के कुछ लोगों को काबा में बुलाया और फ़रमाया: मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, क्या तुमने रसूलुल्लाह (ﷺ) को सोने के इस्तेमाल से मना फ़रमाते नहीं सुना? उन सब ने कहा: अल्लाह की क़सम! हाँ (सुना है।) हज़रत मुआविया (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं भी गवाही देता हूँ।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) ने कहा कि उमारा यहया की निस्बत ज़्यादा हाफ़िज़ है और इसकी हदीस दुरुस्त और सही होने की ज़्यादा हक़दार है।

(5161) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5156, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9460.

फ़ायदा : शारेह सुनन नसाई मुहम्मद बिन अली अत्यूबी कहते हैं कि 'अलमुज्तबा' वाले नुस्ख़े में 'उमारा' है लेकिन दुरुस्त 'क़तादा' है जैसा कि सुनन नसाई 'अल कुब्रा' 5/439 और तोहफ़तुल अशराफ़ (8/436) में है। इमाम नसाई (ﷺ) ने उमारा (दरहक़ीक़त क़तादा) की रिवायत को सही क़रार दिया है। इसकी वजह ये है कि 'क़तादा' यहया की निस्बत अहफ़ज़ है, इसलिये इसकी बयानकर्दा रिवायत राजेह है क्योंकि इस तरह वह महफ़ूज़ सही रिवायत बनती है। ख़ुलासा-ए-कलाम ये है कि क़तादा अन अबी शैख़ अन मुआविया (ﷺ) वाली बिला वास्ता रिवायत ही सही है जबकि दीगर रुवात ने अबू शैख़ और हज़रत मुआविया (ﷺ) के दरम्यान हिम्मान या अबू जमान या इब्ने हिम्मान का वास्ता बयान किया है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو شَيْخٍ الْهُنَائِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، وَحَوْلَهُ، نَاسٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ

(5162) हज़रत अबू शैख़ हुनाई ने कहा: मैं हज़रत मुआविया (ﷺ) से सुना जब कि उनके इर्द गिर्द मुहाजिरीन व अन्सार के बहुत से लोग थे, उन्होंने फ़रमाया: क्या तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रेशम पहनने से मना फ़रमाया है? उन सब ने कहा: अल्लाह की क़सम! जी हाँ। हज़रत मुआविया (ﷺ) ने फ़रमाया: और आपने

رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ فَقَالُوا اللَّهُمَّ نَعَمْ . قَالَ وَنَهَى عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا قَالُوا نَعَمْ . خَالَفَهُ عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ رَوَاهُ عَنْ بَيْهَسٍ عَنْ أَبِي شَيْخٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ .

सोना इस्तेमाल करने से भी मना फ़रमाया है मगर ये कि वह मुख़्तलिफ़ जगहों में थोड़ा थोड़ा लगा हुआ हो? उन सब ने फ़रमाया: जी हाँ।

अ़ली बिन गुराब ने इस (नज़्र बिन शुमैल) की मुख़ालिफ़त की है और (इस हदीस़ को) इब्ने उ़मर की मुसनद क़रार दिया है।

(5162) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9461, 9600.

أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَيْهَسُ بْنُ فَهْدَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو شَيْخٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ إِلاَّ مُقَطَّعًا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ النَّضْرِ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

(5163) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने के इस्तेमाल से मना फ़रमाया मगर ये कि वह बिखरा हुआ हो।

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) ने कहा कि नज़्र (इब्ने शुमैल) की हदीस़ ज़्यादा दुरुस्त है।

(5163) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9462, 9598.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई का मक़स़द ये बयान करना है कि मज़्कूरा रिवायत से पहली रिवायत (हदीस़: 5162) ज़्यादा दुरुस्त है जो कि नज़्र बिन शुमैल बैहस बिन फ़हदान से, वह अबू शैख़ हुनाई से और वह हज़रत मुआ़विया (ﷺ) से बयान करते हैं जबकि मज़्कूरा रिवायत: 5163 जो कि अ़ली बिन गुराब ने बैहस बिन फ़हदान से, उसने अबू शैख़ से और उसने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) से बयान की है, ये रिवायत इब्ने उ़मर की मुसनद के तौर पर तो ज़ईफ़ है, ताहम उसका मतन हज़रत मुआ़विया (ﷺ) की मुसनद की वजह से स़ही है। नज़्र बिन शुमैल अ़ली बिन गुराब से कहीं ज़्यादा हाफ़िज़ और अस्बत है जबकि अ़ली बिन गुराब तो ज़ईफ़ व मुदल्लिस और शीया था। वल्लाहु आलम! **(2)** तर्जुमे में चूंकि सनद ज़िक्र नहीं होती, लिहाज़ा क़ारेईन के लिये एक रिवायत का इस क़द्र ज़्यादा तकरार मलाल व उकताहट का बाइस़ बनता है और उनहें ये बेफ़ायदा मालूम होता है लेकिन इमाम नसाई (ﷺ) का मक़सूद सनद के बयान में इख़्तिलाफ़ ज़ाहिर करना है जो हदीस़ की हैसियत जाँचने के लिये बुनियाद की हैसियत रखता है और मुहद्दिसीन के नज़दीक ये इन्तेहाई, क़ीमती मुफ़ीद और दिलचस्प चीज़ होती है।

बाब : (41)
किसी शख़्स की नाक कट जाये तो क्या वह सोने की नाक लगवा सकता है?

باب(٤١): مَنْ أُصِيبَ أَنْفُهُ هَلْ يَتَّخِذُ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ زَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ، عَنْ جَدِّهِ، عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ أَنَّهُ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ .

(5164) हज़रत अ़र्फ़जा बिन असअ़द (ﷺ) से रिवायत है कि दौरे जाहिलियत में जंगे कुलाब के दिन उनकी नाक कट गई थी तो उन्होंने चाँदी की नाक लगवाई लेकिन (वह ख़राब हो गई और) उससे बदबू आने लगी तो नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया कि वह सोने की नाक लगवा ले।

(5164) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1770, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9463, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1466.

फ़वाइद व मसाइल : (1) चाँदी को रंग लग जाता है। नाक में उमूमन रतूबत रहती है, इसलिये चाँदी को रंग लग गया और उसमें रुतूबत अटकने लगी और उससे बदबू आने लगी, बख़िलाफ़ इसके सोना बहुत मज़बूत और नफ़ीस धात है। इसे इतनी जल्दी रंग नहीं लगता और ये ख़राब भी नहीं होता, इसलिये आप (ﷺ) ने उन्हें सोने की नाक लगवाने का मश्वरा दिया। (2) मालूम हुआ कि मर्द के लिये सोने का इस्तेमाल बतौर ज़ीनत मना है, बतौर ज़रूरत जायज़ है, जैसे: दाँत हिलने लगें तो उन्हें सोने के तार से बँधवाया जा सकता है। इसी तरह कोई और ज़रूरत पड़ जाये तो कोई हर्ज नहीं। (3) 'जंगे कुलाब' कुलाब एक कुएँ, या चश्मे का नाम था। वहाँ दौरे जाहिलियत में ज़बरदस्त जंग हुई थी जो बहुत मशहूर हुई।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ أَبِي الأَشْهَبِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ طَرَفَةَ، عَنْ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدَ بْنِ كَرِبٍ، - قَالَ وَكَانَ جَدَّهُ - قَالَ حَدَّثَنِي أَنَّهُ، رَأَى جَدَّهُ قَالَ أُصِيبَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَالَ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ

(5165) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन तरफ़ा ने अपने दादा मोहतरम हज़रत अ़र्फ़जा बिन असअ़द(ﷺ) से बयान किया और उन्होंने अपने दादा मोहतरम को देखा था कि जंगे कुलाब के दिन उनकी नाक कट गई थी। उन्होंने चाँदी की नाक लगवा ली लेकिन उससे बदबू आने लगी तो नबी-ए अकरम(ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया कि सोने की नाक लगवा लो।

(5165) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9464, अबू दाऊद, हदीस: 4232-4234.

बाब : (42) मर्दों के लिये सोने की अंगूठी की रुख़सत का बयान

(5166) हज़रत सईद बिन मुसय्यब (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत उमर (ﷺ) ने हज़रत सुहैब(ﷺ) से फ़रमाया: क्या वजह है कि मैं तुम पर सोने की अंगूठी देखता हूँ? वह फ़रमाने लगे: ये आपसे बेहतर शख़्सियत ने देखी थी। उन्होंने तो उस पर ऐब नहीं लगाया था। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया वह कौन थे? उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ).

(5166) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9465.

बाब : (43) सोने की अंगूठी का बयान

(5167) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (पहले) सोने की अंगूठी बनवाई और पहनी तो लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। तब रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया:'मैं ये (सोने की) अंगूठी पहना करता था लेकिन आइन्दा इसे कभी नहीं पहनूँगा।' ये फ़रमाने के बाद आपने सोने की अंगूठी उतार फेंकी तो लोगों ने भी अपनी (सोने की) अंगूठियाँ उतार फेंकी।

(5167) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9466.

صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَّخِذَهُ مِنْ ذَهَبٍ .

الرُّخْصَةِ فِي خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلرِّجَالِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ قَالَ عُمَرُ لِصُهَيْبٍ مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ خَاتَمَ الذَّهَبِ قَالَ قَدْ رَآهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْكَ فَلَمْ يَعِبْهُ . قَالَ مَنْ هُوَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

باب(٤٣): خَاتَمِ الذَّهَبِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا " . فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से मालूम हुआ कि इब्तिदाअन मर्दों के लिए भी सोने की अंगूठी पहननी जायज़ थी, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने और आपके साथ साथ स़हाब-ए-किराम (ﷻ) ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवाईं और पहनी। (2) इस हदीस़े मुबारका से स़हाब-ए-किराम (ﷻ) की अ़ज़मत भी आश्कारा होती है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की, तमाम आ़माल में, मुताबिअ़त के अज़ हद हरीस़ थे। यही वजह है कि जब उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने की अंगूठी पहनी हूई है तो उन्होंने सोने की अंगूठियाँ बनवा कर पहन लीं और जब नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उतार फेंकी तो उन सब ने भी उतार दीं। रसूले करीम (ﷺ) के तमाम अक़वाल व अफ़आ़ल में हज़राते स़हाब-ए किराम (ﷻ) की फ़रमांबरदारी का यही मामूल था मगर ये कि कोई अ़मल आपकी ख़ुस़ूस़ियत हो। (3) मर्दों के लिये सोने की अंगूठी यक़ीनन हराम और नाजायज़ है जबकि उनके लिये चाँदी की अंगूठी पहनना क़तई तौर पर जायज़ है। मर्दों के चाँदी की अंगूठी पहनने की बाबत, अहले शाम के कुछ उ़लमा के अ़लावा तमाम अहले इस्लाम का इसके जवाज़ पर इत्तेफ़ाक़ है। दीगर स़ही रिवायात में स़राहत है कि फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई ताकि ख़ुतूत व फ़रामीन पर मुहर लगा सकें। नबी-ए-अकरम (ﷺ) के बाद वही अंगूठी ख़लीफ़-ए-रसूल, ख़लीफ़ा बिला फ़स्ल हज़रत अबू बक्र स़िद्दीक़ (ﷻ) ने पहनी, फिर उनके बाद ख़लीफ़-ए-स़ानी, अमीरुल मोमिनीन हज़रत उ़मर फ़ारूक़ (ﷻ) ने पहनी, फिर उनके बाद तीसरे ख़लीफ़-ए-राशिद हज़रत उ़स्मान ज़ुन्नूरैन (ﷻ) ने पहनी यहाँ तक कि वह अंगूठी बहरे अरीस में गिर गई और तलाशे बिस्यार (बहुत तलाश) के बावजूद न मिली। (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 5866, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 2091-(54) (4) 'कभी नहीं पहनूँगा' गोया इजाज़त मन्सूख़ हो गई। आइन्दा अहादीस़ में हुर्मत की स़राहत है। (5) 'उतार फेंकी' फिर पकड़ ली या स़हाब-ए-किराम (ﷻ) ने उठा कर पकड़ा दी होगी। कुछ का ख़याल है ये मतलब नहीं कि उतार कर ज़मीन पर फेंक दी बल्कि जेब वग़ैरह में डाल ली क्योंकि माल ज़ाया करना हराम है। वल्लाहु आ़लम!

(5168) हज़रत अ़ली (ﷻ) ने फ़रमाया: नबी ए-अकरम (ﷺ) ने मुझे सोने की अंगूठी, रेशमी कपड़ों और सुर्ख़ रेशमी गदीलों और जिअ़ह (के इस्तेमाल) से मना फ़रमाया।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ نَهَانِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَعَنِ الْجِعَةِ .

(5168) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस़: 2808, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9467.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'रेशमी कपड़ों' अ़रबी में लफ़्ज़ क़स्सी इस्तेमाल किया गया है। क़स मिस्र के इलाक़े में एक बस्ती का नाम था, जहाँ रेशमी कपड़े बनाये जाते थे। उनको क़स कहा जाता था। मुराद

रेशमी कपड़े हैं, क़स में बनीं या कहीं और क्योंकि हुर्मत की वजह रेशम होना है न कि क़स बस्ती में तैयार होना। दूसरी तौजीह ये की गई है कि क़स असल में क़ज़ था और इसके मानी हैं कच्चा रेशम। गोया क़स से मुराद कच्चे रेशम से बनाये गये कपड़े हैं, यानी रेशम का इस्तेमाल मर्दों के लिये हराम है चाहे कच्चा हो या पक्का। (2) 'सुर्ख़ रेशमी गदीलों' रेशमी गदीले उमूमन सुर्ख़ होते थे वरना रेशमी गदीले हराम हैं, सुर्ख़ हों या सब्ज़, सफ़ेद हों या स्याह। (3) 'जिअ़ह' जौ का नबीज़ जिसमें नशा होता था।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ .

(5169) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे सोने की अंगूठी, क़स कपड़ों और सुर्ख़ गदीलों के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है।

(5169) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9468.

फ़ायदा : 'सुर्ख़ गदीलों' इनमें रूई भरी होती थी और उन्हें ऊँट के पालान के ऊपर रखा जाता था ताकि पालान की लकड़ी से जिस्म को तकलीफ़ महसूस न हो। ये रेशमी न हो तो कोई हर्ज नहीं। कुछ ने सुर्ख़ रंग भी मना किया है क्योंकि इसमें शौखी ज़्यादा होती है और ये आराम से ज़्यादा ज़ेब व ज़ीनत के लिये होता है और मर्दों को ज़ीनत ज़ेब नहीं देती।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ آدَمَ - قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، سَمِعَهُ مِنْ، عَلِيٍّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ وَعَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ وَعَنِ الْجِعَةِ شَرَابٌ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةِ وَذَكَرَ مِنْ شِدَّتِهِ . خَالَفَهُ عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ رَوَاهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ صَعْصَعَةَ عَنْ عَلِيٍّ .

(5170) हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने की अंगूठी (और छल्ले), सुर्ख़ रेशमी गदीले, क़स्सी कपड़ों और जिअ़ह (के इस्तेमाल) से मना फ़रमाया है। जिअ़ह एक मशरूब (पीने की चीज़) था जो जौ और गन्दूम से बनाया जाता था और नशावर होता था।

अ़म्मार बिन रुज़ैक़ ने इस (ज़ुहैर) की मुख़ालिफ़त की है और उसने ये रिवायत 'अन अबी इस्हाक़, अन सअ़सआ अन अ़ली' की सनद से बयान की है।

(5170) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9469.

फ़ायदा : इमाम नसाई (ﷺ) ये कहना चाहते हैं कि मज़्कूरा हदीस: 5170, ज़ुहैर (बिन मुआविया) ने अन अबी इस्हाक़ अन हुरैरह समिआ मिन अली की सनद से बयान की है जबकि अम्मार बिन रुज़ैक़ ने अन अबी इस्हाक़ अन हुबैरा की बजाये अन अबी इस्हाक़, अन सअसआ बयान किया है। देखिये, अगली हदीस: 5171.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ وَالْجِعَةِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الَّذِي قَبْلَهُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ .

(5171) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे सोने की अंगूठी, क़स्सी कपड़ों, रेशमी गदीले और जिअह के इस्तेमाल से मना फ़रमाया।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) ने कहा: इस (हदीस 5171) से पहली रिवायत (5170) ज़्यादा दुरुस्त है।

(5171) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9470.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई ने अन अबी इस्हाक़ अन हुबैरा बिन यरीम, अन अली वाली साबिक़ा रिवायत को तर्जीह देते हुये सही क़रार दिया है इसकी वजह ये है कि अबू इस्हाक़ के दीगर शागिर्द, जैसे: अबुल अह्वस, ज़करिया बिन अबू ज़ाइदा और ज़ुबैर बिन मुआविया तीनों ने इस सनद से बयान किया है: अन अबी इस्हाक़ अन हुबैरा बिन यरीम देखिये: (सुनन नसाई, हदीस: 5168, 5169, 5170) मज़ीद बरां ये कि अबू दाऊद की रिवायत में इमाम शोबा (ﷺ) ने भी इन तीनों की मुताबिअत की है। उन्होंने भी इसी तरह बयान किया है: अन अबी इस्हाक़ अन हुबैरा, अन अली .... अम्मार बिन रुज़ैक़ ने अबू इस्हाक़ के तमाम शागिर्दों की मुख़ालिफ़त की है और ये रिवायत अन अबी इस्हाक़, अन सअसआ अन अली की सनद से बयान की, इसलिये अम्मार बिन रुज़ैक़ की बयानकर्दा रिवायत शाज़ और अबू इस्हाक़ के दीगर शागिर्दों की रिवायत महफ़ूज़ बनती है, लिहाज़ा यही रिवायत अर्जह है। याद रहे कि ये शुज़ूज़ सिर्फ़ इस सनद में है जहाँ तक मतन का ताल्लुक़ है तो वह सही है क्योंकि सअसआ की रिवायत भी हज़रत अली (ﷺ) से दूसरे तरीक़ से सही है जैसा कि आइन्दा हदीस में है। वल्लाहु आलम! **(2)** हर नशावर मशरूब हराम है, ख़्वाह किसी चीज़ से बना हो, क़लील हो या कसीर। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ

(5172) हज़रत सअसआ बिन सूहान से रिवायत है कि मैंने हज़रत अली (ﷺ) से कहा: हमें उस

اللّٰهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، قَالَ قُلْتُ لِعَلِيٍّ انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ . قَالَ نَهَانِي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَالْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ .

चीज़ से मना फ़रमाइये जिससे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आपको मना फ़रमाया है। उन्होंने फ़रमाया: आपने मुझे कद्दू के बर्तन और सब्ज़ मटके (के नबीज़), सोने की अंगूठी, रेशम के लिबास, क़स्सी कपड़ों और सुर्ख़ रेशमी गदीले से मना फ़रमाया था।

(5172) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9471.

फ़ायदा : कद्दू का बर्तन और तारकोल लगा हुआ मटका बे मसाम होते हैं, लिहाज़ा उनमें नबीज़ बनाया जाये तो उसमें जल्दी नशा पैदा हो जाता था, इसी लिये लोगों ने जाहिलियत में ये बर्तन शराब बनाने के लिये मख़्सूस कर रखे थे, लिहाज़ा आपने इब्तेदा में उन बर्तनों के नबीज़ से भी रोक दिया था, बाद में इजाज़त दे दी बशर्ते कि नशा पैदा न हो। (तफ़्सील अपने मक़ाम पर गुज़र चुकी है।)

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، دُحَيْمٌ قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، -هُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ الْحَنَفِيُّ - عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ جَاءَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْجِعَةِ وَنَهَانَا عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ .

(5173) हज़रत मालिक बिन उमैर से रिवायत है कि हज़रत सअ़सअ़ा बिन सूहान हज़रत अ़ली (رضی اللہ عنہ) के पास आये और कहा: हमें उस चीज़ से मना फ़रमाइये जिससे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आपको मना फ़रमाया हो। उन्होंने फ़रमाया: आपने मुझे कद्दू के बर्तन, सब्ज़ मटके, खजूर की जड़ के बनाये हुये बर्तन, जिअ़ह (जौ के नशीले नबीज़) से मना फ़रमाया है, और हमें सोने की अंगूठी, रेशम के लिबास पहनने, क़स्सी कपड़ों के पहनने और सुर्ख़ रेशमी गदीले से भी रोका था।

(5173) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9472.

फ़ायदा : खजूर की जड़ को अन्दर से कुरेद कुरेद कर बड़ा सा बर्तन बना लिया जाता था। ये भी मसामों से ख़ाली होता था, इसलिये इस बर्तन को भी उन्होंने शराब के लिये मख़्सूस कर रखा था ताकि जल्दी नशा पैदा हो, और ये रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है जैसा कि मुहक़्क़िक़े किताब ने भी लिखा है कि साबिक़ा रिवायत इससे किफ़ायत करती है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ قَالَ صَعْصَعَةُ بْنُ صُوحَانَ لِعَلِيٍّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ انْهَنَا عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْجِعَةِ وَعَنْ حِلَقِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ الْمِيثَرَةِ الْحَمْرَاءِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدِيثُ مَرْوَانَ وَعَبْدِ الْوَاحِدِ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ إِسْرَائِيلَ .

(5174) हज़रत मालिक बिन उमैर से रिवायत है कि हज़रत सअ़सअ़ा बिन सूहान ने हज़रत अ़ली(ﷺ) से अ़र्ज़ किया: अमीरुल मोमिनीन! हमें उस चीज़ से मना फ़रमाइये जिस चीज़ से आपको रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया हो। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें कद्दू के बर्तन, मटके, जौ के नशीले नबीज़, सोने की अंगूठी, रेशम के लिबास पहनने और सुर्ख़ रेशमी गदीले के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है।

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा कि मरवान और अ़ब्दुल वाहिद की हदीस़, इस्राईल की हदीस़ से ज़्यादा दुरुस्त और सही है।

(5174) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5171, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9473.

फ़ायदा : यानी मरवान बिन मुआविया की बयानकर्दा हदीस़ (5173) और अ़ब्दुल वाहिद की बयानकर्दा हदीस़ (5174), इस्राईल की बयानकर्दा हदीस़ (5172) से अर्जह है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَنَفِيُّ، وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ حَدَّثَنَا وَقَالَ، عُثْمَانُ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي حِبِّي صلى الله عليه وسلم عَنْ ثَلاَثٍ لاَ أَقُولُ نَهَى النَّاسَ نَهَانِي عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ الْمُفَدَّمَةِ وَلاَ أَقْرَأُ سَاجِدًا وَلاَ رَاكِعًا . تَابَعَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ .

(5175) हज़रत अ़ली (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मुझे मेरे प्यारे रसूल (ﷺ) ने तीन चीज़ों से मना फ़रमाया: मैं ये नहीं कहता कि आपने सब लोगों को मना फ़रमाया है। आपने मुझे सोने की अंगूठी पहनने, क़स्सी कपड़े पहनने और सुर्ख़ कुसम रंग के कपड़े पहनने से मना फ़रमाया, और ये कि मैं रुकूअ़ या सज्दे में क़ुर्आन मजीद न पढ़ूँ।

ज़ह्हाक बिन उ़स्मान ने इस (दाऊद बिन क़ैस) की मुताबिअ़त की है।

(5175) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1042, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9477.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ज़हहाक बिन उ़स्मान ने दाऊद बिन क़ैस की मुताबिअ़त इस तरह की है कि हज़रत अ़ली (ﷺ) और अ़ब्दुल्लाह बिन हुनैन के दरम्यान हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) का वास्ता ज़िक्र किया है जैसा कि आगे आने वाली हदीस़: 5176 की सनद में है। वल्लाहु आ़लम! **(2)** 'मैं नहीं कहता' मक़सूद ये है कि आपने मुझसे ख़िताब फ़रमाते हुये मुफ़्रद के सेग़े इस्तेमाल फ़रमाये थे, लिहाज़ा मैं भी मुफ़्रद के सेग़े ही इस्तेमाल करता हूँ, जमा के नहीं वरना बयान शुदा चीज़ें हज़रत अ़ली (ﷺ) की तरह सब मुसलमानों के लिये हराम हैं, मगर सोने और रेशमी कपड़े की हुर्मत सिर्फ़ मर्दों के लिये है। **(3)** 'कुसम (कस्मह)' ये सुर्ख़ रंग की उन अक़साम में शामिल है जो मर्दों के लिये हराम हैं। हर रंग की कई क़िस्में होती हैं।

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ لُبْسِ الْمُفَدَّمِ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ رَاكِعًا .

(5176) हज़रत अ़ली (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे सोने की अंगूठी पहनने और कस्सी कपड़े के लिबास, सुर्ख़ और कुसम रंग के लिबास और रुकू की हालत में क़िराअते क़ुर्आन से मना फ़रमाया है। मैं ये नहीं कहता कि तुम को मना फ़रमाया। तफ़्सील साबिक़ा रिवायत में है)

(5176) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1042, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9478.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَسْوَدِ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ وَالْمُعَصْفَرِ .

(5177) हज़रत अ़ली (ﷺ) ने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे रुकू की हालत में क़ुर्आन पढ़ने, सोना पहनने और कुसम (कस्मह) से रंगा हुआ कपड़ा पहनने से मना फ़रमाया।

(5177) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1044, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9480.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ

(5178) हज़रत अ़ली (ﷺ) ने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे सोने की अंगूठी, कस्सी कपड़े और कुसम से रंगे हुये कपड़े पहनने और

رکू की हालत में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया हैं मैं नहीं कहता कि तुम को मना फ़रमाया।

(5178) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1044, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9482.

(5179) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे सोने की अंगूठी, कुसम से रंगे हुये कपड़े और कस्सी कपड़े पहनने से, और रुकू की हालत में क़ुर्आने करीम पढ़ने से मना फ़रमाया है।

(5179) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9484.

(5180) हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे कस्सी कपड़े, कुसम से रंगे हुये कपड़े और सोने की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया।

(5180) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1044, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9485.

(5181) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे चार चीज़ों से मना फ़रमाया: सोने की अंगूठी पहनना, क़स्सी कपड़ा पहनना, क़ुर्आन मजीद रुकू की हालत में पढ़ना और मुअस्फ़र (कसम से रंगा हुआ) कपड़ा पहनना।

أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلاَ أَقُولُ نَهَاكُمْ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَأَنْ لاَ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ .

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلاَلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى، -وَهُوَ ابْنُ الْقَاسِمِ بْنِ سُمَيْعٍ - قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ.

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ .

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ، مَوْلَى عَلِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ، رضى الله عنه قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَرْبَعٍ عَنِ التَّخَتُّمِ

بِالذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ . وَوَافَقَهُ أَيُّوبُ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يُسَمِّ الْمَوْلَى .

अय्यूब ने इस (उ़बैदुल्लाह बिन उ़मर) की मुवाफ़िक़त की है लेकिन उसने सनद में मज़्कूरा) मौला का नाम नहीं लिया।

(5181) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1044, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9486.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ مَوْلًى، لِلْعَبَّاسِ أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ .

(5182) हज़रत अ़ली (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे मुअ़स्फ़र और क़स्सी कपड़ा पहनने, सोने की अंगूठी डालने और रुकू की हालत में क़िराअते क़ुर्आन से मना फ़रमाया है।

(5182) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1044, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9487.

الاِخْتِلاَفِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ فِيهِ

बाब : (43) इस हदीस़ में यहया बिन अबी कस़ीर पर इख़्तिलाफ़ का बयान

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ، - وَهُوَ ابْنُ شَدَّادٍ - عَنْ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ الْفَدَكِيُّ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنٍ، أَنَّ عَلِيًّا، حَدَّثَهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيِّ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ . خَالَفَهُ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ .

(5183) हज़रत अ़ली (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे मुअ़स्फ़र कपड़ों, सोने की अंगूठी और कस्सी कपड़ों के पहनने से और रुकूअ़ की हालत में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया।

लैस़ बिन सअ़द ने इस (अ़म्र बिन सईद) की मुख़ालिफ़त की है।

(5183) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1044, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9488.

फ़ायदा : इमाम स़ाहिब (رحمه الله) का मक़सूद ये है कि लैस़ बिन सअ़द ने अ़म्र बिन सईद की मुख़ालिफ़त

की है और इस तरह बयान किया है: अ़न नाफ़ेअ़, अ़न इब्राहीम बिन अ़ब्दुल्लाह बिन हुनैन अ़न बअ़ज़ मौला अलअ़ब्बास अ़न अ़ली ..... जब कि अम्र बिन सईद ने यूँ बयान किया है: अन नाफ़िअ़ अख़्बरहू क़ाल: हद्दसनी इब्ने हुनैन अन अ़लिय्यिन ..... इसका मतलब ये है कि लैस बिन सअ़द ने नाफ़ेअ़ का उस्ताद इब्राहीम बिन अ़ब्दुल्लाह को बनाया है जबकि अ़म्र बिन सईद ने नाफ़ेअ़ का उस्ताद इब्ने हुनैन, यानी इब्राहीम के बाप अ़ब्दुल्लाह को क़रार दिया है। इसमें दूसरी बात ये भी है कि अ़म्र बिन सईद की हदीस में नाफ़ेअ़ ने अ़ब्दुल्लाह बिन हुनैन से सिमाअ़ की तसरीह की है जबकि लैस ने नाफ़ेअ़ से बसेग़ा-ए-अ़न बयान किया है और अ़न बअ़ज़ मौला अल अ़ब्बास कहा है मगर अ़म्र बिन सईद ने अ़न बअ़ज़ मौला अलअ़ब्बास ज़िक्र नहीं किया। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ بَعْضِ، مَوَالِي الْعَبَّاسِ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُعَصْفَرِ وَالثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ وَعَنْ أَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ .

(5184) हज़रत अ़ली (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुसम से रंगे हुये और क़स्सी कपड़ों और रुकूअ़ की हालत में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया है।

(5184) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1044, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9489.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَسَاقَ الْحَدِيثَ

(5185) हज़रत अ़ली (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे मना फ़रमाया। फिर (रावी ने) पूरी हदीस बयान की।

(5185) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1044, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: अल कुब्रा: 9494.

باب(۴۴): حَدِيثِ عَبِيدَةَ

बाब : (44) उबैदा की हदीस

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْقَسِّيِّ وَالْحَرِيرِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ رَاكِعًا . خَالَفَهُ هِشَامٌ وَلَمْ يَرْفَعْهُ .

(5186) हज़रत अ़ली (ؓ) ने फ़रमाया: नबी ए-अकरम (ﷺ) ने मुझे क़स्सी कपड़ों, रेशम, सोने की अंगूठी और दौराने रुकूअ़ में क़िराअते क़ुर्आन से मना फ़रमाया है।

हिशाम ने इस (अशअ़स बिन अ़ब्दुल मलिक) की मुख़ालिफ़त की है और उसने इसे मरफ़ूअ़ बयान नहीं किया।

(5186) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1041, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9495.

फ़ायदा : मक़सद ये है कि अशअ़स ने मुहम्मद बिन सीरीन से ये रिवायत बयान की तो कहा है: अ़न मुहम्मद, अ़न उ़बैदा, अ़न अ़ली, क़ाल: नहानी अन्नबिय्यु (ﷺ) यानी हदीस़ मरफ़ूअ़न बयान की है और जब हिशाम ने मुहम्मद बिन सीरीन से बयान की तो कहा है: अ़न उ़बैदा, अ़न अ़ली, क़ाल: नहा ...... यानी उन्होंने मौक़ूफ़ रिवायत बयान की है, ताहम ये हुक्मन मरफ़ूअ़ है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ، وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، .

(5187) हज़रत अ़ली (ﷺ) ने फ़रमाया: आपने सुर्ख़ रंग के रेशमी गदीलों, क़स्सी कपड़ों और सोने की अंगूठी से मना फ़रमाया।

तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1041, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9496, अज़्ज़ख़ार: 2/175, हदीस़: 550.

फ़ायदा : 'सुर्ख़ रंग' अ़रबी में लफ्ज़ उर्जुवान इस्तेमाल किया गया है जो अरग़ूवान का मुअ़रब है। ये सूर्ख़ रंग का फूल होता है। गदीलों को उर्ग़ुवान कहने का मतलब रंग में तश्बीह देना है, यानी उर्ग़ुवान जैसे सुर्ख़ गदीले। अलबत्ता हुर्मत की वजह उनकी सुर्ख़ी की बजाये उनका रेशमी होना है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 69-5168)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، قَالَ نَهَى عَنْ مَيَاثِرِ الأُرْجُوَانِ، وَخَوَاتِيمِ الذَّهَبِ، .

(5188) हज़रत उ़बैदा से रिवायत है कि उर्जुवानी सुर्ख़ गदीले और सोने की अंगूठियाँ ममनूअ़ हैं।

(5188) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 1041, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9497.

बाब : (45) अबू हुरैरह (ﷺ) की हदीस़ और क़तादा पर इख़्तिलाफ़ का बयान

بَاب(٤٥): حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالِاخْتِلَافِ عَلَى قَتَادَةَ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، - هُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ .

(5189) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे सोने की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया है।

(5189) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5864, मुस्लिम, हदीस़: 2089, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9498.

(5190) हज़रत हफ़्स लैसी बयान करते हैं कि मैं हज़रत इमरान (बिन हुसैन) (ﷺ) के बारे में गवाही देता हूँ कि उन्होंने हमें बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रेशम पहनने, सोने की अंगूठी इस्तेमाल करने और सब्ज़ मटकों का नबीज़ पीने से मना फ़रमाया है।

(5190) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1738, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9500.

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ الْبَصْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَفْصٌ اللَّيْثِيُّ، قَالَ أَشْهَدُ عَلَى عِمْرَانَ أَنَّهُ حَدَّثَنَا قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنَاتِمِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इन दो रिवायात से सराहतन मालूम हुआ कि ऊपर दी गई चीज़ों से मनाही सिर्फ़ हज़रत अली (ﷺ) से ख़ास नहीं। (2) अगर आप इस क़द्र तकरार से मलूल हों तो देखिये फ़ायदा हदीस नम्बर: 5163.

(5191) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि नजरान के इलाक़े से एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ। उसने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उससे मुँह मोड़ लिया और फ़रमाया: 'तू मेरे पास इस हालत में आया है कि तेरे हाथ में आग का अंगारा है।'

(5191) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 3/14, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9501, नैलुल मक़सूद, हदीस: 3823, देखें, हदीस: 5209.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، أَنَّ أَبَا النَّجِيبِ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً قَدِمَ مِنْ نَجْرَانَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَالَ " إِنَّكَ جِئْتَنِي وَفِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ " .

फ़ायदा : राज़ेह क़ौल के मुताबिक़ इस रिवायत की सनद अबू नजीब के मज्हूल होने की वजह से ज़ईफ़ है। देखिये: (हदीस: 5209)

(5192) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी नबी-ए-अकरम(ﷺ) के पास बैठा था जबकि उसने सोने की अंगूठी पहन रखी थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) के हाथ में एक छुरी या शाख़ थी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वह छुरी उसकी

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ رَجُلٍ، حَدَّثَهُ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ رَجُلاً، كَانَ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَفِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِخْصَرَةٌ أَوْ جَرِيدَةٌ فَضَرَبَ بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِصْبَعَهُ فَقَالَ الرَّجُلُ مَا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " أَلاَ تَطْرَحُ هَذَا الَّذِي فِي إِصْبَعِكَ " . فَأَخَذَهُ الرَّجُلُ فَرَمَى بِهِ فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ " مَا فَعَلَ الْخَاتَمُ " . قَالَ رَمَيْتُ بِهِ . قَالَ " مَا بِهَذَا أَمَرْتُكَ إِنَّمَا أَمَرْتُكَ أَنْ تَبِيعَهُ فَتَسْتَعِينَ بِثَمَنِهِ " . وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ .

उँगली पर मारी तो उस आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या हुआ? आपने फ़रमाया: 'क्या तू ये अंगूठी फेंक नहीं देता जो तेरी उँगली में है?' उस आदमी ने वह अंगूठी उतार कर फेंक दी। फिर नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इसके बाद उसे देखा तो पूछा: 'अंगूठी किधर है?'' उसने कहा: वह तो मैंने फेंक दी थी। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुझे ये नहीं कहा था बल्कि मेरा मक़सद तो ये था कि तू उसको बेच कर उसकी क़ीमत से फ़ायदा उठा ले।'

और ये हदीस़ मुन्कर है।

(5192) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9502, मुसनद अहमद: 5/272.

फ़ायदा : इमाम स़ाहिब ने फ़रमाया: ये हदीस़ मुन्कर, यानी ज़ईफ़ है। और इसके मुन्कर (ज़ईफ़) होने की वजह ये है कि इसका एक रावी मज्हूल है। ये रिवायत स़िर्फ़ इसी किताब में है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَبْصَرَ فِي يَدِهِ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَجَعَلَ يَقْرَعُهُ بِقَضِيبٍ مَعَهُ فَلَمَّا غَفَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَلْقَاهُ قَالَ " مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ أَوْجَعْنَاكَ وَأَغْرَمْنَاكَ " . خَالَفَهُ يُونُسُ رَوَاهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ مُرْسَلاً .

(5193) हज़रत अबू स़अ्लबा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उनके हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो आप उसे अपनी छुरी से मारने लगे। जब नबी-ए-अकरम (ﷺ) की तवज्जा किसी और तरफ़ हुई तो उस (अबू स़अ्लबा) ने उसे उतार फेंका। आपने फ़रमाया: 'हमारा ख़याल है कि हमने तुझे (छुरी मार कर) तकलीफ़ दी और तेरा नुक़सान भी किया।'

यूनुस ने इस (नोमान बिन राशिद) की मुख़ालिफ़त की है। उसने ये रिवायत अनिज्ज़ोहरी अ़न अबी इदरीस (की सनद) से मुर्सल बयान की है।

(5193) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 4/195, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9503.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) ये कहना चाहते हैं कि नोमान बिन राशिद ने रिवायत मौसूल बयान की

है, जबकि यूनुस ने ये रिवायत मौसूल के बजाये मुर्सल बयान की है जैसा कि आइन्दा हदीस़ में है। लेकिन नोमान बिन राशिद की बयानकर्दा मौसूल रिवायत ग़ैर महफ़ूज़ है जबकि यूनुस की मुर्सल रिवायत महफ़ूज़ है क्योंकि ज़ोहरी से बयान करने में यूनुस, नोमान के मुक़ाबले में औसक़ और अस्बत है। मज़ीद बरां ये कि जलीलुल क़द्र अइम्म-ए-हदीस़, जैसे: इमाम बुख़ारी, इमाम अहमद, इब्ने मईन, अबू हातिम, अक़ील, इमाम अबू दाऊद और इमाम नसाई (رحمهم الله) वग़ैरहुम जैसे मारूफ़ मुहद्दिसीन ने भी नोमान बिन राशिद पर कलाम किया है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيُّ، أَنَّ رَجُلاً، مِمَّنْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَحَدِيثُ يُونُسَ أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ

(5194) हज़रत अबू इदरीस ख़ौलानी ने बयान फ़रमाया कि एक आदमी जिसने नबी-ए अकरम(ﷺ) से मुलाक़ात की है, ने सोने की अंगूठी पहनी। (फिर रावी ने) साबिक़ा हदीस़ की तरह बयान किया।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने फ़रमाया: यूनुस की हदीस़ नोमान की हदीस़ से ज़्यादा दुरुस्त है।

(5194) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9504.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الدِّمَشْقِيُّ أَبُو عَبْدِ الْمَلِكِ، قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَائِذٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلاَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَأَى عَلَى رَجُلٍ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ نَحْوَهُ.

(5195) हज़रत अबू इदरीस ख़ौलानी से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक आदमी को सोने की अंगूठी पहने देखा। (फिर रावी ने) हस्बे साबिक़ पूरी हदीस़ बयान की।

(5195) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस़: 5193, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9505.

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الْعُمَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَأَى فِي يَدِ

(5196) हज़रत अबू इदरीस से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एक आदमी के हाथ में सोने की अंगूठी देखी तो आपने अपनी छड़ी उसकी उँगली पर मारी यहाँ तक कि उसने अंगूठी उतार कर फेंक दी।

رَجُلٍ خَاتَمَ ذَهَبٍ فَضَرَبَ إِصْبَعَهُ بِقَضِيبٍ كَانَ مَعَهُ حَتَّى رَمَى بِهِ .

(5196) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस़: 5193, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9506.

أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ، أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا الْوَرَكَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُرْسَلٌ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالْمَرَاسِيلُ أَشْبَهُ بِالصَّوَابِ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .

(5197) हज़रत इब्ने शिहाब ने ये रिवायत मुर्सलन बयान की है। (स़हाबी का वास्ता ज़िक्र नहीं किया।)

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा: मुर्सल रिवायतें ज़्यादा ठीक और दुरुस्त हैं।

(5197) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस़: 5193, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9507.

फ़ायदा : 5193 की सनद नोमान की वजह से ज़ईफ़ है और इसके बाद वाली रिवायात मुर्सल हैं और राजेह क़ौल के मुताबिक़ मुर्सल अज़ क़िस्म ज़ईफ़ है, ताहम शैख़ अल्बानी (رحمه الله) और दीगर कई मुहक़्क़िक़ीन ने इस रिवायत के मज्मूई तुरुक़ और शवाहिद की बिना पर इस रिवायत को क़ाबिले हुज्जत क़रार दिया है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्मौसूअतुल हदीसिया, मुसनद अहमद: 29/283)

مِقْدَارِ مَا يُجْعَلُ فِي الْخَاتَمِ مِنَ الْفِضَّةِ

बाब : (46) चाँदी की अंगूठी किस मिक़्दार की होनी चाहिए?

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ، - مِنْ أَهْلِ مَرْوَ أَبُو طَيْبَةَ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ فَقَالَ " مَا لِي أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ " . فَطَرَحَهُ ثُمَّ جَاءَهُ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ فَقَالَ " مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ " . فَطَرَحَهُ قَالَ يَا

(5198) हज़रत बुरैदा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो उसने लोहे की अंगूठी पहन रखी थी। आपने फ़रमाया: 'क्या वजह है कि मैं तुझ पर जहन्नमियों का ज़ेवर देखता हूँ?' उसने उसे उतार फेंका। फिर वह आपके पास आया तो उसने पीतल की अंगूठी डाली हुई थी। आपने फ़रमाया: 'क्या वजह है कि मैं तुझसे बुतों की बू पाता हूँ?' उसने उसे भी उतार फेंका (और) कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं किस चीज़ से अंगूठी बनवाऊँ? आपने फ़रमाया: 'चाँदी से और उसे भी एक मिस्क़ाल से कम रखना।'

رَسُولَ اللّٰهِ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ قَالَ " مِنْ وَرِقٍ وَلاَ تُتِمَّهُ مِثْقَالاً " .

(5198) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस़: 4223, तिर्मिज़ी, हदीस़: 1785, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9508, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1467.

फ़ायदा : मुहक़्क़िक़े किताब का इस रिवायत की सनद को हसन कहना महल्ले नज़र है क्योंकि इसकी सनद में अब्दुल्लाह बिन मुस्लिम राजेह क़ौल के मुताबिक़ ज़ईफ़ है और किसी ने इसकी मुताबिअत भी नहीं की। तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/283) ताहम इसमें लोहे की अंगूठी को जहन्नमियों का ज़ेवर क़रार देने वाला जुम्ला दीगर सही अहादीस़ से साबित है। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 5208 के फ़वाइद।

बाब : (47) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की अंगूठी कैसी थी?

باب(٤٧): صِفَةِ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ .

(5199) हज़रत अनस (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई। उसका नगीना हब्शी था और उसमें 'मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ)' के अल्फ़ाज़ कन्दा थे।

(5199) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 5868, मुस्लिम, हदीस़: 2094, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4513.

फ़वाइद व मसाइल : (1) वह सोने की थी या चाँदी की या किसी और चीज़ की, और उसका नगीना था या नहीं था और अगर था तो किस तरह का था। वग़ैरह। और ये तमाम तर तफ़्सील मज़्कूरा बाब के तहत मरवी रिवायात में मुकम्मल तौर पर बयान कर दी गई है। (2) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि मर्द और औरत हर दो के लिये चाँदी की अंगूठी पहनना जायज़ और मशरूअ है। कुछ रिवायात में सुल्तान और हाकिम के अलावा दूसरे लोगों को अंगूठी पहनने से मना किया गया है तो इन दोनों क़िस्म की रिवायात में तत्बीक़ इस तरह से दी गई है कि नह्य तन्ज़ीह पर महमूल है, यानी हाकिम वग़ैरह के अलावा दीगर लोगों के लिये अंगूठी न पहनना बेहतर है। वल्लाहु आलम! (3) अंगूठी या उसके नगीने पर कोई नक़्श वग़ैरह बनवाना जायज़ है, और अपना नाम या कोई कलिम-ए-हुकूमत वग़ैरह भी कन्दा कराया जा सकता है अहले इल्म के सही क़ौल के मुताबिक़ इस पर अल्लाह तआला का इस्मे मुबारक (मुबारक नाम) 'अल्लाह' भी कन्दा कराया और लिखवाया जा सकता है। कुछ उलमा ने इससे मना किया है लेकिन मुमानिअत वाला क़ौल ज़ईफ़ और मर्जूह क़रार दिया गया है। याद रहे कि सोने की अंगूठी की तरह सोने का नगीना भी नाजायज़ होगा। (4) 'हब्शी' यानी हबशी अन्दाज़

का बना हुआ था। या हब्शा का बना हुआ था। ये भी हो सकता है कि जिस अक़ीक़, मार्बल या क़ीमती पत्थर का था वह हब्शा से लाये गये थे क्योंकि ऐसे पत्थरों वग़ैरह की खाने उधर, यमन और हब्शा में थीं। कुछ ने मानी किये हैं कि इसका नगीना स्याह था। इस वजह से उसे हब्शी कहा गया है। कुछ रिवायात में है कि नगीना भी चाँदी ही का था। इसकी बाबत ये भी कहा गया है कि मुख़्तलिफ़ अंगूठियाँ थीं, इसलिये किसी का नगीना चाँदी का था और किसी का हब्शी था। कुछ मुहक़्क़िक़ीन ने ये तत्बीक़ दी है कि हब्शी नगीना सोने की अंगूठी का था और चाँदी की अंगूठी में नगीना चाँदी ही का था। यहाँ रावी को ग़लती लगी जो उसने हब्शी नगीना चाँदी की अंगूठी से मन्सूब कर दिया। ये इमाम बैहक़ी (رحمه الله) का क़ौल है। वल्लाहु आलम! **(5)** 'कन्दा थे' रसूलुल्लाह (ﷺ) के जो ख़ुतूत सामने आये हैं उनमें मुहम्मद रसूलुल्लाह के अल्फ़ाज़ की तर्तीब इस तरह से है कि ये तीनों अल्फ़ाज़ एक सतर में नहीं लिखे गये बल्कि तीन सतरों में हैं। सबसे ऊपर लफ़्ज़ 'अल्लाह' दरमियान में लफ़्ज़ 'रसूल' और नीचे लफ़्ज़ 'मुहम्मद' (ﷺ) है। इस तर्तीब से आपका हुस्ने अदब वाज़ेह होता है कि आपने अपना नाम बावजूद तर्तीब में मुक़द्दम होने की नीचे रखा और लफ़्ज़ 'अल्लाह' ऊपर। फ़िदाहु अबी व उम्मी व नफ़्सी व रूही

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمُ فِضَّةٍ يَتَخَتَّمُ بِهِ فِي يَمِينِهِ فَصُّهُ حَبَشِيٌّ يَجْعَلُ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ .

(5200) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) ने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास चाँदी की अंगूठी थी जिसे आप अपने दायें हाथ में पहनते थे। इसका नगीना हब्शा का बना हुआ था और आप नगीना हथेली की जानिब रखते थे।

(5200) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9514.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'दायें हाथ में' क्योंकि ज़ीनत के लिये दायाँ हाथ मुनासिब है बायाँ हाथ तो इस्तिन्जा वग़ैरह के लिये इस्तेमाल होता है। कुछ रिवायात में बायें का भी ज़िक्र है बायें हाथ में अंगूठी पहनने की रिवायात भी सही हैं, लिहाज़ा दोनों हाथों में अंगूठी पहनना जायज़ है मगर तर्जीह दायें को है क्योंकि ये अक्सर रिवायात में है। **(2)** 'हथेली की जानिब' क्योंकि आपने उसे ज़ीनत के लिये नहीं पहना था बल्कि मुहर लगाने के लिये पहना था। वैसे कोई हर्ज नहीं अगर नगीना हाथ की पुश्त की तरफ़ भी कर लिया जाये क्योंकि मना की कोई दलील नहीं। **(3)** मज़्कूरा अहादीसे सहीहा से ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि मर्दों के लिये चाँदी की अंगूठी पहनना जायज़ है। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने

ख़ुद चाँदी की अंगूठी बनवाई और पहनी। आपके सहाबा ने भी नबी (ﷺ) के इस तरीक़े को अपनाया और अइम्म-ए-दीन ने भी इस पर अमल किया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ، - وَكَانَ أَبُوهُ خَالِدٌ عَلَى قَضَاءِ حِمْصَ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْعَوْصِيُّ - عَنِ الْحَسَنِ، -وَهُوَ ابْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ - عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ خَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَكَانَ فَصُّهُ مِنْهُ.

(5201) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने फ़रमाया रसूलुल्लाह (ﷺ) की अंगूठी चाँदी की थी और नगीना भी उसी (चाँदी) का था।

(5201) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9516, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ بْنُ بِسْطَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، قَالَ سَمِعْتُ حُمَيْدًا، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ خَاتَمُهُ مِنْ وَرِقٍ فَصُّهُ مِنْهُ

(5202) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) की अंगूठी चाँदी की थी और नगीना भी चाँदी का था।

(5202) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5870, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9517.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ فَصُّهُ مِنْهُ .

(5203) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) की अंगूठी मुबारक चाँदी की थी। उसका नगीना भी इसी (चाँदी) का था।

(5203) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 4217, तिर्मिज़ी, हदीस: 740, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9518, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَكْتُبَ

(5204) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रौम (और फ़ारस के बादशाहों) की तरफ़ ख़ुतूत लिखने का इरादा फ़रमाया तो लोगों ने कहा: वह लोग मुहर के बग़ैर ख़त नहीं पढ़ते तो आपने चाँदी की मुहर

إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا . فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

(अंगूठी) बनवा ली। मुझे अब भी ऐसे महसूस होता है कि मैं आपके हाथ मुबारक में उसकी चमक देख रहा हूँ। ओर आपने उसमें 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' नक़्श करवाया है।

(5204) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 65, मुस्लिम, हदीस: 56/2092, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9521.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَخَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلاَةَ الْعِشَاءِ الآخِرَةِ حَتَّى مَضَى شَطْرُ اللَّيْلِ ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِنَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِهِ فِي يَدِهِ مِنْ فِضَّةٍ .

(5205) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक बार इशा की नमाज़ में ताख़ीर फ़रमा दी यहाँ तक कि तक़रीबन निस्फ़ रात गुज़र गई। फिर आप तशरीफ़ लाये और हमें नमाज़ पढ़ाई। मुझे अब भी यूँ महसूस होता है कि मैं (आलमे तसव्वुर में) आपके दस्ते मुबारक में आपकी चाँदी की अंगूठी की चमक देख रहा हूँ।

(5205) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 640, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9522.

مَوْضِعُ الْخَاتَمِ مِنَ الْيَدِ ذِكْرِ حَدِيثِ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ

बाब : (48) अंगूठी किस हाथ में पहननी चाहिए? हज़रत अली और अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) की हदीस का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا { ابْنُ، } وَهْبٍ عَنْ سُلَيْمَانَ، - هُوَ ابْنُ بِلاَلٍ - عَنْ شَرِيكٍ، - هُوَ ابْنُ أَبِي نَمِرٍ - عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ شَرِيكٌ وَأَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمَهُ فِي يَمِينِهِ

(5206) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) अपनी अंगूठी दायें हाथ में पहना करते थे।

(5206) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4226, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9526.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5200.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ الْبَحْرَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ بِيَمِينِهِ .

(5207) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) अपने दायें हाथ में अंगूठी पहना करते थे।

(5207) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1744, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9527, पिछली हदीस देखें.

باب : (٤٩)
لُبْسِ خَاتَمِ حَدِيدٍ مَلْوِيٍّ عَلَيْهِ بِفِضَّةٍ

बाब : (49)
लोहे की अंगूठी, जिस पर चाँदी का ख़ोल चढ़ा हो, पहनना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عَتَّابٍ، سَهْلِ بْنِ حَمَّادٍ ح وَأَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ { حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ } حَدَّثَنَا أَبُو مَكِينٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِيَاسُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الْمُعَيْقِيبِ، عَنْ جَدِّهِ، مُعَيْقِيبٍ أَنَّهُ قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيدًا مَلْوِيًّا عَلَيْهِ فِضَّةٌ - قَالَ - وَرُبَّمَا كَانَ فِي يَدِي . فَكَانَ مُعَيْقِيبٌ عَلَى خَاتَمِ رَسُولِ ﷺ.

(5208) हज़रत मुऐक़ीब (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) की अंगूठी लोहे की थी जिस पर चाँदी का ख़ोल चढ़ाया गया था। और बसा औक़ात वह मेरे हाथ में रहती थी। (और हज़रत मुऐक़ीब (رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) की अंगूठी मुबारक की हिफ़ाज़त पर मामूर थे।)

(5208) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4224, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9531.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने जो तर्जुमतुल बाब क़ाइम किया है उसका मक़सद ये अहम मसला बयान करना है कि चाँदी का ख़ोल चढ़ी लोहे की अंगूठी पहनना शरअन जायज़ है। मुत्लक़न लोहे की अंगूठी पहनने से गुरेज़ ज़रूरी है क्योंकि उसे जहन्नमियों का ज़ेवर कहा गया है। (अल्मौसूअतुल हदीसिया, मुसनद अहमद: 11/69) **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित होता है कि अहले इल्म व फ़ज़्ल की ख़िदमत करना मुस्तहब है, और आज़ाद आदमी से भी ख़िदमत कराई जा सकती है बशर्ते कि वह बरिज़ा व रग़बत ख़िदमत करने पर राज़ी हो। **(3)** सरकारी और इसी तरह दीगर अहम इदारों की ऐसी मुहरें जिनके साथ ख़ुतूत व दस्तावेज़ात पर मुहर लगाई जाती है, उनकी हिफ़ाज़त करना ज़रूरी है ताकि उन्हें कोई ग़लत इस्तेमाल न करे क्योंकि इस तरह तमाम दस्तावेज़ात और ख़ुतूत वग़ैरह ग़ैर मोतबर और नाक़ाबिले ऐतमाद क़रार पायेंगे। वल्लाहु आलम!

बाब : (50) पीतल की अंगूठी पहनना

باب(٥٠): لُبْسِ خَاتَمِ صُفْرٍ

(5209) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने फ़रमाया बहरीन से एक आदमी नबी-ए-अकरम(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और सलाम कहा। आपने उसे जवाब न दिया। उसके हाथ में सोने की अंगूठी थी। और उसने रेशमी क़मीस़ पहन रखी थी। उसने वह दोनों चीज़ें उतारने के बाद फिर सलाम अर्ज़ किया तो आपने सलाम का जवाब दिया। फिर उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं अभी आपके पास हाज़िर हुआ था तो आपने मुझसे ऐराज़ फ़रमाया था। आपने फ़रमाया: 'तेरे हाथ में आग का अंगारा था।' उसने कहा: फिर तो मैं बहुत से अंगारे लाया हूँ। आपने फ़रमाया: 'जो तू लेकर आया था, हमारे नज़दीक उसकी हैस़ियत हर्रा के पत्थरों से ज़्यादा नहीं। अलबत्ता दुनियावी ज़िन्दगी में इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है।' उसने अर्ज़ की: मैं किस चीज़ की अंगूठी पहनूँ? आपने फ़रमाया: 'लोहे, चाँदी या पीतल की अंगूठी।'

(5209) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 5191, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9532, बुख़ारी, हउदीस़: 1022.

أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مَنْصُورٍ، - مِنْ أَهْلِ ثَغْرٍ ثِقَةٌ - قَالَ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَبِي النَّجِيبِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْبَحْرَيْنِ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَلَّمَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي يَدِهِ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ وَجُبَّةُ حَرِيرٍ فَأَلْقَاهُمَا ثُمَّ سَلَّمَ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ثُمَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَيْتُكَ آنِفًا فَأَعْرَضْتَ عَنِّي ‏.‏ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّهُ كَانَ فِي يَدِكَ جَمْرَةٌ مِنْ نَارٍ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ لَقَدْ جِئْتُ إِذًا بِجَمْرٍ كَثِيرٍ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ إِنَّ مَا جِئْتَ بِهِ لَيْسَ بِأَجْزَأَ عَنَّا مِنْ حِجَارَةِ الْحَرَّةِ وَلَكِنَّهُ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَمَاذَا أَتَخَتَّمُ قَالَ ‏"‏ حَلْقَةً مِنْ حَدِيدٍ أَوْ وَرِقٍ أَوْ صُفْرٍ ‏"‏ ‏.‏

फ़ायदा : ये रिवायत अबू नजीब की जहालत की वजह से ज़ईफ़ है और इसकी किसी ने मुताबिअ़त भी नहीं की। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल्मौसुअतुल हदीसिया, मुसनद अहमद: 17/180 व ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 38/308)

(5210) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) (घर से) बाहर तशरीफ़ लाये जबकि आपने चाँदी की अंगूठी

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَنْصَارِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ

بْنُ حَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدِ اتَّخَذَ حَلْقَةً مِنْ فِضَّةٍ فَقَالَ " مَنْ أَرَادَ أَنْ يَصُوغَ عَلَيْهِ فَلْيَفْعَلْ وَلاَ تَنْقُشُوا عَلَى نَقْشِهِ " .

पहन रखी थी। आपने फ़रमाया: 'जो शख़्स इसके मुताबिक़ अंगूठी बनाना चाहे, बना ले लेकिन उसके नक़्श जैसा नक़्श न करवाना।'

(5210) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5877, मुस्लिम, हदीस: 2092, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9533.

फ़वाइद व मसाइल : (1) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की अंगूठी मुबारक पर 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' नक़्श था जो दरअसल आपकी मुहर थी। अगर दूसरे लोगों को भी इस नक़्श की इजाज़त होती तो इस मुहर में इम्तियाज़ न रहता और जालसाज़ी हो जाती। मुहर बनवाने का मक़सद ही फ़ौत हो जाता। **(2)** इस हदीसे मुबारका और इसके बाद वाली हदीस की मुनासिबत मज़्कूरा बाब के साथ नहीं बनती। बेहतर और अफ़ज़ल ये था कि इन अहादीस पर इसी तरह बाब बाँध जाता जैसा कि सुनन अल कुब्रा में क़ाइम किया गया है, यानी इस बात की मुमानिअत कि कोई शख़्स अंगूठी पर ये अल्फ़ाज़ नक़्श कराये 'मुहम्मद रसूलुल्लाह'

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سَيْفٍ الْحَرَّانِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا وَنَقَشَ عَلَيْهِ نَقْشًا قَالَ " إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ " . ثُمَّ قَالَ أَنَسٌ فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِهِ فِي يَدِهِ.

(5211) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने एक अंगूठी बनवाई और उस पर (मुहम्मद रसूलुल्लाह) नक़्श करवाया। फिर आपने फ़रमाया: 'हमने एक अंगूठी बनवाई है और उस पर नक़्श करवाया है। कोई शख़्स उस नक़्श की तरह नक़्श न करवाये।' हज़रत अनस ने फ़रमाया मुझे (आलमे तसव्वुर में) यूँ महसूस होता है कि मैं अब भी आपके दस्ते मुबारक में अंगूठी की चमक देख रहा हूँ।

(5211) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9534, पिछली हदीस देखें.

बाब : (51) नबी-ए-अकरम (ﷺ) का फ़रमान: 'अपनी अंगूठियों पर अ़रबी इबारत नक़्श न करवाओ।'

باب(٥١): قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ "لاَ تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا"

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى الْخُوَارِزْمِيُّ، بِبَغْدَادَ قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ بْنُ حَوْشَبٍ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ تَسْتَضِيئُوا بِنَارِ الْمُشْرِكِينَ وَلاَ تَنْقُشُوا عَلَى خَوَاتِيمِكُمْ عَرَبِيًّا " .

(5212) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुश्रिकीन की आग से रोशनी हासिल न करो। और अपनी अंगूठियों पर अ़रबी इबारत नक़्श न करवाओ।'

(5212) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/99, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9535.

बाब : (52) अंगुश्ते शहादत में अंगूठी पहनने की मुमानिअ़त

النَّهْيِ عَنِ الْخَاتَمِ، فِي السَّبَّابَةِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ قَالَ عَلِيٌّ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَلِيُّ سَلِ اللَّهَ الْهُدَى وَالسَّدَادَ " . وَنَهَانِي أَنْ أَجْعَلَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ . وَأَشَارَ يَعْنِي بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى .

(5213) हज़रत अ़ली (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया: 'अ़ली! अल्लाह तआला से हिदायत और मियाना रवी माँगा कर।' और आपने मुझे इस और इस, यानी शहादत और दरम्यानी उँगली में अंगूठी डालने से मना फ़रमाया।

(5213) तख़रीज : (सनद सही) अल हुमैदी, हदीस: 52, बुख़ारी, (तालीक़तन), व मुस्लिम, हदीस: 78, 2/65, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9536.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि (मर्दों के लिये) अंगुशते शहादत और दरम्यान वाली ऊँगली में अंगूठी पहनना ममनूअ़ है, और इन दोनों उँगलियों के अ़लावा बाक़ी दो, यानी छंगली और उसके साथ वाली उँगली में अंगूठी पहनना दुरुस्त है। इमाम नववी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि मुसलमानों का इस बात पर इज्मा है कि (मर्दों के लिये) छंगली (चीची) में अंगूठी पहनना मसनून है जबकि औरत अपनी तमाम उँगलियों में अंगूठी पहन सकती है, और उन्होंने ये भी कहा है कि शहादत वाली और दरम्यान वाली उँगलियों में मर्दों के लिये अंगूठी पहनने की जो मुमानिअ़त है तो ये

नह्य तन्ज़ीही है, वजूब की नहीं। लेकिन इमाम नववी (ﷀ) की ये (नह्य तन्ज़ीही वाली) बात महल्ले नज़र है क्योंकि नह्य तो तहरीम के लिये होती है मगर ये कि कोई क़रीन-ए-सारिफ़ा मौजूद हो और उस जगह कोई भी क़रीना नहीं है, लिहाज़ा ये नह्य तहरीम के लिये है। वल्लाहु आलम! **(2)** हिदायत व सदाद (मियाना रवी) की दुआ करना मुस्तहब है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَاتَمِ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ . يَعْنِي السَّبَّابَةَ وَالْوُسْطَى . وَاللَّفْظُ لاِبْنِ الْمُثَنَّى

(5214) हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे इस और इस, यानी अंगुश्ते शहादत और दरम्यानी उँगली में अंगूठी डालने से मना फ़रमाया है।

ये (उस्ताद मुहम्मद) इब्ने अल्मुसन्ना के लफ़्ज़ हैं।

(5214) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 64/2078, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9538, 9539.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُلِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي وَسَدِّدْنِي " . وَنَهَانِي أَنْ أَضَعَ الْخَاتَمَ فِي هَذِهِ وَهَذِهِ وَأَشَارَ بِشْرٌ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى . قَالَ وَقَالَ عَاصِمٌ أَحَدُهُمَا .

(5215) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया: कहो: ऐ अल्लाह! मुझे हिदायत और मियाना रवी पर क़ाइम रख' और आपने मुझे इस और इस, यानी अंगुश्ते शहादत और दरम्यानी उँगली में अंगूठी डालने से मना फ़रमाया।

(5215) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9541.

फ़ायदा: 'मियाना रवी' अरबी में लफ़्ज़ सदाद इस्तेमाल फ़रमाया गया है। इसके लफ़्ज़ी मानी दुरुस्त बात और दुरुस्त काम के हैं। और दुरुस्त वही होता है जिसमें मियाना रवी हो, लिहाज़ा इस मानी को तर्जीह दी गई है।

نَزْعِ الْخَاتَمِ عِنْدَ دُخُولِ الْخَلاَءِ

बाब : (53) बैतुल ख़ला में दाख़िल होते वक़्त अंगूठी उतार लेने का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ

(5216) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब बैतुल ख़ला में दाख़िल होते तो अंगूठी उतार देते।

اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلاَءَ نَزَعَ خَاتَمَهُ .

(5216) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी: 1746, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9542, देखें, हदीस़: 4008.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِنْ قِبَلِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَأَلْقَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَهُ وَقَالَ " لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا " . وَأَلْقَى النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

(5217) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने की अंगूठी बनवाई और उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखा। लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वह, अंगूठी फेंक दी और फ़रमाया: 'अब मैं इसे कभी नहीं पहनूँगा।' तो लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ फेंक दीं।

(5217) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 5866, मुस्लिम, हदीस़: 54/2091, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9546.

फ़ायदा : ज़ाहिरन इस रिवायत का मुताल्लिक़ा बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, लिहाज़ा या तो मुसन्निफ़(رحمه الله) यहाँ नया बाब क़ाइम करना भूल गये हैं या इशारा है कि साबिक़ा रिवायत (5216) वहम है। असल रिवायत में सोने की अंगूठी उतारने का ज़िक्र है, वह भी बैतुल ख़ला में दाख़िल होते वक़्त नहीं बल्कि दोबारा न पहनने के इरादे से। वल्लाहु आलम! आइन्दा अहादीस़ के बारे में यही कहा जायेगा।

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي كَفَّهُ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ فَطَرَحَهُ النَّبِيُّ ﷺ وَقَالَ " لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا " .

(5218) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने की अंगूठी बनवाई और उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखा। लोगों ने भी अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर नबी-ए अकरम(ﷺ) ने वह अंगूठी उतार फेंकी और फ़रमाया: 'मैं इसे कभी नहीं पहनूँगा।'

(5218) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम,: 53/2091, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9547.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ

(5219) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने सोने की अंगूठी बनवाई थी, फिर आपने उसे पहनना

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم تَخَتَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ " لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا " . ثُمَّ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ .

छोड़ दिया और चाँदी की अंगूठी पहनी और उसमें 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' नक़्श करवाया और फ़रमायाः 'किसी को लाइक़ नहीं कि वह मेरी अंगूठी के नक़्श के मुताबिक़ नक़्श बनवाये।' फिर आपने उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखा।

(5219) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिमः 55/2091, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 9549.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَبِسَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَلَمَّا رَآهُ أَصْحَابُهُ فَشَتْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ فَرَمَى بِهِ فَلاَ نَدْرِي مَا فَعَلَ ثُمَّ أَمَرَ بِخَاتَمٍ مِنْ فِضَّةٍ فَأَمَرَ أَنْ يُنْقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَكَانَ فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُمَرَ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتَّ سِنِينَ مِنْ عَمَلِهِ فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ فَخَرَجَ الأَنْصَارِيُّ إِلَى قَلِيبٍ لِعُثْمَانَ فَسَقَطَ فَالْتُمِسَ فَلَمْ يُوجَدْ

(5220) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तीन दिन सोने की अंगूठी पहनी। जब आप के सहाबा (ﷺ) ने ये देखा तो सोने की अंगूठियाँ आम हो गईं। आपने अपनी अंगूठी उतार दी। न मालूम आपने उसे क्या किया? फिर आपने चाँदी की अंगूठी बनाने का हुक्म दिया और फ़रमाया कि इसमें 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' के अल्फ़ाज़ कन्दा किये जायें। ये अंगूठी रसूलुल्लाह के दस्ते मुबारक में रही यहाँ तक कि आप अल्लाह तआला को प्यारे हो गये। फिर हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के हाथ में रही यहाँ तक कि वह भी अल्लाह को प्यारे हो गये। फिर हज़रत उमर (ﷺ) के हाथ में रही यहाँ तक कि वह भी अल्लाह को प्यारे हो गये। फिर हज़रत उस्मान(ﷺ) की ख़िलाफ़त के छः साल तक उनके हाथ में रही। फिर जब ख़ुतूत की कस्रत हुई तो आपने वह अंगूठी एक अन्सारी के सुपुर्द कर दी (ताकि वह मुहर लगा दिया करे) वह मुहर लगाया करता था। एक दफ़ा वह अन्सारी हज़रत उस्मान (ﷺ) के एक कुएँ की तरफ़ गया तो उससे वह अंगूठी (उस कूएँ में) गिर पड़ी। बहुत तलाश की गई मगर न मिली। फिर उन्होंने उस जैसी

एक और अंगूठी बनाने का हुक्म दिया और उसमें भी 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' के अल्फ़ाज़ कन्दा करवाये।'

فَأَمَرَ بِخَاتَمٍ مِثْلِهِ وَنَقَشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

(5220) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4220, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9550.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) की मुबारक अंगूठी आपकी वफ़ात के बाद ख़ुलफा के हाथ में बतौर ज़रूरत व तबर्रुक रही न कि बतौर मिल्कियत। जब वह अंगूठी गुम हो गई तो फ़ित्ना व फ़साद का दौर शुरू हो गया। गोया एक बहुत बड़ी बरकत उठ गई। आख़िर ख़ातमुन्नबिय्यीन (ﷺ) की अंगूठी थी। **(2)** 'ख़ुतूत की कस्रत' तो उनको बार बार मुहर लगाने में दिक़्क़त होती थी। उन्होंने मुहर लगाने के लिये एक अन्सारी को मुक़र्रर फ़रमा लिया। **(3)** 'एक कुएँ' उस कुएँ का नाम बीरे अरीस था। अंगूठी तलाश करने के लिए कुएँ को पानी से ख़ाली किया गया और फिर कई जगह छानी गई मगर अंगूठी को न मिलना था न मिली। **(4)** 'अल्फ़ाज़ कन्दा करवाये' अहादीसे सहीहा में वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अंगूठियों पर ये अल्फ़ाज़ कन्दा कराने से लोगों को रोक दिया था लेकिन ये अंगूठी तो असल अंगूठी के क़ाइम मक़ाम थी, इसलिये इस पर ये अल्फ़ाज़ कन्दा कराये गये, और आपका मक़सद इश्तेबाह और जालसाज़ी की बन्दिश था। असल के गुम होने पर नक़ल की तैयारी से ये ख़दशा नहीं होता। इश्तेबाह और जालसाज़ी तो तब होती अगर बैक वक़्त कई अंगूठियाँ एक नक़्श वाली होतीं। गोया अहकाम का मदार मक़ासिद होते हैं न कि ज़ाहिर अल्फ़ाज़। और ये बात याद रखने की है। इस जैसे नक़्श वाली अंगूठी बनवाने से मुमानिअत की एक अहम वजह ये भी थी कि इस नक़्श की हैसियत सरकारी थी, इसलिये आपके बाद ख़ुलफ़ा-ए-राशिदीन वह अंगूठी इस्तेमाल करते रहे और इसके गुम होने पर सय्यदना उ़स्मान (رضي الله عنه) ने ऐसे ही नक़्श वाली अंगूठी बनवाई। वल्लाहु आलम!

(5221) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने की अंगूठी बनवाई। आप उसका नगीना हथेली की तरफ़ रखते थे। लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे उतार फ़ेंका। लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ उतार फेंकी। फिर आपने चाँदी की अंगूठी बनवाई। आप उससे मुहर लगाते थे। उसे पहनते नहीं थे।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ فَصُّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَرَحَ

النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلاَ يَلْبَسُهُ .

(5221) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 83, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9551.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'उतार फेंकीं' सहाब-ए-किराम (ﷺ) के इस तरह करने से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के अफ़आल की इक़्तेदा भी इसी तरह ज़रूरी थी और है जिस तरह आपके अक़्वाल व अहकाम और फ़रामीन की, मगर ये कि ख़ुसूस की कोई दलील हो। **(2)** इन अहादीस की बाब से मुनासिबत के बारे में देखिये फ़ायदा हदीस: 5217 **(3)** 'इसे पहनते नहीं थे' यानी हमेशा नहीं पहनते थे, ताहम अक्सर उसे पहना करते थे।

باب(٥٤): الْجَلاَجِلِ

बाब : (54)
घुंघरू और छोटी घण्टी का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ، - مِنْ وَلَدِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ - قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْخٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ سَالِمٍ فَمَرَّ بِنَا رَكْبٌ لأُمِّ الْبَنِينَ مَعَهُمْ أَجْرَاسٌ فَحَدَّثَ نَافِعًا سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رَكْبًا مَعَهُمْ جُلْجُلٌ " . كَمْ تَرَى مَعَ هَؤُلاَءِ مِنَ الْجُلْجُلِ .

(5222) हज़रत अबू बक्र बिन अबू शैख़ से रिवायत है कि मैं हज़रत सालिम के पास बैठा था कि हमारे पास से उम्मुल बनीन का एक तिजारती क़ाफ़िला गुज़रा। उनके साथ (बहुत सी) घण्टियाँ थीं तो हज़रत सालिम ने हज़रत नाफ़ेअ को अपने वालिद मोहतरम (हज़रत इब्ने उमर (ﷺ)) से बयान किया कि नबी-ए अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस क़ाफ़िले के साथ नहीं जाते जिनमें एक घण्टी भी हो। क्या ख़याल है, उनके साथ कितनी घण्टियाँ होंगी?'

(5222) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9553.

फ़ायदा : घण्टियाँ वग़ैरह से रोकने की वजह में इख़्तिलाफ़ है। या तो शैतानी आवाज़ होने की वजह से क्योंकि ये जानवरों और लोगों को मस्त करती है। गोया मोसीक़ी के हुक्म में है। या इसलिये कि घण्टी वग़ैरह की आवाज़ से लश्कर की आमद का पता चल जाता था जब कि बसा औक़ात अचानक हमला मक़सूद होता था। ये वजह हो तो मख़्सूस हालात में मना होगी। लेकिन सही बात ये है कि ये मुत्लक़न मना है क्योंकि हदीस नम्बर 5224 में घर का भी ज़िक्र है।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ الطَّرَسُوسِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ الْجُمَحِيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُوسَى، قَالَ كُنْتُ مَعَ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَحَدَّثَ سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ".

(5223) हज़रत सालिम ने अपने वालिद मोहतरम से नक़ल किया कि नबी-ए अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस क़ाफ़िले के साथ नहीं जाते जिसमें घण्टी हो।'

(5223) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/27, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9554.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مُوسَى، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، رَفَعَهُ قَالَ " لاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جُلْجُلٌ " .

(5223) (ब) हज़रत सालिम अपने बाप (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) से मरफ़ूअन बयान करते हैं कि आपने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस क़ाफ़िले के साथ नहीं रहते जिसमें घुंघरू (घण्टियाँ) हो।'

(5223) (ब) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9555.

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بَابَيْهِ، مَوْلَى آلِ نَوْفَلٍ أَنَّ أُمَّ، سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ جُلْجُلٌ وَلاَ جَرَسٌ وَلاَ تَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جَرَسٌ " .

(5224) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ज़ोज-ए मोहतरमा हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें घुंघरू या घण्टी हो। और फ़रिश्ते उस क़ाफ़ले के साथ नहीं जाते जिसमें घण्टी हो।'

(5224) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9556.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** घुंघरू जानवरों, परिन्दों यहाँ तक कि बच्चों के गले में डाले जाते हैं। इसी तरह जानवरों, परिन्दों और बच्चों के पाँव में भी बाँधे जाते हैं जब कि बड़े जानवरों की गर्दनों में भी

घण्टी डाली जाती है। वैसे भी स्कूलों और गिरजों में घण्टियाँ बजाई जाती हैं। नबी (ﷺ) ने घण्टी को शैतानी आवाज़ फ़रमाया है, लिहाज़ा कहीं ज़रूरत और मजबूरी हो तो उसकी गुंजाइश हो सकती है। बिला वजह जायज़ नहीं। (2) फ़रिश्तों से मुराद रहमत के फ़रिश्ते हैं वरना मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते और कातिबीन फ़रिश्ते तो हर वक़्त साथ रहते हैं। गोया घण्टी वाली जगह फ़रिश्तों की बजाये शैतान होता है, इसलिये वहाँ अल्लाह तआला की रहमत नहीं होती।

أَخْبَرَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَآنِي رَثَّ الثِّيَابِ فَقَالَ " أَلَكَ مَالٌ " . قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِنْ كُلِّ الْمَالِ . قَالَ " فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالاً فَلْيُرَ أَثَرُهُ عَلَيْكَ " .

(5225) हज़रत अबुल अह्वस़ अपने वालिद से बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास बैठा हुआ था। आपने मेरे बोसीदा से कपड़े देखे तो फ़रमाया: 'क्या तेरे पास माल है?' मैंने कहा: जी हाँ, ऐ अल्लाह के रसूल! हर क़िस्म का माल है। आपने फ़रमाया: 'जब अल्लाह तआला ने तुझे माल दिया है तो तुझ पर उसके अस़रात नज़र आने चाहिए।'

(5225) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 4063, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9557.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ और आइन्दा हदीस़ का क़रीबी बाब से कोई ताल्लुक़ नहीं, अलबत्ता किताबुज़् ज़ीना से ताल्लुक़ है। (2) 'अस़रात नज़र आने चाहिए' यानी अपनी हैस़ियत के मुताबिक़ रहना चाहिए। ये भी अल्लाह तआला का शुक्र अदा करने की एक सूरत है, और अमीर आदमी अपनी हैस़ियत के मुताबिक़ रहे तो साइलीन को सहूलत रहेगी वरना लोग उसे मुस्तहिक़ समझ कर उसको ज़का ' पेश करेंगे जो उसके लिये ख़जालत शर्मिंदगी का सबब होगी, अलबत्ता अच्छे कपड़े पहन कर किसी को हक़ीर न समझे।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِي ثَوْبٍ دُونٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم "

(5226) हज़रत अबुल अह्वस के वालिद से रिवायत है कि वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास बहुत कम मर्तबा लिबास में आये। नबी-ए अकरम (ﷺ) ने उन्हें फ़रमाया: 'क्या तेरे पास कोई माल है?' उन्होंने कहा: जी हाँ! हर क़िस्म का माल है। आपने फ़रमाया: 'किस क़िस्म का?' उन्होंने कहा: अल्लाह तआला ने मुझे ऊँट, गाय,

أَلَكَ مَالٌ " . قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ . قَالَ " مِنْ أَيِّ الْمَالِ " . قَالَ قَدْ آتَانِيَ اللَّهُ مِنَ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ . قَالَ " فَإِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالاً فَلْيُرَ عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ وَكَرَامَتِهِ " .

बकरियाँ, घोड़े और गुलाम सब कुछ दिया है। आप ने फ़रमाया: 'जब अल्लाह तआला ने तुझे माल दिया है तो फिर तुझ पर अल्लाह तआला के फ़ज़्ल व करम के आसार नज़र आने चाहिए।'

(5226) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9558.

फ़ायदा : लिबास किसी की शख़्सियत का अक्कास होता है, और उमूमन लिबास से इन्सान की माली, ज़हनी और समाजी हैसियत का पता भी चलता है। मज़ीद बरां ये कि लिबास से किसी के मुहज़्ज़ब और ग़ैर मुहज़्ज़ब होने का पता भी चलता है, इसलिये लिबास साफ़ सुत्थरा, बा पर्दा और माली लिहाज़ से हैसियत के मुताबिक़ होना चाहिए। अलबत्ता फ़ख़्र व तकब्बुर नहीं होना चाहिए। सहीह लिबास वही है जिसमें कंजूसी, फुजूल ख़र्ची, उरयानी, रियाकारी और फ़ख़्र से परहेज़ किया गया हो। लिबास के मामले में ज़्यादा तकल्लुफ़ भी मायूब है जिससे इन्सान ख़ुद तंगी में पड़ जाये। रेशम पहनना और लिबास टखनों से नीचे लटकाना शरअन हराम है, ख़्वाह किसी भी नियत से हो, अलबत्ता शरई उज़्र और मजबूरी क़ाबिले क़बूल है।

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ज़ीनत से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल (मुज्तबा में से)

मुज्तबा, सुनन कुब्रा ही.से मुख़्तसर है, इसलिये मुज्तबा की अक्सर रिवायात सुनन कुब्रा में आती हैं। किताबुज् ज़ीना (सुनन कुब्रा) में आइन्दा रिवायात में से अक्सर गुज़र चुकी हैं। बहुत सी रिवायात नई भी हैं।

كتاب الزينة

باب(٥٥): ذِكْرِ الْفِطْرَةِ

أَخْبَرَنَا ابْنُ السُّنِّيِّ، قِرَاءَةً قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ لَفْظًا قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - قَالَ سَمِعْتُ مَعْمَرًا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَنَتْفُ الإِبْطِ وَتَقْلِيمُ الأَظْفَارِ وَالاِسْتِحْدَادُ وَالْخِتَانُ "

बाब : (55) फ़ितरत का बयान (फ़ितरी चीज़ों का ज़िक्र)

(5227) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि.) से रिवायत है कि मुझे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पाँच चीज़ें फ़ितरत से हैं। मूँछें तराशना, बग़लों के बाल उखेड़ना, नाख़ुन तराशना, ज़ेरे नाफ़ बाल मूण्डना और ख़त्ना करवाना।'

(5227) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 10.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5043.

إِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ،

बाब : (56) मूँछें ख़त्म करना और दाढ़ी पूरी रखना

(5228) हज़रत इब्ने उमर (रज़ि.) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मूँछों को ख़त्म करो और दाढ़ी को पूरी रखो।'

عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى " .

(5228) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 15.

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 15.

باب : (٥٧)
حَلْقِ رُءُوسِ الصِّبْيَانِ

बाब : (57)
बच्चों के सर मुण्डवाना (जायज़ है)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي يَعْقُوبَ، يُحَدِّثُ { عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، } عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ أَمْهَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم آلَ جَعْفَرٍ ثَلاَثَةً أَنْ يَأْتِيَهُمْ ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ " لاَ تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ " . ثُمَّ قَالَ " ادْعُوا إِلَىَّ بَنِي أَخِي " . فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فَقَالَ " ادْعُوا لِي الْحَلاَّقَ " . فَأَمَرَ بِحَلْقِ رُءُوسِنَا . مُخْتَصَرٌ

(5229) हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाफ़र (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (हज़रत जाफ़र तय्यार (ﷺ) की शहादत के मौक़े पर) तीन दिन तक तो हज़रत जाफ़र की औलाद को कुछ न कहा बल्कि तशरीफ़ भी न लाये। फिर उनके पास तशरीफ़ लाये तो फ़रमाया: 'तुम आज के बाद मेरे भाई पर न रोना।' फिर फ़रमाया: 'मेरे भतीजों को मेरे पास लाओ।' हमें आपके पास लाया गया तो हम चूज़ों की तरह (छोटे छोटे) थे। फ़रमाया: 'हज्जाम को मेरे पास बुलाओ।' फिर आपने उसे हमारे सर मुण्डने का हुक्म दिया। ये रिवायत मुख़्तसर है।

(5229) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 4192.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ कि नौहा और बीन करने के बग़ैर, मय्यत पर रोना, और आंसू बहाना, जबकि वह ऊँची आवाज़ में न हो, जायज़ है, और मय्यत पर ग़म्ज़दा और ग़मगीन होना भी शरअन जायज़ है। हाँ! अलबत्ता इस 'बरा-ए-सोग' रोने की इजाज़त सिर्फ़ तीन दिन तक दी गई है। तीन दिन के बाद इसकी इजाज़त भी नहीं। वल्लाहु आलम! **(2)** हज़रत जाफ़र (ﷺ) हज़रत अली(ﷺ) के बड़े भाई थे और रसूलुल्लाह (ﷺ) के चचेरे भाई थे। उसके साथ साथ वह आपके रज़ाई (दुध शरीक) भाई भी थे क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) को और हज़रत जाफ़र तय्यार (ﷺ) को अबू लहब की लौण्डी सोयबा ने दूध पिलाया था। इब्तेदाई दौर में मुसलमान हुये। हब्शा को हिजरत फ़रमाई। फिर मदीना मुनव्वरा को हिजरत फ़रमाई। ग़ज़्व-ए-मौता में शहीद हुये। (ﷺ) **(3)** 'न रोना' मुत्लक़न रोने से नहीं रोका बल्कि सोग के तौर पर, जैसे आम वफ़ात से तीन दिन तक सोग किया जाता है। ताज़ीयत

के लिये आने वाले मिलते रहते हैं और वक़्तन फ़वक़्तन रोने की आवाज़ें उठती रहती हैं वरना आंसू तो किसी वक़्त भी आ सकते हैं। आँसूओं पर किसी को इख़्तियार नहीं होता। (4) सर मूण्डने के जवाज़ में कोई इख़्तिलाफ़ नहीं, बच्चा हो या बड़ा बशर्ते कि सारा सर मुण्डा जाये। बोदियाँ न छोड़ी जायें।

باب(٥٨): ذِكْرِ النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ شَعْرِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُهُ

बाब : (58) बच्चे के कुछ बाल मुण्डने और कुछ छोड़ देने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ .

(5230) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी-ए-करीम (ﷺ) ने क़ज़अ से मना फ़रमाया है।

(5230) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 5054.

फ़ायदा : क़ज़अ से मुराद यही है कि कुछ बाल मुण्ड दिये जायें, कुछ छोड़ दिये जायें (तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5051)

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَى عَنِ الْقَزَعِ .

(5231) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को क़ज़अ से मना फ़रमाते सुना है।

(5231) **तख़रीज : (सनद सही)** पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ .

(5232) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़ज़अ से मना फ़रमाया है।

(5232) **तख़रीज : (सनद सही)** बुख़ारी, हदीस: 5920.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ .

(5233) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने क़ज़अ से मना फ़रमाया है।

(5233) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम: 113/2130.

बाब : (59)
कानों से नीचे (कंधों) तक ज़ुल्फ़ें छोड़ना

باب(٥٩): اتِّخَاذِ الْجُمَّةِ

(5234) हज़रत बराअ (﵁) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) दरम्याने क़द के आदमी थे। कंधों का दरम्यानी फ़ासिला ज़्यादा था। दाढ़ी घनी थी। आपके सफ़ेद रंग में सुर्ख़ी झलकती थी। आपके सर के लम्बे लम्बे बाल कानों की कोंपलों तक पहुँचते थे। मैंने आपको सुर्ख़ जोड़े में देखा। अल्लाह की क़सम! मैंने आपसे बढ़ कर ख़ूबसूरत नहीं देखा।

(5234) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3551, मुस्लिम, हदीस: 2337.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلاً مَرْبُوعًا عَرِيضَ مَا بَيْنَ الْمَنْكِبَيْنِ كَثَّ اللِّحْيَةِ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ جُمَّتُهُ إِلَى شَحْمَتَىْ أُذُنَيْهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ أَحْسَنَ مِنْهُ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़सद ये मसला बयान करना है कि मर्द के लिये ज़ुल्फ़ें छोड़ना और लम्बे बाल रखना जायज़ है, ख़्वाह वह कंधों तक चली जायें, ताहम कंधों से नीचे बाल लटकाना मर्दों के लिये दुरुस्त नहीं क्योंकि ये औरतों के साथ मुशाबिहत है, और कंधों से नीचे बाल लटकाना रसूलुल्लाह (ﷺ) से साबित नहीं, हालांकि आपके बाल मुबारक अक्सर औक़ात लम्बे होते थे, यानी कभी कानों की नर्म लौ तक, कभी कंधों तक और कभी उसके दरम्यान तक हुआ करते थे। **(2)** प्यारे रसूल मुकर्रम (ﷺ) के मुबारक बालों के बारे में तफ़्सील हदीस: 5056, 5065 में मुलाहिज़ा फ़रमाइये। **(3)** 'सुर्ख़ जोड़े में' अरबी में जोड़े के लिये हुल्ला का लफ़्ज़ बोला जाता है। ये दो चादरें होती थीं। एक तहबन्द के तौर पर बाँधी जाती थी और दूसरी ऊपर ओढ़ ली जाती थी।

(5235) हज़रत बराअ (﵁) ने फ़रमाया: मैंने कोई लम्बे लम्बे बालों वाला सुर्ख़ हुल्ला पहने हुये रसूलुल्लाह (ﷺ) की तरह ख़ूबसूरत नहीं देखा। आपके बाल कंधों से टकराते थे। (आपकी ज़ुल्फ़ें कंधों पर लहराती थीं)

(5235) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 92/2237, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ وَكِيعٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةٍ أَحْسَنَ فِي حُلَّةٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَلَهُ شَعْرٌ يَضْرِبُ مَنْكِبَيْهِ .

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 5065.

(5236) हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया: नबी ए-अकरम (ﷺ) के बाल मुबारक निस़्फ़ कानों तक होते थे।

(5236) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 96/2337.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ شَعْرُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى نِصْفِ أُذُنَيْهِ ‏.‏

फ़ायदा : नबी (ﷺ) के बालों की बाबत अहादीस़ में तीन अल्फ़ाज़ आये हैं: अल जुम्मा, अल्लिम्मा और अल वफ़रा, अल जुम्मा कंधों और शानों तक लटकी हूई ज़ुल्फ़ें अल्लिम्मा कान की लौ से बढ़ी हूई ज़ुल्फ़ें और अल वफ़रा: कानों तक पहुँचने वाले, यानी कानों से मिले हुये बाल वफ़रा कहलाते हैं। रसूलुल्लाह (ﷺ) के बाल मुबारक, मुख़्तलिफ़ औक़ात में मुख़्तलिफ़ सूरतों में हुआ करते थे। मज़्कूरा हदीस़ में एक सूरत का ज़िक्र है।

(5237) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) के मुबारक बाल कंधों को लगते थे।

(5237) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5903, 5904, मुस्लिम, हदीस़: 95/2338.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَضْرِبُ شَعْرُهُ إِلَى مَنْكِبَيْهِ.

बाब : (60)बालों को (तेल और कंघी वग़ैरह से) संवारना

باب(٦٠): تَسْكِينِ الشَّعْرِ

(5238) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) हमारे पास तशरीफ़ लाये। आप ने एक आदमी को देखा जिसके सर के बाल बिखरे हुये थे। आपने (नापसन्द करते हुये) फ़रमाया: 'क्या इसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जिससे अपने बालों को संवार सके।'

(5238) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 4062, फ़ी अत्तहमीद: 5/52.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ أَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَرَأَى رَجُلاً ثَائِرَ الرَّأْسِ فَقَالَ ‏"‏ أَمَا يَجِدُ هَذَا مَا يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ ‏"‏ ‏.‏

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सद ये है कि जब कोई शख़्स लम्बे बाल और ज़ुल्फ़ें रखे तो उसे चाहिए कि उनकी इज़्ज़त करे, यानी उन्हें संवार कर रखे, तेल लगाये और कंघी करे, और उन्हें परागन्दा होने से महफ़ूज़ रखे। रसूलुल्लाह (ﷺ) का इरशादे गिरामी है: 'जो शख़्स बाल रखे हों तो उसे चाहिए कि उनकी इज़्ज़त करे, यानी उन्हें बना संवार कर रखे।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 4163, व क़ालल अल्बानी हसन सही) बालों की इज़्ज़त, यानी उन्हें संवारने का ये मफ़हूम क़तअन नहीं कि एक शीशा और कंघी हमेशा जेब की जीनत बनी रहे इस हवाले से रिवायत भी मन्कूल है लेकिन वह दर्जे-ए-स़ेहत को नहीं पहुँचतीं। हाँ बवक़्ते ज़रूरत उनका ख़्याल किया जाये, और उसकी हद एक दिन छोड़ कर कंघी करना है, बिला नाग़ा टीप टॉप की मुमानिअ़त है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुग़फ्फल (ﷺ) फ़रमाते हैं: 'रसूले अकरम (ﷺ) ने हमें रोज़ाना कंघी करने से मना फ़रमाया।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस़: 4159) (2) मैला कुचेला रहना और बालों को न संवारना ज़ुहद है न सादगी बल्कि ये हिमाक़त और जहालत है, जो किसी भी तरह एक बा वकार और क़ाबिले एहतिराम मुसलमान के लाइक़ नहीं। इस्लाम इन्तेहाई स़ाफ़ सुथरा और पाकीज़ा दीन है और अपने पेरोकारों से भी पाकीज़गी और स़फ़ाई सुथराई का तक़ाज़ा करता है। मज़ीद बरां रसूले करीम (ﷺ) का इरशादे गिरामी है: 'बिलाशुब्हा अल्लाह तआला हसीन व जमील है और हुस्न व जमाल को पसन्द फ़रमाता है।' (मुसनद अहमद: 4/133, 134)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، قَالَ كَانَتْ لَهُ جُمَّةٌ ضَخْمَةٌ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهُ أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا وَأَنْ يَتَرَجَّلَ كُلَّ يَوْمٍ .

(5239) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) ने फ़रमाया कि उनके लम्बे लम्बे बाल थे। उन्होंने नबी-ए अकरम (ﷺ) से इस बारे में पूछा तो आपने उन्हें हुक्म दिया कि इन (बालों) से अच्छा सलूक करो और हर रोज़ कंघी किया करो।

(5239) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) नसाई.

باب(٦١): فَرْقِ الشَّعْرِ

बाब : (61) बालों में माँग निकालना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ

(5240) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने सर के बाल लटकाये रखते (बालों में माँग नहीं निकाला करते थे) जब कि मुश्रिकीन अपने सर के बालों की माँग निकालते। और रसूलुल्लाह (ﷺ) को जब

يَسْدُلُ شَعْرَهُ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ شُعُورَهُمْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحِبُّ مُوَافَقَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ بِشَيْءٍ ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ .

तक किसी बात के मुताल्लिक़ (बज़रीय-ए वह्य) कोई हुक्म न आता तो आप अहले किताब की मुवाफ़िक़त पसन्द फ़रमाते थे। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह (ﷺ) भी (सर में) माँग निकालने लगे थे।

(5240) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3558, मुस्लिम, हदीस: 2336.

फ़वाइद व मसाइल : (1) आदात में जब तक मनाही न आये, जवाज़ क़ाइम रहता है। चूंकि माँग निकालने से मनाही वारिद नहीं हूई, लिहाज़ा माँग निकालना जायज़ है और न निकालना भी जायज़ है क्योंकि निकालने का हुक्म भी वारिद नहीं। आपसे माँग निकालना भी साबित है और न निकालना भी। इसकी अस़ल वजह ये है कि इसकी बाबत शरीयत ने कोई मख़सूस हुक्म नहीं दिया। हालात के तहत दोनों में से किसी को भी इख़्तियार किया जा सकता है। ऐसे मसाइल में आपका अहले किताब की मुवाफ़िक़त करना उनकी तालीफ़े क़ल्ब के लिये था कि शायद वह इस्लाम की तरफ़ माइल हो जायें मगर जब महसूस फ़रमाया कि उनके लिये मुवाफ़िक़त भी मुफ़ीद नहीं तो आपने उनकी मुवाफ़िक़त छोड़ दी। रसूलुल्लाह (ﷺ) को अहले किताब की मुवाफ़िक़त इसलिए भी पसन्द थी कि वह कम अज़ कम, दावे की हद तक ही सही, समावी दीन पर अ़मल पैरा होने के दावेदार थे। इसके बरअक्स मुश्रिकीन तो पक्के बुत परस्त थे। माँग सर के दरम्यान में निकालनी चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) की आ़दते मुबारका दरम्यान में माँग निकालना ही थी। वल्लाहु आलम!

باب(٦٢): التَّرَجُّلِ

बाब : (62) कंघी करना

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُقَالُ لَهُ عُبَيْدٌ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْهَى عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الإِرْفَاهِ . سُئِلَ ابْنُ بُرَيْدَةَ عَنِ الإِرْفَاهِ قَالَ مِنْهُ التَّرَجُّلُ .

(5241) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन बुरैदा से रिवायत है कि अस्हाबे नबी (ﷺ) में से एक स़हाबी जिनको उबैद कहा जाता था, ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ज़्यादा नाज़ नख़रे से मना फ़रमाया है। हज़रत इब्ने बुरैदा से पूछा गया: नाज़ नख़रे से क्या मुराद है? उन्होंने फ़रमाया: इसी में से (हर रोज़) कंघी करना है।

(5241) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5061.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये: 5061, 5057, 5239.

बाब : (63)दायीं तरफ़ से कंघी शुरू करना

باب(٦٣): التَّيَامُنِ فِي التَّرَجُّلِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي الأَشْعَثُ، قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَذَكَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحِبُّ التَّيَامُنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ .

(5242) हज़रत आयशा (ﷺ) फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर मुमकिन हद तक दायीं तरफ़ से इब्तेदा फ़रमाते थे। वुज़ू में, जूता पहनते वक़्त और कंघी फ़रमाते वक़्त।

(5242) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 112.

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5062.

बाब : (64) ख़िज़ाब करने (बालों को रंगने) का हुक्म

باب(٦٤): الأَمْرِ بِالْخِضَابِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَا أَبَا هُرَيْرَةَ، يُخْبِرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ "

(5243) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यहूदी और ईसाई अपने बालों को नहीं रंगते। तुम उनकी मुख़ालिफ़त करो।'

(5243) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5075.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5072 और 5077.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ، - وَهُوَ ابْنُ ثَابِتٍ - عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِأَبِي قُحَافَةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَأَنَّهُ ثَغَامَةٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " غَيِّرُوا أَوِ اخْضِبُوا " .

(5244) हज़रत जाबिर (ﷺ) ने फ़रमाया: नबी ए-अकरम (ﷺ) के पास हज़रत अबू क़ुहाफ़ा(ﷺ) को लाया गया। उनका सर और दाढ़ी सग़ामा की तरह थे। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इनका रंग बदलो (या फ़रमाया:) इनको ख़िज़ाब करो।'

(5244) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2102/78, 79.

फ़ायदा : सग़ामा पहाड़ की चोटी पर उगने वाली घास जिसके फल और फूल बिल्कुल सफ़ेद होते हैं, और ख़ुश्क होने पर उसकी सफ़ेदी और बढ़ जाती है। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5079.

बाब : (65) दाढ़ी को ज़र्द करना

باب(٦٥): تَصْفِيرِ اللِّحْيَةِ

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُتَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عُبَيْدٍ، قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ فَقُلْتُ لَهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ .

(5245) हज़रत उबैद बयान करते हैं कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) को देखा, वह दाढ़ी को ज़र्द करते थे। मैंने उनसे उनके मुताल्लिक़ बात की तो उन्होंने फ़रमाया: मैंने नबी-ए अकरम (ﷺ) को देखा आप अपनी दाढ़ी मुबारक को ज़र्द करते थे।

(5245) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 166, मुस्लिम, हदीस: 1187.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5086 से 5089.

बाब : (66) दाढ़ी को वर्स और ज़ाफ़रान से ज़र्द करना

باب: (٦٦) تَصْفِيرِ اللِّحْيَةِ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ

أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ وَيُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ . وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

(5246) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) सिब्ती जूते पहना करते थे और अपनी दाढ़ी को वर्स और ज़ाफ़रान से रंगते थे। और हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) भी इसी तरह किया करते थे।

(5246) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4210.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'सिब्ती जूते' दबाग़त शुदा चमड़े से बनाये गये जूतों को कहते हैं। उन पर बाल नहीं होते। अरब में बालों समेत चमड़े के जूतों का भी रिवाज था। उनके मुक़ाबले में सिब्ती जूतों को क़ीमती समझा जाता था। उनके पहनने में कोई हर्ज नहीं। **(2)** वर्स और ज़ाफ़रान रंगदार ख़ूशबू हैं। उनका इस्तेमाल मर्द के लिये जिस्म में तो दुरुस्त नहीं, अलबत्ता बालों को रंगा जा सकता है, बाक़ी रहा रसूलुल्लाह (ﷺ) का दाढ़ी को रंगना तो उसकी तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5086, 5089 और 5118.

बाब : (67) बालों में दूसरे बाल मिलाना (नाजायज़ है)

باب(٦٧): الْوَصْلِ فِي الشَّعْرِ

(5247) हज़रत हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने फ़रमाया: मैंने हज़रत मुआविया (ﷺ) को मदीना मुनव्वरा में मिम्बर पर फ़रमाते सुना जब कि उन्होंने अपनी आस्तीन से बालों का एक गुच्छा निकाला और फ़रमाया: ऐ मदीना वालो! तुम्हारे उलमा कहाँ हैं? मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को इस जैसे जाली बालों से मना फ़रमाते सुना, और आपने फ़रमाया: 'जब बनी इस्राईल की औरतों ने इस क़िस्म के काम इख़्तियार किये तो वह हलाक हो गये।'

(5247) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: (54), हदीस: 3468, मुस्लिम, हदीस: 2127.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ بِالْمَدِينَةِ وَأَخْرَجَ مِنْ كُمِّهِ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ فَقَالَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ وَقَالَ " إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ اتَّخَذَ نِسَاؤُهُمْ مِثْلَ هَذَا " .

फ़ायदा : 'कहाँ हैं?' यानी वह तुम्हें इन कामों से रोकते क्यों नहीं? बाक़ी के लिये तफ़्सील मुलाहिज़ा फ़रमाइये, हदीस: 5095.

(5248) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत मुआविया (ﷺ) मदीना आये तो हमसे ख़िताब फ़रमाया। उन्होंने बालों का एक गुच्छा पकड़ा और फ़रमाया: मैं नहीं समझता कि यहूदियों के अलावा और कोई शख़्स ये काम करता हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने इसका तज़्किरा हुआ तो आपने इसे 'ज़ूर' (जालसाज़ी) क़रार दिया।

(5248) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5095.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ قَدِمَ مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَخَطَبَنَا وَأَخَذَ كُبَّةً مِنْ شَعْرٍ قَالَ مَا كُنْتُ أَرَى أَحَدًا يَفْعَلُهُ إِلاَّ الْيَهُودَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَلَغَهُ فَسَمَّاهُ الزُّورَ .

फ़ायदा : अज़्ज़ूर के मानी हैं: 'बातिल' झूठ, जालसाज़ी, वग़ैरह। मज़्कूरा फ़ेअल को ज़ूर कहने की वजह भी यही है कि ये एक फ़रेब है कि किसी दूसरे के बाल कोई अपने सर में लगा ले और लोगों को दिखाये कि ये मेरे सर के बाल हैं। ये नाजायज़ है।

बाब : (68) धजी से बाल जोड़ना

باب(٦٨): وَصْلِ الشَّعْرِ بِالْخِرَقِ .

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّهُ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَاكُمْ عَنِ الزُّورِ . قَالَ وَجَاءَ بِخِرْقَةٍ سَوْدَاءَ فَأَلْقَاهَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فَقَالَ هُوَ هَذَا تَجْعَلُهُ الْمَرْأَةُ فِي رَأْسِهَا ثُمَّ تَخْتَمِرُ عَلَيْهِ .

(5249) हज़रत मुआविया (ﷺ) ने फ़रमाया: ऐ लोगो! नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने तुम्हें जाली बाल लगाने से मना फ़रमाया है। फिर आप एक स्याह रंग का कपड़ा लाये. और लोगों के सामने फेंका और फ़रमाया: ये है वह जालसाज़ी। औरत इसे अपने बालों में लगाती है। फिर ऊपर से ओढ़नी ओढ़ लेती है।

(5249) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5095.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ख़िरक़' इसका मुफ़रद ख़रक़ा है, यानी धजी (कपड़े की लम्बी पट्टी) **(2)** 'ओढ़ लेती है' ताकि जालसाज़ी का पता न चले और बाल ज़्यादा महसूस हों। इस हदीस से मालूम हुआ कि बालों में किसी चीज़ का इज़ाफ़ा दुरुस्त नहीं, ख़्वाह दूसरी चीज़ बाल हों या कपड़े के टुकड़े जिनसे किसी को बालों की कस्रत का धोखा दिया जा सके। अलबत्ता बालों को क़ाबू करने के लिये धागे वग़ैरह का परान्दा इस्तेमाल किया जा सकता है, ख़्वाह वह स्याह ही हो क्योंकि इससे धोखादेही नहीं होती। वह सर पर नहीं होता कि कस्रत का गुमान हो बल्कि वह पुश्त पर लटकता है, और इसे देखने से साफ़ पता चलता है कि ये बाल नहीं धागा है। **(3)** इस हदीस का तर्जुमा एक और अन्दाज़ से भी मुमकिन है कि 'आप स्याह रंग का कपड़ा लाये और लोगों के सामने फेंका और फ़रमाया: इसे औरत अपने बालों में लगा सकती है। ऊपर से ओढ़नी ओढ़ ले।' सूरत में स्याह रंग के कपड़े से मुराद परान्दा ही है कि उसका इस्तेमाल जायज़ है। हदीस का मक़सद ये होगा कि जाली बाल मिलाना दुरुस्त नहीं क्योंकि इससे धोखादेही होती है। अलबत्ता कपड़ा या परान्दा वग़ैरह लगा लिया जाये ताकि बाल मुन्तशिर न हों और उन्हें इसके साथ बाँध लिया जाये तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि कपड़े के साथ जाल साज़ी मुमकिन नहीं। वह दूर ही से बालों से मुख़्तलिफ़ नज़र आता है और इसका मक़सद भी समझ में आता है। पहला तर्जुमा अल्फ़ाज़ के ज़्यादा क़रीब है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا

(5250) हज़रत मुआविया (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जालसाज़ी से मना

حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الزُّورِ وَالزُّورُ الْمَرْأَةُ تَلُفُّ عَلَى رَأْسِهَا .

फ़रमाया। और जालसाज़ी ये है कि औरत अपने सर पर (जाली बाल वग़ैरह) लपेट ले।

(5250) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5095.

باب(٦٩): لَعْنِ الْوَاصِلَةِ

बाब : (69) जाली बाल लगाने वाली औरत पर लानत का बयान

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ الْوَاصِلَةَ.

(5251) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जाली बाल लगाने वाली औरत पर लानत फ़रमाई।

(5251) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5098.

फ़ायदा : किसी बुरे काम या वस्फ़ पर लानत करना जायज़ है, अलबत्ता किसी मुअय्यन शख़्स पर लानत करना जायज़ नहीं मगर ये कि वह सरीह कुफ़्र पर हो या अल्लाह और उसके रसूल ने उस पर लानत की हो जैसे: (तब्बता यदा अबी लहबिव व तब्ब)

باب(٧٠): لَعْنِ الْوَاصِلَةِ وَالْمُسْتَوْصِلَةِ

बाब : (70) जाली बाल लगाने और लगवाने वाली दोनों पर लानत का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ، عَنْ أَسْمَاءَ، أَنَّ امْرَأَةً، جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِنْتًا لِي عَرُوسٌ وَإِنَّهَا اشْتَكَتْ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا فَهَلْ عَلَىَّ جُنَاحٌ إِنْ وَصَلْتُ لَهَا فِيهِ فَقَالَ " لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ " .

(5252) हज़रत अस्मा (ﷺ) से मरवी है कि एक औरत रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आई और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी एक बेटी की शादी ताज़ा ताज़ा हुई है। वह बीमार हो गई और उसके बाल झड़ने लगे। अगर मैं उनमें मस्नूई बालों से इज़ाफ़ा कर लूँ तो क्या मैं गुनाहगार होंगी? आपने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला ने मस्नूई बाल लगाने वाली और लगवाने वाली दोनों पर लानत फ़रमाई है।'

(5252) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5097.

फ़ायदा : मालूम हुआ गंजी औरत भी मस़नूई बाल नहीं लगा सकती क्योंकि इसमें भी धोखादेही पाई जाती है, और ग़ैर ज़रूरी तकल्लुफ़ पाया जाता है क्योंकि कम बालों के साथ भी गुज़ारा हो सकता है, लेकिन मस़नूई दाँत, आज़ा और लेन्ज़ वग़ैरह लगवाये जा सकते हैं क्योंकि इनके बग़ैर गुज़ारा नहीं होता।

बाब : (71) गोदने वाली और गुदवाने वाली (रंग भरने वाली और भरवाने वाली) औरतों पर लानत का बयान

باب : (۷۱) لَعْنِ الْوَاشِمَةِ وَالْمُوتَشِمَةِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْوَاصِلَةَ وَالْمُوتَصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُوتَشِمَةَ .

(5253) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मस़नुई बाल लगाने वाली, लगवाने वाली, रंग भरने वाली और भरवाने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है।

(5253) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5098.

फ़ायदा : हुस्न की ख़ातिर जिस्म के कुछ हिस्सों को सूई से छेद कर सुरमा या कोई और रंग भरा जाता था। ज़ाहिर है कि ये अपने आपको अज़ाब में डालना, और ग़ैर ज़रूरी तकल्लुफ़ है, लिहाज़ा मना है। (देखिये, हदीस़: 5094)

बाब : (72) बाल उखेड़ने वाली और दाँत खुले करने वाली औरतें भी मलऊन हैं

باب : (۷۲) لَعْنِ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ أَلاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(5254) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह तआला ने बाल उखेड़ने वाली और दाँत खुले करने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है। मैं उस पर क्यूँ लानत न करूँ जिस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लानत फ़रमाई है।

(5254) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5102.

फ़ायदा : तफ़्स़ील के लिये देखिये, अहादीस़: 5102 और 5110.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، سَمِعْتُ الأَعْمَشَ، يُحَدِّثُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

(5255) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रंग भरने वाली, दाँत खुले करने वाली और बाल उखेड़ने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है जो अल्लाह (ﷻ) की पैदाकर्दा शक्ल व सूरत को बदलती हैं।

(5255) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5103.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5112.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ وَالْمُتَوَشِّمَاتِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ . فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ أَنْتَ الَّذِي تَقُولُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَمَا لِيَ لاَ أَقُولُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

(5256) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) ने फ़रमाया: अल्लाह तआला ने बाल उखेड़ने वाली, दाँतों को खुला करने वाली और रंग भरवाने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है जो अल्लाह तआला की बनाई हुई सूरत को बदलती हैं। एक औरत उनके पास आई और कहा: आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं? उन्होंने कहा मैं वह बात क्यूँ न कहूँ जो रसूल (ﷺ) ने फ़रमाई हो?

(5256) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5099.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ الْمُتَوَشِّمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ أَلاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(5257) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) फ़रमाया करते थे: अल्लाह तआला ने रंग भरवाने वाली और ब'तकल्लुफ़ बाल उखेड़ने वाली, दाँत खुले करने वाली औरतों पर लानत फ़रमाई है। मैं इस पर क्यूँ न लानत करूँ जिस पर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने लानत फ़रमाई है।

(5257) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5103.

बाब : (73) ज़ाफ़रान लगाना

باب(٧٣): التَّزَعْفُرِ

(5258) हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मर्द को ज़ाफ़रान लगाने से मना फ़रमाया है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ .

(5258) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2707.

फ़ायदा : मर्द के लिये अपने जिस्म को ज़ाफ़रान लगाना मुत्तफ़क़ा हराम है। दाढ़ी को लगाना मुत्तफ़क़ा हलाल है और कपड़ों को लगाना मुख़्तलफ़ फ़ीह (विवादित) है। औरतों के लिये जिस्म में भी जायज़ है और कपड़ों में भी।

(5259) हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि मर्द अपने जिस्म को ज़ाफ़रान लगाये।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ الأَنْصَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُزَعْفِرَ الرَّجُلُ جِلْدَهُ .

(5259) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4179, तिर्मिज़ी, हदीस: 2851.

फ़ायदा : ज़ाफ़रान रंग वाली ख़ूशबू है और मर्द के लिये रंग वाली ख़ूशबू हराम है। औरत के लिये जायज़ है।

बाब : (74) ख़ूशबू का बयान

باب(٧٤): الطِّيبِ

(5260) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास जब ख़ूशबू का तोहफ़ा लाया जाता तो आप उसे रद्द नहीं फ़रमाते थे।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أُتِيَ بِطِيبٍ لَمْ يَرُدَّهُ .

(5260) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2582.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से मालूम हुआ कि ख़ूशबू इस्तेमाल करना पसन्दीदा अमल है, और कोई शख़्स ख़ूशबू का हदिया दे तो उसे क़बूल कर लेना चाहिए, रद्द नहीं करना चाहिए। एक दूसरी हदीस में ख़ूशबू के साथ दो और चीज़ों का भी ज़िक्र है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन चीज़ें ऐसी हैं कि (किसी को हदियतन दी जायें तो) वह रद्द न की जायें: सिरहाना व तकिया (गद्दा व ग़ालीचा) तेल

और दूध' (जामेअ तिर्मिज़ी, हदीस: 2790) इमाम तिर्मिज़ी फ़रमाते हैं कि तेल से मुराद ख़ूशबू है। (2) रसूलुल्लाह (ﷺ) को ख़ूशबू से ख़ुसूसी लगाव था क्योंकि आपके पास फ़रिश्तों का आना जाना रहता था और फ़रिश्ते बदबू से शदीद नफ़रत करते हैं, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) हर वक़्त बेहतरीन ख़ूशबू से मुअत्तर रहते थे। ख़ुद आपका जिस्म मुबारक भी ज़ाती तौर पर ख़ूशबूदार था।(ﷺ).

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، قَالَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلاَ يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ طَيِّبُ الرَّائِحَةِ " .

(5261) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से किसी को ख़ूशबू पेश की जाये तो वह उसे रद्द न करे, इसलिये कि ये उठाने में हल्की और महक में पाकीज़ा है।'

(5261) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, अत्तीब, हदीस: 2253.

फ़वाइद व मसाइल : (1) कोई भी तोहफ़ा रद्द नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अल्लाह तआला की नेमत की नाशुक्री और तोहफ़ा पेश करने वाले की दिल शिक्नी होगी मगर ये कि तोहफ़ा देने वाला ऐवज़ लेने की नियत से तोहफ़ा दे और तोहफ़ा लेने वाला ऐवज़ देने की इस्तेताअत न रखता हो। ख़ूशबू मामूली चीज़ है। इसका ऐवज़ देना भी आसान है। उठाने में हल्की के ये मानी भी हो सकते हैं कि इसका मुआवज़ा देना आसान है, और ये कोई बहुत बड़ा एहसान नहीं कि दूसरा आदमी ज़ेर बार हो जाये, लिहाज़ा ख़ूशबू का तोहफ़ा ले लेना चाहिए। **(2)** हदीस से ज़िम्नन मालूम हुआ कि तोहफ़ा क़लील भी हो तो देने या लेने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए, और किसी भी तोहफ़े को हक़ीर नहीं समझना चाहिए और न रद्द करना चाहिए।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ بُكَيْرٍ، ح وَأَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ، امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَتْ

(5262) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) की ज़ोज-ए-मोहतरमा हज़रत ज़ैनब (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब तुममें से कोई औरत इशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद को जाये तो किसी क़िस्म की ख़ूशबू न लगाये।'

(5262) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5132.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا شَهِدَتْ إِحْدَاكُنَّ الْعِشَاءَ فَلاَ تَمَسَّ طِيبًا " .

फ़ायदा : गोया घर के अन्दर अपने ख़ाविन्द के सामने ख़ूशबू लगा सकती है। तीब से मुराद ज़ीनत भी हो सकती है कि मस्जिद को जाते वक़्त ज़ीनत भी न लगाये बल्कि सादा हालत और सादा कपड़ों में जाये ताकि किसी के लिये फ़ित्ने का बाइस न हो। (तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5130 से 5135)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ هِشَامٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، أَخْبَرَتْنِي زَيْنَبُ الثَّقَفِيَّةُ، امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهَا " إِذَا خَرَجْتِ إِلَى الْعِشَاءِ فَلاَ تَمَسِّي طِيبًا " .

(5263) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) की बीवी हज़रत ज़ैनब सक़फ़िया (ﷺ) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया: 'जब तू इशा की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाये तो ख़ूशबू वग़ैरह न लगाया कर।'

(5263) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5132.

وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ " أَيَّتُكُنَّ خَرَجَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلاَ تَقْرَبَنَّ طِيبًا " .

(5264) हज़रत ज़ैनब सक़फ़िया (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुममें से जो औरत भी मस्जिद को जाये, वह ख़ूशबू के क़रीब भी न जाये।'

(5264) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5132.

फ़ायदा : जब मस्जिद जाते वक़्त ख़ूशबू की इजाज़त नहीं, हालांकि वह मुक़द्दस जगह है तो बाज़ार या लोगों के घरों या खेतों में जाते वक़्त ख़ूशबू की इजाज़त कैसे हो सकती है?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ بْنِ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَلْقَمَةَ الْفَرْوِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ

(5265) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो औरत भी ख़ूशबू लगाये, वह हमारे साथ इशा की नमाज़ पढ़ने न आये।'

بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلاَ تَشْهَدْ مَعَنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ" .

(5265) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5131.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5131.

باب(٧٥): ذِكْرِ أَطْيَبِ الطِّيبِ

बाब : (75) बेहतरीन ख़ूशबू का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خُلَيْدِ بْنِ جَعْفَرٍ، وَالْمُسْتَمِرِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً حَشَتْ خَاتَمَهَا بِالْمِسْكِ فَقَالَ " وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيبِ".

(5266) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एक औरत का ज़िक्र फ़रमाया जिसने अपनी अंगूठी को कस्तूरी से भर रखा था। फिर आपने फ़रमाया: 'ये सब से अच्छी और पाकीज़ा ख़ूशबू है।'

(5266) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1906.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अंगूठी के नग में कस्तूरी भरी होगी। मुमकिन है सारी अंगूठी खोखली हो। ये औरत बनी इस्राईल में से थी। **(2)** अगर औरत को घर से बाहर जाना हो तो ऐसी (ख़ूशबू वाली) अंगूठी पहन कर नहीं जा सकती। घर के अन्दर पहन सकती है। **(3)** इस औरत का ज़िक्र बतौर तारीफ़ भी हो सकता है और बतौर मज़म्मत भी। तारीफ़ और मज़म्मत इस्तेमाल के लिहाज़ से है।

باب(٧٦): تَحْرِيمِ لُبْسِ الذَّهَبِ

बाब : (76) सोना पहनने की हुर्मत का बयान

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَيَزِيدُ، وَمُعْتَمِرٌ، وَبِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، قَالُوا حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ

(5267) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह (ﷻ) ने रेशम और सोना मेरी उम्मत की औरतों के लिये हलाल क़रार फ़रमाया है और मर्दों के लिये हराम।'

(5267) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5151.

وَجَلَّ أَحَلَّ لإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرَ وَالذَّهَبَ
وَحَرَّمَهُ عَلَى ذُكُورِهَا " .

फ़ायदा : औरतों के लिये सोना पहनना हलाल है मगर सोने चाँदी के बर्तनों का इस्तेमाल मर्द व औरत सब के लिये मना है क्योंकि ये क़तअन ग़ैर ज़रूरी है और सिवाए फ़ख़्र व नुमाइश के इसका कोई मक़सद नहीं। ज़ेवरात भी सिर्फ़ ज़ीनत की हद तक औरत इस्तेमाल कर सकती है, फ़ख़्र व मबाहात के लिये नहीं। (तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5139 से 5146 तक)

बाब : (77) (मर्द के लिये) सोने की अंगूठी पहनने की मुमानिअत

النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ خَاتَمِ الذَّهَبِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نُهِيتُ عَنِ الثَّوْبِ الأَحْمَرِ، وَخَاتَمِ الذَّهَبِ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ، .

(5268) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: मुझे सुर्ख़ कपड़े, सोने की अंगूठी और रुकू की हालत में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से मना किया गया।

(5268) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 481.

फ़ायदा : 'सुर्ख़ कपड़ा' कुछ मुहक़्क़िक़ीन का क़ौल है कि मर्द के लिये ख़ालिस सुर्ख़ कपड़ा पहनना मना है। सिर्फ़ सुर्ख़ धारियाँ हों तो कोई हर्ज नहीं। या मुत्लक़ सुर्ख़ मुराद नहीं बल्कि मुअस्फ़र और मुज़अफ़र मुराद हैं जिनकी हुर्मत का ज़िक्र दूसरी अहादीस में है। सुर्ख़ की बाक़ी अक़साम जायज़ हैं। वल्लाहु आलम! (बाक़ी तफ्सील के लिये देखिये, हदीस: 5175)

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، قَالَ أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنِ الْقَسِّيِّ وَعَنِ الْمُعَصْفَرِ .

(5269) हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: मुझे नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने सोने की अंगूठी पहनने, रुकूअ की हालत में क़ुर्आन पढ़ने, क़स्सी और मुअस्फ़र कपड़े पहनने से मना फ़रमाया।

(5269) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1042.

फ़ायदा : देखिये, अहादीस: 5168, 5175.

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبُوسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ

(5270) हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे सोने की अंगूठी, क़स्सी और मुअस्फ़र के लिबास पहनने और रुकूअ की हालत में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से रोका है।

(5270) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1044.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْقِرَاءَةِ فِي الرُّكُوعِ

(5271) हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे रुकूअ के दौरान में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया।

(5271) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1044.

أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سَعْدٍ الْفَدَكِيُّ، أَنَّ نَافِعًا، أَخْبَرَهُ حَدَّثَنِي ابْنُ حُنَيْنٍ، أَنَّ عَلِيًّا، حَدَّثَهُ قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَلُبْسِ الْقَسِّيِّ وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ .

(5272) हज़रत अली (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे कुसम से रंगे हुये कपड़े, सोने की अंगूठी, क़स्सी कपड़े के लिबास पहनने और रुकूअ की हालत में क़ुर्आन पढ़ने से मना फ़रमाया है।

(5272) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1044.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ حُنَيْنٍ،

(5273) हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे चार चीज़ों से मना फ़रमाया है: मुअस्फ़र कपड़ा पहनने, सोने की अंगूठी पहनने, क़स्सी बस्ती के बने हुये कपड़े

عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَرْبَعٍ عَنْ لُبْسِ ثَوْبٍ مُعَصْفَرٍ وَعَنِ التَّخَتُّمِ بِخَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لُبْسِ الْقَسِّيَّةِ وَأَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ وَأَنَا رَاكِعٌ .

पहनने और रुकूअ की हालत में क़ुर्आन मजीद पढ़ने से।

(5273) तख़रीज : (सनद सहीह) देखें, हदीस: 1044.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ مَعْدَانَ، أَنَّ ابْنَ حُنَيْنٍ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثِيَابِ الْمُعَصْفَرِ وَعَنِ الْحَرِيرِ وَأَنْ يَقْرَأَ وَهُوَ رَاكِعٌ وَعَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

(5274) हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुअस्फ़र कपड़े और रेशम पहनने, दौराने रुकूअ में क़ुर्आन पढ़ने और सोने की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया है।

(5274) तख़रीज : (सनद सहीह) देखें, हदीस: 1044.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ النَّضْرَ بْنَ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ

(5275) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने सोने की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया।

(5275) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 2089, बुख़ारी, हदीस: 5864.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَجَّاجِ - عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَخَتُّمِ الذَّهَبِ .

(5276) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने की अंगूठी पहनने से मना फ़रमाया।

(5276) तख़रीज : (सनद सहीह) पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : ऊपर दी गई चीज़ों से मनाही सिर्फ़ हज़रत अली (ﷺ) से ख़ास नहीं, उम्मत के तमाम मर्दों के लिये है। तफ़सील के लिये देखिये, हदीस: 5175.

बाब : (78) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की अंगूठी और उसके नक़्श का बयान

باب(۷۸): صِفَةِ خَاتَمِ النَّبِيِّ ﷺ وَنَقْشِهِ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمَ الذَّهَبِ فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا " . فَنَبَذَهُ فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

(5277) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने की अंगूठी बनवाई और उसे अपने दस्ते मुबारक में पहना। लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया। 'मैं ये अंगूठी पहना करता था लेकिन अब इसे हरगिज़ नहीं पहनूँगा।' फिर आप ने वह अंगूठी उतार फेंकी। लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ उतार फेंकी।

(5277) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5167.

फ़ायदा : उतार फेंकने का मतलब ये भी हो सकता है कि उन्हें ब अन्दाज़े नफ़रत उतार लिया और आइन्दा कभी न पहनने का अ़ज़्म कर लिया तो यूँ समझो, फेंक दिया। ये लफ़्ज़ इज़्हारे नफ़रत पर दलालत करता है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ نَقْشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

(5278) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) की अंगूठी (के नगीने) में 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' मुनक़्क़श था।

(5278) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 54/2091.

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ وَنَقْشُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

(5279) हज़रत अनस (ﷺ) फ़रमाते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई। उसका नगीना हब्शी अन्दाज़ का था और उस पर 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' नक़्श किया गया था।

(5279) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5199.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 5199.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ بِشْرٍ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُفَضَّلِ - قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى الرُّومِ فَقَالُوا إِنَّهُمْ لاَ يَقْرَءُونَ كِتَابًا إِلاَّ مَخْتُومًا . فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ وَنُقِشَ فِيهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ .

(5280) हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रूमियों को ख़त लिखने का इरादा फ़रमाया। लोगों ने कहा: हुज़ूर! वह लोग मुहर के बग़ैर ख़त नहीं पढ़ते। आपने चाँदी की मुहर बनवा ली। मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि मैं अब भी उसकी चमक आपके दस्ते मुबारक में देख रहा हूँ। और आपने उसमें 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' के अल्फ़ाज़ कन्दा करवाये।

(5280) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5204.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَفَصُّهُ حَبَشِيٌّ .

(5281) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चाँदी की अंगूठी बनवाई उसका नगीना हब्शा का बना हुआ था।

(5281) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5199.

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ، - وَهُوَ ابْنُ صَالِحٍ - عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ خَاتَمُ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ وَفَصُّهُ مِنْهُ .

(5282) हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया: नबी ए-अकरम (ﷺ) की मुबारक अंगूठी चाँदी की थी। और उसका नगीना भी चाँदी ही का था।

(5282) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5201.

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) की अंगूठी मुबारक के नगीने की तफ़्सील हदीस़: 5199 में गुज़र चुकी है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - قَالاَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قَدِ اصْطَنَعْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ " .

(5283) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हमने एक अंगूठी बनवाई है और उस पर एक ख़ास़ नक़्श (मुहम्मद रसूलुल्लाह) कन्दा करवाया है, लिहाज़ा कोई शख़्स़ इस जैसा नक़्श न बनवाये।

(5283) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम: 2092.

फ़ायदा : 'हमने' मुमकिन है ये अल्फ़ाज़ किसी रावी के हों, यानी उसने एहतिरामन जमा के अल्फ़ाज़ ज़िक्र कर दिये हैं। अगरचे ग़ालिब इम्कान ये है कि आपने इसी तरह के सेग़े इस्तेमाल फ़रमाये होंगे। ये बात करने का शाही अन्दाज़ है। और अम्बिय-ए-किराम ख़ुसूसन ख़ातमुन्नबिय्यीन (ﷺ) से बड़ा 'शाह' कौन हो सकता है? (बाक़ी तफ़्सीलात के लिये देखिये, अहादीस़: 5210, 5220)

باب(٧٩): مَوْضِعِ الْخَاتَمِ

बाब : (79)
अंगूठी की जगह (किस उँगली में है?)

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اصْطَنَعَ خَاتَمًا فَقَالَ " إِنَّا قَدِ اتَّخَذْنَا خَاتَمًا وَنَقَشْنَا عَلَيْهِ نَقْشًا فَلاَ يَنْقُشْ عَلَيْهِ أَحَدٌ " . وَإِنِّي لأَرَى بَرِيقَهُ فِي خِنْصَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

(5284) हज़रत अनस (रज़ि.) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने एक अंगूठी बनवाई और फ़रमाया: 'हमने एक अंगूठी बनवाई है और हमने उस पर एक इबारत कन्दा करवाई है। कोई शख़्स इसके मुताबिक़ इबारत कन्दा न करवाये।' अल्लाह की क़सम! मैं (आलमे तसव्वुर में अब भी) उस अंगूठी की चमक रसूलुल्लाह (ﷺ) की छंगली में देख रहा हूँ।

(5284) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 5874.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَخَتَّمُ فِي يَمِينِهِ .

(5285) हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़रमाया: नबी ए-अकरम (ﷺ) अपने दाहिने हाथ में अंगूठी पहना करते थे।

(5285) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस़: 97.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عِيسَى الْبِسْطَامِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِ خَاتَمِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي إِصْبَعِهِ الْيُسْرَى .

(5286) हज़रत अनस (रज़ि.) ने फ़रमाया: मुझे यूँ महसूस होता है कि मैं अब भी रसूलुल्लाह (ﷺ) की अंगूठी मुबारक की चमक आपकी बायीं (छोटी) उँगली में देख रहा हूँ।

(5286) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 65, मुस्लिम, हदीस़: 56/2092.

फ़ायदा : दायें बायें की तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। देखिये हदीस़: 5200.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، أَنَّهُمْ سَأَلُوا أَنَسًا عَنْ خَاتَمِ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى وَبِيصِ خَاتَمِهِ مِنْ فِضَّةٍ . وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ الْيُسْرَى الْخِنْصَرَ .

(5287) हज़रत स़ाबित बयान करते हैं कि लोगों ने हज़रत अनस (ﷺ) से रसूलुल्लाह (ﷺ) की अंगूठी के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: मुझे यूँ महसूस हो रहा है कि मैं आपकी चाँदी वाली अंगूठी की चमक अब भी देख रहा हूँ। (ये कहते हुये) उन्होंने अपने बायें हाथ की छोटी उँगली को उठाया।

(5287) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़:640.

फ़ायदा : 'उठाया' उनका मक़सद ये बताना था कि आप बायें हाथ की छोटी उँगली में अंगूठी पहनते थे लेकिन दीगर कस़ीर रिवायात से स़ाबित होता है कि आप दायें हाथ में अंगूठी पहनते थे क्योंकि ये ज़ीनत है और आप अच्छे उमूर में दायें हाथ को तर्जीह देते थे, ख़ुसूसन जब कि आपकी अंगूठी में अल्लाह तआ़ला और ख़ुद आपका नाम नामी था और बायाँ हाथ तो इस्तिन्जा वग़ैरह में इस्तेमाल होता है। क्या ऐसे मुतबर्रक और मुकद्दस नाम इस्तिन्जा वाले हाथ के लाइक़ हैं? हरगिज़ नहीं। हाँ! ये मुमकिन है कि कभी कभार बायें हाथ में डाली गई हो। वैसे भी ड़मूमन काम दायें हाथ से किये जाते हैं। आप मुहर लगाने के लिये अंगूठी पहनते थे और मुहर लगाना भी एक काम है, लिहाज़ा ये भी दायें हाथ ही से होना चाहिए और ये तभी होगा, अगर अंगूठी दायें हाथ में हो।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ نَهَانِي نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَاتَمِ فِي السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى .

(5288) हज़रत अबू बुर्दा से रिवायत है कि मैंने हज़रत अ़ली (ﷺ) को फ़रमाते सुना कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने मुझे अंगुश्ते शहादत और दरम्यानी उँगली में अंगूठी डालने से मना फ़रमाया।

(5288) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5214.

फ़ायदा : 'अंगुश्ते शहादत' अ़रबी में लफ़्ज़ सब्बाबा इस्तेमाल फ़रमाया गया है। इसके लफ़्ज़ी मानी हैं गाली देने वाली उँगली। जाहिलियत में लोग गाली देते वक़्त इस उँगली से इशारा करते थे, इसलिये वह इसको सब्बाबा कहते हैं। मुसलमान नमाज़ में तशह्हुद के वक़्त इस उँगली से इशारा करते हैं, इसलिये हम इसे शहादत वाली उँगली कहते हैं। गाली देना शरीयत में वैसे भी मना है चे जायेकि कोई उँगली सब्बाबा हो। हदीस़ में ये लफ़्ज़ उर्फ़े आ़म के तौर पर आ गया है। मुख़्तस़र भी है।

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَلْبَسَ فِي إِصْبَعِي هَذِهِ وَفِي الْوُسْطَى وَالَّتِي تَلِيهَا .

(5289) हज़रत अली (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे मना फ़रमाया कि मैं अपनी इस उँगली, दरम्यान वाली और साथ वाली उँगली में अंगूठी डालूँ।

(5289) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5214.

بَاب (٨٠): مَوْضِعُ الْفَصِّ

बाब : (80) नगीने की जगह

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَخَتَّمُ بِخَاتَمٍ مِنْ ذَهَبٍ ثُمَّ طَرَحَهُ وَلَبِسَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ وَنُقِشَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ " لاَ يَنْبَغِي لأَحَدٍ أَنْ يَنْقُشَ عَلَى نَقْشِ خَاتَمِي هَذَا " . وَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَطْنِ كَفِّهِ .

(5290) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) (पहले) सोने की अंगूठी पहना करते थे। फिर आपने उसे उतार फेंका और चाँदी की अंगूठी पहनने लगे। और आपने उस पर 'मुहम्मद रसूलुल्लाह' कन्दा करवाया, फिर आपने फ़रमाया: 'किसी के लिये मुनासिब नहीं कि मेरी इस अंगूठी के नक़्श के मुताबिक़ (अपनी अंगूठी पर) नक़्श बनवाये।' आप उसका नगीना हथेली की जानिब रखते थे।

(5290) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5219.

फ़ायदा : 'हथेली की जानिब' क्योंकि आपका मक़सद अंगूठी पहनने से ज़ीनत नहीं था, मुहर लगाना था। नगीना हाथ की पुश्त की तरफ़ रखना ज़ीनत के लिये होता है और ऐसी ज़ीनत मर्द को मुनासिब नहीं अगरचे इससे मना भी नहीं किया जा सकता।

بَاب (٨١): طَرْحُ الْخَاتَمِ وَتَرْكُ لُبْسِهِ

बाब : (81) अंगूठी उतार फेंकना और उसे दोबारा न पहनना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ

(5291) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अंगूठी बनवाई और पहनी, फिर फ़रमाया: 'इस अंगूठी ने मुझे तुमसे मसरूफ़ किये रखा। मैं कभी इसको देखता था, कभी तुमको।' फिर आपने उसे उतार फेंका।

بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا فَلَبِسَهُ قَالَ " شَغَلَنِي هَذَا عَنْكُمْ مُنْذُ الْيَوْمِ إِلَيْهِ نَظْرَةٌ وَإِلَيْكُمْ نَظْرَةٌ " . ثُمَّ أَلْقَاهُ .

(5291) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/322, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1468.

फ़ायदा : मालूम होता है ये सोने की अंगूठी थी जिसका ज़िक्र ऊपर भी गुज़रा। उसकी ख़ूबसूरती की वजह से आपकी तवज्जा बारहा उसकी जानिब मब्ज़ूल हूई तो आपने उसे पहने रखना मुनासिब न समझा। इससे मालूम हुआ कि सिर्फ़ ज़ीनत के लिये अंगूठी नहीं पहननी चाहिए।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ يَلْبَسُهُ فَجَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَصَنَعَ النَّاسُ ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَنَزَعَهُ وَقَالَ " إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ " . فَرَمَى بِهِ ثُمَّ قَالَ " وَاللَّهِ لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا " . فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ .

(5292) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने की अंगूठी बनवाई। आप उसे ज़ेब तन फ़रमाया करते थे। आप उसका नगीना हथेली की जानिब रखते थे। लोगों ने भी (सोने की) अंगूठियाँ बनवा लीं, फिर एक दिन आप मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये तो उसे उतार फेंका और फ़रमाया: 'मैं ये अंगूठी पहनता था और उसका नगीना अन्दुरूनी जानिब रखता था।' फिर आपने उसे उतार फेंका और फ़रमाया: 'अल्लाह की क़सम! अब मैं इसे कभी नहीं पहनूँगा।' लोगों ने भी अपनी अपनी अंगूठियाँ उतार फेंकीं।

(5292) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6651, मुस्लिम, हदीस: 2091.

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5221.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قِرَاءَةً عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ رَأَى فِي يَدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ يَوْمًا وَاحِدًا

(5293) हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के दस्ते मुबारक में एक दफ़ा चाँदी की अंगूठी देखी। लोगों ने भी अंगूठियाँ बनवा लीं और पहन लीं। फिर नबी-ए अकरम(ﷺ) ने अपनी अंगूठी उतार फेंकी और

فَصَنَعُوهُ فَلَبِسُوهُ فَطَرَحَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَطَرَحَ النَّاسُ .

लोगों ने भी उतार फेंकीं।

(5293) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2093, बुख़ारी, हदीस: (47), हदीस: 5868.

फ़ायदा : रिवायत के ज़ाहिर अल्फ़ाज़ से मालूम होता है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जो अंगूठी उतार फेंकी थी वह चाँदी की थी लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं क्योंकि बाक़ी तमाम रिवायात में सराहत है कि फेंकी जाने वाली अंगूठी सोने की थी चाँदी की नहीं, चाँदी की बाद में बनवाई गई। इस रिवायत में ये इमाम ज़ोहरी (ﷺ) का वहम है। ग़लती करना और वहम लग जाना इन्सानी तबीयत का ख़ास्सा है। ये कोई अनहोनी बात नहीं है, लिहाज़ा दुरुस्त बात यही है कि फेंकी जाने वाली अंगूठी सोने की थी, न कि चाँदी की। रावि-ए-हदीस के साथ कभी ऐसे हो जाता है। इसमें घबराने या ताज्जुब की कोई बात नहीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَكَانَ جَعَلَ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ فَطَرَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلاَ يَلْبَسُهُ .

(5294) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने की अंगूठी बनवाई। आप उसका नगीना हथेली की जानिब रखा करते थे। लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे उतार फेंका। लोगों ने भी अपनी अंगूठियाँ उतार फेंकीं। फिर आपने चाँदी की अंगूठी बनवा ली। आप उससे मुहर लगाते थे। और उसे (उमूमन) नहीं पहनते थे।

(5294) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5221.

फ़ायदा : 'पहनते नहीं थे' यानी आप उसे हर वक़्त पहने नहीं रखते थे बल्कि ज़रूरत के वक़्त पहनते थे क्योंकि इससे आपका मक़सद ज़ीनत नहीं था।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ فَاتَّخَذَ النَّاسُ

(5295) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सोने की अंगूठी बनवाई और उसका नगीना हथेली की जानिब रखा। लोगों ने भी सोने की अंगूठियाँ बनवा लीं। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे उतार फेंका और फ़रमाया: 'मैं आइन्दा इसे कभी नहीं पहनूँगा।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने चाँदी की अंगूठी बनवा ली और उसे

الْخَوَاتِيمَ فَأَلْقَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا " . ثُمَّ اتَّخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ فَأَدْخَلَهُ فِي يَدِهِ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ حَتَّى هَلَكَ فِي بِئْرِ أَرِيسٍ .

अपने दस्ते मुबारक में पहना। फिर वह हज़रत अबू बक्र (ﷺ) के हाथ में रही, फिर हज़रत उमर (ﷺ) के हाथ में, फिर हज़रत उस्मान(ﷺ) के हाथ में यहाँ तक कि वह अरीस के कुएँ में गुम हो गई।

(5295) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम,: 2091.

फ़ायदा : इसकी तफ़्सील के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल, हदीस: 5220.

بَاب(٨٢): ذِكْرِ مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ لُبْسِ الثِّيَابِ وَمَا يُكْرَهُ مِنْهَا

बाब : (82) कौन से कपड़े पहनने मुस्तहब और कौन से मकरूह हैं?

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَآنِي سَيِّئَ الْهَيْئَةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ " هَلْ لَكَ مِنْ شَىْءٍ " . قَالَ نَعَمْ مِنْ كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللَّهُ . فَقَالَ " إِذَا كَانَ لَكَ مَالٌ فَلْيُرَ عَلَيْكَ " .

(5296) हज़रत अबुल अह्वस के वालिद मोहतरम से रिवायत है कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने मुझे ख़राब सी हालत में देखा। नबी-ए-अकरम (ﷺ) फ़रमाने लगे: 'क्या तेरे पास कुछ माल है?' मैंने अर्ज़ किया: हर क़िस्म का माल अल्लाह तआला ने मुझे दे रखा है। आपने फ़रमाया: 'तेरे पास माल है तो तुझ पर नज़र भी आना चाहिए।'

(5296) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5225.

फ़ायदा : तफ्सील के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल, हदीस: 5225, 5226.

ذِكْرِ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ السِّيَرَاءِ.

बाब : (83) रेशमी धारियों वाला हुल्ला पहनने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ

(5297) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने मस्जिदे (नबवी) के दरवाज़े पर रेशमी धारियों वाला हुल्ला फ़रोख़्त होते देखा तो

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوِ اشْتَرَيْتَ هَذَا لِيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلِلْوَفْدِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ " . قَالَ فَأُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَعْدُ مِنْهَا بِحُلَلٍ فَكَسَانِي مِنْهَا حُلَّةً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ " لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَكْسُوهَا أَوْ لِتَبِيعَهَا " . فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مِنْ أُمِّهِ مُشْرِكًا.

मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगर आप ये हुल्ला जुम्अतुल मुबारक के दिन और वुफ़ूद की आमद के मौक़े पर इस्तेमाल के लिये ख़रीद लें तो मुनासिब रहेगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐसे हुल्ले तो वह लोग पहनते हैं जिनका आख़िरत में कोई हिस़्सा नहीं।' फिर बाद में रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास इसी क़िस्म के कुछ हुल्ले आये तो आपने मुझे भी उनमें से एक हुल्ला दे दिया। मैंने अ़र्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने ये हुल्ला मुझे दिया है जब कि आपने तो इस बारे में बड़े सख़्त अल्फ़ाज़ फ़रमाये थे। नबी ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने तुझे ये पहनने के लिये नहीं दिया बल्कि इसलिये दिया है कि तू किसी और को पहनाये या बेच दे।' हज़रत उ़मर(ؓ) ने वह अपने एक मुश्रिक अख़्याफ़ी भाई को दे दिया।

(5297) तख़रीज : **(सनद स़ही)** मुस्लिम, हदीस़: 2068.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि तजम्मुल और ख़ूबसूरती इख़्तियार करना बिल ख़ुसूस ख़ास मौक़ों पर, पसन्दीदा है। **(2)** मस्जिद के दरवाज़े पर ख़रीद व फ़रोख़्त करना जायज़ है, और फ़ुज़ला और उ़ज़मा-ए-अहले इल्म और नेक लोगों का मण्डी में जाना शरअ़न दुरुस्त है, ख़्वाह वह ख़रीद व फ़रोख़्त के लिये हो या वैसे ही जायज़ा लेने के लिये हो। **(3)** रेशमी कपड़े का कारोबार जायज़ है। **(4)** काफ़िर क़राबतदार के साथ स़िला रहमी करना, और उसे हदिया वग़ैरह देना भी शरअ़न जायज़ है। इसका मक़सद अगर तालीफ़े क़ल्ब और उसे इस्लाम के क़रीब करना हो तो ये सोने पर सुहागा है। **(5)** ऐसा हुल्ला धारियों की वजह से ममनूअ़ नहीं बल्कि रेशमी धारियों की वजह से ममनूअ़ है। **(6)** 'कोई हिस़्सा नहीं' मुराद कुफ़्फ़ारा हैं, यानी इस क़िस्म के कपड़े तो काफ़िर पहनते हैं लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि जो शख़्स ऐसे कपड़े पहनेगा, वह काफ़िर बन जायेगा क्योंकि रेशम पहनना कबीरा गुनाह ज़रूर है, कुफ़्र नहीं और अगर रेशम पहनने से मक़सूद दूसरे लोगों की तहक़ीर करना हो या अज़ राहे तकब्बुर रेशम पहना जाये तो गुनाह की क़बाहत में और इज़ाफ़ा हो जाता है। **(7)** 'भाई को दे दिया' जो चीज़ कुछ अफ़राद के लिये हलाल हो, कुछ के लिये हराम, उसका कारोबार, लेन देन, ख़रीद व

फ़रोख़्त, तोहफ़ा व अ़तिया वग़ैरह सब कुछ जायज़ है, जैसे: रेशम और सोना वग़ैरह, अलबत्ता जो चीज़ सब के लिये हराम है, इसका कारोबार, लेन देन, ख़रीद फ़रोख़्त तोहफ़ा अ़तिया वग़ैरह सब कुछ हराम है, जैसे: शराब और बुत वग़ैरह। (8) ये बात याद रहनी चाहिए कि रेशम सिर्फ़ मर्दों के लिये नाजायज़ और हराम है, औरतों को हर क़िस्म का रेशम पहनने की मुत्लक़न इजाज़त है।

बाब : (84) औरतों के लिये रेशमी धारीदार हुल्ला पहनने की रुख़सत

باب(٨٤): ذِكْرِ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ فِي لُبْسِ السِّيَرَاءِ

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ رَأَيْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ النَّبِيِّ ﷺ قَمِيصَ حَرِيرٍ سِيَرَاءَ .

(5298) हज़रत अनस (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) की बेटी हज़रत ज़ैनब को धारीदार रेशमी क़मीस़ पहने हुये देखा।

(5298) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस़: 3598.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بَقِيَّةَ، حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّهُ، رَأَى عَلَى أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بُرْدَ سِيَرَاءَ وَالسِّيَرَاءُ الْمُضَلَّعُ بِالْقَزِّ .

(5299) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) की बेटी हज़रत उम्मे कुल्सूम (ﷺ) को रेशमी धारीदार चादर ओढ़े देखा।

(5299) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊद, हदीस़: 4058, फ़ी तग़्लीक़ित्तालीक़: 5/63, बुख़ारी, हदीस़: 5836.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، وَأَبُو عَامِرٍ قَالاَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ الثَّقَفِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا صَالِحٍ الْحَنَفِيَّ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَقُولُ أُهْدِيَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُلَّةُ سِيَرَاءَ فَبَعَثَ بِهَا إِلَىَّ فَلَبِسْتُهَا فَعَرَفْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ " أَمَا إِنِّي لَمْ

(5300) हज़रत अ़ली (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमते आ़लिया में एक रेशमी धारीदार हुल्ला बतौर तोहफ़ा भेजा गया। आपने वह मुझे भेज दिया। मैंने उसे पहन लिया (आपने मुझे देखा तो) मैंने आपके चेहर-ए अनवर पर ग़ुस़्से के आस़ार देखे। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुझे इसलिये नहीं दिया था कि तू इसे पहने।' फिर मैंने आपके हुक्म से अपने घर की औरतों में तक़्सीम कर दिया।

أُعْطِكَهَا لِتَلْبَسَهَا " . فَأَمَرَنِي فَأَطَرْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي .

(5300) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2071.

फ़ायदा : 'घर की औरतों' कुछ रिवायात में फ़वातिम का लफ़्ज़ है, यानी फ़ातिमा नामी औरतों में तक़्सीम कर दिया है। मुराद उनकी वालिद-ए-मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा बिन्ते असद (ﷺ) जिन्हें फ़ातिमा कुब्रा भी कहा जाता है और उनकी बीवी हज़रत फ़ातिमा बिन्ते रसूलुल्लाह (ﷺ) और उनकी चचाज़ाद बहन फ़ातिमा बिन्ते हम्ज़ा (ﷺ) और उनके भाई हज़रत अक़ील (ﷺ) की बीवी फ़ातिमा बिन्ते शैबा हैं।

باب : (٨٥)
ذِكْرِ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الإِسْتَبْرَقِ

बाब : (85)
इस्तबरक़ रेशम पहनने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّ عُمَرَ، خَرَجَ فَرَأَى حُلَّةَ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْتَرِهَا فَالْبَسْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَحِينَ يَقْدَمُ عَلَيْكَ الْوَفْدُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذَا مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ " . ثُمَّ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِثَلاَثِ حُلَلٍ مِنْهَا فَكَسَا عُمَرَ حُلَّةً وَكَسَا عَلِيًّا حُلَّةً وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةً فَأَتَاهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ ثُمَّ بَعَثْتَ إِلَيَّ . فَقَالَ "

(5301) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि एक दफ़ा हज़रत उमर (ﷺ) (घर से) निकले तो देखा कि इस्तबरक़ का एक जोड़ा बाज़ार में फ़रोख़्त हो रहा है। वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये हुल्ला ख़रीद लीजिये और जुम्अतुल मुबारक के दिन और वफ़ूद की आमद के मौक़े पर ज़ेब तन फ़रमाया कीजिये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐसे कपड़े तो वह लोग पहनते हैं जिनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।' फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास इस क़िस्म के तीन हुल्ले लाये गये। आपने एक हुल्ला हज़रत उमर(ﷺ) को, दूसरा हज़रत अली (ﷺ) को और तीसरा हज़रत उसामा (ﷺ) को दे दिया। हज़रत उमर (ﷺ) ने आप के पास हाज़िर हो कर अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! इन हुल्लों के बारे में तो आपने बड़े सख़्त अल्फ़ाज़ इरशाद फ़रमाये थे। अब आपने वह हुल्ला मुझे भेज दिया है। आपने फ़रमाया: 'इसे

बेच कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर ले या दुपट्टे बना कर अपनी औरतों में तक़्सीम कर दे।'

بِعْهَا وَاقْضِ بِهَا حَاجَتَكَ أَوْ شَقِّقْهَا خُمُرًا بَيْنَ نِسَائِكَ " .

(5301) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/39, पिछली हदीस देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अपनी औरतों' मुराद सिर्फ़ बीवियाँ नहीं बल्कि बीवियाँ, बेटियाँ, बहनें, मायें सब मुराद हैं। **(2)** 'इस्तबरक़' रेशम की एक क़िस्म है। ये मोटा और खुरदुरा रेशम होता है। इसको फ़ारसी में अस्तर कहते हैं। इसी लफ़्ज़ को अरबों ने इस्तबरक़ बना दिया। रेशम में सोने की तारें बुनी जायें, तब भी उसे इस्तबरक़ कह देते हैं। **(3)** हज़रत अली और हज़रत उमर (ﷺ) बावजूद इन्तेहाई ज़हीन और मुज्तहिद होने के नबी-ए-अकरम (ﷺ) के मक़सूद को न समझ सके। इसमें उन लोगों के लिये इबरत है जो कुछ अइम्मा के इस्तिम्बात और इज्तेहादात को बिला चूं व चरा क़बूल कर लेते और उन्हें हदीस़ पर तर्जीह देते हैं कि वह तो बड़े फ़क़ीह थे और हदीस़ का रावी सहाबी फ़क़ीह नहीं। मआज़ल्लाह!

बाब : (86) इस्तबरक़ कैसा होता है?

باب(٨٦): صِفَةِ الإِسْتَبْرَقِ

(5302) हज़रत यहया बिन अबी इस्हाक़ ने कहा कि हज़रत सालिम ने मुझ से पूछा, इस्तबरक़ क्या होता है? मैंने कहा: मोटा और खुरदुरा रेशम। वह कहने लगे: मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) को फ़रमाते सुना कि हज़रत उमर (ﷺ) ने एक आदमी के पास सुन्दुस का हुल्ला देखा। वह ये हुल्ला लेकर नबी-ए अकरम (ﷺ) के पास हाज़िर हुये और अर्ज़ किया: ये ख़रीद लीजिये। फिर रावी ने हस्बे साबिक़ हदीस़ बयान की।

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ أَبِي إِسْحَاقَ - قَالَ قَالَ سَالِمٌ مَا الإِسْتَبْرَقُ قُلْتُ مَا غَلُظَ مِنَ الدِّيبَاجِ وَخَشُنَ مِنْهُ . قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ رَأَى عُمَرُ مَعَ رَجُلٍ حُلَّةَ سُنْدُسٍ فَأَتَى بِهَا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " اشْتَرِ هَذِهِ " . وَسَاقَ الْحَدِيثَ .

(5302) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 6081, मुस्लिम, हदीस़: 9/2068, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9573.

फ़ायदा : 'सुन्दुस' बारीक रेशम को कहते हैं।

बाब : (87) (मर्दों के लिये) दीबाज पहनने की मुमानिअत

ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الدِّيبَاجِ

(5303) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उकैम से रिवायत है कि हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) ने पानी माँगा तो एक देहाती नम्बरदार चाँदी के बर्तन में पानी लाया। उन्होंने वह बर्तन उसी को दे मारा। फिर हाज़िरीन से इस सुलूक पर माज़रत की और फ़रमाया: मैंने इसे कई बार (चाँदी के बर्तन में पानी लाने से) रोका है जब कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'सोने चाँदी के बर्तन में पानी न पियो और दीबाज व हरीर (किसी क़िस्म का रेशम) न पहनो क्योंकि ये चीज़ें उन (काफ़िरों) के लिये दुनिया में हैं और हमारे लिये आख़िरत में हैं।'

(5303) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2067, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبُو فَرْوَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ، قَالَ اسْتَسْقَى حُذَيْفَةُ فَأَتَاهُ دُهْقَانٌ بِمَاءٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَحَذَفَهُ ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَيْهِمْ مِمَّا صَنَعَ بِهِ وَقَالَ إِنِّي نَهَيْتُهُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلاَ تَلْبَسُوا الدِّيبَاجَ وَلاَ الْحَرِيرَ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ

फ़वाइद व मसाइल : (1) दीबाज भी रेशम की एक क़िस्म है। मक़सद ये है कि हर क़िस्म का रेशम मर्दों के लिये हराम है। बारीक हो या मोटा, नर्म हो या सख़्त। (2) 'सोने चाँदी के बर्तन' ये हुक्म मर्दों और औरतों सब के लिये बराबर है, अलबत्ता औरत के लिये सोना पहनना जायज़ है। (3) 'इस्तेमाल करते हैं' क्योंकि उनके नज़दीक आख़िरत और जज़ा व सज़ा का कोई तसव्वुर नहीं, लिहाज़ा वह हर क़िस्म की आसाइश दुनिया ही में हासिल करना चाहते हैं जब कि मोमिन दुनिया में सिर्फ़ ज़रूरियात इस्तेमाल करते हैं। आसाइशें आख़िरत में तलब करते हैं।

बाब : (88) सोने के तारों से बना हुआ रेशम पहनना

لُبْسُ الدِّيبَاجِ الْمَنْسُوجِ بِالذَّهَبِ

(5304) हज़रत वाक़िद बिन अम्र बिन सअद बिन मुआज़ से रिवायत है कि जब हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाये

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ خَالِدٍ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَمْرٍو، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ حِينَ قَدِمَ الْمَدِينَةَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ أَنَا وَاقِدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَعْدِ بْنِ مُعَاذٍ . قَالَ إِنَّ سَعْدًا كَانَ أَعْظَمَ النَّاسِ وَأَطْوَلَهُ . ثُمَّ بَكَى فَأَكْثَرَ الْبُكَاءَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ إِلَى أُكَيْدِرَ صَاحِبِ دُومَةَ بَعْثًا فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيبَاجٍ مَنْسُوجَةٍ فِيهَا الذَّهَبُ فَلَبِسَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ وَقَعَدَ فَلَمْ يَتَكَلَّمْ وَنَزَلَ فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْمُسُونَهَا بِأَيْدِيهِمْ فَقَالَ " أَتَعْجَبُونَ مِنْ هَذِهِ لَمَنَادِيلُ سَعْدٍ فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِمَّا تَرَوْنَ " .

तो मैं उनके पास हाज़िर हुआ और सलाम अ़र्ज़ किया। उन्होंने कहा: तू किन में से है? मैंने कहा: मैं वाक़िद बिन अ़म्र हूँ। हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़(ﷺ) का पोता। उन्होंने कहा: हज़रत सअ़द (ﷺ) बड़े सरदार और लम्बे क़द के आदमी थे। फिर (उनको याद करके) रोये और बहुत रोये, फिर फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दूमतुल जन्दल के हुक्मरान उकैदिर की तरफ़ एक लश्कर भेजा तो उसने (इताअ़त क़बूल की और) आपकी ख़िदमत में रेशम का एक हुल्ला भेजा जो सोने के तारों से बुना गया था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे ज़ेब तन किया फिर मिम्बर पर तशरीफ़ फ़रमा हुये। सिर्फ़ बैठे रहे। कोई तक़रीर नहीं फ़रमाई। कुछ देर बाद उतर आये। लोग हाथ लगा लगा कर हुल्ले को देखते थे। आपने फ़रमाया: 'क्या तुम इस (की उम्दगी और नर्मी) पर ताज्जुब करते हो? अल्लाह की क़सम! (हज़रत) सअ़द बिन मुआ़ज़ के (हाथ मुँह की सफ़ाई वाले) रूमाल जन्नत में इससे कहीं बढ़ कर ख़ूबसूरत हैं।'

(5304) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी,: 1723.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) का तर्जुमतुल बाब से मक़सद ये मसला बयान करना है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रेशम का ऐसा जोड़ा ज़ेब तन किया था जिसकी बुनाई सोने के तारों से की गई थी। इमाम साहिब का मक़सद यही है। लेकिन हक़ीक़त ये है कि इस हदीस में मज़्कूर अल्फ़ाज़ फ़लबिसहू रसूलुल्लाहि (ﷺ) शाज़ हैं। ये हदीस सहीह बुख़ारी में भी मज़्कूर है लेकिन इसमें ये अल्फ़ाज़ (जिन्हें शाज़ कहा गया है) नहीं हैं, बहरहाल ये इमाम नसाई (رحمه الله) का अपना रूझान है। यही वजह है कि उन्होंने अगला बाब इसके नस्ख़ के मुताल्लिक़ क़ाइम किया है। वल्लाहु आलम! तफ़्सील के लिये देखिये: (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 39/38, 39) **(2)** इस हदीसे मुबारका से क़बील-ए-औस के सरदार हज़रत सअ़द बिन मुआ़ज़ (ﷺ) की फ़ज़ीलत और जन्नत में उनका आला मक़ाम, और अल्लाह तआ़ला के यहाँ उनकी क़द्रो मन्ज़िलत मालूम होती है कि उनके 'अदना, कपड़े' दुनिया के क़ीमती और

बेहतरीन रेशम से बेहतर हैं क्योंकि तौलिया या हाथ साफ़ करने वाला रूमाल दीगर कपड़ों और लिबास के मुक़ाबले में इन्तेहाई कम क़ीमत और घटिया ही होता है। जब वह इस क़द्र क़ीमती है तो उनके इस्तेमाल के दूसरे कपड़े और लिबास किस क़द्र बेहतरीन और क़ीमती होंगे। (3) ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि मुश्रिक का हदिया क़बूल किया जा सकता है। इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने सहीह बुख़ारी में मज़्कूरा हदीस पर इन अल्फ़ाज़ से उन्वान क़ाइम किया है: क़बूलुल हदिया मिनल मुश्रिकीन' (सहीह बुख़ारी) (4) 'तशरीफ़ लाये' हज़रत अनस (رضي الله عنه) मदीना मुनव्वरा के अन्सारी थे मगर हज़रत उमर (رضي الله عنه) के दौर में वह बसरा चले गये थे। कभी कभी अपनी जन्म भूमि 'मदीना मुनव्वरा' में तशरीफ़ लाते थे। (5) 'लम्बे क़द के' उनके पोते वाक़िद भी लम्बे क़द काठ के थे, इसलिये उनको देख कर ये ज़िक्र फ़रमाया। (6) 'रूमाल' अरबी में लफ़्ज़ मिन्दील इस्तेमाल हुआ है। मिन्दील छोटे रूमाल को कहते हैं जो गर्दो गुबार साफ़ करने के लिये हाथ में रखा जाता है। उमूमन ये बाक़ी लिबास से कम तर होता है।

बाब : (89) इसके मन्सूख़ होने का बयान

باب(٨٩): ذِكْرِ نَسْخِ ذَلِكَ

(5305) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने रेशम की क़िबा पहनी जो आपको बतौर तोहफ़ा मिली थी, फिर जल्द ही उतार दी और हज़रत उमर (رضي الله عنه) के पास भेज दी। आपसे अर्ज़ किया गया: ऐ अल्लाह के रसूल! आपने इतनी जल्दी उतार दी? आप ने फ़रमाया: 'जिब्रील (عليه السلام) ने मुझे इससे रोक दिया।' फिर हज़रत उमर रोते हुये आये और अर्ज़ परदाज़ हुये। ऐ अल्लाह के रसूल! आप ने एक चीज़ नापसन्द फ़रमाई, फिर वह मुझे दे दी। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुझे पहनने के लिये नहीं दी बल्कि इसलिये दी कि तू उसे बेच (कर अपनी ज़रूरियात पूरी कर) ले।' फिर हज़रत उमर (رضي الله عنه) ने उसे दो हज़ार दिरहम में बेच दिया।

حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ لَبِسَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَبَاءً مِنْ دِيبَاجٍ أُهْدِيَ لَهُ ثُمَّ أَوْشَكَ أَنْ نَزَعَهُ فَأَرْسَلَ بِهِ إِلَى عُمَرَ فَقِيلَ لَهُ قَدْ أَوْشَكَ مَا نَزَعْتَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " نَهَانِي عَنْهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ " . فَجَاءَ عُمَرُ يَبْكِي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَرِهْتَ أَمْرًا وَأَعْطَيْتَنِيهِ . قَالَ " إِنِّي لَمْ أُعْطِكَهُ لِتَلْبَسَهُ إِنَّمَا أَعْطَيْتُكَهُ لِتَبِيعَهُ " . فَبَاعَهُ عُمَرُ بِأَلْفَىْ دِرْهَمٍ .

(5305) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम: 2070.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) के नज़दीक क्योंकि पिछली हदीस के अल्फ़ाज़ 'ज़ेब तन किया'

साबित हैं इसलिए उन्होंने ये हदीस़ लाकर नस्ख़ स़ाबित किया है जबकि दूसरे उ़लमा के नज़दीक वह अल्फ़ाज़ 'ज़ेब तन किया' रावी का वहम है।

बाब : (90)
हरीर (रेशम) पहनने पर सख़्त वईद और इसका बयान कि जो शख़्स इसे दुनिया में पहनेगा, आख़िरत में नहीं पहन सकेगा

باب : (٩٠)
التَّشْدِيدِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ وَأَنَّ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ وَيَقُولُ قَالَ مُحَمَّدٌ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلَنْ يَلْبَسَهُ فِي الآخِرَةِ " .

(5306) हज़रत स़ाबित ने फ़रमायाः मैंने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) को मिम्बर पर दौराने ख़ुत्बा फ़रमाते सुना कि हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा(ﷺ) ने फ़रमायाः 'जिस आदमी ने दुनिया में रेशम पहना, वह आख़िरत में हरगिज़ नहीं पहन सकेगा।'

(5306) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5833.

फ़ायदा : 'हरगिज़ नहीं पहन सकेगा' ख़्वाह जन्नत में चला भी जाये। गोया जन्नत में इस नेमत से महरूम रहेगा। या मुराद है कि जन्नत में नहीं जायेगा क्योंकि जन्नत में तो लिबास ही रेशम का होगा। फिर अव्वलीन दुख़ूल मुराद होगा। गोया जन्नत में दुख़ूल से पहले का अ़र्सा वह रेशम से महरूम रहेगा। वल्लाहु आ़लम!

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَلِيفَةُ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، قَالَ لاَ تُلْبِسُوا نِسَاءَكُمُ الْحَرِيرَ فَإِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الآخِرَةِ " .

(5307) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) ने फ़रमायाः अपनी औ़रतों को रेशम न पहनाया करो। मैंने हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) को फ़रमाते हुये सुना कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'जो शख़्स दुनिया में रेशम पहनेगा, आख़िरत में नहीं पहनेगा।'

(5307) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5834, मुस्लिम, हदीस़: 11/2069.

फ़ायदा : 'अपनी औ़रतों को' हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) इस हुक्म को आ़म समझते थे जब

कि सही बात ये है कि रेशम की हुर्मत का हुक्म मर्दों के साथ ख़ास है। सही और सरीह अहादीस इस तख़्सीस पर दलालत करती हैं। ये सिर्फ़ हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) का मौक़िफ़ है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا حَرْبٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عِمْرَانُ بْنُ حِطَّانَ، أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ، فَقَالَ سَلْ عَائِشَةَ . فَسَأَلْتُ عَائِشَةَ قَالَتْ سَلْ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ . فَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ حَدَّثَنِي أَبُو حَفْصٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا فَلاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ

(5308) हज़रत इमरान बिन हित्तान से मरवी है कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से रेशम पहनने के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर(ﷺ) से पूछो। मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: मुझे हज़रत अबू हफ़्स (उमर बिन ख़त्ताब) (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स दुनिया में रेशम पहनेगा, उसका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।'

(5308) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5835.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'इमरान बिन हित्तान' मोतबर रावी हैं। ख़ारजी मज़हब रखते थे। बक़ौल कुछ बाद में ताइब हो गये। बिल फ़र्ज़ ताइब न भी हुये हों तो भी सच्चे आदमी की बात मोतबर होती है चाहे किसी अक़ीदे पर हो बशर्ते कि अपने मख़्सूस अक़ीदे की हिमायत में बयान न करे। **(2)** सहाबा का साइल को एक दूसरे के पास भेजना उस हुस्ने ज़न की बिना पर है कि दूसरा सहाबी मुझसे ज़्यादा इल्म रखता है और ये हुस्ने ज़न इल्म की दलील है वरना इल्म का पिन्दार (गुरूर) बसा औक़ात आलिम को ले डूबता है। अआज़नल्लाहु मिन्हू **(3)** 'अबू हफ़्स' ये हज़रत उमर (ﷺ) की कुनियत है जो उनकी बड़ी बेटी हज़रत हफ़्सा (ﷺ) उम्मुल मोमिनीन की निस्बत से मशहूर हुई। अरब में कुनियत से ज़िक्र करना एहतिराम की अलामत होता था। **(4)** 'कोई हिस्सा नहीं' ये अल्फ़ाज़ बतौर ज़ज्र व तौबीख़ और डाँट के हैं। ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मक़सूद नहीं होते। दीगर अहादीस इस तावील की ताईद करती हैं। किसी एक हदीस को बाक़ी अहादीस से अलग नहीं किया जा सकता। एक मसले के बारे में आने वाली तमाम रिवायात को मिलाकर नतीजा निकाला जाता है। (मसले की तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5297, 5306)

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ

(5309) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रेशम तो वह लोग पहनते हैं जिन का आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं।'

عَبْدِ اللَّهِ، وَبِشْرِ بْنِ الْمُحْتَفِزِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ ".

(5309) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/51, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9592.

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5297.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، سَنَةَ سَبْعٍ وَمِائَتَيْنِ قَالَ حَدَّثَنَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيٍّ الْبَارِقِيِّ، قَالَ أَتَتْنِي امْرَأَةٌ تَسْتَفْتِينِي فَقُلْتُ لَهَا هَذَا ابْنُ عُمَرَ . فَاتَّبَعَتْهُ تَسْأَلُهُ وَاتَّبَعْتُهَا أَسْمَعُ مَا يَقُولُ . قَالَتْ أَفْتِنِي فِي الْحَرِيرِ . قَالَ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم .

(5310) हज़रत अली बारिक़ी (رَحِمَهُ اللهُ) बयान करते हैं कि मेरे पास एक औरत मसला पूछने आई। मैंने उसे कहा: ये हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) तशरीफ़ फ़रमा हैं (उनसे पूछ) वह उनकी तरफ़ मसला पूछने चली और मैं भी उसके साथ चला ताकि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) का जवाब सुन सकूँ। वह उनसे कहने लगी: मुझे रेशम के बारे में फ़तवा दीजिये। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह(ﷺ) ने इससे मना फ़रमाया है।

(5310) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9593, 9594.

फ़ायदा : 'मना फ़रमाया है' यानी मर्दों को न कि औरतों को जैसे कि सही और सरीह अहादीस गुज़र चुकी हैं।

ذِكْرِ النَّهْيِ عَنِ الثِّيَابِ الْقَسِّيَّةِ

बाब : (91) क़स्सी कपड़े पहनने की मुमानिअत का बयान

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ نَهَانَا عَنْ خَوَاتِيمِ الذَّهَبِ وَعَنْ آنِيَةِ الْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ وَالْقَسِّيَّةِ وَالإِسْتَبْرَقِ وَالدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ .

(5311) हज़रत बराअ बिन आज़िब (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें सात कामों का हुक्म दिया और सात से मना फ़रमाया। आपने हमें सोने की अंगूठियों, चाँदी के बर्तनों, रेशमी गदीलों, क़स्सी कपड़ों, मोटे, बारीक और आम रेशम पहनने से मना फ़रमाया।

(5311) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1941.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़स्सी कपड़ों और रेशमी गदीलों की तफ़्सील के बारे में मुलाहिज़ा फ़रमायें, अहादीस़: 5168, 5169 (2) 'मोटे' बारीक और आम रेशम' अरबी में इस्तबरक़, दीबाज और हरीर के लफ़्ज़ आये हैं। ये तीनों रेशम की अक़्साम हैं। तफ़्सील अहादीस़ 5301, 5302 में गुज़र चुकी है। मक़सद ये है कि हर क़िस्म के रेशम के इस्तेमाल से मना फ़रमाया गया मगर ये मनाही मर्दों के लिये है, अलबत्ता चाँदी के बर्तनों और रेशमी गदीलों से मनाही मर्दों व औरतों सब के लिये है क्योंकि ये मुश्तरका इस्तेमाल की चीज़ें हैं।

बाब : (92) (मख़्सूस़ हालात में) रेशम पहनने की इजाज़त

باب(٩٢): الرُّخْصَةِ فِي لُبْسِ الْحَرِيرِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْخَصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِي قُمُصِ حَرِيرٍ مِنْ حِكَّةٍ كَانَتْ بِهِمَا.

(5312) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औफ़ और हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम (ﷺ) को ख़ारिश की बिना पर रेशम की क़मीस़ पहनने की इजाज़त दे दी थी।

(5312) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2919, मुस्लिम, हदीस़: 2076.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मर्दों के लिये भी कुछ हालतों में रेशम का इस्तेमाल जायज़ है, जैसे: अगर किसी को ख़ारिश हो तो बतौर इलाज रेशम का लिबास पहन सकता है। (2) ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि शरीयते मुतह्हरा इन्तेहाई आसान है, और इसके साथ साथ इसमें ज़रूरत मन्द और मुकल्लफ़ लोगों की सहूलत का भी पूरा पूरा लिहाज़ रखा गया है। (3) ये दौराने सफ़र का वाक़िया है, इसलिये कुछ फ़ुकहा ने ख़ारिश के साथ साथ सफ़र की शर्त भी लगाई है क्योंकि घर में तो ख़ारिश का और इलाज भी मुमकिन है। लेकिन राजेह बात यही है कि बतौर इलाज बहालते इक़ामत भी इसका इस्तेमाल जायज़ है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ فِي قُمُصِ حَرِيرٍ كَانَتْ بِهِمَا يَعْنِي لِحِكَّةٍ.

(5313) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हज़रत अ़ब्दुर्रहमान और ज़ुबैर (ﷺ) को ख़ारिश की वजह से रेशम की क़मीस़ पहनने की इजाज़त दी।

(5313) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें.

फ़ायदा : रेशम की क़मीस़ पहनने की इजाज़त है अगर ज़रूरत महसूस हो तो रेशम की शलवार वग़ैरह भी पहन सकता है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ كُنَّا مَعَ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ [illegible] قَالَ " لاَ يَلْبَسُ

(5314) हज़रत अबू उ़स्मान नहदी बयान करते हैं कि हम हज़रत उ़त्बा बिन फ़रक़द (ﷺ) के साथ थे कि हमारे पास (अमीरुल मोमिनीन) हज़रत उ़मर (ﷺ) की तहरीर पहुँची कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'रेशम तो वही शख़्स पहनता है जिसका आख़िरत में इस (रेशम) से कोई हिस़्सा नहीं,

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الدِّيبَاجِ إِلاَّ مَوْضِعَ أَرْبَعِ أَصَابِعَ .

(5315) हज़रत उमर (ﷺ) से रिवायत है कि (मर्दों को) रेशम पहनने की इजाज़त नहीं मगर चार उँगलियों के बराबर पट्टी।

(5315) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 15/2069.

फ़ायदा : साबिक़ा रिवायत में दो उँगली का ज़िक्र था, इसमें चार का है। जुम्हूर अहले इल्म चार उँगली की पट्टी को जायज़ समझते हैं, ज़्यादा को नहीं क्योंकि इससे ज़्यादा की इजाज़त मरवी नहीं।

باب(٩٣): لُبْسِ الْحُلَلِ

बाब : (93)
हुल्ले (उम्दा पोशाक या सूट) पहनना

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ حَمْرَاءُ مُتَرَجِّلاً لَمْ أَرَ قَبْلَهُ وَلاَ بَعْدَهُ أَحَدًا هُوَ أَجْمَلُ مِنْهُ .

(5316) हज़रत बराअ (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को सुर्ख़ हुल्ला पहने हुये देखा। आपने बालों को कंघी कर रखी थी। मैंने कोई शख़्स आपसे बढ़ कर ख़ूबसूरत नहीं देखा, न आपसे पहले न आपके बाद।

(5316) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5234.

फ़ायदा : हुल्ला दो चादरों के जोड़े को कहते हैं। एक तहबन्द, दूसरी ऊपर वाली चादर। अरब में ये बेहतरीन लिबास समझा जाता था। अगर हुल्ला रेशमी न हो तो पहनना जायज़ है।

باب(٩٤): لُبْسِ الْحِبَرَةِ

बाब: (94) धारीदार चादर पहनना जायज़ है

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ الْحِبَرَةَ .

(5317) हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया: नबी ए-अकरम (ﷺ) को सबसे पसन्दीदा कपड़ा धारीदार चादर थी।

तख़रीज: (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5813, मुस्लिम, हदीस: 33/2079

फ़ायदा : इस हदीसे मुबारका से वाज़ेह तौर पर मालूम होता है कि धारीदार कपड़े पहने जा सकते हैं। धारीदार कपड़ा जल्दी मैला महसूस नहीं होता। इसीलिये आपको वह ज़्यादा पसन्द था, और ऐसा कपड़ा देखने में भला महसूस होता है। वल्लाहु आलम!

बाब : (95) मुअस्फ़र (कुसम से रंगे हुये) कपड़े पहनने की मुमानिअत

ذِكْرِ النَّهْيِ عَنْ لُبْسِ الْمُعَصْفَرِ

(5318) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उन्हें मुअस्फ़र कपड़े पहने हुये देखा तो फ़रमाया: 'ये तो काफ़िरों का लिबास है। तू न पहन।'

(5318) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2077.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، رَآهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَقَالَ " هَذِهِ ثِيَابُ الْكُفَّارِ فَلاَ تَلْبَسْهَا" .

फ़ायदा : मुअस्फ़र से मुराद वह कपड़ा है जिसे अस्फ़र, यानी कसम्बे से रंगा गया हो। ये ज़र्द सुर्ख़ सा रंग होता है। देखने में अजीब सा लगता है। मर्दों की मर्दांगी के ख़िलाफ़ है। बावक़ार नहीं, इसलिये आपने उससे मना फ़रमाया। हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से इस रंग के कपड़े पहनना मज़्कूर है। मुमकिन है उनको मनाही का इल्म न हो।

(5319) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये जबकि उन्होंने मुअस्फ़र कपड़े पहन रखे थे। नबी-ए-अकरम (ﷺ) (देख कर) नाराज़ हुये और फ़रमाया: 'जा उनको उतार फेंक' उन्होंने अर्ज़ की: कहाँ फेंकूँ? फ़रमाया: 'आग में।'

(5319) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2077, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنِي حَاجِبُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ مُعَصْفَرَانِ فَغَضِبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَقَالَ " اذْهَبْ فَاطْرَحْهُمَا عَنْكَ " . قَالَ أَيْنَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " فِي النَّارِ "

फ़ायदा : 'आग में' और हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) ने वाक़ेअतन उनको तन्नूर में जला डाला। (ﷺ). अगरचे मुमकिन है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने गुस्से में फ़रमाया हो और आपका मक़सद ये न हो क्योंकि ऐसा कपड़ा औरत इस्तेमाल कर सकती है, लिहाज़ा वह घर की औरतों को दिया जा सकता है। शायद उसकी वज़अ (बनावट) ऐसी हो कि वह औरतों के इस्तेमाल में न आ सकता हो। वरना माल ज़ाया करना दुरुस्त नहीं, जैसे आपने सोने की अंगूठी के बारे में फ़रमाया कि मेरा मक़सद उसे ज़ाया करने का नहीं था। देखिये: (हदीस: 5192) लेकिन दोनों वाक़ियात में सहाबी की नियत नेक थी और आपके ज़ाहिर अल्फ़ाज़ ज़ाया करने का तास्सुर देते थे, इसलिये उनका ये काम मूजिबे अज्र व सवाब और बाइसे फ़ज़ीलत है कि उन्होंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) की नाराज़ी के मद्दे नज़र अपने माली नुक़सान की परवाह न की।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيًّا، يَقُولُ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَاتَمِ الذَّهَبِ وَعَنْ لَبُوسِ الْقَسِّيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ وَأَنَا رَاكِعٌ

(5320) हज़रत अली (ﷺ) फ़रमाया करते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे सोने की अंगूठी, क़स्सी और मुअस्फ़र कपड़े पहनने और दौराने रुकूअ (और सुजूद) क़ुर्आन मजीद पढ़ने से मना फ़रमाया।

(5320) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 1044.

बाब : (96) सब्ज़ कपड़े पहनना

باب(٩٦): لُبْسِ الْخُضْرِ مِنَ الثِّيَابِ

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نُوحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبِي رِمْثَةَ، قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَخْضَرَانِ .

(5321) हज़रत अबू रिम्सा (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) (एक दफ़ा घर से) बाहर तशरीफ़ लाये जबकि आपने दो सब्ज़ चादरें पहन रखी थीं।

(5321) **तख़रीज : (सनद सही)** देखें, हदीस: 1573.

बाब : (97) स्याह धारीदार चादरें पहनना

باب(٩٧): لُبْسِ الْبُرُودِ

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ

(5322) हज़रत ख़ब्बाब बिन अरत (ﷺ) ने फ़रमाया: हमने रसूलुल्लाह (ﷺ) से (कुफ़्फ़ार की तरफ़ से पहुँचने वाली तकालीफ़ की) शिकायत

حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ خَبَّابِ بْنِ الأَرَتِّ، قَالَ شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا أَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا أَلاَ تَدْعُو اللَّهَ لَنَا

की। आप उस वक़्त काबे के साये में एक स्याह धारीदार चादर को तकिया बना कर लेटे हुये थे। हमने कहा: आप हमारे लिये अल्लाह तआला से मदद व नुस्रत तलब नहीं फ़रमाते? हमारे लिये अल्लाह तआला से दुआ नहीं फ़रमाते?

(5322) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3612.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तर्जुमतुल बाब के साथ हदीस की मुनासिबत इस तरह बनती है कि आपने ऐसी धारीदार चादर को बतौर तकिया इस्तेमाल किया। इससे मालूम होता है जो चादर बतौर तकिया इस्तेमाल हो सकती है वह पहनी भी जा सकती है। **(2)** ये हदीसे मुबारका इस चीज़ पर वाज़ेह तौर पर दलालत करती है कि दावत इलल्लाह और तब्लीग़े दीन में बे पनाह मुश्किलात और आज़माइशें आ सकती हैं, लिहाज़ा ऐसी सूरते हाल दरपेश हो तो सब्र का दामन किसी भी सूरत में हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह की राह में मुक़द्दर बनने वाली मुश्किलात पर सब्र करने वालों को इज़्ज़त व नुस्रत और मोहब्बते इलाही की बशारत मुबारक हो। **(3)** रिवायत तवील है। मुसन्निफ़(رحمه الله) ने मुताल्लिक़ा हिस्से का ज़िक्र फ़रमा दिया। **(4)** 'स्याह धारीदार चादर' ये तर्जुमा है अरबी लफ़्ज़ बुर्दा का। ये चादरें ऐसी होती थीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ جَاءَتِ امْرَأَةٌ بِبُرْدَةٍ - قَالَ سَهْلٌ - هَلْ تَدْرُونَ مَا الْبُرْدَةُ قَالُوا نَعَمْ هَذِهِ الشَّمْلَةُ مَنْسُوجٌ فِي حَاشِيَتِهَا . فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَسَجْتُ هَذِهِ بِيَدِي أَكْسُوكَهَا فَأَخَذَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْتَاجًا إِلَيْهَا فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَإِنَّهَا لإِزَارُهُ .

(5323) हज़रत सहल बिन सअद (ﷺ) ने फ़रमाया: एक औरत एक 'बुर्दा' लेकर आई .. फिर हज़रत सहल ने शागिर्दों से पूछा: क्या तुम जानते हो, बुर्दा क्या होती है? उन्होंने कहा: जी हाँ! यही स्याह धारीदार चादर जिसका किनारा भी साथ ही बुना गया हो .... और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैंने ये चादर अपने हाथ से बुनी है। मैं आपको पहनने के लिये पेश करती हूँ। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे ले लिया जबकि आपको इसकी ज़रूरत भी थी। फिर आप (घर से होकर) हमारी तरफ़ तशरीफ़ लाये तो आपने उसे बतौर इज़ार (तहबन्द) बाँध रखा था।

(5323) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2093.

फ़ायदा : हाकिमे वक़्त रिआया की तरफ़ से तोहफ़ा क़बूल कर सकता है, और इससे स्याह धारीदार चादर के इस्तेमाल का जवाज़ भी मालूम हुआ।

बाब : (98) सफ़ेद कपड़े पहनने का हुक्म

الأَمْرِ بِلُبْسِ الْبِيضِ مِنَ الثِّيَابِ

(5324) हज़रत समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमायाः 'सफ़ेद कपड़े पहना करो। वह ज़्यादा पाकीज़ा और साफ़ सुथरे रहते हैं और अपने फ़ौत शुदगान को भी इन्हीं में कफ़नाओ।'

(5324) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीसः 1897, तिर्मिज़ी, हदीसः 2810.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ " . قَالَ يَحْيَى لَمْ أَكْتُبْهُ . قُلْتُ لِمَ قَالَ اسْتَغْنَيْتُ بِحَدِيثِ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَبِيبٍ عَنْ سَمُرَةَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) अम्र यहाँ इस्तेहबाब के मानी में है, यानी सफ़ेद कपड़े ही पहनना ज़रूरी नहीं बल्कि दूसरे मुबाह रंगों के कपड़े भी जायज़ हैं क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने दूसरे रंगों के कपड़े भी इस्तेमाल किये और सहाबा भी करते थे, यही हुक्म कफ़न का है। **(2)** 'पाकीज़ा और साफ़ सुथरे' क्योंकि सफ़ेद रंग में दाग़ धब्बा बहुत जल्द नज़र आ जाता है। उसे जितना ज़्यादा धोया जायेगा, उतना ही पाकीज़ा और साफ़ सुथरा रहेगा जब कि कुछ रंगों में मैल कुचेल नज़र नहीं आता ख़्वाह अर्स-ए-दराज़ तक ऐसे कपड़े न धोये जायें। हक़ीक़तन वह गन्दे और बसा औक़ात पलीद भी रहते हैं। **(3)** 'फ़ौत शुदगान' क्योंकि उनके लिये सादगी और सफ़ाई दोनों मुनासिब हैं। और सफ़ेद कपड़े में ये दोनों वस्फ़ बदर्जे-ए-अतम्म (खुब) पाये जाते हैं।

(5325) हज़रत समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'सफ़ेद कपड़े पहना करो। ज़िन्दा लोग भी इसे पहनें और फ़ौत शुदगान को भी उन्हीं में कफ़न दो। ये बेहतरीन कपड़े हैं।'

(5325) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 5/21, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " عَلَيْكُمْ بِالْبَيَاضِ مِنَ الثِّيَابِ فَلْيَلْبَسْهَا أَحْيَاؤُكُمْ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ

बाब : (99) क़बाएँ पहनना

باب(٩٩): لُبْسِ الأَقْبِيَةِ

(5326) हज़रत मिस्वर बिन मख़रमा (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने क़बाएँ तक़्सीम कीं लेकिन (मेरे वालिद) हज़रत मुख़रमा को कुछ न दिया तो हज़रत मख़रमा (ﷺ) ने कहा: बेटा! आओ रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास चलें। मैं उनके साथ चल पड़ा (वहाँ पहुँच कर) उन्होंने कहा: जाओ आप (ﷺ) को बाहर बुलाओ। मैंने आपको बुलाया तो आप तशरीफ़ ले आये तो आप पर उनमें से एक क़बा थी। आपने फ़रमाया: 'मैंने ये तुम्हारे लिये छुपा रखी थी।' वालिदे मोहतरम हज़रत मख़रमा (ﷺ) ने इसे देखा और पहन लिया।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْبِيَةً وَلَمْ يُعْطِ مَخْرَمَةَ شَيْئًا فَقَالَ مَخْرَمَةُ يَا بُنَىَّ انْطَلِقْ بِنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ قَالَ ادْخُلْ فَادْعُهُ لِي . قَالَ فَدَعَوْتُهُ فَخَرَجَ إِلَيْهِ وَعَلَيْهِ قِبَاءٌ مِنْهَا فَقَالَ " خَبَّأْتُ هَذَا لَكَ " . فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَلَبِسَهُ مَخْرَمَةُ.

(5326) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2599, मुस्लिम, हदीस: 1058.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने जो तर्जुमतुल बाब क़ाइम किया है उसका मक़सद ये मसला बयान करना है कि चोग़ा, लम्बी और खुली क़मीस़ और ओवर कोट वग़ैरह पहनना जायज़ और दुरुस्त है, अलबत्ता इसमें ये ख़याल रखना ज़रूरी है कि मर्द जब ऐसा लिबास पहनें तो उनके टख़ने हर सूरत में नंगे होने चाहिए क्योंकि मर्दों के लिये टख़ने से नीचे कपड़ा लटकाना हराम और नाजायज़ है। **(2)** हज़रत मख़रमा (ﷺ) नाबीने थे, इसलिये वह अपने बेटे के हमराह नबी-ए अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने ग़रीब और नाबीने स़हाबी की दिलजोई फ़रमाई और उन्हें क़बा पेश फ़रमाई और साथ ये भी फ़रमाया कि ये हमने तुम्हारे लिये छुपा रखी थी ताकि उसकी तालीफ़े क़ल्ब हो। (ﷺ). **(3)** कुछ लोगों ने हज़रत मिस्वर के स़हाबी होने का इन्कार किया है लेकिन इस हदीस़ से उन लोगों की तर्दीद होती है। ये हदीस़ हज़रत मिस्वर (ﷺ) के स़हाबी होने की स़रीह दलील है। वल्लाहु आलम! **(4)** क़बा क़मीस़ की तरह होती है मगर क़मीस़ से लम्बी और खुली होती है, और ओवर कोट की तरह। इसके बटन नहीं होते।

बाब : (100) शलवार पहनना भी जायज़ है

باب(١٠٠): لُبْسِ السَّرَاوِيلِ

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ " مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ " .

(5327) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को अ़रफ़ात में फ़रमाते सुना: 'जो शख़्स़ (एहराम की हालत में) तहबन्द न पाये, वह शलवार पहन सकता है और जो शख़्स़ जूते न पाये, वह मोज़े पहन सकता है।'

(5327) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 2672.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सद ये है कि अगर एहराम के लिये अन सिली चादरें मयस्सर न हों तो मर्दों के लिये शलवार पहनना जायज़ है। याद रहे कि ये सिर्फ़ मजबूरी की हालत में है, आम हालात में ऐसा करना दुरुस्त नहीं। (2) इस हदीस़े मुबारका से ये अहम मसला मालूम हुआ कि अगर किसी के पास जूते न हों तो वह उनकी जगह मोज़े पहन सकता है, ख़्वाह वह कटे हुये हों या कटे हुये न हों क्योंकि ये हदीस़ बाद की है, यानी ये हज्जतुल विदा का वाक़िया है। तो जब उसमें काटने का ज़िक्र नहीं तो ये इस बात की दलील है कि साबिक़ा काटने का हुक्म मन्सूख़ है, ये राय हनाबला की है। जुम्हूर अहले इल्म की राय ये है कि अगर मुहरिम मोज़े पहने तो उन्हें काट ले क्योंकि दीगर अहादीस़ में काटने का ज़िक्र है। वल्लाहु आलम!

बाब : (101) तहबन्द को घसीटने पर सख़्त वईद

باب(١٠١): التَّغْلِيظِ فِي جَرِّ الإِزَارِ

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمًا، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " بَيْنَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " .

(5328) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एक दफ़ा एक शख़्स़ तकब्बुर से अपना तहबन्द ज़मीन पर घसीटता जा रहा था कि उसे ज़मीन में धँसा दिया गया। वह क़यामत तक ज़मीन में धँसता ही रहेगा।'

(5328) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 3485.

फ़वाइद व मसाइल : (1) तहबन्द, शलवार और पेंट वग़ैरह ज़मीन पर घसीट कर चलना कबीरा गुनाह है जिसकी तफ़्सील दर्ज ज़ेल है: जो शख़्स अपना कपड़ा (तहबन्द, शलवार और पेंट वग़ैरह) ज़मीन पर घसीट कर चलता है तो उसकी दो ही वजहें हो सकती हैं: एक तो ये कि ऐसा करने वाला शख़्स अज़ राहे तकब्बुर ही इस तरह करता है। ये शरअन नाजायज़ और हराम है और क़यामत वाले दिन ऐसे शख़्स की तरफ़ अल्लाह तआला नज़रे रहमत से नहीं देखेगा, न ऐसे शख़्स से कलाम फ़रमायेगा और न उसे पाक ही करेगा बल्कि उसके लिये दर्दनाक अज़ाब होगा। देखिये: (सहीह मुस्लिम, हदीस: 293, 294) दूसरी वजह ग़फ़लत व सुस्ती और मुदाहनत है। अहकामे शरीयत की बजा आवरी में सुस्ती व ग़फ़लत और मुदाहनत भी जुर्म है, इसलिये ऐसे शख़्स की बाबत रसूलुल्लाह(ﷺ) का वाज़ेह फ़रमान है: 'टख़नों से नीचे जहाँ तक तहबन्द होगा तो वह (हिस्स-ए जिस्म) जहन्नम की आग में जलेगा।' (सहीह बुख़ारी, हदीस: 578) ये बात याद रहे कि चार क़िस्म के लोग इस वईदे शदीद से मुस्तस्ना हैं: ❍ औरतें कि उनको हुक्म है कि वह अपना कपड़ा इतना नीचे करें कि चलते वक़्त पाँव नंगे न हों। ❍ उठते वक़्त बेख़याली में कपड़ा टख़नों से नीचे हो जाये। ❍ किसी का पेट और तौंद बड़ी हो या कमर पतली हो और कोशिश के बावजूद कभी कभार कपड़ा टख़नों से नीचे हो जाये। ❍ पाँव पर या टख़ने से नीचे कोई ज़ख़्म हों तो गर्दो गुबार और मक्खियों से हिफ़ाज़त के पेशे नज़र कपड़ा नीचे करना। देखिये: (मुख़्तसर सहीह बुख़ारी (उर्दू) फ़वाइद हदीस: 1984) **(2)** 'एक शख़्स' ये शख़्स उम्मते मुस्लिमा से नहीं बल्कि बनी इस्राईल से था। ज़ाहिर तो यही है कि क़ारून के अलावा कोई और शख़्स होगा। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، ح وَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ - أَوْ قَالَ إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ - مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(5329) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा ज़मीन पर घसीटता है, क़यामत के दिन अल्लाह तआला उसे (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा।'

(5329) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 42/2085, बुख़ारी, हदीस: 5791.

फ़ायदा : 'अपना कपड़ा' गोया इज़ार के अलावा क़मीस या चादर को भी ज़मीन पर घसीटना जायज़ नहीं जब कि कुछ फ़ुक़हा ने यहाँ कपड़े से मुराद तहबन्द ही लिया है। गोया क़मीस लटका सकता है मगर ये इस सरीह और वाज़ेह हुक्मे शरीयत के ख़िलाफ़ है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنْ مَخِيلَةٍ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(5330) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा ज़मीन पर घसीटेगा, अल्लाह (ﷻ) क़यामत के दिन उसको (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा।'

(5330) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5791, मुस्लिम, हदीस: 42/2085.

फ़ायदा : मज़्कूरा अहादीस में तकब्बुर की क़ैद इत्तेफ़ाक़ी है क्योंकि दूसरी हदीस में सराहत है कि लटकाना अज़ ख़ुद तकब्बुर है।

باب(١٠٢): مَوْضِعُ الإِزَارِ

बाब : (102) तहबन्द कहाँ होना चाहिए?

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ نُذَيْرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَوْضِعُ الإِزَارِ إِلَى أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ وَالْعَضَلَةِ فَإِنْ أَبَيْتَ فَأَسْفَلَ فَإِنْ أَبَيْتَ فَمِنْ وَرَاءِ السَّاقِ وَلاَ حَقَّ لِلْكَعْبَيْنِ فِي الإِزَارِ " . وَاللَّفْظُ لِمُحَمَّدٍ .

(5331) हज़रत हुज़ैफ़ा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहबन्द की जगह निस्फ़ पिण्डली है। जहाँ मोटा पट्ठा होता है। अगर तू वहाँ तक नहीं चाहता तो कुछ नीचा कर ले और अगर तू वहाँ भी नहीं रखना चाहता तो पिण्डली से नीचे कर ले। लेकिन तहबन्द का टख़नों पर कोई हक़ नहीं।'

ये अल्फ़ाज़ उस्ताद मुहम्मद (इब्ने कुदामा) के हैं।

(5331) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1783.

फ़ायदा : इज़ार से घुटने ढाँपना ज़रूरी है। किसी भी हालत में रुकूअ, सज्दे, काम काज वग़ैरह के दौरान में घुटने नज़र नहीं आने चाहिए और टख़ने हर हाल में नंगे रहने चाहिए। निस्फ़ पिण्डली से ऊपर रखना भी दुरुस्त नहीं और टख़नों से नीचे रखना भी। मौसम और रस्म व रिवाज की बिना पर उनके दरम्यान जहाँ मुनासिब समझे, रख लें शलवार भी इज़ार के हुक्म में दाख़िल है, लिहाज़ा इसे भी टख़नों से ऊपर रखना चाहिए। ख़ूबसूरती अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) की इताअत ही में है।

बाब : (103) तहबन्द टख़नों से नीचे हो तो?

مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ

(5332) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इज़ार टख़नों से नीचा हो तो इतनी जगह आग में जलेगा।'

(5332) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/255, मुसनद अहमद: 2/255, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9711.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو يَعْقُوبَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا تَحْتَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ " .

फ़ायदा : ये सज़ा तहबन्द टख़नों से नीचा रखने की है, ख़्वाह तकब्बुर के बग़ैर हो। मगर ये कि सुस्ती से कभी कभार तहबन्द नीचा हो जाये और तवज्जो होने पर फ़ौरन ऊँचा कर लिया जाये तो फिर ये वईद और सज़ा नहीं होगी। वल्लाहु आलम!

(5333) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तहबन्द टख़नों से नीचा हो तो वह जगह आग में जायेगी।'

(5333) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5787, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9705.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، وَقَدْ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ "

फ़ायदा : 'आग में जायेगी' गोया वह शख़्स आग में जायेगा, अलबत्ता आग मुताल्लिक़ा हिस्से तक ही होगी। जब तक सज़ा पूरी नहीं होगी, वह जन्नत में नहीं जा सकेगा।

बाब : (104) तहबन्द टख़नों से नीचे लटकाना

باب(١٠٤): إِسْبَالُ الإِزَارِ

(5334) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला तहबन्द लटकाने वाले की तरफ़ (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा।'

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جَدِّي، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَشْعَثَ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ

جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنْظُرُ إِلَى مُسْبِلِ الإِزَارِ " .

(5334) तख़रीज : (सनद सह़ी) मुसनद अहमद: 1/321.

أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مِهْرَانَ الأَعْمَشَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى وَالْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ " .

(5335) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तीन शख़्स ऐसे हैं कि अल्लाह तआला क़यामत के दिन उनसे कलाम नहीं फ़रमायेगा, न उनको गुनाहों से पाक करेगा और उनके लिये दर्दनाक अज़ाब होगा। अपने अतिये का एहसान जतलाने वाला, तहबन्द (टख़नों से नीचे) लटकाने वाला और अपना सामान झूठी क़सम खा कर बेचने वाला।'

(5335) तख़रीज : (सनद सह़ी) देखें, हदीस़: 2565.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الإِسْبَالُ فِي الإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلاَءَ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "

(5336) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इस्बाल (लटकाना) तहबन्द, क़मीस़ और पगड़ी सब में होता है। जो शख़्स़ उनमें से किसी भी चीज़ को तकब्बुर के साथ ज़मीन पर घसीटेगा, अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसकी तरफ़ (नज़रे रहमत से) नहीं देखेगा।'

(5336) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद: 4094.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لاَ يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

(5337) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स़ तकब्बुर के साथ अपना कपड़ा (ज़मीन पर) घसीटेगा, अल्लाह तआला क़यामत के दिन उसकी तरफ़ नहीं देखेगा।' हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल मेरे तहबन्द का एक

قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّىْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاَءَ " .

पल्लू लटक जाता है मगर ये कि मैं (हर वक़्त) उसका ख़्याल रखूँ। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू उन लोगों में शामिल नहीं जो ये काम तकब्बुर से करते हैं।'

(5337) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3665.

फ़ायदा : मालूम हुआ कि तहबन्द लटकाने की ऊपर दी गई सज़ा मुतकब्बिर शख़्स के लिये है या जिसने उसे आदत बना रखा हो। अगर कभी कभार बेइख़्तियारी या सुस्ती से किसी का तहबन्द लटक जाये और तवज्जो होने पर वह उसे ऊँचा भी कर ले तो माफ़ है। वल्लाहु आलम!

باب(١٠٥): ذُيُولِ النِّسَاءِ

बाब : (105) औरतों को दामन लटकाने की इजाज़त है

أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلاَءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ " . قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَكَيْفَ تَصْنَعُ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ قَالَ " تُرْخِينَهُ شِبْرًا " . قَالَتْ إِذًا تَنْكَشِفَ أَقْدَامُهُنَّ . قَالَ " تُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لاَ تَزِدْنَ عَلَيْهِ " .

(5338) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स तकब्बुर से अपना कपड़ा लटकाये, अल्लाह तआला उसकी तरफ़ (रहमत की नज़र से) नहीं देखेगा।' हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! औरतें अपने दामनों से क्या सुलूक करें? आपने फ़रमाया: 'वह (मर्दों से) एक बालिश्त नीचा रख लें।' उन्होंने कहा: फिर तो उनके पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमाया: 'फिर वह एक हाथ लटका लें लेकिन उससे ज़्यादा नहीं।'

(5338) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1731, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 11/82, 83, हदीस: 1984, मुस्लिम, हदीस: 2085, बुख़ारी, हदीस: 5783.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'एक बालिश्त' यानी निस्फ़ पिण्डली से एक बालिश्त नीचे, तभी पाँव नंगे होंगे अगर टख़नों से बालिश्त नीचे हो तो पाँव ढाँके जायेंगे। 'एक हाथ' से मुराद भी निस्फ़ पिण्डली से नीचे एक हाथ है। इस सूरत में दामन ज़मीन पर घसीटने लगेगा और पाँव भी नंगे नहीं होंगे, ख़्वाह औरत चल ही रही हो। (2) 'नंगे होंगे' गोया औरतों के लिये मुनासिब है कि उनके क़दम भी नंगे न हों, अलबत्ता क़दम ढाँकना ज़रूरी नहीं क्योंकि आपने एक बालिश्त नीचे रखने ही को ज़रूरी क़रार दिया है। (3) 'एक हाथ'

अ़रबी में लफ़्ज़ ज़िराअ़ इस्तेमाल किया गया है, यानी कुहनी की हड्डी के किनारे से दरम्यानी उँगली के बालाई किनारे तक। अ़रबी में इस फ़ासले को ज़िराअ़ कहते हैं। उर्दू में इसे हाथ कह लेते हैं।

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ مَزْيَدٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّهَا ذَكَرَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذُيُولَ النِّسَاءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " يُرْخِينَ شِبْرًا ". قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا . قَالَ " تُرْخِي ذِرَاعًا لاَ تَزِيدُ عَلَيْهِ".

(5339) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने औ़रतों के दामन का मसला ज़िक्र किया तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'वह एक बालिश्त लटका लें।' हज़रत उम्मे सलमा ने कहा: फिर तो उनके पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमाया: 'फिर एक हाथ लटका लें। उससे ज़्यादा न लटकायें।'

(5339) तख़रीज : (सनद सही) देखेयं, हदीस: 5341.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمَّا ذَكَرَ فِي الإِزَارِ مَا ذَكَرَ قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فَكَيْفَ بِالنِّسَاءِ قَالَ " يُرْخِينَ شِبْرًا ". قَالَتْ إِذًا تَبْدُوَ أَقْدَامُهُنَّ . قَالَ " فَذِرَاعًا لاَ يَزِدْنَ عَلَيْهِ " .

(5340) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि जब नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इज़ार के बारे में मसला ज़िक्र फ़रमाया तो हज़रत उम्मे सलमा ने कहा: औ़रतें क्या करें? आपने फ़रमाया: 'एक बालिश्त नीचा रख लें।' वह कहने लगीं: फिर तो उनके पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमाया: 'फिर एक हाथ नीचा कर लें। इससे ज़्यादा न करें।'

(5340) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 4117, इब्ने माजा, हदीस: 1451, तिर्मिज़ी, हदीस: 1731 वग़ैरहुम.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا النَّضْرُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، - وَهُوَ ابْنُ سُلَيْمَانَ - قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كَمْ تَجُرُّ الْمَرْأَةُ مِنْ ذَيْلِهَا قَالَ " شِبْرًا " . قَالَتْ إِذًا يَنْكَشِفَ عَنْهَا . قَالَ " ذِرَاعٌ لاَ تَزِيدُ عَلَيْهَا " .

(5341) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछा गया, औ़रत अपना दामन किस क़द्र नीचा कर सकती है? आपने फ़रमाया: 'एक बालिश्त' उन्होंने कहा: फिर तो उसके पाँव नंगे होंगे। आपने फ़रमाया: 'एक हाथ नीचा कर ले इससे ज़्यादा न करे।'

(5341) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 3580.

बाब : (106) इश्तेमाले सम्मा की मुमानिअत

باب(١٠٦): النَّهْيِ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

(5342) हज़रत अबू सईद (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इश्तेमाल सम्मा और एक कपड़े में इस तरह गोठ मारने से मना फ़रमाया है कि उसकी शर्मगाह पर कुछ न रहे।

(5342) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 367.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इश्तेमाले सम्मा लुग़त में तो इससे मुराद इस तरह बुकुल मारना है कि हाथ वग़ैरह बन्द हो जायें और ज़रूरत पड़ने पर आसानी से हाथ बाहर न निकल सकें जबकि पंजाबी में उसे 'बोली बुकुल' कहते हैं। अल्लाह न करे आदमी गिरने लगे तो हाथों से बचत न हो सके। कोई मार कर भागे तो पकड़ न सके। मगर फ़ुक़हा ने इसका मतलब ये बताया है कि जिस्म पर एक ही कपड़ा लपेटा हो, कोई और कपड़ा न हो। फिर उसे भी एक जानिब से उठा कर कंधे पर डाल ले और दूसरी तरफ़ से नंगा हो जाये और फ़र्ज़ पर्दा क़ाइम न रहे। ये सूरत तो बिल इत्तेफ़ाक़ हराम है क्योंकि नंगा होना जायज़ नहीं। पहली सूरत भी मुनासिब नहीं। अगरचे शरअन कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता नमाज़ में ये सूरत सही नहीं क्योंकि बार बार बुकुल को ठीक करना पड़ेगा और कपड़ा उतारता रहेगा। नमाज़ की बजाये तवज्जा कपड़े को दुरुस्त करने की तरफ़ रहेगी। **(2)** 'गोठ मारना' ऊपर वाली चादर को कमर और दोनों घुटनों के इर्द गिर्द बाँध लेना जब कि घुटने खड़े हों और मक़अद और पाँव ज़मीन पर हों। इसमें भी बुकुल वाली ख़राबी है कि आदमी मुक़य्यद सा हो जाता है। जल्दी उठना पड़े तो मुश्किल पेश आती है, और चादर वग़ैरह की सूरत में सतर खुलने का भी अन्देशा है।

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ .

(5343) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस तरह इश्तेमाले सम्मा और एक कपड़े में गोठ मारने से मना फ़रमाया है कि उसकी शर्मगाह पर कोई पर्दा न रहे।

(5343) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6284.

बाब : (107) एक कपड़े में गोठ मारने की मुमानिअत

النَّهْيِ عَنِ الاِحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ .

(5344) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इश्तेमाले सम्मा और एक कपड़े में गोठ मारने से मना फ़रमाया है।

(5344) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 72/2099.

फ़ायदा : मालूम हुआ अगर पूरे कपड़े पहने हों और किसी ज़ाइद कपड़े से गोठ मारे जिससे पर्दे पर कोई असर न पड़े तो कोई हर्ज नहीं।

बाब : (108) स्याही माइल पगड़ी पहनना

باب(١٠٨): لُبْسِ الْعَمَائِمِ الْحَرْقَانِيَّةِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَأَيْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ عِمَامَةً حَرْقَانِيَّةً .

(5345) हज़रत अम्र बिन हुरैस (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) को स्याही माइल पगड़ी पहने देखा।

(5345) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1359.

फ़ायदा : 'स्याही माइल' अरबी में लफ़्ज़ हरक़ानिया इस्तेमाल फ़रमाया गया है जो हिरक़ से है। इसके मानी आग में जलना है। गोया ऐसा रंग जो आग में जली हुई चीज़ के रंग जैसा हो। उसे स्याही माइल कहा गया क्योंकि ज़रूरी नहीं, वह ख़ालिस स्याह हो।

बाब : (109) ख़ालिस स्याह रंग की पगड़ी पहनना

باب(١٠٩): لُبْسِ الْعَمَائِمِ السُّودِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ .

(5346) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़तहे मक्का के दिन एहराम के बग़ैर (मक्का मुकर्रमा में) दाख़िल हुये जबकि आप (के सर मुबारक) पर स्याह पगड़ी थी।

(5346) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2872.

फ़ायदा : 'एहराम के बग़ैर' क्योंकि एहराम में सर ढाँपना मना है। मालूम हुआ अगर कोई शख़्स हज या

उम्रे का इरादा न रखता हो, किसी और काम से मक्का मुकर्रमा जाना चाहता हो और वह मीक़ात से बाहर रहता हो तो उसे मीक़ात से गुज़रते वक़्त एहराम बाँधना ज़रूरी नहीं। अहनाफ़ ने यहाँ सख़्ती बरती है कि जो भी शख़्स मक्का मुकर्रमा जाना चाहता हो और वह मीक़ात से बाहर रहता हो तो मीक़ात से गुज़रते वक़्त उसके लिये एहराम बाँधना ज़रूरी है। हज या उम्रे का इरादा हो या न। इस हदीस़ को वह आपका ख़ास्सा बनाते हैं मगर ये बात कमज़ोर है। और स़रीह अहादीस़ के ख़िलाफ़ है क्योंकि स़ही अहादीस़ में ये स़राहत है कि मीक़ात उस शख़्स के लिये हैं जो हज या उम्रे का इरादा रखता हो। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज व उम्रे की सआदत हासिल करने के लिये मुख़्तलिफ़ अतराफ़ से मक्का मुअज़्ज़मा आने वाले मुख़्तलिफ़ लोगों के लिये मीक़ात (एहराम बाँधने की जगहें) मुक़र्रर फ़रमाईं तो इरशाद फ़रमाया: 'ये मीक़ात उन इलाक़ों के बासियों के लिये हैं, और उन लोगों के लिये भी जो किसी दूसरी जगह से आते हैं, उन इलाक़ों के बासी नहीं। (ये मीक़ात) हर उस शख़्स के लिये जो हज व उम्रे का इरादा करता है।' (स़हीह बुख़ारी, हदीस़: 1526, व स़हीह मुस्लिम, हदीस़: 1181) मालूम हुआ अगर कोई शख़्स हज व उम्रा न करना चाहे तो उसके लिये ये मीक़ात भी नहीं और न उसके लिये यहाँ से गुज़रते हुये एहराम बाँधना ही ज़रूरी है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

(5347) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: नबी ए-अकरम (ﷺ) फ़तहे मक्का के दिन मक्का मुकर्रमा में दाख़िल हुये जबकि आपने स्याह पगड़ी ज़ेब तन कर रखी थी।

(5347) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1358, पिछली हदीस़ देखें: 5245.

إِرْخَاءِ طَرَفِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ الْكَتِفَيْنِ

बाब : (110)
पगड़ी का शम्ला कंधों के दरम्यान लटकाना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ مُسَاوِرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَأَنِّي أَنْظُرُ السَّاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرْخَى طَرَفَهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ .

(5348) हज़रत अम्र बिन उमैया (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: मुझे ऐसे महसूस होता है कि मैं अब भी रसूलुल्लाह (ﷺ) को मिम्बर पर रौनक़ अफ़रोज़ देख रहा हूँ जबकि आप पर स्याह पगड़ी है और आपने उसका शम्ला अपने दोनों कंधों के दरमियान लटका रखा है।

(5348) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 453/1359, हदीस़ देखें: 5345.

फ़ायदा : पगड़ी बाँधने का अन्दाज़ रिवाजी मसला है। किसी इलाक़े में जिस तरह पगड़ी बाँधी जाती हो, जायज़ होगी क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पगड़ी बाँधने का कोई ख़ुसूसी तरीक़ा बयान नहीं फ़रमाया। लेकिन बेहतर तरीक़ा वही है जो आप (ﷺ) ने इख़्तियार फ़रमाया। अगर इत्तिबा की नियत है तो इसमें भी इन्शाअल्लाह सवाब होगा, हाँ ग़ुलू और अलामती पगड़ी से परहेज़ ज़रूरी है, अगर किसी इलाक़े में मुसलमान और काफ़िर इकट्ठे रहते हों तो मुसलमानों का अन्दाज़ कुफ़्फ़ार से मुख़्तलिफ़ होना चाहिए ताकि इम्तियाज़ क़ाइम रहे।

बाब : (111) तस्वीरों का बयान

باب(١١١): التَّصَاوِيرِ

(5349) हज़रत अबू तल्हा (رضی الله عنه) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता या सूरत (तस्वीर) हो।'

(5349) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4287.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةٌ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुत्ता घर में रखने की इजाज़त नहीं। अगर ज़रूरत की बिना पर रखा जाये तो खेतों और बाड़ों में रखा जा सकता है। घर में नहीं क्योंकि घर में उसका कोई काम नहीं। (तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 4281 से 4296) **(2)** तस्वीर से मुराद किसी ज़ी रूह की मसनूई तस्वीर है जो इज़्ज़त व एहतिराम के साथ रखी गई हो, ख़्वाह वह मुजस्समे की सूरत में हो या किसी काग़ज़, दीवार या कपड़े पर बनाई गई हो। फिर हाथ से बनाई गई हो या किसी आले और मशीन के ज़रिये से क्योंकि उमूमन तसावीर बेफ़ायदा बनाई जाती हैं या ताज़ीम की ख़ातिर। पहली सूरत में इस्राफ़ है जो कि हराम है और दूसरी सूरत में शिर्क का पेश ख़ैमा है। जो चीज़ गुनाह हो, उसका सबब और ज़रिया भी गुनाह ही होता है। अलबत्ता अगर तस्वीर किसी फ़ायदे की ख़ातिर हो, जैसे: शिनाख़्त के लिये तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि शरीयत ज़रूरत के मुख़ालिफ़ नहीं होती। लेकिन ये ज़रूरी है कि उसे शिनाख़्त की हद्द तक ही रखा जाये, ज़ीनत और फ़ख़्र न बनाया जाये और न उसे एहतिरामन लटकाया जाये। इसी तरह इलाज वग़ैरह में भी तस्वीर से मदद ली जा सकती है। अगर कोई शख़्स मजबूर हो तो ग़ैर ज़रूरी तस्वीर उसके लिये गुनाह का मूजिब न होगी, अलबत्ता तस्वीर बनाने वाले या उसका हुक्म देने वाले मुजरिम होंगे, जैसे: करेन्सी नोटों और अख़बारात की तसावीर। उन चीज़ों पर तस्वीर की ज़रूरत तो नहीं मगर आम इन्सान इस मसले में बेबस हैं क्योंकि उन चीज़ों के बग़ैर गुज़ारा नहीं। याद रखना चाहिए कि जहाँ तस्वीर ज़रूरी हो वहाँ ज़रूरत की हद तक ही महदूद रहना चाहिए, जैसे: शिनाख़्ती तस्वीर में सिर्फ़ चेहरे

की हद तक होनी चाहिए, क़द्दे आदम न हो। इसी तरह ग़ैर ज़रूरी तसावीर जिनमें आम इन्सान मजबूर है, एहतिराम वाली जगह न रखी जायें बल्कि नीचे रखी जायें जहाँ पाँव लगते हों, और अख़बारात को तह करके रखा जाये ताकि एहतिराम का तास्सुर न हो। (मज़ीद देखिये, हदीस: 4251) (3) फ़रिश्तों से मुराद रहमत के फ़रिश्ते हैं वरना मुहाफ़िज़ और कातिब फ़रिश्ते तो हर जगह ही होते हैं। इस कलाम से मक़सूद रहमत की नफ़ी है जो फ़रिश्तों की ख़ुसूसियत है।

أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلاَ صُورَةُ تَمَاثِيلَ " .

(5350) हज़रत अबू तल्हा (ﷺ) बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें कुत्ता या ज़ी रूह की तस्वीर हो।'

(5350) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4287.

फ़ायदा : 'ज़ी रूह की' अगर किसी जगह तस्वीर का जवाज़ ज़िक्र हो तो मुराद ग़ैर ज़ी रूह की तस्वीर होगी, जैसे: हज़रत सुलैमान (ﷺ) के दौर की तसावीर जिनका क़ुर्आन में ज़िक्र है। इसी तरह आइन्दा हदीस में ज़िक्र शुदा तसावीर।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مَعْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى أَبِي طَلْحَةَ الأَنْصَارِيِّ يَعُودُهُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ فَأَمَرَ أَبُو طَلْحَةَ إِنْسَانًا يَنْزِعُ نَمَطًا تَحْتَهُ فَقَالَ لَهُ سَهْلٌ لِمَ تَنْزِعُ قَالَ لأَنَّ فِيهِ تَصَاوِيرُ وَقَدْ قَالَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا قَدْ عَلِمْتَ . قَالَ أَلَمْ يَقُلْ " إِلاَّ مَا كَانَ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ " . قَالَ بَلَى

(5351) हज़रत उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि वह हज़रत अबू तल्हा अन्सारी(ﷺ) की अयादत करने के लिये उनके यहाँ हाज़िर हुये तो वहाँ हज़रत सहल बिन हुनैफ़(ﷺ) भी मौजूद थे। हज़रत अबू तल्हा(ﷺ) ने एक आदमी से फ़रमाया कि मेरे नीचे से बिस्तर की चादर निकाल दे। हज़रत सहल(ﷺ) ने फ़रमाया: आप चादर क्यूँ निकलवा रहे हैं? उन्होंने फ़रमाया: इसलिये कि इसमें तस्वीरें हैं और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसके बारे में जो कुछ फ़रमाया है, वह आप भी जानते हैं। वह फ़रमाने लगे: क्या आपने ये नहीं फ़रमाया था कि जो तस्वीर कपड़े में नक़्श हो, उसमें कोई हर्ज नहीं। उन्होंने कहा: हाँ, मगर मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता

وَلَكِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِي .

है (कि कपड़े में भी न हो बल्कि सादगी हो)

(5351) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 1750, मौता: 2/966.

फ़ायदा : ग़ैर ज़ी रूह चीज़ों की तस्वीर अगरचे जायज़ है मगर वसीअ पैमाने पर नहीं कि उसको कारोबार बना लिया जाये या ज़ीनत के लिये जगह जगह ग़ैर ज़ी रूह चीज़ों की तस्वीरें बनाई या लटकाई जायें क्योंकि इस्लाम सादा मज़हब है। इस्राफ़ को पसन्द नहीं करता, इसी लिये हज़रत अबू तल्हा (رضي الله عنه) ने अपने बिस्तर की चादर पर ग़ैर ज़ी रूह तस्वीरों को भी मुनासिब न समझा अगरचे वह जायज़ हैं, लिहाज़ा कपड़े या काग़ज़ पर मुनक़्क़श तस्वीरें भी वही जायज़ हैं जो ग़ैर ज़ी रूह चीज़ों की हो। ये इस रिवायत की एक तौजीह है। कुछ मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक कपड़े पर मुनक़्क़श तस्वीर ज़ी रूह चीज़ की भी जायज़ है मगर वह साबित न हो बल्कि कटी हूई हो, यानी किसी का सर नहीं, किसी का धड़ नहीं, किसी के बाज़ू नहीं, किसी की टाँगें नहीं। गोया तस्वीर को टुकड़ों में बाँट कर कपड़ा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। या वह कपड़ा और काग़ज़ तौहीन की जगह हो, जैसे: पाँव के नीचे आता हो। कुछ हज़रात ने रक़्मा फ़ी सौब (कपड़े में मुनक़्क़श तस्वीर) के अल्फ़ाज़ से इस वसीअ कारोबार को जायज़ क़रार देने की कोशिश की है जो आज कल फ़न और आर्ट बल्कि फ़ैशन की सूरत इख़्तियार कर चुका है और उमूमी तौर पर उरयानी और फ़हाशी का ज़रिया बन रहा है।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَدْخُلُ الْمَلاَئِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ " . قَالَ بُسْرٌ ثُمَّ اشْتَكَى زَيْدٌ فَعُدْنَاهُ فَإِذَا عَلَى بَابِهِ سِتْرٌ فِيهِ صُورَةٌ قُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلاَنِيِّ أَلَمْ يُخْبِرْنَا زَيْدٌ عَنِ الصُّورَةِ يَوْمَ الأَوَّلِ قَالَ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ أَلَمْ تَسْمَعْهُ يَقُولُ " إِلاَّ رَقْمًا فِي ثَوْبٍ " .

(5352) हज़रत ज़ैद बिन ख़ालिद का बयान है कि हज़रत अबू तल्हा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'फ़रिश्ते उस घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें तस्वीर हो।' (रावि-ए हदीस) बुस्र ने कहा: फिर हज़रत ज़ैद बीमार पड़ गये। हम उनकी बीमार पुर्सी को गये तो उनके दरवाज़े पर एक बा तस्वीर पर्दा लटक रहा था। मैंने (अपने साथी उबैदुल्लाह ख़ौलानी से कहा: क्या हमें हज़रत ज़ैद ने उससे पहले तस्वीर के बारे में हदीस नहीं बताई थी? उबैदुल्लाह ने कहा: आपने उनको ये कहते हुये नहीं सुना था: मगर कपड़े में मुनक़्क़श तस्वीर जायज़ है?

(5352) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5958, मुस्लिम, हदीस: 85/2106.

حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ صَنَعْتُ طَعَامًا فَدَعَوْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَ فَدَخَلَ فَرَأَى سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَخَرَجَ وَقَالَ " إِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لاَ تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ".

(5353) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैंने खाना तैयार किया और नबी-ए-अकरम (ﷺ) को खाने पर बुलाया। आप तशरीफ़ लाये तो आपने एक पर्दा देखा जिस पर तस्वीरें थीं। आप वापस चले गये और फ़रमाया: 'जिस घर में तस्वीरें हों, वहाँ फ़रिश्ते दाख़िल नहीं होते।'

(5353) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा: 3359.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से भी तस्वीर की हुर्मत साबित होती है। **(2)** अहले इल्म व फ़ज़्ल के लिये खाना तैयार करना और उन्हें खाने पर बुलाना, मुस्तहब और पसन्दीदा अमल है। **(3)** ये हदीसे मुबारका नबी-ए-अकरम (ﷺ) के हुस्ने ख़ल्क़ और तवाज़ोअ पर सरीह दलालत करती है कि आप अपने सहाब-ए-किराम (ﷺ) की दावत पर उनके यहाँ खाना खाने के लिये तशरीफ़ ले जाया करते थे। **(4)** जिस घर में तस्वीर हो उसमें रहमत के फ़रिश्ते क़तअन दाख़िल नहीं होते, लिहाज़ा इससे बड़ी महरूमी क्या हो सकती है कि इन्सान के घर या उसकी दुकान और कारोबारी मरकज़ में रहमत का नुज़ूल न हो। जब रहमत के फ़रिश्ते नहीं आयेंगे तो रहमत किस तरह आयेगी। **(5)** फ़रिश्तों की जिबिल्लत और फ़ितरत में इताअते इलाही रख दी गई है, इसलिये वह किसी ऐसी जगह जाते ही नहीं जहाँ अल्लाह की मअसियत व नाफ़रमानी होती हो। **(6)** रसूलुल्लाह (ﷺ) हज़रत अली (ﷺ) के यहाँ से खाना खाये बग़ैर ही वापस चले गये क्योंकि वहाँ मुनक़्क़श और तस्वीरों वाला पर्दा लटका हुआ था। औलाद या अज़ीज़ व अक़ारिब को समझाने का ये अन्दाज़ निहायत मुअस्सिर है, इसलिये जिस मज्लिस व महफ़िल या घर में अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) के किसी सरीह हुक्म की मुख़ालिफ़त और नाफ़रमानी हो रही हो अहले इल्म, ख़ुसूसन वारिसाने मिम्बर व मेहराब को वहाँ नहीं जाना चाहिए। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرْجَةً ثُمَّ دَخَلَ وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا فِيهِ الْخَيْلُ أُولاَتُ الأَجْنِحَةِ - قَالَتْ - فَلَمَّا رَآهُ قَالَ " انْزِعِيهِ " .

(5354) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) कुछ देर के लिये घर से बाहर तशरीफ़ ले गये। फिर आप तशरीफ़ लाये तो मैंने एक पर्दा लटका रखा था जिसमें परों वाले घोड़ों की तस्वीरें थीं। आपने देखा तो फ़रमाया: 'इसे उतार दे।'

(5354) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/229, बुख़ारी: 5955, मुस्लिम, हदीस: 90/2107.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَزِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَزْرَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ لَنَا سِتْرٌ فِيهِ تِمْثَالُ طَيْرٍ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ إِذَا دَخَلَ الدَّاخِلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " يَا عَائِشَةُ حَوِّلِيهِ فَإِنِّي كُلَّمَا دَخَلْتُ فَرَأَيْتُهُ ذَكَرْتُ الدُّنْيَا " . قَالَتْ وَكَانَ لَنَا قَطِيفَةٌ لَهَا عَلَمٌ فَكُنَّا نَلْبَسُهَا فَلَمْ نَقْطَعْهُ .

(5355) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ज़ोज-ए मोहतरमा हज़रत आयशा (ؓ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हमारे पास एक पर्दा था जिस पर परिन्दों की तस़ावीर थीं। जब कोई शख़्स घर में दाख़िल होता था तो उसे सबसे पहले वह नज़र आता था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आयशा! इसे हटा दो। मैं जब भी घर में दाख़िल होता हूँ, उस पर नज़र पड़ती है तो तवज्जा दुनिया की तरफ़ हो जाती है।' और हमारे पास एक चादर थी जिसमें धारियाँ थीं। हम उसे ओढ़ा करते थे। उसके हमने टुकड़े नहीं किये।

(5355) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 88/2107.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका दुनिया की रंगीनियों से किनाराकशी और उससे बेरग़बती पर दलालत करती है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये इशारा भी मिलता है कि बवक़्ते ज़रूरत पर्दा वग़ैरह लटकाना दुरुस्त है। लेकिन याद रहे कि पर्दे में तस्वीर वग़ैरह न बनी हो। **(3)** 'तवज्जा दुनिया की तरफ़ हो जाती है' क्योंकि वह ज़ीनत के लिये लटकाया गया था और वह दुनियावी ज़ीनत थी। ज़ाहिर है तवज्जा उस तरफ़ होना तो लाज़िमी अम्र था वहाँ से आप गुज़रते थे। अगरचे आपके दिल में कराहत होती थी, तवज्जा कराहत के मुनाफ़ी नहीं। दुनिया से मोहब्बत मज़मूम है न कि तवज्जा ब कराहत।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ فِي بَيْتِي ثَوْبٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَجَعَلْتُهُ إِلَى سَهْوَةٍ فِي الْبَيْتِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(5356) हज़रत आयशा (ؓ) फ़रमाती हैं कि मेरे घर में एक कपड़ा था जिसमें तस्वीरें थीं। मैंने उसे घर में एक ताक़ के आगे लगा दिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) उस ताक़ की तरफ़ नमाज़ पढ़ा करते थे। आपने देखा तो फ़रमाया: 'आयशा! उसको मुझसे दूर हटा दे।' मैंने उसे उतार कर उसके तकिये बना लिये।

(5356) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 762.

يُصَلِّي إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ " يَا عَائِشَةُ أَخِّرِيهِ عَنِّي " . فَنَزَعْتُهُ فَجَعَلْتُهُ وَسَائِدَ .

फ़ायदा : 'तस्वीरें' मुमकिन है ग़ैर ज़ी रूह की तस्वीरें हों मगर नमाज़ में क़िब्ला की जानिब नक़्श व निगार तवज्जा बनने का सबब बन जाते हैं, इसलिये हटाने का हुक्म दिया। और अगर ज़ी रूह की तस्वीरें थीं तो फिर ऐसा कपड़ा एहतिराम वाली जगह लटकाना नाजायज़ था, इसलिये उतार कर तस्वीरें काटने का हुक्म दिया।

أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ بَيَانٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرٌو، قَالَ حَدَّثَنَا بُكَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا نَصَبَتْ سِتْرًا فِيهِ تَصَاوِيرُ فَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَنَزَعَهُ فَقَطَعَتْهُ وِسَادَتَيْنِ . قَالَ رَجُلٌ فِي الْمَجْلِسِ حِينَئِذٍ يُقَالُ لَهُ رَبِيعَةُ بْنُ عَطَاءٍ أَنَا سَمِعْتُ أَبَا مُحَمَّدٍ - يَعْنِي الْقَاسِمَ - عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَرْتَفِقُ عَلَيْهِمَا

(5357) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने एक पर्दा लगा दिया जिसमें तस्वीरें थीं। रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लाये तो आपने उसे उतार फेंका। मैंने उसके दो तकिये बना लिये जिनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) टेक लगाया करते थे।

(5357) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 95/2107.

फ़वाइद व मसाइल : (1) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपने मुबारक हाथों से तसावीर वाला पर्दा हटा दिया और इस तरह आप ने अपने हाथ से इज़ाल-ए-मुन्कर फ़रमाया। जहाँ हाथ से बुराई ख़त्म की जा सकती हो, वहाँ उसे हाथ से ख़त्म करना ज़रूरी है। और आपने ऐसे ही किया। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि अगर तस्वीर वाले कपड़े को इस तरह काट दिया जाये कि तस्वीरें कट जायें और साबित न रहें तो वह कपड़ा फ़रशी इस्तेमाल में लाया जा सकता है, यानी उससे तकिये, सिरहाने और गद्दे वग़ैरह बनाये जा सकते हैं। वल्लाहु आलम!

بَاب(١١٢): ذِكْرِ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا

बाब : (112) उन लोगों का ज़िक्र जिन्हें सबसे ज़्यादा सख़्त अज़ाब होगा

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ

(5358) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) एक सफ़र से वापस तशरीफ़ लाये जबकि मैंने अपने एक ताक़

عَائِشَةَ، قَالَتْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ عَلَى سَهْوَةٍ لِي فِيهِ تَصَاوِيرُ فَنَزَعَهُ وَقَالَ " أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ " .

को तस्वीरों वाले पर्दे के साथ छुपा रखा था। आपने उसे उतार फेंका और फ़रमाया: 'क़यामत के दिन सख़्त तरीन अज़ाब उन लोगों को होगा जो अल्लाह तआला की पैदाकर्दा सूरतों जैसी सूरतें बनाते हैं।'

(5358) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5954, मुस्लिम, हदीस: 92/2107, पिछली हदीस देखें.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से मालूम हुआ कि तस्वीर साज़ी हराम है, हाथ से हो या केमरे वग़ैरह से बसा औक़ात तस्वीर शिर्क का ज़रिया भी बन सकती है। **(2)** 'सख़्त तरीन अज़ाब' अगरचे ख़ल्क़ुल्लाह (अल्लाह तआला की पैदाकर्दा सूरतें) आम लफ़्ज़ है, ग़ैर ज़ी रूह चीज़ों पर भी बोला जा सकता है मगर यहाँ ज़ी रूह की सूरत मुराद है क्योंकि मुताल्लिक़ा पर्दा पर ज़ी रूह की तसावीर थीं जैसा कि अहादीस 5354 और 5355 में बयान है। वैसे भी 'सूरत' चेहरे को कहा जाता है और चेहरा ज़ी रूह का ही होता है। सख़्त तरीन अज़ाब की तफ़्सीर आइन्दा अहादीस में मज़्कूर है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يُخْبِرُ عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ دَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ سَتَّرْتُ بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ ثُمَّ هَتَكَهُ بِيَدِهِ وَقَالَ " إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُشَبِّهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ " .

(5359) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ज़ोज-ए मोहतरमा हज़रत आयशा (ؓ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) मेरे यहाँ तशरीफ़ लाये जबकि मैंने तस्वीरों वाला एक पर्दा लटका रखा था। जब आपने देखा तो (गुस्से से) आपके चेहर-ए अनवर का रंग बदल गया। फिर आपने उसे अपने दस्ते मुबारक से फाड़ दिया और फ़रमाया: 'क़यामत के दिन सख़्त तरीन अज़ाब उन लोगों को होगा जो अल्लाह तआला की पैदाकर्दा सूरतों जैसी सूरतें बनाने का तकल्लुफ़ करते हैं।'

(5359) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 91/2107, पिछली हदीस देखें, बुख़ारी, हदीस: 6109.

बाब : (113)
उस चीज़ का तज़्किरा जिसका क़यामत के दिन तस्वीर साज़ों को हुक्म दिया जायेगा

باب(١١٣): ذِكْرِ مَا يُكَلَّفُ أَصْحَابُ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، قَالَ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ أَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ فَقَالَ إِنِّي أُصَوِّرُ هَذِهِ التَّصَاوِيرَ فَمَا تَقُولُ فِيهَا فَقَالَ ادْنُهْ ادْنُهْ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ " .

(5360) हज़रत नज़्र बिन अनस (ﷺ) से रिवायत है कि मैं हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के पास बैठा था कि एक इराक़ी आदमी उनके पास आया और कहा: मैं तस्वीर साज़ी का काम करता हूँ। इसके बारे में आप क्या फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: नज़दीक आ, नज़दीक आ। मैंने हज़रत मुहम्मद (ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'जो शख़्स दुनिया में (ज़ी रूह चीज़ों की) तस्वीर बनायेगा, उसे क़यामत के दिन इस बात का पाबन्द किया जायेगा कि वह उसमें रूह फूँके लेकिन वह फूँक नहीं सकेगा।'

(5360) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5963, मुस्लिम, हदीस: 100/2110.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ कि जानदार और ज़ी रूह चीज़ों की तस्वीर बनाना और फ़रोख़्त करना हराम है, इसलिये फ़न्ने तस्वीर साज़ी से वाबस्ता हज़रात व ख़वातीन, और शौक़िया तस्वीर कशी करने वाले लोगों को संजीदगी से अपने इस ख़तरनाक पेशे का जायज़ा लेना चाहिए। तस्वीर हाथ से बनाई जाये या केमरे वग़ैरह से, इसका अपना वजूद हो या किसी चीज़ पर नक़्श की जाये, सबका एक ही हुक्म है, और शादी ब्याह और दीगर मुख़्तलिफ़ तक़रीबात के मौक़े पर जो तस्वीर कशी की जाती है और विडियो फ़िल्म बनाई जाती है, ये सब नाजायज़ है। **(2)** हज़रत अबू हुरैरह(ﷺ) ने एक मुसव्विर को मकान की दीवार बनाते देखा तो दर्ज ज़ेल हदीस बयान की, फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना, आप फ़रमा रहे थे: 'अल्लाह तआला का इरशादे गिरामी है कि उस शख़्स से ज़्यादा ज़ालिम कौन हो सकता है जो पैदा करने में मेरी नक़्क़ाली करता है। एक दाना या एक चींटी तो पैदा कर दें।' एक रिवायत के ये अल्फ़ाज़ हैं: 'एक जौ ही पैदा कर के दिखायें।' देखिये: (सहीह बुख़ारी, हदीस: 5953, हदीस: 7559) **(3)** अल्लाह तआला ने मुफ़ीद तस्वीरें बनाईं जो बोलती, देखती, सुनती, समझती और चलती फिरती हैं मगर मुसव्विरीन बे फ़ायदा सूरतें बनाते हैं जो न देख सकती हैं, न बोल सकती हैं, न सुन सकती

हैं और न समझ सकती हैं। अपनी सलाहियतें ऐसे बे मस्रफ़ कामों में ज़ाया करने का क्या फ़ायदा? बल्कि ये अल्लाह तआला की नाशुक्री और उसके मुक़ाबले में एक नाकाम कोशिश है। तभी तो अल्लाह तआला को गुस्सा आयेगा और उनको रूह फूँकने का हुक्म दिया जायेगा जो उनके बस की बात नहीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ حَتَّى يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا".

(5361) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स किसी (ज़ी रूह) चीज़ की सूरत बनायेगा, उसे अज़ाब दिया जायेगा यहाँ तक कि वह उसमें रूह फूँके जबकि वह रूह नहीं फूँक सकेगा।'

(5361) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7042.

फ़ायदा : गोया उसे सिर्फ़ रूह फूँकने का ही हुक्म नहीं दिया जायेगा बल्कि उसको मुसलसल अज़ाब भी दिया जायेगा। जब तक वह रूह नहीं फूँकेगा, उसे अज़ाब में मुब्तला रखा जायेगा और रूह तो वह फूँक ही नहीं सकेगा, लिहाज़ा क़यामत का मुकम्मल दिन वह अज़ाब व रुस्वाई और डाँट डपट में गुज़ारेगा। और ये वाक़ेई शदीद तरीन अज़ाब होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह!

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ صَوَّرَ صُورَةً كُلِّفَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ " .

(5362) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस आदमी ने (किसी ज़ी रूह की) तस्वीर बनाई, उसे क़यामत के दिन मजबूर किया जायेगा कि उसमें रूह फूँके जो वह फूँक नहीं सकेगा।'

(5362) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ الَّذِينَ يَصْنَعُونَهَا يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " .

(5363) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'इन तस्वीरें बनाने वालों को क़यमात के दिन अज़ाब दिया जायेगा। उन्हें कहा जायेगा: जो तुमने तस्वीरें बनाई हैं, उनमें ज़िन्दगी भी पैदा करो।'

(5363) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7558, मुस्लिम, हदीस: 97/2108.

फ़ायदा : 'पैदा करो' और ये मुहाल है क्योंकि अल्लाह तआला के सिवा ये काम कोई और नहीं कर सकता। अला लहुल ख़ल्क़ु. किसी को सज़ा देने के लिये मुहाल हुक्म दिया जाता है क्योंकि वहाँ मक़सूद सिर्फ़ डाँटना और सज़ा देना होता है न कि अमल या इताअत। और उसे 'तालीक़ बिल मुहाल' कहा जाता है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ " .

(5364) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ज़ोज-ए मोहतरमा हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'यक़ीनन इस सूरतें बनाने वालों को क़यामत के दिन अज़ाब दिया जायेगा और उन्हें कहा जायेगा: जो बनाया है उसमें ज़िन्दगी डालो।'

तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी:7557, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : 'और कहा जायेगा' गोया अज़ाब इसके अलावा भी होगा। और ये कहना अलग अज़ाब होगा।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ اللَّهَ فِي خَلْقِهِ .

(5365) नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ज़ोज-ए मोहतरमा हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने फ़रमाया: बिलाशुब्हा क़यामत के दिन सबसे ज़्यादा अज़ाब उन लोगों को होगा जो (तस्वीरें बना कर) पैदा करने में अल्लाह तआला की नक़ल करते हैं।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/83, 219.

फ़ायदा : यानी उनका ये फ़ेअल नक़ल की तरह ही है अगरचे उनकी नियत ऐसी न हो। वाज़ेह काम में नियत नहीं देखी जाती क्योंकि वह तो मख़फ़ी होती है। इसके बारे में कुछ भी दावा किया जा सकता है।

बाब : (114) उस शख़्स का ज़िक्र जिसे सबसे ज़्यादा अज़ाब होगा

باب(١١٤): ذِكْرِ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا

(5366) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'बिलाशुब्हा क़यामत के दिन सब से ज़्यादा अज़ाब उन लोगों को होगा जो (जानदार चीज़ों की) तस्वीरें बनाते हैं।'

إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ". وَقَالَ أَحْمَدُ " الْمُصَوِّرِينَ " .

(5366) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 98/2109, देखें, हदीस: 5363, बुख़ारी, हदीस: 5950.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ اسْتَأْذَنَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " ادْخُلْ " . فَقَالَ كَيْفَ أَدْخُلُ وَفِي بَيْتِكَ سِتْرٌ فِيهِ تَصَاوِيرُ فَإِمَّا أَنْ تُقْطَعَ رُءُوسُهَا أَوْ تُجْعَلَ بِسَاطًا يُوطَأُ فَإِنَّا مَعْشَرَ الْمَلاَئِكَةِ لاَ نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ تَصَاوِيرُ .

(5367) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: हज़रत जिब्रील (ﷺ) ने नबी ए-अकरम (ﷺ) से दाख़िल होने की इजाज़त तलब की। आपने फ़रमाया: 'आ जायें।' उन्होंने कहा: मैं कैसे दाख़िल हो सकता हूँ जब कि आपके घर में एक पर्दा है जिसमें तस्वीरें बनी हुई हैं? या तो आप उनके सर काट दें या उसे चटाई बना कर बिछा लें। हम फ़रिश्ते किसी ऐसे घर में दाख़िल नहीं होते जिसमें तस्वीरें हों।

(5367) **तख़रीज : (सनद सही)** अबू दाऊद: 4158, तिर्मिज़ी: 2806, व सहीह इब्ने हिब्बान: 1487.

फ़ायदा : मालूम हुआ तसवीर वाला कपड़ा अगर नीचे बिछाया जाये जहाँ पाँव लगते हों तो कोई हर्ज नहीं, या तस्वीर को इस तरह काट दिया जाये कि चेहरा मुकम्मल न रहे। तफ़्सील पीछे बयान हो चुकी है।

बाब : (115) लिहाफ़ का बयान

باب(١١٥): اللُّحُفِ

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ قَزَعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، وَمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لاَ يُصَلِّي فِي لُحُفِنَا . قَالَ سُفْيَانُ مَلاَحِفِنَا .

(5368) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे लिहाफ़ों में नमाज़ नहीं पढ़ते थे।

सुफ़ियान ने (लुहफ़ के बजाये मलाहिफ़) के अल्फ़ाज़ बयान किये हैं।

तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 367, तिर्मिज़ी: 600, व सहीह अल हाकिम अला शर्तिश्शैख़ैन: 1/252.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उम्महातुल मोमिनीन और ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) लिहाफ़ इस्तेमाल किया करते थे, और मज़्कूरा हदीस़ से ये इशारा भी मिलता है कि ख़्वातीन व बच्चों के इस्तेमाल के कपड़े और दीगर ऐसे कपड़े भी जिनकी बाबत ये गुमान हो कि उनमें नजासत और पलीदी हो सकती है, उनमें नमाज़ पढ़ने से एहतियात करनी चाहिए क्योंकि मशकूक चीज़ से परहेज़ करना और यक़ीन पर बुनियाद रखना मतलूबे शरीयत है। (2) लिहाफ़ों वग़ैरह में नमाज़ न पढ़ने की एक हिकमत ये भी हो सकती है कि उमूमन लिहाफ़ भारी होते हैं जिन्हें जल्दी नहीं धोया जा सकता, इस लिये उनमें अगर कोई नजासत लग जाये तो वह अर्से-ए-दराज़ तक बाक़ी रहती है, जब कि उनका इस्तेमाल रोज़ाना होता है। गन्दगी लगने का एहतिमाल तो जिमाअ के वक़्त भी होता है, इसलिये उमूमन ऊपर ओढ़े जाने वाले लिहाफ़ों से नमाज़ के वक़्त परहेज़ किया जाये। वल्लाहु आलम! (3) अगर लिहाफ़ के पाक होने का यक़ीन हो तो फिर नमाज़ जायज़ है। मज़्कूरा हदीस़ में उमूमी बात का ज़िक्र है कि अक्सर उनका ख़्याल नहीं रखा जाता। रसूलुल्लाह (ﷺ) मुजामअत वाले कपड़ों में जबकि वह साफ़ होते, नमाज़ पढ़ लेते थे। इसी तरह हज़रत आयशा (رضي الله عنها) के लिहाफ़ में वह्य भी नाज़िल हो जाती थी।

बाब : (116) रसूलुल्लाह (ﷺ) का जूता मुबारक कैसा होता था?

صِفَةِ نَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

(5369) हज़रत अनस (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के जूते मुबारक पर दो पट्टियाँ थीं।

(5369) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 5857.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسٌ، أَنَّ نَعْلَ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ لَهَا قِبَالاَنِ .

फ़ायदा : जूते के तस्मे पाँव को जूते के साथ क़ाइम रखने के लिये होते हैं। एक हो या दो या ज़्यादा, कोई हर्ज नहीं। न ये शरई मसला है और न शरीयत ने इस बारे में कोई हिदायत ही दी है, लिहाज़ा वक़्ती रिवाज के मुताबिक़ किसी भी क़िस्म के जूते इस्तेमाल किये जा सकते हैं जो वक़्ती ज़रूरत को पूरा करते हों।

(5370) हज़रत अम्र बिन औस (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) के जूते मुबारक में दो तस्मे थे।

(5370) तख़रीज : (सनद सही)

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، قَالَ كَانَ لِنَعْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قِبَالاَنِ .

बाब : (117)
एक जूते में चलने की मुमानिअत का बयान

ذِكْرِ النَّهْيِ عَنِ الْمَشْيِ، فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى يُصْلِحَهَا "

(5371) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब किसी के जूते का तस्मा टूट जाये तो वह एक जूते में न चले यहाँ तक कि उसे ठीक कर ले।

(5371) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/528, 2/480.

फ़ायदा : एक जूते में चलना इन्सानी वकार के ख़िलाफ़ है। लोगों के लिये अजूबा बनने वाली बात है। लोग देख कर हँसेंगे। दूसरे वह लंगड़ा महसूस होगा। तवाज़ुन ख़राब होने की वजह से वह गिर भी सकता है, लिहाज़ा बजाये एक जूता पहनने के टूटे हुये तस्मे को ठीक करवाये वरना नंगे पाँव चले। अलबत्ता अगर किसी बीमारी या तकलीफ़ की वजह से एक पाँव में जूता न पहना जा सके तो कोई हर्ज नहीं क्योंकि ये तकलीफ़ मिन जानिब अल्लाह है, और बीमारी और तकलीफ़ ज़्यादा अर्से तक भी जारी रह सकती है। इतने अर्से तक नंगे पाँव चलना मज़ीद तकलीफ़ का सबब होगा।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، قَالَ رَأَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَضْرِبُ بِيَدِهِ عَلَى جَبْهَتِهِ يَقُولُ يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ تَزْعُمُونَ أَنِّي أَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِي الأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا " .

(5372) हज़रत अबू रज़ीन बयान करते हैं कि मैंने हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) को देखा, वह अपना हाथ अपने माथे पर (बतौर ताज्जुब व तास्सुफ़) मार रहे थे और फ़रमा रहे थे: ओ इराक़ियों! तुम समझते हो कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) का नाम लेकर झूठ बोल रहा हूँ? मैं गवाही देता हूँ कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जब तुम में से किसी शख़्स के जूते का तस्मा टूट जाये तो वह दूसरा (एक) जूता पहन कर न चले यहाँ तक कि उसे ठीक कर ले।'

(5372) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 2098.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'समझते हो' शायद किसी ने उनके बकस्रत रिवायत करने पर कुछ ज़बान दराज़ी की हो। इराक़ी कुछ ऐसे ही थे। **(2)** 'ठीक करे' मालूम हुआ मोमिन को अपने वकार का लिहाज़

रखना चाहिए, लिबास में भी और चाल ढाल में भी। ऐसा भी सादा न हो कि वकार की परवाह ही न करे और लोगों के लिये अज़्हूका और तन्ज़ का सामान बना रहे।

बाब : (118) चमड़े के बिछोने का बयान

باب(١١٨): مَا جَاءَ فِي الأَنْطَاعِ

(5373) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) (एक दफ़ा हमारे घर में) चकड़े के बिछोने पर इस्तेराहत फ़रमा हुये। आपको पसीना आ गया। (मेरी वालिदा)- हज़रत उम्मे सुलैम (ﷺ) उठीं और आपके बा'बरकत पसीने को इकट्ठा करके एक शीशी में डाल लिया। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उनको (ऐसे करते हुये) देखा तो फ़रमाया: 'उम्मे सुलैम! क्या करती है?' उन्होंने कहा: मैं आपका पसीना अपनी ख़ूशसबू में डालूँगी। आप मुस्कुराने लगे।

(5373) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, मुस्लिम, हदीस: 2331, 2332 वग़ैरह.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْوَزِيرِ أَبُو مُطَرِّفٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اضْطَجَعَ عَلَى نِطْعٍ فَعَرِقَ فَقَامَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى عَرَقِهِ فَنَشَّفَتْهُ فَجَعَلَتْهُ فِي قَارُورَةٍ فَرَآهَا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ " مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ " . قَالَتْ أَجْعَلُ عَرَقَكَ فِي طِيبِي فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका इस मसले की दलील है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का पसीना मुबारक मुतबर्रक था। सहाब-ए-किराम (ﷺ) ने इससे तबर्रुक हासिल किया है। नबी-ए अकरम (ﷺ) को इस बात का इल्म था और आपने उन्हें ऐसा करने से मना नहीं फ़रमाया। मज़ीद बरां ये कि सहाब-ए-किराम (ﷺ) आपके मुबारक बालों और नाख़ुनों को भी बा'बरकत समझते थे सहाब-ए-किराम (ﷺ) को आप (ﷺ) से बे'इन्तेहा मोहब्बत थी। यही वजह है कि वह आपके पसीने मुबारक को भी महबूब मताअ समझते थे और आपके आसारे करीमा से तबर्रुक हासिल करते थे। **(2)** ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि इन्सान का चमड़ा, उसका पसीना, और इसी तरह इन्सानी बाल भी पाक और ताहिर हैं, और इससे क़ैलूले की मशरूइयत भी साबित हूई। **(3)** चमड़े का बिछोना' कपड़े की चादर से बहरसूरत बेहतर होता है। मक़सद ये है कि अच्छी चीज़ का इस्तेमाल मायूब नहीं। **(4)** 'इस्तेराहत फ़रमा हुये' पीछे गुज़र चुका है कि हज़रत उम्मे सुलैम और हज़रत उम्मे हराम से जो कि बहनें थीं, अपका कोई ऐसा रिश्ता था जिसकी बिना पर वह आपकी महरम थीं, इसलिये आप कभी कभी उनके घरों में जाते थे और कभी आराम भी फ़रमाते थे। **(5)** 'इकट्ठा करके' अरबी में लफ़्ज़

नशशफ़त्हु इस्तेमाल किया गया है जिसके मानी ख़ुश्क करने के हैं। गोया उन्होंने किसी कपड़े में पसीना जज़्ब कर लिया और कपड़ा अपनी ख़ुशबू में निचोड़ लिया या ख़ाली शीशी में। वल्लाहु आलम! (6) 'मुस्कुराने लगे' उनके हुस्ने अक़ीदत पर और हुस्ने अदब को देख कर। ये बहस पीछे गुज़र चुकी है कि ऐसा तबर्रुक सिर्फ़ रसूलुल्लाह (ﷺ) से ख़ास था।

باب(۱۱۹): اتِّخَاذُ الْخَادِمِ وَالْمَرْكَبِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ سَهْمٍ، - رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ - قَالَ نَزَلْتُ عَلَى أَبِي هَاشِمِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ طَعِينٌ فَأَتَاهُ مُعَاوِيَةُ يَعُودُهُ فَبَكَى أَبُو هَاشِمٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ مَا يُبْكِيكَ أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ أَمْ عَلَى الدُّنْيَا فَقَدْ ذَهَبَ صَفْوُهَا قَالَ كُلٌّ لاَ وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَىَّ عَهْدًا وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ تَبِعْتُهُ قَالَ " إِنَّهُ لَعَلَّكَ تُدْرِكُ أَمْوَالاً تُقْسَمُ بَيْنَ أَقْوَامٍ وَإِنَّمَا يَكْفِيكَ مِنْ ذَلِكَ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ " . فَأَدْرَكْتُ فَجَمَعْتُ .

बाब : (119) नौकर और सवारी रखना

(5374) हज़रत समुरा बिन सहम से रिवायत है कि मैं हज़रत अबू हाशिम बिन उत्बा (ﷺ) का मेहमान बना। उनको ताऊन का आरिज़ा लाहिक़ हो चुका था। हज़रत मुआविया (ﷺ) उनकी बीमार पुर्सी के लिये आये तो हज़रत अबू हाशिम रोने लगे। हज़रत मुआविया (ﷺ) ने फ़रमाया: आप क्यूँ रो रहे हैं? क्या कोई तकलीफ़ आपको बेचैन कर रही है? या दुनिया (से जाने) का ग़म है जब कि आपकी दुनिया का बेहतरीन हिस्सा गुज़र चुका है? उन्होंने फ़रमाया: इन दोनों में से कोई बात नहीं। बात ये है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे नसीहत फ़रमाई थी। काश मैं उस पर क़ाइम रहता। आप (ﷺ) ने फ़रमाया था: 'शायद तुझ पर वह दौर आये जब लोगों में बेतहाशा माल तक़्सीम किये जायेंगे। तुझे सिर्फ़ एक नौकर और एक सवारी जिहाद के लिये काफ़ी है।' (वाक़ेअतन वह दौर या माल) मैंने पाया लेकिन मैंने ज़्यादा माल जमा कर लिया।

(5374) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस: 4103, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2/31, हदीस: 667, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5/507, हदीस: 9811, मुसनद अहमद: 5/360, तिर्मिज़ी, हदीस: 2327.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (ﷺ) ने जो उन्वान क़ाइम किया है इसका मक़सद ये

मसला बयान करना है कि आदमी नौकर और सवारी रख सकता है। ये ऐश व इशरत या अय्याशी के क़बील से नहीं बल्कि एक ज़रूरत है। (2) ये हदीसे मुबारका दुनिया, उसकी रंगीनियाँ, और दुनिया की नेमतों और उसका ज़्यादा माल व मताअ जमा करने से बेरग़बती पर दलालत करती है। हक़ीक़त भी यही है कि एक बन्द-ए-मोमिन की कोशिश दुनिया कमाने की बजाये आख़िरत कमाने की होती है और इसकी असल तर्जीह इस फ़ानी दुनिया की नेमतों का हुसूल नहीं बल्कि अब्दी व दाइमी और ला'ज़वाल उख़रवी नेमतों का हुसूल ही होती है। हराम और नाजायज़ कमाई के ढेर जमा करने की बजाये थोड़ी लेकिन हलाल और पाकीज़ा कमाई पर तवज्जो देना ही फ़र्ज़ है। इसकी वाज़ेह दलील हज़राते सहाब-ए-किराम (ﷺ) का अन्दाज़े हयात है। (3) 'बेहतरीन हिस्सा' यानी रसूलुल्लाह(ﷺ) की रफ़ाक़त या जवानी वाला। (4) 'माल' यानी ग़नीमतें ज़्यादा होंगी। (5) 'जमा कर लिया' ये उनकी कस्रे नफ़्सी थी वरना उन्होंने कोई तर्का नहीं छोड़ा था।

बाब : (120) तलवार को मुज़य्यन करना

باب(۱۲۰): حِلْيَةِ السَّيْفِ

(5375) हज़रत अबू उसामा बिन सहल (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) की तलवार के दस्ते के किनारे पर चाँदी लगी थी।

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، قَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِنْ فِضَّةٍ .

(5375) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9815, व सहीह इब्ने अल्मुलक्किन फ़ी तोहफ़तिल मोहताज: 1/147, हदीस: 19.

फ़ायदा : चाँदी सोने के बर्तनों में खाना पीना मना है, और मर्द के लिये सोने के ज़ेवरात भी मना हैं क्योंकि उनमें तकब्बुर और तअय्युश है मगर तलवार तो जां कोशी बल्कि जां फ़शानी की अलामत है। इस पर थोड़ा बहुत सोना चाँदी लगा हो तो कोई ख़राबी नहीं। जिहाद तअय्युश से कोसों दूर है, इसलिये तलवार को चाँदी सोने से मुज़य्यन किया जा सकता है बशर्ते कि सोना मक़्तअ, यानी छोटे छोटे निशानात की सूरत में हो, और ज़्यादा मिक़्दार में हो। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। देखिये: (हदीस:5152)

(5376) हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) की तलवार का नअल चाँदी का था। उसके दस्ते के किनारे पर भी चाँदी लगी थी और दरम्यान में भी चाँदी के हल्क़े बने थे।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، وَجَرِيرٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ نَعْلُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(5376) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 2583, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9813, तिर्मिज़ी, हदीस: 1691.

مِنْ فِضَّةٍ وَقَبِيعَةُ سَيْفِهِ فِضَّةٌ وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ حِلَقُ فِضَّةٍ .

फ़ायदा : नअ़ल से मुराद वह चाँदी या लोहा है जो तलवार की मियान के नीचे लगा होता है। गोया आपकी मियान में लोहे की बजाये चाँदी लगी थी। और क़बीआ़ से मुराद वह चाँदी या लोहा है जिसे तलवार के दस्ते के एक किनारे में लगाया जाता है।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ كَانَتْ قَبِيعَةُ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ فِضَّةٍ

(5377) हज़रत सईद बिन अबुल हसन ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) की तलवार के दस्ते के किनारे पर चाँदी लगी हुई थी।

(5377) तख़रीज : (सनद सहीह) अबू दाऊद, हदीस: 2584, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9814.

باب(١٢١): النَّهْيِ عَنِ الْجُلُوسِ، عَلَى الْمَيَاثِرِ مِنَ الأُرْجُوَانِ

बाब: (121) उर्जवानी रंग के रेशमी गदीलों पर बैठने की मुमानिअ़त

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُلِ اللَّهُمَّ سَدِّدْنِي وَاهْدِنِي " . وَنَهَانِي عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى الْمَيَاثِرِ وَالْمَيَاثِرُ قَسِّيٌّ كَانَتْ تَصْنَعُهُ النِّسَاءُ لِبُعُولَتِهِنَّ عَلَى الرَّحْلِ كَالْقَطَائِفِ مِنَ الأُرْجُوَانِ .

(5378) हज़रत अ़ली (رضی الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया: 'तू ये दुआ़ किया कर (अल्लाहुम्मा! सद्दिदनी वहदिनी) 'ऐ अल्लाह! मुझे सीधा रखना और हिदायत पर क़ाइम रखना।' और आपने मुझे रेशमी गदीलों पर बैठने से मना फ़रमाया। और ये गदिले क़स्सी (रेशमी) कपड़े से बने होते थे जिन्हें औ़रतें अपने ख़ाविन्दों के लिये पालान पर रखने की ग़र्ज़ से बनाती थीं और ये रंग में उर्जुवानी रंग की चादरों जैसे होते थे।

(5378) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 64/2078.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 69, 5168, 5187.

बाब : (122)
कुर्सी पर बैठने का बयान

باب(١٢٢): الْجُلُوسِ عَلَى الْكَرَاسِيِّ

(5379) हज़रत अबू रिफ़ाआ (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ जबकि आप ख़िताब फ़रमा रहे थे। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! एक अजनबी आदमी आया है, अपने दीन के बारे में सवाल करता है। वह नहीं जानता कि दीन क्या होता है? रसूलुल्लाह (ﷺ) मुतवज्जा हुये, अपना ख़ुत्बा छोड़ा और मेरे पास पहुँच गये आपके पास एक कुर्सी लाई गई। मेरा ख़याल है कि उसके पाये लोहे के थे। रसूलुल्लाह(ﷺ) उस पर तशरीफ़ फ़रमा हो गये। और मुझे वह इल्म सिखाने लगे जो अल्लाह तआला ने आपको सिखाया था, फिर ख़ुत्बे की जगह तशरीफ़ ले गये और अपना ख़ुत्बा मुकम्मल फ़रमाया।

(5379) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 60/876, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9826.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ قَالَ أَبُو رِفَاعَةَ انْتَهَيْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ يَخْطُبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ غَرِيبٌ جَاءَ يَسْأَلُ عَنْ دِينِهِ لاَ يَدْرِي مَا دِينُهُ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَرَكَ خُطْبَتَهُ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَأُتِيَ بِكُرْسِيٍّ خِلْتُ قَوَائِمَهُ حَدِيدًا فَقَعَدَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ يُعَلِّمُنِي مِمَّا عَلَّمَهُ اللَّهُ ثُمَّ أَتَى خُطْبَتَهُ فَأَتَمَّهَا .

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (ﷺ) की तवाज़ोअ, आली ज़रफ़ी और अहले इस्लाम के साथ आप की बे पनाह मोहब्बत व शफ्क़त की दलील है, और इससे ये मालूम हुआ कि अहले इल्म को साइलीन और तालिबे इल्म के साथ इन्तेहाई नर्मी और शफ्क़त का रवैया अपनाना चाहिए। इल्म के प्यासों की इल्मी प्यास बुझानी चाहिए और फ़तवा तलब करने वालों को किताब व सुन्नत के मुताबिक़ सही और दुरुस्त फ़तवा दे कर उनकी कमा हक़्क़हू दीनी रहनुमाई का फ़रीज़ा सरअंजाम देना चाहिए जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना ख़ुत्बा मुबारक अधूरा छोड़ कर साइल की इल्मी प्यास और तश्नगी बुझाई, उसे कुर्आन व हदीस का इल्म सिखलाया और बाद में अपना ख़ुत्बा मुकम्मल फ़रमाया। (2) बाब का मक़सूद ये है कि कुर्सी पर बैठना जब कि दीगर लोग नीचे बैठे हों ये मना नहीं, अगर इसकी ज़रूरत हो, जैसे: ख़िताब करना ताकि सब लोग सुनने के साथ साथ आसानी से देख भी सकें। वैसे भी कुर्सी पर बैठना तकब्बुर को मुस्तलज़िम नहीं।

बाब : (123)
सुर्ख़ क़ुब्बे (ख़ैमे) बनाना

باب : (١٢٣)
اتِّخَاذِ الْقِبَابِ الْحُمْرِ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ حَمْرَاءَ وَعِنْدَهُ أُنَاسٌ يَسِيرُ فَجَاءَهُ بِلاَلٌ فَأَذَّنَ فَجَعَلَ يَتْبَعُ فَاهُ هَا هُنَا وَهَا هُنَا .

(5380) हज़रत अबू हुजैफ़ा (ﷻ) बयान करते हैं कि हम नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ बत्हा मक्का में थे जबकि आप सुर्ख़ रंग के एक ख़ैमे में तशरीफ़ फ़रमा थे और आपके पास कुछ लोग थे। आप सफ़र शुरू करना चाहते थे। हज़रत बिलाल आप के पास आये और अज़ान दी। वह अपना मुँह इधर उधर करते थे।

(5380) तख़रीज : (सनद सहीह) मुस्लिम, हदीस: 249/503, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 9827.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सुर्ख़ रंग का बल्कि किसी भी रंग का ख़ैमा लगाना जायज़ है। **(2)** 'इधर उधर' यानी हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फ़लाह कहते वक़्त दायें बायें करते थे न कि सारी अज़ान में। **(3)** जिस तरह ख़ैमा सुर्ख़ हो सकता है, उसी तरह इमारत भी सुर्ख़ हो सकती है।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

كتاب آداب القضاة

(क़ज़ा और) क़ाज़ियों के आदाब व मसाइल का बयान

باب : (١) فَضْلِ الْحَاكِمِ الْعَادِلِ فِي حُكْمِهِ

बाब : (1) फ़ैसले में इन्साफ़ करने वाले हाकिम की फ़ज़ीलत

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ عَلَى يَمِينِ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا ". قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ " وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ ".

(5381) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस(ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'इन्साफ़ करने वाले अल्लाह तआला के यहाँ नूर के मिम्बरों पर रहमान की दायीं जानिब होंगे। जो अदल करते हैं अपने फ़ैसलों में और अपने घर वालों के साथ और अपनी रिआया के साथ।'

उस्ताद मुहम्मद बिन आदम ने अपनी रिवायत में कहा: अल्लाह तआला के दोनों हाथ दाहिने ही हैं।

(5381) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 18/1827, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5916.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अदल व इन्साफ़ से मुराद हर हक़ वाले को उसका हक़ देना है। और लोगों से उनके मक़ाम व मर्तबे के मुताबिक़ सुलूक करना है, ख़्वाह अदालत की कुर्सी हो या हाकिम का तख़्त, घर हो या बाहर, मस्जिद हो या मदरसा। (2) 'दायीं जानिब' मुराद इज़्ज़त व एहतिराम है क्योंकि दायाँ हाथ या दायीं जानिब इज़्ज़त व एहतिराम की अलामत ख़्याल किये जाते हैं वरना अल्लाह तआला के दोनों हाथ ही दाहिने हैं जैसा कि ख़ुद हदीस के आख़री अल्फ़ाज़ सरीह हैं। (3) 'नूर के मिम्बर' लकड़ी और पत्थर का मिम्बर हो सकता है तो नूर का क्यूँ नहीं? जब कि फ़रिश्ते क़तअन नूरी मख़्लूक़ हैं। कुछ

मुहक़्क़िक़ीन ने इससे बलन्द दर्जात मुराद लिये हैं मगर मिम्बर की नफ़ी की ज़रूरत नहीं। मिम्बर भी तो दर्जा ही होंगे। (4) 'दोनों हाथ दाहिने हैं' यानी उनमें कोई नुक़्स या कमी नहीं जब कि इन्सान का बायाँ दायें से नाक़िस होता है। (5) इस रिवायत में अल्लाह तआला के लिये लफ़्ज़ यदुन यानी 'हाथ' इस्तेमाल फ़रमाया गया है। गोया अल्लाह तआला की शान में ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। इससे तश्बीह या तज्सीम लाज़िम नहीं आयेगी। इसी तरह आँख, कान, पाँव वग़ैरह। अगर इन अल्फ़ाज़ से कोई ख़राबी लाज़िम आती होती या ये बारी तआला के शायाने शान न होते तो क़ुर्आन व हदीस़ में अल्लाह तआला के लिये ये अल्फ़ाज़ इस्तेमाल न होते। इन पेचीदा मसाइल को अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। हमें ख़्वाह मख़्वाह इसमें टाँग नहीं अड़ानी चाहिए और अल्लाह और उसके रसूल (ﷺ) को मश्वरे नहीं देने चाहिए। रुमूज़े मस़लिहते मुल्क ख़ुस्रवान दानन्द। अलबत्ता हम इन अल्फाज से अल्लाह तआला की ज़ात में वह मफ़हूम मुराद नहीं ले सकते जो इन्सानों वग़ैरह में लिये जाते हैं। वह ऐसे हैं जेसे उसकी शान के लाइक़ हैं क्योंकि (लैस कमिस्लिही शैउन) (अश्शूरा: 11/42) अल्लाह तआला की ज़ात और उसकी सिफ़ात हमारी अक़्ल में आने वाली चीज़ें नहीं और न हमारी अक़्ल इन मसाइल को हल करने या समझने के लिये बनाई गई है और न इसमें ये इस्तेअदाद ही है। भला एक महदूद से ला महदूद का एहाता किस तरह मुमकिन है। हमारा काम सिर्फ़ ये है कि हम उन्हें तस्लीम करें, इस्तेमाल करें और हक़ीक़त की बहस़ न करें क्योंकि हम से ऐसी बातें नहीं पूछीं जायेंगी। दरहक़ीक़त यही अक़्लमन्दी है।

बाब : (2) आदिल हुक्मरान

باب(٢): الإِمَامِ الْعَادِلِ

(5382) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सात क़िस्म के लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह तआला क़यामत के दिन साया मुहैया फ़रमायेगा। जिस दिन अल्लाह तआला के साये के अलावा और कोई साया नहीं होगा। (1) आदिल हुक्मरान (2) वह नोजवान जो अल्लाह तआला की इबादत में फले फूले। (3) जो शख़्स अल्लाह तआला को तन्हाई में याद करे और उसकी आँखों से बेसाख़्ता आँसू बह निकलें। (4) वह आदमी जिसका दिल मस्जिद में अटका रहे। (5) वह दो शख़्स जो एक दूसरे से अल्लाह तआला की ख़ातिर मोहब्बत करें। (6)

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ خُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ فِي خَلاَءٍ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ وَرَجُلٌ كَانَ قَلْبُهُ مُعَلَّقًا فِي الْمَسْجِدِ وَرَجُلاَنِ

تَحَابَّا فِي اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ إِلَى نَفْسِهَا فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا صَنَعَتْ يَمِينُهُ ".

वह शख़्स जिसे कोई ख़ूब रू और मुअज़्ज़ज़ औरत (बुराई की) दावत दे और वह कह दे कि मैं अल्लाह तआला से डरता हूँ। (7) वह शख़्स जो इस क़द्र छुपा कर सदक़ा करे कि उसके बायें हाथ को भी पता न चले कि दायें ने क्या किया है।'

(5382) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6806, मुस्लिम, हदीस: 1031, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5921.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सदक़ा ख़ैरात करना अफ़ज़ल अमल है। इस हदीसे मुबारका से पोशीदा तौर पर सदक़ा ख़ैरात करने की बाबत मालूम होता है कि वह बहुत ही अफ़ज़ल अमल है कि ऐसे आमिल को अर्शे इलाही का साया नसीब होगा। ज़हे नसीब! **(2)** ये हदीसे मुबारका ख़शीयते इलाही, यानी अल्लाह तआला के ख़ौफ़ से रोने की फ़ज़ीलत पर भी दलालत करती है बिल ख़ुसूस मख़्लूक़ से छुप छुपा कर रोने की तो बात ही और है। जिस ख़ूश बख़्त को ये अज़ीम दौलत मिल जाये वाक़ेई वह शख़्स ख़ूश क़िस्मत तरीन इन्सान होता है। ऐसा सिर्फ़ वह शख़्स करेगा जिसे कमाल इख़्लास की दौलत हासिल हो। ऐसा करने वाला शख़्स भी रोज़े क़यामत अर्शे इलाही के साये का हक़दार होगा। **(3)** ये हदीसे मुबारका महज़ अल्लाह तआला की रिज़ा और ख़ूशनूदी हासिल करने की ख़ातिर बाहम मोहब्बत करने का शौक़ दिलाती है, और ऐसा करने वालों की अज़ीम फ़ज़ीलत और उनके लिये ख़ूबसूरत अज्र व सवाब भी बयान करती है। **(4)** 'सात क़िस्म के लोग' दीगर अहादीस में इन सात क़िस्मों के अलावा भी मज़्कूर हैं। उन से इनकी नफ़ी नहीं होती। **(5)** 'अल्लाह तआला का साया' जैसा उसकी शान के लाइक़ है या फिर इससे मुराद अर्श का साया है जैसा कि कुछ रिवायात में है। देखिये: (अल्मोजमुल कबीर लित तबरानी, जिल्द: 20, हदीस: 146, 147, व सहीह जामेअ अस्सग़ीर हदीस: 1937) **(6)** 'जवान' क्योंकि बूढ़ा आदमी इबादत नहीं करेगा तो क्या करेगा? वक़्त पीरी गर्ग जालिम मी शवद परहेज़गार। असल फ़ज़ीलत जवानी की इबादत की है। **(7)** 'अटका रहता है' उसको मस्जिद में सुकून हासिल होता है। मस्जिद से बाहर बेचैन रहता है और अगली नमाज़ के लिये मुन्तज़िर रहता है।

باب(٣): الإِصَابَةِ فِي الْحُكْمِ

बाब : (3) सही फ़ैसला करने (के अज्र व सवाब) का बयान

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، {بْنِ}

(5383) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई हाकिम फ़ैसला करते वक़्त सही नतीजे तक पहुँचने की कोशिश करे और सही फ़ैसला कर दे तो उसको

مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ ".

दुगना स़वाब मिलेगा और अगर वह कोशिश करे लेकिन स़ही फ़ैसले तक न पहुँच सके तो उसके लिये इकहरा स़वाब है।'

(5383) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 352, मुस्लिम, हदीस़: 1716, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5920.

फ़ायदा : इन्सान के बस में कोशिश ही है। अगर वह कोशिश करे तो उसे कोशिश का स़वाब ज़रूर मिलता है, नतीजा हास़िल हो या न क्योंकि नतीजा इन्सान के इख़्तियार में नहीं। हुस्ने नियत और कोशिश ही अस़ल है।

باب(٤): تَرْكِ اسْتِعْمَالِ مَنْ يَحْرِصُ عَلَى الْقَضَاءِ

बाब : (4) जो शख़्स़ ओहद-ए-क़ज़ा का तालिब और हरीस़ हो, उसे क़ाज़ी मुक़र्रर न किया जाये

خْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي عُمَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ أَتَانِي نَاسٌ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ فَقَالُوا اذْهَبْ مَعَنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنَّ لَنَا حَاجَةً. فَذَهَبْتُ مَعَهُمْ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ اسْتَعِنْ بِنَا فِي عَمَلِكَ. قَالَ أَبُو مُوسَى فَاعْتَذَرْتُ مِمَّا قَالُوا وَأَخْبَرْتُ أَنِّي لاَ أَدْرِي مَا حَاجَتُهُمْ فَصَدَّقَنِي وَعَذَرَنِي. فَقَالَ " إِنَّا لاَ نَسْتَعِينُ فِي عَمَلِنَا بِمَنْ سَأَلَنَا ".

(5384) हज़रत अबू मूसा (ؓ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि मेरे पास कुछ अशअ़री लोग आये और कहा: हमारे साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास चलें क्योंकि हमें (आपसे) एक काम है। मैं उनके साथ चल पड़ा। वह आपसे कहने लगे: ऐ अल्लाह के रसूल! हमें किसी काम पर मुक़र्रर फ़रमाइये। हज़रत अबू मूसा ने कहा: मैंने उनकी इस बात पर (आप से) माज़रत की और आपको बतलाया कि मुझे इल्म नहीं था कि उन्हें क्या काम है? (वरना मैं उनके साथ न आता) आपने मुझे सच्चा जानते हुये मेरी माज़रत को तस्लीम फ़रमाया और इरशाद फ़रमाया: 'हम किसी ऐसे शख़्स़ को अपने किसी काम पर मुक़र्रर नहीं करते जो ख़ुद तलब करे।'

(5384) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 4/417, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5935, देखें, हदीस़: 4.

फ़ायदा : जो शख़्स़ ओहदे का हरीस़ (लालची) हो, वह दयानत दारी के साथ अपने फ़राइज़ अदा नहीं कर सकेगा। वह अपने ओहदे को शान व शौकत या दौलत के हुसूल का ज़रिया बनायेगा, और उसे अल्लाह तआ़ला

की तरफ़ से मदद और तौफ़ीक़ भी हासिल नहीं होगी, लिहाज़ा उसे ओहदे पर मुक़र्रर न किया जाये। अलबत्ता अगर हुकूमत ख़ुद दरख़्वास्तें तलब करे तो दरख़्वास्त दी जा सकती है। इसमें कोई हर्ज नहीं और ऐसे शख़्स को ओहदा भी दिया जा सकता है। (मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 4)

(5385) हज़रत उसैद बिन हुज़ैर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि एक अन्सारी, रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और कहा: क्या आप मुझे आमिल मुक़र्रर नहीं फ़रमायेंगे जिस तरह फ़ुलां को मुक़र्रर फ़रमाया है? आप ने फ़रमाया: 'मेरे बाद तुम महसूस करोगे कि दूसरों को तुम पर तर्जीह दी जा रही है, तो तुम सब्र करना यहाँ तक कि मुझे हौज़ पर मिलो।'

(5385) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1845, बुख़ारी, हदीस: 7057, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5933.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا، يُحَدِّثُ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَلاَ تَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا قَالَ " إِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ ".

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीसे मुबारका अन्सार की मन्क़बत व अज़मत पर दलालत करती है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उनकी मदह फ़रमाई है, और आपने उन्हें सब्र की तल्क़ीन भी फ़रमाई। **(2)** ये हदीसे मुबारका आलामे नबुवत में से एक बहुत बड़ी निशानी भी है कि जिस तरह आपने पेशगोई फ़रमाई थी बाद में इसी तरह हुआ। **(3)** हर शख़्स को ओहदे पर मुक़र्रर नहीं किया जा सकता क्योंकि असामियाँ इतनी नहीं होतीं, लिहाज़ा दूसरे लोगों को हसद और बग़ावत का इज़्हार नहीं करना चाहिए बल्कि सब्र करना चाहिए वरना अफ़रातफ़री फैल सकती है। **(4)** 'तुम महसूस करोगे' तुमसे मुराद आम लोग भी हो सकते हैं और ख़ुसूसन अन्सार भी क्योंकि बाद में हुकूमत क़ुरैश के पास ही रही और सरकारी ओहदों पर उमूमन क़ुरैशी ही फ़ाइज़ रहे। **(5)** 'यहाँ तक कि मुझे हौज़ पर मिलो' यानी सब्र के नतीजे में तुम्हें हौज़े कौसर नसीब होगा। ये मानी भी हो सकते हैं कि 'सब्र करना ताकि तुम्हें हौज़े कौसर नसीब हो' और मेरा दीदार हासिल हो जब कि लड़ाई झगड़े की सूरत में इन दोनों चीज़ों से महरूमी हो सकती है।

बाब : (5) हुकूमत और इमारत माँगने की मुमानिअत का बयान

باب(٥): النَّهْيِ عَنْ مَسْأَلَةِ الإِمَارَةِ

(5386) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन समुरा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हुकूमत न माँग क्योंकि अगर तुझे माँगने के नतीजे में हुकूमत मिल भी गई तो तुझे हुकूमत के लिये

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، ح وَأَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ

عَلِيٌّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا ".

अकेला छोड़ दिया जायेगा। और अगर तुझे माँगे बग़ैर हुकूमत मिली तो (अल्लाह तआला की तरफ़ से) तेरी मदद की जायेगी।'

(5386) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 7147, मुस्लिम, हदीस: 13/1652, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5929, 5930.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हुकूमत और इमारत एक ज़िम्मेदारी है जिसकी जवाबदेही भी करना होगी। कमी कोताही की सूरत में सज़ा भी भुगतना होगी। और कमी कोताही हो जाना लाज़िमी अम्र है, इसलिये ख़्वाह म ख़्वाह इस मुसीबत को गले न डाला जाये, अलबत्ता अल्लाह तआला की तरफ़ से कोई ज़िम्मेदारी आन पड़े, लोग ज़बरदस्ती गले में डाल दें तो अल्लाह का नाम लेकर संभाल ले। इस सूरत में अल्लाह तआला की तौफ़ीक़ भी शामिले हाल होगी और लोग भी तआवुन करेंगे। **(2)** 'अकेला छोड़ दिया जायेगा' यानी न अल्लाह तआला तौफ़ीक़ अता फ़रमायेगा न लोगों का तआवुन हासिल होगा। ज़ाहिर है, फिर सिर्फ़ बदनामी ही होगी और नाकामी का सामना होगा। लफ़्ज़ी मानी हैं: 'तुझे इमारत के सुपुर्द कर दिया जायेगा।' (और देखिये हदीस: 5384)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّكُمْ سَتَحْرِصُونَ عَلَى الإِمَارَةِ وَإِنَّهَا سَتَكُونُ نَدَامَةً وَحَسْرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَنِعْمَتِ الْمُرْضِعَةُ وَبِئْسَتِ الْفَاطِمَةُ".

(5387) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम इमारत की ख़्वाहिश करोगे जबकि ये क़यामत के दिन नदामत और अफ़सोस व हसरत (का सबब) बन जायेगी। ये दूध पिलाती रहे तो अच्छी लगती है। दूध छुड़ा दे तो बुरी लगती है।'

(5387) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4216, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5927.

फ़ायदा : इस हदीस में हुकूमत को औरत के साथ तश्बीह दी गई है कि दूध पिलाने वाली (औरत) बच्चे को अच्छी लगती है। वह इससे मोहब्बत करता है लेकिन जब वही औरत दूध छुड़ा दे तो फिर वह उससे नफ़रत करने लगता है। लातें मारता है और चीख़ता चिलाता है। यही हालत हुकूमत और हाकिम की है कि जब तक वह बर सरे इक़्तेदार रहे, वह हुकूमत के नशे में मस्त रहता है और अपने आपको ख़ुश क़िस्मत तरीन आदमी समझता है। बल्कि ख़ूब अय्याशियाँ करता है लेकिन जब हुकूमत छीन जाती है तो आँखें

खुल जाती हैं। इक़्तेदार रह रह कर याद आता है। फिर वह आह व बुका करता है और जब उसे अपने दौरे इक़्तेदार का हिसाब देना पड़ता है तो फिर वह हुकूमत से नफ़रत करने लगता है और अपने आप को बदक़िस्मत तरीन इन्सान समझता है। और अगर कोई साहिबे इक़्तेदार अपनी मौत तक हुक्मरान रहे तो फिर आख़िरत में उससे भी बुरा हाल होता है। इल्ला मा रहिमा रब्बी। हदीस में भी इस तरफ़ इशारा मौजूद है। हज़रत उमर (ﷺ) जैसे बेमिसाल आदिल हुक्मरान का क़ौल है: 'काश मैं अपने दौरे इक़्तेदार के हिसाब से बग़ैर कुछ लिये दिये (सवाब व अज़ाब) छोड़ दिया जाऊँ।' ये उसी हक़ीक़त का इज़्हार है वरना उनकी ख़िलाफ़त की तारीफ़ तो ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पेशगोई की सूरत में फ़रमाई है। (ﷺ).

बाब : (6)
शायरों को आमिल (हाकिम) मुक़र्रर करना

بابُ(٦): اسْتِعْمَالِ الشُّعَرَاءِ

(5388) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि बनू तमीम का एक क़ाफ़िला नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने कहा: क़अक़ाअ बिन मअबद को इनका अमीर मुक़र्रर फ़रमा दीजिये। हज़रत उमर (ﷺ) ने कहा: इसकी बजाये अक़रअ बिन हाबिस को अमीर मुक़र्रर फ़रमायें। इस बात पर दोनों आपस में बहस व तकरार करने लगे यहाँ तक कि उनकी आवाज़ें बलन्द हो गईं तो इसकी बाबत ये आयत उतरी: 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह तआला और उसके रसूल (ﷺ) से आगे न बढ़ो ...... अगर ये लोग सब्र करते (और आपको बाहर से आवाज़ें न देते) यहाँ तक कि आप ख़ुद उनके पास तशरीफ़ लाते तो उनके लिये बेहतर होता।'

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، قَدِمَ رَكْبٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَمِّرِ الْقَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدٍ. وَقَالَ عُمَرُ رضى الله عنه بَلْ أَمِّرِ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ. فَتَمَارَيَا حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا فَنَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَىِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} حَتَّى انْقَضَتِ الآيَةُ {وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ}.

(5388) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4847, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5936.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि कभी कभार बड़े बड़े ओज़मा और जलीलुल क़द्र लोगों से भी ग़लती हो जाती है जैसा कि उम्मते मुहम्मदिया के अफ़ज़ल तरीन इन्सान सिद्दीक़ व फ़ारूक़ (ﷺ) से ख़ता सादिर हुई, ताहम उन्होंने ऐसी सच्ची तौबा की कि मज़्कूरा वाक़िये के

बाद कभी रसूलुल्लाह (ﷺ) के सामने बलन्द आवाज़ से बात नहीं की। (2) इस हदीस़ से रसूलुल्लाह (ﷺ) की अज़ीम क़द्रो मन्ज़िलत भी वाज़ेह होती है कि आपके सामने किसी को ऊँची आवाज़ से बात करने का हक़ भी नहीं चे जायेकि आपके मुक़ाबले में किसी उम्मती को दर्ज-ए इमामत पर फ़ाइज़ कर दिया जाये और उसकी हर बात को आँखें बन्द करके तस्लीम कर लिया जाये और सारी ज़िन्दगी न सिर्फ़ उसकी अंधाधुंद तक्लीद में गुज़ार दी जाये बल्कि बिला दलील उसकी बात तस्लीम न करने वालों को तअ़न व तशनीअ़ का निशाना बनाया जाये। (3) इस हदीस़ में मसल-ए बाब का स़राहतन ज़िक्र नहीं अगर कहीं इसका स़बूत मिलता है कि अक़रअ़ बिन हाबिस भी शायरी करते थे तो फिर बात वाज़ेह है। वल्लाहु आलम! (4) कुर्आन मजीद और अहादीस़ में उमूमन शायर की मज़म्मत की गई है क्योंकि शायर मुबालिग़ा आराई बल्कि झूठ, ख़ुशामद और ताली के आ़दी होते हैं और शरीयत इन औस़ाफ़ को बुरा समझती है। वैसे भी हाकिम के लिये संजीदा तबअ़ होना ज़रूरी है और ये चीज़ पेशावर शायर में मफ़्क़ूद होती है, इसलिये ज़ाहिरी तौर पर समझ में यही आता है कि शायर को हाकिम नहीं बनाना चाहिए मगर चूंकि ज़रूरी नहीं कि हर शायर ऐसा ही हो ख़ुसूसन जो पेशावर शायर न हो, लिहाज़ा अगर इमारत का अहल हो तो उसे अमीर बनाया जा सकता है। (5) 'आगे न बढ़ो' यानी अल्लाह और उसके रसूल के फ़ैस़ले से क़ब्ल जल्दबाज़ी न करो बल्कि उनके फ़ैस़ले का इन्तेज़ार करो जब तक रसूलुल्लाह (ﷺ) ख़ुद मश्वरा तलब न फ़रमायें, तुम ख़ुद ब ख़ुद मश्वरा न दो। अमीर मुन्तख़ब करना रसूलुल्लाह (ﷺ) का काम है न कि तुम्हारा। (6) 'स़ब्र करते' इशारा बनू तमीम के वफ़्द की तरफ़ है कि जब वह आये थे तो उन्होंने बाहर खड़े होकर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देनी शुरू कर दी थी: या मुहम्मद उख्रुज ज़ाहिर है ये माक़ूल अन्दाज़ नहीं था। नबी-ए-अकरम (ﷺ) जैसी अ़ज़ीम शख़्सियत को इस तरह नहीं बुलाया जा सकता बल्कि उनका इन्तेज़ार किया जाता है।

बाब : (7) जब लोग किसी शख़्स को अपना फ़ैस़ल मुक़र्रर करें और वह उनके दरम्यान फ़ैस़ला करे (तो ये अच्छी बात है)

باب : (٧)
إِذَا حَكَّمُوا رَجُلاً فَقَضَى بَيْنَهُمْ

(5389) हज़रत हानी (ؓ) से मन्क़ूल है कि वह रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ, आपने लोगों को उसे अबुल हकम की कुनियत से पुकारते सुना। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे बुलाया और फ़रमाया: 'अस़ल हकम तो अल्लाह तआ़ला है और उसी का फ़ैस़ला चलता है। फिर तुझे अबुल

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، وَهُوَ ابْنُ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ {عَنْ أَبِيهِ،} عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ أَبِيهِ، هَانِئٍ أَنَّهُ لَمَّا وَفَدَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَهُ وَهُمْ يَكْنُونَ هَانِئًا أَبَا

الْحَكَمِ فَدَعَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ " إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ فَلِمَ تُكَنَّى أَبَا الْحَكَمِ ". فَقَالَ إِنَّ قَوْمِي إِذَا اخْتَلَفُوا فِي شَيْءٍ أَتَوْنِي فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلاَ الْفَرِيقَيْنِ. قَالَ " مَا أَحْسَنَ مِنْ هَذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوُلْدِ ". قَالَ لِي شُرَيْحٌ وَعَبْدُ اللَّهِ وَمُسْلِمٌ. قَالَ " فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ ". قَالَ شُرَيْحٌ. قَالَ " فَأَنْتَ أَبُو شُرَيْحٍ ". فَدَعَا لَهُ وَلِوَلَدِهِ.

हकम क्यूँ कहा जाता हे?' उसने कहा: मेरी क़ौम में जब कोई इख़्तिलाफ़ होता है तो वह मेरे पास आते हैं। मैं उनमें फ़ैसला कर देता हूँ जिसे दोनों फ़रीक़ पसन्द करते हैं। आपने फ़रमाया: 'ये तो बहुत अच्छी बात है। तेरे कितने लड़के हैं?' मैंने कहा: शुरैह, अब्दुल्लाह और मुस्लिम। आपने फ़रमाया: 'उनमें से बड़ा कौन है?' उसने कहा: शुरैह। आपने फ़रमाया: 'तेरी कुनियत आज से अबू शुरैह है।' फिर आपने उसके लिये और उसकी औलाद के लिये दुआ फ़रमाई।

(5389) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 4955, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5940, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1957, अल हाकिम: 1/23.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से ये इशारा मिलता है कि सालिस का क्या हुआ सही और दुरुस्त फ़ैसला नाफ़िज़ होना चाहिए क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत हानी (رضي الله عنه) के फ़ेअल की तहसीन फ़रमाई है। (2) बड़े बेटे के नाम पर कुनियत रखना मुस्तहब है क्योंकि बड़ा होने की वजह से ये उसका हक़ बनता है। (3) इस हदीसे मुबारका से ये मसला भी मालूम होता है कि क़बीह और बुरे नाम को बदल देना मुस्तहब और पसन्दीदा शरई अमल है, और ये हदीसे मुबारका इस मसले की तरफ़ रहनुमाई भी करती है कि 'अबुल हकम' कुनियत रखने से एहतिराज़ करना चाहिए, इसलिये कि अरबी में हकम फ़ैसला करने वाले को कहते हैं। अबुल हकम से मुराद है सबसे बड़ा फ़ैसला करने वाला। ज़ाहिर है इसमें फ़ख़्र और तआली का इज़्हार है जिसे शरीयत मुनासिब नहीं समझती, इसलिये आपने इस कुनियत को हक़ीक़ी कुनियत से तब्दील फ़रमा दिया। (4) 'ये बहुत अच्छी बात है 'अरबी जुम्ले के लफ़्ज़ी मानी हैं' इससे अच्छी कोई बात नहीं।' मफ़हूम वही है।

باب(٨): النَّهْيِ عَنِ اسْتِعْمَالِ النِّسَاءِ فِي الْحُكْمِ

बाब : (8) (फ़ैसला करने के लिये) औरतों को क़ाज़ी (या हाकिम) मुक़र्रर करने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنِ

(5390) हज़रत अबू बक्रा(رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: अल्लाह तआला ने मुझे एक फ़रमान की बदौलत बचा लिया जो मैंने

الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَىْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ " مَنِ اسْتَخْلَفُوا ". قَالُوا بِنْتَهُ. قَالَ " لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً ".

रसूलुल्लाह (ﷺ) से सुना था। जब (शाहे ईरान) किस्रा मर गया तो आपने पूछा: 'उन लोगों (ईरानियों) ने किसे जानशीन बनाया है?' लोगों ने कहा: उसकी बेटी को। आपने फ़रमाया: 'वह क़ौम हरगिज़ कामयाब नहीं होगी जिन्होंने अपनी हुकूमत एक औरत के सुपुर्द कर दी।'

(5390) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4425, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5937.

फ़वाइद व मसाइल : (1) औरत को क़ाज़ी और जंज बनाना और उससे फ़ैसले कराना दुरुस्त नहीं, शरअन ये ममनूअ है। **(2)** औरत का दाइर-ए-कार मर्द के दाइर-ए-कार से मुख़्तलिफ़ है। औरत के ज़िम्मे घरेलू उमूर की निगरानी है जब कि बेरूनी उमूर, जैसे: कारोबार, मुलाज़मत, हुकूमत व क़ज़ा वग़ैरह मर्द की ज़िम्मेदारी है। फिर जिन मामलात में मर्दो औरत का इख़्तिलात होता है, उनमें औरत ज़िम्मेदारी नहीं सम्भाल सकती। इसी लिये औरत को इमाम नहीं बनाया जा सकता, ख़्वाह वह साहिबे इल्म व फ़ज़्ल ही हो। क़ज़ा और इमारत में तो उमूमन वास्ता ही मर्दों से पड़ता है। वैसे भी ये घरेलू मामला नहीं, लिहाज़ा औरत के लिये क़ज़ा व इमारत जायज़ नहीं। यही वजह है कि ख़ुलफ़ा-ए राशिदीन के दौर में किसी औरत को किसी मुल्की मन्सब पर मुक़र्रर नहीं किया गया अगरचे उस दौर में बलन्द मर्तबा ख़्वातीन की कमी नहीं थी क्योंकि वह पर्दे में रहने की पाबन्द हैं। बाद वाले अदवार में भी इस बात पर ही अमल जारी रहा। और अहले इल्म का भी इस बात पर इज्मा है। **(3)** 'बचा लिया' हज़रत अबू बक्रा (رضی اللہ عنہ) का इशारा हज़रत आयशा (رضی اللہ عنہا) की तरफ़ है। जब वह क़िसासे उस्मान (رضی اللہ عنہ) के सिलसिले में मक्का से बसरा तशरीफ़ लाई थीं। उनके साथ बड़े बड़े सहाबा थे। रास्ते में लोग मिलते गये यहाँ तक कि लश्करे अज़ीम बन गया क्योंकि उनका मुतालबा सही था, इसलिये हज़रत अबू बक्रा ने भी उनका साथ देने का इरादा फ़रमाया मगर जब देखा कि लश्कर की क़यादत औरत के हाथ में है तो ऊपर दिये गये फ़रमाने रसूल के पेशे नज़र वह पीछे हट गये। **(4)** अगरचे हज़रत आयशा(رضی اللہ عنہا) न तो हुकूमत की ख़्वाहां थीं, न कोई ओहदा तलब कर रही थीं सिर्फ़ क़िसास का मुतालबा कर रही थीं और ये मुतालबा हर मुसलमान कर सकता था मगर लश्कर की क़यादत की सूरत में ये बात मुनासिब नहीं थी। इस पर वह ख़ुद भी बाद में इज़्हारे तास्सुफ़ करती रहीं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लिहाज़ा कोई ऐतराज़ न रहा। (رضی اللہ عنہا). **(5)** 'उसकी बेटी को' दरम्यान में किस्रा परवेज़ का बेटा भी बादशाह रहा मगर वह सिर्फ़ छ: महीने के लिये, इसलिये उसको शुमार नहीं किया गया। **(6)** 'कामयाब नहीं होगी' आख़िरत में या दुनिया में भी क्योंकि हुकूमत औरत का मैदान नहीं। वह इसमें मर्दों से मात खा जाती है। तारीख़ मुलाहिज़ा फ़रमाइये।

बाब : (9) मुशाबिहत और क़यास के साथ फ़ैसला करना और इब्ने अब्बास (ﷺ) की हदीस में (रावियों का) वलीद बिन मुस्लिम पर इख़्तिलाफ़

الْحُكْمِ بِالتَّشْبِيهِ وَالتَّمْثِيلِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَدَاةَ النَّحْرِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ إِلاَّ مُعْتَرِضًا أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ حُجِّي عَنْهُ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ قَضَيْتِيهِ ".

(5391) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि वह नहर के दिन रसूलुल्लाह (ﷺ) के पीछे सवारी पर बैठे थे कि ख़स्अम क़बीले की एक औरत आपके पास हाज़िर हुई और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला का उसके बन्दों पर फ़रीज़-ए-हज, मेरे वालिद पर उस वक़्त (फ़र्ज़) हुआ जबकि वह बहुत बूढ़े हैं। (सवारी पर) सवार नहीं हो सकते मगर ये कि उन्हें लिटा दिया जाये तो क्या मैं उनकी तरफ़ से हज कर लूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ। तू उसकी तरफ़ से हज कर क्योंकि अगर उसके ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो तू उसे अदा करती।'

(5391) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 18... मुस्लिम, हदीस: 1335, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5950.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला साबित होता है कि किसी दूसरे शख़्स की तरफ़ से हज करना शरअन जायज़ है बशर्ते कि हज्जे बदल करने वाला शख़्स उससे पहले अपना हज कर चुका हो जैसा कि शुब्रमा वाली हदीस में है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया था कि पहले अपना हज कर फिर शुब्रमा की तरफ़ से हज करना। (2) याद रहे जिस शख़्स पर हज फ़र्ज़ हो चुका हो और उसे कोई शरई उज़्र आड़े आ रहा हो जिसकी वजह से वह ख़ुद हज न कर सकता हो, जैसे: वह दाइमी मरीज़ हो या इन्तेहाई बूढ़ा हो या सवारी पर बैठने के क़ाबिल न हो, वग़ैरह तो ऐसे ज़िन्दा शख़्स की तरफ़ से हज करना दुरुस्त है। (3) ये इशारा भी मिलता है कि अगर सवारी का जानवर बरदाश्त कर सकता हो तो उस पर बैक वक़्त एक से ज़्यादा आदमी सवार हो सकते हैं, और ये रसूलुल्लाह (ﷺ) की अज़ीम तवाज़ोअ और हज़रत फ़ज़्ल (ﷺ) के अज़ीमुल मर्तबत होने की सरीह दलील भी है कि आपने अपने से कहीं कम मर्तबा शख़्स को न सिर्फ़ अपने साथ बल्कि अपने पीछे एक ही सवारी पर सवार कर लिया। (4) इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी मालूम हुआ कि ग़ैर

महरम शख़्स के लिये औरत की आवाज़ सुनना शरअन जायज़ है। जो लोग औरत की आवाज़ को भी औरत, यानी छुपाने के क़ाबिल क़रार देते हैं, इस हदीसे मुबारका से उनके मौक़िफ़ का रद्द होता है। (5) आलिम और उस्ताद अगर मुनासिब समझे तो साइल और शागिर्द को मिसाल बयान कर के मसला समझा सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया था। (6) ये हदीसे मुबारका वालिदैन के साथ नेकी और हुस्ने सुलूक करने पर दलालत करती है। उनका ख़्याल रखना उनके ज़िम्मे क़र्ज़ हो तो अदा करना, उनके नान व नफ़्क़ा और अख़राजात वग़ैरह का ध्यान करना, और उनकी दीगर दीनी और दुनियावी ज़रूरतें पूरी करना औलाद की ज़िम्मेदारी है। (7) ये हज्जतुल विदा की बात है। यौमे नहर से मुराद 10 ज़िलहिज्जा है जिस दिन हाजी मिना में वापस आते हैं और रमी करते हैं। (8) 'अगर उसके ज़िम्मे क़र्ज़ होता' ये एक मिसाल है जो आपने उसको मसला समझाने के लिये बयान फ़रमाई वरना ये ज़रूरी नहीं कि आपने हज का मसला क़र्ज़ के मसले से मालूम फ़रमाया हो बल्कि ये दोनों अहकाम शुरू में मालूम था। इसलिये इमाम बुख़ारी (رحمه الله) ने इस हदीस का उन्वान यूँ बाँधा है: 'जो शख़्स एक मालूम हुक्म समझाने के लिये एक ज़्यादा वाज़ेह हुक्म को बतौर मिसाल बयान करे .... अलख़' वरना बहुत से मसाइल में ये क़यास नहीं चलता, जैसे: किसी शख़्स के ज़िम्मे नमाज़ या रोज़ा हो और वह ख़ुद अदा करने के क़ाबिल न हो तो कोई दूसरा शख़्स उसकी तरफ़ से अदा नहीं कर सकता और ये इत्तेफ़ाक़ी मसला है। (9) याद रखना चाहिए कि क़यास वहाँ चलता है जहाँ शरीयत का सरीह हुक्म मौजूद न हो, इसलिये क़ुर्आन व हदीस के हुक्म के मुक़ाबले में क़यास जायज़ नहीं।

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، ح وَأَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ اسْتَفْتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَالْفَضْلُ رَدِيفُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ

(5392) हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) ने बयान फ़रमाया कि ख़स्अम क़बीले की एक औरत ने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मसला पूछा जब कि फ़ज़्ल(رضي الله عنه) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ आपकी सवारी के पीछे बैठे थे। उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला का उसके बन्दों पर फ़रीज़-ए-हज, मेरे वालिद पर उस वक़्त (फ़र्ज़) हुआ जबकि वह बहुत बूढ़े हैं। वह सवारी पर बैठ नहीं सकते तो क्या ये दुरुस्त है कि मैं उनकी तरफ़ से हज अदा करूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' और (रावि-ए-हदीसे उस्ताद) महमूद ने कहा: यक़्ज़ी (जबकि उस्ताद अम्र बिन उस्मान के लफ़्ज़ थे: युज़्ज़ी)

يُجْزِئُ قَالَ مَحْمُودٌ فَهَلْ يَقْضِي - أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ فَقَالَ لَهَا " نَعَمْ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ مَا ذَكَرَ الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ.

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) ने कहा है कि इमाम ज़ोहरी से कई लोगों ने ये रिवायत बयान की है मगर जो वलीद बिन मुस्लिम ने बयान किया है, वह किसी ने बयान नहीं किया।

(5392) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2636, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5954.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ تَسْتَفْتِيهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ وَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الآخَرِ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ ". وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

(5393) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया कि हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ पीछे सवारी पर बैठे थे कि ख़स्अम क़बीले की एक औरत आपके पास मसला पूछने आई। फ़ज़्ल उसको देखने लगे और वह फ़ज़्ल को देखने लगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज़्ल का चेहरा दूसरी तरफ़ फेरना शुरू कर दिया। वह कहने लगी: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला का उसके बन्दों पर फ़रीज़-ए हज, मेरे वालिद पर उस वक़्त फ़र्ज़ हुआ जबकि मेरा बाप बहुत बूढ़ा है। वह सवारी पर ठहर (बैठ) नहीं सकता तो क्या मैं उसकी तरफ़ से हज कर लूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ' और ये हज्जतुल विदा की बात है।

(5393) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2636, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5955, मौता: 1/359.

फ़ायदा : 'हाँ' यानी अगले साल उसकी तरफ़ से हज कर लेना क्योंकि फ़िल वक़्त तो वह अपना हज कर रही थी।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ

(5394) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया कि ख़स्अम क़बीले की एक औरत ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अल्लाह तआला का उसके बन्दों पर फ़रीज़-ए-हज मेरे वालिद पर उस वक़्त

يَسَارٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمٍ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لاَ يَسْتَوِي عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " نَعَمْ ". فَأَخَذَ الْفَضْلُ يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا - وَكَانَتِ امْرَأَةً حَسْنَاءَ -وَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْفَضْلَ فَحَوَّلَ وَجْهَهُ مِنَ الشِّقِّ الآخَرِ.

फ़र्ज़ हुआ जबकि वह बहुत बूढ़े हैं। सवारी पर नहीं बैठ सकते। अगर मैं उनकी तरफ़ से हज करूँ तो क्या उनकी तरफ़ से अदायगी हो जायेगी? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे फ़रमाया: 'हाँ' फ़ज़्ल(رضي الله عنه) उसकी तरफ़ देखने लगे क्योंकि वह ख़ूबसूरत औरत थी (और फ़ज़्ल भी ऐसे ही थे) रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़ज़्ल का चेहरा पकड़ कर दूसरी तरफ़ फेर दिया।

(5394) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2636, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5951.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मालूम हुआ कि बदनी इस्तेताअत (ताक़त) न हो लेकिन माली लिहाज़ से हज फ़र्ज़ होता हो तो अपनी जगह किसी दूसरे को हज करवाये जो उसकी तरफ़ से हज करे। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये अहम मसला भी मालूम होता है कि आलिम और इमाम व हाकिम की शरई ज़िम्मेदारी है कि वह मुन्कर और ग़ैर शरई काम को रद्द करे। मुमकिन हो तो हाथ से रोके जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत फ़ज़्ल (رضي الله عنه) का चेहरा दूसरी तरफ़ फेर दिया था।

باب(١٠): ذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ فِيهِ

बाब : (10) (रावियों का) इस हदीस में अबू इस्हाक़ पर इख़्तिलाफ़ का ज़िक्र

أَخْبَرَنَا مُجَاهِدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ هُشَيْمٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَثْبُتُ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَإِنْ شَدَدْتُهُ خَشِيتُ أَنْ يَمُوتَ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ " أَفَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ

(5395) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (رضي الله عنه) से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी-ए अकरम(ﷺ) से सवाल किया कि मेरे बाप पर हज इस हाल में फ़र्ज़ हुआ है कि वह इन्तेहाई बूढ़े हैं। सवारी पर नहीं बैठ सकते। अगर मैं उन्हें पालान पर बाँध दूँ तो मुझे ख़तरा है, वह मर जायेंगे तो क्या मैं उनकी तरफ़ से हज करूँ? आपने फ़रमाया: 'तू बता अगर उसके ज़िम्मे क़र्ज़ होता और तू अदा कर देता तो क्या उसे किफ़ायत हो जाता?' उसने कहा:

جی हाँ। आपने फ़रमाया: 'तू अपने बाप की तरफ़ से हज कर।'

دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ مُجْزِئًا ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ " فَحُجَّ عَنْ أَبِيكَ ".

(5395) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2636, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5947.

(5396) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) से मन्क़ूल है कि वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पीछे सवारी पर सवार थे कि एक आदमी ने आकर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मेरी वालिदा बहुत बूढ़ी हैं। अगर मैं उन्हें सवारी पर सवार कर दूँ तो भी वह नहीं बैठ सकेंगी और अगर मैं उन्हें (पालान पर) बाँध दूँ तो मुझे ख़तरा है कि वह मर जायेंगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तू बता अगर तेरी वालिदा के ज़िम्मे क़र्ज़ होता तो क्या तू उसे अदा करता?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'फिर अपनी माँ की तरफ़ से हज भी कर।'

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي عَجُوزٌ كَبِيرَةٌ إِنْ حَمَلْتُهَا لَمْ تَسْتَمْسِكْ وَإِنْ رَبَطْتُهَا خَشِيتُ أَنْ أَقْتُلَهَا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ ". قَالَ نَعَمْ. قَالَ " فَحُجَّ عَنْ أُمِّكَ ".

(5396) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2644, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5949.

(5397) हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि एक आदमी ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आकर कहा: अल्लाह के नबी! मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं। हज की ताक़त नहीं रखते। अगर मैं उन्हें उठा कर सवारी पर लाद भी दूँ तब भी वह बैठ नहीं सकेंगे। क्या मैं उनकी तरफ़ से हज अदा कर सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'तू अपने वालिद की तरफ़ से हज कर।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा: सुलैमान (इब्ने यसार) ने फ़ज़्ल बिन अब्बास (ﷺ) से नहीं सुना।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ نَافِعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ، يُحَدِّثُهُ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لاَ يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَإِنْ حَمَلْتُهُ لَمْ يَسْتَمْسِكْ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ " حُجَّ عَنْ أَبِيكَ ". قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سُلَيْمَانُ لَمْ يَسْمَعْ مِنَ الْفَضْلِ بْنِ الْعَبَّاسِ.

(5397) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2644.

(5398) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास आकर कहा: मेरा बाप बहुत बूढ़ा है। क्या मैं उसकी तरफ़ से हज कर सकता हूँ? आपने फ़रमाया: 'हाँ। तू बता अगर उसके ज़िम्मे क़र्ज़ होता और तू अदा कर देता तो उसे किफ़ायत न करता?'

(5398) तख़रीज : (सनद सहीह) सुनन अल कुबरा लिन्नसाई: 5953.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلاً، جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ " نَعَمْ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ أَكَانَ يُجْزِئُ عَنْهُ ".

फ़ायदा : इस बाब की पहली चार रिवायात में साइल औ़रत है और आख़री चार रिवायात में साइल मर्द है जब कि वाक़िया एक ही है। इसी तरह आ़म रिवायात में सवाल वालिद के बारे में किया गया है जबकि रिवायत 5396 में सवाल वालिदा के बारे में किया गया है। तत्बीक़ यूँ है कि साइल आदमी था। उसके साथ उसकी नौजवान बेटी भी थी। पहले बेटी ने सवाल किया, फिर उस शख़्स ने भी किया। सवाल उस आदमी के वालिद और वालिदा के बारे में था। लड़की चूंकि अपने बाप की तरफ़ से सवाल पूछ रही थी, लिहाज़ा उसने अल्फ़ाज़ अपने वालिद वाले ही इस्तेमाल किये। जबकि जिस शख़्स के बारे में सवाल किया गया था, वह उस लड़की का दादा था। वैसे भी दादा को बाप भी कहा जा सकता है। और ये इस्तेमाल में आ़म है। उस आदमी के वालिदैन दोनों बूढ़े थे, लिहाज़ा सवाल दोनों के बारे में किया गया। मुसनद अबू यअ़ला (हदीस: 6731, ब तहक़ीक़ हुसैन सुलैम असद) की एक रिवायत से मज़्कूरा तत्बीक़ का इशारा मिलता है कि साइल मर्द और उसकी नौजवान बेटी दोनों थे। वल्लाहु आलम! कुछ उ़लमा मुहक़्क़िक़ीन तर्जीह की तरफ़ माइल हैं, वह कहते हैं कि जो रिवायात इमाम ज़ोहरी के वास्ते से मरवी हैं उन सब में औ़रत ही का ज़िक्र है। और ये बुख़ारी व मुस्लिम की रिवायात हैं, इसलिये उन्हें तर्जीह हासिल है। मक़सद ये है कि साइला औ़रत ही थी, मर्द न था, मर्द के ज़िक्र वाली रिवायात मर्जूह हैं। मज़ीद देखिये: (तालीक़ाते सल्फ़िया, तबअ़ जदीद: 5/458)

बाब : (11) अहले इल्म के इत्तेफ़ाक़ व इज्मा के मुताबिक़ फ़ैसला करना

باب(١١): الْحُكْمِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ

(5399) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन यज़ीद ने फ़रमाया: एक दिन लोगों ने हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) पर किसी मसले के फ़ैसले के

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، هُوَ

ابْنُ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ أَكْثَرُوا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَلَيْنَا زَمَانٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ عَلَيْنَا أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ مِنْكُمْ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم وَلاَ قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَلْيَجْتَهِدْ رَأْيَهُ وَلاَ يَقُولُ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ فَإِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ. قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الْحَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ.

बारे में बहुत ज़ोर दिया तो हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (ﷺ) ने फ़रमाया: एक वक़्त था कि हम फ़ैसले नहीं किया करते थे और न हमारा ये मक़ाम था, फिर अल्लाह तआ़ला ने हमारे लिये मुक़द्दर फ़रमाया कि हम इस मर्तबे को पहुँच गये हैं जो तुम देख रहे हो। आज के बाद जिसके पास कोई फ़ैसला आये तो वह अल्लाह तआ़ला की किताब के हुक्म के मुताबिक़ फ़ैसला करे। अगर कोई ऐसा मसला दरपेश हो जिसके बारे में अल्लाह तआ़ला की किताब में कोई हुक्म ज़िक्र नहीं तो फिर वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) के फ़ैसले के मुताबिक़ फ़ैसला करे। और अगर कोई ऐसा मसला सामने आये जिसके बारे में न तो अल्लाह तआ़ला की किताब में कोई हुक्म है और न रसूलुल्लाह (ﷺ) का कोई फ़ैसला है तो फिर वह नेक लोगों के फ़ैसले के मुताबिक़ फ़ैसला करे। और अगर कोई ऐसा मामला सामने आये जिसके बारे में न तो अल्लाह तआ़ला की किताब में कोई हुक्म है और न रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कोई फ़ैसला फ़रमाया हो और न सलफ़ सालेहीन ने कोई फ़ैसला किया हो तो वह अपनी राय के साथ हक़ बात तक पहुँचने की कोशिश करे। ये न कहे कि मुझे (फ़तवा देते हुये) डर लगता है। और मैं ख़तरा महसूस करता हूँ, इसलिये कि हलाल का हुक्म वाज़ेह है और हराम का भी। दरम्यान में कुछ चीज़ें मुश्तबह हैं तो (उनके बारे में उसूल ये है कि) शक व शुब्हा वाली चीज़ को छोड़ दे और ग़ैर मुश्तबह चीज़ को इख़्तियार करे।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله) ने कहा: ये हदीस़ जय्यद (क़ाबिले हुज्जत) है।

(5399) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी: 1/61, हदीस़: 172, वलबैहक़ी: 10/115, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5945, तबरानी: 9/210, हदीस़: 8921.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस बाब से इमाम साहिब (رحمه الله) का मक़सूद इज्मा की हुज्जियत साबित करना है क्योंकि कुर्आन मजीद की आयात और दीगर अहादीस़ से इसकी हुज्जियत साबित होती है, जैसे (अन्निसा: 4/115) और (अल बक़र: 2/143) इसी तरह (इन्नल्लाह क़द .....) (सिलसिलतुल अहादीस़ अस्सहीहा, हदीस़: 1331) इस क़िस्म की आयात व अहादीस़ से साबित होता है कि जब अहले इल्म एक बात पर इत्तेफ़ाक़ कर लें तो किसी शख़्स को उसकी मुख़ालिफ़त नहीं करनी चाहिए, ख़्वाह इस बात पर कुर्आन व हदीस़ से कोई स़रीह दलील न मिलती हो। ख़ुलफ़ा ए राशिदीन का तर्ज़े अमल यही था कि जब किसी मसले की बाबत स़रीह हुक्म न होता तो अहले इल्म से मश्वरा फ़रमाते, फिर जिस पर इत्तेफ़ाक़ हो जाता उसे इख़्तियार कर लेते, लिहाज़ा इज्मा की मुख़ालिफ़त नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो इज्तेहाद शरई तक़ाज़ों के ऐन मुताबिक़ हो उससे रू गर्दानी और ऐराज़ करना न सिर्फ़ गुमराही व बेदीनी बल्कि शैतान का आल-ए-कार बनना है। ये ज़रूरी है कि इज्तेहाद, नुसूसे किताब व सुन्नत के मुताबिक़ होना चाहिए मुख़ालिफ़ नहीं। **(2)** 'एक वक़्त था' इससे रसूलुल्लाह (ﷺ) और शैख़ैन का दौर मुराद है। **(3)** 'नेक लोगों' मुराद अहले इल्म और मुत्तक़ी हज़रात हैं।

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفِرْيَابِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ ظُهَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ أَتَى عَلَيْنَا حِينٌ وَلَسْنَا نَقْضِي وَلَسْنَا هُنَالِكَ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدَّرَ أَنْ بَلَغْنَا مَا تَرَوْنَ فَمَنْ عَرَضَ لَهُ قَضَاءٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلْيَقْضِ فِيهِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ

(5400) हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (رضي الله عنه) ने फ़रमाया: हम पर एक ऐसा वक़्त गुज़रा कि हम फ़ैसले नहीं किया करते थे और न हमारा ये मर्तबा था। फिर अल्लाह तआला का करना ऐसा हुआ कि हम इस दर्जे को पहुँचे जो तुम देख रहे हो। अब जिस शख़्स के सामने कोई मसला पेश हो तो वह उसके बारे में अल्लाह तआला की किताब के साथ फ़ैसला करे। अगर कोई ऐसा मसला दरपेश हो जो किताबुल्लाह में मज़्कूर न हो तो वह नबी-ए-अकरम (ﷺ) के फ़ैसले के मुताबिक़ फ़ैसला करे। और अगर कोई ऐसा मसला पेश आये जो न

اللَّهِ فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ نَبِيُّهُ فَإِنْ جَاءَ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ وَلاَ يَقُولُ أَحَدُكُمْ إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي أَخَافُ فَإِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَالْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ.

किताबुल्लाह में मज़्कूर हो और न नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने इसकी बाबत फ़ैसला फ़रमाया हो तो वह सलफ़ सालेहीन के फ़ैसले के मुताबिक़ फ़ैसला करे। ये न कहे कि मुझे डर लगता है और मैं ख़तरा महसूस करता हूँ, इसलिये कि हलाल वाज़ेह है और हराम भी वाज़ेह है, अलबत्ता उनके दरम्यान कुछ मुश्तबह चीज़ें हैं। तो शक व शुब्हा वाली चीज़ को छोड़ कर ग़ैर मुश्तबह चीज़ को इख़्तियार कर।

(5400) तख़रीज : (सनद हसन) दारमी: 1/59, हदीस: 167, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5946, दारमी: 1/60, 61, हदीस: 171, वल बैहक़ी, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : 'हलाल वाज़ेह है' यानी कुछ चीज़ों की हिल्लत वाज़ेह और ग़ैर मुतनाज़ेअ है। और कुछ चीज़ें क़तअन हराम हैं। उनके बारे में तो फ़ैसला आसान है। अलबत्ता कुछ मामलात मुश्तबह होते हैं क्योंकि इसमें हिल्लत की वजह भी मौजूद होती है और हुर्मत की भी। या दोनों क़िस्म की अहादीस हैं या इसमें सलफ़ सालेहीन का इख़्तिलाफ़ है। उनमें एहतियात पर अमल करना चाहिए। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ

(5401) हज़रत शुरैह से रिवायत है कि उन्होंने एक मसला पूछने के लिये हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) को ख़त लिखा। उन्होंने जवाब में लिखा कि अल्लाह तआला की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला करो। अगर वह मसला किताबुल्लाह में न हो तो सुन्नते रसूलुल्लाह के मुताबिक़ फ़ैसला करो और अगर वह मसला किताबुल्लाह और रसूलुल्लाह (ﷺ) की सुन्नत में मज़्कूर न हो तो फिर सलफ़ सालेहीन के फ़ैसले के मुताबिक़ फ़ैसला करो और अगर वह मसला न किताबुल्लाह में हो, न रसूलुल्लाह(ﷺ) की सुन्नत में हो और न उसके बारे में सलफ़ सालेहीन से कोई फ़ैसला मन्क़ूल हो तो फिर तेरी मर्ज़ी है, चाहे तो आगे बढ़ (कर जवाब दे) और

وَلاَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللّٰهِ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَّرْ وَلاَ أَرَى التَّأَخُّرَ إِلاَّ خَيْرًا لَكَ وَالسَّلاَمُ عَلَيْكُمْ.

चाहे तो पीछे हट जा (ख़ामोशी इख़्तियार कर) और मेरे ख़याल में ख़ामोशी ही तेरे लिये बेहतर है। वस्सलामुअ़लैकुम!

(5401) तख़रीज : (सनद सही) दारमी: 1/59, 60, हदीस: 169, वलबैहक़ी: 10/115, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5944.

फ़ायदा : 'ख़ामोशी बेहतर है' क्योंकि इज्तेहाद में ग़लती का इम्कान बहरसूरत मौजूद रहता है। इन रिवायात से मालूम हुआ कि क़ुर्आन व हदीस और इज्मा के बाद इज्तेहाद या क़यास का दर्जा है, यानी अगर कोई मसला क़ुर्आन व हदीस में मज़्कूर न हो और इस बारे में इज्मा भी मौजूद न हो तो उसे इजतेहाद व क़यास से हल किया जायेगा बशर्ते कि इज्तेहाद करने वाला साहिबे इल्म हो, इज्तेहाद के क़ाबिल हो लेकिन अगर कोई मसला क़ुर्आन या हदीस में मौजूद हो या उसके बारे में सहाबा या ताबेईन का इज्मा पाया जाता हो तो उसके बारे में इज्तेहाद जायज़ नहीं क्योंकि इज्तेहाद से मुराद मन्सूस मसाइल में तब्दीली करना नहीं बल्कि ग़ैर मन्सूस मसाइल का हल मालूम करना है। आज कल कुछ इल्म से बे बहरा लोग ये समझते हैं कि इज्तेहाद का मतलब क़ुर्आन व सुन्नत के अहकाम में तब्दीली करना है और उनके बक़ौल क़ुर्आन व सुन्नत के मसाइल को मौजूदा हालात के मुताबिक़ करना है, हालांकि हक़ ये है हालात को क़ुर्आन व सुन्नत के मुताबिक़ बदलना चाहिए न कि क़ुर्आन व सुन्नत में हालात के मुताबिक़ तब्दीली करनी चाहिए।

بَابٌ(١٢): تَأْوِيلِ قَوْلِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ}

बाब : (12) अल्लाह तआला के फ़रमान: 'जो शख़्स अल्लाह तआला के उतारे हुये अहकाम के मुताबिक़ फ़ैसला न करे, वह काफ़िर है' की तफ़्सीर

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُرَيْثٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَتْ مُلُوكٌ بَعْدَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ بَدَّلُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيلَ

(5402) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: हज़रत ईसा इब्ने मरयम (ﷺ) के बाद कुछ ऐसे बादशाह हुये जिन्होंने तौरात व इंजील को बदल दिया और उनमें कुछ ईमान पर क़ाइम रहे। वह (असल) तौरात पढ़ते थे। उन बादशाहों से कहा गया: हम कोई गाली उस गाली से सख़्त नहीं पाते जो ये हमें देते हैं क्योंकि ये पढ़ते हैं? 'जो शख़्स अल्लाह तआला के उतारे हुये अहकाम के मुताबिक़ फ़ैसला न करे, वह

وَكَانَ فِيهِمْ مُؤْمِنُونَ يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ قِيلَ لِمُلُوكِهِمْ مَا نَجِدُ شَتْمًا أَشَدَّ مِنْ شَتْمٍ يَشْتِمُونَّا هَؤُلاَءِ إِنَّهُمْ يَقْرَءُونَ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} وَهَؤُلاَءِ الآيَاتِ مَعَ مَا يَعِيبُونَّا بِهِ فِي أَعْمَالِنَا فِي قِرَاءَتِهِمْ فَادْعُهُمْ فَلْيَقْرَءُوا كَمَا نَقْرَأُ وَلْيُؤْمِنُوا كَمَا آمَنَّا. فَدَعَاهُمْ فَجَمَعَهُمْ وَعَرَضَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ أَوْ يَتْرُكُوا قِرَاءَةَ التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ إِلاَّ مَا بَدَّلُوا مِنْهَا فَقَالُوا مَا تُرِيدُونَ إِلَى ذَلِكَ دَعُونَا. فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ ابْنُوا لَنَا أُسْطُوَانَةً ثُمَّ ارْفَعُونَا إِلَيْهَا ثُمَّ اعْطُونَا شَيْئًا نَرْفَعُ بِهِ طَعَامَنَا وَشَرَابَنَا فَلاَ نَرِدُ عَلَيْكُمْ. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ دَعُونَا نَسِيحُ فِي الأَرْضِ وَنَهِيمُ وَنَشْرَبُ كَمَا يَشْرَبُ الْوَحْشُ فَإِنْ قَدَرْتُمْ عَلَيْنَا فِي أَرْضِكُمْ فَاقْتُلُونَا. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمُ ابْنُوا لَنَا دُورًا فِي الْفَيَافِي وَنَحْتَفِرُ الآبَارَ وَنَحْتَرِثُ الْبُقُولَ فَلاَ نَرِدُ عَلَيْكُمْ وَلاَ نَمُرُّ بِكُمْ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنَ الْقَبَائِلِ إِلاَّ وَلَهُ حَمِيمٌ فِيهِمْ. قَالَ فَفَعَلُوا ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا

काफ़िर है।' और इस क़िस्म की दूसरी आयात, और वह अपनी क़िराअत में हम पर अमली ऐब भी लगाते हैं। उनको बुलायें और उन्हें कहें कि जिस तरह हम पढ़ते हैं, वह भी इसी तरह पढ़ें और वह भी इसी तरह ईमान लायें जिस तरह हमारा ईमान है। बादशाह ने उनको बुलाया और उनको क़त्ल की धमकी दी मगर ये कि वह तौरात व इंजील की सही क़िराअत छोड़ कर उनकी तरह तब्दील शुदा क़िराअत करें। उन (मोमिन) लोगों ने कहा: तुम्हें इससे क्या फ़ायदा होगा? तुम हमें छोड़ दो। उनमें से एक गिरोह ने कहा: तुम हमारे लिये कोई बलन्द इमारत बना दो। फिर हमें उस पर चढ़ा दो। हमें कोई ऐसी चीज़ दो कि हम अपना खाना पीना ऊपर ले जा सकें। हम तुम्हारे पास नहीं आयेंगे। एक गिरोह ने कहा: हमें छोड़ो। हम ज़मीन में घूमते फिरेंगे और बिला वजह चक्कर लगाते रहेंगे और जानवरों की तरह खाते पीते रहेंगे। अगर तुम हमें अपने इलाक़े में पकड़ लो तो बेशक हमें क़त्ल कर देना। एक और गिरोह ने कहा: हमारे लिये सहराओं में घर बना दो। हम कुएँ खोद लेंगे और सब्जियाँ काश्त करेंगे। न हम तुम्हारे पास आयेंगे, न तुम्हारे क़रीब से गुज़रेंगे। उन क़बाइल में से कोई क़बीला भी ऐसा न था जिसका कोई दोस्त और रिश्तेदार इन (मोमिन) लोगों में न हो इसलिये उन्होंने ये बातें मान लीं। फिर अल्लाह तआला ने ये आयत उतारी: 'और रहबानियत उन्होंने ख़ुद ईजाद कर ली, हमने उसे उन पर फ़र्ज़ नहीं किया था, मगर अल्लाह की ख़ुशनूदी की तलब में उन्होंने आप ही ये बिदअत निकाली और फिर उसकी पाबन्दी करने का जो हक़ था उसे अदा न किया।' और कुछ दूसरे लोग भी कहने लगे कि हम तो इस

عَلَيْهِمْ إِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} وَالآخَرُونَ قَالُوا نَتَعَبَّدُ كَمَا تَعَبَّدَ فُلاَنٌ وَنَسِيحُ كَمَا سَاحَ فُلاَنٌ وَنَتَّخِذُ دُورًا كَمَا اتَّخَذَ فُلاَنٌ. وَهُمْ عَلَى شِرْكِهِمْ لاَ عِلْمَ لَهُمْ بِإِيمَانِ الَّذِينَ اقْتَدَوْا بِهِ فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلاَّ قَلِيلٌ انْحَطَّ رَجُلٌ مِنْ صَوْمَعَتِهِ وَجَاءَ سَائِحٌ مِنْ سِيَاحَتِهِ وَصَاحِبُ الدَّيْرِ مِنْ دَيْرِهِ فَآمَنُوا بِهِ وَصَدَّقُوهُ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ} أَجْرَيْنِ بِإِيمَانِهِمْ بِعِيسَى وَبِالتَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ وَبِإِيمَانِهِمْ بِمُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَتَصْدِيقِهِمْ قَالَ {يَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ} الْقُرْآنَ وَاتِّبَاعَهُمُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ {لِئَلاَّ يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ} يَتَشَبَّهُونَ بِكُمْ {أَنْ لاَ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ} الآيَةَ.

तरह इबादत करेंगे जैसे कि फ़ुलां (ये ऊँची इमारतों वाले) करते हैं और हम भी उसी तरह घूमते फिरेंगे जैसे ये घूमते फिरते हैं। और हम भी आबादियों से दूर झौंपड़ियाँ बना लेंगे जिस तरह उन्होंने बनाई हैं, हालांकि ये लोग मुश्रिक थे और उनको उन लोगों के ईमान का कोई इल्म न था जिसकी इक़्तेदा का वह दम भरते थे। जब अल्लाह तआला ने नबी-ए अकरम(ﷺ) को मबऊ़स फ़रमया और उनमें से भी चन्द लोग ही रह गये तो मिनारों वाले (राहिब लोग) अपने मिनारों से उतर आये और घूमने फिरने वाले भी वापस आ गये और झौंपड़ियों वाले अपनी झौंपड़ियों से लौट आये। और ये सब लोग आप पर ईमान ले आये और आपकी तस्दीक़ की। अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया: 'ऐ ईमान वालो! अल्लाह से डरो और उसके रसूल पर ईमान लाओ। अल्लाह तआला तुम्हें अपनी रहमत से दोहरा अज्र अ़ता फ़रमायेगा।' एक अज्र हज़रत ईसा (عليه السلام) और तौरात व इंजील पर ईमान लाने का और दूसरा अज्र हज़रत मुहम्मद (ﷺ) पर ईमान व तस्दीक़ का। अल्लाह तआला ने फ़रमाया: 'और अल्लाह तआला तुम्हें नूर अ़ता फ़रमायेगा जिसकी रोशनी में तुम (राहे हक़ पर) चलोगे।' उस नूर से मुराद क़ुर्आन मजीद और नबी-ए-अकरम (ﷺ) की पेरवी है। अल्लाह तआला ने मज़ीद फ़रमाया: 'ताकि अहले किताब (यहूद व नसारा) जान लें, यानी तुम्हारी मुशाबिहत इख़्तियार करें (तुम्हारी तरह ईमान ले आयें) कि वह बज़ाते ख़ुद अल्लाह तआला का कुछ भी फ़ज़्ल हासिल नहीं कर सकते ....अलख़'

तख़रीज : **(सनद ज़ईफ़)** तबरी फ़ी तफ़्सीर: 27/138, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5941, देखें, हदीस: 1027.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** मुहक़्क़िक़े किताब के अलावा दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने इस रिवायत को मौक़ूफ़न सही कहा है और यही बात दुरुस्त है। **(2)** इस हदीस में मज़्कूर आयत की तशरीह तो नहीं अलबत्ता उसकी मिसाल ज़रूर है कि अल्लाह तआला की किताब को बदलना कुफ़्र है। ज़ाहिर है कि किताबुल्लाह के मुताबिक़ फ़ैसला न किया जाये तो वह हुक्म बदल जाता है। ये भी कुफ़्र है। बाक़ी हदीस का इस आयत से कोई ताल्लुक़ नहीं। **(3)** 'सख़्त नहीं पाते' क्योंकि वह हमें काफ़िर कहते हैं। **(4)** 'इल्मी ऐब' यानी हमारी इल्मी ख़राबियाँ बयान करते हैं। **(5)** 'हमें छोड़ दो' गोया कुछ लोग मिनारों पर चढ़ गये और वहाँ रह कर आबादियों से दूर इबादत ख़ाने बना कर रहने लगे। ग़र्ज़ उनका लोगों से कोई ताल्लुक़ न रहा और बदअमल लोग यही चाहते थे कि कोई रोक टोक करने वाला न रहे। **(6)** 'रहबानियत' तर्क कर देना, यानी लोगों से अलग थलग रहना यहाँ तक कि मुआशरती मामलात, जैसे: निकाह, कारोबार, लेन देन और तअल्लुक़ात से भी मुँह मोड़ लेना। ज़ाहिर है शरीयत में इस ख़िलाफ़े फ़ितरत तरीक़े की इजाज़त कैसे हो सकती है? शरीयत का मक़सूद तो लोगों में रह कर अल्लाह तआला से ताल्लुक़ क़ाइम रखना है। **(7)** 'कुछ दूसरे लोग' यानी पहले लोग तो वाक़ेअतन दीने हक़ पर थे और अपने दीन को बचाने के लिये मज़्कूर तरीक़े इख़्तियार कर बैठे थे। बाद में कुछ बेदीन लोगों ने भी उनकी नक़्क़ाली शुरू कर दी जो राहिब होने के साथ साथ मुश्रिक और बेदीन भी थे।

बाब : (13) फ़ैसला ज़ाहिर दलाइल की बिना पर किया जायेगा

باب(١٣): الْحُكْمِ بِالظَّاهِرِ

(5403) हज़रत उम्मे सलमा (رضي الله عنها) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम मेरे पास मुक़द्दमात लाते हो। मैं भी एक इन्सान हूँ। हो सकता है तुममें से कोई शख़्स अपनी दलील को फ़रीक़े सानी से ज़्यादा वज़ाहत के साथ बयान कर सकता हो, लिहाज़ा अगर मैं (ज़ाहिर दलाइल की बिना पर) किसी शख़्स के लिये उसके भाई के हक़ का फ़ैसला कर दूँ तो वह उसे न ले। यूँ समझे मैं उसे आग का टुकड़ा दे रहा हूँ।'

(5403) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2680, मुस्लिम, हदीस: 1713, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5956.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلاَ يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُهُ بِهِ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़सद ये अहम मसला बयान करना है कि क़ाज़ी और जज ज़ाहिरी दलाइल के मुताबिक़ फ़ैसला करेगा, इसलिये अगर किसी क़ाज़ी या हाकिम वग़ैरह ने ग़लत फ़ैसला कर दिया तो ग़लत ही होगा और नाजायज़ भी। किसी भी शख़्स के नाजायज़ फ़ैसला करने से वह फ़ैसला शरई तौर पर जायज़ क़रार नहीं पाता। क़ाज़ी, सालिस या हाकिम और जज वग़ैरह के सामने जिस क़िस्म के दलाइल होंगे, वह उन्हीं के मुताबिक़ फ़ैसला सादिर करेंगे, इसलिये उनके फ़ैसला करने से न कोई हराम काम हलाल क़रार पायेगा और न हलाल काम हराम ही होगा बल्कि उसका वबाल ग़लत दलाइल मुहैया करने वाले के सर होगा। (2) बातिल पर डट जाना, और बातिल की हिमायत और वकालत करना शरअन हराम और नाजायज़ है। जो वकील नायजायज़ और बातिल केस लड़ता है और उनका मुआवज़ा लेता है, वह ख़ुद भी हराम खाता है और अपने अहल व अयाल को भी हराम ही खिलाता है। (3) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि बड़े से बड़ा मुज्तहिद भी ग़लती कर सकता है और उसकी ग़लती शरअन ग़लती ही होगी, ज़ाहिर दलाइल की वजह से वह चीज़ हक़ीक़त में हलाल या हराम नहीं होगी;ताहम मुज्तहिद को अपने इज्तेहाद और कोशिश करने का एक अज्र व सवाब ज़रूर मिलेगा बशर्ते कि उसने जानबूझ कर ग़लती न की हो। जानते बूझते ग़लती करने वाला तो गुनाहगार होगा। (4) इस हदीसे मुबारका से ये भी साबित होता है कि जिस मसले की बाबत वह्य नाज़िल न हुई होती रसूलुल्लाह (ﷺ) उसकी बाबत अपने इज्तेहाद से फ़ैसला फ़रमाते। वल्लाहु आलम! (5) 'इन्सान हूँ' दलाइल समझने में ग़लती लग सकती है। ग़ैबदान नहीं कि ऐन हक़ीक़त पर पहुँच जाऊँ। मैं ज़ाहिरी दलाइल की बिना पर ही फ़ैसला कर सकता हूँ।

बाब : (14) क़ाज़ी का अपने इल्म (और ज़हानत) से फ़ैसला करना

باب(١٤): حُكْمِ الْحَاكِمِ بِعِلْمِهِ

(5404) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो औरतें थीं। उनके साथ उनके दो बेटे भी थे। भेड़िया आया और एक के बेटे को उठा कर ले गया। ये (जिसका बच्चा भेड़िया उठा कर ले गया) दूसरी को कहने लगी: वह तेरे बेटे को ले गया है। दूसरी ने कहा: तेरे बेटे को ले गया है। दोनों हज़रत दाऊद (عليه السلام) के पास फ़ैसला ले गईं। आपने बड़ी के हक़ में फ़ैसला कर दिया। वह बाहर निकलीं तो हज़रत सुलैमान

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ، مِمَّا حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجُ، مِمَّا ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يُحَدِّثُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ وَقَالَ " بَيْنَمَا امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّئْبُ فَذَهَبَ بِابْنِ

إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ هَذِهِ لِصَاحِبَتِهَا إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ . وَقَالَتِ الأُخْرَى إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ . فَتَحَاكَمَتَا إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَخَرَجَتَا إِلَى سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّهُ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ هُوَ ابْنُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلصُّغْرَى " . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاللَّهِ مَا سَمِعْتُ بِالسِّكِّينِ قَطُّ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ مَا كُنَّا نَقُولُ إِلاَّ الْمُدْيَةَ .

बिन दाऊद (ﷺ) मिले। उन्होंने उनसे पूरा वाक़िया बयान किया। आपने फ़रमाया: मेरे पास छुरी लाओ। मैं उसे काट कर दोनों में तक़्सीम कर दूँ। छोटी बोली: अल्लाह तआला आप पर रहम करे! ऐसे न करें। ये इसी का बेटा है। आपने वह छोटी को दे दिया।'

हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने सिक्कीन का लफ़्ज़ उसी दिन सुना वरना हम छुरी को मुद्या कहते थे।

(5404) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 3427, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5960.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'बड़ी के हक़ में' क्योंकि बच्चा उसके हाथ में था। दलील किसी के पास भी नहीं थी। उन्होंने ज़ाहिरी क़ब्ज़े की रिआयत से फ़ैसला कर दिया। हज़रत सुलैमान (ﷺ) ने हिकमत से काम लिया और हक़ीक़त तक पहुँच गये। बाब का मक़सद भी यही है कि क़ाज़ी अपनी ज़हानत से भी मामले की तह तक पहुँच कर हक़ीक़त के मुताबिक़ फ़ैसला कर सकता है, ख़्वाह गवाह और दलाइल न हों मगर ये तब है जब हाकिम या क़ाज़ी के ख़िलाफ़ बदगुमानी पैदा न होती हो, और फ़रीक़े सानी भी चुप हो जाये और मान ले। **(2)** 'ये इसी का है' क्योंकि काट देने और टुकड़े करने से किसी का भी नहीं रहेगा। उसको देने की सूरत में बच्चा नज़र तो आयेगा और ममता को कुछ न कुछ सुकून तो मिलता रहेगा। इसी से मालूम हुआ कि बेटा उसी का है। तभी तो उसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई। 'सिक्कीन' अरबी में छुरी को सिक्कीन कहते हैं और मुद्या भी। हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) के इलाक़े में सिर्फ़ मुद्या कहते होंगे।

بَاب : (١٥) السَّعَةِ لِلْحَاكِمِ فِي أَنْ يَقُولَ لِلشَّيْءِ الَّذِي لاَ يَفْعَلُهُ افْعَلْ لِيَسْتَبِينَ الْحَقَّ

बाब : (15) हक़ वाज़ेह करने के लिये हाकिम का ये कहना कि मैं ऐसे करूँगा जब कि उसका इरादा वह काम करने का न हो

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ

(5405) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो औरतें (किसी काम से) निकली उनके साथ उनके दो बच्चे भी थे।

ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ " خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا صَبِيَّانِ لَهُمَا فَعَدَا الذِّئْبُ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَأَخَذَ وَلَدَهَا فَأَصْبَحَتَا تَخْتَصِمَانِ فِي الصَّبِيِّ الْبَاقِي إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ فَقَالَ كَيْفَ أَمْرُكُمَا فَقَصَّتَا عَلَيْهِ فَقَالَ ائْتُونِي بِالسِّكِّينِ أَشُقُّ الْغُلاَمَ بَيْنَهُمَا . فَقَالَتِ الصُّغْرَى أَتَشُقُّهُ قَالَ نَعَمْ . فَقَالَتْ لاَ تَفْعَلْ حَظِّي مِنْهُ لَهَا . قَالَ . هُوَ ابْنُكِ . فَقَضَى بِهِ لَهَا " .

भेड़िये ने उनमें से एक पर हमला किया और उसके बच्चे को छीन कर ले गया। वह दोनों बचे रहने वाले बच्चे के बारे में बाहम झगड़ने लगीं और मुक़द्दमा हज़रत दाऊद (अलैहि०) के पास ले गईं। उन्होंने फ़ैसला बड़ी के हक़ में दे दिया, फिर वह दोनों हज़रत सुलैमान (अलैहि०) के पास से गुज़रीं तो उन्होंने फ़रमाया: तुम्हारा क्या मामला है? उन औरतों ने पूरी बात बयान कर दी। आपने फ़रमाया मेरे पास छुरी लाओ। मैं बच्चा दो टुकड़े करके उनमें तक़्सीम कर देता हूँ। छोटी कहने लगी: क्या आप बच्चा चीर देंगे? फ़रमाया: हाँ। उसने कहा: ऐसा न करें। मैं अपना हक़ उसको देती हूँ। आपने फ़रमाया: ये तेरा बेटा है, फिर उसके हक़ में फ़ैसला फ़रमा दिया।'

(5405) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हर्दास: 1720, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5958.

फ़ायदा : मालूम हुआ हक़ को साबित करने या हक़ को जानने के लिये हीला जायज़ है। हीला वह नाजायज़ है जो बातिल को साबित करने या किसी का हक़ बातिल करने के लिये किया जाये। गोया हीले का जवाज़ व अदमे जवाज़ मक़सद पर मौक़ूफ़ है। मक़सद हक़ हो तो हीला भी हक़, मक़सद नाजायज़ हो तो हीला भी नाजायज़, जैसे: कुछ साहिबाने जुब्बा व दस्तार ने ज़कात से बचने या शुफ़आ साक़ित करने के जो हीले बतलाये हैं वह न सिर्फ़ शरअन हराम व नाजायज़ हैं बल्कि अख़्लाक़ व शराफ़त के अदना दर्जे से भी गिरे हुये हैं।

باب(١٦): نَقْضِ الْحَاكِمِ مَا يَحْكُمُ بِهِ غَيْرُهُ مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهُ أَوْ أَجَلُّ مِنْهُ

बाब : (16) एक हाकिम अपने जैसे या अपने से बड़े हाकिम के फ़ैसले को तोड़ सकता है

أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ،

(5406) हज़रत अबू हुरैरह (रज़ि०) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'दो औरतें (घर से) निकलीं। उनके साथ उनके दो बच्चे (बेटे) भी थे। भेड़िया उनमें से एक बच्चे को पकड़ कर ले

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " خَرَجَتِ امْرَأَتَانِ مَعَهُمَا وَلَدَاهُمَا فَأَخَذَ الذِّئْبُ أَحَدَهُمَا فَاخْتَصَمَتَا فِي الْوَلَدِ إِلَى دَاوُدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى مِنْهُمَا فَمَرَّتَا عَلَى سُلَيْمَانَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَقَالَ كَيْفَ قَضَى بَيْنَكُمَا قَالَتْ قَضَى بِهِ لِلْكُبْرَى . قَالَ سُلَيْمَانُ أَقْطَعُهُ بِنِصْفَيْنِ لِهَذِهِ نِصْفٌ وَلِهَذِهِ نِصْفٌ . قَالَتِ الْكُبْرَى نَعَمِ اقْطَعُوهُ . فَقَالَتِ الصُّغْرَى لاَ تَقْطَعْهُ هُوَ وَلَدُهَا . فَقَضَى بِهِ لِلَّتِي أَبَتْ أَنْ يَقْطَعَهُ " .

गया। वह दूसरे बच्चे के बारे में झगड़ा करती हुई हज़रत दाऊद (ﷺ) के पास पहुँच गईं। उन्होंने बच्चे का फ़ैसला उनमें से बड़ी के हक़ में दे दिया, फिर वह हज़रत सुलैमान(ﷺ) के पास से गुज़रीं तो उन्होंने पूछा: तुम्हारे दरम्यान क्या फ़ैसला हुआ? छोटी ने कहा: बड़ी के हक़ में फ़ैसला हुआ है। हज़रत सुलैमान (ﷺ) फ़रमाने लगे: मैं उसको दो टुकड़े कर देता हूँ। निस्फ़ इसका निस्फ़ उसका। बड़ी कहने लगी: हाँ, हाँ, दो टुकड़े कर दो। छोटी ने कहा: न न, इसे दो टुकड़े न करें। ये बच्चा इसका है। फिर उन्होंने बच्चे का फ़ैसला उसके हक़ में किया जिसने उसको काटने की तजवीज़ नहीं मानी थी।'

(5406) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5404, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5959.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा मफ़हूम की इन अहादीस और उनमें बयानकर्दा वाक़िये से मालूम होता है कि अक़्ल व दानिश और फ़हम व फ़रासत क़तई तौर पर वहबी चीज़ है, अल्लाह तआला जिसे चाहे अता फ़रमा दे। छोटी और बड़ी उम्र या अमीरी व फ़क़ीरी और इक़्तेदार व इख़्तियार वग़ैरह का इससे क़तअन कोई ताल्लुक़ नहीं। **(2)** ये मसला भी मालूम होता है कि सही और दुरुस्त बात मालूम करने और मामले की तह तक पहुँचने के लिये हीला किया जा सकता है बशर्ते कि इस हीले का मक़सद इत्तेफ़ाक़े हक़ या इब्ताले बातिल ही हो। बातिल और नाजायज़ को दुरुस्त और जायज़ क़रार देने के लिये हीला करना शरअन मज़्मूम और हराम है। **(3)** अगर फ़रीक़ैन अपने हक़ के बारे में दोबारा किसी और से फ़ैसला कराने के हक़ में हों तो बड़ी ख़ूशी से करवा सकते हैं, ख़्वाह दूसरा क़ाज़ी पहले के बराबर हो या उससे कम मर्तबा हो जैसा कि ऊपर दी गई हदीस से वाज़ेह है, ख़ुसूसन जब कि दूसरे के फ़ैसले से पहले की ग़लती भी साबित हो रही हो, ताहम किसी मामले में रसूलुल्लाह (ﷺ) के फ़ैसले के बाद किसी और की तरफ़ रुजूअ करना बेईमानी की दलील है। **(4)** 'बच्चा उसी का है' चूंकि इस क़ौल का मक़सद सिर्फ़ बच्चे की जान बचाना था न कि इक़रार, इसी लिये हज़रत सुलैमान (ﷺ) ने उसके इक़रारी कलाम पर अमल नहीं फ़रमाया बल्कि बच्चा उसी को दे दिया क्योंकि उनको हक़ मालूम हो चुका था बल्कि हर एक के लिये वाज़ेह हो चुका था।

बाब : (17) हाकिम का नाहक़ किया हुआ फ़ैसला रद्द करने का बयान

الرَّدِّ عَلَى الْحَاكِمِ إِذَا قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَعَثَ النَّبِيُّ ﷺ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ فَدَعَاهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا أَسْلَمْنَا فَجَعَلُوا يَقُولُونَ صَبَأْنَا وَجَعَلَ خَالِدٌ قَتْلاً وَأَسْرًا - قَالَ - فَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ أَسِيرَهُ حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمُنَا أَمَرَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ . قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَقُلْتُ وَاللَّهِ لاَ أَقْتُلُ أَسِيرِي وَلاَ يَقْتُلُ أَحَدٌ - وَقَالَ بِشْرٌ - مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ - قَالَ - فَقَدِمْنَا عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فَذُكِرَ لَهُ صُنْعُ خَالِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ وَرَفَعَ يَدَيْهِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ ". قَالَ زَكَرِيَّا فِي حَدِيثِهِ فَذُكِرَ وَفِي حَدِيثِ بِشْرٍ فَقَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ " . مَرَّتَيْنِ .

(5407) हज़रत सालिम के वालिद मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ)) बयान करते हैं कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हज़रत ख़ालिद बिन वलीद को बनू जज़ीमा की तरफ़ भेजा। हज़रत ख़ालिद ने उनको इस्लाम की दावत दी। वह (मुसलमान हो गये लेकिन) अच्छी तरह ये न कह सके कि हम मुसलमान हो गये और कहने लगे: हम ने अपना दीन छोड़ा। (अस्लमना कहने की बजाये सबाना, सबाना कहने लगे) हज़रत ख़ालिद उनको क़त्ल और क़ैद करने लग गये। उन्होंने (हममें से) हर शख़्स को उसका क़ैदी सुपुर्द कर दिया। अगले दिन सुबह के वक़्त हज़रत ख़ालिद बिन वलीद ने हुक्म दिया कि हर शख़्स अपना क़ैदी क़त्ल कर दे। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा: अल्लाह की क़सम! मैं अपना क़ैदी क़त्ल नहीं करूँगा और मेरे साथियों में से कोई दूसरा भी अपना क़ैदी क़त्ल नहीं करेगा। फिर हम नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुये तो आपसे हज़रत ख़ालिद की ये कारगुज़ारी ज़िक्र की गई। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने अपने दोनों हाथ उठाये और फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मैं इस काम से बरी हूँ जो ख़ालिद ने किया।' आपने ये दो मर्तबा फ़रमाया।

(5407) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4339, 7189.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़सद ये है कि अगर कोई हाकिम व अमीर वग़ैरह ग़लत फ़ैसला करे तो वह फ़ैसला मरदूद क़रार पायेगा, इसलिये उस पर अ़मल नहीं किया जायेगा जैसा कि हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) ने शरई अमीर हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) का फ़ैसला और हुक्म मानने से इन्कार कर दिया। बाद में रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी इसकी ताईद फ़रमाई। **(2)** इस हदीसे मुबारका से हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (ﷺ) की अ़ज़मत किरदार और इस्तेक़ामते दीन के साथ साथ उनका दीन पर सख़्ती से अ़मल पेरा होने का हक़ीक़ी जज़्बा भी मालूम हुआ, और ये भी वाज़ेह हुआ कि दीनी मामलात में आप निहायत जुर्अत मन्द थे। **(3)** ये हदीसे मुबारका इस अहम मसले के लिये भी नस्से स़रीह की हैसियत रखती है कि ख़ालिक़ की मअ़सियत करते हुये, मख़्लूक़ में से किसी भी बड़ी से बड़ी शख़्सियत की इताअ़त करना और उसकी बात मानना हराम और नाजायज़ है। **(4)** काफ़िर मुसलमान को स़ाबी कहते थे। उसके मानी हैं: अपने दीन से निकल जाने वाला। वह उससे बेदीन मुराद लेते थे। स़बाना इसी से है। बनू जज़ीमा का मक़सूद तो ये था कि हम अपने आबाई दीन से निकल कर मुसलमान हो चुके हैं मगर उन्होंने वह लफ़्ज़ इस्तेमाल किया जो कुफ़्फ़ार ज़बरन मुसलमानों के लिये इस्तेमाल करते थे। इसी से हज़रत ख़ालिद बिन वलीद (ﷺ) को ग़लतफ़हमी हुई कि शायद ये अपने कुफ़्र पर क़ाइम हैं और हमें त़न्ज कर रहे हैं हालांकि ये बात नहीं थी। हज़रत ख़ालिद ने तादीबी कार्यवाही शुरू कर दी। चूंकि ये उनकी इज्तेहादी ग़लती थी, इस लिये रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सिर्फ़ बराअत के इज़्हार पर इक्तेफ़ा किया और उन्हें कोई सज़ा नहीं दी।

बाब : (18) किस चीज़ से हाकिम को इज्तेनाब (परहेज़) करना चाहिए?

ذِكْرِ مَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَجْتَنِبَهُ

(5408) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन अबू बक्रा से मन्क़ूल है कि मेरे वालिद ने मुझसे (मेरे भाई) उ़बैदुल्लाह बिन अबू बक्रा को जो सजिस्तान (सैस्तान) के क़ाज़ी थे, ये लिखवाया कि ग़ुस्से की हालत में दो आदमियों (फ़रीक़ैन) के दरम्यान फ़ैसला न करना क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना है: 'कोई शख़्स ग़ुस्से की हालत में दो आदमियों (फ़रीक़ैन) के दरम्यान फ़ैसला न करे।'

(5408) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 1717, बुख़ारी, हदीस़: 7158.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، قَالَ كَتَبَ أَبِي وَكَتَبْتُ لَهُ إِلَى عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَهُوَ قَاضِي سِجِسْتَانَ أَنْ لاَ، تَحْكُمَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَأَنْتَ غَضْبَانُ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَحْكُمْ أَحَدٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ " .

फ़ायदा : रसूलुल्लाह (ﷺ) के अलावा दूसरे किसी भी शख़्स को गुस्से की हालत में फ़ैसला करने का हक़ नहीं है। जिस गुस्से की हालत में हाकिम और क़ाज़ी व जज वग़ैरह को फ़ैसला करने से रोका गया है, उस गुस्से से मुराद ज़्यादा गुस्सा है जो सोचने समझने की सलाहियत को वक़्ती तौर पर ख़त्म कर देता है और ग़लत फ़ैसले का ख़तरा होता है, अलबत्ता मामूली गुस्सा जो किसी मुजरिम का जुर्म सुनने से फ़ितरतन आ जाता है, फ़ैसले से मानेअ रुकावट नहीं। गुस्से के अलावा भी जो चीज़ सोचने समझने की सलाहियत पर असर डाले, जैसे: ज़्यादा भूख, प्यास, परेशानी, बीमारी और नींद का ग़लबा वग़ैरह उनका हुक्म भी गुस्से वाला ही है। बेहतर है कि फ़ैसला मुक़द्दमे की समाअत से अलग मज्लिस में लिखा जाये ताकि वक़्ती जज़्बात असर अन्दाज़ न हो सकें।

बाब : (19) जिस हाकिम के बारे में ग़लती का ख़तरा न हो वह गुस्से की हालत में फ़ैसला कर सकता है

باب(١٩): الرُّخْصَةِ لِلْحَاكِمِ الأَمِينِ أَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ غَضْبَانُ

(5409) हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम (ﷺ) से रिवायत है कि उनका एक अन्सारी आदमी से जो रसूलुल्लाह (ﷺ) की मईयत में जंगे बद्र में हाज़िर हुये थे, हर्रा बरसाती नालों (के पानी) के बारे में झगड़ा हो गया वह दोनों इस बरसाती नाले से खजूर के दरख़्तों को पानी लगाते थे। उस अन्सारी ने कहा: पानी गुज़रने दो ताकि मेरे खेत को लगे। मैंने इन्कार किया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़ुबैर! हल्का सा पानी लगा लो फिर अपने पड़ौसी की तरफ़ छोड़ दो।' अन्सारी को गुस्सा आ गया और उसने कहा: अल्लाह के रसूल! (आपने ये फ़ैसला इसलिये किया है कि) ये आपकी फूफी का बेटा है? रसूलुल्लाह (ﷺ) का चेहर-ए-अनवर गुस्से से बदल गया। फिर आपने फ़रमाया: 'ज़ुबैर! पानी लगा और लगने दे यहाँ तक कि पानी मुण्डेरों तक पहुँच जाये।' अब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत ज़ुबैर को उनका पूरा हक़ दिलवाया जब कि उससे

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاَهُمَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ عَلَيْهِ . فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ " . فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ

فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ " . فَاسْتَوْفَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى الزُّبَيْرِ بِرَأْيٍ فِيهِ السَّعَةُ لَهُ وَلِلأَنْصَارِيِّ فَلَمَّا أَحْفَظَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الأَنْصَارِيُّ اسْتَوْفَى لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ . قَالَ الزُّبَيْرُ لاَ أَحْسَبُ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ إِلاَّ فِي ذَلِكَ { فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ } وَأَحَدُهُمَا يَزِيدُ عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْقِصَّةِ .

पहले आपने हज़रत ज़ुबैर को ऐसा मश्वरा दिया था जिसमें ज़ुबैर और अन्सारी दोनों के लिये बेहतरी थी लेकिन जब अन्सारी ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को नाराज़ कर दिया तो आपने वाज़ेह फ़ैसला की सूरत में ज़ुबैर को उनका पूरा हक़ दिलाया। हज़रत ज़ुबैर (ؓ) ने फ़रमाया: मेरा ख़याल है कि ये आयत इसी (या इस जैसे) वाक़िये के बारे में उतरी: 'आप के रब तआला की क़सम! ये लोग साहिबे ईमान नहीं हो सकते जब तक आपको अपने इख़्तिलाफ़ी मसाइल में हकम न मान लें।'

(यूनुस बिन अब्दुल आला और हारिस बिन मिस्कीन) दोनों में से हर एक मज़्कूरा क़िस्सा अपने दूसरे साथी के मुक़ाबले में कमी बेशी के साथ रिवायत करता है।

(5409) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2359, 2360, मुस्लिम, हदीस: 129/2357, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5963.

फ़वाइद व मसाइल : (1) जो पानी क़ुदरती तरीक़े से बहता हो, उसका उसूल और ज़ाब्ता ये है कि ऐसे पानी के इस्तेमाल पर सबसे पहला हक़ उसका है जो उसकी तरफ़ सबक़त ले जाये और उसकी ज़मीन वग़ैरह इब्तेदा में हो। ऐसे शख़्स को अपनी ज़मीन, खेती और बाग़ात वग़ैरह मुकम्मल तौर पर सैराब करने का पूरा पूरा हक़ है, ताहम इसके लिये ये ज़रूरी है कि जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाये तो फिर उस पानी को आगे वाले लोगों के लिये छोड़ दे। इस पानी को रोक रखने का हक़ पहले शख़्स को क़तअन नहीं। **(2)** हाकिम को ये हक़ हासिल है कि अगर वह मुनासिब समझे तो बाहम झगड़े वाले फ़रीक़ों में दरम्यानी राह निकाल कर सुलह करा दे। फ़रीक़ैन इस पर राज़ी न हों तो हक़ीक़ी फ़ैसला कर दे और हर फ़रीक़ को इसका पूरा पूरा हक़ दिला दे। **(3)** ये सहाबी अन्सारी और बदरी थे और बदरी सहाबा के बारे में क़ुर्आन व हदीस की नुसूस से साबित है कि वह क़तअन मोमिन और जन्नती हैं, लिहाज़ा अन्सारी से अल्फ़ाज़ निफ़ाक़ की बिना पर नहीं बल्कि वक़्ती जज़्बात के तहत सादिर हुये, तभी तो आपके हतमी फ़ैसले पर उसने सरे तस्लीम ख़म कर दिया और कोई ऐतराज़ नहीं किया। यही उसके ईमान की दलील है। वैसे भी आपने पहले फ़ैसला नहीं फ़रमाया था बल्कि मुसालिहत का मश्वरा दिया था। जब मुसालिहत कारगर न

हुई तो आपने हतमी फ़ैसला दे दिया। (4) बाब का मक़सूद ये है कि गुस्से की हालत में फ़ैसला न करने की पाबन्दी आम क़ाज़ी के लिये है, रसूलुल्लाह(ﷺ) के लिये नहीं क्योंकि आपसे गुस्से की हालत में भी ग़लती का इम्कान नहीं ...(ﷺ) इस बारे में साबिक़ा हदीस का फ़ायदा भी मल्हूज़ रखा जाये।

बाब : (20) हाकिम या क़ाज़ी का अपने घर में फ़ैसला करना

حُكْمِ الْحَاكِمِ فِي دَارِهِ

(5410) हज़रत कअब (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने इब्ने हदरद से अपने क़र्ज़ की वापसी का मुतालबा किया जो उसके ज़िम्मे था। हमारी आवाज़ें ऊँची हो गईं यहाँ तक कि रसूलुल्लाह(ﷺ) ने भी सुन लीं। आप अपने घर में तशरीफ़ फ़रमा थे। आप बाहर तशरीफ़ लाये। अपने हुज्र-ए-मुबारक का पर्दा हटाया और बलन्द आवाज़ से फ़रमाया: 'ऐ कअब!' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं हाज़िर हूँ। आपने फ़रमाया: 'इतना माफ़ कर दे।' और हाथ से निस्फ़ का इशारा फ़रमाया। मैंने कहा: मान लिया। आपने (इब्ने अबी हदरद से) फ़रमाया: 'उठ और बाक़ी अदा कर।'

(5410) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 457, मुस्लिम, हदीस: 21/1558, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5965.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَدْرَدٍ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَكَشَفَ سِتْرَ حُجْرَتِهِ فَنَادَى " يَا كَعْبُ " . قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " ضَعْ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا " . وَأَوْمَأَ إِلَى الشَّطْرِ قَالَ قَدْ فَعَلْتُ . قَالَ " قُمْ فَاقْضِهِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी ज़रूरत की बिना पर हाकिम या क़ाज़ी वग़ैरह अपने घर में या 'कमर-ए-अदालत' से बाहर कोई फ़ैसला करे तो ये जायज़ है। बशर्ते कि उसकी वजह से लोगों के लिये कोई मुश्किल या तकलीफ़ वग़ैरह न हो। (2) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम होता है कि अगर बवक़्ते ज़रूरत कभी मस्जिद में आवाज़ ऊँची हो जाये तो कोई हर्ज नहीं, अलबत्ता उसको मामूल बनाना और ख़्वाहमख़्वाह अपनी आवाज़ मस्जिद में बलन्द और ऊँची करना दुरुस्त नहीं। (3) इस हदीसे मुबारका से ये भी वाज़ेह होता है कि ऐसा इशारा जिससे मफ़हूम समझ में आ जाये वह बमन्ज़िला कलाम के होता है क्योंकि इस इशारे की दलालत कलाम पर होती है। याद रहे गूंगे की गवाही, उसकी क़सम, उसकी ख़रीद व फ़रोख़्त और दीगर मामलात दुरुस्त क़रार पायेंगे। (4) ये हदीस इस मसले की भी वज़ाहत करती है कि अगर साहिबे हक़ से सिफ़ारिश करके उसके हक़ में से सारा या कुछ माफ़ करा

लिया जाये तो ऐसा करना शरअन दुरुस्त है, और साहिबे हक़ या किसी दूसरे शख़्स को अगर जायज़ सिफ़ारिश की जाये, तो उसे सिफ़ारिश क़बूल कर लेनी चाहिए। (5) मस्जिद में अदायगी क़र्ज़ का मुतालबा और तक़ाज़ा करना दुरुस्त है, और क़र्ज़ के अलावा अपने दीगर हुक़ूक़ का मुतालबा भी मस्जिद में किया जा सकता है। (6) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि किसी ज़रूरत की बिना पर खिड़कियों और दरवाज़ों पर पर्दे लटकाना शरअन जायज़ और दुरुस्त है।

बाब : (21) किसी के ख़िलाफ़ अदालत में दावा दाइर करना

باب(٢١): الاِسْتِعْدَاءِ

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَزِينٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ شَرَاحِيلَ، قَالَ قَدِمْتُ مَعَ عُمُومَتِي الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهَا فَفَرَكْتُ مِنْ سُنْبُلِهِ فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَأَخَذَ كِسَائِي وَضَرَبَنِي فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَسْتَعْدِي عَلَيْهِ فَأَرْسَلَ إِلَى الرَّجُلِ فَجَاءُوا بِهِ فَقَالَ " مَا حَمَلَكَ عَلَى هَذَا " . فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ دَخَلَ حَائِطِي فَأَخَذَ مِنْ سُنْبُلِهِ فَفَرَكَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلاً وَلاَ أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا ارْدُدْ عَلَيْهِ كِسَاءَهُ " . وَأَمَرَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِوَسْقٍ أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ .

(5411) हज़रत अब्बाद बिन शुरहबील (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: मैं अपने चचाओं के साथ मदीना मुनव्वरा आया। मैं एक बाग़ में दाख़िल हुआ और मैंने कुछ सटे तोड़ कर उनके दाने निकाल लिये। बाग़ का मालिक आया, उसने मेरी चादर छीन ली और मुझे मारा भी। मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास आया और दावा दाइर कर दिया। आपने उस शख़्स को बुला भेजा। लोग उसको लेकर आपके पास आये। आप ने फ़रमाया: 'तूने ऐसे क्यूँ किया?' उसने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल ये मेरे बाग़ में दाख़िल हुआ। उसने कुछ सटे तोड़े और उनके दाने निकाल लिये। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ये जाहिल था, तूने उसे तालीम न दी। ये भूखा था, तूने उसे खाने को न दिया। उसकी चादर वापस कर।' और मुझे एक या निस्फ़ वस्क़ देने का हुक्म जारी फ़रमाया।

(5411) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, व इब्ने माजा, व सहीह अल हाकिम: 4/133.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मक़सद ये है कि दावा दाइर करना शरअन जायज़ है। ये फ़रीक़े सानी पर ज़्यादती नहीं बल्कि अपना हक़ लेने के लिये दुरुस्त है। (2) 'जाहिल था' मक़सूद ये है कि

ग़लती करने वाले को सही और दुरुस्त अमल बताना चाहिए और उसकी इस्लाह करनी चाहिए। यही वजह है कि बाग़ वाले शख़्स से नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया कि ये जाहिल था, अजनबी था फिर भूखा भी था, इसलिये तुझे चाहिए था कि इसे प्यार के साथ बताता कि इस तरह अपनी मर्ज़ी से तोड़ने की बजाये मालिक से माँग लेना चाहिए। फिर तू उस खाने को मज़ीद देता ताकि उसकी ज़रूरत पूरी होती जब कि तूने उस ग़रीब की चादर भी छीन ली और मारा भी। (3) मालूम हुआ जराइम की सज़ा देने से पहले लोगों की तालीम व तर्बीयत ज़रूरी है, और उनकी बुनियादी ज़रूरियात भी पूरी की जायें ताकि वह जान बचाने के लिये जुर्म न करें। (4) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि ज़रूरतमन्द, बक़द्रे ज़रूरत किसी के बाग़ या खेत से ले और खा सकता है, अलबत्ता इतना ज़्यादा ले लेना दुरुस्त नहीं जो ज़रूरत पूरी होने के बाद साथ भी ले जाये। याद रहे कि बग़ैर इजाज़त किसी के बाग़ से खा पी लेना ऐसा जुर्म नहीं कि उस पर चोरी की हद नाफ़िज़ हो बल्कि अगर वह भूखा हो तो उसे कुछ नहीं कहा जायेगा और अगर वह भूख के बग़ैर हो तो उसे जुर्माना वग़ैरह किया जा सकता है। अगर ज़रूरत महसूस हो तो जिस्मानी सज़ा भी दी जा सकती है। (5) 'हुक्म जारी फ़रमाया' यानी बैतुल माल से न कि उस आदमी के माल से। अबू दाऊद की रिवायत में सराहत है कि आपने ग़ल्ले का एक या निस्फ़ वस्क़ मुझे अता फ़रमाया। (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2620) (6) एक ऊँट पर जितना ग़ल्ला लादा जाता है, उसे भी वस्क़ कहते हैं। (7) किसी की थोड़ी बहुत चीज़ बिला इजाज़त ले लेना उस चोरी में शामिल नहीं जिसकी सज़ा हाथ काटना है। इस पर मुनासिब ताज़ीर (सजा) ही काफ़ी है, अलबत्ता बिला इजाज़त किसी का माल लेने वाले से पहले उसका सबब मालूम करना चाहिए और अगर उसका कोई माक़ूल उज़्र हो तो फिर उसे माफ़ कर देना चाहिए क्योंकि कुछ हालात इस क़िस्म के होते हैं कि उनमें माफ़ी ही दुरुस्त होती है। (8) इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि ऐसे मुस्तहिक़ शख़्स की मदद बैतुलमाल और हुकूमती ख़ज़ाने से करनी चाहिए। ये उसका हक़ है।

बाब : (22) औरतों को अदालतों में बुलाने से एहतिराज़ करना

صَوْنِ النِّسَاءِ عَنْ مَجْلِسِ الْحُكْمِ

(5412) हज़रत अबू हुरैरह और ज़ैद बिन ख़ालिद जुहनी (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने बयान फ़रमाया कि दो आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक मुक़द्दमा लाये। उनमें से एक ने कहा: हमारे दरम्यान अल्लाह तआला की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमाइये। दूसरे शख़्स ने कहा, जो उनमें से ज़्यादा समझदार

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ

الْجُهَنِيِّ، أَنَّهُمَا أَخْبَرَاهُ أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَحَدُهُمَا اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ . وَقَالَ الآخَرُ وَهُوَ أَفْقَهُهُمَا . أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَائْذَنْ لِي فِي أَنْ أَتَكَلَّمَ . قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي الرَّجْمَ فَافْتَدَيْتُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَبِجَارِيَةٍ لِي ثُمَّ إِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّمَا عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَإِنَّمَا الرَّجْمُ عَلَى امْرَأَتِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ أَمَّا غَنَمُكَ وَجَارِيَتُكَ فَرَدٌّ إِلَيْكَ " . وَجَلَدَ ابْنَهُ مِائَةً وَغَرَّبَهُ عَامًا وَأَمَرَ أُنَيْسًا أَنْ يَأْتِيَ امْرَأَةَ الآخَرِ " فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " . فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

था: ऐ अल्लाह के रसूल! ज़रूर। और मुझे इजाज़त दीजिये कि मैं बातचीत करूँ। (फिर इजाज़त मिलने के बाद) उसने कहा: मेरा बेटा उसका नौकर था। उसने उसकी बीवी से ज़िना कर लिया। लोगों ने मुझे बताया कि मेरे बेटे को रज्म की सज़ा मिलेगी तो मैंने सौ बकरियों और एक लौण्डी के ऐवज़ (अपने बेटे को) छुड़ा लिया। फिर मैंने अहले इल्म से मसला पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि तेरे बेटे को सौ कोड़े लगेंगे और एक साल के लिये जला वतन होगा। रज्म तो उसकी बीवी होगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं तुम्हारे दरम्यान अल्लाह तआला की किताब के मुताबिक़ फ़ैसला करूँगा। बाक़ी रही तेरी बकरियाँ और लौण्डी, तो वह तुझे वापस मिल जायेंगी।' फिर आपने उसके बेटे को सौ कोड़े लगवाये और उसे एक साल के लिये जला वतन कर दिया। और आपने हज़रत उनैस को हुक्म दिया कि इस (दूसरे शख़्स) की बीवी के पास जाओ। अगर वह (ज़िना के जुर्म को) तस्लीम करे तो उसे रज्म कर दो। औरत ने गुनाह तस्लीम कर लिया तो उन्होंने उसे रज्म कर दिया।

(5412) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6633, 6634, मुस्लिम, हदीस: 1697, मौता: 2/822.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़सद ये है कि अगर औरत को अदालत और पंजायत वग़ैरह में लाये बग़ैर मसला हल हो सकता हो तो उन्हें अदालतों और पंचायतों वग़ैरह में नहीं घसीटना चाहिए कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इस मुताल्लिक़ा ख़ातून को अपने यहाँ बुलाने की बजाये, अपनी तरफ़ से आदमी भेज कर उस औरत से हक़ीक़ते हाल मालूम की और फिर उसके इक़रार करने पर उस पर ज़िना की मज़्कूरा हद नाफ़िज़ की, यानी उसे रज्म कर दिया

गया। (2) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि अपने तमाम मसाइल बिल ख़ुसूस हुदूद से मुताल्लिक़ मामलात में क़ुर्आन के फ़ैसले की तरफ़ रुजूअ करना चाहिए। और जब कोई मुजरिम व मल्ज़ूम इक़रारे जुर्म कर ले तो हाकिम पर वाजिब है कि वह उस पर हद क़ाइम करे। हमारे यहाँ मुल्क के सद्र को सज़-ए-मौत ख़त्म करने का जो इख़्तियार है, शरअन नाजायज़ और हराम है। (3) इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि मामले की पुख़्तगी ज़ाहिर करने के लिये क़सम खाना दुरुस्त है, और ये भी मालूम हुआ कि क़सम खाने का मुतालबा न किया गया हो तो भी क़सम खाई जा सकती है। (4) ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (ﷺ) के हुस्ने अख़्लाक़ और अज़ीम हौसले की सरीह दलील है, और इस बात की भी दलील है कि मुद्दई, मुस्तफ़्ती (फ़तवा तलब करने वाले) और तालिब के लिये मुस्तहब बात ये है कि वह क़ाज़ी, आलिमे दीन और हाकिम के पास अपना मसला पेश करने से पहले इजाज़त तलब करे, और मालूम हुआ कि ज़न व तख़्मीन पर मबनी हुक्म और फ़ैसला क़तई और यक़ीनी दलाइल व बराहीन के आने पर ख़त्म हो जायेगा, इस तरह ख़िलाफ़े शरीयत की गई सुलह मरदूद होगी और इस सिलसिले में दिया गया माल व मताअ भी वापस हो जायेगा। (5) हद के मुक़ाबले में फ़िद्या (माली मुआवज़ा) शरअन क़ाबिले क़बूल नहीं होगा और न माली मुआवज़ा लेकर कोई शरई हद साक़ित की जा सकती है। इस पर अहले इल्म का इज्मा है बिल ख़ुसूस ज़िना, चोरी और शराब नोशी वग़ैरह जुर्म के मुर्तकिब पर हद क़ाइम की जायेगी। वल्लाहु आलम! (6) 'छुड़ा लिया' उसने समझा कि किसी की बीवी से ज़िना ख़ाविन्द की हक़ तल्फ़ी है, इसलिये उसे राज़ी कर लेना काफ़ी है, हालांकि ये शरई अम्र की ख़िलाफ़वर्ज़ी है जिसका ताल्लुक़ मुआशरे के साथ है, लिहाज़ा ये जुर्म ख़ाविन्द के माफ़ करने से माफ़ नहीं होगा बल्कि मुक़द्दमा अदालत में आने के बाद लाज़िमन सज़ा नाफ़िज़ होगी। (7) 'कोड़े लगाये' क्योंकि वह ख़ुद मोतरिफ़ था। जुर्म साबित हो चुका था। इमाम मालिक (رحمه الله) के नज़दीक जला वतन करने की बजाये जेल में भी डाला जा सकता है। और ये सही है क्योंकि मक़सूद हासिल हो जाता है कि वह अपने घर से बाहर रहे और मुताल्लिक़ा जगह के क़रीब न जाये। अहनाफ़ के नज़दीक जला वतनी सज़ा का हिस्सा नहीं, लिहाज़ा ज़रूरी नहीं। लेकिन सरीह हदीस की रोशनी में ये मौक़िफ़ महल्ले नज़र है।

(5413) हज़रत अबू हुरैरह, ख़ालिद बिन ज़ैद और शिब्ल (رضي الله عنهم) से मन्क़ूल है कि हम नबी-ए अकरम (ﷺ) के पास हाज़िर थे कि एक आदमी खड़ा होकर कहने लगा: मैं आपको अल्लाह की क़सम देता हूँ कि आप हमारे दरम्यान किताबुल्लाह

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ، قَالُوا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَامَ

إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ إِلاَّ مَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ . فَقَامَ خَصْمُهُ - وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ - فَقَالَ صَدَقَ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ " قُلْ " . قَالَ إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا فَزَنَى بِامْرَأَتِهِ فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ - وَكَأَنَّهُ أُخْبِرَ أَنَّ عَلَى ابْنِهِ الرَّجْمَ فَافْتَدَى مِنْهُ - ثُمَّ سَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُونِي أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَمَّا الْمِائَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ اغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا " . فَغَدَا عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमाइये। फिर फ़रीक़े सानी भी उठा जो कि पहले शख़्स से ज़्यादा समझदार था और कहा: ये सही कहता है। आप हमारे दरम्यान किताबुल्लाह के मुताबिक़ फ़ैसला फ़रमायें। आपने फ़रमाया: 'बात कर।' उसने कहा: मेरा बेटा उसके यहाँ नौकर था। उसने उसकी बीवी से ज़िना कर लिया। मैंने सौ बकरियाँ और एक नौकर दे कर अपने बेटे की जान बख़्शी करवाई। गोया कि उस शख़्स को बतलाया गया था कि उसके बेटे को रज्म कर दिया जायेगा, इसलिये उसने इस तरीक़े से उसकी जान बख़्शी करवाई। फिर मैंने बहुत से अहले इल्म से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरे बेटे को सौ कोड़े लगेंगे और एक साल के लिये जला वतन होगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़सम उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है! मैं तुम्हारे दरम्यान किताबुल्लाह के मुताबिक़ ही फ़ैसला करूँगा। तेरी सौ बकरियाँ और नौकर तुझे वापस मिल जायेंगे। तेरे बेटे को सौ कोड़े लगेंगे। और ऐ उनैस! तू इसकी बीवी के पास जा। अगर वह जुर्म तस्लीम कर ले तो उसे रज्म कर दे।' वह उसके पास गय, और उस (औरत) ने मान लिया तो उन्होंने उसे रज्म कर दिया।

(5413) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5968-5970 ·

फ़ायदा : किताबुल्लाह से मुराद अल्लाह तआला की शरीयत है, ख़्वाह क़ुर्आन मजीद में बयान हो या सुन्नते रसूल में।

बाब : (23) हाकिम का उस शख़्स को बुला भेजना जिसके बारे में बताया गया हो कि उसने ज़िना किया है

باب : (٢٣) تَوْجِيهِ الْحَاكِمِ إِلَى مَنْ أُخْبِرَ أَنَّهُ زَنَى

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ الْكَرْمَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ فَقَالَ " مِمَّنْ " . قَالَتْ مِنَ الْمُقْعَدِ الَّذِي فِي حَائِطِ سَعْدٍ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَأُتِيَ بِهِ مَحْمُولاً فَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَاعْتَرَفَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِإِثْكَالٍ فَضَرَبَهُ وَرَحِمَهُ لِزَمَانَتِهِ وَخَفَّفَ عَنْهُ .

(5414) हज़रत अबू उमामा बिन सहल बिन हुनैफ़ (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए अकरम(ﷺ) के पास एक औरत लाई गई जिसने ज़िना किया था। आपने फ़रमायाः 'किस के साथ?' किसी ने कहाः उस अपाहिज के साथ जो हज़रत सअद के घर में रहता है। आपने उसे बुला भेजा। उसको उठा कर लाया गया। और आपके सामने रख दिया गया। उसने जुर्म का ऐतराफ़ कर लिया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खजूर की शाख़ मंगवाई और उसको पीटा। आपने उस पर उसके अपाहिज होने की वजह से तरस किया और उसको हल्की सज़ा दी।

(5414) तख़रीज : (सनद सही) तोहफ़तुल अशराफ़: 1/68, अबू दाऊद, हदीस: 4472, इब्ने माजा, हदीस: 2574.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़सद ये मसला बयान करना है कि अगर किसी शख़्स के बारे में जज को इत्तिला मिले कि उसने ज़िना किया है तो वह उसे बुला कर उससे मन्सूब जुर्म की तहक़ीक़ कर सकता है, और जुर्म साबित होने पर उसे हद भी लगाई जायेगी। मौजूदा दौर में सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस का 'सूमू' नोटिस लेना इसी क़बील से है और ये मशरूअ अमल है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि एक बार इक़रारे ज़िना करने से ज़िना साबित हो जाता है। तीन या चार बार इक़रार कराना ज़रूरी नहीं। **(3)** 'तरस किया' वह शादी शुदा तो नहीं था। उसको कोड़े तो लगना ही थे लेकिन उसकी बीमारी की वजह से ख़तरा था कि वह मर जायेगा, लिहाज़ा बजाये कोड़ों के खजूर की शाख़ से पीटा गया क्योंकि कोड़े लगा कर मुजरिम को क़त्ल नहीं किया जा सकता।

बाब : (24) हाकिम का अपनी रिआया के दरम्यान सुलह करवाने के लिये जाना

باب(٢٤): مَسِيرِ الْحَاكِمِ إِلَى رَعِيَّتِهِ لِلصُّلْحِ بَيْنَهُمْ

(5415) हज़रत सहल बिन सअद साइदी (ﷺ) फ़रमाते हैं कि अन्सार के दो क़बीलों के दरम्यान झगड़ा हो गया यहाँ तक कि उन्होंने एक दूसरे पर पत्थर वग़ैरह भी फेंके। नबी-ए-अकरम (ﷺ) उनके दरम्यान सुलह करवाने के लिये तशरीफ़ ले गये। इतने में नमाज़ का वक़्त हो गया तो हज़रत बिलाल (ﷺ) ने अज़ान कही, फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) का इन्तेज़ार किया गया लेकिन आपको ज़्यादा देर हो गई तो हज़रत बिलाल(ﷺ) ने इक़ामत कही। हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ (ﷺ) आगे बढ़े (और जमाअत शुरू करवा दी) इतने में रसूलुल्लाह (ﷺ) भी तशरीफ़ ले आये जबकि हज़रत अबू बक्र (ﷺ) लोगों को नमाज़ पढ़ा रहे थे। जब लोगों ने आपको देखा तो तालियाँ बजाना शुरू कर दीं। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) नमाज़ में इधर उधर तवज्जा नहीं करते थे लेकिन जब उन्होंने बहुत ज़्यादा तालियों की आवाज़ सुनी तो मुतवज्जा हुये। अचानक उनकी नज़र रसूलुल्लाह (ﷺ) पर पड़ी। उन्होंने पीछे हटने का इरादा किया। आपने इशारा फ़रमाया कि अपनी जगह ठहरे रहो। हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने (नबी ए-अकरम (ﷺ) की इस अज़ीम तरीन इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर अल्लाह तआला की हम्द व सना करते हुये) अपने हाथ उठाये, फिर उलटे पाँव पीछे आ गये। रसूलुल्लाह (ﷺ) आगे बढ़े और नमाज़ पढ़ाई। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ، يَقُولُ وَقَعَ بَيْنَ حَيَّيْنِ مِنَ الأَنْصَارِ كَلاَمٌ حَتَّى تَرَامَوْا بِالْحِجَارَةِ فَذَهَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمْ فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذَّنَ بِلاَلٌ وَانْتُظِرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاحْتُبِسَ فَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَتَقَدَّمَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فَلَمَّا رَآهُ النَّاسُ صَفَّحُوا - وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ لاَ يَلْتَفِتُ فِي الصَّلاَةِ - فَلَمَّا سَمِعَ تَصْفِيحَهُمُ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرَادَ أَنْ يَتَأَخَّرَ فَأَشَارَ إِلَيْهِ أَنِ اثْبُتْ فَرَفَعَ أَبُو بَكْرٍ رضى الله عنه يَعْنِي يَدَيْهِ ثُمَّ نَكَصَ الْقَهْقَرَى وَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الصَّلاَةَ قَالَ " مَا مَنَعَكَ أَنْ تَثْبُتَ " . قَالَ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَرَى ابْنَ أَبِي قُحَافَةَ

بَيْنَ يَدَىْ نَبِيِّهِ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ " مَا لَكُمْ إِذَا نَابَكُمْ شَىْءٌ فِي صَلاَتِكُمْ صَفَّحْتُمْ إِنَّ ذَلِكَ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَىْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللَّهِ".

नमाज़ मुकम्मल फ़रमाई तो (हज़रत अबू बक्र (ﷺ) से) फ़रमाया: 'तुम अपनी जगह क्यूँ न खड़े रहे?' हज़रत अबू बक्र (ﷺ) ने कहा: ये मुनासिब नहीं था कि अल्लाह तआला अबू क़ुहाफ़ा के बेटे को अपने नबी-ए-अकरम (ﷺ) के आगे खड़ा देखे। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) लोगों की तरफ़ मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: 'क्या वजह है जब तुम्हें नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आती है तो तुम तालियाँ बजाने लग जाते हो! ये तो औरतों के लिये है। जिस मर्द को नमाज़ में कोई मुश्किल पेश आये तो वह सुब्हानल्लाह कहे।'

(5415) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 5/330, वल हुमैदी, हदीस: 933, देखें, हदीस: 785, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5967.

फ़ायदा : बाब का मक़सद ये है कि हाकिम इस इन्तेज़ार में न रहे कि लोग लड़ने के बाद मेरे पास आयेंगे तो फ़ैसला करूँगा बल्कि कोशिश करे कि लड़ाई हो ही न। सुलह से काम चल जाये। हदीस के बाक़ी मबाहिस पीछे गुज़र चुके हैं।

बाब : (25) हाकिम किसी फ़रीक़ (मुद्दई या मुद्दआ अलैह) को मुसालिहत का मश्वरा दे सकता है

باب : (٢٥) إِشَارَةِ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالصُّلْحِ

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الأَسْلَمِيِّ - يَعْنِي دَيْنًا - فَلَقِيَهُ فَلَزِمَهُ

(5416) हज़रत कअब बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि उनका हज़रत अब्दुल्लाह बिन अबी हदरद अस्लमी के ज़िम्मे क़र्ज़ था। वह उसे मिले तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। फिर वह दोनों झगड़ने लगे यहाँ तक कि (उनकी) आवाज़ें बलन्द हूईं, फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) हमारे पास से गुज़रे और फ़रमाया: 'कअब!' और आपने अपने हाथ से इशारा

فَتَكَلَّمَا حَتَّى ارْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ فَمَرَّ بِهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا كَعْبُ " . فَأَشَارَ بِيَدِهِ كَأَنَّهُ يَقُولُ النِّصْفَ فَأَخَذَ نِصْفًا مِمَّا عَلَيْهِ وَتَرَكَ نِصْفًا .

फ़रमाया। मक़सद ये था कि निस्फ़ माफ़ कर दे। उन्होंने निस्फ़ ले लिया और निस्फ़ माफ़ कर दिया।

(5416) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5410, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5974.

إِشَارَةِ الْحَاكِمِ عَلَى الْخَصْمِ بِالْعَفْوِ

बाब : (26) हाकिम फ़रीक़े सानी को माफ़ी का मशवरा भी दे सकता है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَوْفٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حَمْزَةُ أَبُو عُمَرَ الْعَائِذِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلٍ، عَنْ وَائِلٍ، قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ جَاءَ بِالْقَاتِلِ يَقُودُهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ " أَتَعْفُو " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَتَقْتُلُهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " اذْهَبْ بِهِ " . فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ " أَتَعْفُو " . قَالَ لاَ قَالَ " فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَتَقْتُلُهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " اذْهَبْ بِهِ " . فَلَمَّا ذَهَبَ فَوَلَّى مِنْ عِنْدِهِ دَعَاهُ فَقَالَ " أَتَعْفُو " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ " . قَالَ لاَ . قَالَ " فَتَقْتُلُهُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ "

(5417) हज़रत वाइल (ﷺ) बयान करते हैं कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर था जब एक मक़्तूल का वली क़ातिल को चमड़े की तन्दी के साथ जकड़ कर लाया। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मक़्तूल के वली से फ़रमाया: 'क्या तू माफ़ करता है?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'दियत लेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर क़त्ल करेगा?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'फिर तू इसको ले जा।' जब वह उसको लेकर चल पड़ा तो आपने उसे बुलाया और फ़रमाया: 'माफ़ करेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'दियत लेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर क़त्ल ही करेगा?' उसने कहा: जी हाँ। आपने फ़रमाया: 'फिर इसे ले जा।' जब वह ले चला तो आपने फिर उसे बुलाया और फ़रमाया: 'माफ़ करेगा?' उसने कहा: नहीं। आपने फ़रमाया: 'दियत लेगा।' उसने कहा, नहीं। आपने फ़रमाया: 'फिर ज़रूर क़त्ल ही करेगा?' उसने कहा: जी हाँ। उस वक़्त रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अगर तू इसे माफ़ कर दे तो वह अपने गुनाह और तेरे मक़्तूल के गुनाह का ज़िम्मेदार होगा।' ये सुन कर

اذْهَبْ بِهِ " . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ ذَلِكَ " أَمَا إِنَّكَ إِنْ عَفَوْتَ عَنْهُ يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ " . فَعَفَا عَنْهُ وَتَرَكَهُ فَأَنَا رَأَيْتُهُ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ .

उसने उसे माफ़ कर दिया और छोड़ दिया। मैंने देखा, वह अपनी तन्दी (रस्सी) को उसी तरह घसीटता हुआ जा रहा था।

(5417) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4728.

फ़ायदा : जो मामलात क़ाबिले माफ़ी हों, ऐसे मामलात में माफ़ी और सुलह की तर्ग़ीब अच्छी बात है क्योंकि माफ़ी या सुलह की सूरत में आपस में दुश्मनी ख़त्म हो जाती है। मोहब्बत बढ़ती है। मुआशरा पुर सुकून हो जाता है। बदला लेना अगरचे जायज़ है मगर बसा औक़ात बदला लेने की सूरत में इश्तेआल पैदा होता है। नाराज़ी और दुश्मनी पैदा होती है, इसलिये शरीयत ने माफ़ी को बदला लेने से अफ़ज़ल क़रार दिया है बशर्ते कि फ़रीक़े सानी आजिजी (नर्मी) के साथ अपनी ग़लती का ऐतराफ़ करे और ख़ुलूस दिल से माफ़ी तलब करे। अलबत्ता अगर वह तकब्बुर और गुरूर का मुज़ाहिरा करे तो बदला लेना अफ़ज़ल है ताकि उस मुतकब्बिर का गुरूर टूटे। हाकिम के लिये मुनासिब है कि ऊपर दी गई क़िस्म के मुक़द्दमात में मुसालिहत की कोशिश करे। अगर न हो सके तो हक़ का फ़ैसला करे। अलबत्ता कुछ मुआशरती (सामाजिक) जराइम क़ाबिले माफ़ी नहीं होते, जैसे: चोरी, ज़िना वग़ैरह। ऐसे मुक़द्दमात अदालत तक पहुँचें तो फ़ैसला लाज़िम है। क़त्ल पहली क़िस्म में दाख़िल है। (रिवायत से मुताल्लिक़ा मज़ीद तफ़्सीलात के लिये देखिये, अहादीस: 4726 से 4735)

باب(٢٧): إِشَارَةِ الْحَاكِمِ بِالرِّفْقِ

बाब : (27) हाकिम नर्मी करने का मश्वरा भी दे सकता है

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ . فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ

(5418) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि एक अन्सारी सहाबी रसूलुल्लाह (ﷺ) के यहाँ हज़रत ज़ुबैर (ﷺ) से हर्रा के नाले (के पानी) के बारे में झगड़ पड़े जो वह खजूर के दरख़्तों को लगाते थे। उस अन्सारी ने कहा कि पानी आगे गुज़रने दो। हज़रत ज़ुबैर ने इन्कार किया। फ़रीक़ैन ये झगड़ा रसूलुल्लाह(ﷺ) के पास ले गये तो रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़ुबैर! थोड़ा थोड़ा पानी लगा लो। फिर अपने पड़ौसी के लिये पानी छोड़ दो। अन्सारी ने गुस्से में

صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ " . فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ " . فَقَالَ الزُّبَيْرُ إِنِّي أَحْسَبُ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ } الآيَةَ .

आकर कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! ये इसलिये कि ये आपकी फूफी का बेटा है? रसूलुल्लाह (ﷺ) के चेहर-ए अनवर का रंग बदल गया। फिर आपने फ़रमाया: ज़ुबैर! पानी लगाओ और लगता रहने दो यहाँ तक कि मुण्डेरों तक पहुँच जाये।' हज़रत ज़ुबैर ने फ़रमाया: मेरा ख़्याल है कि ये आयत इसी बारे में नाज़िल हुई: 'आप के रब तआला की क़सम! ये लोग मोमिन नहीं बन सकते ..... अलख़'

(5418) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 2357, बुख़ारी, हदीस: 2360, 2359, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5977.

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5409.

باب(٢٨): شَفَاعَةِ الْحَاكِمِ لِلْخُصُومِ قَبْلَ فَصْلِ الْحُكْمِ

बाब : (28) हाकिम (मुक़द्दमे का) फ़ैसला करने से पहले किसी फ़रीक़ से सिफ़ारिश कर सकता है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ زَوْجَ، بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِلْعَبَّاسِ " يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا " . فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " لَوْ رَاجَعْتِيهِ فَإِنَّهُ أَبُو وَلَدِكِ " . قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ

(5419) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत बरीरा (ﷺ) का ख़ाविन्द हज़रत मुग़ीस़ (ﷺ) ग़ुलाम था। मुझे यूँ महसूस होता है कि मैं उसे बरीरा के पीछे घूमते हुये देख रहा हूँ। वह रो रहा है और उसके आँसू उसकी दाढ़ी पर गिर रहे हैं। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने हज़रत अब्बास (ﷺ) से फ़रमाया: 'अब्बास! आप को ताज्जुब नहीं कि मुग़ीस़ को बरीरा से किस क़द्र मोहब्बत है और बरीरा को मुग़ीस़ से किस क़द्र नफ़रत है?' रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बरीरा से फ़रमाया: 'अगर तू अपने ख़ाविन्द को क़बूल कर ले (तो बेहतर है) आख़िर वह तेरे बच्चों का बाप है।' उन्होंने कहा: अल्लाह के रसूल! आप हुक्म देते हैं? आपने

फ़रमायाः 'नहीं, मैं तो सिर्फ़ सिफ़ारिश करता हूँ।' उन्होंने कहाः फिर मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं।

أَتَأْمُرُنِي . قَالَ " إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ " . قَالَتْ فَلاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ .

(5419) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5283, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5978.

फ़वाइद व मसाइल : (1) अगर कोई फ़रीक़ या शख़्स किसी अहम रहनुमा या हाकिम वग़ैरह की सिफ़ारिश क़बूल न करे तो कोई हर्ज नहीं। सिफ़ारिश करना मशरूअ है जबकि सिफ़ारिश क़बूल करना ज़रूरी नहीं, लिहाज़ा सिफ़ारिश करने वाले शख़्स को सिफ़ारिश क़बूल न करने पर ग़ुस्सा नहीं करना चाहिए और न उसे किसी क़िस्म का कोई और नुक़सान ही पहुँचाना चाहिए। **(2)** इस हदीसे मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि किसी की दरख़्वास्त के बग़ैर अज़ ख़ुद भी सिफ़ारिश करना दुरुस्त और जायज़ है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत मुग़ीस (رضي الله عنه) के मुतालब-ए-सिफ़ारिश के बग़ैर ही हज़रत बरीरा (رضي الله عنها) से सिफ़ारिश फ़रमाई थी। और फिर उनके सिफ़ारिश क़बूल न करने पर इज़्हारे नाराज़ी क़तअन नहीं फ़रमाया, अलबत्ता इस्लाह की कोशिश ज़रूर फ़रमाई है और ये मुस्तहब है। **(3)** ये हदीसे मुबारका हज़रत बरीरा (رضي الله عنها) के उस हुस्ने अदब की तरफ़ भी इशारा करती है जो उनसे रसूलुल्लाह (ﷺ) की बाबत सादिर हुआ कि उन्होंने पूछा: आप हुक्म फ़रमा रहे हैं या सिफ़ारिश? और उन्होंने सराहतन आपकी सिफ़ारिश को रद्द नहीं किया बल्कि ये कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं। **(4)** किसी चीज़ की हद से ज़्यादा मोहब्बत हया ख़त्म कर देती है और आदमी अँधा बहरा हो जाता है। **(5)** झगड़ा करने वाले, ख़्वाह मियाँ बीवी हों या कोई और, उनके माबैन सुलह कराना और झगड़ा ख़त्म करने की सिफ़ारिश करना मुस्तहब और पसन्दीदा शरई अमल है, और मोमिन के दिल को मसरूर करना और उसे क़ल्बी मुसर्रत व ख़ुशी बहम पहुँचाना भी मुस्तहब है। **(6)** ये मसला पहले बयान हो चुका है कि लौण्डी आज़ाद हो जाये और उसका ख़ाविन्द भी ग़ुलाम हो तो उसे इख़्तियार है, निकाह क़ाइम रखे या तोड़ दे। यहाँ यही मसला था। गोया ज़रूरी नहीं हाकिम फ़ैसला ही करे बल्कि वह किसी एक फ़रीक़ से दूसरे के हक़ में सिफ़ारिश करके मुसालिहत भी करवा सकता है बल्कि ये अफ़ज़ल है, ख़ुसूसन जहाँ टूट फूट का मामला हो।

बाब : (29) हाकिम का अपनी रिआया को माल ज़ाया करने से रोक देना जब कि उनको माल की ज़रूरत भी हो

مَنْعُ الْحَاكِمِ رَعِيَّتَهُ مِنْ إِتْلاَفِ أَمْوَالِهِمْ وَبِهِمْ حَاجَةٌ إِلَيْهَا

(5420) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) ने फ़रमाया कि एक अन्सारी आदमी ने अपना ग़ुलाम

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرُ بْنُ الْمُوَرِّعِ،

قَالَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ أَعْتَقَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ غُلاَمًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ وَكَانَ مُحْتَاجًا وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَبَاعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِثَمَانِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَأَعْطَاهُ فَقَالَ " اقْضِ دَيْنَكَ وَأَنْفِقْ عَلَى عِيَالِكَ "

मुदब्बर कर दिया जब कि वह खुद मोहताज था। उसके ज़िम्मे क़र्ज़ भी था। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने वह गुलाम आठ सौ दिरहम में बेच कर वह रक़म उसको दे दी और फ़रमाया: 'अपना क़र्ज़ अदा कर और अपने बाल बच्चों पर ख़र्च कर।'

(5420) तख़रीज : **(सनद सही)** देखें, हदीस: 4657, 4658.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने इस मक़ाम पर जो उन्वान क़ाइम किया है उससे उनका मक़सद ये मसला बयान करना है कि हाकिम को ये हक़ हासिल है कि वह मोहताजों और ज़रूरतमन्दों को उनके माल बेचने या इस तरह ख़ैरात करने से जैसा कि मज़्कूरा सहाबी ने किया था, रोक दे, और उसे ये हक़ भी हासिल है कि वह मालिकान के तसर्रुफ़ को कल्अदम क़रार दे कर ख़ुद उनके मालों में तसर्रुफ़ करे। **(2)** ये हदीसे मुबारका इस बात पर भी दलालत करती है कि आम सदक़ा ख़ैरात करने से अदायगी क़र्ज़ मुक़द्दम है क्योंकि आम सदक़ा ख़ैरात करना नफ़ली इबादत है जबकि क़र्ज़ की अदायगी फ़र्ज़ है। अगर नफ़ली इबादत नहीं की जायेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि अज्र व सवाब नहीं मिलेगा, बाज़ पुर्स तो नहीं होगी जबकि क़र्ज़ अदा न करने की सूरत में तो जवाब देही के साथ साथ बाज़ पुर्स भी होगी। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ऐसे शख़्स की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाने से इन्कार फ़रमा दिया था जिसके ज़िम्मे क़र्ज़ था और अदायगी के लिये कुछ नहीं था। **(3)** मुदब्बर करने का मतलब ये है कि उसने उससे कह दिया कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद होगा। ज़ाहिर है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) गुलाम को न बेचते तो वह उस अन्सारी के मरने के बाद आज़ाद हो जाता, इसलिये आपने उसे बेच दिया। मालूम हुआ, सदक़ा वही सही है जो अपनी हाजत पूरी करने और क़र्ज़ वग़ैरह की अदायगी के बाद हो वरना सदक़ा रद्द कर दिया जायेगा।

الْقَضَاءِ فِي قَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ

बाब : (30) फ़ैसला थोड़े माल के बारे में भी हो सकता है और ज़्यादा में भी

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلاَءُ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله

(5421) हज़रत अबू उमामा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स झूठी क़सम खा कर किसी मुसलमान शख़्स का माल नाजायज़ हासिल कर ले, अल्लाह तआला उस पर आग वाजिब और जन्नत हराम कर देता है।' एक

عليه وسلم قَالَ " مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ " . فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " وَإِنْ كَانَ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ " .

आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अगरचे मामूली चीज़ हो। आपने फ़रमाया: 'अगरचे पीलू की टहनी ही हो।'

(5421) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 137, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5980.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मक़सद ये है कि माल थोड़ा हो या ज़्यादा उसकी बाबत फ़ैसला किया जा सकता है, ख़्वाह हाकिम फ़ैसला करे या अदालत। रसूलुल्लाह (ﷺ) का ये फ़रमाना कि ख़्वाह वह पीलू की टहनी ही हो, अगर झूठी क़सम से हड़प किया गया तो उस पर जहन्नम वाजिब और जन्नत हराम हो जाती है क्योंकि ये ज़ालिम है। **(2)** झूठी क़सम खाना कबीरा गुनाह है। **(3)** 'आग वाजिब कर देता है' यानी एक दफ़ा तो वह लाज़िमन आग में जायेगा, अगरचे बाद में निकल आये। जन्नत के हराम होने से मुराद भी जन्नत में अव्वलीन दुख़ूल का हराम होना है वरना हर मोमिन का जन्नत में जाना क़तई है, और ये भी तब है अगर उसे माफ़ी न मिले। अगर माफ़ी मिल जाये तो फिर ये सज़ा नहीं होगी।

باب : (٣١)
قَضَاءِ الْحَاكِمِ عَلَى الْغَائِبِ إِذَا عَرَفَهُ

बाब : (31)
हाकिम ग़ैर मौजूद शख़्स के बारे में फ़ैसला कर सकता है जब वह उसे पहचानता हो

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلاَ يُنْفِقُ عَلَىَّ وَوَلَدِي مَا يَكْفِينِي أَفَآخُذُ مِنْ مَالِهِ وَلاَ يَشْعُرُ قَالَ " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ " .

(5422) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) फ़रमाती हैं कि हिन्द रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! अबू सुफ़ियान कंजूस आदमी है। वह न तो मुझे काफ़ी अख़राजात देता है और न मेरे बच्चों के लिये। तो क्या मैं उसके माल में से उसके इल्म के बग़ैर ले सकती हूँ? आपने फ़रमाया: 'तू उतना ले सकती है जो तुझे और तेरे बच्चों को मुनासिब अन्दाज़ में किफ़ायत करे।'

(5422) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1714, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5982.

फ़वाइद व मसाइल : (1) उन्वान का मक़सद ये है कि जिस शख़्स की बाबत हाकिम जानता हो कि ये

ऐसा है और उसके मुताल्लिक़ कोई मसला पेश हो जाये तो उसकी अदमे मौजूदगी में भी उसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया जा सकता है जैसा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने किया कि न तो हज़रत अबू सुफ़ियान (رضي الله عنه) को बुलाया और न उनसे कुछ पूछा क्योंकि आप उनकी बाबत जानते थे। (2) किसी की ग़ीबत करना कबीरा गुनाह है, ताहम कुछ मौक़े ऐसे हैं जहाँ ये शरअन जायज़ है। इमाम नववी(رحمه الله) ने उनकी तादाद छ: बयान की है। वह फ़रमाते हैं: शरई ज़रूरत की बिना पर किसी ज़िन्दा या मुर्दा शख़्स की ग़ीबत करना मुबाह है जबकि उसके बग़ैर चार-ए-कार न हो। ○ किसी पर ज़ुल्म हो रहा हो और मज़लूम उस ज़ालिम की शिकायत हाकिम वग़ैरह के यहाँ करे कि फ़ुलां ने मुझ पर ये ज़ुल्म किया है। ○ किसी मुन्कर को तब्दील करने या कराने के लिये किसी की मदद व इस्तेआनत की ज़रूरत हो या किसी ख़ता कार को दुरुस्ती की तरफ़ लाना मक़सूद हो तो उस शख़्स के सामने जो इज़ाल-ए-मुन्कर की क़ुदरत व इख़्तियार रखता हो मामले की तौज़ीह करना जायज़ है, उस वक़्त भी ग़ीबत मुबाह है। ○ किसी मुफ़्ती और आलिम से फ़तवा लेने के लिये उसे हक़ीक़ते हाल से बा'ख़बर करना, जैसे: ये कहना कि फ़ुलां शख़्स ने मुझ पर ये ज़ुल्म किया है, उसने मुझे मेरे हक़ से महरूम कर दिया है, वग़ैरह। ये भी हराम ग़ीबत की क़िस्म से नहीं बल्कि जायज़ है। ○ किसी ज़ालिम के ज़ुल्म और उसके शर से दीगर मुसलमानों को बचाने के लिये उसके स्याह करतूतों से बा'ख़बर करना या अहले इस्लाम को उनकी ख़ैरख़्वाही के पेशे नज़र ये बताना कि फ़ुलां शख़्स में ये कमीना पन है और वह इस इस तरह की घटिया हरकतें कर सकता है, लिहाज़ा तुम्हें उससे मोहतात और होशियार रहने की ज़रूरत है। रुवाते हदीस़ पर जरह, और कहीं रिश्ते-नाते करने वालों को अगले अहले ख़ाना की बाबत मश्वरा देना और उनकी कमज़ोरियाँ और कोताहियाँ वग़ैरह बयान करना इसी क़बील से है। और ये बिल इत्तेफ़ाक़ जायज़ और मुबाह बल्कि बवक़्ते ज़रूरत वाजिब है। ○ पाँचवां मक़ाम जहाँ ग़ीबत करना शरअन मुबाह है ये है कि कोई शख़्स सरे आम फ़िस्क़ व फ़ुजूर का इरतेकाब करता हो या पक्का बिदअती हो, या बर सरे आम शराब पीने वाला और जुआ वग़ैरह खेलने वाला हो तो दीगर लोगों को उसके इन मज़्कूरा स्याह कारनामों की इत्तिला देना जायज़ है ताकि वह अपने आपको उससे महफ़ूज़ रख सकें। ○ छठा मक़ाम ये है कि कोई शख़्स किसी ऐसे लक़ब या नाम से मारूफ़ हो जो ज़ाहिरन ग़ीबत बनता हो, जैसे: अरज (लंगड़ा), आमश (कमज़ोर निगाह वाला, यानी चूंधा) आमा (अंधा), अज्वल (भेंगा) वग़ैरह, तो उसे बुलाना बशर्ते कि तन्क़ीस़ की नियत न हो तो जायज़ है वरना हराम है। वल्लाहु आलम! (3) क़ाज़ी और हाकिम के लिये बाहम झगड़ने वालों का दुरुस्त फ़ैसला करने के लिये फ़रीक़े मुख़ालिफ़ से दूसरे की ग़ीबत सुनना मुबाह है जैसा कि ज़िक्र हो चुका। (4) इस हदीस़े मुबारका से ये अहम मसला भी स़ाबित हुआ कि मर्द के लिये किसी अजनबी और ग़ैर महरम औरत की आवाज़ बवक़्ते ज़रूरत सुनना जायज़ है। (5) इस हदीस़े मुबारका से ये भी मालूम हुआ कि बीवी और बच्चों का ख़र्चा ख़ाविन्द और बाप के ज़िम्मे है। अक्सर अहले इल्म का क़ौल है कि वह

इसी क़द्र वाजिब है जिस क़द्र बीवी बच्चों की जायज़ ज़रूरत हो, और ये भी मालूम हुआ कि शरीयत ने जिन उमूर की तज्दीद नहीं की उनमें उर्फ़ का लिहाज़ किया जाये। (6) 'मुनासिब अन्दाज़ में' यानी तुम्हारी समाजी हैसियत के लिहाज़ से और ये हैसियत बदलती रहती है। अमीर घराने में अख़राजात की हैसियत और होती है और ग़रीब घराने में और।

باب(٣٢): النَّهْيِ عَنْ أَنْ يُقْضَى فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ

बाब : (32) एक मुक़द्दमे में दो मुख़्तलिफ़ फ़ैसले करने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، -وَكَانَ عَامِلاً عَلَى سِجِسْتَانَ - قَالَ كَتَبَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " لاَ يَقْضِيَنَّ أَحَدٌ فِي قَضَاءٍ بِقَضَاءَيْنِ وَلاَ يَقْضِي أَحَدٌ بَيْنَ خَصْمَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ " .

(5423) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बक्रा जो कि सजिस्तान के हाकिम थे, ने बयान किया कि (मेरे वालिद मोहतरम) हज़रत अबू बक्रा (ﷺ) ने मुझे लिखा कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'कोई शख़्स एक मुक़द्दमे में दो मुख़्तलिफ़ फ़ैसले न करे। और कोई शख़्स फ़रीक़ैन के दरम्यान गुस्से की हालत में फ़ैसला न करे।'

(5423) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5403, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5985.

फ़ायदा : एक ही मुक़द्दमे या एक जैसे दो मुक़द्दमात में मुख़्तलिफ़ फ़ैसले करना क़ाज़ी की साख को ख़त्म कर देता है, और इससे लोगों में झगड़े और इख़्तिलाफ़ बढ़ेंगे जब कि फ़ैसला तो उन्हें ख़त्म करने के लिये किया जाता है।

باب(٣٣): مَا يَقْطَعُ الْقَضَاءُ

बाब : (33) फ़ैसले के नतीजे में जो कुछ हासिल हो उसका बयान

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ

(5424) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है, वह बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम मेरे पास झगड़े लाते हो। मैं बस एक इन्सान ही हूँ। मुमकिन है तुममें से कोई शख़्स

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمَا عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ " .

अपनी दलील को दूसरे शख़्स से ज़्यादा वाज़ेह तौर पर बयान करने वाला हो। मैं तो तुम्हारे दरम्यान दलाइल सुन कर (उनके मुताबिक़) फ़ैसला कर दूँगा। (लेकिन याद रखो!) मैं जिस शख़्स के लिये उसके (इस्लामी) भाई के हक़ में से किसी चीज़ का फ़ैसला कर दूँ तो दरहक़ीक़त में उसे आग का टुकड़ा काट कर दे रहा हूँ।'

(5424) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5402, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5985.

फ़ायदा : क़ाज़ी का फ़ैसला हराम को हलाल नहीं कर सकता। जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है। अहनाफ़ इस रिवायत को अमवाल के साथ ख़ास करते हैं। उनके ख़्याल में गोया उक़ूद, जैसे: बैअ, निकाह, तलाक़ वग़ैरह क़ाज़ी के फ़ैसले से मफ़्क़ूद हो जायेंगे लेकिन ये बात बिला दलील है। उक़ूद के लिये फ़रीक़ैन की रज़ामन्दी ज़रूरी है न कि क़ाज़ी का फ़ैसला। (मज़ीद देखिये, हदीस:5403)

باب(٣٤): الأَلَدِّ الْخَصِمِ

बाब : (34) ज़िद्दी और झगड़ालू शख़्स (अल्लाह तआला को सख़्त नापसन्द है)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " إِنَّ أَبْغَضَ الرِّجَالِ إِلَى اللَّهِ الأَلَدُّ الْخَصِمُ " .

(5425) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के नज़दीक सबसे नापसन्दीदा और क़ाबिले नफ़रत शख़्स वह है जो सख़्त ज़िद्दी और झगड़ालू है।'

(5425) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2668, बुख़ारी, हदीस: 4523, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5986-5987.

फ़ायदा : इससे वह शख़्स मुराद है जो हर वक़्त झगड़ता रहता है, बातिल और झूठ पर होने के बावजूद ज़िद और झगड़ा नहीं छोड़ता, और मुख़ालिफ़त में हर शख़्स से और हर बात पर झगड़ता है। वल्लाहु आलम!

बाब : (35)
जब किसी के पास दलील (गवाह वग़ैरह) न हो तो (फ़ैसला किया हो)?

باب: (٣٥)
الْقَضَاءِ فِيمَنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ

(5426) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से रिवायत है कि दो आदमी नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास एक जानवर के बारे में झगड़ते हुये आये। दलील किसी के पास भी नहीं थी। आपने दोनों को निस्फ़ निस्फ़ दे दिया।

(5426) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 3613, अल बैहक़ी: 10/257, इब्ने हिब्बान: 1201 वग़ैरह.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَجُلَيْنِ، اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي دَابَّةٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَقَضَى بِهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

फ़ायदा : 'दलील' जैसे: गवाह या दस्तावेज़ वग़ैरह। इसी तरह क़ब्ज़ा भी किसी का नहीं था या दोनों का क़ब्ज़ा था। क़राइन भी किसी एक जानिब को तर्जीह नहीं देते थे। ऐसी सूरत में यही फ़ैसला होगा या फिर कुरआ अन्दाज़ी की जायेगी जिस पर भी फ़रीक़ैन राज़ी हो जायें या जिसे क़ाज़ी मुनासिब ख़्याल करे।

बाब : (36)
क़सम उठाते वक़्त हाकिम का नसीहत करना

باب(٣٦): عِظَةِ الْحَاكِمِ عَلَى الْيَمِينِ

(5427) हज़रत इब्ने अबी मुलैका बयान करते हैं कि दो लड़कियाँ ताइफ़ के इलाक़े में कुछ सिलाई कर रही थीं। उनमें से एक निकली तो उसके हाथ से ख़ून बह रहा था। उसने कहा कि मेरे साथ वाली लड़की ने उसे ज़ख़्म लगाया है जबकि दूसरी ने इन्कार कर दिया। मैंने इस बारे में हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की तरफ़ लिखा तो उन्होंने (जवाबन) तहरीर फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़ैसला है कि क़सम मुद्दआ अलैहि के ज़िम्मे होगी। अगर लोगों को सिर्फ़ उनके दावे की बिना पर उनकी मतलूबा चीज़ दे दी जाती तो लोग दूसरे

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ كَانَتْ جَارِيَتَانِ تَخْرُزَانِ بِالطَّائِفِ فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا وَيَدُهَا تَدْمَى فَزَعَمَتْ أَنَّ صَاحِبَتَهَا أَصَابَتْهَا وَأَنْكَرَتِ الأُخْرَى فَكَتَبْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَضَى أَنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَلَوْ أَنَّ النَّاسَ أُعْطُوا

لَدَّعَى نَاسٌ أَمْوَالَ نَاسٍ وَدِمَاءَهُمْ بِدَعْوَاهُمْ فَادْعُهَا وَاتْلُ عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ { إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ } حَتَّى خَتَمَ الآيَةَ فَدَعَوْتُهَا فَتَلَوْتُ عَلَيْهَا فَاعْتَرَفَتْ بِذَلِكَ فَسَرَّهُ .

लोगों के जान व माल की बाबत दावे कर देते। उस लड़की को बुलाओ और उसको ये आयत पढ़ कर सुनाओ 'बिलाशुबहा जो लोग अल्लाह तआला का अहद और अपनी क़समें थोड़ी क़ीमत के बदले बेच डालते हैं उनका आख़िरत में कोई हिस्सा नहीं होगा...... अलख़. मैंने उस लड़की को बुलाया और ये आयत पढ़ कर सुनाई। उसने ऐतराफ़ कर लिया। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) को ये बात पहुँची तो बहुत ख़ुश हुये।

(5427) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2514, मुस्लिम, हदीस: 2/1711.

फ़ायदा : ये क़तई बात है कि मुद्दई से उसके दावे का सबूत तलब किया जायेगा। अगर सबूत, यानी, कोई दस्तावेज़ या गवाह मिल जाये तो वह चीज़ मुद्दई को दे दी जायेगी। और अगर मुद्दई सबूत पेश न कर सके तो फिर मुद्दआ अलैहि से पूछा जायेगा। अगर वह (मुद्दआ अलैहि) मुद्दई के दावे का मुन्किर हो तो उससे क़सम ली जायेगी। क़सम खा ले तो मुद्दई को कुछ नहीं मिलेगा। अगर क़सम न खाये तो फिर मुद्दई से क़सम लेकर चीज़ उसे दे दी जायेगी। उसे यमीने नकूल कहते हैं। वल्लाहु आलम!

باب : (٣٧)
كَيْفَ يَسْتَحْلِفُ الْحَاكِمُ

बाब : (37)
हाकिम क़सम किस तरह ले?

أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْحُومُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ عَلَى حَلْقَةٍ - يَعْنِي مِنْ أَصْحَابِهِ - فَقَالَ " مَا أَجْلَسَكُمْ " . قَالُوا جَلَسْنَا نَدْعُو اللَّهَ

(5428) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि हज़रत मुआविया (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने सहाबा के एक हल्क़े पर तशरीफ़ लाये और फ़रमाया: 'कैसे बैठे हो?' उन्होंने कहा कि हम बैठे अल्लाह तआला से दुआएँ कर रहे हैं और उसकी तारीफ़ कर रहे हैं कि उसने हमें अपने दीन की तरफ़ रहनुमाई फ़रमाई और आपको भेज कर हम पर एहसाने अज़ीम फ़रमाया। आपने फ़रमाया: 'क्या अल्लाह की क़सम! तुम

وَنَحْمَدُهُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ . قَالَ " آللَّهِ مَا أَجْلَسَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ " . قَالُوا آللَّهِ مَا أَجْلَسَنَا إِلاَّ ذَلِكَ . قَالَ " أَمَا إِنِّي لَمْ أَسْتَحْلِفْكُمْ تُهَمَةً لَكُمْ وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبَاهِي بِكُمُ الْمَلاَئِكَةَ " .

सिर्फ़ इसीलिये बैठे हो?' उन्होंने कहा: जी हाँ। अल्लाह की क़सम! हम सिर्फ़ इसीलिये बैठे हैं। आपने फ़रमाया: 'मैंने तुम से किसी शक व इल्ज़ाम वग़ैरह की बिना पर क़सम नहीं ली बल्कि बात ये है कि जिब्रील(ﷺ) मेरे पास आये और मुझे बताया कि अल्लाह तआला तुम्हारी वजह से फ़रिश्तों के सामने फ़ख़्र फ़रमा रहा है (कि ये मेरी मख़लूक़ है)'

(5428) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2701.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (ﷺ) ने जो बाब क़ाइम किया है उसका मक़सद क़सम उठाने की कैफ़ियत बयान करना है कि क़सम किन अल्फ़ाज़ से उठवाई जायेगी। **(2)** अल्लाह तआला की हम्द व सना और अज़मत व बुज़ुर्गी बयान करने के लिये मस्जिद इन्तेहाई मौज़ूं व मुनासिब जगह होती है। वहाँ न तो ख़रीद व फ़रोख़्त जायज़ है और न दीगर आम दुनियावी गप शप लगाना ही दुरुस्त है बल्कि वहाँ अल्लाह का ज़िक्र और उसकी तस्बीह व तहमीद ही की जानी मशरूअ है। इन्सान को वहाँ बैठ कर अल्लाह तआला के इनामात व एहसानात याद करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। **(3)** मोमिन की शान ये है कि वह अल्लाह तआला का शुक्र गुज़ार बन कर रहे, एक तो इसलिये कि अल्लाह तआला ने उसे इस्लाम की हिदायत अता फ़रमाई और दूसरा इसलिये कि उसे मुहम्मद रसूलुल्लाह (ﷺ) का उम्मती बनाया। अहले ईमान के लिये इससे बड़ी अज़मत और इससे बढ़ कर फ़ख़्र की और क्या बात हो सकती है कि वह (कुन्तुम ख़ैरा उम्मतिन) (आले इमरान: 3/110) (जअल्नाकुम उम्मतंव वस्ता) (अल बक़र: 2/143) का मिस्दाक़ क़रार पाये। **(4)** दर्स व तदरीस और वाज़ व ज़िक्र की मजालिस यक़ीनन निहायत पसन्दीदा हैं। अल्लाह तआला ऐसे लोगों पर फ़ख़्र फ़रमाता है। बिदई और शिर्किया मजालिस इसके बरअक्स अल्लाह की नाराज़ी का बाइस होंगी। **(5)** आपका मक़सूद ये है कि मैंने तुम्हारे फ़ेअल की अहमियत के पेशे नज़र तुम से क़सम ली है, न कि शक व शुब्हा की बिना पर। **(6)** हदीस से मालूम हुआ कि अल्लाह तआला के नाम की क़सम लेनी चाहिए और सिर्फ़ इतना काफ़ी है। कुछ लोग क़सम के अल्फ़ाज़ में तग़लीज़ के क़ाइल हैं, यानी साथ अल्लाह तआला के औसाफ़ भी मिलाये जायें ताकि क़सम की अज़मत जा गुज़ीं हो जाये और क़सम खाने वाला झूठी क़सम न खाये। ज़ाहिर है इसमें कोई हर्ज नहीं बल्कि ये भी वाज़ के क़ाइम मक़ाम है।

(5429) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'हज़रत ईसा इब्ने मरयम (ﷺ) ने एक आदमी को चोरी करते हुये देख तो आपने फ़रमायाः ओये! तू चोरी करता है? उसने कहाः नहीं। क़सम उस अल्लाह की जिसके सिवा कोई माबूद नहीं! हज़रत ईसा(ﷺ) ने फ़रमायाः मैं अल्लाह (की क़सम) पर ईमान लाता हूँ और अपनी आँख (देखी हुई चीज़) को झुठलाता हूँ।'

(5429) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 6003, बुख़ारी, हदीसः 3444/3443.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَأَى عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ رَجُلاً يَسْرِقُ فَقَالَ لَهُ أَسَرَقْتَ قَالَ لاَ وَاللَّهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ . قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلاَمُ آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ بَصَرِي " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'झुठलाता हूँ' मक़सद ये है जब किसी से क़सम ली जाये तो उसकी क़सम मान लेनी चाहिए। अपनी बात पर नहीं अड़ना चाहिए। कोई झूठी क़सम खायेगा तो ख़ुद भूगतेगा। मज़्कूरा वाक़िये में मुमकिन है वह अपनी ही चीज़ उठा रहा हो या दूसरे की चीज़ उसकी इजाज़त से उठा रहा हो। या सिर्फ़ चीज़ पकड़ कर देखना मक़सद हो न कि उठा कर ले जाना वग़ैरह। ऐसे कई एहतिमालात हो सकते हैं। गोया ज़ाहिर देखने में चोरी की सूरत थी। क़सम से हक़ीक़त वाज़ेह हो गई। (ये सब कुछ तब है अगर वह अपनी क़सम में सच्चा था।) चोर ने अल्लाह के नाम की क़सम खा कर अपनी बराअत का इज़्हार किया, इसलिये सय्यदना ईसा (ﷺ) ने अल्लाह तआला के नाम की लाज रखते हुये उसे सच्चा समझा और अपनी आँख को झूठा क़रार दिया। वल्लाहु आलम! **(2)** हर जगह हज़रत ईसा (ﷺ) को ईसा इब्ने मरयम कहना दलील है कि वह बिन बाप के पैदा हुये ताकि लोगों के लिये अपने सिद्क़ पर मोजिज़ा बनें। **(3)** हदीस में क़सम मुअक्कद व मुग़ल्लज़ है। गोया ऐसी क़सम भी ली जा सकती है।

بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ

किताबुल इस्तिआज़ा

इससे पहले किताब 'आदाबुल क़ज़ा' थी, ये 'किताबुल इस्तिआज़ा' है। शायद इन दोनों क़िताबों के दरम्यान मुनासिबत ये बनती हो कि क़ाज़ी और हाकिम बन कर लोगों के माबैन इख़्तिलाफ़ात के फ़ैसले करना इन्तेहाई हस्सास और ख़तरनाक मामला है। क़ाज़ी की मामूली सी ग़लती या ग़फ़लत से मामला कहीं से कहीं जा पहुँचता है। इसको ठोकर लगने से एक का हक़ दूसरे के पास चला जाता है और इसी तरह एक हलाल चीज़ क़ाज़ी और जज के फ़ैसले से इसके असल मालिक के लिये हराम ठहरती है, इसलिये ऐसे मौक़े पर इन्सान मजबूर है कि वह अल्लाह तआ़ला की पनाह में आये, उसी का सहारा ले और अपने मामले की आसानी के लिये उसी के हुज़ूर अपील करे और उसी से मदद चाहे ताकि जहाँ तक हो सके ग़लती से बच सके। अल्लाह तआ़ला की पनाह, उसका सहारा और उसकी बारगाहे बेन्याज़ में अपील दुआ व इल्तेजा के ज़रिये से की जा सकती है, लिहाज़ा 'किताब आदाबुल क़ज़ा' के बाद 'किताबुल इस्तिआज़ा' का लाना ही मुनासिब था, इस लिये इमाम नसाई (رحمه الله) इस जगह ये किताब लाये हैं। दूसरी बात ये भी है कि इन्सान एक कमज़ोर मख़्लूक़ है जो अल्लाह तआ़ला की मदद के बग़ैर एक लम्हा भी इस जहाँ में नहीं गुज़ार सकता। कोई इन्सान काफ़िर हो सकता है लेकिन अल्लाह तआ़ला से बेन्याज़ नहीं हो सकता। बेशुमार मौक़े ऐसे आते हैं कि इन्सान अपने आपको बेबस तस्लीम कर लेता है और हर क़िस्म की सलाहियतों और वसाइल के बावजूद आजिज़ आ जाता है। उस वक़्त वह ज़रूरत महसूस करता है कि किसी बाला कुव्वत की मदद हासिल हो और वह बाला कुव्वत अल्लाह तआ़ला है। मसाइब व आफ़ात से बचने के लिये इन्सान अल्लाह तआ़ला की पनाह हासिल करता है। मसाइबे दुनियावी हों या उख़रवी, जिस्मानी हों या रूहानी, माद्दी हों या मानवी, सारे के सारे अल्लाह तआ़ला की मदद व नुसरत ही से आसानियों में बदलते हैं। वल्लाहु आलम!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

كتاب الاستعاذة

अल्लाह तआला की पनाह हासिल करने का बयान

باب(١): مَجَاءَ فِي سُورَتِي الْمُعَوِّذَتَيْنِ

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ أَنْبَأَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَسِيدُ بْنُ أَبِي أَسِيدٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ أَصَابَنَا طَشٌّ وَظُلْمَةٌ فَانْتَظَرْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ بِنَا ثُمَّ ذَكَرَ كَلاَمًا مَعْنَاهُ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيُصَلِّيَ بِنَا فَقَالَ " قُلْ " . فَقُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ " { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ حِينَ تُمْسِي وَحِينَ تُصْبِحُ ثَلاَثًا يَكْفِيكَ كُلَّ شَىْءٍ " .

बाब : (1) उन सूरतों का बयान जिनके ज़रिये से पनाह पकड़ी जाती है

(5430) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) से मरवी है कि एक रात हल्की सी बारिश हूई। सख़्त अंधेरा था। हम इन्तेज़ार में थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तशरीफ़ लायें और नमाज़ पढ़ायें। फिर रसूलुल्लाह(ﷺ) नमाज़ के लिये तशरीफ़ लाये और (मुझे) फ़रमाया: 'पढ़' मैंने कहा: क्या पढ़ूँ? आपने फ़रमाया: 'सूरह (कुल हुवल्लाहु अहद) और मुअव्विजतैन सुबह व शाम तीन तीन दफ़ा पढ़ा कर। तुझे हर मुसीबत में किफ़ायत करेंगी।'

(5430) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 5082, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7860, तिर्मिज़ी, हदीस: 3575.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने जो उन्वान क़ाइम किया है उसका मक़सद इस्तिआज़े के मशरूइयत बयान करना है। **(2)** ये हदीसे मुबारका इन मज़्कूरा तीनों सूरतों, यानी सूर-ए-इख़्लास, सूर-ए-फ़लक़ और सूर-ए-नास की फ़ज़ीलत की वाज़ेह दलील है, और ये हदीस इस बात की दलील भी है कि मुअव्विजतैन, यानी (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) और (कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास) क़ुर्आने करीम की सूरतें और उसका हिस्सा हैं। ये महज़ इस्तिआज़े की दुआएँ नहीं। मज़ीद बरां उम्मत का इस पर इज्मा है कि इन सूरतों के इब्तेदा में जो लफ़्ज़ (कुल) वारिद है, ये क़ुर्आन

ही का लफ़्ज़ है और मुतवातिर साबित है और इसका मक़ाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद है। (3) 'हर मुसीबत से' यानी जिन से पनाह मुमकिन है वरना मौत वग़ैरह से बचाव तो मुमकिन नहीं, अलबत्ता हर चीज़ के शर से बचाव हासिल होगा, जैसे: बुरी मौत से। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَأَصَبْتُ خَلْوَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَقَالَ " قُلْ " . فَقُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ " قُلْ " . قُلْتُ مَا أَقُولُ قَالَ " { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } " . حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ " { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } " . حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ " مَا تَعَوَّذَ النَّاسُ بِأَفْضَلَ مِنْهُمَا " .

(5431) हज़रत अब्दुल्लाह बिन ख़ुबैब (ﷺ) ने फ़रमाया कि मैं मक्का मुकर्रमा के रास्ते में रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ था। मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ) के साथ कुछ ख़ल्वत नसीब हुई तो मैं आपके क़रीब हो गया। आपने फ़रमाया: 'पढ़' मैंने अर्ज़ की: क्या पढ़ूँ? आपने फ़रमाया: तू (क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) आख़िर सूरह तक पढ़ा कर। फिर सूरह (क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास) आख़िर सूरह तक पढ़ा कर। फिर फ़रमाया: 'किसी इन्सान ने इन दो सूरतों से अफ़ज़ल कलाम के साथ अल्लाह तआला की पनाह हासिल नहीं की।'

(5431) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखेयं, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7858.

फ़ायदा : 'पनाह हासिल नहीं की' मतलब ये है कि पनाह हासिल करने के सिलसिले में ये दो सूरतें सबसे अफ़ज़ल हैं क्योंकि उनको उतारा ही इस मक़सद के लिये गया है। दूसरे मक़ासिद के लिये कोई और सूरतें भी अफ़ज़ल हो सकती हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنِي الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ بَيْنَا أَنَا أَقُودُ، بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَاحِلَتَهُ فِي غَزْوَةٍ

(5432) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: एक दफ़ा मैं एक जंगी सफ़र में आपकी सवारी की महार पकड़ कर आगे आगे चल रहा था कि आपने फ़रमाया: 'ऐ उक़्बा! पढ़।' मैंने आपकी तरफ़ कान लगाया (ताकि आप जो फ़रमायें, वह मैं सुन कर पढ़ूँ) फिर कुछ देर के बाद फ़रमाया: 'ऐ उक़्बा! पढ़।' मैं फिर मुतवज्जा हुआ। आपने तीसरी मर्तबा फिर

إِذْ قَالَ " يَا عُقْبَةُ قُلْ " . فَاسْتَمَعْتُ ثُمَّ قَالَ " يَا عُقْبَةُ قُلْ " . فَاسْتَمَعْتُ فَقَالَهَا الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ مَا أَقُولُ فَقَالَ " { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } " . فَقَرَأَ السُّورَةَ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَأَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } وَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَرَأَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } فَقَرَأْتُ مَعَهُ حَتَّى خَتَمَهَا ثُمَّ قَالَ " مَا تَعَوَّذَ بِمِثْلِهِنَّ أَحَدٌ " .

यही फ़रमाया। मैंने अर्ज़ की: क्या पढ़ूँ? आपने फ़रमाया: सूरह (क़ुल हुवल्लाहु अहद) फिर आपने आख़िर तक सूरह पढ़ी। फिर आपने सूरह (क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) आख़िर तक पढ़ी। मैं भी आपके साथ पढ़ता रहा। फिर आपने सूरह (क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास) आख़िर तक पढ़ी। मैं भी आपके साथ पढ़ता रहा। फिर आपने फ़रमाया: 'किसी शख़्स ने इन जैसी सूरतों या कलाम के साथ अल्लाह तआला की पनाह हासिल नहीं की।'

(5432) तख़रीज : (सनद हसन) तबरानी: 17/346, हदीस: 952, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7846.

फ़ायदा : यानी कोई और सूरत या कलाम पनाह हासिल करने के सिलसिले में इनके बराबर नहीं चे जायेकि अफ़ज़ल हो।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الأَسْلَمِيُّ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " قُلْ " . قُلْتُ وَمَا أَقُولُ قَالَ " { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } " . فَقَرَأَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " لَمْ يَتَعَوَّذِ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ أَوْ لاَ يَتَعَوَّذُ النَّاسُ بِمِثْلِهِنَّ " .

(5433) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया: 'पढ़।' मैंने अर्ज़ की: क्या पढ़ूँ? आपने फ़रमाया: '(क़ुल हुवल्लाहु अहद), (क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़ और क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास)' फिर आपने ये सूरतें पढ़ीं और फ़रमाया: 'लोगों ने इन जैसी सूरतों के साथ अल्लाह तआला की पनाह हासिल नहीं की या लोग इन जैसी सूरतों के साथ पनाह हासिल नहीं करेंगे।'

(5433) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7852.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَابِسٍ الْجُهَنِيَّ، أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ " يَا ابْنَ عَابِسٍ أَلاَ أَدُلُّكَ - أَوْ قَالَ أَلاَ أُخْبِرُكَ - بِأَفْضَلِ مَا يَتَعَوَّذُ بِهِ الْمُتَعَوِّذُونَ " . قَالَ بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ . قَالَ " { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ "

(5434) हज़रत इब्ने आबिस जुहनी (ﷺ) ने बतलाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे फ़रमाया: 'ऐ इब्ने आबिस! क्या मैं तुझे वह अफ़ज़ल कलाम न बतलाऊँ जिसके साथ पनाह हासिल करने वाले अल्लाह तआला की पनाह हासिल कर सकते हैं?' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्यूँ नहीं? ज़रूर। आपने फ़रमाया: '(क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़), (क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास) ये दो सूरतें।'

(5434) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/153, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7841.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنَا بَحِيرُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أُهْدِيَتْ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بَغْلَةٌ شَهْبَاءُ فَرَكِبَهَا وَأَخَذَ عُقْبَةُ يَقُودُهَا بِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعُقْبَةَ " اقْرَأْ " . قَالَ وَمَا أَقْرَأُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " اقْرَأْ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ * مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ } " . فَأَعَادَهَا عَلَىَّ حَتَّى قَرَأْتُهَا فَعَرَفَ أَنِّي لَمْ أَفْرَحْ بِهَا جِدًّا قَالَ " لَعَلَّكَ تَهَاوَنْتَ بِهَا " . فَمَا قُمْتُ يَعْنِي بِمِثْلِهَا .

(5435) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) ने फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) को एक सफ़ेद ख़च्चर बतौर तोहफ़ा पेश किया गया। आप उस पर सवार हुये और उक़्बा उसकी लगाम पकड़ कर आगे आगे चलने लगा। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उक़्बा से फ़रमाया: 'पढ़' उसने अर्ज़ किया: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या पढ़ूँ? आपने फ़रमाया: पढ़ (क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़, मिन शर्रिमा ख़लक़)' आपने मुझ पर पूरी सूरत पढ़ी यहाँ तक कि मैंने भी पढ़ी। आपने महसूस फ़रमाया कि मैं उसके साथ ज़्यादा ख़ुश नहीं हुआ। आपने फ़रमाया: 'शायद तूने इसको मामूली समझा है। मैंने कभी नमाज़ में इस जैसी सूरत नहीं पढ़ी।'

(5435) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/149, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7842.

फ़ायदा : यानी इस्तिआज़े के सिलसिले में ये सब से अफ़ज़ल सूरत है क्योंकि ये इन्तेहाई जामेअ है और इसमें हर क़िस्म का शर ज़िक्र करके उससे अल्लाह तआला की पनाह हासिल की गई है।

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ حِزَامٍ التِّرْمِذِيُّ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ . قَالَ عُقْبَةُ فَأَمَّنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهِمَا فِي صَلاَةِ الْغَدَاةِ .

(5436) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह (ﷺ) से मुअव्विजतैन के बारे में पूछा। उक़्बा ने कहा कि (आपने उस वक़्त तो कोई जवाब न दिया लेकिन) फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें सुबह की नमाज़ की इमामत कराते हुये ये दोनों सूरतें तिलावत फ़रमाईं।

(5436) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 953, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7851.

फ़ायदा : सुबह की नमाज़ में लम्बी क़िराअत मसनून है। आपका तर्ज़े अमल यही था मगर उस दिन उन दो छोटी सूरतों को सुबह की नमाज़ में पढ़ना उनकी अहमियत ज़ाहिर करने के लिये था कि ये बावजूद मुख़्तसर होने के बहुत जामेअ और अफ़ज़ल हैं, यहाँ तक कि सुबह की नमाज़ में तवील क़िराअत की जगह किफ़ायत कर सकती हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُقْبَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَأَ بِهِمَا فِي صَلاَةِ الصُّبْحِ

(5437) हज़रत उक़्बा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये दो सूरतें सुबह की नमाज़ में पढ़ीं।

(5437) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7849, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ الْحَارِثِ، - وَهُوَ الْعَلاَءُ - عَنِ الْقَاسِمِ، مَوْلَى مُعَاوِيَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ كُنْتُ أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي السَّفَرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

(5438) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) ने फ़रमाया कि मैं एक सफ़र में रसूलुल्लाह (ﷺ) की सवारी की लगाम पकड़ कर आगे आगे चल रहा था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'उक़्बा! मैं तुझे दो बेहतरीन सूरतें न सिखाऊँ जो कभी पढ़ी गई हों?' फिर आपने मुझे सूरह (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) और (कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास) सिखाईं। आपने महसूस फ़रमाया

الله عليه وسلم " يَا عُقْبَةُ أَلاَ أُعَلِّمُكَ خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِئَتَا " . فَعَلَّمَنِي { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } فَلَمْ يَرَنِي سُرِرْتُ بِهِمَا جِدًّا فَلَمَّا نَزَلَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ صَلَّى بِهِمَا صَلاَةَ الصُّبْحِ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الصَّلاَةِ الْتَفَتَ إِلَىَّ فَقَالَ " يَا عُقْبَةُ كَيْفَ رَأَيْتَ " .

कि मैं ये सूरतें सीख कर ज़्यादा ख़ूश नहीं हुआ, लिहाज़ा जब आप सुबह की नमाज़ के लिये उतरे तो ये दोनों सूरतें सुबह की नमाज़ में लोगों की इमामत करवाते हुये पढ़ीं। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) नमाज़ से फ़ारिग़ हुये तो मेरी तरफ़ मुतवज्जा हुये और फ़रमाया: 'ऐ उक़्बा! तेरा क्या ख़्याल है?'

(5438) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1462, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7848, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 535, नसाई, हदीस: 889, देखें, हदीस: 953.

फ़ायदा : 'क्या ख़्याल है?' यानी अब तुझे इन सूरतों की अहमियत महसूस हुई?

أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ بَيْنَا أَقُودُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي نَقَبٍ مِنْ تِلْكَ النِّقَابِ إِذْ قَالَ " أَلاَ تَرْكَبُ يَا عُقْبَةُ " . فَأَجْلَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَرْكَبَ مَرْكَبَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " أَلاَ تَرْكَبُ يَا عُقْبَةُ " . فَأَشْفَقْتُ أَنْ يَكُونَ مَعْصِيَةً فَنَزَلَ وَرَكِبْتُ هُنَيْهَةً وَنَزَلْتُ وَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ " أَلاَ أُعَلِّمُكَ سُورَتَيْنِ مِنْ خَيْرِ سُورَتَيْنِ قَرَأَ بِهِمَا النَّاسُ " . فَأَقْرَأَنِي { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ

(5439) हज़रत उक़्बा बिन आमिर जुहनी (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक दफ़ा मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की सवारी की लगाम पकड़ कर इन घाटियों में से किसी घाटी में चल रहा था कि आपने फ़रमाया: 'उक़्बा! तू (मेरे साथ) सवार क्यूँ नहीं हो जाता?' मैंने इस बात को बहुत बड़ा महसूस किया कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की सवारी पर सवार हो जाऊँ। कुछ देर बाद आपने फिर फ़रमाया: 'उक़्बा! तू सवार क्यूँ नहीं हो जाता?' मुझे ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं आपकी नाफ़रमानी न हो। आख़िर आप उतरे तो मैं थोड़ी देर के लिये सवार हो गया। फिर मैं उतर आया और रसूलुल्लाह (ﷺ) सवार हो गये। फिर आपने फ़रमाया: 'क्या मैं तुझे दो बेहतरीन सूरतें न सिखाऊँ जो लोगों ने पढ़ी हैं।' फिर आपने मुझे सूरह (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) और सूरह (कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास) पढ़ाईं। फिर जमाअत

الْفَلَقِ } وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَتَقَدَّمَ فَقَرَأَ بِهِمَا ثُمَّ مَرَّ بِي فَقَالَ " كَيْفَ رَأَيْتَ يَا عُقْبَةُ بْنَ عَامِرٍ اقْرَأْ بِهِمَا كُلَّمَا نِمْتَ وَقُمْتَ " .

के लिये इक़ामत कही गई तो आप आगे बढ़े और यही दो सूरतें पढ़ीं। फिर (नमाज़ से फ़राग़त के बाद) मेरे पास से गुज़रे तो फ़रमाया: 'उ़क़्बा बिन आ़मिर! तेरी क्या राय है? इन सूरतों को पढ़ा कर जब भी सोये या जागे।'

(5439) तख़रीज : (सनद सही) अबू यअ़ला: 3/278, हदीस: 1736, मुस्लिम, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7843, पिछली हदीस देखें.

फ़ायदा : 'तेरी क्या राय है?' यानी इन दो सूरतों की शान व अ़ज़मत के बारे में कि सुबह की नमाज़ में पढ़ा गया।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ كُنْتُ أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " يَا عُقْبَةُ قُلْ " . فَقُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ عَنِّي ثُمَّ قَالَ " يَا عُقْبَةُ قُلْ " . قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَسَكَتَ عَنِّي فَقُلْتُ اللَّهُمَّ ارْدُدْهُ عَلَىَّ فَقَالَ " يَا عُقْبَةُ قُلْ " . قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ " { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ " قُلْ " . قُلْتُ مَاذَا أَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } " . فَقَرَأْتُهَا حَتَّى أَتَيْتُ عَلَى آخِرِهَا ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه

(5440) हज़रत उ़क़्बा बिन आ़मिर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के साथ चल रहा था कि आपने फ़रमाया: 'ऐ उ़क़्बा! पढ़।' मैंने अ़र्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या पढ़ूँ? आप ख़ामोश हो गये। फिर फ़रमाया: 'ऐ उ़क़्बा! कह।' मैंने अ़र्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या कहूँ? आप फिर ख़ामोश हो गये। मैंने (दिल में) कहा: या अल्लाह! आपको मेरी तरफ़ मुतवज्जा फ़रमा। आपने फ़रमाया: 'ऐ उ़क़्बा! पढ़।' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मैं क्या पढ़ूँ? आपने फ़रमाया: 'सूरह (क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़)' मैंने सूरत पढ़ना शुरू की यहाँ तक कि मुकम्मल कर दी। फिर आपने फ़रमाया: 'पढ़' मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या पढ़ूँ? आपने फ़रमाया: 'सूरह (क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास)' उस वक़्त मैंने आख़िर तक पूरी पढ़ दी। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'किसी सवाल करने वाले ने इन जैसी सूरतों के साथ सवाल नहीं किया

وسلم عِنْدَ ذَلِكَ " مَا سَأَلَ سَائِلٌ بِمِثْلِهِمَا وَلاَ اسْتَعَاذَ مُسْتَعِيذٌ بِمِثْلِهِمَا " .

और न किसी पनाह तलब करने वाले ने इन जैसी सूरतों के साथ पनाह तलब की है।'

(5440) तख़रीज : (सनद सही) दारमी: 2/462, हदीस: 3443, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7838.

फ़ायदा : 'ख़ामोश हो गये' आप का एक ही बात फ़रमाना और फिर ख़ामोश हो जाना मुख़ातब के दिल में शौक़ और तवज्जा पैदा करने के लिये था ताकि उसके नज़दीक आइन्दा बात की अहमियत वाज़ेह हो जाये।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ، أَسْلَمَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِبٌ فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى قَدَمِهِ فَقُلْتُ أَقْرِئْنِي سُورَةَ هُودٍ أَقْرِئْنِي سُورَةَ يُوسُفَ . فَقَالَ " لَنْ تَقْرَأَ شَيْئًا أَبْلَغَ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } " .

(5441) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) ने कहा कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ जबकि आप सवार थे। मैंने अपना हाथ आपके क़दम मुबारक पर रख दिया और अर्ज़ की: मुझे सूर-ए-हूद पढ़ाइये। मुझे सूर-ए-यूसुफ़ पढ़ाइये। आपने फ़रमाया: 'तू कोई ऐसी सूरत नहीं पढ़ेगा जो अल्लाह तआला के नज़दीक सूरह (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) और सूरह (कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास) से ज़्यादा अज़मत वाली हो।'

(5441) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 954, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7839.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أُنْزِلَ عَلَىَّ آيَاتٌ لَمْ يُرَ مِثْلُهُنَّ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } إِلَى آخِرِ السُّورَةِ وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } " . إِلَى آخِرِ السُّورَةِ .

(5442) हज़रत उक़्बा बिन आमिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुझ पर ऐसी आयात उतारी गई हैं कि (इस्तिआज़े के सिलसिले में) कोई और आयात इन जैसी नहीं (कुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) आख़िर सूरत तक और (कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास) आख़िर सूरत तक।'

(5442) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 955, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7855.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنِي بَدَلٌ،

(5443) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मुझे रसूलुल्लाह(ﷺ)

قَالَ حَدَّثَنَا شَدَّادُ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو طَلْحَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اقْرَأْ يَا جَابِرُ " . قُلْتُ وَمَاذَا أَقْرَأُ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " اقْرَأْ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ } وَ { قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ } " . فَقَرَأْتُهُمَا فَقَالَ " اقْرَأْ بِهِمَا وَلَنْ تَقْرَأَ بِمِثْلِهِمَا " .

ने फ़रमाया: 'जाबिर! पढ़ो।' मैंने अर्ज़ की: मेरे माँ बाप आप पर फ़िदा हो जायें ऐ अल्लाह के रसूल! मैं क्या पढ़ूँ? आपने फ़रमाया: 'सूरह (क़ुल अऊज़ु बिरब्बिल फ़लक़) और सूरह (क़ुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास) पढ़।' मैंने दोनों सूरतें पढ़ीं तो आपने फ़रमाया: 'इनको पढ़ा कर और (याद रख कि) तू (इस्तिआज़े के बारे में) उन जैसी कोई और सूरत नहीं पढ़ेगा।'

(5443) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, (मवारिद), हदीस: 1778, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7854.

باب : (٢)
الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ

बाब : (2)
उस दिल से अल्लाह तआला की पनाह तलब करना जो अल्लाह तआला से न डरे

أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ .

(5444) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) चार चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाया करते थे: ऐसे इल्म से जो नफ़ा न दे, ऐसे दिल से जो अल्लाह तआला से न डरे, ऐसी दुआ से जो क़बूल न हो और ऐसे नफ़्स से जो सैर न हो।

(5444) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/167, मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा: 10/194, 195, देखें, हदीस: 5469.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस में मज़्कूर इन चारों चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह हासिल करना मुस्तहब और पसन्दीदा अमल है। **(2)** ज़ाहिरी मानी मुराद नहीं बल्कि मक़सूद ये है कि या अल्लाह! मेरे इल्म को मुफ़ीद बना। दिल को आजिज़ी और ख़ुशूअ वाला बना। मेरी दुआएँ क़बूल फ़रमा और मेरे नफ़्स को क़नाअत पसन्द बना। **(3)** आपका इस्तिआज़ा उम्मत की तालीम और इज़्हारे

उबुदियत के लिये था वरना आपको ये पनाह तो पहले से हासिल थी। इसमें ये इशारा है कि बन्दे को हर हाल में अल्लाह तआला से डरते रहना चाहिए और अल्लाह तआला के सामने मोहताज बन कर रहना चाहिए। (4) इल्मे नाफ़ेअ से मुराद इल्म के मुताबिक़ अमल है क्योंकि इल्म का सबसे पहला फ़ायदा ख़ुद आलिम को होना चाहिए, फिर दूसरों को, जैसे: तब्लीग़ व तालीम वग़ैरह। (5) दुआ की क़बूलियत से मुराद उस पर सवाब हासिल करना है न कि बिऐनिही बात का पूरा हो जाना क्योंकि ये बहुत से उमूर में मुमकिन नहीं। (6) 'नफ़्स के सैर न होने' से मुराद नफ़्स का हरीस और लालची होना है, अलबत्ता इल्म और सवाब की हिर्स अच्छी चीज़ है। वल्लाहु आलम!

बाब : (3) सीने (दिल) के फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह तलब करना

باب(٣): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

(5445) हज़रत उमर (رضی اللہ عنہ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) बुज़दिली, बुख़्ल, सीने के फ़ित्ने और क़ब्र के अज़ाब से बचने के लिये अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाया करते थे।

(5445) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1539, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7879, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2445, वल हाकिम अला शर्तिश्शैख़ैन: 1/530, इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 746 वग़ैरह.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाब का मक़सद बिल्कुल वाज़ेह है कि मज़्कूरा तमाम बीमारियों से छुटकारे के लिये अल्लाह तआला का सहारा ज़रूरी है। अल्लाह तआला के सहारे के बग़ैर इन 'मूज़ी और मुहलिक' बीमारियों से बचना बहुत ही मुश्किल काम है। फिर जिसे ये रूहानी बीमारियाँ लग जायें तो उसके लिये जहन्नम और आग का अज़ाब है। अआज़नल्लाह मिन्हा. (2) रसूलुल्लाह (ﷺ) का मज़्कूरा दुआ पढ़ना और उम्मत को उसकी तालीम देना सिर्फ़ इस बिना पर था कि उम्मत को अमलन ये बताया जाये कि उनकी तमाम बीमारियों का इलाज सिर्फ़ अल्लाह की पनाह में आना, उसका सहारा लेना और उससे अमान तलब करने ही में है। लोग मसाइब से बचने के लिये तावीज़ों और ख़ुद साख़्ता वज़ाइफ़ का सहारा लेते हैं, हालांकि तमाम मुश्किलात का हल रसूलुल्लाह (ﷺ) के बताये हुये अज़्कार में है। उन्हीं को इख़्तियार करना चाहिए ताकि जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से छुटकारा हासिल हो सके। (3) बुज़दिली से मुराद अल्लाह तआला के रास्ते में जान क़ुर्बान करने से भागना है और बुख़्ल से मुराद अल्लाह तआला के रास्ते में माल ख़र्च करने से कन्नी कतराना है। (4) सीने के फ़ित्ने से

मुराद शैतानी वस्वसे, बातिल अक़ाइद और दिल की ख़राबियाँ, जैसे: हसद, कीना, बुग़्ज और इनाद वग़ैरह हैं। पीछे ये बयान हो चुका है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) का इस्तिआज़ा दरअसल उम्मत की तालीम के लिये है वरना आप तो इन रज़ाइल से क़तअन पाक व साफ़ थे। आपके बारे में उनका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता।

बाब : (4) कान और आँख के शर से अल्लाह तआला की पनाह माँगना

الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي بِلاَلُ بْنُ يَحْيَى، أَنَّ شُتَيْرَ بْنَ شَكَلٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِّمْنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ " قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِيِّي " . قَالَ حَتَّى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدٌ وَالْمَنِيُّ مَاؤُهُ .

(5446) हज़रत शकल बिन हुमैद (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि मैं नबी-ए अकरम (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे ऐसे कलिमात सिखा दीजिये जिनके साथ मैं अल्लाह तआला की पनाह तलब किया करूँ। आपने मेरा हाथ पकड़ा और फ़रमाया: 'तू ये कलिमात कह: ऐ अल्लाह! मैं अपने कानों, आँखों, ज़बान, दिल और मनी के शर से तेरी पनाह तलब करता हूँ।' मैंने ये कलिमात याद कर लिये। सअद (इब्ने औस रावि-ए-हदीस) ने कहा कि मनी से मुराद नुत्फ़ा है (इसकी बुराई ये है कि इसे हराम में बहाये)

(5446) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1551, तिर्मिज़ी, हदीस: 3492, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7877, व सहीह अलहाकिम: 1/532, 533.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि हदीस में मज़्कूर तमाम चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह हासिल करना मशरूअ और पसन्दीदा अमल है, लिहाज़ा हर मुसलमान मर्द व औरत को इस मसनून दूआ का इल्तेज़ाम करना चाहिए। **(2)** इस हदीसे मुबारका से सहाब-ए-किराम (رضي الله عنهم) का नबी-ए-अकरम (ﷺ) से ऐसे सवाल पूछने का एहतिमाम भी वाज़ेह होता है जिन से उन्हें अपने दीनी और दुनियावी मामलात में फ़ायदा होता और उनसे उनकी दुनिया व आख़िरत संवरती। **(3)** क़ुर्आन व हदीस में मज़्कूर दुआओं से असल मतलूब व मक़सूद ये है कि बन्दा हमेशा और हर हाल में अपने रब्बे करीम की तरफ़ मुतवज्जा है, उससे जुड़ा रहे, उसका दर न छोड़े और

उसी की बारगाह में अपनी सारी आजिज़ियाँ पेश करने, और तमाम ज़ाहिरी व बातिनी (अन्दुरूनी व बैरूनी) तकालीफ़ व परेशानियों से बचने के लिये उसकी हिफ़ाज़त में रहने की कोशिश करता रहे उनसे बचने के लिये अल्लाह की मदद ही सबसे बड़ा और मुअस्सिर ज़रिया है। (4) मज़्कूरा चीज़ों के शर से मुराद उनका नाजायज़ और बे महल इस्तेमाल है और अल्लाह से पनाह तलब करने का मक़सद उनकी हिफ़ाज़त है कि ये ग़लत इस्तेमाल न हों। मज़ीद तफ़्सील के लिये देखिये, (सुनन अबू दाऊद (मुतर्जम), फ़ायद-ए-हदीस: 1551 - मतबूआ दारुस्सलाम)

बाब : (5) बुज़दिली से अल्लाह तआला की पनाह तलब करना

باب(۵): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُبْنِ

(5447) हज़रत मुसअब बिन सअद से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हमारे वालिद मोहतरम (हज़रत सअद बिन अबी वक़्क़ास (ﷺ)) हमें पाँच कलिमात सिखाया करते थे और फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दुआ में ये कलिमात पढ़ा करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं बुख़्ल से बचने के लिये तेरी पनाह में आता हूँ। मैं बुज़दिली से बचने के लिये तेरी पनाह में आता हूँ। और मैं इस बात से भी तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं ज़लील तरीन उम्र पाऊँ। मैं दुनिया के फ़ित्ने से तेरी पनाह में आता हूँ और मैं क़ब्र के अज़ाब से बचाव के लिये तेरी पनाह में आता हूँ।'

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا كَانَ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِنَّ وَيَقُولُهُنَّ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " .

(5447) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6365, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7880.

फ़वाइद व मसाइल : (1) पनाह में आने का मक़सूद बचाव है, यानी ऐ अल्लाह! मुझे उन चीज़ों से बचा कर रखना। (2) 'ज़लील तरीन उम्र' जिसमें इन्सान की कुव्वतें जवाब दे जायें। इन्सान कुल्ली तौर पर मोहताज बन जाये। न अपने काम का रहे न किसी के काम का, यानी शदीद तरीन बुढ़ापा। (3) दुनिया के फ़ित्ने से मुराद गुम्राही है जिस पर अज़ाबे क़ब्र मुरत्तब होता है।

बाब : (6) बुख़्ल से अल्लाह तआला की पनाह तलब करना

باب(٦): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْبُخْلِ

(5448) हज़रत इब्ने मसऊद (ﷺ) ने फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) पाँच चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह तलब किया करते थे: बुख़्ल, बुज़दिली, बुरी उम्र, सीने के फ़ित्ने और क़ब्र के अज़ाब से।

(5448) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7882, देखें, हदीस: 5445.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

फ़ायदा : ज़ाहिर तो यही है कि बुरी उम्र से मुराद ज़लील तरीन उम्र ही है जिसका ज़िक्र साबिक़ा हदीस में गुज़रा है, मगर बुरी उम्र से मुराद गुम्राही वाली उम्र भी हो सकती है, ख़्वाह वह जवानी की उम्र हो या बुढ़ापे की।

(5449) हज़रत अम्र बिन मैमून औदी से मरवी है कि हज़रत सअद (ﷺ) अपने बेटों को ये कलिमात इस तरह सिखाते थे जिस तरह उस्ताद बच्चों को सबक़ रटाता है और फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह (ﷺ) (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद इन कलिमात के साथ अल्लाह तआला की पनाह तलब किया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं बुख़्ल से तेरी पनाह में आता हूँ। बुज़दिली से तेरी पनाह हासिल करता हूँ। इस बात से भी पनाह तलब करता हूँ कि मुझे ज़लील तरीन उम्र में पहुँचाया जाये। मैं दुनिया के फ़ित्ने से तेरी पनाह में आता हूँ और क़ब्र के अज़ाब से (बचने के लिये) मैं तेरी पनाह हासिल करता हूँ।' (रावी ने कहा) मैंने ये कलिमात (हज़रत सअद (ﷺ) के बेटे) मुसअब को बयान किये तो उन्होंने तस्दीक़ की।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ، قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ دُبُرَ الصَّلاَةِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " . فَحَدَّثْتُ بِهَا مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ .

(5449) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 2822, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7883.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ " .

(5450) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) यूँ दुआ फ़रमाते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं आजिज़ी (बेबसी), सुस्ती, बुख़्ल, शदीद बुढ़ापे, क़ब्र के अज़ाब और ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने से तेरी पनाह में आता हूँ।'

(5450) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 3/208, 214, 231, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7881, बुख़ारी, हदीसः 6367, 2833.

फ़ायदा : 'आजिज़ी' से मुराद ये है कि इन्सान कोई काम न कर सके। करना न आता हो या करने की ताक़त न हो या इतना मजबूर मक़हूर हो कि ताक़त होने के बावजूद कर न सकता हो। और 'सुस्ती' से मुराद ये है कि काम कर सकता है मगर हिम्मत नहीं करता। मौत के फ़ित्ने से मुराद मरते वक़्त गुम्राह हो जाना है या कोई ऐसा काम कर बैठना है जो क़ाबिले माफ़ी न हो अज़ाबे क़ब्र भी मुराद हो सकता है।

باب(٧): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْهَمِّ

बाब : (7) फ़िक्र से अल्लाह तआला की पनाह तलब करना

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَوَاتٌ لاَ يَدَعُهُنَّ كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ " .

(5451) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: कुछ दुआएँ ऐसी हैं जिन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) कभी नहीं छोड़ते थे। आप फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं फ़िक्र, ग़म, आजिज़ी, सुस्ती, बुख़्ल, बुज़दिली और लोगों के ग़ल्बे से तेरी पनाह में आता हूँ।'

(5451) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7885.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़िक्र किसी आइन्दा चीज़ के बारे में होती है जब कि ग़म किसी गुज़िश्ता चीज़ पर। फ़िक्र और ग़म से अल्लाह तआला की पनाह तलब करने का मतलब ये है कि मैं उन चीज़ों के बारे में फ़िक्रमन्द हो कर और सोच सोच कर न घुलता रहूँ जिनमें मुझे कुछ दख़ल नहीं, न कोई इख़्तियार है या आइन्दा के बारे में मौहूम तसव्वुरात में खोया रहूँ और अपने ज़रूरी काम भी न कर सकूँ। इसी तरह मैं बीत जाने वाले वाक़ियात के ग़म में न पड़ा रहूँ कि मैं अपनी मौजूदा ज़िंदगी को भी अजीरन बना लूँ

जब कि गुज़िश्ता वाक़ियात न बदल सकते हैं न ग़म उनके असरात को ख़त्म कर सकता है, बल्कि अल्लाह तआला की रिज़ा पर राज़ी होना और उसी पर भरोसा रखना ही गुज़िश्ता और आइन्दा के बारे में इन्सान को पुर सुकून बनाता है। (2) लोगों के ग़ल्बे से मुराद ये है कि कोई शख़्स लोगों के लिये अज़्हूका और ख़िलौना बन जाये या लोगों के सितम के लिये तख़्त-ए-मश्क़ बन जाये कि जो शख़्स चाहे, उसे ज़लील करने लग जाये।

(5452) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि कुछ दुआएँ रसूलुल्लाह (ﷺ) की आदत बन चुकी थीं। आप उन्हें कभी नहीं छोड़ते थे। 'ऐ अल्लाह! मैं फ़िक्र व ग़म, आजिज़ी व सुस्ती, बुख़्ल व बुज़दिली और क़र्ज़, और लोगों के ग़ल्बे से तेरी पनाह में आता हूँ।

इमाम अबू अब्दुर्रहमान (नसाई (رحمه الله)) ने कहा: ये हदीस दुरुस्त और सही है जबकि इब्ने फ़ुज़ैल की (इससे पहली) हदीस ग़लत है।

(5452) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6369, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7886.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَعَوَاتٌ لاَ يَدَعُهُنَّ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ وَحَدِيثُ ابْنِ فُضَيْلٍ خَطَأٌ .

फ़ायदा : क़र्ज़ से मुराद वह क़र्ज़ है जो अदा न हो सके बल्कि बढ़ता जाये। मक़रूज़ के लिये ज़िल्लत और बेइज़्ज़ती का सबब हो वरना मुत्लक़ क़र्ज़ तो रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी लिया है और उससे मफ़र्र भी नहीं।

(5453) हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ये दुआ किया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं बेजा सुस्ती, शदीद बुढ़ापे, बुज़दिली, बुख़्ल, दज्जाल के फ़ित्ने और क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह हासिल करता हूँ।'

(5453) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 3485, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7887.

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ قَالَ أَنَسٌ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ " .

फ़ायदा : दज्जाल किसी मख़्सूस शख़्स का नाम नहीं बल्कि ये सिफत का सेग़ा है। उसके मानी हैं: फ्राडी, जालसाज़ और दग़ाबाज़। हर झूठा नबी, फ्राडी लीडर और क़ाइद दज्जाल है, अलबत्ता सबसे

बड़ा दज्जाल क़ुर्बे क़यामत पैदा होगा जो रब होने का दावा भी करेगा। उसे हज़रत ईसा (عليه السلام) क़त्ल करेंगे और उसका फ़ित्ना फ़रो (ख़त्म) करेंगे, उमूमन उसको दज्जाल कहा जाता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ "

(5454) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) यूँ फ़रमाया करते थे:'ऐ अल्लाह! मैं नकटे पन, बेजा सुस्ती, शदीद बुढ़ापे, कंजूसी और बुज़दिली से तेरी पनाह में आता हूँ, और कब्र के अज़ाब और ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने से तेरी पनाह माँगता हूँ।'

(5454) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 2823, मुस्लिम, हदीस: 50/2706, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7888.

باب(٨): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْحَزَنِ

बाब : (8) रंज व ग़म से अल्लाह तआला की पनाह माँगना

أَخْبَرَنَا أَبُو حَاتِمٍ السِّجِسْتَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ شَيْخٌ ضَعِيفٌ وَإِنَّمَا أَخْرَجْنَاهُ لِلزِّيَادَةِ فِي الْحَدِيثِ

(5455) हज़रत अनस बिन मालिक (رضي الله عنه) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब दुआ करते तो यूँ फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! मैं फ़िक्र व ग़म, आजिज़ी (बेबसी) व काहिली, कंजूसी व बुज़दिली, क़र्ज़ के शदीद बोझ और लोगों के ग़ल्बे से तेरी पनाह में आता हूँ।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा: (इस हदीस की सनद का रावी) सईद बिन सलमा ज़ईफ़ है। (ज़ईफ़ रिवायत होने के बावजूद) हमने ये रिवायत इसलिये बयान की है कि इसमें (कुछ इबारत) ज़्यादा है।

(5455) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7884, अलतहज़ीब: 6/32.

फ़ायदा : फ़िक्र व ग़म से पनाह माँगने का मफ़हूम ये भी हो सकता है कि मुझे कोई ग़मनाक चीज़ न पहुँचे और न नुक़सानदेह चीज़ का ख़तरा रहे।

बाब : (9) क़र्ज़ और गुनाह से पनाह माँगना

الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي صَفْوَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ، - وَكَانَ خَيْرَ أَهْلِ زَمَانِهِ - قَالَ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَكْثَرَ مَا يَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَكْثَرَ مَا تَتَعَوَّذُ مِنَ الْمَغْرَمِ قَالَ " إِنَّهُ مَنْ غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ " .

(5456) हज़रत आयशा (ﷻ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) (जान लेवा) क़र्ज़ और गुनाह से बहुत ज़्यादा पनाह तलब फ़रमाया करते थे। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! आप क़र्ज़ से इस क़द्र पनाह क्यूँ माँगते हैं? आप ने फ़रमाया: 'इसलिये कि जो शख़्स मक़रूज़ हो जाये (क़र्ज़ तले दबे जाये) वह बात करता है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है।'

(5456) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 832, 2397, मुस्लिम, हदीस: 129/589.

फ़ायदा : 'ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है' क्योंकि ये उसकी मजबूरी होती है। उसके पास अदायगी के लिये कुछ नहीं होता मगर जान छुड़ाने के लिये उसे जानबूझ कर झूठ बोलना पड़ता है और नामुमकिन वादा करना पड़ता है। इससे मालूम हुआ कि यहाँ क़र्ज़ से मुत्लक़ या मामूली क़र्ज़ मुराद नहीं बल्कि वह भारी क़र्ज़ है जिसकी अदायगी उसके लिये नामुमकिन बन जाये। इस रिवायत में गुनाह से मुराद भी वह गुनाह है जो इन्सान जानबूझ कर धड़ल्ले से करे, या उससे मुराद वह गुनाह है जो क़र्ज़ के नतीजे में मक़रूज़ को करना पड़ता है जैसा कि अभी गुज़रा। वल्लाहु आलम!

बाब : (10) कान और आँख के शर से (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना

الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي بِلاَلُ بْنُ يَحْيَى، أَنَّ شُتَيْرَ بْنَ شَكَلٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم

(5457) हज़रत शकल बिन हुमैद (ﷻ) ने फ़रमाया कि मैं नबी-ए-अकरम (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और कहा: ऐ अल्लाह के नबी! मुझे ऐसे कलिमात सिखाइये जिनके साथ मैं पनाह हासिल किया करूँ। आपने मेरा हाथ पकड़ कर इरशाद फ़रमाया: '(यूँ) कह (ऐ अल्लाह!) मैं

فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ عَلِّمْنِي تَعَوُّذًا أَتَعَوَّذُ بِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي ثُمَّ قَالَ " قُلْ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَشَرِّ بَصَرِي وَشَرِّ لِسَانِي وَشَرِّ قَلْبِي وَشَرِّ مَنِيِّي " . قَالَ حَتَّى حَفِظْتُهَا قَالَ سَعْدٌ وَالْمَنِيُّ مَاؤُهُ . خَالَفَهُ وَكِيعٌ فِي لَفْظِهِ .

अपने कान, आँख, ज़बान, दिल और मनी के शर से तेरी पनाह में आता हूँ।' यहाँ तक कि मैंने इन कलिमात को याद कर लिया।

(रावि-ए-हदीस़) सअ़द बिन औस ने कहा: मनी से मुराद उस (शख़्स) का पानी, यानी नुत्फ़ा है। वकीअ़ (इब्ने अल्जर्राह) ने इस हदीस़ के लफ़्ज़ों में इस (अबू नुऐम) की मुख़ालिफ़त की है। (अगली रिवायत के अल्फ़ाज़ देखने से इख़्तिलाफ़ स़रीह तौर पर खुल जाता है।)

(5457) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 5446.

الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْبَصَرِ

बाब : (11) आँख के शर से (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهِ . قَالَ " قُلِ اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلِسَانِي وَقَلْبِي وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي " . يَعْنِي ذَكَرَهُ .

(5458) हज़रत शकल बिन हुमैद से रिवायत है उन्होंने कहा कि मैंने अ़र्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई दुआ सिखाइये जिससे मैं फ़ायदा उठा सकूँ। आपने फ़रमाया: 'कह: ऐ अल्लाह! मुझे मेरे कान, आँख, ज़बान, दिल और मनी, यानी शर्मगाह के शर से महफ़ूज़ रख।'

(5458) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 5446, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7891.

باب(١٢): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْكَسَلِ

बाब : (12) काहिली और सुस्ती से (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، قَالَ سُئِلَ أَنَسٌ - وَهُوَ ابْنُ مَالِكٍ - عَنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَعَنِ الدَّجَّالِ، قَالَ كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

(5459) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से अ़ज़ाबे क़ब्र और दज्जाल के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं काहिली, शदीद बुढ़ापे, बुज़दिली, बुख़्ल, फ़ित्न-ए-दज्जाल

يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ " .

और अ़ज़ाबे क़ब्र से (बचने के लिये) तेरी पनाह हासिल करता हूँ।'

(5459) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5453.

फ़ायदा : हज़रत अनस (ﷺ) के इस जवाब का मतलब ये है कि वाक़ेअतन दज्जाल आयेगा और अ़ज़ाबे क़ब्र बरहक़ है। फ़ित्न-ए-दज्जाल से मुराद उसकी पैरवी करना है। या मक़्सूद ये है कि हमारी ज़िन्दगी में दज्जाल आये ही न ताकि हम इस आज़माइश से बच जायें। पहली सूरत में फ़ित्ने के मानी होंगे गुम्राही जो आज़मइश का नतीजा बन सकती है।

باب(١٣): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْعَجْزِ

बाब : (13) निकम्मे पन से (अल्लाह तआ़ला की) पनाह तलब करना

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَاضِرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، قَالَ لاَ أُعَلِّمُكُمْ إِلاَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُعَلِّمُنَا يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَعِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لاَ يُسْتَجَابُ لَهَا " .

(5460) हज़रत ज़ैद बिन अरक़म (ﷺ) ने फ़रमाया: मैं तुम्हें वही दुआ़ सिखाऊँगा जो रसूलुल्लाह (ﷺ) हमें सिखाया करते थे। आप फ़रमाते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं निकम्मे पन, काहिली, कंजूसी, बुज़दिली, शदीद बुढ़ापे और अ़ज़ाबे क़ब्र से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे नफ़्स को तक़्वा अ़ता फ़रमा और उसको पाकीज़ा फ़रमा तू ही बेहतरीन पाकीज़ा फ़रमाने वाला है। तू ही उसका मददगार और मालिक है। ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह का तलबगार हूँ उस दिल से जो तेरे सामने आजिज़ न हो, उस नफ़्स से जो सैर न हो, उस इल्म से जो मुफ़ीद न हो और उस दुआ़ से जो क़बूल न हो।'

(5460) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 2722.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5444.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَام، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

(5461) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने यूँ दुआ़ फ़रमाई: 'ऐ

أَنَسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ " .

अल्लाह! मैं निकम्मे पन, काहिली, कंजूसी, बुज़दिली, ज़लील बुढ़ापे, अज़ाबे क़ब्र और ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने से (बचने के लिये) तेरी पनाह हासिल करता हूँ।'

(5461) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5450.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5445, 5447, 5450.

باب(١٤): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الذِّلَّةِ

बाब : (14) ज़िल्लत से (अल्लाह तआला की) पनाह हासिल करना

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، خُشَيْشُ بْنُ أَصْرَمَ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ " . خَالَفَهُ الأَوْزَاعِيُّ .

(5462) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं फ़क़्र से तेरी पनाह में आता हूँ और क़िल्लत और ज़िल्लत से तेरी पनाह हासिल करता हूँ, और इस बात से भी तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं किसी पर ज़ुल्म करूँ या किसी के ज़ुल्म का तख़्त-ए-मश्क़ बनूँ।'

औज़ाई ने इस (हम्माद बिन सलमा) की मुख़ालिफ़त की।

(5462) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 1544, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7896, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2443, वल हाकिम: 1/541.

वज़ाहत : औज़ाई ने इस हदीस के बयान करने में हम्माद बिन सलमा की मुख़ालिफ़त की है और वह इस तरह कि हम्माद बिन सलमा ने इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह से बयान करते हुये कहा है: अ़न सईद बिन यसार अ़न अबी हुरैरह जबकि औज़ाई ने इस्हाक़ बिन अ़ब्दुल्लाह से बयान किया है तो कहा है: हद्दसनी जाफ़र बिन अ़याज़, क़ाल: हद्दसनी अबू हुरैरह, यानी औज़ाई ने सईद बिन यसार की बजाये जाफ़र बिन अ़याज़ कहा है। वल्लाहु आ़लम!

फ़वाइद व मसाइल : (1) सुनन अबू दाऊद मुतर्जम, मतबूआ दारुस्सलाम, हदीस: 1544 के फ़ायदे में अबू अ़म्मार ज़मर फ़ारूक़ सईदी (ﷺ) रक़म तराज़ हैं कि फ़क़्र दो तरह से होता है: माल का या दिल का। इन्सान के पास माल न हो मगर दिल का ग़नी और सैरचश्म हो तो ये मम्दूह है मगर उसके बरअक्स

इन्सान 'हिर्स' का मरीज़ हो तो ये बहुत ही क़बीह ख़सलत है, और फ़क़ीरी और ग़रीबी की कैफ़ियत कि इन्सान ज़रूरियाते ज़िन्दगी के हुसूल से महरूम और आजिज़ हो कि लाज़िमी वाजिबात भी अदा न कर सके, इससे रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पनाह माँगी है। क़िल्लत से मुराद आमाले ख़ैर और उनके अस्बाब की क़िल्लत है। और ज़िल्लत ये कि इन्सान इस्यान (अल्लाह तआला की नाफ़रमानी) का मुर्तकिब होकर अल्लाह के सामने रुस्वा हो जाये या लोगों की नज़रों में उसका वक़ार न रहे कि उसकी दावत ही न सुनी जाये। इससे अल्लाह तआला की पनाह माँगने की तालीम दी गई है। इसी तरह इन्सान का अपने मुआशरे में ज़ालिम बन जाना या मज़लूम बन जाना, कोई भी सूरत मम्दूह नहीं। (2) फ़क़्र से मुराद वह फ़क़्र भी हो सकता है जिससे कुफ़्र और गुम्राही का ख़तरा हो क्योंकि अवामुन्नास के लिये फ़क़्र, गुम्राही का ज़रिया बन सकता है। हाँ अल्लाह तआला के ख़ास बन्दों के लिये माली फ़क़्र एक नेमत है। आपकी दुआएँ दरअसल उम्मत के लिये तालीम हैं। या फ़क़्र से मुराद है जिसे इन्सान बरदाश्त न कर सके और दस्ते सवाल दराज़ करने पर मजबूर हो जाये। फ़क़्र से फ़क़्रे क़ल्ब भी मुराद हो सकता है जैसा कि गुज़िश्ता सुतूर में ज़िक्र हुआ। (3) क़िल्लत से मुराद क़िल्लत अफ़राद भी हो सकती है और क़िल्लते माल भी जिसे ऊपर फ़क़्र कहा गया है वरना कस्रते माल तो बसा औक़ात गुम्राही का सबब बन जाती है। ज़िल्लत से मुराद लोगों का ग़ल्बा है कि आदमी अपना हक़ भी न हासिल कर सके। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5451 (4) इस हदीस में हर बाद वाला लफ़्ज़ पहले का नतीजा है फ़क़्र से क़िल्लत पैदा होती है, क़िल्लत ज़िल्लत को जन्म देती है और ज़िल्लत इन्सान को मज़लूम बना देती है। या वह तंग आमद बजंग आमद के उसूल पर ज़ालिम डाकू बन जाता है। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक.

قَالَ أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، - وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ - قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ " .

(5463) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम फ़क़्र, क़िल्लत, ज़िल्लत और इस बात से अल्लाह तआला की पनाह माँगा करो कि तुम किसी पर ज़ुल्म करो या किसी के ज़ुल्म व सितम का निशाना बनो।'

(5463) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 3842, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7897, व सहीह अल हाकिम: 1/531.

फ़ायदा : ये रिवायत अम्र (हुक्म) के सेग़े के साथ ज़ईफ़ है क्योंकि इसकी सनद में जाफ़र बिन अयाज़ मजहूल रावी है, ताहम आपके फ़ेअल के तौर पर साबित है कि आप ये दुआ पढ़ा करते थे जैसा कि साबिक़ा रिवायत में है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالْفَقْرِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ

(5464) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं क़िल्लत, फ़क़्र और ज़िल्लत से (बचने के लिये) तेरी पनाह में आता हूँ। और इस बात से भी तेरी पनाह माँगता हूँ कि मैं ज़ुल्म करूँ या मुझ पर ज़ुल्म किया जाये।'

(5464) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5462, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7899.

بَاب(١٥): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْقِلَّةِ

बाब : (15) क़िल्लत से पनाह माँगना

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ - عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَمِنَ الْقِلَّةِ وَمِنَ الذِّلَّةِ وَأَنْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ " .

(5465) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम फ़क़्र, क़िल्लत, ज़िल्लत और ज़ालिम या मज़लूम बनने से अल्लाह तआला की पनाह माँगा करो।'

(5465) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5463.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, फ़ायद-ए-हदीस: 5463.

بَاب(١٦): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْفَقْرِ

बाब : (16) फ़क़्र से पनाह माँगना

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ عِيَاضٍ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْفَقْرِ وَالْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَنْ تَظْلِمَ أَوْ تُظْلَمَ " .

(5466) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तुम फ़क़्र, क़िल्लत, ज़िल्लत और ज़ालिम या मज़लूम बनने से अल्लाह तआला की पनाह हासिल किया करो।'

(5466) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5463, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7900.

फ़ायदा : तफ़सील के लिये देखिये, फ़ायद-ए-हदीस: 5463.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ، - يَعْنِي الشَّحَّامَ - قَالَ حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، - يَعْنِي ابْنَ أَبِي بَكْرَةَ - أَنَّهُ كَانَ سَمِعَ وَالِدَهُ، يَقُولُ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ " . فَجَعَلْتُ أَدْعُو بِهِنَّ فَقَالَ يَا بُنَىَّ أَنَّى عُلِّمْتَ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ قُلْتُ يَا أَبَتِ سَمِعْتُكَ تَدْعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ فَأَخَذْتُهُنَّ عَنْكَ . قَالَ فَالْزَمْهُنَّ يَا بُنَىَّ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِهِنَّ فِي دُبُرِ الصَّلاَةِ

(5467) हज़रत मुस्लिम बिन अबी बक्रा (رحمہ اللہ) से रिवायत है कि उन्होंने अपने वालिद (हज़रत अबू बक्रा (ﷺ)) को नमाज़ के बाद ये दुआ पढ़ते सुना: 'ऐ अल्लाह! मैं कुफ़्र व फ़क़्र और अज़ाबे क़ब्र से (बचने के लिये) तेरी पनाह में आता हूँ।' मैं भी ये दुआ पढ़ने लग गया। (एक दफ़ा) उन्होंने मुझ से कहा बेटा! ये कलिमात तूने कहाँ से सीखे हैं? मैंने कहा: अब्बा जान! मैंने आपको नमाज़ के बाद ये कलिमात पढ़ते सुना तो मैंने आपसे सुन कर याद कर लिये। उन्होंने फ़रमाया: प्यारे बेटे! इन पर पाबन्दी करना क्योंकि अल्लाह के नबी (ﷺ) नमाज़ के बाद इन कलिमात के साथ दुआ फ़रमाया करते थे।

(5467) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 1348, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7901.

फ़ायदा : 'नमाज़' के बाद 'अरबी लफ़्ज़ दुबुर इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी बाद भी है और आख़िर भी, लिहाज़ा दूसरा तर्जुमा ये हो सकता है 'नमाज़ के आख़िर में' यानी दरूद पढ़ने के बाद पढ़ी जाने वाली दुआओं में, सलाम से पहले। वल्लाहु आलम!

الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

बाब : (17) फ़ित्न-ए-क़ब्र के शर से (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَثِيرًا مَا يَدْعُو بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ

(5468) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) बसा औक़ात इन कलिमात के साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं आग तक पहुँचाने वाले फ़ित्ने, आग के अज़ाब, क़ब्र की आज़माइश, अज़ाबे क़ब्र, मसीह दज्जाल के फ़ित्ने की ख़राबी, आज़माइशे फ़क़्र की

مِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَايَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَأَنْقِ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا أَنْقَيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَبَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ " .

ख़राबी और आज़माइशे दौलत की ख़राबी से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरी ग़लतियों को बर्फ़ के पानी और औलों से धो डाल। और मेरे दिल को ग़लतियों के असरात से यूँ साफ़ फ़रमा दे, जैसे तूने सफ़ेद कपड़े को मैल कुचेल से साफ़ रखा है, और मेरे और मेरी ग़लतियों के दरम्यान इतना फ़ासला फ़रमा दे जितना फ़ासला तूने मशरिक़ और मग़रिब के दरम्यान रखा है। ऐ अल्लाह! मैं काहिली, शदीद बुढ़ापे, गुनाह और जान लेवा क़र्ज़ से तेरी पनाह चाहता हूँ।'

(5468) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5479, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7902.

फ़वाइद व मसाइल : (1) फ़ित्ना दरअसल किसी चीज़ की आज़माइश को कहा जाता है, जैसे: सोने को आग में डाल कर खरे खोटे को जानना। इन्सान को भी मुख़्तलिफ़ चीज़ों के साथ आज़माइश में डाला जाता है, जैसे: फ़क़्र और दौलत वग़ैरह ताकि उसका ईमान या कुफ़्र ज़ाहिर हो सके। इसी तरह दज्जाल के ज़रिये से भी लोगों के ईमान की आज़माइश होगी। क़ब्र के सवाल व जवाब से भी ईमान व कुफ़्र का पता चलेगा, इस लिये उन चीज़ों को फ़ित्ना कहा गया है। **(2)** फ़ित्न-ए-क़ब्र से मुराद सवाल व जवाब हैं जो फ़रिश्तों और मदफ़ून इन्सान के दरम्यान होते हैं। और इन फ़ित्नों की ख़राबी से मुराद ये है कि इन चीज़ों के साथ आज़माइश के दौरान इन्सान नाकाम हो जाये और ईमान की बजाये कुफ़्र ज़ाहिर हो। **(3)** ग़लतियों को धो डालने का मफ़हूम मुलाहिज़ा फ़रमाइये, हदीस: 61 और 896.

الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ

बाब : (18) ऐसे नफ़्स से पनाह माँगना जो सैर न हो

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ

(5469) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं चार चीज़ों से तेरी पनाह तलब करता हूँ: उस इल्म से जो नफ़ा न दे, उस दिल से जो अल्लाह तआला के सामने ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ न करे, उस नफ़्स से जो सैर न हो और ऐसी दुआ से

الأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ "

जो क़बूल न हो।'

(5469) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1548, व सहीह अलहाकिम: 1/104, 534.

باب(١٩): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُوعِ

बाब : (19) शदीद भूख से (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ " .

(5470) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं भूख से तेरी पनाह चाहता हूँ क्योंकि ये बदतरीन साथी है। और ख़्यानत से भी पनाह चाहता हूँ क्योंकि ये बदतरीन ख़स़लत है।

(5470) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 1547, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7903.

फ़वाइद व मसाइल : (1) भूख लाज़िम-ए-इन्सान है। इससे मफ़र्र (भागने की जगह) नहीं, लिहाज़ा इस हदीस में भूख से मुराद मुत्लक़ भूख नहीं बल्कि मुसल्सल भूख है जिसे हदीस: 5462 में फ़क़्र के लफ़्ज़ से बयान फ़रमाया गया है, यानी इन्सान खाने पीने के लिये इतना कुछ न भी पा सके जिससे अपनी भूख मिटाता रहे। इस्तिआरतन भूख से 'हिर्स' मुराद ली जा सकती है। फिर दुनिया की भूख मुराद होगी क्योंकि नेकी की हिर्स तो अच्छी चीज़ है। दुनिया की हिर्स इसलिये मज़मूम है कि ये कभी ख़त्म नहीं होती जब कि दुनिया थोड़ी ही काफ़ी है। बादशाहों की जूउल अर्ज़ (मम्लकत वसीअ करने की ख़्वाहिश) भी दुनिया की हिर्स की एक सूरत है जो आख़िरकार उनकी हलाकत का बाइस बनती है। **(2)** ख़्यानते हुक़ूक़ुल्लाह में हो या हुक़ूक़ुल इबाद में, क़ाबिले मज़म्मत है क्योंकि ये ईमान के मुनाफ़ी है। निफ़ाक़ की दलील है। अआज़नल्लाह मिन्हुमा। आमीन!

الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْخِيَانَةِ

बाब : (20) ख़्यानत से (अल्लाह तआला की) पनाह तलब करना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ،

(5471) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं भूख से तेरी पनाह चाहता हूँ क्योंकि ये बदतरीन

وَذَكَرَ، آخَرَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُوعِ فَإِنَّهُ بِئْسَ الضَّجِيعُ وَمِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّهَا بِئْسَتِ الْبِطَانَةُ " .

साथी है। और ख़यानत से भी पनाह चाहता हूँ क्योंकि ये बदतरीन ख़सलत है।'

(5471) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7904.

باب(٢١): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الأَخْلاَقِ

बाब : (21) मुख़ालिफ़त व दुश्मनी, निफ़ाक़ और बद ख़ुल्क़ी से पनाह माँगना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ، عَنْ حَفْصٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَقَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ " . ثُمَّ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَؤُلاَءِ الأَرْبَعِ " .

(5472) हज़रत अनस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ये दुआएँ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह में आता हूँ ऐसे इल्म से जो नफ़ा न दे, ऐसे दिल से जिसमें (अल्लाह तआला का) डर न हो, ऐसी दुआ से जो सुनी न जाये (क़बूल न की जाये) और ऐसे नफ़्स से जो सैर न हो।' फिर फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! मैं इन चारों चीज़ों से तेरी पनाह का तालिब हूँ।'

तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/283, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7905, देखें, हदीस़: 5469.

फ़ायदा : ये हदीस़ सराहतन बाब से मुताबिक़त नहीं रखती बल्कि आइन्दा हदीस़ बाब के मुताबिक़ है। मालूम होता है कि ये हदीस़ किसी नासिख़ (लिखने वाले) की ग़लती से यहाँ लिखी गई है।

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ضُبَارَةُ، عَنْ دُوَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ أَبُو صَالِحٍ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْعُو " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوءِ الأَخْلاَقِ " .

(5473) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ये दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं मुख़ालिफ़त व दुश्मनी, निफ़ाक़ और बद अख़लाक़ से तेरी पनाह में आता हूँ।'

(5473) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस़: 1546, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7906.

बाब : (22) शदीद क़र्ज़ से अल्लाह तआला की पनाह माँगना

باب(٢٢): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْمَغْرَمِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، سُلَيْمَانُ بْنُ سُلَيْمٍ الْحِمْصِيُّ قَالَ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُرْوَةَ، - هُوَ ابْنُ الزُّبَيْرِ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ فَقِيلَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُكْثِرُ التَّعَوُّذَ مِنَ الْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ فَقَالَ " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَرِمَ حَدَّثَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ فَأَخْلَفَ " .

(5474) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) क़र्ज़ और गुनाह से बहुत ज़्यादा पनाह तलब किया करते थे। आपसे अर्ज़ की गई: ऐ अल्लाह के रसूल! (क्या वजह है कि) आप क़र्ज़ और गुनाह से बहुत ज़्यादा पनाह तलब फ़रमाते हैं? आपने फ़रमाया: 'आदमी जब मक़रूज़ हो जाता है फिर बात करता है तो झूठ बोलता है और वादा करता है तो ख़िलाफ़वर्ज़ी करता है।'

(5474) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5456, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7907.

फ़ायदा : देखिये, रिवायत: 5456.

बाब : (23) (वाजिबुल अदा) क़र्ज़ या हक़ से पनाह तलब करना

باب(٢٣): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الدَّيْنِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، وَذَكَرَ، آخَرَ قَالَ حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ غَيْلاَنَ التُّجِيبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْهَيْثَمِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ " . قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَعَمْ " .

(5475) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'मैं कुफ़्र और क़र्ज़ से अल्लाह तआला की पनाह में आता हूँ।' एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या आप क़र्ज़ को कुफ़्र के बराबर क़रार दे रहे हैं? रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हाँ'

(5475) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 3/38, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7908, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2438, 2439, वल हाकिम: 1/532.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْمُقْرِئُ، قَالَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفْرِ وَالدَّيْنِ " . فَقَالَ رَجُلٌ تَعْدِلُ الدَّيْنَ بِالْكُفْرِ قَالَ " نَعَمْ " .

(5476) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं कुफ़्र और किसी के वाजिबुल अदा हक़ (की हालत में मौत) से अल्लाह तआला से पनाह माँगता हूँ।' एक आदमी ने कहा: क्या आप वाजिबुल अदा हक़ को कुफ़्र के बराबर रख रहे हैं? आपने फ़रमाया: 'हाँ'

(5476) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7909.

باب : (٢٤)
الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ

बाब : (24)
क़र्ज़ और वाजिबुल अदा हक़ के ग़ल्बे से पनाह माँगना

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنِي حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ " .

(5477) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इन कलिमात के साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं क़र्ज़ और वाजिबुल अदा हक़ के ग़ल्बे (और बोझ), दुश्मन के ग़ल्बे और दुश्मनों की दिल आज़ार ख़ुशी से तेरी पनाह चाहता हूँ।'

(5477) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/173, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7910, स़हीहुल हाकिम अ़ला शर्ते मुस्लिम: 1/531.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ग़ल्बे से मुराद ये है कि मैं उसे अदा करने से आजिज आ जाऊँ और अपने सर पर लेकर मर जाऊँ। **(2)** 'दिल आज़ार ख़ुशी' से मुराद वह ख़ुशी है जो किसी दूसरे की मुसीबत पर की जाये जैसा कि दुश्मनों का दस्तूर है। मक़सूद ये है कि मौला! मुझे ऐसे मसाइब से महफ़ूज़ (सुरक्षित) रखना जिससे दुश्मन ख़ुश हों। यहाँ उनकी ज़ाती ख़ुशी मुराद नहीं।

बाब : (25) क़र्ज़ के बोझ से पनाह माँगना

باب(٢٥): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ ضَلَعِ الدَّيْنِ

(5478) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) यूँ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं फ़िक्र व ग़म, काहिली और बुज़दिली, कंजूसी, क़र्ज़ के बोझ और लोगों के ग़लबे से तेरी पनाह चाहता हूँ।'

(5478) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5452, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7911.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ، وَهُوَ ابْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ " .

बाब : (26) मालदारी के फ़ित्ने के शर से पनाह माँगना

الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى

(5479) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) यूँ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र के अ़ज़ाब, आग तक पहुँचाने वाले फ़ित्ने, क़ब्र की आज़माइश, क़ब्र की तकलीफ़, मसीह दज्जाल के फ़ित्ने की ख़राबी, फ़ित्न-ए-मालदारी की ख़राबी और फ़ित्न-ए फ़क़्र की ख़राबी से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरी ग़लतियों को बर्फ़ के पानी और औलों से धो दे। और मेरे दिल को ग़लतियों से यूँ साफ़ कर दे, जैसे तूने सफ़ेद कपड़े को मैल कुचेल से साफ़ रखा है। ऐ अल्लाह! मैं काहिली, शदीद बुढ़ापे, क़र्ज़ और गुनाह से तेरी पनाह चाहता हूँ।'

(5479) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6368, 6375, मुस्लिम, हदीस: 589, हदीस: 2705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7912.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ النَّارِ وَفِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَشَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَشَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ اللَّهُمَّ اغْسِلْ خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّ قَلْبِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ " .

बाब : (27)
दुनिया के फ़ित्ने से पनाह तलब करना

باب : (٢٧)
الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، قَالَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُهُ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ وَيَرْوِيهِنَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ " .

(5480) हज़रत मुसअब बिन सअद से मरवी है कि (वालिदे मोहतरम) हज़रत सअद (ﷺ) उसे ये कलिमात सिखाया करते थे और उन्हें नबी-ए अकरम (ﷺ) से बयान फ़रमाते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं बुख़्ल से तेरी पनाह में आता हूँ। मैं बुज़दिली से तेरी पनाह में आता हूँ। मैं इस बात से भी तेरी पनाह चाहता हूँ कि मुझे ज़लील तरीन उम्र में दाख़िल किया जाये। मैं दुनिया के फ़ित्ने और अज़ाबे क़ब्र से तेरी पनाह हासिल करता हूँ।'

(5480) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7913.

फ़ायदा : दुनिया के फ़ित्ने से मुराद ये है कि मैं दुनिया की रंगीनियों में खो कर आख़िरत से ग़ाफ़िल हो जाऊँ या वह तकालीफ़े (मुश्किल तरीन मुसीबतें) मुराद हैं जो इन्सानी बस से बाहर हो।

أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، وَعَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِيِّ، قَالاَ كَانَ سَعْدٌ يُعَلِّمُ بَنِيهِ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُكْتِبُ الْغِلْمَانَ وَيَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ بِهِنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ

(5481) हज़रत मुसअब बिन सअद और अम्र बिन मैमून औदी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हज़रत सअद (ﷺ) अपने बेटों को ये कलिमात इस तरह सिखाते थे जिस तरह उस्ताद बच्चों को सबक़ रटाता है। वह फ़रमाते थे कि रसूलुल्लाह(ﷺ) हर (फ़र्ज़) नमाज़ के बाद इन कलिमात के साथ अल्लाह तआला की पनाह माँगा करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं कंजूसी से तेरी पनाह में आता हूँ। मैं बुज़दिली से तेरी पनाह में आता हूँ। मैं तेरी पनाह चाहता हूँ इससे कि मुझे ज़लील तरीन उम्र में पहुँचाया जाये और मैं दुनिया के फ़ित्ने और क़ब्र के

अ़ज़ाब से तेरी पनाह में आता हूँ।'

(5481) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5449, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7914.

بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ " .

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

(5482) हज़रत उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) बुज़दिली, कंजूसी, बुरी उ़म्र, सीने और दिल के फ़ित्ने और अ़ज़ाबे क़ब्र से अल्लाह तआ़ला की पनाह तलब फ़रमाया करते थे।

(5482) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7915.

फ़ायदा : देखिये रिवायात: 5445-5447.

أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلْمٍ الْبَلْخِيُّ، - هُوَ أَبُو دَاوُدَ الْمَصَاحِفِيُّ - قَالَ أَنْبَأَنَا النَّضْرُ، قَالَ أَنْبَأَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْعُمُرِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ " .

(5483) हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पाँच चीज़ों से अल्लाह तआ़ला की पनाह तलब फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं बुज़दिली, कंजूसी, बुरी उ़म्र, सीने के फ़ित्ने और क़ब्र के अ़ज़ाब से तेरी पनाह में आता हूँ।'

(5483) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7917.

أَخْبَرَنِي هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَصْحَابُ، مُحَمَّدٍ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنَ الشُّحِّ وَالْجُبْنِ وَفِتْنَةِ الصَّدْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ .

(5484) हज़रत अ़म्र बिन मैमून ने कहा कि मुझे बहुत से अस्हाबे रसूल (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हिर्स़, कंजूसी, बुज़दिली, सीने के फ़ित्ने और अ़ज़ाबे क़ब्र से अल्लाह तआ़ला की पनाह माँगा करते थे।

(5484) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7918.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مُرْسَلٌ .

(5485) हज़रत अम्र बिन मैमून से मुर्सल रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) इन चीज़ों से पनाह तलब किया करते थे।

(5485) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7919.

फ़ायदा : यहाँ मुर्सल का मतलब ये है कि उन्होंने किसी सहाबी का ज़िक्र नहीं किया।

باب(٢٨): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الذَّكَرِ

बाब : (28) शर्मगाह के शर से अल्लाह तआला की पनाह तलब करना

أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ وَكِيعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلاَلِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ شُتَيْرِ بْنِ شَكَلِ بْنِ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي دُعَاءً أَنْتَفِعُ بِهِ . قَالَ " قُلِ اللَّهُمَّ عَافِنِي مِنْ شَرِّ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلِسَانِي وَقَلْبِي وَشَرِّ مَنِيِّي " . يَعْنِي ذَكَرَهُ .

(5486) हज़रत शकल बिन हुमैद (رضي الله عنه) से मरवी है कि मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे कोई दुआ सिखाइये जिससे मैं फ़ायदा हासिल करूँ। आपने फ़रमाया: 'कह! ऐ अल्लाह! मुझे मेरे कानों, आँखों, ज़बान, दिल और मनी, यानी शर्मगाह के शर से महफ़ूज़ रखना।'

(5486) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5446.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, फ़वाइद व मसाइल रिवायत: 5446.

باب(٢٩): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ الْكُفْرِ

बाब : (29) कुफ़्र के शर से पनाह हासिल करना

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ غَيْلاَنَ، عَنْ دَرَّاجٍ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ

(5487) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) यूँ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं कुफ़्र और फ़क़्र से तेरी पनाह में आता हूँ।' एक आदमी ने कहा: ये दोनों बराबर हैं? आपने फ़रमाया: 'हाँ'

(5487) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5475, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7920.

إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ " . فَقَالَ رَجُلٌ وَيَعْدِلاَنِ قَالَ " نَعَمْ " .

बाब : (30) गुम्राही से पनाह हासिल करना

باب(٣٠): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الضَّلاَلِ

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ " بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ " .

(5488) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) जब घर से बाहर निकलते तो यूँ दुआ फ़रमाते: 'अल्लाह तआला के नाम की बरकत से। ऐ मेरे रब! मैं इस बात से तेरी पनाह में आता हूँ कि मैं लग़ज़िश कर जाऊँ या गुम्राह हो जाऊँ या किसी पर ज़ुल्म करूँ या मज़लूम बन जाऊँ या किसी से नामुनासिब सुलूक करूँ या मुझ से नामुनासिब सुलूक किया जाये।'

(5488) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तिर्मिज़ी, हदीस: 3427, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7921, व सहीह अल हाकिम अला शर्तिश्शैख़ैन: 1/519.

फ़ायदा : 'नामुनासिब सुलूक' ये तर्जुमा है जहालत का। जहालत इल्म के मुक़ाबिल है। जहालत से जो मफ़ासिद (खराबियाँ) पैदा हो सकते हैं, उन सब को जहालत ही कहा जायेगा। हुक़ूक़ुल इबाद में जहालत नामुनासिब सुलूक का सबब बनती है क्योंकि जब किसी के हक़ का इल्म न होगा तो उसके साथ मुनासिब सुलूक कैसे हो सकेगा?

बाब : (31) दुश्मन के ग़ल्बे से बचाव की दुआ

باب(٣١): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ غَلَبَةِ الْعَدُوِّ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي حُيَىُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

(5489) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस(ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इन कलिमात के साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं हुक़ूक़ुल इबाद के ग़ालिब आने, दुश्मन के ग़ालिब आ जाने और दुश्मनों की दिल आज़ार ख़ुशी से तेरी पनाह माँगता हूँ।'

وسلم كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ " .

(5489) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5477, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7924.

फ़ायदा : देखिये, रिवायत: 5477.

باب : (٣٢)
الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ

बाब : (32)
दुश्मनों की नारवा ख़ूशी से बचाव की दुआ

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ قَالَ حُيَىٌّ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ " .

(5490) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷻ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इन कलिमात के साथ दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं वाजिबुल अदा हुक़ूक़ (क़र्ज़ वग़ैरह) के ग़ल्बे और दुश्मनों की नारवा ख़ूशी से तेरी पनाह माँगता हूँ।'

(5490) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5477, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7925.

باب(٣٣): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْهَرَمِ

बाब : (33)
शदीद बुढ़ापे से बचाव की दुआ

أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو بِهَذِهِ الدَّعَوَاتِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْعَجْزِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ".

(5491) हज़रत उस्मान बिन अबी अलआस(ﷻ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए अकरम(ﷺ) ये दुआएँ माँगा करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं काहिली, शदीद बुढ़ापे, बुज़दिली, निकम्मे पन और ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने से तेरी पनाह तलब करता हूँ।'

(5491) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7926.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، عَنْ شُعَيْبٍ، عَنِ اللَّيْثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَغْرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ " .

(5492) हज़रत अम्र बिन शुऐब के परदादा मोहतरम (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस़(ﷺ)) से मरवी है कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'ऐ अल्लाह! मैं काहिली, शदीद बुढ़ापे, जान न छोड़ने वाले क़र्ज़ और गुनाह से तेरी पनाह में आता हूँ, और मसीह दज्जाल के शर से तेरी पनाह हासिल करता हूँ। क़ब्र के अज़ाब से बचाव के लिये तेरी पनाह का तालिब हूँ और आग के अज़ाब से बचने के लिये भी तुझी से पनाह माँगता हूँ।'

(5492) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/185, 186.

फ़ायदा : 'मसीह दज्जाल' मसीह दरअस़ल हज़रत ईसा (ﷺ) का लक़ब है मगर चूंकि ये शख़्स इब्तेदा में मसीह होने का दावा करेगा और यहूदी उसे मसीह मानेंगे, इसलिए उसे यूँ कहा गया लेकिन इससे वह मसीह न बन जायेगा जिस तरह किसी को झूठा नबी कहने से उसकी नबुवत की तस्दीक़ नहीं होती क्योंकि 'मसीह दज्जाल' के मानी हैं फ्राड करने वाला और धोखेबाज़ मसीह, यानी झूठा मसीह। दज्जाल उस शख़्स का नाम नहीं, वस्फ़ है। (देखिये, हदीस़: 5453) ताज्जुब की बात है यहूदियों ने हज़रत ईसा (ﷺ) को तो मसीह न माना, उस दग़ाबाज़ को मसीह मानेंगे।

باب(٣٤): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ

बाब : (34) बुरी तक़दीर से बचने की दुआ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ هَذِهِ الثَّلاَثَةِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ وَسُوءِ الْقَضَاءِ وَجَهْدِ الْبَلاَءِ .

(5493) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) इन तीन चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह माँगा करते थे: बदबख़्ती के आ पकड़ने से, दुश्मनों की नारवा ख़ुशी से, बुरी तक़दीर से और शदीद आज़माइश और मुसीबत से (रावि-ए-हदीस़) सुफ़ियान (इब्ने उयय्ना) ने कहा: हदीस़ में तो तीन चीज़ें ज़िक्र थीं मगर मैंने चार इसलिये ज़िक्र

قَالَ سُفْيَانُ هُوَ ثَلاَثَةٌ فَذَكَرْتُ أَرْبَعَةً لأَنِّي لاَ أَحْفَظُ الْوَاحِدَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ .

कर दीं कि मुझे याद न रहा, वह तीन कौन सी हैं? और चौथी कौन सी जो इनमें शामिल नहीं। (वैसे ये चारों आइन्दा सही हदीस में मज़्कूर हैं।)

(5493) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 6347, मुस्लिम, हदीस: 2707, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7927.

फ़वाइद व मसाइल : (1) बाक़ी तीन चीज़ें भी सूउल क़ज़ा के तहत ही आती हैं क्योंकि दुनिया में बुरी तक़दीर शदीद आज़माइश और मुसीबत की सूरत में होती है जिससे दुश्मन नारवा तौर पर ख़ुश होते हैं। और अगर उसका ताल्लुक़ आख़िरत से हो तो ये इन्तेहा दर्जे की बद बख़्ती है। **(2)** तक़दीर का बुरा होना मुताल्लिक़ा शख़्स के लिहाज़ से है वरना अल्लाह तआला का हर फ़ैसला और हर क़ज़ा व क़द्र दुरुस्त और अच्छा है। अगरचे हम इसकी हक़ीक़त को न जान सकें। **(3)** बुरी तक़दीर से बचाव की दुआ की जा सकती है क्योंकि अल्लाह तआला मुख़्तारे कुल है। जब चाहे तक़दीर बदल दे (ला युस्अलु अम्मा यफ़्अलु) और दुआ भी असबाब में से है और असबाब तक़दीर का हिस्सा है। गोया तक़दीर यूँ थी कि ये शख़्स दुआ करेगा और उससे सख़्ती टाल दी जायेगी, और दुआ भी इबादत है। सवाब तो मिलेगा ही। बन्दा होने के नाते दुआ करना ज़रूरी है। दुआ से इन्कार तकब्बुर है। **(4)** शदीद मुसीबत और आज़माइश से मुराद वह हालत है जिस से मौत आसान मालूम हो, जिस्मानी मुसीबत हो या माली।

باب : (٣٥)
الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دَرَكِ الشَّقَاءِ

बाब : (35)
बदबख़्ती की गिरफ़्त से बचाव की दुआ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَعِيذُ مِنْ سُوءِ الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الأَعْدَاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ وَجَهْدِ الْبَلاَءِ .

(5494) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) बुरी तक़दीर, दुश्मनों की नारवा ख़ुशी, बदबख़्ती की गिरफ़्त और शदीद (सख़्त) मुसीबत व आज़माइश से अल्लाह तआला की पनाह माँगा करते थे।

(5494) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7928.

फ़ायदा : बदबख़्ती दुनिया में भी हो सकती है कि इन्सान हालात के हाथों परेशान रहे। और असल बदबख़्ती ये है कि ज़िन्दगी गुम्राही में गुज़रे यहाँ तक कि मौत भी गुम्राही पर आये।

बाब : (36) जुनून से बचाव की दुआ

باب(٣٦): الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْجُنُونِ

(5495) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) यूँ भी दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं पागल पन, कोढ़, फलबहरी और दूसरी बुरी बीमारियों से तेरी पनाह चाहता हूँ।'

(5495) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 1554, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7929, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2446, 2447, वल हाकिम अला शर्तिश्शैख़ैन: 1/530.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّئِ الأَسْقَامِ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) कुछ बीमारियाँ देर पा होती हैं और उनके असरात ख़त्म नहीं होते। मौत तक के लिये लाज़िमा बन जाती हैं। लोग नफ़रत करने लगते हैं। जिस्म ऐबदार बन जाता है या वह इन्सानी अक़्ल के लिये नुक़सानदेह होती हैं यहाँ तक कि इन्सान जानवरों जैसे काम करने लग जाता है। ऐसी बीमारियों को बुरी बीमारियों में शुमार किया जाता है। हदीस में मज़्कूरा बीमारियों के अलावा दौरे हाज़िर की बीमारियाँ फ़ालिज, कैंसर, ऐड्स, पोलियो वग़ैरह ऐसी ही बीमारियाँ हैं। अआज़नल्लाहु मिन्हा. जबकि कुछ बीमारियाँ आरज़ी होती हैं, बुरे असरात नहीं छोड़तीं बल्कि बसा औक़ात जिस्म की इस्लाह करती हैं, जैसे: मामूली बुख़ार, ज़ुकाम और सर दर्द वग़ैरह। ऐसी बीमारियाँ इन्सान के गुनाहों का कफ़्फ़ारा बनती हैं और बड़ी बीमारियों से बचाव का ज़रिया भी होती हैं। (2) ये रिवायत दीगर मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक सही है और उन्हीं की बात राजेह है। तफ़्सील के लिये देखिये: (अल मौसूअल हदीसिया, मुसनद इमाम अहमद: 20/309)

बाब : (37) जिन्नों की नज़रे बद से बचने की दुआ

باب(٣٧): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ

(5496) हज़रत अबू सईद (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) जिन्न व इन्स की नज़रे बद से बचाव की दुआ किया करते थे। जब मुअव्वजतैन (सूर-ए-फ़लक़ व नास) नाज़िल हुईं तो आपने उन्हें पढ़ना शुरू कर दिया और दूसरी पनाह वाली दुआएँ छोड़ दीं।

أَخْبَرَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ عَيْنِ الْجَانِّ وَعَيْنِ الإِنْسِ فَلَمَّا

نَزَلَتِ الْمُعَوِّذَتَانِ أَخَذَ بِهِمَا وَتَرَكَ مَا سِوَى ذَلِكَ .

(5496) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) इब्ने माजा, हदीस: 3511, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7930, तिर्मिज़ी, हदीस: 2058.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि जिन्न, इन्सानों को ईज़ा देने और तकलीफ़ पहुँचाने के लिये उन पर ग़ल्बा व तसल्लुत हासिल कर सकते हैं, लिहाज़ा इन्सानों को चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इल्तेजाएं करते रहा करें ताकि वह ख़बीस व शरीर जिन्नों की शरारतों से महफ़ूज़ रहें। (2) इस हदीसे मुबारका से भी साबित होता है कि नज़रे बद, बरहक़ है और ये भी ज़रूरी नहीं कि किसी इन्सान ही की नज़र लगे बल्कि जिन्नात की नज़र भी लग सकती है। (3) मुअव्विज़तैन में हर क़िस्म के शर से पनाह मौजूद है, लिहाज़ा ये जामेअ हैं। उनकी मौजूदगी में दूसरी मुअव्विज़ात की ज़रूरत नहीं अगरचे उनके पढ़ने की मुमानिअत भी नहीं। (4) नज़रे बद का असर सिर्फ़ इन्सान पर नहीं बल्कि बसा औक़ात जमादात पर भी इसका ऐसा शदीद असर होता है जो दवाओं वग़ैरह से ख़त्म नहीं होता बल्कि मुअव्विज़ात की ज़रूरत पड़ती है। इस असर की अक़्ली तौजीह न भी की जा सके तो भी इसका इन्कार मुमकिन नहीं। इस दुनिया में सब कुछ अक़्ल के मुताबिक़ नहीं होता बल्कि बहुत से मसाइल में इन्सान की अक़्ल दंग रह जाती है, उलूम जवाब दे जाते हैं। मक़्नातीस के एक सिरे का शिमाल की जानिब ही रहना भी इसकी एक मिसाल है। मगर इसका इन्कार मुमकिन नहीं। (5) राजेह क़ौल के मुताबिक़ ये रिवायत सही है। तफ़्सील के लिये देखिये: (सुनन इब्ने माजा मुतर्जम (दारुस्सलाम), हदीस: 3511)

باب : (٣٨)
الاِسْتِعَاذَةُ مِنْ شَرِّ الْكِبَرِ

बाब : (38)
शदीद बुढ़ापे से बचाव की दुआ करना

أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَعَوَّذُ بِهَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ " .

(5497) हज़रत अनस (رضي الله عنه) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इन कलिमात के साथ अल्लाह तआला की पनाह तलब किया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं काहिली, शदीद बुढ़ापे, बुज़दिली, कंजूसी, ज़लील उम्र, दज्जाल के फ़ित्ने और क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह में आता हूँ।'

(5497) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7931, देखें, हदीस: 5453, 5459.

बाब : (39)
ज़लील तरीन उम्र से बचाव की दुआ

باب(٣٩): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ أَرْذَلِ الْعُمُرِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ سَمِعْتُ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ كَانَ يُعَلِّمُنَا خَمْسًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِنَّ وَيَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " .

(5498) हज़रत मुसअब बिन सअद अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हमें वह पाँच कलिमात सिखाया करते थे जिन्हें पढ़ कर रसूलुल्लाह (ﷺ) दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं बुख़्ल से तेरी पनाह में आता हूँ मैं बुज़दिली से तेरी पनाह तलब करता हूँ और इस बात से भी तेरी पनाह माँगता हूँ कि मुझे ज़लील तरीन उम्र में ले जाया जाये, और मैं अज़ाबे क़ब्र से तेरी पनाह का तालिब हूँ।'

(5498) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5447, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7933.

बाब : (40) बुरी उम्र से बचाव की दुआ

باب(٤٠): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ

أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، - يَعْنِي أَبَاهُ - عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، قَالَ حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ بِجَمْعٍ أَلاَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ سُوءِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الصَّدْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ".

(5499) हज़रत अम्र बिन मैमून ने बयान किया कि मैं हज़रत उमर (رضي الله عنه) के साथ हज को गया। मैंने उनको मुज़्दलिफ़ा में फ़रमाते सुना: ख़बरदार! नबी-ए-अकरम (ﷺ) पाँच चीज़ों से अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं कंजूसी और बुज़दिली से तेरी पनाह में आता हूँ। मैं बुरी उम्र से तेरी पनाह तलब करता हूँ। सीने के फ़ित्ने से तेरी पनाह माँगता हूँ और अज़ाबे क़ब्र से तेरी पनाह चाहता हूँ।'

(5499) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5445, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7934.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, अहादीस: 5445, 5447, 5448.

बाब : (41)
नफ़ा के बाद नुक़सान से बचाव की दुआ

الاِسْتِعَاذَةِ مِنَ الْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ

أَخْبَرَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ "

(5500) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सफ़र करते तो यूँ दुआ फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! मैं सफ़र की मुश्किलात, वापसी की ग़मगीनी व परेशानी, नफ़ा के बाद नुक़सान, मज़लूम की बद दुआ और अहल व माल में बुरा मन्ज़र देखने से तेरी पनाह माँगता हूँ।'

(5500) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 1343, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7935.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हर इन्सान को अपने अहल व अयाल और माल व मताअ की हलाकत व बर्बादी और उसकी तबाही व आज़माइश से बचने के लिये अल्लाह (ﷻ) के हुज़ूर हर वक़्त दस्त बदुआ रहना चाहिए। **(2)** ये हदीसे मुबारका इस बात पर दलालत करती है कि मज़लूम की दुआ और बद दुआ क़बूल होती है, इस लिए हर अक़ील व फ़हीम और बाशऊर मुसलमान मर्द व औरत को मज़लूम की दुआ हासिल करने और उसकी बद दुआ से बचने की पूरी पूरी कोशिश करनी चाहिए, और ज़ालिम और मज़लूम बन जाने से बचने की दुआ करनी चाहिए। **(3)** इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि मज़्कूरा ज़िक्र व दुआ का करना और आग़ाज़े सफ़र में इल्तिज़ाम करना मुस्तहब है। इसके मुताल्लिक़ बहुत सी अहादीस वारिद हैं। कुछ अहले इल्म ने इन अज़्कार को किताबी सूरत में जमा किया है जैसा कि इमाम नववी (رحمه الله) की 'किताबुल अज़्कार' **(4)** 'वापसी की ग़मगीनी' यानी मैं अपने मक़सद में नाकाम होकर मग़मूम वापस लौटूँ। **(5)** 'नफ़ा के बाद नुक़सान' ये जामेअ अल्फ़ाज़ हैं जिनमें हर नफ़ा नुक़सान और ख़ैर व शर आ जाता है, जैसे: ईमान के बाद कुफ़्र, सेहत के बाद बीमारी और ग़नी के बाद फ़क़्र वग़ैरह। **(6)** 'मज़लूम की बद दुआ' मक़सूद ये है कि मैं किसी पर ज़ुल्म न करूँ ताकि कोई मुझे बद दुआ न दे। **(7)** 'अहल व माल में बुरा मन्ज़र' यानी मेरी अदमे मौजूदगी में इनका नुक़सान न हो।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه

(5501) हज़रत अब्दुल्लाह बिन सरजिस (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सफ़र करते थे तो यूँ दुआ फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! मैं सफ़र

وسلم كَانَ إِذَا سَافَرَ قَالَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ وَالْوَلَدِ " .

की मुश्किलात, वापसी की ग़मगीनी, नफ़ा के बाद नुक़सान, मज़लूम की बद दुआ और अहल व अ़याल और माल में बुरा मन्ज़र देखने से तेरी पनाह में आता हूँ।'

(5501) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7936.

باب : (٤٢)
الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دَعْوَةِ الْمَظْلُومِ

बाब : (42)
मज़लूम की बद दुआ से पनाह माँगना

أَخْبَرَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ يَتَعَوَّذُ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ وَالْحَوْرِ بَعْدَ الْكَوْرِ وَدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ وَسُوءِ الْمَنْظَرِ .

(5502) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सरजिस (ﷺ) ने फ़रमाया: नबी-ए-अकरम (ﷺ) जब सफ़र करते तो सफ़र की मुश्किलात, वापसी की परेशानी, नफ़ा के बाद नुक़सान, मज़लूम की बद दुआ और बुरे मन्ज़र से पनाह तलब फ़रमाते थे।

(5502) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7937.

باب : (٤٣)
الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ كَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ

बाब : (43) (सफ़र के बाद) ग़मनाक वापसी से पनाह की दुआ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مُقَدَّمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِشْرٍ الْخَثْعَمِيِّ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَافَرَ فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ قَالَ بِإِصْبَعِهِ - وَمَدَّ شُعْبَةُ بِإِصْبَعِهِ -

(5503) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) जब सफ़र शुरू करते और ऊँट पर सवार होते तो अपनी अंगुश्ते शहादत से (आसमान की तरफ़) इशारा फ़रमाते, (रावि-ए-हदीस़) शोबा ने अपनी उँगली को लम्बा किया (और इशारा करके दिखाया) और ये दुआ पढ़ते: 'ऐ अल्लाह! तू ही सफ़र में अस़ली साथी है। और अहल व माल में तू ही

قَالَ " اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ وَالْمَالِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ " .

निगरान है। ऐ अल्लाह! मैं सफ़र के मसाइब और ग़मनाक वापसी से तेरी पनाह में आता हूँ।'

(5503) तख़रीज : (सनद हसन) तिर्मिज़ी, हदीस: 3438, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7938.

फ़ायदा : 'अस़ली साथी' क्योंकि दूसरे साथी किसी भी वक़्त साथ छोड़ सकते हैं। ख़ुशी से नाख़ुशी से। 'निगरान' अ़रबी में लफ़्ज़ 'ख़लीफ़ा' इस्तेमाल हुआ है जिसके मानी नाइब और जानशीन है। मतलब ये है कि मेरी अ़दमे मौजूदगी में तू ही मेरी जगह किफ़ायत फ़रमायेगा। इस मफ़हूम को निगरान के लफ़्ज़ से बयान किया गया है।

باب(۴۴): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ جَارِ السَّوْءِ

बाब : (44) बुरे पड़ौसी से पनाह माँगना

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جَارِ السَّوْءِ فِي دَارِ الْمُقَامِ فَإِنَّ جَارَ الْبَادِيَةِ يَتَحَوَّلُ عَنْكَ " .

(5504) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुस्तक़िल रिहाइश में बुरे पड़ौसी से पनाह माँगनी चाहिए। आरज़ी पड़ौसी तो जल्द या बदेर तुझ से दूर हो जायेगा।'

(5504) तख़रीज : (सनद हसन) बुख़ारी, हदीस: 117, मुसनद अहमद: 2/246, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7939.

फ़ायदा : मुस्तक़िल रिहाइश गाह से मुराद शहर और बस्तियाँ हैं जहाँ मकानात बनाये जाते हैं जो सदियों तक क़ाइम रहते हैं और आरज़ी पड़ौसी से मुराद सफ़र और सहरा का पड़ौसी है जहाँ आरज़ी ख़ैमे लगाये जाते हैं और कुछ देर बाद उखेड़ लिये जाते हैं। ज़ाहिर है बस्ती का पड़ौसी तो सारी ज़िन्दगी का पड़ौसी रहेगा, लिहाज़ा वह अच्छा होना चाहिए वरना ज़िन्दगी अजीरन बनी रहेगी।

الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ غَلَبَةِ الرِّجَالِ

बाब : (45) लोगों के ग़ल्बे से बचने की दुआ

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ

(5505) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हज़रत अबू तल्हा (ﷺ) से फ़रमाया: 'अपने नौजवान लड़कों में से कोई लड़का तलाश करो जो मेरी ख़िदमत

" اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَبِي طَلْحَةَ " الْتَمِسْ لِي غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي " . فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالْحُزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ " .

किया करे।' हज़रत अबू तल्हा मुझे अपने पीछे सवारी पर बैठा कर ले गये। जब रसूलुल्लाह (ﷺ) पड़ाव फ़रमाते तो मैं आपकी ख़िदमत किया करता था। मैं आपको अक्सर ये दुआ पढ़ते सुनता था: 'ऐ अल्लाह! मैं शदीद बुढ़ापे, ग़म, निकम्मे पन, काहिली, कंजूसी, बुज़दिली, क़र्ज़ के बोझ और लोगों के ग़ल्बे से तेरी पनाह चाहता हूँ।'

(5505) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5452, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7940.

फ़ायदा : ये जंगे ख़ैबर का वाक़िया है। हज़रत अबू तल्हा (ﷺ) हज़रत अनस की वालिद-ए-मोहतरमा के ख़ाविन्द थे। हज़रत अनस (ﷺ) पहले भी आपकी ख़िदमत किया करते थे मगर चूंकि उम्र में छोटे थे, इसलिये आपने महसूस फ़रमाया कि शायद घर वाले इतने छोटे बच्चे को जंगी सफ़र में साथ भेजने पर राज़ी न हों। आपने हज़रत अबू तल्हा (ﷺ) ही से ख़ादिम की ख़्वाहिश फ़रमाई। उन्होंने हज़रत अनस को ही साथ ले लिया। (ﷺ).

الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ

बाब : (46)
दज्जाल के फ़ित्ने से बचाव की दुआ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَسْتَعِيذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ قَالَ وَقَالَ " إِنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ " .

(5506) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) क़ब्र के अज़ाब और दज्जाल के फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह तलब किया करते थे, और आपने फ़रमाया: 'क़ब्रों में भी तुम्हारी आज़माइश होगी।'

(5506) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2067, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7941.

फ़ायदा : अज़ाबे क़ब्र और फ़ित्न-ए-दज्जाल में मुनासिबत ये है कि दोनों में ईमान का इम्तेहान है। मुनाफ़िक़ ये दोनों इम्तेहान पास नहीं कर सकेंगे। मुख़्लिस लोग ही कामयाब होंगे। यहाँ दज्जाल का इक़्तेदार होगा, वहाँ फ़रिश्तों के सवालात।

बाब : (47) जहन्नम के अ़ज़ाब और मसीह दज्जाल के शर से बचने की दुआ

باب(۴۷): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَشَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ " .

(5507) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैं जहन्नम से अल्लाह तआला की पनाह में आता हूँ। मैं क़ब्र के अ़ज़ाब से अल्लाह तआला की पनाह हासिल करता हूँ। मैं मसीह दज्जाल के शर से अल्लाह तआला की पनाह चाहता हूँ और ज़िन्दगी व मौत की आज़माइश के शर से अल्लाह तआला की पनाह माँगता हूँ।'

(5507) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 132/588, देखें, हदीस: 5510, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7942.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीसे मुबारका से साबित होता है कि अ़ज़ाबे क़ब्र, और ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्ने से पनाह माँगना मशरूअ है। अ़ज़ाबे क़ब्र का बरहक़ होना भी इस हदीस से साबित हुआ और बर्ज़ख़ी ज़िन्दगी की तरफ़ इशारा भी होता है, अगरचे वह हमारे शऊर और फ़हम से बाला तर है। **(2)** ये हदीसे मुबारका रसूलुल्लाह (ﷺ) की नबुवत की भी बहुत बड़ी दलील है कि आपने ये ख़बर दी है कि आख़री ज़माने में मसीह दज्जाल आयेगा। और उम्मत को इसके फ़ित्ने से ख़बरदार करने के साथ साथ, उसके शर और फ़ित्ने से बचने की दुआएँ भी सिखलाई हैं।

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَأَعُوذُ

(5508) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ये दुआ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र के अ़ज़ाब से (बचने के लिये) तेरी पनाह में आता हूँ। मैं आग के अ़ज़ाब से तेरी पनाह माँगता हूँ। मैं ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्ने से तेरी पनाह चाहता हूँ और मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से तेरी पनाह का तालिब हूँ।'

بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ " .

(5508) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2062, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7943.

الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الإِنْسِ

बाब : (48) शैतान इन्सानों के शर से पनाह माँगना

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ خَشْخَاشٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ فَجِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ " يَا أَبَا ذَرٍّ تَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ شَيَاطِينِ الْجِنِّ وَالإِنْسِ " . قُلْتُ أَوَلِلإِنْسِ شَيَاطِينُ قَالَ " نَعَمْ " .

(5509) हज़रत अबू ज़र (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं मस्जिदे नबवी में दाख़िल हुआ। रसूलुल्लाह (ﷺ) भी वहीं तशरीफ़ फ़रमा थे। 'अबू ज़र! तू शैतान जिन्नों और इन्सानों से अल्लाह तआला की पनाह माँगा कर।' मैंने अर्ज़ की: इन्सानों में भी शैतान होते हैं? आपने फ़रमाया: 'हाँ'

(5509) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) मुसनद अहमद: 5/178, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7944, मुसनद अहमद: 5/265.

باب(٤٩): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا

बाब : (49) ज़िन्दगी के फ़ित्ने से पनाह माँगना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَمَالِكٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ " .

(5510) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह तआला की पनाह हासिल किया करो। ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह माँगा करो। मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह तलब किया करो।'

(5510) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 132/588, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7945.

फ़ायदा : ज़िन्दगी के फ़ित्ने से मुराद गुमराही है या मसाइब व आज़माइशें जिन्हें इन्सान बरदाश्त न कर सके।

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ يَقُولُ " عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ".

(5511) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) पाँच चीज़ों से पनाह माँगा करते थे। आप फ़रमाते: 'तुम क़ब्र के अज़ाब, जहन्नम के अज़ाब, ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने और मसीह दज्जाल के शर से अल्लाह तआला की पनाह माँगा करो।'

(5511) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7946.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، وَذَكَرَ، كَلِمَةً مَعْنَاهَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَلْقَمَةَ الْهَاشِمِيَّ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ " . وَكَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ جَهَنَّمَ وَفِتْنَةِ الأَحْيَاءِ وَالأَمْوَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ .

(5512) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जिस शख़्स ने मेरी इताअत की, उसने अल्लाह तआला की इताअत की और जिसने मेरी नाफ़रमानी की, उसने अल्लाह तआला की नाफ़रमानी की।' आप क़ब्र के अज़ाब, जहन्नम के अज़ाब, ज़िन्दों और मुर्दों के फ़ित्ने और मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह माँगा करते थे।

(5512) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 33/1835, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7947.

फ़ायदा : ज़िन्दों और मुर्दों के फ़ित्ने से मुराद भी ज़िन्दगी और मौत का फ़ित्ना ही है, यानी वह फ़ित्ना जो ज़िन्दों या मुर्दों को लाहिक़ होता है। ज़िन्दों का फ़ित्ना गुम्राही और मुर्दों का फ़ित्ना बुरा अंजाम, यानी बुरी मौत है।

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو

(5513) हज़रत अबू अल्क़मा ने कहा कि मुझे हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बिल मुशाफ़ा बयान किया कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया:

هُرَيْرَةَ، مِنْ فِيهِ إِلَى فِيَّ قَالَ وَقَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ ﷺ " اسْتَعِيذُوا بِاللَّهِ مِنْ خَمْسٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ "

'पाँच चीज़ों से अल्लाह तआ़ला की पनाह तलब किया करो: जहन्नम के अ़ज़ाब, क़ब्र के अ़ज़ाब, ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने और मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से।'

(5513) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7948.

फ़ायदा : ज़िन्दगी और मौत का फ़ित्ना गिनती में दो हैं। तभी पाँच चीज़ें बनेंगी, यानी ज़िन्दगी का फ़ित्ना और मौत का फ़ित्ना।

باب : (٥٠) الاسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ

बाब : (50) मौत के फ़ित्ने से बचाव की दुआ़ करना

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذَا الدُّعَاءَ كَمَا يُعَلِّمُ السُّورَةَ مِنَ الْقُرْآنِ " قُولُوا اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ " .

(5514) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपने सहाबा को ये दुआ़ यूँ सिखाते जैसे क़ुरआन मजीद की सूरत याद करवाते थे। (फ़रमाते:) 'कहो: ऐ अल्लाह! हम जहन्नम के अ़ज़ाब से तेरी पनाह में आते हैं। मैं क़ब्र के अ़ज़ाब से तेरी पनाह चाहता हूँ। मैं मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से तेरी पनाह तलब करता हूँ और मैं ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्ने से तेरी पनाह माँगता हूँ।'

(5514) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2065, मौता: 1/215, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7950.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عُوذُوا

(5515) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह के अ़ज़ाब से (बचने के लिये) अल्लाह तआ़ला की पनाह हासिल करो। ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्ने से (बचने के लिये) अल्लाह तआ़ला की पनाह तलब करो, और अ़ज़ाबे क़ब्र और मसीह

بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ " .

दज्जाल के फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह माँगो।'

(5515) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 132/588, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7951, 7952.

باب(٥١): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

बाब : (51)
अज़ाबे क़ब्र से पनाह की दुआ

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو يَقُولُ فِي دُعَائِهِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ " .

(5516) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी दुआ में यूँ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं जहन्नम के अज़ाब से तेरी पनाह में आता हूँ। मैं क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह हासिल करता हूँ। मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से तेरी पनाह माँगता हूँ और ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने से तेरी पनाह चाहता हूँ।'

(5516) **तख़रीज : (सनद सही)** मुसनद अहमद: 1/258, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7953.

باب : (٥٢)
الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ

बाब : (52)
क़ब्र की आज़माइश से पनाह माँगना

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ كَثِيرٍ الْمُقْرِئُ، عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي دُعَائِهِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ

(5517) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को अपनी दुआ में फ़रमाते सुना: 'ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र की आज़माइश, दज्जाल के फ़ित्ने और ज़िन्दगी व मौत की आज़माइशों से तेरी पनाह माँगता हूँ।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा कि ये (सनद में मज़्कूर सुलैमान बिन यसार) ग़लत है जबकि सुलैमान बिन सिनान दुरुस्त है।

" . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ سُلَيْمَانُ بْنُ سِنَانٍ.

(5517) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7954, देखें, हदीस: 5522.

फ़ायदा : अज़ाबे क़ब्र और क़ब्र की आज़माइश अलग अलग हों तो क़ब्र की आज़माइश से मुराद फ़रिश्तों के सवालात होंगे और अज़ाबे क़ब्र से मुराद वह सज़ा है जो काफ़िर, मुनाफ़िक़ और नाफ़रमान को सवालात के बाद क़ब्र में दी जाती है। अआज़नल्लाहु मिन्ह. फ़रिश्तों के सवालात से पनाह का मतलब है कि मैं उनके सही जवाब दे सकूँ और इस आज़माइश में कामयाब हो जाऊँ।

باب(٥٣): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

बाब : (53)
अल्लाह के अज़ाब से पनाह की दुआ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ عُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ " .

(5518) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआला के अज़ाब से अल्लाह तआला की पनाह माँगो। क़ब्र के अज़ाब से अल्लाह तआला की पनाह माँगो। ज़िन्दगी व मौत के फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह माँगो और मसीह दज्जाल के फ़ित्ने से अल्लाह तआला की पनाह माँगो।'

(5518) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5510, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7957.

باب(٥٤): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ

बाब : (54)
जहन्नम के अज़ाब से पनाह माँगना

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَعَوَّذُ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَالْمَسِيحِ الدَّجَّالِ .

(5519) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) अज़ाबे जहन्नम, अज़ाबे क़ब्र और मसीह दज्जाल के शर से अल्लाह तआला की पनाह तलब करते थे।

(5519) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 133/588, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7958.

फ़ायदा : मसीह दज्जाल के शर से मुराद उसकी पैरवी से इन्कार पर मिलने वाली सज़ा है, या उसकी पैरवी करने पर मिलने वाली सज़ा। पहली सज़ा दज्जाल की तरफ़ से होगी, दूसरी अल्लाह तआला की तरफ़ से।

बाब : (55)
आग के अज़ाब से पनाह माँगना

بَاب : (٥٥)
الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ

(5520) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान किया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'आग के अज़ाब, क़ब्र के अज़ाब, ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्ने और मसीह दज्जाल के शर से अल्लाह की पनाह हासिल किया करो।'

(5520) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, पिछली हदीस देखें, देखें, हदीस: 2062, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7959.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرٍو، عَنْ يَحْيَى، أَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ

फ़ायदा : असल तो यही है कि आग के अज़ाब से मुराद जहन्नम का अज़ाब है क्योंकि जहन्नम में सब से बड़ा ज़रिय-ए-अज़ाब आग है लेकिन ज़ाहिर अल्फ़ाज़ के लिहाज़ से दुनिया में आग से जल मरने को भी आग का अज़ाब कहा जा सकता है। वल्लाहु आलम! आइन्दा बाब और हदीस में भी ये एहतिमाल हो सकता है।

बाब : (56)
आग की तपिश से बचाव की दुआ

بَاب(٥٦): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ حَرِّ النَّارِ

(5521) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (दुआ करते हुये) फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! जिब्रील व मिकाईल के रब! इस्राफ़ील के रब! मैं आग की तपिश और क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह चाहता हूँ।'

(5521) **तख़रीज : (सनद हसन)** मुसनद अहमद: 6/61, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7960.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ، عَنْ جَسْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَرَبَّ إِسْرَافِيلَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَرِّ النَّارِ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ " .

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سِنَانٍ الْمُزَنِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ، صلى الله عليه وسلم يَقُولُ فِي صَلاَتِهِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا الصَّوَابُ .

(5522) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने अबुल क़ासिम (ﷺ) को दौराने नमाज़ फ़रमाते सुना: 'ऐ अल्लाह! मैं क़ब्र की आज़माइश और अज़ाब, दज्जाल के फ़ित्ने, ज़िन्दगी और मौत के फ़ित्ने और जहन्नम की तपिश से तेरी पनाह में आता हूँ।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा: ये दुरुस्त है।

(5522) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7961.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस: 5517 के आख़िर में इमाम नसाई (رحمه الله) ने फ़रमाया था कि ये ख़ता है, यानी सुलैमान के वालिद का नाम यसार दुरुस्त नहीं। यहाँ सनद में सुलैमान के वालिद का नाम सिनान ज़िक्र हुआ, इमाम साहिब (رحمه الله) इसे दुरुस्त क़रार देते हैं। **(2)** अबुल क़ासिम, रसूलुल्लाह (ﷺ) की कुनियते मुबारका थी। या तो आपके बड़े बेटे की निस्बत से या आपके क़ासिम होने की वजह से कि आप इल्म व हिकमत तक़सीम फ़रमाते थे और अल्लाह के हुक्म से ग़नीमत का माल भी। **(3)** जिब्रील व मीकाईल और इस्राफ़ील अल्लाह तआला के अज़ीमुल मर्तबत फ़रिश्ते हैं। जो आला मर्तबे के साथ साथ अज़ीम कुव्वतों के मालिक हैं। फ़रिश्तों के सरदार हैं। दुआ में इन फ़रिश्तों के नाम ज़िक्र करने से उनकी अज़मत का बयान मक़सूद है, मगर ये फ़रिश्ते अल्लाह तआला के हुक्म के पाबन्द हैं। और उसके बन्दे हैं

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ الْجَنَّةُ اللَّهُمَّ أَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ قَالَتِ النَّارُ اللَّهُمَّ أَجِرْهُ مِنَ النَّارِ "

(5523) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स अल्लाह तआला से तीन मर्तबा जन्नत का सवाल करे तो जन्नत कहती है: ऐ अल्लाह! इसे जन्नत में दाख़िल फ़रमा: और जो शख़्स तीन दफ़ा आग से पनाह माँगे तो आग ख़ुद कहती है: या अल्लाह! इसको आग से बचा।'

(5523) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2572, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7962, व सहीह इब्ने हिब्बान,

हदीस: 2433, वल हाकिम: 1/535, इब्ने हिब्बान: 1/178, हदीस: 1010.

फ़ायदा : जन्नत, जहन्नम और आग वग़ैरह अल्लाह तआला की मख़लूक़ हैं। वह अल्लाह तआला से बातें करती हैं। अल्लाह तआला उनसे बातें फ़रमाता है। उस पर किसी को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए और न कोई तकलीफ़। इरशादे बारी तआला है: (व इम् मिन ....) (बनी इस्राईल: 17/44) यहाँ हाल व क़ाल की बहस की ज़रूरत नहीं। ये ख़ालिक़ व मख़लूक़ का मामला है।

बाब : (57) अपने किये हुये गुनाहों के शर से पनाह माँगना और इस हदीस में अब्दुल्लाह बिन बुरैदा पर इख़्तिलाफ़

باب(٥٧): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعَ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ فِيهِ

(5524) हज़रत शद्दाद बिन औस (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'सब से अहम और अफ़ज़ल इस्तिग़फ़ार ये है कि बन्दा कहे: ऐ अल्लाह! तू मेरा रब है। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। तू मेरा ख़ालिक़ है। मैं तेरा बन्दा हूँ। और मैं अपनी ताक़त व इस्तिताअत के मुताबिक़ तुझ से किये हुये अहद व वादे पर क़ाइम हूँ। मैं अपने गुनाहों के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ। मैं अपने हर क़िस्म के गुनाहों का ऐतराफ़ करता हूँ और अपने आप पर तेरी नवाज़िशात का इक़रार करता हूँ, लिहाज़ा मुझे माफ़ फ़रमा क्योंकि तेरे सिवा कोई गुनाह माफ़ नहीं कर सकता।' अगर कोई शख़्स यक़ीन व ईमान के साथ सुबह के वक़्त ये कलिमात पढ़े, फिर मर जाये तो (लाज़िमन) जन्नत में दाख़िल होगा और अगर शाम के वक़्त यही कलिमात यक़ीन व ईमान रखते हुये कहे (और मर जाये) तो (लाज़िमन) जन्नत में दाख़िल होगा।'

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ -قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِنَّ سَيِّدَ الاِسْتِغْفَارِ أَنْ يَقُولَ الْعَبْدُ اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوءُ لَكَ بِذَنْبِي وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ فَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُصْبِحُ مُوقِنًا بِهَا فَمَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمْسِي مُوقِنًا بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ " . خَالَفَهُ الْوَلِيدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ .

वलीद बिन स़अ्लबा ने इस (हुसैनुल मुअल्लिम) की मुख़ालिफ़त की है।

(5524) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस़: 6323, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7963.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने जो तर्जुमतुल बाब क़ाइम किया है इससे उनका मक़सद ये मसला बयान करना है कि इन्सान को चाहिए कि वह अपने किये हुये कामों के शर और उनके नुक़सान से बचने के लिये अल्लाह तआला की पनाह हासिल करे। शरअन ये मुस्तहब और पसन्दीदा अमल है। **(2)** इस हदीसे मुबारका से मालूम हुआ कि मज़्कूरा दुआ, अफ़ज़ल इस्तिग़फ़ार है। **(3)** 'अहम व अफ़ज़ल' यानी अपने अल्फ़ाज़ की मुनासिबत से और जामेअ होने की वजह से। अरबी में लफ़्ज़ सय्यद इस्तेमाल फ़रमाया गया है जिसके लफ़्ज़ी मानी 'सरदार' के हैं। तर्जुमा में लाज़िम मानी इख़्तियार किया गया है ताकि मक़सूद ज़ाहिर हो जाये। **(4)** 'इस्तिताअत के मुताबिक़' ये दरअसल अपनी कोताही और आजिज़ी का ऐतराफ़ है न कि दावा। **(5)** 'अहद व वादे' से मुराद फ़ितरी अहद भी हो सकता है जैसे अहदे अलस्तु कहा जाता है और ज़बानी अहद भी, जैसे: कलिम-ए-तौहीद व रिसालत की अदायगी वग़ैरह। **(6)** 'दाख़िल होगा' यानी मरते ही अव्वलीन तौर पर। गोया अल्लाह तआला इस अमल की तौफ़ीक़ ही उस शख़्स को देगा जिसकी मग़फ़िरत का फ़ैसला हो चुका हो वरना मुमकिन है एक शख़्स सारी ज़िन्दगी ये दुआ पढ़ता रहे मगर मौत वाले दिन या रात नसीब न हो। अलइयाज़ बिल्लाहि. या पढ़े तो सही मगर ईमान व यक़ीन न हो। अल्लाह तआला ऐसी क़बीह हालत से बचाये। आमीन!

बाब : (58)
अपने बुरे आमाल के शर से अल्लाह तआला की पनाह माँगना और (रावि-ए-हदीस़) हिलाल पर इख़्तिलाफ़ का बयान

باب(٥٨): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ مَا عُمِلَ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى هِلاَلٍ

(5525) हज़रत हिलाल बिन यसाफ़ से मन्क़ूल है कि मैंने नबी-ए-अकरम (ﷺ) की ज़ोज-ए मोहतरमा उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से पूछा, रसूलुल्लाह (ﷺ) अपनी वफ़ात से क़ब्ल कौन सी दुआ ज़्यादा पढ़ते थे? उन्होंने फ़रमाया: ये दुआ ज़्यादा पढ़ते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं उन

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، أَنَّ ابْنَ يِسَافٍ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَأَلَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا كَانَ أَكْثَرَ مَا

يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ مَوْتِهِ قَالَتْ كَانَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ " .

गुनाहों के शर से तेरी पनाह में आता हूँ जो मैं कर चुका हूँ और उन गुनाहों के शर से भी जो अभी नहीं किये।'

(5525) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7964, मुस्लिम, हदीस: 16/2716.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस क़िस्म की दुआएँ उम्मत की तालीम के लिये हैं या अपनी उबुदियत के इज़्हार के लिये वरना आपसे गुनाहों का सुदूर मुमकिन नहीं था। अम्बिया (ﷺ) मासूम होते हैं। अल्लाह तआला उन्हें गुनाह से बचा कर रखता है। **(2)** गुनाहों के शर से मुराद वह सज़ा है जो गुनाहों के लिये मुक़र्रर की गई है, यानी मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा। आइन्दा गुनाहों के शर से मुराद उनका सुदूर भी हो सकता है कि मुझसे वह गुनाह ही सादिर न हों क्योंकि तक़दीर से तो कोई वाक़िफ़ नहीं। वल्लाहु आलम! **(3)** 'गुनाह' ख़्वाह वह फ़ेअल हो या तर्क।

أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدَةُ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ يِسَافٍ، قَالَ سُئِلَتْ عَائِشَةُ مَا كَانَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَدْعُو بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ أَكْثَرَ دُعَائِهِ أَنْ يَقُولَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ بَعْدُ "

(5526) हज़रत हिलाल बिन यसाफ़ ने कहा कि हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से पूछा गया: नबी-ए अकरम (ﷺ) अक्सर कौन सी दुआ किया करते थे? उन्होंने फ़रमाया: आप अक्सर ये दुआ फ़रमाया करते: 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह में आता हूँ अपने उन कामों के शर से जो मैं कर चुका हूँ और उन कामों के शर से जो मैंने अभी नहीं किये।'

(5526) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7965.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ سَأَلْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ عَمَّا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو قَالَتْ كَانَ يَقُولُ " أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ " .

(5527) हज़रत फ़रवा बिन नोफ़िल ने कहा कि मैंने उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से पूछा: रसूलुल्लाह (ﷺ) क्या दुआ फ़रमाया करते थे? उन्होंने कहा कि आप यूँ दुआ फ़रमाया करते थे? '(ऐ अल्लाह!) मैं तेरी पनाह में आता हूँ उन कामों के शर से जो मैं कर चुका हूँ और उन कामों के शर से जो मैंने नहीं किये।'

(5527) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2716, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7966.

أَخْبَرَنَا هَنَّادٌ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلاَلٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ " .

(5528) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे? 'ऐ अल्लाह! मैं अपने कर्दा व न कर्दा गुनाहों के शर से तेरी पनाह हासिल करता हूँ।'

(5528) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7967, मुस्लिम, हदीस: 2716.

फ़ायदा : 'कर्दा व ना कर्दा' ये मफ़हूम भी हो सकता है कि मैं हिसाब व किताब के बखेड़े में नहीं पड़ता। तो सब गुनाह माफ़ फ़रमा। इसके अल्फ़ाज़ का ये एक बलीग़ मफ़हूम है जो उर्फ़े आम में इस्तेमाल होता है। वल्लाहु आलम!

باب: (٥٩)
الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ شَرِّ مَا لَمْ يَعْمَلْ

बाब : (59)
ना कर्दा गुनाहों के शर से पनाह माँगना

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلاَلِ بْنِ يِسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ حَدِّثِينِي بِشَىْءٍ، كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو بِهِ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ " .

(5529) हज़रत फ़रवा बिन नोफ़िल ने कहा कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से अर्ज़ की: मुझे वह अल्फ़ाज़ बयान फ़रमाइये जिनके साथ रसूलुल्लाह (ﷺ) दुआ फ़रमाया करते थे। उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) (यूँ दुआ) फ़रमाते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं अपने कर्दा व ना कर्दा गुनाहों के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ।'

(5529) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7968.

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُصَيْنٍ، سَمِعْتُ هِلاَلَ بْنَ يِسَافٍ، عَنْ فَرْوَةَ بْنِ نَوْفَلٍ، قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَخْبِرِينِي بِدُعَاءٍ،

(5530) हज़रत फ़रवा बिन नोफ़िल से मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से कहा कि मुझे कोई ऐसी दुआ बतलाइये जो रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे। उन्होंने कहा: आप फ़रमाते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं उन कामों के शर से तेरी पनाह में

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدْعُو بِهِ . قَالَتْ كَانَ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ " .

आता हूँ जो मैं कर चुका हूँ और उन कामों के शर से भी जो मैंने (अभी तक) नहीं किये।'

(5530) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 1308, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7969.

फ़ायदा : आइन्दा गुनाहों के शर से भी पनाह तलब की जा सकती है क्योंकि आख़िर उनका सुदूर तो मुक़द्दर है। और क़यामत के दिन सब गुनाह ही नाम-ए-आमाल में मौजूद होंगे।

بَاب(٦٠): الِاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْخَسْفِ

बाब : (60) धँसाये जाने से अल्लाह तआला की पनाह माँगना

حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنِي جُبَيْرُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعَظَمَتِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي " . قَالَ جُبَيْرٌ وَهُوَ الْخَسْفُ . قَالَ عُبَادَةُ فَلاَ أَدْرِي قَوْلُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ قَوْلُ جُبَيْرٍ .

(5531) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'ऐ अल्लाह! मैं इस बात से तेरी अज़मत की पनाह में आता हूँ कि मैं नीचे से अचानक हलाक कर दिया जाऊँ।' ये हदीस मुख़्तसर है। जुबैर ने कहा कि नीचे से अचानक हलाक कर दिये जाने से मुराद है ज़मीन में धँस जाना। उबादा ने कहा: मैं नहीं जानता कि ये नबी (ﷺ) का फ़रमान है या जुबैर का (अपना) क़ौल है।

(5531) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7971, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 2356, वल हाकिम: 1/517, 518.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तेरी अज़मत' जिस तरह अल्लाह तआला की ज़ात से पनाह ली जा सकती है, उसी तरह अल्लाह तआला की सिफ़ात की पनाह भी ली जा सकती है क्योंकि सिफ़ात ज़ात से अलग नहीं होतीं। मक़सूद एक ही है। **(2)** 'नीचे से' यानी ऐसे अज़ाब से जो ज़मीन से आये। और धँसाया जाना (ख़स्फ़) भी ज़मीनी अज़ाब ही से होता है। ज़लज़ला भी मुराद हो सकता है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، - هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الْفَزَارِيِّ،

(5532) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह!' फिर रावी ने दुआ ज़िक्र की जिस के

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ " . فَذَكَرَ الدُّعَاءَ وَقَالَ فِي آخِرِهِ " أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُغْتَالَ مِنْ تَحْتِي " . يَعْنِي بِذَلِكَ الْخَسْفَ .

आख़िर में ये लफ़्ज़ है 'मैं इस बात से तेरी पनाह में आता हूँ कि मुझे नीचे से अचानक हलाक कर दिया जाये।' इन अल्फ़ाज़ से आपका मक़सद धँसाये जाने से पनाह तलब करना था।

(5532) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7970.

الاِسْتِعَاذَةُ مِنَ التَّرَدِّي وَالْهَدْمِ

बाब : (61) नीचे गिर जाने और दब कर मर जाने से पनाह की दुआ

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَالْهَدْمِ وَالْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا " .

(5533) हज़रत अबुल यसर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि किसी ऊँची जगह से गिर जाऊँ या कोई इमारत मुझ पर गिर जाये या ग़र्क़ हो जाऊँ या आग में जल मरूँ। और इस बात से भी तेरी पनाह में आता हूँ कि मुझे मरते वक़्त शैतान बदहवास कर दे। और मैं इस बात से भी तेरी पनाह में आता हूँ कि तेरे रास्ते में (दौराने जिहाद में) मैदाने जंग से पीठ फेर कर भागता हुआ मारा जाऊँ। और इस बात से भी तेरी पनाह में आता हूँ कि किसी ज़हरीली चीज़ के डसने से मर जाऊँ।'

(5533) तख़रीज : (सनद हसन) अबू दाऊद, हदीस: 1552, 1553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7972.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इनमें से अक्सर हादसाती मौतें हैं जिनमें इन्सान अचानक मर जाता है। कलिमा और तौबा का मौक़ा नहीं मिलता, लिहाज़ा ये मौतें अच्छी नहीं। वैसे भी इनसे इन्सान की शक्ल बिगड़ जाती है जो ज़ाहिर है अच्छी बात नहीं, इसलिये इनसे पनाह माँगना हक़ है। **(2)** मैदाने जंग से भागना जुर्मे अज़ीम है। इस हाल में मौत गुनाह वाली मौत है। कुर्आन मजीद में इसकी मज़म्मत की गई है। **(3)** 'बद हवास कर दे' यानी गुम्राह कर दे या तौबा व कलिमा की तरफ़ तवज्जो न करने दे या

अल्लाह तआला से बदगुमान कर दे वग़ैरह। (4) 'गिर जाने' फ़िज़ा से या पहाड़ से या मकान की छत वग़ैरह से कि बचने का इम्कान न हो।

أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ أَخْبَرَنِي أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي الْيَسَرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فَيَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَرَمِ وَالتَّرَدِّي وَالْهَدْمِ وَالْغَمِّ وَالْحَرِيقِ وَالْغَرَقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا " .

(5534) हज़रत अबुल यसर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) दुआ में यूँ फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं सख़्त बुढ़ापे, ऊँची जगह से गिर जाने, दब जाने, ग़म व अन्दोह, आग से जल मरने और ग़र्क़ हो जाने से तेरी पनाह माँगता हूँ। और इस बात से तेरी पनाह चाहता हूँ कि मेरी मौत के वक़्त शैतान मुझे बदहवास कर दे और ये कि मैं दौराने जिहाद में मैदाने जंग से पीठ फेर कर भागता हुआ मारा जाऊँ। और इस बात से भी तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं किसी ज़हरीली चीज़ के डंक से मर जाऊँ।'

(5534) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7973.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي صَيْفِيٌّ، مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ الأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي الأَسْوَدِ السُّلَمِيِّ، هَكَذَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدْمِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ التَّرَدِّي وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْغَرَقِ وَالْحَرِيقِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ يَتَخَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ مُدْبِرًا وَأَعُوذُ بِكَ أَنْ أَمُوتَ لَدِيغًا " .

(5535) हज़रत अबुल अस्वद सुलमी (ﷺ) से ऐसी ही रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह(ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं दब कर मरने से तेरी पनाह में आता हूँ। मैं नीचे गिर कर मरने से तेरी पनाह का तालिब हूँ। मैं डूब कर मरने और आग में जल मरने से तेरी पनाह चाहता हूँ। और मैं इस बात से भी तेरी पनाह माँगता हूँ कि मौत के वक़्त शैतान मुझे बदहवास कर दे। और इस बात से भी कि मैं तेरे रास्ते में (मैदाने जंग से) पीठ फेर कर भागता हुआ मर जाऊँ। और इस बात से भी तेरी पनाह में आता हूँ कि किसी ज़हरीले जानवर के डसने से मारा जाऊँ।'

(5535) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7974.

बाब : (62) अल्लाह तआला की नाराज़ी से बचने के लिये अल्लाह की रज़ामन्दी की पनाह हासिल करना

باب(٦٢): الاِسْتِعَاذَةِ بِرِضَاءِ اللَّهِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ تَعَالَى

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنِي الْعَلاَءُ بْنُ هِلاَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الأَجْدَعِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ طَلَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي فِرَاشِي فَلَمْ أُصِبْهُ فَضَرَبْتُ بِيَدِي عَلَى رَأْسِ الْفِرَاشِ فَوَقَعَتْ يَدِي عَلَى أَخْمَصِ قَدَمَيْهِ فَإِذَا هُوَ سَاجِدٌ يَقُولُ " أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَأَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ " .

(5536) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को अपने बिस्तर पर तलाश किया लेकिन आप मुझे न मिले। मैंने अपना हाथ बिस्तर के सिरहाने की जानिब मारा तो मेरा हाथ आपके मुबारक पाँव के तलवों पर लगा। आप सज्दे की हालत में थे और फ़रमा रहे थे: '(ऐ अल्लाह!) मैं तेरी सज़ा से बचने के लिये तेरी माफ़ी की पनाह में आता हूँ। तेरी नाराज़ी से बचने के लिये तेरी रज़ामन्दी की पनाह हासिल करता हूँ। और तुझसे (तेरे अज़ाब से बचने के लिये) तेरी पनाह लेता हूँ।'

(5536) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7975,

फ़ायदा : हज़रत आयशा (ﷺ) अचानक जागीं तो आपको बिस्तर पर न पाकर परेशान हो गईं। 'फ़रमा रहे थे' गोया हज़रत आयशा (ﷺ) का हाथ लगने के बाद आपने ऊँचा पढ़ना शुरू कर दिया ताकि उनको पता चल जाये कि आप नमाज़ पढ़ रहे हैं। अल्लाह तआला की रज़ामन्दी की पनाह हासिल करने का मतलब ये है कि ऐ अल्लाह! तू मुझ पर राज़ी हो जा। नाराज़ न रहना वग़ैरह।

बाब : (63) क़यामत के दिन तंगि-ए-मक़ाम से बचाव की दुआ

باب(٦٣): الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ صَالِحٍ، حَدَّثَهُ وَحَدَّثَنِي أَزْهَرُ بْنُ سَعِيدٍ، - يُقَالُ لَهُ

(5537) हज़रत आसिम बिन हुमैद से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत आयशा (ﷺ) से पूछा: रसूलुल्लाह (ﷺ) रात की नमाज़ किस दुआ से शुरू फ़रमाते थे? उन्होंने कहा: तूने मुझ से ऐसी

الْحَرَازِيُّ شَامِيٌّ عَزِيزُ الْحَدِيثِ - عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ بِمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْتَتِحُ قِيَامَ اللَّيْلِ قَالَتْ سَأَلْتَنِي عَنْ شَىْءٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُ أَحَدٌ كَانَ يُكَبِّرُ عَشْرًا وَيُسَبِّحُ عَشْرًا وَيَسْتَغْفِرُ عَشْرًا وَيَقُولُ " اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي وَارْزُقْنِي وَعَافِنِي " وَيَتَعَوَّذُ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

चीज़ के बारे में सवाल किया है कि किसी और ने वह चीज़ नहीं पूछी। आप दस दफ़ा अल्लाहु अकबर कहते, दस दफ़ा सुब्हानल्लाह कहते, दस दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह कहते। फिर फ़रमाते: 'ऐ अल्लाह! मुझे माफ़ फ़रमा। मुझे हिदायत दे। मुझे रिज़्क़ अता फ़रमा। मुझे आफ़ियत अता फ़रमा।' फिर आप क़यामत के दिन मक़ाम की तंगी से अल्लाह तआला की पनाह तलब फ़रमाते।

(5537) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 1618, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 7976.

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़यामत के दिन हर शख़्स को अल्लाह तआला के सामने खड़ा होकर चन्द सवालात के जवाबात देने होंगे। तंगि-ए-मक़ाम ये है कि इन सवालात का जवाब न सोचे। और परेशानी का सामना करना पड़े। अआज़नल्लाह मिन्ह! **(2)** ये ज़िक्र और दुआ मुमकिन है नमाज़ शुरू करने से पहले फ़रमाते हों। अगर दुआ-ए-इस्तिफ़ताह की जगह हो तब भी कोई हर्ज नहीं।

الاِسْتِعَاذَةِ مِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ

बाब : (64)
ऐसी दुआ से पनाह माँगना जो सुनी न जाये

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، عَنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ سَعِيدٌ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بَلْ سَمِعَهُ مِنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

(5538) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह में आता हूँ उस इल्म से जो फ़ायदा न दे, उस दिल से जो अल्लाह तआला के सामने आजिज़ी न करे, उस नफ़्स से जो सैर न हो और उस दुआ से जो क़बूल न हो।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने फ़रमाया: 'सईद (मक़बुरी) ने ये हदीस हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से नहीं सुनी बल्कि उसने अपने भाई (अब्बाद बिन अबू सईद) से सुनी है और इस (अब्बाद) ने हज़रत अबू हुरैरा (ﷺ) से (जैसा कि अगली रिवायत में इसकी सराहत है)

(5538) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 250.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम (رحمه الله) का मक़सद ये बताना है कि ये सनद मुन्क़तअ है, ताहम रिवायत सही है क्योंकि अगली रिवायत की सनद में इन्क़िताअ नहीं है। वल्लाहु आलम! **(2)** 'जो क़बूल न हो' मक़सद ये है कि या अल्लाह! मुझे उन ख़राबियों से बचा जिनकी बिना पर दुआ क़बूल नहीं होती, जैसे: रिज़्क़े हराम, अदमे ख़ुलूस, नाजायज़ दुआ वग़ैरह। (बाक़ी तफ़्सीलात देखिये, हदीस: 5444)

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ فَضَالَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى - قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَخِيهِ، عَبَّادِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ " .

(5539) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) फ़रमाया करते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह चाहता हूँ उस इल्म से जो नफ़ामन्द न हो, उस दिल से जिसमें ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ न हो, उस नफ़्स से जो सैर न हो और उस दुआ से जो सुनी न जाये।'

(5539) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस: 5469.

الِاسْتِعَاذَةِ مِنْ دُعَاءٍ لاَ يُسْتَجَابُ

बाब : (65)
उस दुआ से पनाह जो क़बूल न हो

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ كَانَ إِذَا قِيلَ لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ حَدِّثْنَا مَا، سَمِعْتَ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لاَ أُحَدِّثُكُمْ إِلاَّ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَنَا بِهِ وَيَأْمُرُنَا أَنْ نَقُولَ " اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَالْهَرَمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ اللَّهُمَّ آتِ

(5540) हज़रत अब्दुल्लाह बिन हारिस से मन्क़ूल है कि जब हज़रत ज़ैद बिन अरक़म से कहा जाता कि हमें कोई ऐसी चीज़ बयान करें जो आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना हो तो वह फ़रमाते: मैं तुम्हें वही चीज़ बयान करूँगा जो हमें रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बयान फ़रमाई। आप हमें ये कलिमात पढ़ने का हुक्म देते थे: 'ऐ अल्लाह! मैं निकम्मे पन, काहिली, कंजूसी, बुज़दिली, शदीद बुढ़ापे और क़ब्र के अज़ाब से तेरी पनाह में आता हूँ। ऐ अल्लाह! मेरे नफ़्स को तक़वा अता फ़रमा और उसको पाकीज़ा फ़रमा क्योंकि तू

نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلاَهَا اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ نَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ وَدَعْوَةٍ لاَ تُسْتَجَابُ " .

बेहतरीन पाकीज़ा फ़रमाने वाला है। तू उसी का दोस्त और मालिक है। ऐ अल्लाह! मैं तेरी पनाह माँगता हूँ उस नफ़्स से जो सैर न हो, उस दिल से जो ख़ुशूअ व ख़ुज़ूअ वाला न हो, उस इल्म से जो मुफ़ीद न हो और उस दुआ से जो क़बूल न हो।'

(5540) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5460.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ " بِسْمِ اللَّهِ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَزِلَّ أَوْ أَضِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ" .

(5541) हज़रत उम्मे सलमा (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) जब घर से बाहर तशरीफ़ ले जाते तो फ़रमाते: 'अल्लाह तआला के नाम की बरकत से, ऐ मेरे रब! मैं तेरी पनाह में आता हूँ इस बात से कि मैं फँस जाऊँ (कोई लग़ज़िश और ग़लती करूँ) या गुमराह हो जाऊँ या मैं किसी पर ज़ुल्म करूँ या मुझ पर ज़ुल्म किया जाये या मैं किसी के साथ नामुनासिब सुलूक करूँ या मुझ से नामुनासिब सुलूक किया जाये।'

(5541) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, हदीस: 5488.

फ़ायदा : देखिये, रिवायत: 5488.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

मशरूबात से मुताल्लिक़ अहकाम व मसाइल

अश्रिबा शराब की जमा है जो मशरूब के मानी में इस्तेमाल होता है, यानी पी जाने वाली चीज़, ख़्वाह पानी हो या दूध, लस्सी हो या सिरका, नबीज़ हो या ख़म्र। उर्दू में ये लफ़्ज़ नशावर मशरूब के मानी में इस्तेमाल होता है, इसलिए बसा औक़ात इसका अरबी इस्तेमाल ग़लतफ़हमी का मूजिब होता है, लिहाज़ा उर्दू में इसका तर्जुमा मशरूब किया जायेगा। और ख़म्र के मानी शराब किये जायेंगे जिससे मुराद नशावर मशरूब होगा।

كتاب الأشربة

باب(۱): تَحْرِيمِ الْخَمْرِ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ. اِنَّمَا يُرِيْدُ الشَّيْطٰنُ اَنْ يُّوْقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ فِي الْخَمْرِ وَ الْمَيْسِرِ وَ يَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلٰوةِ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّنْتَهُوْنَ.

बाब : (1) ख़म्र (शराब) की हुर्मत का बयान

अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया: 'ऐ ईमान वालो! बिलाशुब्हा शराब, जुआ, बुत और फ़ाल निकालने के तीर पलीद शैतानी काम हैं। इस (गन्दगी) से दूर रहो ताकि तुम कामयाब हो सको। शैतान तो चाहता ही ये है कि शराब और जूए के ज़रिये से तुममें दुश्मनी और बुग़्ज़ फैला दे और तुम्हें अल्लाह तआला के ज़िक्र और नमाज़ से रोक दे। तो क्या तुम बाज़ आओगे?'

फ़वाइद व मसाइल : (1) शराब पीना, बेचना और कशीदा कराना, शब हराम काम हैं। बिअ्सते नबवी के वक़्त अहले अ़रब शराब के ख़ूब रसिया थे, इसलिये इसे तदरीजन हराम ठहराया गया। पहले पहल सूर-ए-बक़र: की वह आयते करीमा नाज़िल हूई जिसमें है कि 'वह (लोग) आपसे शराब और जूए के बारे में पूछते हैं। आप कह दीजिये कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है जबकि लोगों के लिये कुछ फ़ायदे भी हैं। और इन दोनों का गुनाह, इन दोनों के फ़ायदे से बहुत बड़ा है' (अल बक़र:2/219) जब

ये आयत नाज़िल हूई तो कुछ लोगों ने मै नोशी तर्क कर दी और उन्होंने कहा कि जिस चीज़ में गुनाह है, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कुछ लोगों ने इसे न छोड़ा और कहा कि हम इसके फ़ायदे से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे जबकि इसके गुनाह को छोड़ देंगे बाद में वह आयत नाज़िल हूई जो सूर-ए-निसा में है। इसमें अहले ईमान से फ़रमाया गया: 'जब तुम नशे की हालत में हो तो नमाज़ के क़रीब मत जाओ।' (अन्निसा: 4/43) इस आयते करीमा के नाज़िल होने पर भी कई लोग शराब नोशी से ये कह कर रुक गये कि जो चीज़ हमें नमाज़ से ग़ाफ़िल करने वाली है हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं, ताहम फिर भी कुछ लोग औक़ाते नमाज़ के अलावा शराब नोशी करते रहे। बिल आख़िर सूर-ए-माइदा वाली आयत नाज़िल हूई तो फिर उस वक़्त सारे लोग मै नोशी से बाज़ आ गये क्योंकि इस आयत में इसे कई वजहों से हराम क़रार दिया गया। फ़रमाने बारी तआला है: 'ऐ अहले ईमान! यक़ीनन शराब, जुआ, बुत और फ़ाल निकालने के तीर नापाक हैं, शैतान के अमल से हैं, लिहाज़ा तुम इससे बचो ताकि तुम फ़लाह पाओ। पस शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जूए के ज़रिये से तुम्हारे दरम्यान अदावत और बुग़्ज़ डाल दे और तुम्हें अल्लाह के ज़िक्र से और नमाज़ से रोक दे। तो क्या तुम (इन शैतानी कामों से) बाज़ आते हो?' (अल माइदा: 5/90, 91)

इमाम तीबी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि (सूर-ए-माइदा की) मज़्कूरा दो आयतों में हुर्मते शराब व जूए के सात दलाइल मौजूद हैं: ○ एक दलील है अल्लाह का फ़रमान: (रिज्सुन) रिज्स कहते हैं नापाक और गन्दी चीज़ को। और नापाक चीज़ हराम होती है, लिहाज़ा शराब हराम है। ○ दूसरी दलील है: (मिन अमलिश शैतानि) और शैतानी अमल हराम होता है। ○ तीसरी दलील है: (फ़ज्तनिबूहु) 'इससे इज्तेनाब करो' जिस चीज़ या काम से बचने का हुक्म अल्लाह ने दिया हो उसका करना हराम होता है। ○ चौथी दलील है: (लअल्लकुम तुफ्लिहून) 'ताकि तुम फ़लाह पा जाओ' इसमें फ़लाह व निजात की उम्मीद दिलाई गई है, इसलिये इसे करना ग़लत हुआ। ○ पाँचवीं दलील है: (इन्नमा युरीदुश्शैतानु अय्यूक़िआ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ाअ फिल ख़म्रि वल मैसिरि) 'शराब और जूए के ज़रिये से शैतान तुम्हारे दरम्यान अदावत और बुग़्ज़ डालना चाहता है' और ये बात बिल्कुल रौशन है कि जो चीज़ मुसलमानों के दरम्यान अदावत व दुश्मनी पैदा करे और उनके बाहमी बुग़्ज़ का सबब बने, वह हराम होगी। शराब नोशी और जूए बाज़ी उसका बहुत बड़ा सबब हैं, लिहाज़ा ये हराम हैं। ○ छठी दलील है: (वयसुद्दकुम अन ज़िकरिल्लाहि व अनिस्सलात) 'और ये कि वह (शैतान) तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज़ से रोक दे' ये एक वाज़ेह हक़ीक़त है कि जिस काम के ज़रिये से शैतान, इन्सान को अल्लाह तआला की याद और नमाज़ से रोक देना चाहता हो, वह काम हराम ही होता है। ○ सातवीं दलील है: (फ़हल अन्तुम मुन्तहून) 'तो क्या तुम बाज़ आने वाले हो?' मतलब ये है कि इन्तहू, यानी तुम इससे

रुक जाओ। अल्लाह तआला अपने बन्दों को जिस चीज़ या जिस काम से रुक जाने का हुक्म दे, उससे रुकना वाजिब और उसे करना हराम होता है। ये नफ़ीस बहस औनुल माबूद, (शरह सुनन अबू दाऊद: 10/77 तबअ दारुल कुतुबिल इल्मिया) में है। **(2)** अरबी लुग़त और उर्फ़े आम में हर नशावर मशरूब को ख़म्र ही कहते हैं। अहादीसे सहीहा में भी हर नशावर मशरूब को ख़म्र कहा गया है मगर अहले राय, यानी अहनाफ़ ने इस मसले में सारी उम्मत से इख़्तिलाफ़ किया है और शराब, यानी ख़म्र को अंगूर से बनाई गई शराब से ख़ास किया है बल्कि मज़ीद कुयूद भी लगाई हैं कि अंगूर का निचोड़ा हुआ पानी आग पर गर्म किये बग़ैर दो सुलुस से कम ख़ुश्क हो जाये, उसमें झाग पैदा हो जाये और वह नशा दे तो उसे ख़म्र कहा जायेगा। इसके अलावा कोई दूसरा नशावर मशरूब ख़म्र नहीं कहलाता, जैसे: अंगूर के अलावा किसी और फल का निचोड़ हो या निचोड़ तो अंगूर का हो मगर उसे आग पर गर्म करके ख़ुश्क किया गया हो या दो सुलुस से ज़ाइद ख़ुश्क हो जाये, ख़्वाह आग के बग़ैर ही हो। इन तमाम सूरतों में उनके नज़दीक उसे ख़म्र नहीं कहा जायेगा, ख़्वाह वह नशा देता हो, अलबत्ता उसे मुस्किर कहा जायेगा। अहनाफ़ के नज़दीक ख़म्र का एक घूंट भी हराम है मगर आम मुस्किरात नशे की हद से कम पीना जायज़ हैं। अहनाफ़ की इस तौजीह का सबूत शरीयत से तो कुजा अक़्ले सलीम भी इसका इन्कार करती है क्योंकि शराब की हुर्मत की वजह तो नशा है। फिर क्या वजह है कि शराब और दीगर नशावर मशरूबात के हुक्म में फ़र्क़ किया जाये? जब कि अहादीस सराहतन दलालत करती हैं कि जो चीज़ भी नशा दे ख़्वाह वह एक घूंट ही हो हराम है। आख़िर शरीयत, उसूल और अक़्ले सलीम को छोड़ने की कौन सी माक़ूल वजह है? इसलिये आम मशहूर है कि अहले राय शराब को जायज़ समझते हैं। और ये हक़ीक़त भी है। क्या अहनाफ़ किसी इस्लामी मुल्क में शराब की बन्दिश का मुतालबा कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं क्योंकि उनकी तारीफ़ के मुताबिक़ शायद ही कोई शराब (ख़म्र) कहला सके, लिहाज़ा हर शख़्स मौजूदा शराबें ये कह कर पी सकता है कि मैं नशे की हद से कम इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ये ख़म्र नहीं, नशावर मशरूब है। इस जेली तफ़रीक़ के साथ शराब को इस तरह हलाल कर दिया गया जिस तरह शीया हज़रात ने मुत्अ़े को जायज़ करके ज़िना को हलाल कर दिया। नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक **(3)** 'अन्साब' वह पत्थर और आस्तान जहाँ बुतों के नाम पर जानवर ज़बह किये जाते थे। **(4)** 'तीर' मुराद क़िस्मत आज़माने के तीर हैं जिनको बुतों के काहिन बुत का नाम लेकर इस्तेमाल करते थे। ये भी शिर्क है क्योंकि इससे बुतों की अज़मत साबित होती है। **(5)** 'पलीद' मानवी तौर पर गन्दे काम। शैतानी काम उसी की तफ़्सीर है। ज़ाहिरी पलीदी मुराद नहीं।

(5542) हज़रत उमर (ﷺ) ने शराब की हुर्मत की तफ़्सील बयान करते हुये फ़रमाया कि उमर ने

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ

إِسْحَاقَ السُّنِّيُّ قِرَاءَةً عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ قَالَ أَنْبَأَنَا الإِمَامُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ النَّسَائِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ عَنْ عُمَرَ رضى الله عنه قَالَ لَمَّا نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ قَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا. فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ عُمَرُ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا. فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي النِّسَاءِ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى } فَكَانَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَقَامَ الصَّلاَةَ نَادَى لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ اللَّهُمَّ بَيِّنْ لَنَا فِي الْخَمْرِ بَيَانًا شَافِيًا. فَنَزَلَتِ الآيَةُ الَّتِي فِي الْمَائِدَةِ فَدُعِيَ عُمَرُ فَقُرِئَتْ عَلَيْهِ فَلَمَّا بَلَغَ {فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ } قَالَ عُمَرُ رضى الله عنه انْتَهَيْنَا انْتَهَيْنَا.

कहा: ऐ अल्लाह! हमारे लिये! शराब के बारे में वाज़ेह हुक्म बयान फ़रमा तो वह आयत उतरी जो सूर-ए-बक़र: में है, फिर उ़मर बुलाये गये और उन्हें वह आयत सुनाई गई तो उ़मर ने कहा: ऐ अल्लाह! हमारे लिये शराब के बारे में (मज़ीद) वाज़ेह बयान फ़रमा। फिर वह आयत उतरी जो सूर-ए-निसा में है: 'ऐ ईमान वालो! तुम नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब न जाओ।' रसूलुल्लाह (ﷺ) का मुअज़्ज़िन नमाज़ के क़याम के वक़्त ऐलान करता था कि 'नशे की हालत में नमाज़ के क़रीब न जाओ।' फिर उ़मर (رضی اللہ عنہ) को बुलाकर उन पर ये आयत पढ़ी गई तो उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह! शराब के बारे में मज़ीद वाज़ेह हुक्म फ़रमा। फिर वह माइदा वाली आयत उतरी (जो बाब में दर्ज है) तो उ़मर (رضی اللہ عنہ) को बुलाकर उन पर पढ़ी गई। जब इन अल्फ़ाज़ तक पहुँचे 'तो क्या तुम बाज़ आओगे?' हज़रत उ़मर(رضی اللہ عنہ) ने कहा: हम रुक गये। हम रुक गये।

(5542) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) अबू दाऊद, हदीस: 3670, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5049, व सहीह तिर्मिज़ी, हदीस: 2049, अबी दाऊद, हदीस: 3669.

फ़ायदा : हज़रत उ़मर (رضی اللہ عنہ) के दिल में शराब की हुर्मत का जज़्बा अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से इल्हाम था जो क़तई हुक्म उतरने से पहले इल्क़ा किया गया था ताकि लोगों के दिलों में शराब से नफ़रत पैदा हो जाये।

बाब : (2) वह शराब जो हुर्मत के हुक्म के वक़्त बहाई गई

باب(٢): ذِكْرِ الشَّرَابِ الَّذِي أُهْرِيقَ بِتَحْرِيمِ الْخَمْرِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ بَيْنَا أَنَا قَائِمٌ، عَلَى الْحَيِّ وَأَنَا أَصْغَرُهُمْ، سِنًّا عَلَى عُمُومَتِي إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ. وَأَنَا قَائِمٌ عَلَيْهِمْ أَسْقِيهِمْ مِنْ فَضِيخٍ لَهُمْ فَقَالُوا اكْفَأْهَا. فَكَفَأْتُهَا فَقُلْتُ لأَنَسٍ مَا هُوَ قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ. قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَنَسٍ كَانَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يُنْكِرْ أَنَسٌ.

(5543) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि एक दफ़ा मैं अपने क़बीले के लोगों को जो मेरे चचा लगते थे, खड़ा गदर खजूर की शराब पिला रहा था। मैं उन सब में से छोटा था। इतने में एक आदमी ने आकर कहा: शराब हराम कर दी गई है। उन्होंने कहा: इसे बहा दे। मैंने वह सब की सब बहा दी। मैं (सलमान तैमी) ने हज़रत अनस से पूछा: वह शराब किस चीज़ की थी? उन्होंने फ़रमाया: वह कच्ची खजूरों (गदर) और ख़ुश्क खजूरों को मिलाकर बनाई गई थी। हज़रत अनस (ﷺ) के बेटे हज़रत अबू बक्र ने कहा कि उन दिनों लोग खजूरों की शराब ही पीते थे। हज़रत अनस (ﷺ) ने उनकी बात की तर्दीद नहीं फ़रमाई।

(5543) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 5583, मुस्लिम, हदीस: 5/1980, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5050.

फ़ायदा : ये हदीसे मुबारका इस बात की दलील है कि ख़म्र सिर्फ़ अंगूर से कशीद शुदा शराब को नहीं कहते बल्कि हर नशावर मशरूब को ख़म्र ही कहा जाता है, ख़्वाह वह अंगूरों से कशीद किया गया हो या खजूरों से। इसी तरह इसे किशमिश से बनाया गया हो या शहद से तैयार कर्दा हो। ख़म्र इस्मे जिन्स है और हर नशावर मशरूब पर इसका इत्लाक़ होता है। अगरचे वह थोड़ी मिक़्दार ही में पिया जाये तब भी हराम है क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) का इरशादे गिरामी है: (मा अस्कर कसीरुहू फ़क़लीलुहु हरामुन) 'जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़्दार नशा चढ़ा दे उसकी थोड़ी सी मिक़्दार (लेना) भी हराम है।' (सुनन अबी दाऊद, हदीस: 2481, व सुनन इब्ने माजा, हदीस: 3393) रसूलुल्लाह(ﷺ) ने बज़ाते ख़ुद ख़म्र की वज़ाहत फ़रमा दी है। आपने फ़रमाया: (कुल्लु मुस्किर ख़म्रून, व कुल्लु मुस्किर हरामुन) 'हर नशावर चीज़ ख़म्र है और हर नशावर चीज़ हराम है।' (सहीह मुस्लिम, हदीस: 2003) इन सही

अहादीस़ के बावजूद कुछ लोगों का सिर्फ़ अंगूरों से कशीद कर्दा शराब को ख़म्र कह कर हराम क़रार देना और दीगर शराबों को जायज़ ठहराना सीना ज़ोरी के सिवा कुछ नहीं। गोया जिस शराब को अहनाफ़ ख़म्र कहते हैं वह तो तहरीम के वक़्त थी ही नहीं या बहुत कम थी। फिर आख़िर हराम किस को किया गया? और अगर वह ख़म्र थी ही नहीं तो उसे बहाया क्यूँ गया? जब कि अहनाफ़ के बक़ौल उसे नशे से कम कम पिया जा सकता था? वह ख़ालिस़ अरबी लोग थे। अगर वह भी ख़म्र का मफ़हूम न समझ सके तो अजमियों को इसकी समझ आ गई?

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ وَأَبَا دُجَانَةَ فِي رَهْطٍ مِنَ الأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَجُلٌ فَقَالَ حَدَثَ خَبَرٌ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ. فَكَفَأْنَا. قَالَ وَمَا هِيَ يَوْمَئِذٍ إِلاَّ الْفَضِيخُ خَلِيطُ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ. قَالَ وَقَالَ أَنَسٌ لَقَدْ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ وَإِنَّ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَئِذٍ الْفَضِيخُ.

(5544) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है मैं, अबू तल्हा, उबय बिन कअब, अबू दुजाना और कुछ दूसरे अन्सारी लोगों को गदर खजूर की शराब पिला रहा था कि हमारे पास एक आदमी आया और उसने कहा: एक नया हुक्म जारी हुआ है कि शराब की हुर्मत का हुक्म उतर आया है। हमने शराब उण्डेल दी, हालांकि वह उस दिन कच्ची खजूरों और ख़ुश्क खजूरों को मिला कर तैयार की गई थी। हज़रत अनस (ﷺ) ने फ़रमाया: शराब हराम की गई तो लोगों की आम शराब खजूरों से तैयार कर्दा थी।

(5544) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 7/1980, पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5051.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ حِينَ حُرِّمَتْ وَإِنَّهُ لَشَرَابُهُمُ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ.

(5545) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने फ़रमाया: जब शराब हराम क़रार दी गई तो उन लोगों की शराब कच्ची खजूरों और ख़ुश्क खजूरों को मिलकर तैयार होती थी।

(5545) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/181, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5052, बुख़ारी, हदीस़: 5580, 5584.

बाब : (3) गदर (अध पकी) और ख़ुश्क खजूरों को मिला कर तैयार कर्दा नशावर मशरूब को ख़म्र कहा जा सकता है

باب(٣): اسْتِحْقَاقِ الْخَمْرِ لِشَرَابِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، - يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ - قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ.

(5546) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: गदर (अध पक्की) और ख़ुश्क खजूरों से तैयार कर्दा नशवर मशरूब ख़म्र है।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5053.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ خَمْرٌ. رَفَعَهُ الأَعْمَشُ.

(5547) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: गदर और ख़ुश्क खजूरों से ख़म्र तैयार होती है।

आमश ने इस (हदीस़) को मरफ़ूअ बयान किया है।

(5547) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5054.

फ़ायदा : इमाम नसाई (ﷺ) ये बताना चाहते हैं कि शोबा, सुफ़ियान और आमश तीनों ने ये रिवायत मुहारिब बिन दिसार से बयान की है। शोबा और सुफ़ियान ने तो इसे मौक़ूफ़, यानी हज़रत जाबिर (ﷺ) का क़ौल बयान किया है जबकि आमश ने इन दोनों की मुख़ालिफ़त करते हुये इसको मरफ़ूअ, यानी रसूलुल्लाह (ﷺ) का फ़रमान कहा है जैसा कि इससे अगली रिवायत: 5548 की सनद देखने से ये वाज़ेह तौर पर मालूम होता है। ये रिवायत मौक़ूफ़न और मरफ़ूअन दोनों तरह दुरुस्त और सही है। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا، قَالَ أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ شَيْبَانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ هُوَ الْخَمْرُ ".

(5548) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मुनक्क़ा और खजूरों से तैयार कर्दा नशावर मशरूब ख़म्र (शराब) है।'

(5548) तख़रीज : (सनद हसन) अल हाकिम: 4/141, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 4/141.

फ़ायदा : इस बाब और मुताल्लिक़ा अहादीस़ का मक़सद अहनाफ़ के मौक़िफ़ की तर्दीद है।

बाब : (4) दो चीज़ों, गदर और ख़ुश्क खजूर को मिला कर बनाये गये नबीज़ की मुमानिअत का बयान

باب(٤): نَهْيُ الْبَيَانِ عَنْ شُرْبِ نَبِيذِ الْخَلِيطَيْنِ الرَّاجِعَةِ إِلَى بَيَانِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْبَلَحِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.

(5549) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के एक सहाबी से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने गदर और ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़ और मुनक़्क़ा और खजूर की मुश्तरका नबीज़ से मना फ़रमाया है।

(5549) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद: 3705, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5056, मुसनद अहमद: 4/314.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किसी फल को पानी में डाल दिया जाता है, फिर जब वह नरम हो जाता है तो फल को हाथों से पानी में मसल दिया जाता है, और फिर किसी कपड़े से वह पानी निचोड़ लिया जाता है ताकि फल का फूक अलग हो जाये और फिर वह फल के असर वाला पानी पी लिया जाता है। उसे नबीज़ कहते हैं। ये ज़ाइक़ेदार और मक़वी होती है। इसे पीने में कोई हर्ज नहीं मगर इसे ज़्यादा देर न रखा जाये वरना इसमें नशा पैदा हो जाता है। अगर वह नशावर हो जाये तो फिर शराब की तरह हराम है। अगर नबीज़ दो क़िस्म के फलों से बनाई जाये, यानी दोनों फलों को पानी में डाला जाये तो उसमें जल्दी नशा पैदा होने का इम्कान होता है क्योंकि इसमें किमियाई अमल ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो जाता है, इसलिए दो चीज़ों नबीज़ से मुत्लक़न रोक दिया गया है। अगरचे नशा पैदा न होने की सूरत में इसका इस्तेमाल दुरुस्त है मगर आम लोग नशे के मामले में ज़्यादा हस्सास नहीं होते। मुमकिन है उन्हें नशे का पता न चले, इसलिये मुत्लक़न रोक दिया गया। कुछ उलमा के नज़दीक दो फलों की नबीज़ से नह्य की वजह तअय्युश है, जैसे दो सालन पकाने से मना किया गया है। (2) गदर और ख़ुश्क खजूर आपस में बहुत मुख़्तलिफ़ होती है, इसलिए उनको दो फलों के क़ाइम मक़ाम क़रार दिया गया है।

बाब : (5) बलह (कच्ची) और ज़हू (पकने के क़रीब) खजूर की मुश्तरका नबीज़

باب(٥): خَلِيطِ الْبَلَحِ وَالزَّهْوِ

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ

(5550) हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन, मटके, तारकोल लगे हुये बर्तन और खजूर की जड़ से

سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلَحُ وَالزَّهْوُ.

बनाये गये बर्तन (मैं नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया है। इसी तरह बलह और ज़हू खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने से भी मना फ़रमाया है।

(5550) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 41/1995, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5057.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा बर्तनों में मसाम न होने या मसाम बन्द होने की वजह से जल्दी नशा पैदा हो जाता है, इसलिए इन बर्तनों में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। या ये बर्तन शराब बनाने के लिये इस्तेमाल होते थे। शराब की हुर्मत के वक़्त आरज़ी तौर पर इन बर्तनों के जायज़ इस्तेमाल से भी रोक दिया गया ताकि शराब का ख़्याल भी न आये। बाद में ये बर्तन इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी गई, अलबत्ता एहतियात की जाये कि नशा पैदा न हो वरना मशरूब हराम हो जायेगा। नशा पैदा न हो तो कोई हर्ज नहीं। **(2)** बलह, ज़हू,बुस्र, रुतब और तमर खजूर ही की मुख़्तलिफ़ हालतें हैं। बलह कच्ची खजूर को कहते हैं जब तक इसका रंग सब्ज़ हो। बुस्र गदर, यानी नीम पुख़्ता खजूर को जब वह कुछ नर्म हो जाये। ज़हू जब वह पकने लगे और रंग बदल जाये। रुतब जब वह मुकम्मल पक जाये और ताज़ा हो। और तमर जब वह ख़ुश्क हो जाये और तरी जाती रहे। ये तमाम हालतें एक दूसरी से बहुत मुख़्तलिफ़ हैं, लिहाज़ा उनको अलग अलग फल का हुक्म दिया जायेगा। और इनमें कोई सी भी दो क़िस्मों की मुश्तरका नबीज़ पीना मना है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ - وَزَادَ مَرَّةً أُخْرَى - وَالنَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ بِالزَّبِيبِ وَالزَّهْوُ بِالتَّمْرِ.

(5551) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दू के बर्तन, तारकोल लगे हुये बर्तन और खजूर की जड़ से बनाये गये बर्तन से मना फ़रमाया, और खजूर को मुनक़्क़ा से मिलाकर और पकने के क़रीब खजूर को ख़ुश्क खजूर से मिलाकर नबीज़ बनाने से भी मना फ़रमाया।

(5551) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5058.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا

(5552) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने पकने के क़रीब और ख़ुश्क खजूर, और मुनक़्क़ा और ख़ुश्क खजूर की

मुश्तरका नबीज़ के इस्तेमाल से मना फ़रमाया।

(5552) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/58, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5059.

बाब : (6) पकने के क़रीब और ताज़ा पकी हुई खजूर की मुश्तरका नबीज़

(5553) हज़रत अबू क़तादा (﵁) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'खजूर और मुनक्क़ा इसी तरह पकने के क़रीब और ताज़ा खजूर को (नबीज़ बनाने के लिये) इकट्ठा न करो।'

(5553) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5602, मुस्लिम, हदीस: 1988, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5060.

(5554) हज़रत अबू क़तादा (﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कच्ची और ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ न बनाओ। इसी तरह मुनक्क़ा और ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ न बनाओ।'

(5554) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 25/1988, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5061.

बाब : (7) पकने के क़रीब और गदर खजूर की मुश्तरका नबीज़

(5555) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खजूर और मुनक्क़ा या पकने के क़रीब और ख़ुश्क खजूर या कच्ची और गदर खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया है।

الأَعْمَشُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي أَرْطَاةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ.

باب(٦): خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ تَجْمَعُوا بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَلاَ بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُبَارَكِ - عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ تَنْبِذُوا الزَّبِيبَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا

باب(٧): خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالْبُسْرِ

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، - هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ - عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ

الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَأَنْ يُخْلَطَ الزَّهْوُ وَالتَّمْرُ وَالزَّهْوُ وَالْبُسْرُ.

(5555) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमदः 3/62, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 5062.

بَاب(۸): خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالرُّطَبِ

बाब : (8) गदर और ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ يَحْيَى، - وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالْبُسْرِ وَالرُّطَبِ.

(5556) हज़रत जाबिर (ؓ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने खजूर और मुनक्क़ा, और गदर और ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ से मना फ़रमाया है।

(5556) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिमः 18/1986, बुख़ारी, हदीसः 5601, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 5063.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بِسْطَامٌ، قَالَ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ وَلاَ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ ".

(5557) हज़रत जाबिर (ؓ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'मुनक्क़ा और खजूर इसी तरह गदर और ख़ुश्क खजूर को मिला कर नबीज़ न बनाओ।'

(5557) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 5064.

بَاب(۹): خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ

बाब : (9) गदर और ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا.

(5558) हज़रत जाबिर (ؓ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुनक्क़ा और खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। इसी तरह गदर और ख़ुश्क खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने से भी मना फ़रमाया।

(5558) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिमः 17/1986, देखें, हदीसः 5556, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 5065.

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَعَنِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا وَعَنِ الزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ أَنْ يُخْلَطَا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ هَجَرَ " أَنْ لاَ تَخْلِطُوا الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ جَمِيعًا ".

(5559) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन, मटके, तारकोल मले हुये बर्तन और ख़जूर की जड़ से बनाये गये बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया। इसी तरह गदर और ख़ुश्क खजूर को मिलाकर या मुनक़्क़ा और खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। आपने इलाक़-ए हिज्र के लोगों को लिख भेजा था कि मुनक़्क़ा और खजूर को मिलाकर नबीज़ न बनाओ।

(5559) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1990, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5066.

फ़ायदा : तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस: 5550.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ الْبُسْرُ وَحْدَهُ حَرَامٌ وَمَعَ التَّمْرِ حَرَامٌ.

(5560) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: बुस्र, यानी गदर खजूर अकेली की नबीज़ भी हराम है और ख़ुश्क खजूर के साथ मिलाकर भी हराम है।

(5560) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5067, अबी दाऊद, हदीस: 3709, मुसनद अहमद: 1/310, 334.

फ़ायदा : मुमकिन है बुस्र की नबीज़ में जल्दी नशा पैदा होता हो, इसलिये हज़रत इब्ने अब्बास(ﷺ) इसे हराम समझते हों। बहर सूरत ये हराम तभी है जब इसमें नशा पैदा हो जाये वरना नहीं मगर बुस्र व तमर की मुश्तरका नबीज़ हर हाल में हराम है नशा पैदा हो या न हो, क्योंकि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इससे मुत्लक़न मना फ़रमाया है। अगरचे अहनाफ़ के नज़दीक मुश्तरका नबीज़ अगर नशावर न हो तो जायज़ है मगर ये सरीह अहादीस के ख़िलाफ़ है। राय और क़यासे नस्स के मुक़ाबले में मज़मूम है। (मज़ीद देखिये, हदीस: 5549)

باب(١٠): خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ

बाब : (10) मुनक़्क़ा और ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، وَعَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي

(5561) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खजूर व मुनक़्क़ा और

ख़ुश्क व गदर खजूर की मुश्तरका नबीज़ से मना फ़रमाया है।

(5561) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 41/1995, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5068.

عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَعَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ.

(5562) हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खजूर व मुनक्क़ा को मिलाकर और ख़ुश्क और गदर खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया है।

(5562) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5069, देखें, हदीस: 5564.

أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَاوَرْدِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَنَهَى عَنِ التَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا.

बाब : (11) ताज़ा खजूर और मुनक्क़ा की मुश्तरका नबीज़

باب(١١): خَلِيطِ الرُّطَبِ وَالزَّبِيبِ

(5563) हज़रत अबू क़तादा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पकने के क़रीब और ताज़ा खजूर की मुश्तरका नबीज़ न बनाओ। और ताज़ा खजूर और मुनक्क़ा को मिलाकर नबीज़ न बनाओ।'

(5563) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5070.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ وَلاَ تَنْبِذُوا الرُّطَبَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ".

बाब : (12) गदर खजूर और मुनक्क़ा की मुश्तरका नबीज़

باب(١٢): خَلِيطِ الْبُسْرِ وَالزَّبِيبِ

(5564) हज़रत जाबिर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुनक्क़ा और गदर खजूर को मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। इसी तरह गदर खजूर और ताज़ा खजूर को मिला कर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ

وَالرُّطَبُ جَمِيعًا.

(5564) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीस: 19/1986, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5071.

باب(١٣): ذِكْرِ الْعِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ وَهِيَ لِيَقْوَى أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ

बाब : (13) वह इल्लत जिसकी वजह से दो फलों की मुश्तरका नबीज़ मना है कि एक दूसरी से मिल कर क़वी हो जायेगी

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ إِيَاسٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَجْمَعَ شَيْئَيْنِ نَبِيذًا يَبْغِي أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ . قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْفَضِيخِ فَنَهَانِي عَنْهُ قَالَ كَانَ يَكْرَهُ الْمُذَنَّبَ مِنَ الْبُسْرِ مَخَافَةَ أَنْ يَكُونَا شَيْئَيْنِ فَكُنَّا نَقْطَعُهُ.

(5565) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें नबीज़ में दो चीज़ें इकट्ठी करने से मना फ़रमाया है क्योंकि एक दूसरी को तेज़ करेगी। मैंने उनसे फ़ज़ीख़ के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे इससे मना कर दिया। वह उस गदर खजूर की नबीज़ को नापसन्द करते थे जो एक तरफ़ से पक चुकी हो, इस ख़तरे से कि वह दो क़िस्म का फल है। तो हम उसकी एक जानिब काट देते थे।

(5565) **तख़रीज : (सनद हसन)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5072.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तेज़ करेगी' यानी दो क़िस्म के फल मिलने से तेज़ी पैदा होगी और नशा जल्दी पैदा होगा, लिहाज़ा दो क़िस्म के फलों को मिलाकर नबीज़ बनाना मना है। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। **(2)** फ़ज़ीख़, ये एक क़िस्म की शराब थी जो गदर खजूर से बग़ैर आग पर पकाए तैयार की जाती थी। ये नशावर होती थी, लिहाज़ा ममनूअ है। **(3)** 'एक तरफ़ से पक चुकी हो' एक तरफ़ पक्की और एक तरफ़ से कच्ची। गोया ऐसी एक खजूर भी बज़ाहिर दो क़िस्म का फल है। गदर भी और रुतब (ताज़ा पक्की हूई खजूर) भी, इसलिये ऐसी खजूर की नबीज़ से भी परहेज़ बेहतर है जैसा कि सय्यदना अनस (ﷺ) ने किया। अगर दोनों हिस्सों को अलग अलग कर के एक हिस्से से नबीज़ बनाई जाये तो सिरे से कराहत वाली बात ही नहीं रहती जैसा कि हदीस में ज़िक्र है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ أَبِي

(5566) हज़रत अबू इदरीस से रिवायत है कि मैंने देखा, हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) के पास

إِدْرِيسَ، قَالَ شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أُتِيَ بِبُسْرٍ مُذَنِّبٍ فَجَعَلَ يَقْطَعُهُ مِنْهُ .

गदर खजूर लाई गई जो एक तरफ़ से पक चुकी थी। आप उसके पके हुये सिरे को काटने लगे (ताकि एक हिस्से से नबीज़ बनाई जाये न कि दोनों से)

(5566) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5073.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ قَتَادَةُ كَانَ أَنَسٌ يَأْمُرُ بِالتَّذْنُوبِ فَيُقْرَضُ .

(5567) हज़रत क़तादा ने फ़रमाया कि हज़रत अनस (ﷺ) हमें एक तरफ़ से पकी हुई गदर खजूर लाने का हुक्म देते, फिर उसका वह सिरा काट दिया जाता।

(5567) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5075.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ كَانَ لاَ يَدَعُ شَيْئًا قَدْ أَرْطَبَ إِلاَّ عَزَلَهُ عَنْ فَضِيخِهِ .

(5568) हज़रत अनस (ﷺ) खजूर के पके हुये हिस्से को नहीं रहने देते थे बल्कि (नबीज़ बनाने के लिये) गदर हिस्से से अलग कर देते थे।

(5568) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5074.

بَاب(١٤): التَّرَخُّصِ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ وَشُرْبِهِ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ فِي فَضِيخِهِ

बाब : (14) अकेली गदर खजूर की नबीज़ बनाने और पीने की रुख़सत बशर्ते कि उसमें तब्दीली (नशा पैदा) न हो

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، - يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ - قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " لاَ تَنْبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا وَلاَ الْبُسْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا وَانْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَتِهِ".

(5569) हज़रत क़तादा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'पकने के क़रीब और पकी खजूरों को मिलाकर नबीज़ न बनाओ। (इसी तरह) गदर खजूर और मुनक़्क़ा को भी न मिलाओ बल्कि उनमें से हर एक की अलग अलग नबीज़ बनाओ।

(5569) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5553, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5076.

बाब : (15) उन मश्कीज़ों में नबीज़ बनाना जिनके मुँह को (तागे वग़ैरह से) बाँधा जाता है

باب(١٥): الرُّخْصَةِ فِي الاِنْتِبَاذِ فِي الأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالتَّمْرِ وَخَلِيطِ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَقَالَ " لِتَنْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ فِي الأَسْقِيَةِ الَّتِي يُلاَثُ عَلَى أَفْوَاهِهَا " .

(5570) हज़रत अबू क़तादा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने पकने के क़रीब और ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़ और (इसी तरह) गदर और ख़ुश्क खजूर की मुश्तरका नबीज़ से मना किया। और आपने फ़रमाया: 'उनमें से हर एक की अलग अलग नबीज़ उन मश्कीज़ों में बनाओ जिनका मुँह बाँधा जाता है।'

(5570) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5077.

फ़ायदा : बाब का मक़सूद ये है कि नबीज़ मटकों वग़ैरह की बजाये चमड़े के मश्कीज़ों में बनाई जाये (चमड़े के मश्कीज़े का ही मुँह बाँधा जा सकता है) मटकों ख़ुसूसन तारकोल लगे हुये मटकों में जल्दी नशा पैदा हो जाता है। चमड़े के मश्कीज़े में जल्दी नशा पैदा नहीं होता और अगर नशा पैदा हो जाये तो फ़ौरन पता चल जाता है।

बाब : (16) अकेली ख़ुश्क खजूरों की नबीज़ बनाना

التَّرَخُّصِ فِي انْتِبَاذِ التَّمْرِ وَحْدَهُ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُخْلَطَ بُسْرٌ بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبٌ بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبٌ بِبُسْرٍ وَقَالَ " مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا أَوْ زَبِيبًا فَرْدًا " .

(5571) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने गदर (नीम पुख़्ता) खजूर को ख़ुश्क खजूर के साथ मिलाकर या मुनक़्क़ा को ख़ुश्क खजूर के साथ मिलाकर या मुनक़्क़ा को गदर खजूर से मिलाकर नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। आपने फ़रमाया: 'जो तुममें से नबीज़ पीना चाहे, वह उनमें से एक चीज़ की नबीज़ पिये। सिर्फ़ ख़ुश्क खजूर की या सिर्फ़ गदर खजूर की या सिर्फ़ मुनक़्क़ा की।'

(5571) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 23/1987, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5078.

(5572) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने गदर खजूर को ख़ुश्क खजूर के साथ या मुनक़्क़ा को ख़ुश्क खजूर के साथ या मुनक़्क़ा को गदर खजूर के साथ मिलाने से मना फ़रमाया। आपने फ़रमाया: 'तुममें से जो शख़्स नबीज़ पीना चाहे तो उनमें से किसी एक चीज़ की नबीज़ पिये।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा कि रावि-ए-हदीस अबुल मुतवक्किल का नाम अली बिन दाऊद है।

(5572) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5079.

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يَخْلِطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِيبًا بِبُسْرٍ وَقَالَ " مَنْ شَرِبَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُ فَرْدًا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ هَذَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ اسْمُهُ عَلِيُّ بْنُ دَاوُدَ.

बाब : (17) सिर्फ़ मुनक़्क़ा की नबीज़ बनाना

باب(١٧): انْتِبَاذِ الزَّبِيبِ وَحْدَهُ

(5573) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि (नबीज़ बनाने के लिये) गदर खजूर और मुनक़्क़ा को या गदर और ख़ुश्क खजूर को मिलाया जाये। आपने फ़रमाया: 'उनमें से हर एक की अलग अलग नबीज़ बनाओ।'

(5573) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 26/1989, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5080.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالزَّبِيبُ وَالْبُسْرُ وَالتَّمْرُ وَقَالَ " انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ " .

बाब : (18) सिर्फ़ गदर खजूर की नबीज़ की रुख़्सत

الرُّخْصَةِ فِي انْتِبَاذِ الْبُسْرِ وَحْدَهُ

(5574) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मना फ़रमाया कि खजूरों और मुनक़्क़ा को मिलाकर या

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، - يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي

الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ وَالتَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَقَالَ " انْتَبِذُوا الزَّبِيبَ فَرْدًا وَالتَّمْرَ فَرْدًا وَالْبُسْرَ فَرْدًا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبُو كَثِيرٍ اسْمُهُ يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ .

खजूरों और गदर खजूरों को मिलाकर नबीज़ बनाई जाये। आपने फ़रमाया: 'मुनक्का की अलग नबीज़ बनाओ, खजूर की अलग और गदर खजूर की अलग।'

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) ने कहा कि (रावि-ए-हदीस़) अबू कस़ीर का नाम यज़ीद बिन अ़ब्दुर्रहमान है।

(5574) तख़रीज : (सनद स़ही) देखें, हदीस़: 5571, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5081.

फ़ायदा : इमाम नसाई (ﷺ) जिस अबू कस़ीर के नाम की वज़ाहत फ़रमा रहे हैं वह हदीसे साबिक़: 5573 का रावी है, इसलिये इस वज़ाहत और तस़रीह का अस़ल मक़ाम साबिक़ा हदीस़ के तहत ही था। बेहतर यही था कि ये वज़ाहत इस हदीस़ से ऊपर वाली हदीस़ के तहत की जाती। शायद ये कातिब वग़ैरह का सह्व हो। वल्लाहु आलम!

باب(١٩): تَأْوِيلِ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى - وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا

बाब : (19) अल्लाह तआ़ला के फ़रमान: 'और खजूरों और अंगूरों के कुछ फलों से तुम नशाआवर मशरूब और अच्छा (हलाल व उ़म्दा) रिज़्क़ तैयार करते हो।' की तफ़्सीर

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، ح وَأَنْبَأَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ " . وَقَالَ سُوَيْدٌ فِي هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْعِنَبَةِ .

(5575) हज़रत अबू हुरैरह (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शराब इन दो दरख़्तों (के फलों) से तैयार होती है: खजूर और अंगूर।'

(5575) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 14/1985, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5082.

फ़वाइद व मसाइल : (1) किताबुल अश्रिबा के शुरू में बयान हो चुका है कि अइम्मा मालिक, शाफ़ेई, अहमद और जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक शराब किसी भी फल या ग़ल्ले से तैयार की जा सकती है जब इसमें नशा पाया जाये, जबकि अहले राय, यानी अहनाफ़ के नज़दीक शराब सिर्फ़ अंगूर से तैयार हो सकती है और वह भी मख़्सूस तरीक़े पर जिसकी तफ़्सील शुरू में बयान हो चुकी है, लेकिन ये बात ग़लत है। लुग़त, अक़्ले सलीम और शरअ के ख़िलाफ़ है। ख़म्र के मानी हैं 'अक़्ल को ढाँपने वाली' यानी ख़म्र से मुराद हर वह चीज़ है जो अक़्ल को पर्दे में कर दे कि पीने से अक़्ल जाती रहे, और ये मस्लक इस बाब में मज़्कूरा आयत और अहादीस़ के भी ख़िलाफ़ है। आयते मज़्कूरा में खजूर व अंगूर दोनों से नशावर मशरूब बनाने का ज़िक्र है और दोनों को इकट्ठा ज़िक्र किया गया है। मालूम हुआ हुक्म भी एक है। अहादीस़ में तो इन्तेहाई हद तक स़राहत है कि शराब खजूर से भी बन सकती है। **(2)** हदीस़ में दो चीज़ों (खजूर व अंगूर) के ज़िक्र का ये मतलब नहीं कि इनके अ़लावा किसी और फल से शराब नहीं बन सकती बल्कि मक़्स़द ये है कि उ़मूमन अ़रब या अहले मदीना इन दो चीज़ों से शराब तैयार करते थे वरना जिस फल या ग़ल्ले से भी नशावर मशरूब तैयार किया जाये उसे शराब, यानी ख़म्र का हुक्म हासिल होगा और उसका एक घूंट भी हराम होगा।

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةُ وَالْعِنَبَةُ " .

(5576) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'शराब (उ़मूमन) इन दो दरख़्तों (यानी) खजूर व अंगूर (के फलों) से तैयार होती है।'

(5576) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5083.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالاَ السَّكَرُ خَمْرٌ .

(5577) हज़रत इब्राहीम और शअ़बी ने फ़रमाया: हर नशावर चीज़ शराब (का हुक्म रखती) है। (या आयत में) 'सकर' से मुराद शराब है। (जो हराम है जबकि रिज़्क़े हसन, यानी नबीज़ वग़ैरह जो नशावर न हो, हलाल है।)

(5577) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5084.

(5578) हज़रत सईद बिन जुबैर से मन्क़ूल है कि (आयते मज़्कूरा में) 'सकर' से मुराद सकर शराब है।

(5578) **तख़रीज : (सनद सही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5085.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ السَّكَرُ خَمْرٌ .

(5579) हज़रत सईद बिन जुबैर से मन्क़ूल है कि 'सकर' से मुराद शराब है।

(5579) **तख़रीज : (सनद सही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5086.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ حَبِيبٍ، -وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَمْرَةَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ السَّكَرُ خَمْرٌ .

(5580) हज़रत सईद बिन जुबैर ने फ़रमाया: सकर (नशावर मशरूब) हराम है। और रिज़्क़े हसन (नबीज़ वग़ैरह) हलाल है।

(5580) **तख़रीज : (सनद सही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5087.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ السَّكَرُ حَرَامٌ وَالرِّزْقُ الْحَسَنُ حَلاَلٌ .

फ़ायदा : मुख़्तलिफ़ ताबेईन के अक़वाल नक़ल करने से मक़सूद ये है कि कूफ़ी, बसरी और मक्की ताबेईन के नज़दीक अंगूर की तरह खजूर से भी शराब तैयार हो सकती है। और यही मस्लक जुम्हूर अहले इल्म और मुहद्दिसीन व फुकहा का है।

बाब : (20)
जब शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ तो किन चीज़ों से शराब तैयार होती थी?

ذِكْرِ أَنْوَاعِ الأَشْيَاءِ الَّتِي كَانَتْ مِنْهَا الْخَمْرُ حِينَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا

(5581) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने हज़रत उमर (ﷺ) को मदीना मुनव्वरा के मिम्बर पर फ़रमाते सुना: ऐ लोगो! आगाह रहो! जिस दिन शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ, उन दिनों शराब पाँच चीज़ों से तैयार की जाती थी: अंगूर, खजूर, शहद से, गन्दुम से और जौ से और (याद

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ، رضى الله عنه يَخْطُبُ عَلَى مِنْبَرِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ أَلاَ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ

يَوْمَ نَزَلَ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ .

रखो) हर वह चीज़ शराब है जो अ़क़्ल को ढाँपे।

(5581) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 32/33, बुख़ारी, हदीस: 5581, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5088.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'अ़क़्ल को ढाँपे' यानी पीने वाले की अ़क़्ल काम न करे। उसे अपना और अपने क़ौल व फ़ेअ़ल का शऊर न रहे। बकवास बके, उलटे सीधे काम करे। दर हक़ीक़त अ़क़्ल ही इन्सान का इम्तियाज़ है, अ़क़्ल को ख़त्म करने वाली चीज़ कैसे जायज़ हो सकती है? **(2)** हज़रत उ़मर (ﷺ) का तमाम सहाब-ए-किराम (ﷺ) के सामने ये ऐलानिया फ़तवा अहले राय की आँखें खोलने के लिये काफ़ी है कि शराब अंगूर के अ़लावा और चीज़ों से भी तैयार हो सकती है और उन सब को शराब (ख़म्र) का हुक्म हासिल होगा, यानी एक घूंट भी हराम है। हज़रत उ़मर (ﷺ) से बड़ा फ़क़ीह और मुज्तहिद सहाबी कौन हो सकता है? और अहलुर राय तो फ़क़ीह सहाबी के क़ौल के सामने हदीस भी तर्क कर देते हैं। क्या अपनी राय को तर्क नहीं करेंगे? बल्कि ये मसला तो इज्माई बन जाता है क्योंकि किसी सहाबी ने हज़रत उ़मर (ﷺ) की बात की तर्दीद नहीं की और क्या चाहिए?

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاَءِ، قَالَ أَنْبَأَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَأَبِي، حَيَّانَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا وَهِيَ مِنْ خَمْسَةٍ مِنَ الْعِنَبِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ .

(5582) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि मैंने हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब (ﷺ) को रसूलुल्लाह (ﷺ) के मिम्बरे मुबारक पर फ़रमाते सुना: हम्द व सलात के बाद (याद रखो कि) शराब की हुर्मत नाज़िल हूई तो वह पाँच चीज़ों से तैयार की जाती थी: अंगूर से, गन्दुम से, जौ से, खजूर से और शहद से।

(5582) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5089.

फ़ायदा : इन पाँच चीज़ों के ज़िक्र से मक़सूद बाक़ी चीज़ों की नफ़ी नहीं बल्कि अपना रिवाज बताना है वरना शराब जिस चीज़ से भी तैयार की जाये, हराम है। एक क़तरा भी हराम है।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ الْخَمْرُ مِنْ

(5583) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ने फ़रमाया कि शराब पाँच चीज़ों से तैयार होती है: खजूर से, गन्दुम से, जौ से, शहद से और अंगूर से।

خَمْسَةٍ مِنَ التَّمْرِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْعَسَلِ وَالْعِنَبِ .

(5583) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5090.

تَحْرِيمِ الأَشْرِبَةِ الْمُسْكِرَةِ مِنَ الأَثْمَارِ وَالْحُبُوبِ

बाब : (21) पीने वालों के लिये हर नशावर मशरूब हराम है, ख़्वाह वह किसी क़िस्म के फल या ग़ल्ले से तैयार हो

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ أَهْلَنَا يَنْبِذُونَ لَنَا شَرَابًا عَشِيًّا فَإِذَا أَصْبَحْنَا شَرِبْنَا . قَالَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ أَنْهَاكَ عَنِ الْمُسْكِرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَأُشْهِدُ اللَّهَ عَلَيْكَ إِنَّ أَهْلَ خَيْبَرَ يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا وَيُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ وَإِنَّ أَهْلَ فَدَكٍ يَنْتَبِذُونَ شَرَابًا مِنْ كَذَا وَكَذَا يُسَمُّونَهُ كَذَا وَكَذَا وَهِيَ الْخَمْرُ حَتَّى عَدَّ أَشْرِبَةً أَرْبَعَةً أَحَدُهَا الْعَسَلُ.

(5584) हज़रत इब्ने सीरीन से रिवायत है, उन्होंने कहा कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) के पास आकर कहा: हमारे घर वाले शाम के वक़्त नबीज़ बनाते हैं। हम सुबह के वक़्त वह पी लेते हैं। (क्या ये जायज़ है?) आपने फ़रमाया: मैं तुझे नशावर से रोकता हूँ। थोड़ा हो या ज़्यादा। और मैं अल्लाह तआला को तुझ पर गवाह बना कर तुझे नशावर चीज़ से रोकता हूँ क़लील हो या कसीर। और मैं अल्लाह तआला को गवाह बनाकर तुझे बताता हूँ कि ख़ैबर वाले फ़ुलां फ़ुलां चीज़ से मशरूब तैयार करते हैं और उसका नाम ये ये रखते हैं मगर वह दर हक़ीक़त शराब (ख़म्र) है। और फ़दक वाले भी फ़ुलां फ़ुलां चीज़ से मशरूब तैयार करते हैं और उसका नाम ये और ये रखते हैं, हालांकि वह भी शराब ही है यहाँ तक कि उन्होंने चार (क़िस्म के) मशरूब शुमार किये। उनमें से एक शहद (से तैयार होता) था।

(5584) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5091.

फ़ायदा : ये वही बात है जो अहनाफ़ के अलावा तमाम अहले इल्म का मस्लक है कि नशावर चीज़ किसी भी फल, ग़ल्ले या मशरूब से तैयार हो, वह शराब, यानी ख़म्र का हुक्म रखती है। वह क़लील भी हराम है, ख़्वाह ज़ाहिरन उसका नाम कोई रख लिया जाये।

बाब : (22) हर नशावर मशरूब को शराब (ख़म्र) कहा जायेगा

باب(٢٢): إِثْبَاتِ اسْمِ الْخَمْرِ لِكُلِّ مُسْكِرٍ مِنَ الأَشْرِبَةِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ "

(5585) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम और हर शावर चीज़ ख़म्र है।'

(5585) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2003, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5092.

फ़ायदा : देखिये! इस सरीह फ़रमाने रसूल के सामने अहले राय क्या हुज्जत करते हैं? अलइयाज़ बिल्लाह!

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ " . قَالَ الْحُسَيْنُ قَالَ أَحْمَدُ وَهَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ .

(5586) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम है और हर नशावर चीज़ ख़म्र है।' हुसैन बिन मन्सूर ने कहा: इमाम अहमद (رحمه الله) ने फ़रमाया: ये हदीस सही है।

(5586) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5093.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) ने इमाम अहमद (رحمه الله) का क़ौल इसलिये नक़ल फ़रमाया है कि अहनाफ़ कहते हैं कि इमाम यहया बिन मईन ने इस हदीस को ज़ईफ़ कहा है, हालांकि इब्ने मईन से ये क़ौल कहीं भी साबित नहीं। बे पर की उड़ानों से क्या फ़ायदा? फिर कोई एक हदीस है जिसे ज़ईफ़ कहने से जान झूठ जायेगी? आगे आगे देखिये होता है क्या?

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ "

(5587) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ ख़म्र (शराब) है।'

(5587) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5585, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5094.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

(5588) हज़रत इब्ने उमर (ﷻ) का बयान है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ शराब है और हर नशावर चीज़ हराम है।'

(5588) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5585, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5095.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ " .

(5589) हज़रत इब्ने उमर (ﷻ) का फ़रमान है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम है और हर नशावर चीज़ ख़म्र है।'

(5589) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5096, देखें, हदीस: 5585.

تَحْرِيمِ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ

बाब : (23) हर नशावर मशरूब हराम है

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ "

(5590) हज़रत इब्ने उमर (ﷻ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम है।'

(5590) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा: 3390, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5097, तिर्मिज़ी, हदीस: 1864.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .

(5591) हज़रत अबू हुरैरह (ﷻ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम है।'

(5591) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5098.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُنْبَذَ فِي الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ

(5592) हज़रत अबू हुरैरह (ﷻ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दू के बर्तन, तारकोल लगे हुये बर्तन, खजूर की जड़ से बनाये हुये बर्तन और मटके में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। और हर नशावर चीज़ हराम है।

وَالْحَنْتَمِ " وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .

(5592) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 501, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5099.

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5550.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ زَبْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ تَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَلاَ الْمُزَفَّتِ وَلاَ النَّقِيرِ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .

(5593) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कद्दू के बर्तन, तारकोल लगे हुये बर्तन और खजूर की जड़ से बनाये गये बर्तन में नबीज़ न बनाओ। और हर नशावर चीज़ हराम है।'

(5593) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 6/332, 333, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5100.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَقُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " . قَالَ قُتَيْبَةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ .

(5594) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नशावर मशरूब हराम है।' कुतैबा ने कहा: अनिन नबी(ﷺ)

(5594) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 242, मुस्लिम, हदीस: 69/2001, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5101.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) ने ये हदीस दो उस्तादों: इस्हाक़ बिन इब्राहीम और कुतैबा से बयान की है। उस्ताद इस्हाक़ बिन इब्राहीम ने हदीस बयान करते हुये कहा अन आयशा, क़ालत, क़ाल रसूलुल्लाह (ﷺ), जबकि उस्ताद कुतैबा के अलफ़ाज़ हैं: अन आयशा, अनिन नबी (ﷺ). सुब्हानल्लाह! मुहद्दिसीने किराम (رحمهم الله) नक़्ले रिवायत में किस दर्जा मोहतात थे।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، ح وَأَنْبَأَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ حَرَامٌ " . اللَّفْظُ لِسُوَيْدٍ .

(5595) हज़रत आयशा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से शहद की नबीज़ के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'जिस मशरूब में नशा पैदा हो जाये, वह हराम है।'

ये अल्फ़ाज़ सूवैद के हैं।

(5595) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5102.

(5596) हज़रत आयशा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) से बित्आ (शहद की शराब) के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'जिस मशरूब में भी नशा पैदा हो जाये, वह हराम हो जाता है।' बित्आ (नबीज़ है जो) शहद से तैयार की जाती थी।

(5596) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5594, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5103.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ وَالْبِتْعُ مِنَ الْعَسَلِ".

(5597) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) से बित्आ के बारे में पूछा गया तो आपने फ़रमाया: 'हर नशावर मशरूब हराम है।' बित्आ शहद की नबीज़ को कहते हैं।

(5597) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5594, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5104.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ الْبِتْعِ فَقَالَ " كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ " . وَالْبِتْعُ هُوَ نَبِيذُ الْعَسَلِ .

फ़ायदा : आपके जवाब का मक़सूद ये है कि अगर बित्आ नशावर है तो हराम है वरना नहीं।

(5598) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम है।'

(5598) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 4344, 4345, मुस्लिम, हदीस: 70/1733, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5105.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ".

(5599) हज़रत अबू बुर्दा के वालिद मोहतरम (हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ)) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे और हज़रत मुआज़(ﷺ) को यमन की तरफ़ (मुबल्लिग़ और अमीर बनाकर) भेजा। हज़रत मुआज़ ने कहा:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

आप हमें ऐसे इलाक़े की तरफ़ भेज रहे हैं जहाँ के लोग बहुत क़िस्म के मशरूब पीते हैं। मैं कौन सा मशरूब पियूँ? आपने फ़रमाया: 'जो चाहे पी लो मगर नशावर मशरूब न पीना।'

أَنَا وَمُعَاذٌ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذٌ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا إِلَى أَرْضٍ كَثِيرٌ شَرَابُ أَهْلِهَا فَمَا أَشْرَبُ قَالَ " اشْرَبْ وَلاَ تَشْرَبْ مُسْكِرًا " .

(5599) तख़रीज : (सनद सही) दारमी, हदीस: 2104, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5106, पिछली हदीस देखें.

(5600) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नशे वाली चीज़ हराम है।'

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ مُوسَى الْبَلْخِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ الأَيَامِيُّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .

(5600) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/415, 416, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5107.

(5601) हज़रत अस्वद बिन शैबान सदूसी ने कहा कि हज़रत अता से एक आदमी ने पूछा: हम लम्बे लम्बे सफ़र करते हैं तो बाज़ारों में हमारे सामने बहुत से मशरूब आते हैं। हमें इल्म नहीं होता कि वह किस बर्तन में बनाया गया? हज़रत अता ने फ़रमाया: हर नशावर मशरूब हराम है। वह दोबारा वही सवाल करने लगा तो उन्होंने फिर फ़रमाया: हर नशावर मशरूब हराम है। वह फिर सवाल दोहराने लगा तो उन्होंने कहा: जवाब वही है जो मैं तुझे दे चुका।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ أَنْبَأَنَا الأَسْوَدُ بْنُ شَيْبَانَ السَّدُوسِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ عَطَاءً، سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّا نَرْكَبُ أَسْفَارًا فَتَبْرُزُ لَنَا الأَشْرِبَةُ فِي الأَسْوَاقِ لاَ نَدْرِي أَوْعِيَتَهَا . فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ . فَذَهَبَ يُعِيدُ فَقَالَ هُوَ مَا أَقُولُ لَكَ .

(5601) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5108.

फ़ायदा : हज़रत अता का मक़सूद ये था कि बर्तन किसी चीज़ को हराम या हलाल नहीं करता। अगर मशरूब नशावर हो तो वह जिस बर्तन में भी बनाया गया हो, हराम है और अगर उसमें नशा नहीं तो हलाल है, ख़्वाह किसी बर्तन में तैयार किया गया हो।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

(5602) हज़रत इब्ने सीरीन ने फ़रमाया: हर नशावर चीज़ हराम है (मशरूब (पीने वाली) हो या मतऊम (खाने वाली))

(5602) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5109.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الطُّفَيْلِ الْجَزَرِيِّ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لاَ تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلاَءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

(5603) हज़रत अब्दुल मलिक बिन तुफ़ैल जज़री से मन्क़ूल है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज (رحمه الله) (ख़लीफ़-ए-राशिद) ने हमें लिखा कि तलाअ न पियो यहाँ तक कि दो तिहाई ख़ुश्क होकर एक तिहाई रह जाये और हर नशावर चीज़ हराम है।

(5603) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5110.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الصَّعْقِ بْنِ حَزْنٍ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى عَدِيِّ بْنِ أَرْطَاةَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

(5604) हज़रत सअक़ बिन हज़न से मन्क़ूल है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अदी बिन अरतात को लिखा कि हर नशावर चीज़ हराम है।

(5604) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5111.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَرِيشُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .

(5605) हज़रत अबू मूसा अशअरी (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नशे वाली चीज़ हराम है।'

(5605) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5600, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5112.

बाब : (24) बित्आ और मिज़्र की तफ़्सीर

باب(۲۴): تَفْسِيرِ الْبِتْعِ وَالْمِزْرِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَجْلَحِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً فَمَا أَشْرَبُ وَمَا أَدَعُ قَالَ " وَمَا هِيَ " . قُلْتُ الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ . قَالَ " وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ " . قُلْتُ أَمَّا الْبِتْعُ فَنَبِيذُ الْعَسَلِ وَأَمَّا الْمِزْرُ فَنَبِيذُ الذُّرَةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لاَ تَشْرَبْ مُسْكِرًا فَإِنِّي حَرَّمْتُ كُلَّ مُسْكِرٍ " .

(5606) हज़रत मूसा (ﷺ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे यमन की तरफ़ (मुबल्लिग़ और अमीर बनाकर) भेजा। मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! वहाँ कई क़िस्म के मशरूब इस्तेमाल होते हैं। मैं उनमें से कौन सा पियूँ, कौन सा तर्क करूँ? आपने फ़रमाया: जैसे: 'वह कौन कौन से हैं?' मैंने कहा: बित्आ और मिज़्र। आप ने फ़रमाया: 'ये क्या होते हैं? मैंने कहा: बित्आ तो शहद की नबीज़ होती है और मिज़्र मकई की नबीज़ होती है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'कोई नशावर मशरूब न पीना क्योंकि मैं हर नशावर मशरूब को हराम क़रार दे चुका हूँ।'

(5606) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 4/403, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5113.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) ख़ुद यमनी थे, लिहाज़ा इस इलाक़े के मशरूबात को ख़ूब जानते थे। (2) हर इलाक़े के खाने और मशरूब अलग अलग होते हैं। दूसरे इलाक़े के लोग उनसे वाक़िफ़ नहीं होते, इसलिये रसूलुल्लाह (ﷺ) को उनसे बित्आ और मिज़्र के बारे में पूछना पड़ा क्योंकि हर इलाक़े की इस्तेलाहात अपनी होती हैं। ये कोई क़ाबिले ऐतराज़ बात नहीं। (3) 'मिज़्र' के मानी मकई और जौ की शराब के किये गये हैं। शरह मुस्लिम में इमाम नववी (رحمه الله) फ़रमाते हैं कि गन्दूम से भी ये शराब बनाई जाती है। (4) 'हराम क़रार दे चुका हूँ' यानी अल्लाह तआला के हुक्म से क्योंकि हिल्लत व हुर्मत का इख़्तियार अल्लाह तआला ही को है। वह्ये जली के ज़रिये से बताये या वह्ये ख़फ़ी के ज़रिये से।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله

(5607) हज़रत अबू बुर्दा के वालिद मोहतरम (हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ)) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे यमन की तरफ़ भेजा तो मैंने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! यमन में कई क़िस्म

عليه وسلم إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بِهَا أَشْرِبَةً يُقَالُ لَهَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ قَالَ " وَمَا الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ " . قُلْتُ شَرَابٌ يَكُونُ مِنَ الْعَسَلِ وَالْمِزْرُ يَكُونُ مِنَ الشَّعِيرِ . قَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .

के मशरूब हैं जिन्हें बित्आ और मिज़्र कहा जाता है। आपने फ़रमाया: 'बित्आ और मिज़्र क्या हैं?' मैंने अ़र्ज़ किया: बित्आ तो ऐसा मशरूब है जो शहद से तैयार किया जाता है और मिज़्र जौ से। आपने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम है।'

(5607) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 4343, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5114.

फ़ायदा : 'मिज़्र' जवार के अ़लावा जौ यहाँ तक कि गन्दूम से भी तैयार किया जाता था, लिहाज़ा ये तनाकुज़ नहीं। ये एक क़िस्म की नबीज़ होती थी।

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ آيَةَ الْخَمْرِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ الْمِزْرَ قَالَ " وَمَا الْمِزْرُ " . قَالَ حَبَّةٌ تُصْنَعُ بِالْيَمَنِ . فَقَالَ " تُسْكِرُ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .

(5608) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ख़ुत्बा इरशाद फ़रमाया तो शराब (की हुर्मत) वाली आयत पढ़ी। एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मिज़्र के बारे में क्या ख़्याल है? आपने फ़रमाया: 'मिज़्र क्या होता है?' उसने कहा: यमन में ग़ल्ले की किसी क़िस्म से तैयार किया जाता है। आपने फ़रमाया: 'उसमें नशा होता है?' उसने कहा: हाँ। आपने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम है।'

(5608) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5115.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَسُئِلَ، فَقِيلَ لَهُ أَفْتِنَا فِي الْبَاذَقِ . فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ .

(5609) हज़रत अबुल जुवैरिया ने कहा: मैंने सुना कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से पूछा गया: बाज़क़ के बारे में फ़तवा दीजिये। उन्होंने फ़रमाया: हज़रत मुहम्मद (ﷺ) बाज़क़ से पहले तशरीफ़ ले गये और (याद रखो) जो चीज़ नशावर है, हराम है।

(5609) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5598, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5116.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीस़ स़रीह दलील है कि वह शराब जिसे बाज़क़ का नाम दिया जाता है उसका पीना हराम है। बाज़क़ कहते हैं अंगूरों का निचोड़ और शीरा ज़िसे मामूली सा जोश दे कर हल्का सा पका लिया जाये। इस तरह उसका नशा शदीद हो जाता है। (2) ये हदीसे मुबारका हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास (ﷺ) की अ़ज़ीम फ़ुक़ाहत की दलील है कि उन्होंने साइल को इन्तेहाई मुख़्तस़र मगर निहायत बलीग़ व जामेअ़ जवाब दिया। बाद में उन्होंने उसके सामने ये उस़ूल बयान फ़रमा दिया कि जो चीज़ नशावर हो वह हराम है। ये बिऐनिही इसी तरह की बात है जैसे मुख़्तस़र बात रसूलुल्लाह (ﷺ) ने बयान फ़रमाई थी। (3) 'तशरीफ़ ले गये' यानी नबी-ए-अकरम (ﷺ) के दौर में तो नहीं थी, न आप उसे जानते थे मगर आपने ज़ाब्ता बयान फ़रमा दिया है कि हर नशावर चीज़ हराम है। (4) ये तक़रीबन पैंतीस रिवायात हैं जिनसे ये बात मालूम होती है और मुस़न्निफ़ का मक़सूद भी यही है कि शराब की हुर्मत की वजह नशा है, लिहाज़ा जिस चीज़ में नशा पाया जायेगा वह शराब की तरह क़तअ़न हराम है। क़लील भी और कस़ीर भी। और ये बात उ़र्फ़न, अ़क़्लन, और शरअ़न बिल्कुल वाज़ेह है। और यही मस्लक है जुम्हूर अहले इल्म और स़हाबा व ताबेईन का। मगर अहनाफ़ को ये सीधी सादी बात समझ में नहीं आती और वह भूल भूलेयों में पड़ गये, हालांकि अहनाफ़ क़यास के सबसे बड़े दाई हैं और वह ये भी मानते हैं कि शराब की हुर्मत की क़तई वजह नशा है। तो फिर क्या वजह है कि किसी और चीज़ में नशा पाया जाये तो वह शराब की तरह हराम न हो? शराब तो क़लील भी हराम और कस़ीर भी लेकिन दूसरी नशावर चीज़ें नशे से कम कम हलाल? क्या इसकी कोई अ़क़्ली या शरई तौजीह की जा सकती है? हरगिज़ नहीं, ख़ुस़ूस़न क़यास के दाई तो ऐसा नहीं कर सकते जब कि बेशुमार अहादीस़ भी स़राहतन इस तफ़रीक़ के ख़िलाफ़ हैं। यही बात समझने के लिये मुस़न्निफ़ (رحمه الله) ने आइन्दा बाब भी क़ाइम फ़रमाया जिस में ये मसला स़राहतन ज़िक्र फ़रमाया। अल्लाह तआ़ला हिदायत दे। आमीन!

बाब : (25) जो मशरूब ज़्यादा पीने से नशा आता हो, उसे पीना मुत्लक़न हराम है

تَحْرِيمِ كُلِّ شَرَابٍ أَسْكَرَ كَثِيرُهُ

(5610) हज़रत अ़म्र बिन शुऐब के परदादा मोहतरम (हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र (ﷺ)) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जिस मशरूब का ज़्यादा पीना नशावर हो, उसको थोड़ा पीना भी हराम है।'

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، - يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ - عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ " .

(5610) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने माजा, हदीस़: 3394, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5117.

फ़ायदा : अहनाफ़ का ख़्याल है कि ख़म्र तो क़लील भी हराम है और कसीर भी, मगर दूसरे नशावर मशरूब नशे की हद से कम कम पिये जा सकते हैं। ये हदीस़ उनकी तर्दीद करती है। अहनाफ़ के नज़दीक ख़म्र किसे कहते हैं? ये बहस़ पीछे गुज़र चुकी है।

(5611) हज़रत सअ़द (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया 'मैं तुम्हें वह चीज़ मामूली सी पीने से भी रोकता हूँ जिसे ज़्यादा पीने से नशा आता है (और कम पीने से नशा नहीं होता)'

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَخْلَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ الْحَكَمِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَنْهَاكُمْ عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ " .

(5611) तख़रीज : (सनद हसन) इब्ने अल जारूद फ़िल्मुन्तका, हदीस़: 862, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5118, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1386, व इब्ने अल मुलक्क़िन फ़ी तोहफ़तिल मोहताज़, हदीस़: 1602.

(5612) हज़रत सअ़द (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उस चीज़ को थोड़ा पीने से मना किया है जिसे ज़्यादा पीना नशावर हो।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الأَشَجِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ قَلِيلِ مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ .

(5612) तख़रीज : (सनद हसन) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5119.

(5613) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने फ़रमाया: मुझे इल्म था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रोज़ा रखा हुआ है तो मैंने आपकी इफ़्तारी के लिये कद्दु के बर्तन में नबीज़ तैयार कर के एक तरफ़ रख छोड़ी। फिर इफ़्तारी के वक़्त मैं वह नबीज़ लेकर आपके पास हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमाया: 'मेरे) क़रीब करो' मैंने वह आपके क़रीब की तो वह जोश मार रही थी। आपने फ़रमाया: 'इसे इस दीवार पर दे मारो। इस क़िस्म की नबीज़ तो वह लोग पीते हैं जो अल्लाह तआला और आख़िरत को नहीं मानते।'

أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَصُومُ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ لَهُ فِي دُبَّاءٍ فَجِئْتُهُ بِهِ فَقَالَ " أَدْنِهِ " . فَأَدْنَيْتُهُ مِنْهُ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ " اضْرِبْ بِهَذَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ

" . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِ السُّكْرِ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ وَلَيْسَ كَمَا يَقُولُ الْمُخَادِعُونَ لأَنْفُسِهِمْ بِتَحْرِيمِهِمْ آخِرِ الشَّرْبَةِ وَتَحْلِيلِهِمْ مَا تَقَدَّمَهَا الَّذِي يُشْرَبُ فِي الْفَرَقِ قَبْلَهَا وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ السُّكْرَ بِكُلِّيَّتِهِ لاَ يَحْدُثُ عَلَى الشَّرْبَةِ الآخِرَةِ دُونَ الأُولَى وَالثَّانِيَةِ بَعْدَهَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई) (رحمه الله) ने फ़रमायाः इस हदीस़ में दलील है कि नशावर चीज़ क़लील भी हराम है कस़ीर भी, न कि जिसे अपने आप को धोखा देने वाले लोग कहते हैं कि आख़री घूंट जिससे नशा आया, हराम है। पहले घूंट हलाल हैं, ख़्वाह वह एक फ़रक़ पी ले, हालांकि अहले इल्म इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि नशा स़िर्फ़ आख़री घूंट से ही पैदा नहीं होता बल्कि पहले घूंट भी नशे वाले ही हैं। अल्लाह तआ़ला ही तौफ़ीक़ देने वाला है।

(5613) तख़रीज : (सनद स़ही) अबू दाऊदः 3716, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 5120, दारकुतनीः 4/252.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस़ से मालूम हुआ कि नशावर तआ़म व शराब को ज़ाया करना ज़रूरी है यहाँ तक कि अगर कोई शख़्स़ किसी मुसलमान की मिल्कियत नशावर चीज़ को इस तरह ज़ाया कर दे तो उस पर कोई तावान वग़ैरह नहीं। किसी भी मुसलमान शख़्स़ के यहाँ नशावर चीजों की कोई वक़अत और उनका कोई एहतिराम नहीं होना चाहिए। सारी की सारी नशावर चीज़ और हर क़िस्म की मुनश्शियात हराम हैं। (2) कुछ आ़माल ईमाने कामिल के मुनाफ़ी हैं, इसलिये उनसे बचना चाहिए। (3) इमाम स़ाहिब (رحمه الله) का मक़सद ये है कि अगर नशावर नबीज़ थोड़ी मिक़्दार में पीने जायज़ होती तो आप एक घूंट से रोज़ा इफ़्तार कर लेते और बाक़ी वापस कर देते ताकि कोई दूसरा शख़्स़ भी थोड़ी सी पी सके, जबकि आपने तो सारी ज़ाया करने का हुक्म दिया। स़ाबित हुआ नशावर मशरूब का एक घूंट भी जायज़ नहीं, ख़्वाह वह कोई सा भी मशरूब हो और ये बिल्कुल स़ही इस्तेदलाल है। (4) 'जोश मार रही थी' यानी उसमें नशे की अ़लामात थीं। (5) 'नहीं मानते' यानी ये काफ़िरों का मशरूब है मुसलमानों का नहीं। ये मतलब नहीं कि जो पियेगा, काफ़िर हो जायेगा, जैसे रेशम के बारे में गुज़रा। (6) 'धोखा देने वाले' मुराद अहनाफ़ हैं। और धोखा ये है कि शराब को दूसरे नामों से पी लेते हैं और समझते हैं कि हम ने शराब नहीं पी। (7) 'फ़रक़' तीन स़ाअ़ को कहते हैं। ये बतौर मुबालिग़ा फ़रमाया वरना बैक वक़्त इतनी पीनी मुमकिन नहीं। (8) 'आख़री घूंट से' इमाम स़ाहिब का मक़सूद ये है कि ये अपने आपको धोखा देने वाली बात है कि 'स़िर्फ़ वह घूंट हराम है जिस से नशा पैदा हुआ। पहले घूंट नशावर नहीं थे' जब कि मशरूब एक ही है। जब उसका आख़री घूंट नशावर है तो पहले क्यूँ नहीं? और अगर वह पहले घूंट न पीता तो क्या स़िर्फ़ उस घूंट से नशा आता? ज़ाहिर है कि वह सारा मशरूब नशावर है। इतनी बात है कि

नशे का इज़्हार आख़री घूंट पर हुआ, यानी ज़्यादा पीने से हुआ और शराब (जिसे हनफ़ी भी ख़म्र कहते हैं) भी ऐसे ही है। इसका एक घूंट पीने से नशा महसूस नहीं होता। नशा ज़्यादा पीने से ही होगा। तो आख़िर किस अक़्ली व शरई इल्लत की बिना पर शराब और दूसरे नशावर मशरूब में फ़र्क़ किया गया?

बाब : (26)
जिआ नबीज़ हराम है और ये मशरूब जौ से तैयार किया जाता है

النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الْجِعَةِ، وَهُوَ شَرَابٌ يُتَّخَذُ مِنَ الشَّعِيرِ

(5614) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने मुझे सोने की अंगूठी, क़स्सी (रेशमी) कपड़े, सुर्ख़ रेशमी गदीले और जौ की नबीज़ से मना फ़रमाया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ صُوحَانَ، عَنْ عَلِيٍّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ قَالَ نَهَانِي النَّبِيُّ ﷺ عَنْ حَلْقَةِ الذَّهَبِ وَالْقَسِّيِّ وَالْمِيثَرَةِ وَالْجِعَةِ .

(5614) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5171, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5121.

फ़ायदा : 'मना फ़रमाया' क़लील व कसीर का फ़र्क़ नहीं फ़रमाया जबकि ये मशरूब जौ से तैयार होता है। और अहनाफ़ के नज़दीक इस मशरूब को नशे से कम कम पीना जायज़ है। क्या ये सरीह हदीस की सरीह मुख़ालिफ़त नहीं?

(5615) हज़रत सअसआ ने हज़रत अली बिन अबी तालिब (ﷺ) से कहा: ऐ अमीरुल मोमिनीन! हमें उस चीज़ से मना फ़रमाइये जिस से रसूलुल्लाह (ﷺ) ने आपको रोका हो। उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुझे कद्दु के बर्तन और मटके (में नबीज़ वग़ैरह बनाने) से मना फ़रमाया।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، - وَهُوَ ابْنُ سُمَيْعٍ -قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ عُمَيْرٍ، قَالَ قَالَ صَعْصَعَةُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ انْهَنَا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا نَهَاكَ عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ . قَالَ نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ

(5615) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5174, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5122.

फ़ायदा : ये मनाही पहले थी बाद में आपने इजाज़त फ़रमा दी कि बर्तन किसी चीज़ को हलाल या हराम नहीं करता, अलबत्ता नशे से बचो। इस हदीस की मुताल्लिक़ा बाब से कोई मुनासिबत नहीं मगर ये कि साबिक़ा हदीस का टुकड़ा हो।

बाब : (27) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के लिये किस चीज़ में नबीज़ बनाई जाती थी?

ذِكْرِ مَا كَانَ يُنْبَذُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِيهِ

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ . ذِكْرُ الأَوْعِيَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنْ الاِنْتِبَاذِ فِيهَا دُونَ مَا سِوَاهَا مِمَّا لاَ تَشْتَدُّ أَشْرِبَتُهَا كَاشْتِدَادِهِ فِيهَا

(5616) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) के लिये पत्थर के कूण्डे में नबीज़ बनाई जाती थी।

(5616) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस:61/1999, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5123.

फ़ायदा : नबीज़ किसी भी बर्तन में बनाई जा सकती है बशर्ते कि नशा पैदा न हो। वैसे उन बर्तनों से परहेज़ करना चाहिए जिन में जल्दी नशा पैदा होता हो।

उन बर्तनों का तफ़्सीली ज़िक्र जिनमें नबीज़ बनाना मना है

ذِكْرِ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي نُهِيَ عَنِ الْاِنْتِبَاذِ فِيهَا دُونَ مَا سِوَاهَا مِمَّنْ لَّا يَشْتَدُّ أَشْرِبَتُهَا كَاشْتِدَادِهِ فِيهَا

बाब : (28) ख़ालिस मिट्टी के मटके में नबीज़ बनाने की मुमानिअत

النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، مُفْرَدًا

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عُمَرَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ . قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ .

(5617) हज़रत ताऊस से रिवायत है कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से पूछा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मटके की नबीज़ से मना फ़रमाया है? उन्होंने फ़रमाया: हाँ। हज़रत ताऊस ने कहा: अल्लाह की क़सम! मैंने ये (अल्फ़ाज़) उन (हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ)) से सुने हैं।

(5617) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 50/1997, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5124.

फ़ायदा : यहाँ अगरचे मुत्लक़ मटके का ज़िक्र किया गया है मगर दीगर रिवायात में ये क़ैद भी है कि जिस मटके पर तारकोल या रौग़न लगा कर उसके मसाम बन्द कर दिये गये हों। तफ़्सील मुलाहिज़ा फ़रमाइये: (अहादीस: 5550, 5615, 5616)

(5618) हज़रत ताऊस कहते हैं कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) के पास आकर कहा: क्या रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मटके की नबीज़ से मना फ़रमाया है? उन्होंने कहा: हाँ। (एक रावी) इब्राहीम बिन मैसरा ने अपनी हदीस में कद्दू के बर्तन का भी ज़िक्र किया है।

أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالاَ سَمِعْنَا طَاوُسًا، يَقُولُ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ قَالَ نَعَمْ . زَادَ إِبْرَاهِيمُ فِي حَدِيثِهِ وَالدُّبَّاءِ .

(5618) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 2/115, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5125.

(5619) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मटके में बनाई गई नबीज़ के इस्तेमाल से मना फ़रमाया है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ .

(5619) तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 1/228, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5126.

(5620) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हन्तम (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया है। (जबला बिन सुहैम ने कहा:) मैंने पूछा कि हन्तम क्या होता है? उन्होंने फ़रमाया: मिट्टी का मटका।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، قَالَ حَدَّثَنَا أُمَيَّةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ قُلْتُ مَا الْحَنْتَمُ قَالَ الْجَرُّ

(5620) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 56/1997, देखें, हदीस: 5617, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5127.

फ़ायदा : इस रिवायत की सनद में इब्ने उमर (ﷺ) से बयान करने वाले रावी का नाम 'ख़ालिद बिन सुहैम' ज़िक्र किया गया है जो कि ग़लत है। सही 'जबला बिन सुहैम' है। (ज़ख़ीरतुल उक़्बा शरह सुनन नसाई: 40/207)

(5621) हज़रत अब्दुल अज़ीज़ बिन असीद ताही बसरी ने फ़रमाया: हज़रत (अब्दुल्लाह) इब्ने ज़ुबैर (ﷺ) से मटके की नबीज़ के बारे में

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي مَسْلَمَةَ،

قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الْعَزِيزِ، - يَعْنِي ابْنَ أَسِيدٍ الطَّاحِيَّ بَصْرِيٌّ - يَقُولُ سُئِلَ ابْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، قَالَ نَهَانَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

पूछा गया तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हमें इससे रोका था।

(5621) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 4/3, 5, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5128.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مَنْجُوفٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ سَمِعْتُ الْيَوْمَ شَيْئًا عَجِبْتُ مِنْهُ . قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ . قُلْتُ مَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَىْءٍ مِنْ مَدَرٍ .

(5622) हज़रत सईद बिन जुबैर से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हम ने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मटके की नबीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे हराम क़रार दिया है। फिर मैं हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) के पास हाज़िर हुआ और कहा कि मैंने आज एक ऐसी बात सुनी है जिस पर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ है। उन्होंने कहा: वह क्या बात है? मैंने कहा: मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मटके की नबीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने उसे हराम क़रार दिया है। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने सच फ़रमाया। मैंने कहा: जी! मटके से क्या मुराद है? उन्होंने फ़रमाया: मिट्टी से बना हुआ हर बर्तन।

(5622) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 47/1997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5129.

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَسُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَقَالَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . وَشَقَّ عَلَىَّ لَمَّا سَمِعْتُهُ فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ إِنَّ ابْنَ

(5623) हज़रत सईद बिन जुबैर ने कहा कि मैं हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) के पास बैठा था कि उनसे मटके की नबीज़ के बारे में पूछा गया। उन्होंने फ़रमाया: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने इसे हराम क़रार दिया है। मैंने ये बात सुनी तो ये मुझे बहुत शाक़ गुज़री। मैं हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और कहा कि हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) से एक मसला पूछा गया तो मैं उनके

عُمَرَ سُئِلَ عَنْ شَىْءٍ فَجَعَلْتُ أُعَظِّمُهُ . قَالَ مَا هُوَ قُلْتُ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ . فَقَالَ صَدَقَ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قُلْتُ وَمَا الْجَرُّ قَالَ كُلُّ شَىْءٍ صُنِعَ مِنْ مَدَرٍ .

जवाब पर बहुत हैरान हुआ हूँ। फ़रमाने लगे: वह क्या मसला था? मैंने कहा: उनसे मटके की नबीज़ के बारे में पूछा गया था। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने इसे हराम क़रार दिया है। मैंने कहा: मटके से क्या मुराद है? उन्होंने फ़रमाया: मिट्टी से बना हुआ हर बर्तन।

(5623) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5130, पिछली हदीस़ देखें.

باب(۲۹): الْجَرِّ الأَخْضَرِ

बाब : (29) सब्ज़ मटके का बयान

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ . قُلْتُ فَالأَبْيَضُ قَالَ لاَ أَدْرِي .

(5624) हज़रत इब्ने अबी औफ़ा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सब्ज़ मटके की नबीज़ से मना फ़रमाया है। मैंने कहा: सफ़ेद मटका (जायज़ है?) उन्होंने फ़रमाया: मैं नहीं जानता।

(5624) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 5596, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5131.

फ़ायदा : सब्ज़ मटके से मुराद वह मटका है जिसे रौग़न लगा कर मसाम बन्द कर दिये गये हों। ऐसे मटके में नबीज़ बनाई जाये तो जल्दी नशा पैदा होने का ख़तरा होता है, इसलिये इससे मना फ़रमाया गया। स़हीह बुख़ारी में (हदीस़: 5596) में लफ़्ज़ 'ला' के साथ रिवायत मन्क़ूल है, यानी जवाबन उन्होंने फ़रमाया कि सफ़ेद मटके में भी जायज़ नहीं, जबकि मज़्कूरा रिवायत में 'ला' के साथ 'अदरी' का भी इज़ाफ़ा है जो शैख़ अल्बानी (رحمه الله) के नज़दीक शाज़ है।

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ الأَخْضَرِ وَالأَبْيَضِ .

(5625) हज़रत इब्ने अबी औफ़ा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने सब्ज़ और सफ़ेद मटके की नबीज़ से मना फ़रमाया है।

(5625) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखिये, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5132, पिछली हदीस़ देखें.

फायदा : 'सफ़ेद मटके' के अल्फ़ाज़ मुद्‌रज हैं।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، أَحَرَامٌ هُوَ قَالَ حَرَامٌ قَدْ حَدَّثَنَا مَنْ لَمْ يَكْذِبْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نَبِيذِ الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ .

(5626) हज़रत अबू रजाअ से मन्क़ूल है कि मैंने हज़रत हसन बस़री से मटके की नबीज़ के बारे में पूछा: क्या वह हराम है? उन्होंने कहा कि हराम है। मुझे उस शख़्स ने बयान किया जिसने झूठ नहीं बोला कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने (रौग़नी) मटके, कद्दु के बर्तन, तारकोल लगे हुये मटके और खजूर की जड़ से बनाये गये बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया है।

(5626) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5133.

النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ

बाब : (30) कद्दु के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ .

(5627) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया है।

(5627) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 53/1997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5134.

फ़ायदा : बड़ा कद्दु सूख जाये तो उसको अन्दर से साफ़ कर लिया जाता है। उसका छिलका बड़ा सख़्त हो जाता है और वह बर्तन जैसा बन जाता है। अहले जाहिलियत इसमें शराब बनाते थे क्योंकि मसाम न होने की वजह से इसमें ख़ूब नशा पेदा होता था। शराब हराम हूई तो आपने शराब के बर्तनों से भी मना फ़रमा दिया मगर बाद में बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी, अलबत्ता नशा पैदा नहीं होना चाहिए। एहतियात यही है कि ऐसे बर्तन नबीज़ के लिये इस्तेमाल न किये जायें।

أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ، قَالَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ .

(5628) हज़रत इब्ने उमर (رضي الله عنه) से मन्क़ूल है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन से मना फ़रमाया है।

(5628) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, मुस्लिम; 52/1997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5135.

बाब : (31)
कद्दु के बर्तन और तारकोल लगे बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानिअत

باب : (٣١)
النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ . وَالْمُزَفَّتِ

(5629) हज़रत आयशा (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमायाः रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन और तारकोल लगे हुये बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया है।

(5629) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिमः 36/1995, बुख़ारी, हदीसः 5595, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 5136.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَحَمَّادٍ، وَسُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

(5630) हज़रत अली (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन और तारकोल लगे हुये बर्तन (के नबीज़) से मना फ़रमाया है।

तख़रीजः(सनद सही) बुख़ारीः 5594, मुस्लिमः 34/1994, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 5137.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ .

(5631) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यअमर (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन और तारकोल मले हुये बर्तन से मना फ़रमाया है।

(5631) **तख़रीज : (सनद सही)** इब्ने माजा, हदीसः 3404, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 5138.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، .

(5632) हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) ने बताया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन और तारकोल लगे हुये बर्तन में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया है।

(5632) **तख़रीज : (सनद सही)** मुस्लिम, हदीसः 1992, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाईः 5139.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا .

(5633) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन और तारकोल लगे हुये बर्तन में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया है।

(5633) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 1993, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5140.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْمُزَفَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِمَا .

(5634) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तारकोल लगे हुये बर्तन और कद्दु के बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया।

(5634) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 49/1997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5141.

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ .

बाब : (32) कद्दु के बर्तन, रौग़नी मटके और खजूर की जड़ से बनाये गये बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानिअत

ذِكْرِ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ

(5635) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन, रौग़नी मटके और खजूर की जड़ से बनाये गये बर्तन में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया।

(5635) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 58/1997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5142.

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ فَرْوَةَ، - يُقَالُ لَهُ ابْنُ كُرْدِيٍّ بَصْرِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدًا، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ .

फ़ायदा : खजूर की जड़ को अन्दर से कुरेद कुरेद कर बर्तन की सूरत दी जाती है। इसे नक़ीर कहा जाता था। ये बर्तन भी शराब बनाने के लिये इस्तेमाल किया जाता था। इसमें मसाम नहीं होते थे, लिहाज़ा नशा जल्दी पैदा होता था। शराब की हुर्मत के साथ इन बर्तनों से भी रोक दिया गया मगर बाद में इस बर्तन की इजाज़त दे दी गई। (देखिये, रिवायत: 5550)

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ .

(5636) हज़रत अबू सईद ख़ुदरी (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने रौग़नी मटके, कद्दु के बर्तन और खजूर की जड़ से बनाये गये बर्तन में बनाई गई नबीज़ पीने से मना फ़रमाया।

(5636) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 45/1996, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5143.

फ़ायदा : मुबादा इसमें नशा हो मगर हल्का होने की वजह से महसूस न हो। ये हुक्म इब्तेदा में था जब लोग शराब के रसिया थे और उन्हें शराब से रोक दिया गया था। मामूली नशा उनको महसूस नहीं होता था। बाद में जब नशे वाली बात पुरानी हो गई तो इन बर्तनों में नबीज़ की इजाज़त दे दी गई, बशर्ते कि इसमें नशा न हो। ये जुम्हूर अहले इल्म का मस्लक है।

باب(٣٣): النَّهْيُ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ

बाब : (33)
कद्दु के बर्तन, रौग़नी मटके और तारकोल लगे हुये बर्तन की नबीज़ की मुमानिअ़त

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَارِبٍ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ .

(5637) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन, रौग़नी मटके और तारकोल लगे हुये बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया।

(5637) तख़रीज : (सनद स़ही) मुस्लिम, हदीस़: 54/1997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5144.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجِرَارِ وَالدُّبَّاءِ وَالظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ .

(5638) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने बयान फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मटकों, कद्दु के बर्तन और तारकोल मले हुये बर्तनों से मना फ़रमाया।

(5638) तख़रीज : (सनद स़ही) इब्ने माजा, हदीस़: 3408, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5145, इब्ने अबी कसीर: 3/36.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ صَالِحٍ الْبَارِقِيِّ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ نَصْرٍ، وَجُمَيْلَةَ بِنْتِ عَبَّادٍ، أَنَّهُمَا سَمِعَتَا عَائِشَةَ، قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ شَرَابٍ صُنِعَ فِي دُبَّاءٍ أَوْ حَنْتَمٍ أَوْ مُزَفَّتٍ لاَ يَكُونُ زَيْتًا أَوْ خَلاًّ .

(5639) हज़रत आयशा (ﷺ) ने फ़रमाया कि मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को ऐसा मशरूब पीने से मना फ़रमाते सुना जो कद्दु के बर्तन या रौग़नी मटके या तारकोल लगे हुये बर्तन में तैयार किया गया हो, अलावा ज़ेतून के तेल और सिरके के।

(5639) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5146.

फ़ायदा : 'अलावा ज़ेतून के तेल के' ये बात याद रहे कि तेल, ख़्वाह ज़ेतून का हो या किसी और चीज़ का किसी भी बर्तन में हो, इस्तेमाल हो सकता है क्योंकि तेल में नशा पैदा होने का इम्कान नहीं। इसी तरह सिरका वग़ैरह क्योंकि मनाही की वजह तो नशा है जो इसमें पैदा नहीं होता।

باب : (٣٤)
ذِكْرِ النَّهْيِ عَنْ نَبِيذِ الدُّبَّاءِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُقَيَّرِ، وَالْحَنْتَمِ

बाब : (34)
कद्दु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, तारकोल लगे बर्तन और रौग़नी मटके की नबीज़ पीने की मुमानिअत

أَخْبَرَنَا قُرَيْشُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ .

(5640) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन, रौग़नी मटके, खजूर की जड़ के बर्तन और तारकोल लगे बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया।

(5640) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5148.

फ़ायदा : तफ़्सील देखिये, हदीस: 5550.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ حَزْنٍ الْقُشَيْرِيُّ، قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَتْ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ

(5641) हज़रत सुमामा बिन हज़्न क़ुशैरी से रिवायत है कि मैं हज़रत आयशा (ﷺ) को मिला तो मैंने उनसे नबीज़ के बारे में पूछा। उन्होंने फ़रमाया: क़बील-ए-अब्दुल क़ैस का वफ़्द रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلُوهُ فِيمَا يَنْبِذُونَ فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَنْبِذُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالْحَنْتَمِ .

उन्होंने आपसे पूछा कि वह किस बर्तन में नबीज़ बनायें? नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने उन्हें कद्दु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, तारकोल लगे हुये बर्तन और रौग़नी मटके में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया।

(5641) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 37/1995, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5147.

फ़ायदा : वफ्दे अब्दुल क़ैस की ये पहली आमद है जो 3 हिजरी के आख़िर या 4 हिजरी के शुरू में हूई क्योंकि इसमें कुरैश की रुकावट का ज़िक्र है। दूसरी आमद तो 9 हिजरी में हूई थी। उस वक़्त तक मक्का फ़तह हो चुका था और कुरैश की रुकावट ख़त्म हो चुकी थी। पहली आमद जंगे उहुद के बाद क़रीबी दौर में हूई और ये दौर शराब की हुर्मत का ताज़ा दौर था। इस दौर में शराब के साथ साथ शराब वाले बर्तन भी ममनूअ फ़रमा दिये गये थे ताकि शराब की तरफ़ ज़हन न जाये। बाद में जब शराब इस्लामी मुआशरे में भूली बिसरी हो गई तो उन बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त भी दे दी गई, अलबत्ता चूंकि ये बर्तन मसाम बन्द होने की वजह से नशा पैदा होने में मुमिद्द हैं, लिहाज़ा नबीज़ बनाने के लिये उनसे एहतिराज़ बेहतर है। ताहम जब तक नशा पैदा न हो, इन बर्तनों की नबीज़ हराम नहीं होगी, क्योंकि बर्तन किसी चीज़ को हलाल या हराम नहीं कर सकता।

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، رضى الله عنها قَالَتْ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، بِذَاتِهِ .

(5642) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) ने फ़रमाया: कद्दु के बर्तन में ज़ाती तौर पर नबीज़ बनाने से रोका गया है।

(5642) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 38/1995, पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5149.

फ़ायदा : 'ज़ाती तौर पर' यानी ख़ुसूसन इसमें नशे का इम्कान ज़्यादा है। या मानी ये भी हो सकता है कि कद्दु के बर्तन में नबीज़ बनाने की मुमानिअत नशे की बिना पर नहीं बल्कि कद्दु का बर्तन होने की वजह से है, यानी हर हाल में मना है। लेकिन ये मानी दीगर अहादीस की बिना पर मर्जूह हैं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ إِسْحَاقَ، - وَهُوَ ابْنُ سُوَيْدٍ - يَقُولُ حَدَّثَتْنِي مُعَاذَةُ، عَنْ عَائِشَةَ،

(5643) हज़रत आयशा (رضي الله عنها) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने खजूर की जड़ के बर्तन, तारकोल लगे बर्तन, कद्दु के बर्तन और रौग़नी मटके में नबीज़ बनाने से मना फ़रमाया। ये इब्ने

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ نَبِيذِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ . فِي حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ قَالَ إِسْحَاقُ وَذَكَرَتْ هُنَيْدَةُ عَنْ عَائِشَةَ مِثْلَ حَدِيثِ مُعَاذَةَ وَسَمَّتِ الْجِرَارَ . قُلْتُ لِهُنَيْدَةَ أَنْتِ سَمِعْتِيهَا سَمَّتِ الْجِرَارَ قَالَتْ نَعَمْ .

उलय्या की रिवायत में है।

इस्हाक़ ने कहा कि हुनैदा ने हज़रत आयशा (ﷺ) से मुआज़ा की हदीस़ के मिस्ल बयान किया है और (मुत्लक़न) मटकों का ज़िक्र किया। मैंने हुनैदा से कहा: तूने इन (हज़रत आयशा (ﷺ)) से सुना, उन्होंने मटकों (मिट्टी के घड़ों) का नाम लिया था? उस (हुनैदा) ने कहा: हाँ।

(5643) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5150.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ طَوْدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقَيْسِيِّ، - بَصْرِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ هُنَيْدَةَ بِنْتِ شَرِيكِ بْنِ زَبَّانَ، قَالَتْ لَقِيتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بِالْخُرَيْبَةِ فَسَأَلْتُهَا عَنِ الْعَكَرِ فَنَهَتْنِي عَنْهُ وَقَالَتِ انْبِذِي عَشِيَّةً وَاشْرَبِيهِ غُدْوَةً وَأَوْكِي عَلَيْهِ . وَنَهَتْنِي عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالْحَنْتَمِ .

(5644) हज़रत हुनैदा बिन्ते शरीक बिन अबान से मन्क़ूल है कि मैं हज़रत आयशा (ﷺ) को ख़ुरैबा में मिली। मैंने उनसे शराब की बाक़ी मानिन्दा मैल कुचेल (तल छट) के बारे में पूछा तो उन्होंने मुझे इससे भी मना किया, और फ़रमाया: शाम को नबीज़ बनाओ तो सुबह को पी लिया करो। और रात को उसका मुँह बाँध कर रखा करो। और उन्होंने मुझे कद्दु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, तारकोल लगे बर्तन और रोग़नी मटके से भी मना फ़रमाया।

(5644) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5151.

फ़ायदा : ख़ुरैबा बस़रा शहर का एक मुहल्ला है जिसे बस़रा सुग़रा (छोटा बस़रा) भी कहा जाता था।

باب(٣٥): الْمُزَفَّتَةِ

बाब : (35) तारकोल लगे बर्तनों का बयान

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ سَمِعْتُ الْمُخْتَارَ بْنَ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الظُّرُوفِ الْمُزَفَّتَةِ .

(5645) हज़रत अनस (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तारकोल लगे हुये बर्तनों (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया है।

(5645) तख़रीज : (सनद स़ही) मुसनद अहमद: 3/112, 119, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5152.

ذِكْرِ الدِّلَالَةِ عَلَى النَّهْيِ لِلْمَوْصُوفِ مِنَ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي تَقَدَّمَ ذِكْرُهَا كَانَ حَتْمًا لَازِمًا لَا عَلَى تَأْدِيبٍ

बाब : (36) इस बात की दलील कि मज़्कूरा बर्तनों से मनाही क़तअन हुर्मत पर महमूल थी न कि कराहत पर

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ، عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَذِهِ الآيَةَ { وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } .

(5646) हज़रत सईद बिन ज़ुबैर से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत इब्ने उमर और हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से सुना, इन दोनों ने रसूलुल्लाह(ﷺ) पर गवाही दी कि आपने कद्दु के बर्तन, रौग़नी मटके, खजूर की जड़ के बर्तन और तारकोल लगे हुये बर्तन से मना फ़रमाया। फिर रसूलुल्लाह (ﷺ) ने ये आयत पढ़ी: 'रसूलुल्लाह जो कुछ तुम्हें दें, वह ले लो और जिस चीज़ से तुम्हें रोकें, उससे रुक जाओ।'

(5646) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 46/1997, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5153.

फ़ायदा : इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सूद ये साबित करना है कि इन बर्तनों से मनाही हुर्मत पर महमूल है, कराहत पर नहीं। और ये बात मज़्कूरा आयत से साफ़ साबित हो रही है मगर इसका मतलब ये नहीं कि ख़ुद आप (ﷺ) भी बाद में इन बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दे सकते जो कि सही साबित है, लिहाज़ा मुहक़्क़क़ बात ये है कि आपने शराब की तहरीम के साथ इन बर्तनों का इस्तेमाल हुक्मन रोक दिया था। बाद में जब शराब ख़त्म हो गई तो आपने इन बर्तनों के इस्तेमाल की इजाज़त दे दी, अलबत्ता चूंकि ऐसे बर्तनों में नशा जल्दी पैदा होने का इम्कान होता है, लिहाज़ा इन में नबीज़ बनाना बेहतर नहीं। मजबूरी हो तो बनाई जा सकती है मगर नशे से बचाना ज़रूरी है। नबीज़ के अलावा इन बर्तनों का दीगर इस्तेमाल क़तअन सही है और इसमें कोई कराहत नहीं। इस तरीक़े से तमाम मुताल्लिक़ा रिवायत में तत्बीक़ हो जायेगी और हर रिवायत पर अमल हो जायेगा। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ،

(5647) हज़रत अस्मा बिन्ते यज़ीद से रिवायत है कि उनके चचाज़ाद भाई हज़रत अनस से मन्क़ूल है कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने कहा: क्या

عَنِ ابْنِ عَمٍّ، لَهَا يُقَالُ لَهُ أَنَسٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا } قُلْتُ بَلَى . قَالَ أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ { وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ } قُلْتُ بَلَى . قَالَ فَإِنِّي أَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُقَيَّرِ وَالدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ .

अल्लाह तआला ने (क़ुर्आन मजीद में) ये नहीं फ़रमाया: 'और जो कुछ तुम्हें अल्लाह का रसूल दे, वह ले लो और जिस चीज़ से रोक दे, उससे रुक जाओ।' मैंने कहा: क्यूँ नहीं (बल्कि फ़रमाया है) फिर उन्होंने कहा: क्या अल्लाह तआला ने ये नहीं फ़रमाया: 'किसी मोमिन मर्द या मोमिना औरत को लाइक़ नहीं कि जब अल्लाह तआला और उसका रसूल कोई फ़ैसला फ़रमा दें तो वह अपना इख़्तियार इस्तेमाल करे?' मैंने कहा: क्यूँ नहीं (बल्कि फ़रमाया है) कहा: मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के नबी (ﷺ) ने खजूर की जड़ के बर्तन, तारकोल लगे बर्तन, कद्दु के बर्तन और रौग़नी मटके से मना फ़रमाया है।

(5647) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5154.

بَاب(٣٧): تَفْسِيرِ الأَوْعِيَةِ

बाब : (37) मज़्कूरा बर्तनों की तफ़्सीर

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَزِيدَ، قَالَ حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ، قَالَ سَمِعْتُ زَاذَانَ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قُلْتُ حَدِّثْنِي بِشَىْءٍ، سَمِعْتَهُ مِنْ، رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الأَوْعِيَةِ وَفَسِّرْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْحَنْتَمِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْجَرَّةَ وَنَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَهُوَ الَّذِي تُسَمُّونَهُ أَنْتُمُ الْقَرْعُ وَنَهَى عَنِ

(5648) हज़रत ज़ाज़ान से रिवायत है कि मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷻ) से गुज़ारिश की कि मुझे कोई ऐसी चीज़ बयान फ़रमाइये जो आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से इन बर्तनों के बारे में सुनी हो। इसकी वज़ाहत भी फ़रमाइये। उन्होंने कहा: रसूलुल्लाह (ﷺ) ने हन्तम से मना फ़रमाया और उसे तुम मटका कहते हो। और दुब्बाअ से मना फ़रमाया, जिसे तुम कद्दु का बर्तन कहते हो। और नक़ीर से मना फ़रमाया। ये खजूर की जड़ होती है जिसे लोग अन्दर से कुरेद कुरेद कर बर्तन बना लेते हैं, और आपने मुज़फ़्फ़त से मना

النَّقِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ يَنْقُرُونَهَا وَنَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَهُوَ الْمُقَيَّرُ .

फ़रमाया और ये वह बर्तन होता है जिसे तारकोल या लाख मल दी गई हो।

(5648) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम: 57/1997, देखें, हदीस: 5646, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5155.

फ़ायदा : मज़्कूरा बर्तनों की हैसियत के मुताल्लिक़ मुहक़्क़क़ बात तो हदीस: 5646 के तहत ज़िक्र हो चुकी है मगर कुछ अइम्म-ए-मुज्तहिदीन, जैसे: इमाम मालिक, इमाम अहमद और इमाम इस्हाक़ (ﷺ) इस बात के क़ाइल हैं जो हज़रत इब्ने उमर और इब्ने अब्बास (ﷺ) के ऊपर दिये गये फ़रामीन से ज़ाहिर मालूम होती है कि इन बर्तनों में अब भी नबीज़ बनाना हराम है और इन बर्तनों में बनाई हूई नबीज़ पीनी मना है। हज़रत इब्ने अब्बास और हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) का मस्लक भी यही मालूम होता है मगर इससे कुछ दूसरी रिवायात मतरूक हो जायेंगी जो नस्ख़ पर दलालत करती हैं। वल्लाहु आलम!

कुछ मख़्सूस बर्तनों का बयान जिनमें नबीज़ बनाने की इजाज़त अहादीस में आई है

الإِذْنِ فِي الانْتِبَاذِ الَّتِي خَصَّهَا بَعْضُ الرِّوَايَاتِ الَّتِي أَتَيْنَا عَلَى ذِكْرِهَا

باب : (٣٨) الإِذْنِ فِيمَا كَانَ فِي الأَسْقِيَةِ مِنْهَا

बाब : (38) चमड़े के मश्कीज़ों में नबीज़ बनाने की इजाज़त का बयान

أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفْدَ عَبْدِ الْقَيْسِ حِينَ قَدِمُوا عَلَيْهِ عَنِ الدُّبَّاءِ وَعَنِ النَّقِيرِ وَعَنِ الْمُزَفَّتِ وَالْمَزَادَةِ الْمَجْبُوبَةِ وَقَالَ " انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ وَأَوْكِهِ وَاشْرَبْهُ حُلْوًا " . قَالَ بَعْضُهُمُ ائْذَنْ لِي يَا

(5649) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि जब क़बीला अब्दुल क़ैस का वफ़्द रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने उनको कद्दु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, तारकोल लगे बर्तन और कटे हुये मुँह वाले मश्कीज़े में नबीज़ बनाने से रोक दिया और फ़रमाया: 'अपने (मारूफ़) मश्कीज़े में नबीज़ बनाओ और उसका मुँह बाँध कर रखो और उसे मीठी मीठी पियो। एक शख़्स ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इस जैसी (मुतग़य्यर) नबीज़ पीने की भी इजाज़त दे दीजिये। आपने फ़रमाया: 'फिर तो तू इसे ऐसी (नशे वाली)

बना लेगा।' आपने उसे बयान करने के लिये हाथ से इशारा भी फ़रमाया।

तख़रीज : (सनद सही) मुसनद अहमद: 3/491, मुस्लिम हदीस: 33/1993, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5156.

رَسُولَ اللَّهِ فِي مِثْلِ هَذَا . قَالَ " إِذًا تَجْعَلَهَا مِثْلَ هَذِهِ " . وَأَشَارَ بِيَدِهِ يَصِفُ ذَلِكَ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) क़बील-ए-अब्दुल क़ैस, बहरीन के रहने वाले थे जो उस दौर में यमन में शुमार होता था। यमन के इलाक़े में उस वक़्त नशावर मशरूब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते थे, इसलिए आपने उनको ख़ुसूसी हिदायात इरशाद फ़रमाईं। **(2)** 'कटे हुये मुँह वाले' क्योंकि मुँह कटा होने की सूरत में वह मटके जैसा बन जायेगा और उसका मुँह बाँधा नहीं जा सकेगा, लिहाज़ा इसमें नशे का पता नहीं चल सकेगा। मुँह वाले मश्कीज़े का मुँह बाँधा जाये तो नबीज़ में नशा पैदा होने की सूरत में वह मश्कीज़ा फट जाता है, लिहाज़ा नशे का पता चल जाता है, इसलिये आपने नबीज़ वाले मश्कीज़े का मुँह बाँधने का हुक्म दिया। **(3)** 'मीठा मीठा पियो' यानी उसके ज़ाइक़े में तब्दीली न आई हो क्योंकि तब्दीली की सूरत में नशे का इम्कान है। **(4)** 'इज़ाज़त दीजिये' उस शख़्स ने भी इशारे में बात की और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने भी इशारे से जवाब दिया। उस इशारे का सही तअय्युन तो नामुमकिन है मगर मफ़हूम वही है जो तर्जुमे में बयान किया गया कि उसने ममनूअ या कम अज़ कम मशकूक नबीज़ पीने की इजाज़त माँगी मगर आपने नशा या नशे के ख़तरे की वजह से इजाज़त न दी। वल्लाहु आलम!

(5650) हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) ने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने तारकोल लगे हुये मटके, कद्दु के बर्तन और खजूर की जड़ के बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया है। और जब रसूलुल्लाह (ﷺ) को नबीज़ बनाने के लिये मश्कीज़ा न मिलता तो पत्थर के कूण्डे में आपके लिये नबीज़ बनाई जाती थी।

(5650) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 60/1998, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5157.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قِرَاءَةً قَالَ وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعْتُ جَابِرًا، يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْجَرِّ الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا لَمْ يَجِدْ سِقَاءً يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ .

(5651) हज़रत जाबिर (رضی اللہ عنہ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये चमड़े के मश्कीज़े में नबीज़ बनाई जाती थी और जब मश्कीज़ा मय्यसर न होता तो पत्थर के कूण्डे

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، - يَعْنِي الأَزْرَقَ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ سِقَاءٌ نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرِ بِرَامٍ . قَالَ وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ .

में आपके लिये नबीज़ बनाई जाती। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन और तारकोल लगे हुये मटके से मना फ़रमाया है।

(5651) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 62/1999, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5158.

أَخْبَرَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَوَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْجَرِّ وَالْمُزَفَّتِ .

(5652) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन (रौग़नी) मटके और तारकोल लगे हुये बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया।

(5652) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5159.

باب(٣٩): الإِذْنِ فِي الْجَرِّ خَاصَّةً

बाब : (39) मटके में ख़ुसूसी इजाज़त का बयान

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَحْوَلُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَخَّصَ فِي الْجَرِّ غَيْرِ مُزَفَّتٍ .

(5653) हज़रत अब्दुल्लाह (ﷺ) से मन्क़ूल है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने ऐसे मटके में नबीज़ बनाने की इजाज़त दी है जिसको तारकोल (या रौग़न) न लगाया गया हो।

(5653) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5593, मुस्लिम, हदीस: 2000, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5160.

باب(٤٠): الإِذْنِ فِي شَيْءٍ مِنْهَا

बाब : (40) (मज़्कूरा बर्तनों में से) हर एक में इजाज़त का बयान

أَخْبَرَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ رُزَيْقٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ

(5654) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें (तीन दिन से ज़्यादा) कुर्बानियों के गोश्त (खाने) से मना फ़रमाया था। अब (तुम्हें इजाज़त है) सफ़र में साथ ले कर जाओ या महफ़ूज़ कर के रखो। इसी तरह

رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا وَمَنْ أَرَادَ زِيَارَةَ الْقُبُورِ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ وَاشْرَبُوا وَاتَّقُوا كُلَّ مُسْكِرٍ ".

जो शख़्स क़ब्रों की ज़ियारत को जाना चाहे, वह जा सकता है क्योंकि वह आख़िरत की याद दिलाती हैं। इसी तरह (जिस बर्तन की नबीज़ चाहो) पियो लेकिन हर नशावर मशरूब से बचो।'

(5654) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4435, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5161.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ أَبِي سِنَانٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلاَّ فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا " .

(5655) हज़रत बुरैदा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से रोका था। अब तुम ज़ियारत को जा सकते हो। मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानी के गोश्त (खाने) से रोका था, अब तुम जब तक चाहो, रख सकते हो। और मैंने तुम्हें मश्कीज़े के अलावा दूसरे बर्तनों में नबीज़ बनाने से रोका था, अब तुम सब बर्तनों में (नबीज़ बना कर) पी सकते हो लेकिन नशावर मशरूब न पीना।'

(5655) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5162.

फ़ायदा : ये हदीस साबिक़ा हदीस से ज़्यादा वाज़ेह है और ये हदीस इस बात में सरीह है कि मज़्कूरा बर्तनों में नबीज़ बनाने से रोकने का हुक्म इब्तेदा में दिया गया था, बाद में ये हुक्म मन्सूख़ कर दिया गया। जिस तरह ज़ियारते क़ुबूर और क़ुर्बानी के गोश्त की पाबन्दी मन्सूख़ हो चुकी है और इस पर सब अहले इलम का इत्तेफ़ाक़ है, उसी तरह बर्तनों की पाबन्दी भी मन्सूख़ है। जुम्हूर अहले इल्म का यही मस्लक है और यही दुरुस्त है। तफ़्सील पीछे गुज़र चुकी है। देखिये, हदीस: 5646, और ये नस्ख़ की सब से बेहतरीन सूरत है कि ख़ुद रसूलुल्लाह (ﷺ) ने अपना साबिक़ा हुक्म मन्सूख़ होने की सराहत फ़रमा दी और नया हुक्म जारी कर दिया। ऐसे नस्ख़ में कोई शक नहीं रहता। ये हदीस सनदन भी आला दर्जे की सही है क्योंकि सही मुस्लिम में मज़्कूर है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى بْنِ مَعْدَانَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ

(5656) हज़रत बुरैदा (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'मैंने तुम्हें तीन चीज़ों से रोका था: क़ब्रों की ज़ियारत से। अब

أَعْيَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، قَالَ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ، عَنْ مُحَارِبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ ثَلاَثٍ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَلْتَزِدْكُمْ زِيَارَتُهَا خَيْرًا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاَثٍ فَكُلُوا مِنْهَا مَا شِئْتُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَشْرِبَةِ فِي الأَوْعِيَةِ فَاشْرَبُوا فِي أَىِّ وِعَاءٍ شِئْتُمْ وَلاَ تَشْرَبُوا مُسْكِرًا ".

तुम ज़ियारत किया करो क्योंकि उम्मीद है क़ब्रों की ज़ियारत तुम्हारी नेकी में इज़ाफ़े का बाइस होगी। (या लेकिन क़ब्रों की ज़ियारत से तुम्हारी नेकी में इज़ाफ़ा होना चाहिए) मैंने तुम्हें तीन दिन से ज़्यादा क़ुर्बानी के गोश्त (खाने) से रोका था। अब जब तक चाहो खाओ। और मैंने तुम्हें चन्द बर्तनों में नबीज़ वग़ैरह बनाने से रोका था, अब तुम जिस बर्तन में चाहो, बनाओ और पियो लेकिन नशावर मशरूब न पीयो।'

(5656) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 2034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5163.

फ़ायदा : 'लेकिन क़ब्रों की ज़ियारत का मक़सद सिर्फ़ तबर्रुक नहीं जैसा कि उमूमन होता है कि सालेहीन की कुबूर की ज़ियारत सिर्फ़ तबर्रुक के लिये की जाती है बल्कि क़ब्रों की ज़ियारत आख़िरत को याद करने, मौत और क़ब्र की तरफ़ मुतवज्जा होने और इस्लाहे अमल के लिये होनी चाहिए।

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الأَوْعِيَةِ فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَإِيَّاكُمْ وَكُلَّ مُسْكِرٍ " .

(5657) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमायाः 'मैंने तुम्हें कुछ बर्तनों (में नबीज़ बनाने) से रोका था। अब जिस बर्तन में चाहो, नबीज़ बनाओ लेकिन हर नशावर चीज़ से बचो।'

(5657) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5164, देखें, हदीस: 2034, 2035.

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ، مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ - مَرْوَزِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ عُبَيْدٍ الْكِنْدِيُّ، - خُرَاسَانِيٌّ - قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

(5658) हज़रत बुरैदा (ﷺ) से रिवायत है कि एक दफ़ा रसूलुल्लाह (ﷺ) सफ़र फ़रमा रहे थे कि एक क़ौम के यहाँ ठहरे। आपने उनमें शोर गुल सुना तो फ़रमायाः 'ये कैसी आवाज़ है?' लोगों ने कहाः ऐ अल्लाह के नबी! वह एक क़िस्म का मशरूब पी रहे हैं। आप ने उनको पैग़ाम भेज कर बुलाया और

صلى الله عليه وسلم بَيْنَا هُوَ يَسِيرُ إِذْ حَلَّ بِقَوْمٍ فَسَمِعَ لَهُمْ لَغَطًا فَقَالَ " مَا هَذَا الصَّوْتُ " . قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَهُمْ شَرَابٌ يَشْرَبُونَهُ . فَبَعَثَ إِلَى الْقَوْمِ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ " فِي أَىِّ شَىْءٍ تَنْتَبِذُونَ " . قَالُوا نَنْتَبِذُ فِي النَّقِيرِ وَالدُّبَّاءِ وَلَيْسَ لَنَا ظُرُوفٌ . فَقَالَ " لاَ تَشْرَبُوا إِلاَّ فِيمَا أَوْكَيْتُمْ عَلَيْهِ " . قَالَ فَلَبِثَ بِذَلِكَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَلْبَثَ ثُمَّ رَجَعَ عَلَيْهِمْ فَإِذَا هُمْ قَدْ أَصَابَهُمْ وَبَاءٌ وَاصْفَرُّوا . قَالَ " مَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ هَلَكْتُمْ " . قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَرْضُنَا وَبِيئَةٌ وَحَرَّمْتَ عَلَيْنَا إِلاَّ مَا أَوْكَيْنَا عَلَيْهِ . قَالَ " اشْرَبُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .

फ़रमाया: 'तुम किस चीज़ में नबीज़ बनाते हो?' उन्होंने कहा: खजूर की जड़ के बर्तन और कद्दु के बर्तन में नबीज़ बनाते हैं। हमारे पास कोई और बर्तन नहीं हैं। आपने फ़रमाया: 'सिर्फ़ ऐसे बर्तन से पियो (ऐसे बर्तन में नबीज़ बनाओ) जिसका मुँह तस्मे से बाँध सको।' इस बात को कुछ अर्सा गुज़रा जिस क़द्र अल्लाह तआला ने चाहा, फिर आप दोबारा उस क़ौम के पास गये तो देखा कि उनको बीमारी लाहिक़ हो चुकी है और वह ज़र्द हो चुके हैं। आपने फ़रमाया: 'तुम्हें क्या हुआ है, तुम तो क़रीबुल मर्ग नज़र आते हो?' उन्होंने कहा: ऐ अल्लाह के नबी! हमारा इलाक़ा वबा वाला है जबकि आपने हम पर मश्कीज़े की नबीज़ के अलावा हर नबीज़ हराम फ़रमा दी थी। आपने फ़रमाया: '(जिस बर्तन में चाहो बनाकर) पियो लेकिन हर नशावर चीज़ हराम है।'

(5658) तख़रीज : **(सनद हसन)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5165, पिछली हदीस देखें.

फ़वाइद व मसाइल : **(1)** इस हदीस में साबिक़ा मनाही व मुमानिअत के नस्ख़ का बयान है। पहले आपने उन्हें ये हुक्म इरशाद फ़रमाया था कि ऐसे बर्तनों में नबीज़ बनाया करो जिनके मुँह तस्मे या धागे वग़ैरह से बन्द कर के बाँधे जा सकते हों। फिर बाद में आपने ये पाबन्दी नर्म कर दी और सिर्फ़ ये पाबन्दी बरक़रार रखी कि हर नशावर मशरूब हराम है। **(2)** शराब और दीगर नशावर चीज़ों के नुक़सानात में से चन्द ये हैं: गुल ग़पाड़ा मचाना, हिज़्यान बकना, ऊँची ऊँची बोलना, हुर्मतों को पामाल करना, बेहूदगी और आवारगी का मुज़ाहिरा करना, दीवानगी और इश्क़ व फ़रेफ़्तगी का मज़्हर बन जाना, ख़्वाहिशात की पैरवी करना और बेहया बन जाना। **(3)** नशावर मशरूबात (पीने की चीजें) व मतऊमात (खाने की चीज़े) इसलिये भी नाजायज़ हैं कि उनके इस्तेमाल से इन्सानी अक़्ल व शऊर माऊफ़ हो जाते हैं, हालांकि अल्लाह तआला ने इन्सानों को साहिबे शऊर बनाया है। इन्सानी शर्फ़ व कमाल में अक़्ल व ख़िरद का बहुत ज़्यादा अमल व दख़ल है बल्कि दीगर जानदारों से, इसे इम्तियाज़ अक़्ल व शऊर ही की वजह से है। और नशा अक़्ल का दुश्मन है, लिहाज़ा ये हराम है।

أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلاَنَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، وَأَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا نَهَى عَنِ الظُّرُوفِ شَكَتِ الأَنْصَارُ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لَنَا وِعَاءٌ . فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " فَلاَ إِذًا "

(5659) हज़रत जाबिर (ﷺ) से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कुछ बर्तनों के इस्तेमाल से रोक दिया तो अन्सार ने दस्त बस्ता अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे पास और बर्तन (ज़्यादा तादाद में) नहीं आपने फ़रमाया: 'फिर कोई हर्ज नहीं।'

(5659) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5592, देखें, हदीस: 5653, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5166.

फ़ायदा : गोया ये पाबन्दी कुछ अर्से तक रही। लोगों की तकलीफ़ को महसूस फ़रमाते हुये बाद में आपने पाबन्दी उठा ली।

باب(٤١): مَنْزِلَةِ الْخَمْرِ

बाब : (41) शराब की क़बाहत

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ بِقَدَحَيْنِ مِنْ خَمْرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ .

(5660) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: जिस रात रसूलुल्लाह (ﷺ) को मेराज पर ले जाया गया तो आप को दो प्याले पेश किये गये। एक में दूध था और दूसरे में शराब। आपने उन दोनों को देखा। फिर दूध (वाला प्याला) पकड़ लिया। हज़रत जिब्रील (عليه السلام) ने आप से फ़रमाया: अल्लाह तआला का शुक्र है कि उस ने आपको फ़ितरी चीज़ इख़्तियार करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अगर आप शराब क़बूल कर लेते तो आपकी उम्मत (मजमूई तौर पर) गुमराह हो जाती।

(5660) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी: 4709, मुस्लिम, : 168, क़िब्ल: 2010, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5167.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस हदीस से मालूम होता है कि शराब बहुत बुरी और गन्दी चीज़ है क्यों कि ये गुमराही का बहुत बड़ा सबब है तो जो चीज़ दीन से दूर करने वाली और गुमराही का सबब हो उसके

गन्दा होने में क्या शुब्हा रह जाता है। (2) 'जिस रात' ये मक्की ज़िन्दगी के आख़री दौर की बात है। गोया मेराज के वक़्त ही आप को इशारा फ़रमा दिया गया कि शराब हराम होगी अगरचे हुर्मत का हुक्म अपने मुक़र्ररा वक़्त पर उतरा, यानी 3 हिजरी में। (3) 'दूध पकड़ लिया' गोया आप पहले से शराब जैसी क़बीह चीज़ से नफ़रत फ़रमाते थे ओर कोई भी आक़िल और संजीदा शख़्स अक़्ल को मग़लूब करने वाली चीज़ को बख़ूबी पसन्द नहीं कर सकता। कुछ रिवायात में है कि आपने उस वक़्त हज़रत जिब्रील (عليه السلام) से भी आँखों आँखों में मशवरा फ़रमाया। उन्होंने भी दूध ही की तरफ़ इशारा किया। (4) 'अल्लाह का शुक्र है' क्योंकि शराब क़बूल करने की सूरत में शराब हलाल रहती और हुर्मत का हुक्म न आता। गोया ये पेशकश और आपकी क़बूलियत दरअस़ल इज़्हार था इस बात का कि इस्लाम दीने फ़ितरत है और इसमें कोई हुक्म ख़िलाफ़े फ़ितरत नहीं आ सकता। जो शख़्स अस़ल फ़ितरते इन्सानिया पर क़ाइम है, वह मुसलमान है। दीने इस्लाम, फ़ितरते इन्सानिया ही की तफ़्सील है। (5) 'फ़ितरी चीज़' क्योंकि दूध इन्सान की बेहतरीन ख़ूराक है। इब्तेदा में तो बच्चे को सिवाए दूध के कोई ख़ूराक मुफ़ीद ही नहीं और बाद में दूध वाहिद मशरूब है जो खाने और पीने दोनों की जगह किफ़ायत कर सकता है और बहुत सी बीमारियों से बचाव करता है। (6) 'गुमराह हो जाती' और ये कोई बईद बात नहीं। शराब पीने वाली सब क़ौमें गुमराह हुईं और हो रही हैं। मग़लूबुल अक़्ल शख़्स कैसे सही फ़ैसला कर सकता है? ऐसे लोगों से हुकूमतें छिन जाती हैं और वह दरबदर की ठोकरें खाते फिरते हैं। अगर पूरी क़ौम ही शराबी हो तो नताइज इससे भी ज़्यादा हौलनाक होते हैं और क़ौम मज्मूई तौर पर गुम्राह व तबाह हो जाती है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ خَالِدٍ، - وَهُوَ ابْنُ الْحَارِثِ - عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرِ بْنَ حَفْصٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ مُحَيْرِيزٍ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " يَشْرَبُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا

(5661) नबी-ए-अकरम (ﷺ) के एक सहाबी(رضي الله عنه) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम(ﷺ) ने फ़रमाया: 'मेरी उम्मत के कुछ लोग शराब पियेंगे मगर उसका नाम कुछ और रख लेंगे।'

(5661) तख़रीज : (सनद सहीह) मुसनद अहमद: 4/237, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5168.

फ़वाइद व मसाइल : (1) ये हदीसे मुबारका आलामे नबुवत में से है। रसूलुल्लाह (ﷺ) ने जिस तरह ख़बर दी, बाद में बिऐनिही उसी तरह हुआ। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुख़्तलिफ़ नामों से शराब पीते हैं। अआज़नल्लाह मिन्हा। (2) ये हदीसे मुबारका हर क़िस्म की शराब की हुर्मत की स़रीह दलील है। इसकी हुर्मत पर उम्मते मुस्लिमा का इज्मा है। वल हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक. हाँ! अलबत्ता एक फ़िर्क़ा ऐसा है जो सिर्फ़ अंगूर से कशीद कर्दा शराब को शराब मानता है, इसके अलावा दीगर मस्कुरात को

शराब नहीं कहता। इस फ़िर्क़े ने सिर्फ़ इसी पर बस नहीं की बल्कि इस फ़िर्क़े का कहना ये भी है कि 'थोड़ी सी' पी लेने से कुछ नहीं होता, इतनी सी मिक़्दार हलाल है। हराम सिर्फ़ वह मिक़्दार है जो नशा चढ़ा दे। **(3)** ये हदीस़ इस अहम मसले पर भी दलालत करती है कि जो शख़्स़ या गिरोह अल्लाह तआला की हराम कर्दा चीज़ों को हीलों बहानों से हलाल करे उसके लिये शदीद वईद है, ख़्वाह वह उसका नाम बदल दे या कोई और हीला तराशे। हुर्मते शराब की अस़ल इल्लत और सबब ख़ुमार और नशा है, लिहाज़ा जिस चीज़ से ख़ुमार और नशा चढ़ जाये वह हराम क़रार पायेगा, चाहे कोई माने या न माने।

बाब : (42)
वह रिवायात जिन से मालूम होता है कि शराब पीना गुनाहे कबीरा है

باب(۴۲): ذِكْرِ الرِّوَايَاتِ الْمُغَلِّظَاتِ فِي شُرْبِ الْخَمْرِ

(5662) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब ज़िना करने वाला ज़िना करता है तो वह मोमिन नहीं रहता। जब शराब पीने वाला शराब पीता है तो वह मोमिन नहीं रहता। जब चोर चोरी करता है तो वह मोमिन नहीं रहता। और जब कोई शख़्स़ डाका डालता है कि लोग दहशत से देखते रह जाते हैं तो वह मोमिन नहीं रहता।'

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ شَارِبُهَا حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ ".

(5662) तख़रीज : (सनद स़ही) बुख़ारी, हदीस़: 2475, मुस्लिम, हदीस़: 57, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5169.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस़ का मक़्सूद ये है कि ये काम ईमान के मुनाफ़ी हैं। ईमान उन कामों को गवारा नहीं करता, बल्कि वह उनसे रोकता है। ये मतलब नहीं कि काफ़िर हो जाता है क्योंकि कोई भी कबीरा गुनाह मुसलमान को काफ़िर नहीं बनाता। तफ़्सील के लिये देखिये, हदीस़: 4873 **(2)** इस रिवायत से शराब नोशी कबीरा गुनाह साबित होता है क्योंकि इसे ईमान के मुनाफ़ी बतलाया गया है। वैसे भी शराब पीना हद को वाजिब करता है और हद वाला फ़ेअल क़तअन गुनाहे कबीरा होता है। जिस तरह ज़िना, चोरी और डाका कबाइर (बड़े-बड़े गुनाहों) में शामिल हैं इसी तरह शराब नोशी भी कबीरा गुनाह है। **(3)** 'देखते रह जाते हैं' यानी बेबसी की बिना पर मुक़ाबला नहीं कर सकते।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كُلُّهُمْ حَدَّثُونِي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " لاَ يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَرْفَعُ الْمُسْلِمُونَ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ " .

(5663) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'ज़ानी ज़िना करते वक़्त मोमिन नहीं रहता। चोर चोरी करते वक़्त मोमिन नहीं रहता। शराबी शराब पीते वक़्त मोमिन नहीं रहता। और डाकू अज़ीमुश्शान डाका मारते वक़्त कि मुसलमान उस की तरफ़ देखते ही रह जायें, मोमिन नहीं रहता।'

(5663) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5170.

फ़ायदा : 'मोमिन नहीं रहता' अलबत्ता जब वह उन कामों से निकल जाता है तो ईमान लौट आता है, यानी वह काफ़िर नहीं हो जाता बल्कि मुसलमान ही रहता है, अलबत्ता उन कामों के दौरान में उससे नूरे ईमान छीन जाता है और जब उन कामों से बाज़ आ जाता है तो फिर नूरे ईमान वापस आ जाता है। इस हदीस का ये मफ़हूम हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने बयान फ़रमाया है।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَنَفَرٍ، مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم قَالُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ شَرِبَ فَاقْتُلُوهُ".

(5664) हज़रत इब्ने उमर और सहाबा (ﷺ) की एक जमाअत से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स शराब पिये, उसे कोड़े लगाओ। फिर शराब पिये तो फिर कोड़े लगाओ। फिर पी ले तो फिर कोड़े लगाओ। और अगर (चौथी दफ़ा) फिर पी बैठे तो उसे क़त्ल कर दो।'

(5664) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5171, अबू दाऊद, हदीस: 4483.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " إِذَا سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ إِنْ سَكِرَ فَاجْلِدُوهُ " . ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ " فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ " .

(5665) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जब कोई शख़्स नशा करे तो उसे कोड़े लगाओ, फिर नशा करे तो फिर कोड़े लगाओ, फिर नशा करे तो फिर भी कोड़े लगाओ। अगर चौथी दफ़ा नशा करे तो उसकी गर्दन उतार दो।'

(5665) तख़रीज : (सनद सही) इब्ने माजा, हदीस: 2572, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5172, व सहीह इब्ने जारूद, हदीस: 831, व इब्ने हिब्बान, हदीस: 1517, वलहाकिम अला शर्त मुस्लिम: 4/371.

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنْ وَائِلٍ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، رضى الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مَا أُبَالِي شَرِبْتُ الْخَمْرَ أَوْ عَبَدْتُ هَذِهِ السَّارِيَةَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

(5666) हज़रत अबू मूसा (ﷺ) फ़रमाया करते थे: मुझे कोई परवाह नहीं कि मैं शराब पियूँ या अल्लाह तआला को छोड़ कर उस सुतून की इबादत करूँ।

(5666) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5173, सुनन इब्ने कसीर: 14/660.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'परवाह नहीं' यानी मेरे नज़दीक ये दोनों काम एक बराबर हैं क्योंकि शराब पी कर अक़्ल माउफ़ हो जाती है। इन्सान इस हालत में भी गुनाह कर सकता है यहाँ तक कि शिर्क भी, इसी लिये तो शराब को उम्मुल ख़बाइस कहा गया है। जिस तरह शिर्क इन्सान की तमाम नेकियों को ख़त्म कर देता है, उसी तरह शराबी शख़्स भी आहिस्ता आहिस्ता तमाम नेकियाँ छोड़ बैठता है और तमाम गुनाहों का इर्तिकाब करने लगता है। ये मतलब नहीं कि शराब पीना शिर्क व कुफ़्र है बल्कि सिर्फ़ तश्बीह मक़सूद है, जैसे माँ अपने बेटे को कहती है कि ये तो मेरा चाँद है। (2) 'अल्लाह तआला को छोड़ कर' या अल्लाह तआला के सिवा, यानी उसकी पूजा के साथ साथ सुतून की भी पूजा करूँ और ये दोनों सूरतें शिर्क और कुफ़्र है।

बाब : (43) शराबी की नमाज़ों की हालत बयान करने वाली रिवायत

ذِكْرِ الرِّوَايَةِ الْمُبَيِّنَةِ عَنْ صَلَوَاتِ، شَارِبِ الْخَمْرِ

(5667) हज़रत इब्ने दैलमी (घोड़े पर) सवार हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (ﷺ) को तलाश कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं उनके पास पहुँचा तो मैंने कहा: ऐ अब्दुल्लाह बिन अम्र! क्या आप ने रसूलुल्लाह (ﷺ) को शराब की बाबत कुछ बयान फ़रमाते सुना है? उन्होंने कहा: हाँ, मैंने रसूलुल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'मेरी उम्मत में से जो शख़्स शराब पियेगा, अल्लाह तआला चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं फ़रमायेगा।'

(5667) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुबरा लिन्नसाई: 5174, व सहीह इब्ने ख़ुज़ैमा, हदीस: 939य, इब्ने माजा, हदीस: 3377, देखें, हदीस: 5673.

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنِ بْنِ عَلاَّقٍ، - دِمَشْقِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ، رُوَيْمٍ أَنَّ ابْنَ الدَّيْلَمِيِّ رَكِبَ يَطْلُبُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ ابْنُ الدَّيْلَمِيِّ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو، رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ شَأْنَ الْخَمْرِ بِشَىْءٍ فَقَالَ نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ رَجُلٌ مِنْ أُمَّتِي فَيَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً أَرْبَعِينَ يَوْمًا ".

फ़ायदा : नमाज़ की क़बूलियत से मुराद नमाज़ का सवाब मिलना है। गोया शराब पीने वाले को चालीस दिन तक उसकी नमाज़ का सवाब नहीं मिलेगा अगरचे वह उसके ज़िम्मे से साक़ित हो जायेगी और उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं होगी। इमाम इब्ने क़य्यिम (رحمه الله) ने चालीस दिन की हिकमत ये बयान की है कि शराब का असर जिस्म में चालीस दिन तक रहता है। वल्लाहु आलम!

(5668) हज़रत मस्रूक़ ने कहा कि जब क़ाज़ी तोहफ़ा वसूल करे तो उसने हराम खाया और जब रिश्वत क़बूल कर ले तो ये उसको कुफ़्र तक पहुँचा देती है। और मस्रूक़ ने (ये भी) कहा कि जिस शख़्स ने शराब पी, उसने कुफ़्र किया। और उसका कुफ़्र ये है कि उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होती।

(5668) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुबरा लिन्नसाई: 5175, देखें, हदीस: 1715.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا خَلَفٌ، - يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ - عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ الْقَاضِي إِذَا أَكَلَ الْهَدِيَّةَ فَقَدْ أَكَلَ السُّحْتَ وَإِذَا قَبِلَ الرِّشْوَةَ بَلَغَتْ بِهِ الْكُفْرَ . وَقَالَ مَسْرُوقٌ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقَدْ كَفَرَ وَكُفْرُهُ أَنْ لَيْسَ لَهُ صَلاَةٌ .

बाब : (44)
उन गुनाहों का ज़िक्र जो शराब पीने के नतीजे में सादिर हो सकते हैं, जैसे: नमाज़ का तर्क, किसी बेगुनाह जान का क़त्ल और हराम कारियों का इर्तिकाब वग़ैरह

ذِكْرِ الآثَامِ الْمُتَوَلِّدَةِ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ، مِنْ تَرْكِ الصَّلَوَاتِ وَمِنْ قَتْلِ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ وَمِنْ وُقُوعٍ عَلَى الْمَحَارِمِ

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ، رضى الله عنه يَقُولُ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ تَعَبَّدَ فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ غَوِيَّةٌ فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيَتَهَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّا نَدْعُوكَ لِلشَّهَادَةِ فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا فَطَفِقَتْ كُلَّمَا دَخَلَ بَابًا أَغْلَقَتْهُ دُونَهُ حَتَّى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةٍ وَضِيئَةٍ عِنْدَهَا غُلاَمٌ وَبَاطِيَةُ خَمْرٍ فَقَالَتْ إِنِّي وَاللَّهِ مَا دَعَوْتُكَ لِلشَّهَادَةِ وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلَيَّ أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْخَمْرَةِ كَأْسًا أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْغُلاَمَ . قَالَ فَاسْقِينِي مِنْ هَذَا الْخَمْرِ كَأْسًا فَسَقَتْهُ كَأْسًا . قَالَ زِيدُونِي فَلَمْ يَرِمْ حَتَّى وَقَعَ عَلَيْهَا وَقَتَلَ النَّفْسَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا وَاللَّهِ لاَ يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلاَّ

(5669) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हारिस से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत उस्मान(ﷺ) को फ़रमाते सुना: शराब से बचो। ये तमाम ख़राबियों और गुनाहों की जड़ है। तुम से पहले लोगों में एक बहुत बड़ा आबिद शख़्स था। एक बदकार औरत उसके पीछे पड़ गई (और उसे फाँसना चाहा) उसने अपनी लौण्डी को आबिद की तरफ़ भेजा और कहा कि हम आपको एक गवाही के सिलसिले में बुलाना चाहते हैं। वह आबिद लौण्डी के साथ चल पड़ा। जब वह किसी दरवाज़े में दाख़िल हो जाता तो वह पीछे से बन्द कर देती (और ताला लगा देती) यहाँ तक कि वह एक ख़ूबसूरत औरत के पास पहुँच गया जिसके पास एक लड़का था और एक शराब का मटका। वह औरत कहने लगी: अल्लाह की क़सम! मैंने आपको किसी गवाही के लिये नहीं बुलाया बल्कि मैंने तो इसलिये बुलाया है कि आप मुझ से बदकारी करें या ये शराब पी लें या फिर इस लड़के को क़त्ल कर दें। उस आबिद ने (सोच कर) कहा: मुझे इस शराब का एक गिलास पिला दे। उसने उसे शराब का एक गिलास पिला दिया। वह (नशे में आकर) कहने लगा: मुझे और पिलाओ। वह पीता रहा यहाँ तक कि उसने उस औरत के साथ बदकारी

لَيُوشِكُ أَنْ يُخْرِجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ .

भी कर ली और उस लड़के को भी मार दिया, लिहाज़ा शराब से बचो। अल्लाह की क़सम! शराब पर हमेशगी व दवाम और ईमान इकट्ठे नहीं होंगे मगर उनमें से एक दूसरे को निकाल देगा।

(5669) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5176.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'पीछे पड़ गई' यानी उस पर आशिक़ हो गई। या उसको गुमराह करने के दर पे हो गई। **(2)** 'गिलास पिला दे' ये सोच कर कि ये इन तीनों में से छोटा गुनाह है और जान बचाने के लिये उसका इर्तिकाब जायज़ होगा, या बड़े गुनाह से बचने के लिये छोटा गुनाह करने की गुंजाइश है। **(3)** 'मुझे और पिलाओ' क्योंकि शराब का एक घूंट दूसरे की तरफ़ खींचता है यहाँ तक कि एक दफ़ा पी लेने वाला उसका आदी बन जाता है। **(4)** 'मार डाला, नशे में अक़्ल पर क़ाबू न रहा। ज़िना कर बैठा और फिर राज़ इफ्शा होने के डर से लड़के को भी मार डाला। **(5)** 'निकाल देगा' अगर ईमान क़वी हुआ तो एक दफ़ा पी लेने वाले को दोबारा नहीं पीने देगा और अगर ईमान कमज़ोर हुआ तो शराब आहिस्ता आहिस्ता उससे ईमान को निकाल देगी, यानी वह शख़्स ईमान के तमाम काम छोड़ देगा। यही वजह है कि शराब को उम्मुल ख़बाइस, यानी तमाम ख़राबियों, क़बाहतों और शरई व अख़्लाक़ी रज़ाइल और गुनाहों की माँ और जड़ क़रार दिया गया है। उसे हमेशा पीने वाला न सिर्फ़ तमाम शरई व अख़्लाक़ी कमालात से हाथ धो बैठता है बल्कि दाइर-ए-इन्सानियत से निकल कर दाइर-ए-हैवानियत में जा पहुँचता है। **(6)** शराब नोशी की नहूसत ये है कि इससे इन्सान के क़ल्ब (दिल) व ज़हन से ईमान ज़ाइल (खत्म) हो जाता है और ये ख़ौफ़ आफ़त है। अगर इन्सान के पास दौलते ईमान ही न हो तो उससे बड़ी शक़ावत और बदबख़्ती और क्या हो सकती है?

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، - يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ - عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّ أَبَاهُ، قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ، يَقُولُ اجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهَا أُمُّ الْخَبَائِثِ فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ مِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ يَتَعَبَّدُ وَيَعْتَزِلُ

(5670) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन हारिस से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत उस्मान(ﷺ) को फ़रमाते सुना: शराब से दूर रहो क्योंकि ये तमाम बुराइयों की जड़ है। तुम से पहले लोगों में एक बड़ा आबिद शख़्स था। वह लोगों से अलग थलग रहता था। (फिर रावी ने हस्बे साबिक़ रिवायत बयान की) फिर फ़रमाया: शराब से दूर रहो। अल्लाह की क़सम! शराब और

النَّاسَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ قَالَ فَاجْتَنِبُوا الْخَمْرَ فَإِنَّهُ وَاللَّهِ لاَ يَجْتَمِعُ وَالإِيمَانُ أَبَدًا إِلاَّ يُوشِكُ أَحَدُهُمَا أَنْ يُخْرِجَ صَاحِبَهُ .

ईमान किसी शख़्स में इकट्ठे नहीं होंगे मगर उनमें से कोई एक दूसरे को निकाल बाहर करेगा।

(5670) तख़रीज : (सनद सही) बैहक़ी: 8/287, 288, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5177.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْعَلاَءِ، - وَهُوَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ - عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَلَمْ يَنْتَشِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ مَادَامَ فِي جَوْفِهِ أَوْ عُرُوقِهِ مِنْهَا شَيْءٌ وَإِنْ مَاتَ مَاتَ كَافِرًا وَإِنِ انْتَشَى لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَإِنْ مَاتَ فِيهَا مَاتَ كَافِرًا . خَالَفَهُ يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ.

(5671) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: जिस शख़्स ने शराब पी लेकिन वह नशे में मदहोश न हुआ तो जब तक वह शराब ज़र्रा भर भी उसके पेट या रगों में रहेगी तो उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। और अगर वह इस हाल में मर गया तो काफ़िर की मौत मर गया। और अगर वह नशे में बदमस्त हो गया तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल न होगी। और अगर वह इस दौरान में मर गया तो काफिर की मौत मर गया।

यज़ीद बिन अबू ज़ियाद ने इस (फ़ुज़ैल) की मुख़ालिफ़त की है।

(5671) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5178.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सूद ये है कि फ़ुज़ैल बिन अम्र ने ये रिवायत बयान की तो अन मुजाहिद अन इब्ने अम्र कहा, यानी उसे अब्दुल्लाह बिन उमर (ﷺ) की मुसनद क़रार दिया जब कि यज़ीद बिन अबू ज़ियाद ने मुजाहिद से ये रिवायत बयान की तो अन अब्दुल्लाह बिन अम्र कहा, यानी उसको अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) की मुसनद के तौर पर बयान किया। वल्लाहु आलम! (2) 'काफ़िर की मौत' क्योंकि नमाज़ क़बूल न होने की वजह से वह काफ़िर जैसा हो गया और ये इन्तेहाई क़बीह सूरत है। अआज़नल्लाह मिन्हा.

أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ يَزِيدَ، ح وَأَنْبَأَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو،

(5672) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स शराब पिये और उसे अपने पेट में डाले, अल्लाह तआला सात दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं फ़रमाता। अगर वह इन सात

عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَجَعَلَهَا فِي بَطْنِهِ لَمْ يَقْبَلِ اللَّهُ مِنْهُ صَلاَةً سَبْعًا إِنْ مَاتَ فِيهَا " . وَقَالَ ابْنُ آدَمَ " فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا فَإِنْ أَذْهَبَتْ عَقْلَهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الْفَرَائِضِ". وَقَالَ ابْنُ آدَمَ " الْقُرْآنِ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ يَوْمًا إِنْ مَاتَ فِيهَا " . وَقَالَ ابْنُ آدَمَ " فِيهِنَّ مَاتَ كَافِرًا".

दिनों में मर गया तो काफ़िर की मौत मरेगा। और अगर शराब ने उसकी अक़्ल मार दी और वह किसी क़ुर्आनी फ़रीज़े के तर्क का मुर्तकिब हो गया तो चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। और अगर वह इस दौरान में मर गया तो काफ़िर की मौत मरेगा।

(5672) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) तबरानी: 12/404, हदीस: 13492, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5179.

باب(۴۵): تَوْبَةِ شَارِبِ الْخَمْرِ

बाब : (45) शराबी की तौबा कैसे होगी?

أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ يَزِيدَ، ح وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ بَقِيَّةَ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو، - وَهُوَ الأَوْزَاعِيُّ - عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، قَالَ دَخَلْتُ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَهُوَ فِي حَائِطٍ لَهُ بِالطَّائِفِ يُقَالُ لَهُ الْوَهْطُ وَهُوَ مُخَاصِرٌ فَتًى مِنْ قُرَيْشٍ يُزَنُّ ذَلِكَ الْفَتَى بِشُرْبِ الْخَمْرِ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ شَرْبَةً لَمْ تُقْبَلْ لَهُ تَوْبَةٌ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ

(5673) हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन दैलमी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अ़म्र बिन आ़स (ؓ) के पास हाज़िर हुआ तो वह ताइफ़ में अपने एक बाग़ में थे जिसे वहत कहा जाता था। वह उस वक़्त एक क़ुरैशी नौजवान के हाथ में हाथ डाले हुये जा रहे थे। उस नौजवान के बारे में मशहूर था कि वह शराबी है। वह फ़रमाने लगे: मैंने रसूलल्लाह (ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'जिस शख़्स ने एक दफ़ा शराब पी, चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। फिर अगर वह तौबा करे तो अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़बूल फ़रमा लेगा। अगर दोबारा पिये तो फिर चालीस दिन तक उसकी नमाज़ क़बूल नहीं होगी। अगर फिर भी तौबा करे तो अल्लाह तआ़ला उसकी तौबा क़बूल फ़रमा लेगा। लेकिन अगर फिर पी ले तो अल्लाह तआ़ला ने क़सम खा रखी

تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ لَمْ تُقْبَلْ تَوْبَتُهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحًا فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَإِنْ عَادَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " . اللَّفْظُ لِعَمْرٍو

है कि क़यामत के दिन ज़रूर उसे जहन्नमियों की पीप पिलायेगा।'

(हदीस़ के) ये लफ़्ज़ अम्र के हैं।

(5673) तख़रीज : (सनद सहीह) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5180, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस़: 1378, देखियें, हदीस़: 5667.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने ये रिवायत दो उस्तादों: क़ासिम बिन ज़करिया बिन दीनार और अम्र बिन उ़स्मान से बयान की है। **(2)** इस हदीस़ से मालूम हुआ कि तौबा से हर क़िस्म के स़ग़ीरा व कबीरा गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कुफ़्र व शिर्क और निफ़ाक़ से बढ़ कर और कौन सा गुनाह हो सकता है? और ये सारे के सारे गुनाह भी सच्ची, खरी और ख़ालिस़ तौबा से माफ़ हो जाते हैं, और गुनाह सरज़द होने के फ़ौरन बाद तौबा करना, क़बूलियते तौबा की शर्त नहीं, ताहम अफ़ज़ल ज़रूर है। **(3)** हदीस़ में मज़्कूर सज़ा, महज़ शराब नोशी की है, ख़्वाह नशा चढ़े या न चढ़े और ख़्वाह शराब थोड़ी पी हो या ज़्यादा। **(4)** 'वहत' ये उनका वसीअ़ व अ़रीज़ बाग़ था जो उनको अपने वालिद मोहतरम से वरासत में मिला था। इसकी मसाफ़त बहुत ज़्यादा बयान की जाती है। अक्स़र अंगूर की बेलें थीं। **(5)** तौबा क़बूल करने से मुराद ये है कि इसे आख़िरत में (शराब पीने की) सज़ा नहीं देगा। मुमकिन है अगर वह चालीस दिन के अन्दर तौबा कर ले तो उसकी नमाज़ें भी क़बूल होना शुरू हो जायें क्योंकि तौबा गुनाह और उसके अस़रात को मिटा देती है। **(6)** 'क़सम खा रखी है' यानी तीसरी दफ़ा तौबा क़बूल नहीं होगी बल्कि उसे आख़िरत में शराब पीने की सज़ा मिलेगी लेकिन ये भी तब है जब अल्लाह तआ़ला उसे माफ़ न फ़रमाये। **(7)** तीसरी दफ़ा तौबा क़बूल न होने का ये मतलब नहीं कि उसे जन्नत से मुत्लक़न महरूम कर दिया जायेगा क्योंकि ये तो स़िर्फ़ काफ़िर के साथ ख़ास़ है। ज़्यादा से ज़्यादा इसका मतलब ये है कि शराब पीने की सज़ा ज़रूर दी जायेगी। उसके बाद जन्नत या जहन्नम कोई भी उसका ठिकाना हो सकता है। **(8)** 'जहन्नमियों की पीप' अरबी में लफ़्ज़ तीनतुल खबाल इस्तेमाल फ़रमाया गया है। एक दूसरी रिवायत में इसकी तफ़्सीर जहन्नमियों के ज़ख़्मों की पीप और लहू से की गई है, इसलिये ये तर्जुमा किया गया वरना ये लफ़्ज़ी तर्जुमा नहीं।

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، - وَاللَّفْظُ لَهُ - عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ

(5674) हज़रत इब्ने उ़मर (رضي الله عنه) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स दुनिया में शराब पियेगा और उससे तौबा नहीं करेगा, वह आख़िरत में जन्नती शराब से महरूम रहेगा।'

حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَهَا فِي الآخِرَةِ " .

(5674) तख़रीज : (सनद सही) बुख़ारी, हदीस: 5575, मुस्लिम, हदीस: 2003/76, 677, मौता: 2/846, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5181.

الرِّوَايَةِ فِي الْمُدْمِنِينَ فِي الْخَمْرِ

बाब : (46) आदी शराब नोशों के मुताल्लिक़ हदीस का बयान

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ نُبَيْطٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ " لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنَّانٌ وَلاَ عَاقٌّ وَلاَ مُدْمِنُ خَمْرٍ " .

(5675) हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'एहसान जतलाने वाला, माँ बाप का नाफ़रमान और आदी शराब नोश जन्नत में नहीं जायेंगे।'

(5675) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: 2/201, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5182, व सहीह इब्ने हिब्बान, हदीस: 1382, 1383.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'नहीं जायेंगे' यानी अव्वलीन तौर पर जन्नत में नहीं जायेंगे वरना सज़ा भुगतने के बाद तो कोई चीज़ दुख़ूले जन्नत से रुकावट नहीं। गोया जुर्म नाक़ाबिले माफ़ी हैं। उनकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इन तीनों से मुराद वह अश्ख़ास हैं जो इन गुनाहों के आदी हों और मौत तक उन पर कारबन्द रहे हों वरना कभी कभार सुदूर तो क़ाबिले माफ़ी है जैसा कि पीछे गुज़रा, और तौबा गुनाह को ख़त्म कर देती है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ مِنْهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ " .

(5676) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स दुनिया में शराब पीता और मरते दम तक उसका आदी रहा, उससे तौबा नहीं की, वह आख़िरत में जन्नती शराब नहीं पी सकेगा।'

(5676) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2003, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5183.

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ ".

(5677) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'जो शख़्स दुनिया में शराब पिये और मौत तक पीता रहे (तौबा न करे) वह आख़िरत में जन्नती शराब नहीं पियेगा।'

(5677) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5184.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ مَنْ مَاتَ مُدْمِنًا لِلْخَمْرِ نُضِحَ فِي وَجْهِهِ بِالْحَمِيمِ حِينَ يُفَارِقُ الدُّنْيَا .

(5678) हज़रत ज़ह्हाक ने फ़रमाया: जो शख़्स शराब का आदी रहा और उसी हाल में मर गया, जब वह दुनिया से रुख़सत होगा तो उसके चेहरे पर गर्म पानी डाला जायेगा।

(5678) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5185.

باب : (۴۷)
تَغْرِيبِ شَارِبِ الْخَمْرِ

बाब : (47)
शराबी को जला वतन करना

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ غَرَّبَ عُمَرُ رضى الله عنه رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ فِي الْخَمْرِ إِلَى خَيْبَرَ فَلَحِقَ بِهِرَقْلَ فَتَنَصَّرَ فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ أُغَرِّبُ بَعْدَهُ مُسْلِمًا .

(5679) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हज़रत उमर (ﷺ) ने रबीया बिन उमैया को शराब पीने की बिना पर ख़ैबर की तरफ़ जला वतन कर दिया था मगर वह (रूमी बादशाह) हिरक्ल के यहाँ चला गया और ईसाई बन गया। हज़रत उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: आज के बाद मैं किसी मुसलमान को जला वतन नहीं करूँगा।

(5679) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5186, मुसन्नफ़ अब्दुर्रज़्ज़ाक़: 9/230, 331, हदीस: 17040, 7/314, हदीस: 13320.

बाब : (48)
वह अहादीस़ जिन से कुछ लोगों ने नशावर मशरूब पीने का जवाज़ निकाला है

باب(٤٨): ذِكْرِ الأَخْبَارِ الَّتِي اعْتَلَّ بِهَا مَنْ أَبَاحَ شَرَابَ الْمُسْكِرِ

(5680) हज़रत अबू बुर्दा बिन नियार (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'तमाम बर्तनों में बना हुआ मशरूब तुम पी सकते हो लेकिन तुम नशे में न आना।'

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा कि ये हदीस़ मुन्कर है। अबुल अह्वस सलाम बिन सुलैम ने इसमें ग़लती की है। सिमाक बिन हरब के अस्हाब (शागिर्दों) में से किसी ने भी इसकी मुताबिअ़त नहीं की, जबकि (ख़ुद) सिमाक क़वी नहीं। और वह तल्क़ीन क़बूल करता था (जिस तरह कोई कहता उसे मान लेता और अपनी रिवायत उसी तरह बदल लेता था) इमाम अहमद बिन हम्बल (رحمه الله) ने फ़रमाया कि अबुल अह्वस इस हदीस़ में ग़लती किया करता था। इस हदीस़ की सनद और इसके अल्फ़ाज़ में शरीक ने इसकी मुख़ालिफ़त की है।

(5680) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5187, नसबुर्राया: 4/308, 309.

أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اشْرَبُوا فِي الظُّرُوفِ وَلاَ تَسْكَرُوا " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ غَلِطَ فِيهِ أَبُو الأَحْوَصِ سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ لاَ نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ . قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ كَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يُخْطِئُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ . خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ وَفِي لَفْظِهِ .

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'ये हदीस़ मुन्कर है' यानी ज़ईफ़ और स़ही अहादीस़ के ख़िलाफ़ है। दूसरे सिक़ा रावी इस तरह बयान नहीं करते। सिर्फ़ अबुल अह्वस बयान करता है और वह बक़ौल इमाम अहमद बिन हम्बल (رحمه الله) ज़ईफ़ है। और इसका उस्ताद सिमाक भी क़वी नहीं बल्कि वह लोगों की तल्क़ीन क़बूल कर लिया करता था। **(2)** कुछ लोगों से अहनाफ़ मुराद हैं। उनका इस्तेदलाल 'तुम नशे में न आना' से है। गोया पीना मना नहीं, नशे में आना मना है मगर ये दुरुस्त नहीं क्योंकि ये रिवायत ज़ईफ़ है जबकि दीगर रिवायात में ये लफ़्ज़ हैं 'लेकिन तुम नशावर मशरूब न पीना' यानी हर बर्तन में नबीज़ बनाई जा सकती है मगर उसमें नशा पैदा न हो, और इन अल्फ़ाज़ के मानी भी दूसरी रिवायात के

मुताबिक़ हो सकते हैं कि तुम नशावर चीज़ न पीना क्योंकि पिये बग़ैर तो नशे में नहीं आ सकते। किसी एक रिवायत के मानी दूसरी सही रिवायात के ख़िलाफ़ नहीं किये जा सकते और न किसी एक ज़ईफ़ रिवायत की वजह से दीगर कसीर सही रिवायात को छोड़ा जा सकता है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ . خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ .

(5681) हज़रत बुरैदा (﵁) से मरवी है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने कद्दु के बर्तन, रौग़नी मटके, खजूर की जड़ के बर्तन और तारकोल लगे हुये बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना फ़रमाया।

अबू अवाना ने इस (शरीक, रावि-ए-हदीस) की मुख़ालिफ़त की है।

(5681) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5188.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मज़्कूरा रिवायत में अबू अवाना ने शरीक की मुख़ालिफ़त की है। ये मुख़ालिफ़त सनद में भी है और मतन में भी जैसा कि आइन्दा रिवायत से ये मुख़ालिफ़त वाज़ेह तौर पर मालूम हो जाती है। **(2)** गोया असल रिवायत इस तरह है। इस ज़ईफ़ रावी ने सनद भी बदल दी और रिवायत के अल्फ़ाज़ भी, लिहाज़ा वह ज़ईफ़ रिवायत किसी भी लिहाज़ से क़ाबिले इस्तिदलाल नहीं। मुहक़्क़िक़े किताब का इसे सही कहना दुरुस्त नहीं।

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حَجَّاجٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قُرْصَافَةَ، - امْرَأَةٌ مِنْهُمْ - عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتِ اشْرَبُوا وَلاَ تَسْكَرُوا . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَيْضًا غَيْرُ ثَابِتٍ وَقُرْصَافَةُ هَذِهِ لاَ نَدْرِي مَنْ هِيَ وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَائِشَةَ خِلاَفُ مَا رَوَتْ عَنْهَا قُرْصَافَةُ .

(5682) क़ुर्साफ़ा नामी एक औरत से रिवायत है कि हज़रत आयशा (﵅) ने फ़रमाया: हर मशरूब पी सकते हो मगर नशे में न आओ।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (ﷺ)) ने फ़रमाया कि ये रिवायत भी सही नहीं क्योंकि हम (मुहद्दिसीन) नहीं जानते ये क़ुर्साफ़ा कौन और कैसी औरत है? जब कि हज़रत आयशा (﵅) से मशहूर रिवायात इसके ख़िलाफ़ हैं जो उनसे क़ुर्साफ़ा ने बयान किया है।

(5682) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5189.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ قُدَامَةَ الْعَامِرِيِّ، أَنَّ جَسْرَةَ بِنْتَ دَجَاجَةَ الْعَامِرِيَّةَ، حَدَّثَتْهُ قَالَتْ، سَمِعْتُ عَائِشَةَ، سَأَلَهَا أُنَاسٌ كُلُّهُمْ يَسْأَلُ عَنِ النَّبِيذِ، يَقُولُ نَنْبِذُ التَّمْرَ غُدْوَةً وَنَشْرَبُهُ عَشِيًّا وَنَنْبِذُهُ عَشِيًّا وَنَشْرَبُهُ غُدْوَةً . قَالَتْ لاَ أُحِلُّ مُسْكِرًا وَإِنْ كَانَ خُبْزًا وَإِنْ كَانَتْ مَاءً . قَالَتْهَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ .

(5683) हज़रत जसरा बिन्ते दजाजा आमिरिया ने बयान किया कि हज़रत आयशा (ﷺ) से कुछ लोगों ने मसाइल पूछे। तक़रीबन सब लोग उनसे नबीज़ के बारे में पूछ रहे थे कि हम सुबह के वक़्त खजूरों को भिगोते (नबीज़ बनाते) हैं, शाम को पी लेते हैं और शाम को भिगोते (नबीज़ बनाते) हैं तो सुबह को पी लेते हैं। तो मैंने उनको फ़रमाते सुनाः मैं किसी नशावर चीज़ को हलाल नहीं कह सकती, ख़्वाह वह रोटी हो, ख़्वाह वह पानी हो। उन्होंने तीन दफ़ा फ़रमाया।

(5683) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5190, नैलुल मक़सूद, हदीस: 3568..

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत से मालूम हुआ कि हज़रत आयशा (ﷺ) मामूली सी नशे वाली चीज़ को भी जायज़ नहीं समझती थीं। सुबह की नबीज़ में शाम तक और शाम की नबीज़ में सुबह तक नशा पैदा नहीं होता मगर उन्होंने फिर भी एहतियातन तम्बीह फ़रमा दी कि नशा नहीं होना चाहिए, इसलिये उनसे मरवी साबिक़ा मज्हूल रिवायत किसी सूरत दुरुस्त नहीं। **(2)** 'ख़्वाह रोटी हो' ये फ़र्ज़ी बात है वरना रोटी, पानी में नशा मुमकिन ही नहीं। मुबालिग़ा मक़सूद है। मुबालिग़े में ये अन्दाज़ मुस्तामल (इस्तेमाल होता) है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ حَدَّثَتْنَا كَرِيمَةُ بِنْتُ هَمَّامٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، تَقُولُ نُهِيتُمْ عَنِ الدُّبَّاءِ، نُهِيتُمْ عَنِ الْحَنْتَمِ، نُهِيتُمْ عَنِ الْمُزَفَّتِ، . ثُمَّ أَقْبَلَتْ عَلَى النِّسَاءِ فَقَالَتْ إِيَّاكُنَّ وَالْجَرَّ الأَخْضَرَ وَإِنْ أَسْكَرَكُنَّ مَاءُ حُبِّكُنَّ فَلاَ تَشْرَبْنَهُ.

(5684) हज़रत करीमा बिन्ते हम्माम से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत आयशा (ﷺ) को फ़रमाते सुनाः तुम्हें कद्दु के बर्तन से रोका गया है, तुम्हें रौग़नी मटके (की नबीज़) से मना किया गया है, तुम्हें तारकोल वाले बर्तन (में नबीज़ बनाने) से मना किया गया है। फिर आप औरतों की तरफ़ मुतवज्जा हुईं और फ़रमायाः सब्ज़ रौग़नी मटके (की नबीज़) से बचो। अगर तुम्हारे मटके का पानी भी नशा दे तो उसे न पियो (न पिलाओ)

(5684) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5191, नैलुल, हदीस: 4164.

फ़ायदा : जब हज़रत आयशा (ﷺ) ऐसे बर्तनों से जिनमें नशे का सिर्फ़ इम्कान है मना फ़रमा रही हैं तो क्या वह ये कह सकती हैं कि नशावर मशरूब पियो लेकिन नशा न आये? हरगिज़ नहीं। बर्तनों के मसले की तहक़ीक़ अन क़रीब गुज़र चुकी है, और राजेह क़ौल के मुताबिक़ ये रिवायत शवाहिद की बिना पर सही है। (ज़ख़ीरतुल उक़्बा, शरह सुनन नसाई: 40/305)

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ صَمْعَةَ، قَالَ حَدَّثَتْنِي وَالِدَتِي، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَقَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ . وَاعْتَلُّوا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ .

(5685) हज़रत आयशा (ﷺ) से कुछ मशरूबात के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि रसूलुल्लाह (ﷺ) हर नशावर चीज़ से मना फ़रमाते थे।

(इमाम नसाई (ﷺ) ने कहा कि) उन लोगों ने अब्दुल्लाह बिन शद्दाद की अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से बयान कर्दा रिवायत से दलील पकड़ी है।

(5685) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5192, देखें, हदीस: 5104.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ، يَذْكُرُهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادِ بْنِ الْهَادِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ . ابْنُ شُبْرُمَةَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ .

(5686) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया कि ख़म्र (शराब) तो क़लील भी हराम है और कसीर भी जबकि दूसरे मशरूबात से नशावर (हराम हैं)

इब्ने शुब्रुमा ने ये हदीस अब्दुल्लाह बिन शद्दाद से नहीं सुनी।

(5686) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5193, देखें, हदीस: 5688.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत का मज़्कूरा तर्जुमा उन लोगों की रिआयत से किया गया है जो उससे ऊपर दिये गये इस्तिदलाल करते हैं वरना इसका ये तर्जुमा भी हो सकता है 'शराब क़लील और कसीर हराम है, और हर नशावर मशरूब (भी हराम है) बल्कि ये तर्जुमा तर्कीबी बन्दिश के लिहाज़ से ज़्यादा सही है, ख़ुसूसन जब कि ये तर्जुमा हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास (ﷺ) से मरवी दीगर रिवायात के मुताबिक़ है क्योंकि वह, नशावर मशरूब तो एक तरफ़ रहा, नशे के इम्कान वाले बर्तनों तक के क़ाइल नहीं जैसा कि पीछे वह रिवायात गुज़र चुकी हैं और आइन्दा भी मज़्कूर हैं। **(2)** 'नहीं सुनी' यानी ये रिवायत मुन्क़तअ है और मुन्क़तअ रिवायत ज़ईफ़ होती है।

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ حَدَّثَنِي الثِّقَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ . خَالَفَهُ أَبُو عَوْنٍ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الثَّقَفِيُّ .

(5687) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: शराब बिऐनिही हराम है, थोड़ी हो या ज़्यादा। और हर दूसरे मशरूब से नशा (हराम है।)

अबू औ़न मुहम्मद बिन उ़बैदुल्लाह स़क़फ़ी ने इस (इब्ने शुब्रुमा) की मुख़ालिफ़त की है (जैसा कि आइन्दा रिवायत से ज़ाहिर हो रहा है)

(5687) तख़रीज : (सनद स़ही) पिछली हदीस़ देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5194.

फ़ायदा : इस रिवायत को ये स़ाबित करने के लिये ज़िक्र फ़रमाया कि साबिक़ा रिवायत की सनद मुन्क़तअ़ है जैसा कि इस रिवायत की सनद में स़ाफ़ नज़र आ रहा है, वरना ये साबिक़ा रिवायत ही है, कोई अलग नहीं।

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، ح وَأَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ . لَمْ يَذْكُرِ ابْنُ الْحَكَمِ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا .

(5688) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: शराब बिऐनिही हराम है, क़लील हो या कस़ीर, और हर नशावर मशरूब भी हराम है।

इब्ने हकम ने क़लीलुहा व कस़ीरुहा के अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये।

(5688) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5195.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) ने मज़्कूरा रिवायत दो उस्तादों से बयान की है: एक मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन हकम और दूसरे हुसैन बिन मन्स़ूर। मुहम्मद बिन अ़ब्दुल्लाह बिन हकम ने मज़्कूरा अल्फ़ाज़ बयान नहीं किये जबकि हुसैन बिन मन्स़ूर ने ये अल्फ़ाज़ बयान किये हैं। **(2)** इस रिवायत के लाने से मक़स़ूद ये है कि स़ही रिवायत इन अल्फ़ाज़ के साथ आती है, यानी शराब भी हराम है और हर नशावर मशरूब भी। क़लील हो या कस़ीर। और ये रिवायत हज़रत इब्ने अ़ब्बास

(ﷺ) की दीगर रिवायात के मुवाफ़िक़ है और सिक़ा रावी ये रिवायत उन्हीं अल्फ़ाज़ से बयान करते हैं और यही क़ाबिले इस्तेदलाल है न कि पहली ज़ईफ़ और मुन्क़तअ रिवायत। पहली रिवायत को सही मानने की सूरत में इसका तर्जुमा मज़्कूरा रिवायत वाला होगा ताकि तमाम रिवायात में तत्बीक़ हो जाये।

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ قَلِيلُهَا وَكَثِيرُهَا وَمَا أَسْكَرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَهُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ كَانَ يُدَلِّسُ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِ ذِكْرُ السَّمَاعِ مِنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ وَرِوَايَةُ أَبِي عَوْنٍ أَشْبَهُ بِمَا رَوَاهُ الثِّقَاتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

(5689) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: शराब क़लील हो या कसीर हराम है। इसी तरह हर नशावर मशरूब भी।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा कि ये रिवायत इब्ने शुब्रुमा की (बयान कर्दा) रिवायत से ज़्यादा दुरुस्त है। हुशैम बिन बशीर तदलीस करता है और इसकी हदीस में इस (हुशैम) के इब्ने शुब्रुमा से सुनने का ज़िक्र भी नहीं। और अबू औन की रिवायत, सिक़ात की हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से बयान कर्दा रिवायत के बहुत मुशाबेह है।

(5689) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5656, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5196.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ الْجَرْمِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَهُوَ مُسْنِدٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْكَعْبَةِ عَنِ الْبَاذَقِ، فَقَالَ سَبَقَ مُحَمَّدٌ الْبَاذَقَ وَمَا أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ . قَالَ أَنَا أَوَّلُ الْعَرَبِ سَأَلَهُ .

(5690) हज़रत अबुल जुवैरिया जरमी से रिवायत है कि हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) काबा मुशर्रफ़ से टेक लगाये बैठे थे कि मैंने उनसे बाज़क़ के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया: हज़रत मुहम्मद (ﷺ) बाज़क़ (शराब) से पहले तशरीफ़ ले गये (लेकिन आपका फ़रमान मौजूद है कि) हर नशावर मशरूब हराम है। अबुल जुवैरिया ने कहा कि मैं पहला अरबी था जिसने उनसे बाज़क़ के बारे में पूछा।

(5690) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5686, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5197.

फ़ायदा : ये और आइन्दा रिवायात ये बताने के लिये लाई गई हैं कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) हर नशावर मशरूब को हराम समझते थे, ख़्वाह वह ख़म्र हो या कुछ और।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَامِرٍ، وَالنَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، وَوَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالُوا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْحَكَمِ، يُحَدِّثُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ، - إِنْ كَانَ مُحَرِّمًا مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ - فَلْيُحَرِّمِ النَّبِيذَ .

(5691) हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: जो शख़्स पसन्द करता है कि अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल (ﷺ) की हराम कर्दा चीज़ों को हराम कहे तो वह (नशावर) नबीज़ को हराम क़रार दे।

(5691) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) मुसनद अहमद: 1/27, 229, 240, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5198.

फ़ायदा : इससे ज़्यादा वज़ाहत क्या हो सकती है कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) नशावर नबीज़ को अल्लाह और उसके रसूल की हराम कर्दा क़रार दे रहे हैं? वह कैसे थोड़ी मिक़्दार में नशावर मशरूब की इजाज़त दे सकते हैं।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنِّي امْرُؤٌ مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ وَإِنَّ أَرْضَنَا أَرْضٌ بَارِدَةٌ وَإِنَّا نَتَّخِذُ شَرَابًا نَشْرَبُهُ مِنَ الزَّبِيبِ وَالْعِنَبِ وَغَيْرِهِ وَقَدْ أُشْكِلَ عَلَىَّ . فَذَكَرَ لَهُ ضُرُوبًا مِنَ الأَشْرِبَةِ فَأَكْثَرَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ لَمْ يَفْهَمْهُ فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّكَ قَدْ أَكْثَرْتَ عَلَىَّ اجْتَنِبْ مَا أَسْكَرَ مِنْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ

(5692) हज़रत अ़ब्दुर्रहमान से रिवायत है कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) से कहा कि मैं इलाक़-ए-ख़ुरासान से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारा इलाक़ा सख़्त ठण्डा है। (सर्दी का तोड़ करने के लिये) हम मुनक़्क़ा और अंगूर वग़ैरह से मशरूब तैयार करते हैं जिसे हम पीते हैं। मुझे इस की हिल्लत व हुर्मत) के बारे में इश्काल है। फिर उसने और कई क़िस्म के मशरूब भी ज़िक्र किये यहाँ तक कि मैंने ख़्याल किया कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने उन्हें नहीं समझा। हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: तूने बड़ी लम्बी चोड़ी बातें की हैं। (ज़ाब्ते की बात याद रख कि) हर नशावर चीज़ से इज्तेनाब कर, ख़्वाह वह खजूर से तैयार हो या मुनक़्क़ा से या किसी और फल से।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5199.

फ़ायदा : इस जवाब में भी हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने हर नशावर चीज़ से इज्तेनाब का हुक्म दिया है चाहे वह किसी भी चीज़ से तैयार की गई हो। और यही उनका सही फ़तवा है जो सही सनद से मन्क़ूल है।

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ نَبِيذُ الْبُسْرِ بَحْتًا لاَ يَحِلُّ ‏.‏

(5693) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) ने फ़रमाया: गदर खजूर की नबीज़ हराम है, क़तअन हलाल नहीं।

(5693) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5200.

फ़ायदा : इससे मुराद नशावर नबीज़ है। चूंकि गदर खजूर की नबीज़ जल्दी नशावर हो जाती है, इसलिए क़ैद लगाने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई। इस फ़तवे से भी हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) का मस्लक मालूम हो गया।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، قَالَ كُنْتُ أُتَرْجِمُ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَبَيْنَ النَّاسِ فَأَتَتْهُ امْرَأَةٌ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، فَنَهَى عَنْهُ ‏.‏ قُلْتُ يَا أَبَا عَبَّاسٍ إِنِّي أَنْتَبِذُ فِي جَرَّةٍ خَضْرَاءَ نَبِيذًا حُلْوًا فَأَشْرَبُ مِنْهُ فَيُقَرْقِرُ بَطْنِي ‏.‏ قَالَ لاَ تَشْرَبْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ ‏.‏

(5694) हज़रत अबू जमरा ने कहा कि मैं हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) और लोगों (साइलीन) के दरम्यान तर्जुमानी का फ़रीज़ा सरअंजाम दिया करता था। एक औरत उनके पास आई और मटके की नबीज़ के बारे में पूछने लगी। उन्होंने उससे मना फ़रमाया। मैंने कहा: ऐ अबू अब्बास! मैं सब्ज़ रौग़नी मटके में मीठी नबीज़ बनाता हूँ, फिर उसमें से पीता हूँ तो मेरे पेट में गुड गुड होती है। उन्होंने कहा कि ऐसी नबीज़ मत पी, अगरचे वह शहद से ज़्यादा मीठी हो।

(5694) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5201.

फ़वाइद व मसाइल : (1) सवाल का मक़सद ये है कि इसके ज़ाइक़े में तो कोई तल्ख़ी नहीं होती बल्कि ख़ालिस मीठा होता है और ये निशानी है उसमें नशा न पैदा होने की मगर पेट में गुड गुड से शक पड़ता है कि इसमें नशा है क्योंकि ये तल्ख़ी उसकी दलील है। जवाब का मफ़ाद ये है कि ऐसी मश्कूक नबीज़ मत पियो, ख़्वाह उसका ज़ाइक़ा सही हो और ज़ाहिरन नशा मालूम न होता हो। ग़ौर फ़रमाइये हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) तो मशकूक नबीज़ की भी इजाज़त नहीं दे रहे, वह नशावर की इजाज़त कैसे दे सकते हैं? (2) 'अबू अब्बास' ये भी हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) की कुनियत है अगरचे वह इस कुनियत से ज़्यादा मशहूर नहीं हुये।

(5695) हज़रत अबू जमरा नस्र ने बयान किया कि मैंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से कहा कि मेरी दादी मेरे लिये एक मटके में नबीज़ बनाती हैं। मैं उसे पीता हूँ तो वह बिल्कुल मीठी होती है लेकिन अगर मैं उसे ज़्यादा मिक़्दार में पी लूँ फिर लोगों में जा बैठूँ तो मुझे ख़तरा होता है कि मैं (कोई नामुनासिब बात करके) कहीं रुस्वा न हो जाऊँ। हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) फ़रमाने लगे: क़बील-ए-अब्दुल क़ैस का वफ़्द रसूलुल्लाह(ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ तो आपने फ़रमाया: 'ख़ूश आमदेद उस वफ़्द को जो न रुस्वा हुये न नादिम।' वह कहने लगे: अल्लाह के रसूल! हमारे और आपके दरम्यान मुश्रिकीन हाइल हैं। हम हुर्मत के महीनों के अलावा आप तक नहीं पहुँच सकते, लिहाज़ा हमें कोई ऐसी जामेअ बात बयान फ़रमाइये जिस पर अमल करके हम जन्नत में दाख़िल हो जायें और हम उसकी तरफ़ लोगों को भी दावत दें। आपने फ़रमाया: 'मैं तुम्हें तीन चीज़ों का हुक्म देता हूँ और चार चीज़ों से रोकता हूँ मैं तुम्हें अल्लाह तआला पर ईमान लाने का हुक्म देता हूँ। क्या तुम जानते हो कि अल्लाह तआला पर ईमान लाने का क्या मतलब है?' उन्होंने कहा: अल्लाह तआला और उसका रसूल (ﷺ) ही ख़ूब जानते हैं। आपने फ़रमाया: 'इस बात की गवाही देना कि अल्लाह तआला के सिवा कोई माबूद नहीं, नमाज़ क़ाइम करना, ज़कात अदा करना और ये कि तुम ग़नीमत से ख़ुमुस (पाँचवा हिस्सा) हुकूमत को दो। और मैं तुम्हें चार चीज़ों से मना करता हूँ: उस नबीज़ से जो कद्दु के बर्तन, खजूर की जड़ के बर्तन, रौग़नी मटके और तारकोल लगे हुये बर्तन में बनाई जाये।'

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو عَتَّابٍ، - وَهُوَ سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ - قَالَ حَدَّثَنَا قُرَّةُ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَمْرَةَ، نَصْرٌ قَالَ قُلْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ إِنَّ جَدَّةً لِي تَنْبِذُ نَبِيذًا فِي جَرٍّ أَشْرَبُهُ حُلْوًا إِنْ أَكْثَرْتُ مِنْهُ فَجَالَسْتُ الْقَوْمَ خَشِيتُ أَنْ أَفْتَضِحَ . فَقَالَ قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ " مَرْحَبًا بِالْوَفْدِ لَيْسَ بِالْخَزَايَا وَلاَ النَّادِمِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ الْمُشْرِكِينَ وَإِنَّا لاَ نَصِلُ إِلَيْكَ إِلاَّ فِي أَشْهُرِ الْحُرُمِ فَحَدِّثْنَا بِأَمْرٍ إِنْ عَمِلْنَا بِهِ دَخَلْنَا الْجَنَّةَ وَنَدْعُو بِهِ مَنْ وَرَاءَنَا . قَالَ " آمُرُكُمْ بِثَلاَثٍ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ آمُرُكُمْ بِالإِيمَانِ بِاللَّهِ وَهَلْ تَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بِاللَّهِ " . قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ . قَالَ " شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَإِقَامُ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَأَنْ تُعْطُوا مِنَ الْمَغَانِمِ الْخُمُسَ وَأَنْهَاكُمْ عَنْ أَرْبَعٍ عَمَّا يُنْبَذُ فِي الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزَفَّتِ" .

(5695) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5034, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5202.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत से मुताल्लिक़ा चन्द बातें हदीस: 5641 में गुज़र चुकी हैं। **(2)** 'रुस्वा न हो जाऊँ' यानी दिमाग़ सही काम नहीं करता। गोया कुछ न कुछ नशा होता है। **(3)** 'न रुस्वा हुये न नादिम' अगर लड़ाई में शिकस्त के बाद मुसलमान होते तो शिकस्त की रुस्वाई उठाना पड़ती और नबी-ए-अकरम (ﷺ) के साथ लड़ाई की नदामत भी होती। अब अपने आप मुसलमान हुये तो दोनों चीज़ों से महफ़ूज़ है। **(4)** इस बात में इख़्तिलाफ़ है कि आप ने उनको किन चीज़ों का हुक्म दिया और किन से मना फ़रमाया क्योंकि ज़ाहिरन तो एक चीज़ के हुक्म का ज़िक्र है, यानी ईमान बिल्लाह। और एक चीज़ से मना का ज़िक्र है, यानी ऊपर दिये गये बयानों से। गोया बाक़ी चीज़ों का ज़िक्र नहीं बल्कि किसी और रिवायत में भी उनका ज़िक्र नहीं। कुछ हज़रात के नज़दीक वह चीज़ें वही हैं जो ईमान बिल्लाह की तफ़्सीर हैं मगर वह तो चार हैं जब कि ऊपर तीन चीज़ों के हुक्म का ज़िक्र है। मालूम होता है कि शहादतैन को शुमार नहीं किया गया क्योंकि वह शहादतैन तो अदा कर चुके थे। इसी तरह चार ममनूअ चीज़ों से मुराद चार बर्तन ही हैं। वल्लाहु आलम! **(5)** हज़रत इब्ने अब्बास(رضی اللہ عنہ) के जवाब से मक़सूद ये है कि ऐसी नबीज़ जिसमें नशे का शक या इम्कान हो, नहीं पीनी चाहिए, चे जाये कि ऐसी नबीज़ पी जाये जो हक़ीक़तन नशावर हो।

(5696)

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ هُنَانٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ قُلْتُ إِنَّ لِي جُرَيْرَةً أَنْتَبِذُ فِيهَا حَتَّى إِذَا غَلَى وَسَكَنَ شَرِبْتُهُ . قَالَ مُذْ كَمْ هَذَا شَرَابُكَ قُلْتُ مُذْ عِشْرُونَ سَنَةً أَوْ قَالَ مُذْ أَرْبَعُونَ سَنَةً . قَالَ طَالَمَا تَرَوَّتْ عُرُوقُكَ مِنَ الْخَبَثِ . وَمِمَّا اعْتَلُّوا بِهِ حَدِيثُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .

(थोड़ी शराब को जायज़ कहने वाले) उन लोगों ने अब्दुल मलिक बिन नाफ़ेअ की हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर (رضی اللہ عنہ) से मरवी रिवायत (5697) से भी इस्तेदलाल किया है।

(5696) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5203.

फ़ायदा : नबीज़ का जोश में आना नशे की अलामत है। तभी हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) ने उसे पलीद और हराम क़रार दिया। गोया हज़रत इब्ने अब्बास (رضی اللہ عنہ) के नज़दीक नशावर नबीज़ पलीद और हराम है, ख़्वाह क़लील हो या कसीर, लिहाज़ा नशावर मशरूब को नशे से कम कम पीने की इजाज़त वाली रिवायत उनसे सही नहीं।

(5697) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने कहा: मैंने देखा कि एक आदमी रसूलुल्लाह (ﷺ) के पास एक प्याला लेकर आया। उसमें नबीज़ थी जब कि रसूलुल्लाह (ﷺ) उस वक़्त रुक्न के पास थे। उसने प्याला आपको पकड़ा दिया। आपने उसे अपने मुँह मुबारक की तरफ़ बढ़ाया तो आपने उसे तल्ख़ महसूस किया और उसे वापस कर दिया। लोगों में से एक आदमी ने आपसे कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये हराम है? आपने फ़रमाया: 'इस (प्याले वाले) आदमी को वापस मेरे पास लाओ।' उसे लाया गया तो आपने उससे प्याला पकड़ा। फिर कुछ पानी मँगवा कर उसमें डाला। फिर उसे अपने दहन मुबारक की तरफ़ बढ़ाया लेकिन फिर तीवरी सी चढ़ाई। फिर और पानी मँगवाया और उसमें डाला। फिर फ़रमाया: 'जब इन बर्तनों की नबीज़ में नशा और तल्ख़ पैदा होने लगे तो उसकी तेज़ी को पानी से तोड़ लिया करो।'

(5697) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5204.

أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا الْعَوَّامُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَأَيْتُ رَجُلاً جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ وَهُوَ عِنْدَ الرُّكْنِ وَدَفَعَ إِلَيْهِ الْقَدَحَ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَوَجَدَهُ شَدِيدًا فَرَدَّهُ عَلَى صَاحِبِهِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحَرَامٌ هُوَ فَقَالَ " عَلَىَّ بِالرَّجُلِ " . فَأُتِيَ بِهِ فَأَخَذَ مِنْهُ الْقَدَحَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَصَبَّهُ فِيهِ فَرَفَعَهُ إِلَى فِيهِ فَقَطَّبَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ أَيْضًا فَصَبَّهُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ " إِذَا اغْتَلَمَتْ عَلَيْكُمْ هَذِهِ الأَوْعِيَةُ فَاكْسِرُوا مُتُونَهَا بِالْمَاءِ " .

(5698) (एक दूसरी सनद से) हज़रत इब्ने उमर(ﷺ) ने नबी-ए-अकरम (ﷺ) से ऐसी ही रिवायत नक़ल फ़रमाई है।

अबू अब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा कि इस रिवायत का रावी अब्दुल मलिक बिन नाफ़ेअ मशहूर नहीं और न उसकी हदीस क़ाबिले एहतिजाज (हुज्जत के काबिल) है जब कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से मन्क़ूल मशहूर रिवायात इस रिवायत के ख़िलाफ़ हैं।

(5698) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5205.

وَأَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ نَافِعٍ لَيْسَ بِالْمَشْهُورِ وَلاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ وَالْمَشْهُورُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ خِلاَفُ حِكَايَتِهِ .

फ़ायदा : ये चौथी रिवायत है जिससे अहनाफ़ ने ख़म्र के अलावा दीगर नशावर मशरूब को थोड़ी मिक़्दार में पीने के जवाज़ पर इस्तेदलाल किया है, हालांकि ये रिवायत भी साबिक़ा तीन रिवायात की तरह ग़ैर मारूफ़ और ज़ईफ़ रावी से मन्क़ूल है जब कि हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से भी मन्क़ूल मशहूर और सही रिवायात इस रिवायत के ख़िलाफ़ हैं। ज़ाहिर है मशहूर और सही रिवायात पर ही अमल होता है न कि ज़ईफ़ और ग़ैर मारूफ़ रिवायत पर। तफ़्सील मुलाहिज़ा फ़रमाइये।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً، سَأَلَ عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَىْءٍ يَنِشُّ .

(5699) हज़रत ज़ैद बिन जुबैर से रिवायत है कि एक आदमी ने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से चन्द मशरूबात के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: हर जोश वाले मशरूब से परहेज़ करो।

(5699) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5206.

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الأَشْرِبَةِ، فَقَالَ اجْتَنِبْ كُلَّ شَىْءٍ يَنِشُّ .

(5700) हज़रत ज़ैद बिन जुबैर से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) से चन्द मशरूबात के बारे में सवाल किया तो उन्होंने फ़रमाया: हर नशावर मशरूब से दूर रहो।

(5700) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5207, पिछली हदीस देखें.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ الْمُسْكِرُ قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ .

(5701) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: नशावर चीज़ थोड़ी भी हराम है और ज़्यादा भी।

(5701) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5207.

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

(5702) हज़रत इब्ने उमर (ﷺ) ने फ़रमाया: हर नशावर चीज़ शराब है। और हर नशावर चीज़ हराम है।

(5702) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5208.

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ شَبِيبًا، - وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ - يَقُولُ حَدَّثَنِي مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ " حَرَّمَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ " .

(5703) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (इब्ने उ़मर) (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'अल्लाह तआ़ला ने शराब को हराम क़रार दिया है और (याद रखो) हर नशावर चीज़ हराम है।'

(5703) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5209, इब्ने माजा, हदीस़: 3387.

أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ، - يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ النَّيْسَابُورِيَّ -قَالَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ " . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَهَؤُلاَءِ أَهْلُ الثَّبْتِ وَالْعَدَالَةِ مَشْهُورُونَ بِصِحَّةِ النَّقْلِ وَعَبْدِ الْمَلِكِ لاَ يَقُومُ مَقَامَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَلَوْ عَاضَدَهُ مِنْ أَشْكَالِهِ جَمَاعَةٌ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

(5704) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम है और हर नशावर मशरूब शराब है।'

अबू अ़ब्दुर्रहमान (इमाम नसाई (رحمه الله)) ने कहा कि ये लोग (इन छ: रिवायात के रावी) इन्तेहाई क़ाबिले ऐतबार और सिक़ा व आ़दिल हैं और वह सही रिवायात बयान करने में मशहूर हैं जब कि अ़ब्दुल मलिक बिन नाफ़ेअ़ (जवाज़ वाली रिवायत का रावी) किसी भी लिहाज़ से इनमें से किसी एक का भी हम पल्ला नहीं, ख़्वाह इस जैसे कई रावी उसके साथ मिल जायें। वबिल्लाहि त्तौफ़ीक़!

(5704) तख़रीज : (सनद हसन) देखें, हदीस़: 5590, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5210.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ السَّعِيدِيِّ، قَالَ حَدَّثَتْنِي رُقَيَّةُ بِنْتُ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ، قَالَتْ كُنْتُ فِي حَجْرِ ابْنِ عُمَرَ فَكَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ ثُمَّ يُجَفَّفُ الزَّبِيبُ وَيُلْقَى عَلَيْهِ زَبِيبٌ آخَرُ

(5705) हज़रत रुक़य्या बिन्ते अ़म्र बिन सईद ने बयान किया कि मैंने हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) के घर परवरिश पाई है। आपके लिये मुनक़्क़ा पानी में डाला जाता। आप अगली सुबह उस पानी को पी लेते और मुनक़्क़ा को ख़ुश्क कर लिया जाता। आप अगली सुबह उस पानी को पी लेते और मुनक़्क़ा को ख़ुश्क कर लिया जाता। फिर उनमें और

وَيُجْعَلُ فِيهِ مَاءٌ فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ الْغَدِ طَرَحَهُ . وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو .

मुनक़्क़ा मिलाकर मज़ीद पानी डाल दिया जाता। उसे आप अगले दिन पी लेते। उसके बाद उस मुनक़्क़ा को फेंक देते।

इसी तरह उन लोगों ने हज़रत अबू मसऊद उ़क़्बा बिन अम्र (ﷺ) की आइन्दा रिवायात से भी इस्तेदलाल किया है।

(5705) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5211.

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُلَيْمَانَ، قَالَ أَنْبَأَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، قَالَ عَطِشَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم حَوْلَ الْكَعْبَةِ فَاسْتَسْقَى فَأُتِيَ بِنَبِيذٍ مِنَ السِّقَايَةِ فَشَمَّهُ فَقَطَّبَ فَقَالَ " عَلَىَّ بِذَنُوبٍ مِنْ زَمْزَمَ " . فَصَبَّ عَلَيْهِ ثُمَّ شَرِبَ فَقَالَ رَجُلٌ أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ " لاَ " . وَهَذَا خَبَرٌ ضَعِيفٌ لأَنَّ يَحْيَى بْنَ يَمَانٍ انْفَرَدَ بِهِ دُونَ أَصْحَابِ سُفْيَانَ وَيَحْيَى بْنُ يَمَانٍ لاَ يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ لِسُوءِ حِفْظِهِ وَكَثْرَةِ خَطَئِهِ .

(5706) हज़रत अबू मसऊद (ﷺ) से रिवायत है कि नबी-ए-अकरम (ﷺ) को काबा मुशर्रफ़ा का तवाफ़ करते हुये प्यास लग गई। आपने पानी माँगा तो आपके पास मश्कीज़े में से नबीज़ लाई गई। आपने उसे सूंघा तो तीवरी चढ़ाई और फ़रमाया: 'मेरे पास ज़मज़म के पानी का एक डोल लाओ।' फिर आपने वह पानी उसमें डाला और नोश फ़रमा लिया। एक आदमी ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! क्या ये हराम है? आपने फ़रमाया: 'नहीं'

और (इमाम नसाई (رحمه الله) ने) फ़रमाया: ये हदीस़ भी ज़ईफ़ है क्योंकि हज़रत सुफ़ियान स़ौरी के शागिर्दों में से स़िर्फ़ यहया बिन यमान ही उसको बयान करता है। लेकिन उसका हाफ़िज़ा ख़राब था और वह बहुत ग़लतियाँ करता था, इसलिये उसकी बयान कर्दा रिवायत क़ाबिले हुज्जत नहीं।

(5706) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5212.

फ़ायदा : ये पाँचवीं रिवायत है जिससे अहनाफ़ ने इस्तेदलाल किया है, दरअस़ल ये और चौथी रिवायत एक ही हैं और हैं भी दोनों ज़ईफ़। इस्तेदलाल यूँ है कि वह नबीज़ नशावर थी। आपने तीवरी चढ़ाई और पानी मिलाया, हालांकि मुमकिन है कि वह ज़्यादा गाढ़ी हो और आप ज़्यादा गाढ़ी पसन्द न

फ़रमाते हों या उसकी बू नागवार हो। पानी मिलाने से वह पतली हो गई और उसे पीना आसान हो गया। नागवार बू भी ख़त्म हो गई। क्या ज़रूरी है कि उसमें नशा ही माना जाये? और फिर उससे सही रिवायात के ख़िलाफ़ इस्तेदलाल किया जाये? ख़ुसूसन जब कि ये रिवायत ज़ईफ़ भी है। इस क़िस्म की रिवायात से वह मफ़हूम मुराद लेना चाहिए जो सही तरीन रिवायात के मुताबिक़ हो या फिर उन्हें छोड़ दिया जाये जैसा कि मुहद्दिसीन का तरीक़ा है।

أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حِصْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ حُسَيْنٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَصُومُ فِي بَعْضِ الأَيَّامِ الَّتِي كَانَ يَصُومُهَا فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَهُ بِنَبِيذٍ صَنَعْتُهُ فِي دُبَّاءٍ فَلَمَّا كَانَ الْمَسَاءُ جِئْتُهُ أَحْمِلُهَا إِلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَصُومُ فِي هَذَا الْيَوْمِ فَتَحَيَّنْتُ فِطْرَكَ بِهَذَا النَّبِيذِ . فَقَالَ " أَدْنِهِ مِنِّي يَا أَبَا هُرَيْرَةَ " . فَرَفَعْتُهُ إِلَيْهِ فَإِذَا هُوَ يَنِشُّ فَقَالَ " خُذْ هَذِهِ فَاضْرِبْ بِهَا الْحَائِطَ فَإِنَّ هَذَا شَرَابُ مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآخِرِ " . وَمِمَّا احْتَجُّوا بِهِ فِعْلُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضى الله عنه .

(5707) हज़रत अबू हुरैरह (ﷺ) ने कहा: मुझे इल्म था कि रसूलुल्लाह (ﷺ) इन दिनों रोज़े रखा करते हैं, इसलिये मैंने कद्दु के बर्तन में नबीज़ बनाकर आपकी इफ़्तारी के लिये अलग रख छोड़ी। जब शाम हूई तो मैं उसे उठाये आपके पास हाज़िर हुआ और कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! मुझे इल्म था कि आज आप रोज़े से हैं तो मैंने ये नबीज़ आपकी इफ़्तारी के लिये रखी हूई थी। आपने फ़रमाया: 'ऐ अबू हुरैरह! ये मेरे पास लाओ। मैंने वह आपको पेश की तो वह उबल रही थी। आपने फ़रमाया: 'इसे पकड़ और दीवार पर दे मार। ये तो उन लोगों का मशरूब है जो अल्लाह तआला और आख़िरत पर ईमान नहीं रखते।'

उन लोगों ने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) के (आइन्दा मज़्कूर) फ़ेअल से भी इस्तेलाल किया है।

(5707) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 5613, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5213.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस की वज़ाहत के लिये देखिये, हदीस: 5613 **(2)** साबित हुआ कि रसूलुल्लाह (ﷺ) तो नशावर नबीज़ को दीवार पर दे मारते थे। आपसे ये कैसे मुमकिन है कि आप उसमें पानी मिलाकर उसे पी लें बल्कि आप तो उसे काफ़िरों का मशरूब क़रार दे रहे हैं, लिहाज़ा हदीस: 5706 दुरुस्त नहीं क्योंकि ये सही रिवायात के ख़िलाफ़ है।

(5708) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने फ़रमाया : जब तुम्हें नबीज़ में तेज़ी और जोश का ख़तरा हो तो उसकी तेज़ी को पानी से तोड़ लिया करो।

(रावि-ए-हदीस़) अब्दुल्लाह ने कहा: (यानी) उसकी तेज़ी से पहले (पानी मिलाओ। तेज़ी के बाद नहीं क्योंकि फिर तो नशा पैदा हो चुका)

(5708) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5214,

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ، - إِمَامٌ لَنَا وَكَانَ مِنْ أَسْنَانِ الْحَسَنِ - عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضى الله عنه قَالَ إِذَا خَشِيتُمْ مِنْ نَبِيذٍ شِدَّتَهُ فَاكْسِرُوهُ بِالْمَاءِ - قَالَ عَبْدُ اللَّهِ - مِنْ قَبْلِ أَنْ يَشْتَدَّ .

(5709) हज़रत सईद बिन मुसय्यब से रिवायत है कि बनू सक़ीफ़ ने हज़रत उमर (ﷺ) को एक मशरूब पेश किया। आपने मँगवा कर जब उसे अपने मुँह के क़रीब किया तो उसे नापसन्द फ़रमाया। फिर पानी मिलाकर उसकी तेज़ी तोड़ी और फ़रमाया: इस क़िस्म के मशरूब को ऐसे कर लिया करो।

(5709) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5215.

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، يَقُولُ تَلَقَّتْ ثَقِيفُ عُمَرَ بِشَرَابٍ فَدَعَا بِهِ فَلَمَّا قَرَّبَهُ إِلَى فِيهِ كَرِهَهُ فَدَعَا بِهِ فَكَسَرَهُ بِالْمَاءِ فَقَالَ هَكَذَا فَافْعَلُوا .

(5710) हज़रत उत्बा बिन फ़रक़द से रिवायत है, उन्होंने कहा कि जो नबीज़ हज़रत उमर बिन ख़त्ताब नोश फ़रमाया करते थे वह सिरका की तरह तुर्श होता था।

इस रिवायत की स़ेहत पर हज़रत साइब की आइन्दा रिवायत भी दलालत करती है।

(5710) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5216.

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، [قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي،] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ فَرْقَدٍ، قَالَ كَانَ النَّبِيذُ الَّذِي يَشْرَبُهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَدْ خُلِّلَ . وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا حَدِيثُ السَّائِبِ.

फ़ायदा : इसमें पानी तुर्शी की वजह से मिलाया जाता था न कि नशे की वजह से जिस तरह सिरका तुर्श होता है। तुर्शी और नशे में बहुत फ़र्क़ है वरना तो सिरका भी हराम होता। ऐसी तुर्श नबीज़ सिरके की तरह

हज़्म के लिये पी जाती थी और राजेह क़ौल के मुताबिक़ ये असर सही है जैसा कि इमाम नसाई (رحمه الله) ने भी इशारा किया है।

قَالَ الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ، قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ خَرَجَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنِّي وَجَدْتُ مِنْ فُلاَنٍ رِيحَ شَرَابٍ فَزَعَمَ أَنَّهُ شَرَابُ الطِّلاَءِ وَأَنَا سَائِلٌ عَمَّا شَرِبَ فَإِنْ كَانَ مُسْكِرًا جَلَدْتُهُ فَجَلَدَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه الْحَدَّ تَامًّا .

(5711) हज़रत साइब बिन यज़ीद ने बयान फ़रमाया कि एक दफ़ा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब(رضي الله عنه) हमारे पास तशरीफ़ लाये और फ़रमाया कि मैंने फ़ुलां शख़्स से शराब की बू महसूस की है लेकिन वह कहता है कि ये तिलाअ की शराब है। मैं उसके बारे में पूछ गछ करूँगा। अगर वह तिलाअ नशावर साबित हुआ तो मैं उस पर हद लगाऊँगा। फिर (तहक़ीक़ के बाद) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (رضي الله عنه) ने उस पर पूरी हद लगाई।

(5711) तख़रीज : (सनद सही) मौता: 2/842, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5217.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत से साबित होता है कि हज़रत उमर (رضي الله عنه) तो हर नशावर मशरूब को हराम और क़ाबिले हद समझते थे, हालांकि ये मशरूब अहनाफ़ की तारीफ़ के मुताबिक़ ख़म्र नहीं, फिर भी आपने उसके पीने पर हद नाफ़िज़ फ़रमा दी, हालांकि पीने वाले को नशा नहीं आता था, क्योंकि अगर उसे नशा आया होता तो तहक़ीक़ की ज़रूरत ही न थी कि वह मशरूब नशे वाला था या नहीं। मालूम हुआ उनके नज़दीक नशावर मशरूब हराम और क़ाबिले हद है, क़लील (कम) हो या कसीर (ज्यादा)। नशा आये या न आये, लिहाज़ा उनकी तरफ़ ऐसे मशरूब के पीने की निस्बत सही नहीं हो सकती। **(2)** 'फ़ुलां शख़्स' ये उनके बेटे उबैदुल्लाह बिन उमर थे, ये सहाबी नहीं थे। सहीह बुख़ारी में सराहतन मौजूद है। **(3)** 'पूरी हद लगाई' कोई रिआयत नहीं फ़रमाई। **(4)** 'तिलाअ' अंगूर के जोश को आग पर ख़ुश्क किया जाता है। जब वह दो तिहाई ख़ुश्क हो जाता है और लस्सी जैसा बन जाता है तो उसे इस्तेमाल किया जाता है। उमूमन इसमें नशा नहीं होता, लिहाज़ा जायज़ है, ताहम अगर नशा पैदा हो जाये तो हराम है।

बाब : (49)
उस ज़िल्लत व रुस्वाई और दर्दनाक अज़ाब का बयान जो अल्लाह (عزوجل) ने नशावर मशरूब पीने वाले के लिये तैयार कर रखा है?

باب(۴۹):
ذِكْرِ مَا أَعَدَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِشَارِبِ الْمُسْكِرِ مِنَ الذُّلِّ وَالْهَوَانِ وَأَلِيمِ الْعَذَابِ

(5712) हज़रत जाबिर (ﷺ) से मरवी है कि एक आदमी जैशान से आया, और जैशान यमन में है, और रसूलुल्लाह (ﷺ) से पूछने लगा कि हमारे इलाक़े में लोग एक मशरूब पीते हैं जो वह चने से तैयार करते हैं। उसे मिज़्र कहा जाता है। नबी-ए-अकरम (ﷺ) ने पूछा: 'क्या वह नशावर होता है?' उसने कहा: जी हाँ। रसूलुल्लाह(ﷺ) ने फ़रमाया: 'हर नशावर चीज़ हराम है। यक़ीनन अल्लाह तआला ने क़सम खा रखी है कि जो शख़्स नशावर मशरूब पियेगा, अल्लाह तआला उसे तीनतुल ख़बाल पिलायेगा। लोगों ने पूछा: ऐ अल्लाह के रसूल! तीलतुल ख़बाल क्या चीज़ है? आपने फ़रमाया: 'जहन्नमियों का पसीना' या फ़रमाया: 'जहन्नमियों का ख़ून और पीप' (जो उनके ज़ख़्मों से निकलेगा)

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلاً، مِنْ جَيْشَانَ - وَجَيْشَانُ مِنَ الْيَمَنِ - قَدِمَ فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ بِأَرْضِهِمْ مِنَ الذُّرَةِ يُقَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " أَمُسْكِرٌ هُوَ " . قَالَ نَعَمْ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ عَهِدَ لِمَنْ شَرِبَ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ طِينَةِ الْخَبَالِ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طِينَةُ الْخَبَالِ قَالَ " عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ أَوْ قَالَ عُصَارَةُ أَهْلِ النَّارِ " .

(5712) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 2002/72, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5218.

फ़ायदा : 'नशावर मशरूब पियेगा' उसमें क़लील (कम) और कसीर (ज़्यादा) का फ़र्क़ नहीं किया गया बल्कि हर नशावर मशरूब पीने वाले को ये वईद सुनाई गई है। वह हनफ़ियों की ख़म्र हो या कोई और नशावर मशरूब। क़लील हो या कसीर। अआज़नल्लाहु मिन्ह. मज़ीद तफ़सील के लिये देखिये, हदीस: 5673.

बाब : (50) मुश्तबह चीज़ को छोड़ देने की तर्ग़ीब का बयान

الْحَثُّ عَلَى تَرْكِ الشُّبُهَاتِ

أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ يَزِيدَ، - وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ - عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ " إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَاتٍ " . وَرُبَّمَا قَالَ " وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً وَسَأَضْرِبُ فِي ذَلِكَ مَثَلاً إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ حَمَى حِمًى وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ وَإِنَّهُ مَنْ يَرْعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَ الْحِمَى " . وَرُبَّمَا قَالَ " يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ وَإِنَّ مَنْ خَالَطَ الرِّيبَةَ يُوشِكُ أَنْ يَجْسُرَ " .

(5713) हज़रत नौमान बिन बशीर (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने रसूलुल्लाह(ﷺ) को फ़रमाते सुना: 'बेशक हलाल वाज़ेह है, हराम वाज़ेह है और कुछ चीज़ें बैन बैन और मुश्तबह हैं। मैं उसकी एक मिसाल बयान करता हूँ। अल्लाह तआला ने एक इलाक़ा ममनूअ क़रार दिया है। और अल्लाह तआला का ममनूआ इलाक़ा उसकी हराम कर्दा चीज़ें हैं) जो शख़्स उस ममनूअ इलाक़े के इर्द गिर्द जानवर चरायेगा, ख़तरा रहेगा कि वह ममनूअ चरागाह में जा पड़ेंगे। इसी तरह जो शख़्स मुश्तबह कामों में पड़ेगा, बहुत मुमकिन है कि हराम पर भी जुर्अत कर ले।'

(5713) तख़रीज : (सनद सही) देखें, हदीस: 4458, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5219.

फ़ायदा : ये रिवायत और इससे मुताल्लिक़ा मसाइल पीछे (हदीस: 4458 में) गुज़र चुके हैं। इस जगह इस हदीस को ज़िक्र करने से इमाम (رحمه الله) का मक़सूद ये है कि ख़म्र तो क़तअन हराम है और इस पर सब मुत्तफ़िक़ हैं। आम नशावर मशरूब भी जुम्हूर अहले इल्म के नज़दीक शराब की तरह हराम है। कुछ लोग इसे थोड़ी मिक़्दार में जायज़ समझते हैं। इसी तरह सही और मशहूर अहादीस तो इसको हराम क़रार देती हैं, अलबत्ता कुछ ज़ईफ़ और ग़ैर मारूफ़ रिवायात से इसकी हिल्लत कशीद की जाती है, लिहाज़ा ये अगर हराम न भी हो तो मुश्तबह ज़रूर है। और रसूलुल्लाह (ﷺ) ने मुश्तबह के तर्क को भी ज़रूरी क़रार दिया है ताकि हराम से बचा जा सके। आम नशावर मशरूब का इस्तेमाल ख़म्र तक ले जायेगा और क़लील (कम) व कसीर (ज़्यादा) की दावत देगा, इसलिये इस लिहाज़ से भी इसका तर्क ज़रूरी है और इसकी हिल्लत का फ़तवा नहीं दिया जा सकता क्योंकि मुश्तबह चीज़ हलाल नहीं होती बल्कि हलाल और हराम के बैन बैन (बीचे में) होती है। अहले फ़तवा और तक़वा का इस पर इत्तेफ़ाक़ है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ أَبِي الْحَوْرَاءِ السَّعْدِيِّ، قَالَ قُلْتُ لِلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضى الله عنهما مَا حَفِظْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حَفِظْتُ مِنْهُ " دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ " .

(5714) हज़रत अबुल हौरा सअ़दी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत हसन बिन अ़ली (ﷺ) से कहा कि आपने रसूलुल्लाह (ﷺ) से कोई फ़रमान याद रखा है? उन्होंने कहा कि मैंने आपका ये फ़रमान याद रखा है: 'मशकूक और मुश्तबह चीज़ को छोड़ कर वह चीज़ इख़्तियार करो जो मुश्तबह न हो।'

(5714) तख़रीज : (सनद सही) तिर्मिज़ी, हदीस: 2518, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5220.

फ़ायदा : और नशावर नबीज़ वग़ैरह से बढ़ कर कौन सी चीज़ मुश्तबह हो सकती है?

باب(٥١): الْكَرَاهِيَةِ فِي بَيْعِ الزَّبِيبِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا

बाब : (51) नशावर नबीज़ बनाने वाले को मुनक़्क़ा बेचने की कराहत (मुमानिअ़त) का बयान

أَخْبَرَنَا الْجَارُودُ بْنُ مُعَاذٍ، - هُوَ بَاوَرْدِيٌّ - قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ، مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَبِيعَ الزَّبِيبَ، لِمَنْ يَتَّخِذُهُ نَبِيذًا .

(5715) हज़रत ताऊस नापसन्द फ़रमाते थे कि उस शख़्स को मुनक़्क़ा बेचा जाये जो उससे नशावर मशरूब तैयार करता है।

(5715) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5221.

फ़ायदा : क्योंकि इसमें तआवुन अलल इस्म, यानी गुनाह पर तआवुन है, और ये हराम है, क्योंकि फ़रमाने बारी तआला है: (वला तआवनू अलल इस्म वल उद्वान) ख़ुसूसन नशावर मशरूब के सिलसिले में तो दस आदमियों पर लानत की गई है जो किसी न किसी लिहाज़ से इस कारोबार में मुलव्विस हों, ख़्वाह वह मज़दूरी ही कर रहे हों।

باب(٥٢): الْكَرَاهِيَةِ فِي بَيْعِ الْعَصِيرِ

बाब : (52) अंगूरों का जूस बेचना मना है

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ،

(5716) हज़रत मुस्अ़ब बिन सअ़द से रिवायत है, उन्होंने कहा कि (वालिदे मोहतरम) हज़रत सअ़द (ﷺ) की मिल्कियत में अंगूर की बहुत सी

قَالَ كَانَ لِسَعْدٍ كُرُومٌ وَأَعْنَابٌ كَثِيرَةٌ وَكَانَ لَهُ فِيهَا أَمِينٌ فَحَمَلَتْ عِنَبًا كَثِيرًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَى الأَعْنَابِ الضَّيْعَةَ فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ أَعْصُرَهُ عَصَرْتُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ سَعْدٌ إِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَاعْتَزِلْ ضَيْعَتِي فَوَاللَّهِ لاَ أَئْتَمِنُكَ عَلَى شَيْءٍ بَعْدَهُ أَبَدًا . فَعَزَلَهُ عَنْ ضَيْعَتِهِ .

बेलें और दरख़्त थे। वहाँ उन्होंने एक शख़्स को बतौर ज़िम्मेदार नाज़िम रखा हुआ था। एक साल बहुत फल लगा। नाज़िम ने उनको लिखा: मुझे ख़तरा है अंगूर ज़ाया हो जायेंगे। अगर आप इजाज़त दें तो हम इनका जूस निकाल लें। हज़रत सअ़द (ﷺ) ने उसे जवाब में लिखा: जब मेरा ये ख़त तेरे पास पहुँचे तो मेरी ज़मीन से निकल जाना। अल्लाह की क़सम! आज के बाद मैं तुझे किसी मामूली सी चीज़ का ज़िम्मेदार भी नहीं बनाऊँगा। और वाक़ेअ़तन उन्होंने उसे अपनी ज़मीन से माज़ूल कर दिया।

(5716) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5222.

फ़ायदा : अंगूर का जूस उ़मूमन शराब और दीगर नशावर मशरूब बनाने के लिये इस्तेमाल किया जाता है। जूस निकाल कर बेचना शराब के बनाने में तआवुन है, इसलिए हज़रत सअ़द ने सिर्फ़ इस तजवीज़ पर अपने नाज़िम को माज़ूल फ़रमा दिया। आख़िर सहाबी-ए-रसूल थे। अश्र-ए-मुबश्शरा में से थे। हज़रत उ़मर के मुन्तख़ब कर्दा गवर्नर थे। वह कैसे बुर्दाश्त कर सकते थे कि उनके बाग़ का फल शराब बनाने में इस्तेमाल हो? अलबत्ता जूस से कोई हलाल चीज़ तैयार करनी हो तो जूस निकाला जा सकता है और क़ाबिले ऐतमाद लोगों को बेचा भी जा सकता है, जैसे: तिलाअ जो नशा न दे।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ بِعْهُ عَصِيرًا مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ طِلاَءً وَلاَ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا .

(5717) हज़रत इब्ने सीरीन से रिवायत है, उन्होंने कहा कि तू अंगूरों का जूस उस शख़्स को बेच सकता है जो इससे तिलाअ बनाये, शराब न बनाये।

(5717) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5223.

फ़ायदा : देखिये, हदीस: 5711 फ़ायदा: 4

बाब : (53) कौन सा तिलाअ पीना जायज़ और कौन सा नाजायज़ है?

باب(٥٣): ذِكْرِ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الطِّلاَءِ وَمَا لاَ يَجُوزُ

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ سَمِعْتُ مَنْصُورًا، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نُبَاتَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ أَنِ ارْزُقِ، الْمُسْلِمِينَ مِنَ الطِّلاَءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ .

(5718) हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने अपने एक गवर्नर को लिखा कि मुसलमानों को वह तिलाअ पीने दो जिसमें दो तिहाई जूस ख़ुश्क हो चुका हो और एक तिहाई बाक़ी रह गया हो।

(5718) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5224.

फ़ायदा : जब अंगूरों का जूस इतना ख़ुश्क हो जाये तो उसमें उमूमन नशे का इम्कान नहीं रहता, सिर्फ़ मिठास रह जाती है लेकिन अगर बिल फ़र्ज़ इसमें भी नशा पैदा हो जाये तो वह भी हराम होगा।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ قَرَأْتُ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ إِلَى أَبِي مُوسَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهَا قَدِمَتْ عَلَىَّ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ تَحْمِلُ شَرَابًا غَلِيظًا أَسْوَدَ كَطِلاَءِ الإِبِلِ وَإِنِّي سَأَلْتُهُمْ عَلَى كَمْ يَطْبُخُونَهُ فَأَخْبَرُونِي أَنَّهُمْ يَطْبُخُونَهُ عَلَى الثُّلُثَيْنِ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ الأَخْبَثَانِ ثُلُثٌ بِبَغْيِهِ وَثُلُثٌ بِرِيحِهِ فَمُرْ مَنْ قِبَلَكَ يَشْرَبُونَهُ .

(5719) हज़रत आमिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) का हज़रत अबू मूसा (ﷺ) को लिखा हुआ ख़त पढ़ा: 'हम्द व सलात के बाद! मेरे पास शाम से एक तिजारती क़ाफ़िला आया है जिनके पास स्याह रंग का एक गाढ़ा सा मशरूब है, जैसे ऊँटों को मलने वाली गंधक होती है। मैंने उनसे पूछा कि तुम इसे किस तरह पकाते हो? तो उन्होंने मुझे बताया कि हम इसे दो तिहाई ख़ुश्क होने तक पकाते हैं। इस तरह इसके दो खबीस अज्ज़ा ख़त्म हो जाते हैं, यानी इसका नशा और इसकी बू (और बाक़ी ख़ालिस और पाक मिठास रह जाती है) लिहाज़ा तुम अपने इलाक़े के लोगों को ऐसा मशरूब पीने दो।'

(5719) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5226.

फ़ायदा : ये वही तिलाअ है जिसका ज़िक्र पीछे हो चुका है। मक़सूद ये है कि जब अंगूरों का जूस आग पर पकाने से इतना ख़ुश्क हो जाये तो उसमें नशा और बू का इम्कान नहीं रहता। उसको लफ़्ज़ों से बयान किया गया कि 'एक तिहाई ने इसका नशा ख़त्म कर दिया और दूसरी तिहाई ने उसकी बू ख़त्म कर दी' मगर ज़ाहिर अल्फ़ाज़ मुराद नहीं। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضى الله عنه أَمَّا بَعْدُ فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ حَتَّى يَذْهَبَ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ وَلَكُمْ وَاحِدٌ .

(5720) हज़रत अब्दुल्लाह बिन यज़ीद ख़तमी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब (ﷺ) ने हम को लिखा: हम्द व सलात के बाद! तुम अंगूर के जूस को इतना पकाओ कि इसमें से शैतान का हिस्सा ख़त्म हो जाये। दो हिस्से उसके हैं, एक हिस्सा तुम्हारा है।

(5720) **तख़रीज :** (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5227, देखें, हदीस: 1287.

फ़ायदा : हज़रत उमर (ﷺ) ने ख़त में इस्तिआराती ज़बान इस्तेमाल फ़रमाई है। शैतान के हिस्से से मक़सूद नशा है, यानी दो हिस्से ख़ुश्क करो क्योंकि इससे नशे का इम्कान नहीं रहेगा।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ كَانَ عَلِيٌّ رضى الله عنه يَرْزُقُ النَّاسَ الطِّلاَءَ يَقَعُ فِيهِ الذُّبَابُ وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ

(5721) हज़रत शअबी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हज़रत अली (ﷺ) लोगों को वह तिलाअ पीने देते थे जिसमें अगर मक्खी गिर जाती तो निकल नहीं सकती थी।

(5721) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5228.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सूद ये है कि वह ख़ूब गाढ़ा होता था। जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, उतना ही नशे से महफ़ूज़ होगा। गोया हुर्मत की वजह तो नशा है। नशा जिस चीज़ में हो, ख़्वाह वह तिलाअ ही हो, हराम है। **(2)** ऊपर दिये गये चार आसार को मुहक़्क़िक़े किताब ने सनदन ज़ईफ़ क़रार दिया है लेकिन ये एक दूसरे के मुईद (ताईदी) होने और दीगर शवाहिद की बिना पर क़ाबिले हुज्जत हैं। इसलिए शैख़ अल्बानी (رحمه الله) और दीगर मुहक़्क़िक़ीन ने उन्हें सही क़रार दिया है।

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ دَاوُدَ، قَالَ سَأَلْتُ سَعِيدًا

(5722) हज़रत दाऊद से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत सईद बिन मुसय्यब से पूछा,

مَا الشَّرَابُ الَّذِي أَحَلَّهُ عُمَرُ رضى الله عنه قَالَ الَّذِي يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ .

वह कौन सा मशरूब था जिसे हज़रत उमर (ﷺ) ने हलाल क़रार दिया था? उन्होंने फ़रमाया: जिसे इतना पकाया जाये कि वह दो तिहाई ख़ुश्क हो जाये और एक तिहाई रह जाये।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5225.

أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ، كَانَ يَشْرَبُ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ .

(5723) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़रमाया, हज़रत अबू दर्दा (ﷺ) वह तिलाअ पीते थे जिसमें से दो तिहाई ख़ुश्क हो चुका होता और एक तिहाई बाक़ी रह गया होता।

(5723) तख़रीज : (सनद सही)

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هُشَيْمٍ، قَالَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَشْرَبُ مِنَ الطِّلاَءِ مَا ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَبَقِيَ ثُلُثُهُ .

(5724) हज़रत अबू मूसा अशअरी (ﷺ) से मरवी है कि वह ऐसा तिलाअ पिया करते थे जिसमें से दो तिहाई ख़ुश्क हो चुका होता और एक तिहाई बाक़ी रह गया होता।

(5724) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5237.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، وَسَأَلَهُ، أَعْرَابِيٌّ عَنْ شَرَابٍ، يُطْبَخُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لاَ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى الثُّلُثُ .

(5725) हज़रत यअला बिन अता से रिवायत है कि एक आराबी ने हज़रत सईद बिन मुसय्यब से उस मशरूब के बारे में पूछा जो निस्फ़ ख़ुश्क हो चुका हो? तो मैंने उनको फ़रमाते सुना: नहीं यहाँ तक कि दो तिहाई ख़ुश्क हो जाये और एक तिहाई बाक़ी रह जाये।

(5725) तख़रीज : (सनद सही)

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ إِذَا

(5726) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़रमाया: जब तिलाअ इस तरह पकाया गया हो कि एक तिहाई रह जाये तो उसे इस्तेमाल करने में कोई हर्ज नहीं।

(5726) तख़रीज : (सनद सही)

طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ فَلَا بَأْسَ بِهِ .

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زُرَيْعٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو رَجَاءٍ، قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الطِّلَاءِ الْمُنَصَّفِ، فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ .

(5727) हज़रत अबू रजाअ ने फ़रमाया कि मैंने हज़रत हसन बसरी से उस तिलाअ के बारे में पूछा जिसमें से निस्फ़ ख़ुश्क हो चुका हो? तो उन्होंने फ़रमाया: इसे मत पी।

(5727) तख़रीज : (सनद सही)

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ، قَالَ سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَمَّا يُطْبَخُ مِنَ الْعَصِيرِ قَالَ مَا تَطْبُخُهُ حَتَّى يَذْهَبَ الثُّلُثَانِ وَيَبْقَى الثُّلُثُ .

(5728) हज़रत बुशैर बिन मुहाजिर ने फ़रमाया कि मैंने हज़रत हसन बसरी से अंगूरों के पके हुये जूस के बारे में पूछा कि कौन सा जायज़ है? उन्होंने फ़रमाया: जिसे इतना पकाया जाये कि दो तिहाई ख़ुश्क हो जाये और एक तिहाई बाक़ी रह जाये।

(5728) तख़रीज : (सनद हसन)

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ إِنَّ نُوحًا صلى الله عليه وسلم نَازَعَهُ الشَّيْطَانُ فِي عُودِ الْكَرْمِ فَقَالَ هَذَا لِي وَقَالَ هَذَا لِي فَاصْطَلَحَا عَلَى أَنَّ لِنُوحٍ ثُلُثَهَا وَلِلشَّيْطَانِ ثُلُثَيْهَا.

(5729) हज़रत अनस बिन सीरीन से रिवायत है कि मैंने हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) को फ़रमाते सुना कि हज़रत नूह (ﷺ) से शैतान ने अंगूर की बेल के बारे में झगड़ा किया। उन्होंने फ़रमाया: ये मेरी है। शैतान ने कहा: ये मेरी है। आख़िर दोनों ने इस बात पर सुलह कर ली कि एक तिहाई हज़रत नूह (ﷺ) की होगी और दो तिहाई शैतान की।

(5729) तख़रीज : (सनद हसन)

फ़ायदा : मुमकिन है ये झगड़ा और सुलह हक़ीक़तन हुये हों और इसमें कोई अक़्ली या शरई इश्काल नहीं। शैतान अम्बिया-ए-किराम (ﷺ) की मुख़ालिफ़त के लिये सामने आता रहता था। ये कोई अचम्भे की बात नहीं। ये भी हो सकता है कि ये तम्सील हो जिसका मतलब ये है कि अंगूरों में नशा भी है और कुव्वत व ख़ूराक भी। नशा शैतानी चीज़ है और ख़ूराक व कुव्वत इन्सानी। अगर इसे, यानी इसके जूस को पका कर दो तिहाई ख़ुश्क कर लिया जाये तो बाक़ी मान्दा एक तिहाई ख़ालिस़ कुव्वत और ख़ूराक रह जाती है और नशे से महफ़ूज़ हो जाता है, लिहाज़ा इसका इस्तेमाल जायज़ है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ طُفَيْلٍ الْجَزَرِيِّ، قَالَ كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ لاَ، تَشْرَبُوا مِنَ الطِّلاَءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ وَيَبْقَى ثُلُثُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

(5730) हज़रत अब्दुल मलिक बिन तुफ़ैल जज़री से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ (رحمه الله) ने हमें लिखा कि तिलाअ न पियो यहाँ तक उसमें से दो तिहाई ख़ुश्क हो जाये और एक तिहाई बाक़ी रह जाये। और (याद रखो!) हर नशावर चीज़ हराम है। (ख़्वाह वह तिलाअ ही हो)

(5730) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) देखें, 5603, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5234.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ .

(5731) हज़रत मक्हूल ने कहा कि हर नशावर चीज़ हराम है।

(5731) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5235.

باب(٥٤): مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الْعَصِيرِ وَمَا لاَ يَجُوزُ

बाब : (54) अंगूरों का जूस किस हाल में पीना जायज़ है और किस में नाजायज़?

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي يَعْفُورٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي ثَابِتٍ الثَّعْلَبِيِّ، قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ الْعَصِيرِ، فَقَالَ اشْرَبْهُ مَا كَانَ طَرِيًّا . قَالَ إِنِّي طَبَخْتُ شَرَابًا وَفِي نَفْسِي مِنْهُ . قَالَ أَكُنْتَ شَارِبَهُ قَبْلَ أَنْ تَطْبُخَهُ قَالَ لاَ . قَالَ فَإِنَّ النَّارَ لاَ تُحِلُّ شَيْئًا قَدْ حَرُمَ .

(5732) हज़रत अबू साबित सअलबी से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं हज़रत इब्ने अब्बास (رضي الله عنه) के पास मौजूद था कि एक आदमी आया और उनसे अंगूरों के जूस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: जब तक वह ताज़ा हो, तुम पी सकते हो। उसने कहा कि मैंने एक मशरूब को आग पर पकाया है लेकिन मुझे उसके बारे में इत्मिनान नहीं। उन्होंने फ़रमाया: क्या उसको पकाने से पहले तू उसे पी सकता था? उसने कहा: नहीं। उन्होंने फ़रमाया: फिर आग तो किसी हराम चीज़ को हलाल नहीं कर सकती।

(5732) तख़रीज : (सनद सही मौक़ूफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5238.

फ़ायदा : अंगूरों का जूस ताज़ा हो तो नशे से पाक होता है, लिहाज़ा उसे पिया जा सकता है लेकिन अगर वह पुराना हो जाये तो नशे का इम्कान होता है, इसलिये वह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसी तरह अगर ताज़ा जूस को आग पर पका कर इतना ख़ुश्क कर लिया जाये कि उसमें नशे का इम्कान न रहे, जैसे: तिलाअ बन जाये तो इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन अगर वह गर्म करने से पहले पड़ा रहे यहाँ तक कि उसमें नशा पैदा हो जाये तो फिर ख़्वाह उसे गर्म करके तिलाअ बना लिया जाये, उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं क्योंकि एक मर्तबा नशा पैदा होने से वह हराम हो गया। अब आग उसे हलाल नहीं कर सकती, ख़्वाह आग पर पकाने से उसमें से नशा ख़त्म भी हो जाये क्योंकि हराम चीज़ को हलाल बनाना भी नाजायज़ है। साइल का दूसरा सवाल इसी के बारे में था।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قِرَاءَةً أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ وَاللَّهِ مَا تُحِلُّ النَّارُ شَيْئًا وَلاَ تُحَرِّمُهُ . قَالَ ثُمَّ فَسَّرَ لِي قَوْلَهُ لاَ تُحِلُّ شَيْئًا لِقَوْلِهِمْ فِي الطِّلاَءِ وَلاَ تُحَرِّمُهُ .

(5733) हज़रत अ़ता ने बताया कि मैंने हज़रत इब्ने अ़ब्बास (ﷺ) को फ़रमाते सुना: अल्लाह की क़सम! आग न किसी चीज़ को हलाल कर सकती है न हराम। फिर हज़रत अ़ता ने उस क़ौल की तफ़्सीर बयान की कि लोग कहते हैं, नशावर मशरूब को आग पर पका कर तिलाअ बना लिया जाये तो वह हलाल हो जाता है (हालांकि ये मुमकिन नहीं) आग किसी चीज़ को हलाल नहीं कर सकती। इसी तरह हराम भी नहीं कर सकती। जिस तरह आग से पकी हुई चीज़ से वुज़ू करने का मसला है।

तख़रीज : **(सनद सही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5239.

फ़ायदा : 'हराम भी नहीं कर सकती' यानी सिर्फ़ आग पर पकने से कोई चीज़ हराम नहीं हो जायेगी मगर ये कि उसमें नशा हो या वह पहले से हराम हो जैसे कोई हलाल चीज़ आग पर पकाई जाये तो उसको खाने से वुज़ू नहीं टूटेगा बल्कि हलाल चीज़ हलाल ही रहेगी और वुज़ू भी क़ाइम रहेगा।

الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ

बाब : (55)

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، قَالَ أَخْبَرَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ اشْرَبِ الْعَصِيرَ مَا لَمْ يُزْبِدْ .

(5734) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़रमाया कि अंगूरों का जूस उस वक़्त पी सकते हो जब तक उसमें झाग पैदा न हो।

तख़रीज : **(सनद सही)** सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5240.

फ़ायदा : झाग पैदा होना तग़य्युर पर दलालत करता है और ये नशे की अलामत है, लिहाज़ा अंगूरों का जूस इतना पुराना हो जाये कि उसमें जोश या झाग पैदा हो जाये तो उसका इस्तेमाल हराम हो जाता है, अलबत्ता आग पर गर्म करने से जोश या झाग पैदा हो तो कोई हर्ज नहीं कि वह नशे की बिना नहीं बल्कि आग की वजह से है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عَائِذٍ الأَسَدِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْعَصِيرِ، قَالَ اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ .

(5735) हज़रत हिशाम बिन आइज़ असदी से रिवायत है, उन्होंने कहा: मैंने हज़रत इब्राहीम (नख़ई) से अंगूरों के जूस के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: जब तक उसमें जोश और तग़य्युर रू नुमा न हो, तू उसे पी सकता है।

(5735) तख़रीज : (सनद हसन) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5241.

फ़ायदा : ये हुक्म सिर्फ़ अंगूरों के जूस से ख़ास नहीं बल्कि हर जूस का यही हुक्म है। या इसमें हिफ़ाज़ती अज्ज़ा (पार्टस/अंग) शामिल किये जायें, जैसे: सकवाइश जो सिरके की तरह तल्ख़ हो जाता है लेकिन मख़सूस दवाई की वजह से इसमें जोश और तग़य्युर रू नुमा नहीं होता और नशा पैदा नहीं होता, लिहाज़ा सकवाइश किसी भी फल का हो, उसे इस्तेमाल किया जा सकता है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْعَصِيرِ قَالَ اشْرَبْهُ حَتَّى يَغْلِيَ .

(5736) हज़रत अता ने अंगूरों के जोश के बारे में फ़रमाया: जोश और झाग पैदा होने से पहले उसे पी सकते हो।

(5736) तख़रीज : (सनद हसन) मुसनद अहमद: (83), सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5242.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللّٰهِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ اشْرَبْهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ أَنْ يَغْلِيَ .

(5737) हज़रत शअबी ने फ़रमाया: जूस को तीन दिन तक भी पिया जा सकता है बशर्ते कि उसमें जोश और झाग पैदा न हो।

(5737) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5243.

बाब : (56) कौन सी नबीज़ पीनी जायज़ हैं और कौन सी नाजायज़?

باب(٥٦): ذِكْرِ مَا يَجُوزُ شُرْبُهُ مِنَ الأَنْبِذَةِ وَمَا لاَ يَجُوزُ

(5738) हज़रत फ़ीरोज़ देलमी (ﷺ) से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैं रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत में हाज़िर हुआ और मैंने अर्ज़ की: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे इलाक़े में अंगूर बहुत होता है जबकि अल्लाह तआला ने शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़िल फ़रमा दिया है। हम क्या करें? आपने फ़रमाया: 'तुम उसे मुनक़्क़ा बना लो' मैंने अर्ज़ की: मुनक़्क़ा को हम क्या करें? आपने फ़रमाया: 'तुम सुबह के वक़्त उसे पानी में भिगो दिया करो और शाम के वक़्त पी लिया करो। इसी तरह शाम के वक़्त उसे भिगो दिया करो और सुबह के वक़्त पी लिया करो।' मैंने कहा: हम उसको ज़्यादा देर तक न पड़ा रहने दें कि वह गाढ़ा हो जाये? आपने फ़रमाया: 'मटकों में डाल कर न रखो बल्कि चमड़े के मश्कीज़ों में रखो क्योंकि उनमें ज़्यादा देर भी पड़ा रहा तो सिरका बन जायेगा।'

(5738) तख़रीज : (सनद सही) अबू दाऊद, हदीस: 3710, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5244.

أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، قَالَ حَدَّثَنِي الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، فَيْرُوزَ قَالَ قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا أَصْحَابُ كَرْمٍ وَقَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَحْرِيمَ الْخَمْرِ فَمَاذَا نَصْنَعُ قَالَ " تَتَّخِذُونَهُ زَبِيبًا " . قُلْتُ فَنَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ مَاذَا قَالَ " تَنْقَعُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَنْقَعُونَهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَتَشْرَبُونَهُ عَلَى غَدَائِكُمْ " . قُلْتُ أَفَلاَ نُؤَخِّرُهُ حَتَّى يَشْتَدَّ قَالَ " لاَ تَجْعَلُوهُ فِي الْقُلَلِ وَاجْعَلُوهُ فِي الشِّنَانِ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلاًّ " .

फ़वाइद व मसाइल : (1) हदीस़ से चमड़े के मश्कीज़ों में नबीज़ बनाने का जवाज़ साबित होता है। (2) इस हदीस़ से ये मसला भी मालूम होता है कि सुबह और शाम के खाने के साथ नबीज़ वग़ैरह पीना या कोई दूसरी 'डिश' इस्तेमाल करना शरअ़न जायज़ है। ये इस्राफ़ में शामिल नहीं। (3) 'हम क्या करें?' मक़सद ये था कि अंगूर ज़्यादा देर तक रखे नहीं जा सकते, ख़राब हो जाते हैं। फ़ौरन इतने अंगूर खाये भी नहीं जा सकते। शराब बनाने से रोक दिया गया वरना हम उनसे शराब तैयार करके रख लेते और पीते रहते। गोया मआ़शी मुश्किल की तरफ़ इशारा किया कि इस तरह हमारी फ़सल ज़ाया हो जायेगी तो आपने ये हल तजवीज़ फ़रमाया कि अंगूरों को ख़ुश्क कर के मुनक़्क़ा बना लो। फिर जब तक

चाहो, खाओ। जब चाहो, पियो। (4) 'मुनक़्क़ा को हम क्या करें?' इस सवाल का मक़सद ये है कि हमारे लिये खाने के अलावा उसका और कौन सा इस्तेमाल जायज़ है? आपने फ़रमाया: इससे नबीज़ तैयार करके पी सकते हो लेकिन इस एहतियात के साथ कि इसमें नशा पैदा न हो। (5) 'सिरका बन जायेगा' ये इल्लत है मटके में नबीज़ न बनाने की कि मटके में नबीज़ ज़्यादा देर तक पड़ा रहा तो इसमें नशा पैदा हो जायेगा और वह हराम हो जायेगा जबकि मश्कीज़े में देर तक पड़ा भी रहा तो ज़्यादा से ज़्यादा तुर्श हो जायेगा और सिरका बन जायेगा, यानी सिरके की तरह इस्तेमाल हो सकेगा। नशा पैदा न होगा, लिहाज़ा वह ज़ाया नहीं होगा।

أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو عُمَيْرِ بْنُ النَّحَّاسِ، عَنْ ضَمْرَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا فَمَاذَا نَصْنَعُ بِهَا قَالَ " زَبِّبُوهَا " . قُلْنَا فَمَا نَصْنَعُ بِالزَّبِيبِ قَالَ " انْبِذُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَانْبِذُوهُ عَلَى عَشَائِكُمْ وَاشْرَبُوهُ عَلَى غَدَائِكُمْ وَانْبِذُوهُ فِي الشِّنَانِ وَلاَ تَنْبِذُوهُ فِي الْقِلاَلِ فَإِنَّهُ إِنْ تَأَخَّرَ صَارَ خَلاًّ "

(5739) हज़रत दैलमी (﵁) से रिवायत है कि हम ने कहा: ऐ अल्लाह के रसूल! हमारे यहाँ अंगूर बहुत होते हैं, हम उनका क्या करें? आप ने फ़रमाया: 'उनको मुनक़्क़ा बना लो।' हमने कहा: फिर मुनक़्क़ा को क्या करें? आपने फ़रमाया: 'सुबह के वक़्त नबीज़ बना लिया करो और शाम के खाने के साथ पी लिया करो। इसी तरह शाम के वक़्त नबीज़ बना कर सुबह के खाने के साथ पी लिया करो। लेकिन नबीज़ चमड़े के मश्कीज़ों में बनाओ। मटकों में न बनाओ क्योंकि मश्कीज़ों में अगर वह देर तक भी पड़ा रहा तो वह सिरका बन जायेगा।'

(5739) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5245.

أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُطِيعٌ، عَنْ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ يُنْبَذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَيَشْرَبُهُ مِنَ الْغَدِ وَمِنْ بَعْدِ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مَسَاءُ الثَّالِثَةِ فَإِنْ بَقِيَ فِي الإِنَاءِ شَىْءٌ لَمْ يَشْرَبُوهُ أُهْرِيقَ .

(5740) हज़रत इब्ने अब्बास (﵁) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये नबीज़ बनाया जाता था। आप उसे अगले दिन या उससे अगले दिन पी लेते थे। जब तीसरी रात की शाम हो जाती तो अगर बर्तन में कुछ बच रहता जो अभी तक पिया न जा सका होता तो उसे बहा दिया जाता।

(5740) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5246.

फ़ायदा : हज़रत आयशा (ﷺ) की रिवायत में एक दिन रात का ज़िक्र है। मुमकिन है कि गर्मी के मौसम में जब उस के नशावर हो जाने का ख़तरा होता था तो सिर्फ़ एक दिन रात पर इक्तेफ़ा फ़रमाते होंगे और सर्दियों वग़ैरह में दो दिन या तीन दिन तक पी लेते होंगे, और ये नबीज़ चमड़े के मश्कीज़े में बनाया जाता था जैसा कि हज़रत आयशा (ﷺ) की रिवायत में सराहत है, इसलिये ज़्यादा देर रहने से भी नशे का ख़तरा नहीं होता था बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा तुर्श हो सकता था, लिहाज़ा दोनों रिवायात दुरुस्त हैं। मक़सूद नशे से बचाव है।

(5741) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से रिवायत है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये मुनक़्क़ा पानी में भिगोया जाता तो आप उसे उस दिन, अगले दिन और उससे अगले दिन पी लिया करते थे।

(5741) तख़रीज : (सनद सही) पिछली हदीस देखें, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5247.

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ .

फ़ायदा : 'पी लिया करते थे' बशर्ते कि नशे का ख़तरा पैदा न हो। जब नशे का ख़तरा होता तो उसे बहा देते।

(5742) हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से मरवी है, उन्होंने फ़रमाया कि रसूलुल्लाह (ﷺ) के लिये मुनक़्क़ा की नबीज़ रात को बनाई जाती। आप उसे मश्कीज़े में बनाते। फिर उस दिन, अगले दिन और उससे अगले दिन तक उसे पीते रहते। जब तीसरी रात होती तो उसे पी लेते या किसी को पिला देते और अगर सुबह तक कुछ बच रहती तो उसे बहा देते।

(5742) तख़रीज : (सनद सही) मुस्लिम, हदीस: 82/2004, सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5248.

أَخْبَرَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ فُضَيْلٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْبَذُ لَهُ نَبِيذُ الزَّبِيبِ مِنَ اللَّيْلِ فَيَجْعَلُهُ فِي سِقَاءٍ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ فَإِذَا كَانَ مِنْ آخِرِ الثَّالِثَةِ سَقَاهُ أَوْ شَرِبَهُ فَإِنْ أَصْبَحَ مِنْهُ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ

फ़ायदा : रात के वक़्त अगर मुनक़्क़ा पानी में भिगोया जाये तो दिन के वक़्त वह नबीज़ बनती है। इससे पहले तो फल अलग होता है और पानी अलग। दिन के वक़्त मुनक़्क़ा को पानी में मिला कर फिर कपड़े से निचोड़ कर नबीज़ तैयार होती है, लिहाज़ा पहली रात को शुमार नहीं किया जायेगा। उसके बाद मज़ीद दो दिन और दो रात तक उसको रख कर पिया जाता था। तीसरी रात शुरू होने पर या तो उसे पी लेते थे या अगर बच रहती तो बहा देते। गोया मजमूई तौर पर नबीज़ तीन दिन और दो रात तक पी जा सकती है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُنْبَذُ لَهُ فِي سِقَاءِ الزَّبِيبِ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ وَيُنْبَذُ لَهُ عَشِيَّةً فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَكَانَ يَغْسِلُ الأَسْقِيَةَ وَلاَ يَجْعَلُ فِيهَا دُرْدِيًّا وَلاَ شَيْئًا . قَالَ نَافِعٌ فَكُنَّا نَشْرَبُهُ مِثْلَ الْعَسَلِ .

(5743) हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) से मुताल्लिक़ रिवायत है कि उनके लिये सुबह के वक़्त मश्कीज़े में मुनक़्क़ा भिगोया जाता तो वह उसे रात को पी लेते और शाम के वक़्त भिगोया जाता तो दिन को पी लेते। आप मश्कीज़ों को अच्छी तरह धोया करते थे और तलछट वग़ैरह कोई चीज़ उसमें नहीं डालते थे। हज़रत नाफ़ेअ़ (हज़रत इब्ने उ़मर (ﷺ) के मौला और शागिर्द) ने फ़रमाया कि हम उस नबीज़ को पीते थे तो वह शहद जैसी होती थी।

(5743) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5250.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'तलछट वग़ैरह' यानी साबिक़ा नबीज़ के मैल कुचेल को धो डालते थे और नई नबीज़ में उसे शामिल नहीं करते थे क्योंकि उसमें ज़्यादा देर पड़े रहने की वजह से नशे का इम्कान हो सकता था जबकि नशा पसन्द हज़रात तो उसे ख़ुसूसन शामिल रखते हैं ताकि अच्छी तरह तेज़ी आये। **(2)** 'शहद जैसी' यानी ख़ालिस़ मीठी होती थी। इसमें कोई तुर्शी नहीं होती थी। ज़ाहिर है एक रात या एक दिन में तुर्शी पैदा होने का इम्कान ही नहीं होता अगरचे मुत्लक़ तुर्शी नबीज़ को हराम नहीं करती जब नशा न हो, आख़िर सिरका भी तो तुर्शी ही होता है। और वह बिल इत्तेफ़ाक़ हलाल व जायज़ है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ بَسَّامٍ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَنِ النَّبِيذِ، قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنٍ رضى الله عنه يُنْبَذُ لَهُ مِنَ اللَّيْلِ فَيَشْرَبُهُ غُدْوَةً وَيُنْبَذُ لَهُ غُدْوَةً فَيَشْرَبُهُ مِنَ اللَّيْلِ .

(5744) हज़रत बस्साम से रिवायत है कि मैंने हज़रत अबू जाफ़र (बाक़र) (ﷺ) से नबीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया: वालिद (मोहतरम) हज़रत अ़ली बिन हुसैन (ज़ैनुल आ़बिदीन) (رَحِمَهُ ٱللَّٰهُ) के लिये रात के वक़्त नबीज़ बनाई जाती तो उसे दिन को पी लेते और दिन के वक़्त बनाई जाती तो रात को पी लेते।

(5744) तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5251.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ

(5745) हज़रत अ़ब्दुल्लाह (बिन मुबारक) ने फ़रमाया कि हज़रत सुफ़ियान (स़ौरी) से नबीज़

سَمِعْتُ سُفْيَانَ، سُئِلَ عَنِ النَّبِيذِ، قَالَ انْتَبِذْ عَشِيًّا وَاشْرَبْهُ غُدْوَةً .

के बारे में पूछा गया तो मैंने उन्हें फ़रमाते सुना कि रात को नबीज़ बना और सुबह पी ले।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5252.

फ़ायदा : यानी एक दिन रात से ज़्यादा न रख। रात की बनी हूई नबीज़ दिन को किसी वक़्त भी पी जा सकती है। और अगर मौसम साथ दे, यानी नशे का इम्कान न हो तो उससे ज़्यादा भी रखी जा सकती है जैसा कि पीछे गुज़रा।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، وَلَيْسَ، بِالنَّهْدِيِّ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ، أَرْسَلَتْ إِلَى أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ تَسْأَلُهُ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَحَدَّثَهَا عَنِ النَّضْرِ ابْنِهِ أَنَّهُ كَانَ يَنْبِذُ فِي جَرٍّ يَنْبِذُ غُدْوَةً وَيَشْرَبُهُ عَشِيَّةً .

(5746) हज़रत उम्मुल फ़ज़्ल ने हज़रत अनस बिन मालिक (ﷺ) को पैग़ाम भेजा और मटके की नबीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे अपने बेटे नज़्र के बारे में बयान फ़रमाया कि वह मटके में नबीज़ बनाता है। सुबह नबीज़ बनाता है तो शाम को पी लेता है।

तख़रीज:(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5253.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ، نَطْلَ النَّبِيذِ فِي النَّبِيذِ لِيَشْتَدَّ بِالنَّطْلِ.

(5747) हज़रत सईद बिन मुसय्यब के बारे में रिवायत है कि वह इस बात को नापसन्द फ़रमाते थे कि साबिक़ा नबीज़ की तलछट को नई नबीज़ में शामिल किया जाये ताकि उसमें तेज़ी पैदा हो।

तख़रीज: (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 52540

फ़ायदा : इस बात की तफ़्सील हदीस: 5743 में बयान हो चुकी है कि कुछ लोग ऊपर से नबीज़ को निथार लेते थे और पेंदे में बच रहने वाली तलछट को उसी तरह रहने देते। ऊपर से नई नबीज़ डाल देते। मक़सद ये होता था कि नबीज़ में तेज़ी पैदा हो जाये। ज़ाहिर है पुरानी तलछट में नशे का इम्कान होता है, इसलिये ये तरीक़ा ग़लत है। शरई मक़ासिद के ख़िलाफ़ है, ख़ुसूसन जब कि ये अमल बार बार दोहराया जाये।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّهُ قَالَ فِي النَّبِيذِ خَمْرُهُ دُرْدِيُّهُ

(5748) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़रमाया: नबीज़ में तलछट शामिल की जाये तो वह शराब बन जाती है।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5255.

फ़ायदा : 'शराब बन जाती है' यानी इसमें नशा पैदा हो जाता है और उसका हुक्म शराब का सा हो जाता है, यानी उसे पीना हराम हो जाता है क्योंकि शरई तौर पर नशावर मशरूब और शराब का हुक्म एक है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ إِنَّمَا سُمِّيَتِ الْخَمْرُ لأَنَّهَا تُرِكَتْ حَتَّى مَضَى صَفْوُهَا وَبَقِيَ كَدَرُهَا . وَكَانَ يَكْرَهُ كُلَّ شَيْءٍ يُنْبَذُ عَلَى عَكَرٍ .

(5749) हज़रत सईद बिन मुसय्यब ने फ़रमाया: शराब को शराब इसलिये कहा जाता है कि उसे रखा जाता यहाँ तक कि उसकी जब स़ाफ़ स़ाफ़ (जूस) ख़त्म हो जाता है और नीचे मैल कुचेल और तलछट बाक़ी रह जाती है (तो उसे इस्तेमाल किया जाता है) (इसलिये) वह हर उस नबीज़ को नापसन्द फ़रमाते थे जिसमें तलछट शामिल की जाये।

तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5256.

फ़ायदा : मक़सूद ये है कि शराब में भी नशा उस तलछट की बिना पर होता है जो नीचे रह जाती है। और स़ाफ़ मशरूब ख़ुश्क हो जाता है। अगर नबीज़ की तलछट को दूसरी नबीज़ में शामिल कर दिया जाये तो उसमें और शराब में क्या फ़र्क़ रहेगा? इसमें भी नशा पैदा हो जायेगा। गोया हज़रत सईद बिन मुसय्यब शराब की वजहे तस्मिया बयान नहीं फ़रमा रहे बल्कि शराब की हक़ीक़त बयान फ़रमा रहे हैं कि उसे नशे की बिना पर शराब कहा जाता है। वल्लाहु आलम!

ذِكْرُ الاخْتِلاَفِ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي النَّبِيذِ

बाब : (57) नबीज़ की बाबत इब्राहीम नख़ई पर इख़्तिलाफ़ का बयान

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ، شَرِبَ شَرَابًا فَسَكِرَ مِنْهُ لَمْ يَصْلُحْ لَهُ أَنْ يَعُودَ فِيهِ.

(5750) हज़रत इब्राहीम (नख़ई) ने फ़रमाया: सलफ़ का मस्लक ये था कि जो शख़्स कोई मशरूब पिये और उसे नशा महसूस हो तो उसके लिये उसे दोबारा पीना जायज़ नहीं।

(5750) तख़रीज : (सनद स़ही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5257.

फ़ायदा : गोया हज़रत इब्राहीम नख़ई किसी भी नशावर मशरूब को पीना जायज़ नहीं समझते थे, न क़लील न कसीर। और उन्होंने ये मस्लक सलफ़ से नक़ल फ़रमाया है। सलफ़ से मुराद स़हाबा और किबारे ताबेईन हैं।

(5751) हज़रत इब्राहीम से मरवी है कि पुख़्ता नबीज़ (शीरे) में कोई हर्ज नहीं।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ لاَ بَأْسَ بِنَبِيذِ الْبُخْتُجِ .

(5751) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5258.

फ़ायदा : 'पुख़्ता' अरबी में लफ़्ज़ बुख़्तुज इस्तेमाल हुआ है जो कि दरअसल पुख़्ता का ही अरबी तलफ़्फ़ुज़ है। इससे मुराद वह नबीज़ है जिसे आग पर पका कर तैयार किया जाये, जैसे: तिलाअ जिसकी तफ़्सीर पीछे गुज़र चुकी है। लेकिन इसके लिये भी ज़रूरी है कि इसमें नशा न पाया जाये। (देखिये, अहादीस: 5718-5730)

(5752) हज़रत अबू मिस्कीन से रिवायत है, उन्होंने कहा कि मैंने हज़रत इब्राहीम नख़ई से पूछा कि हम शराब या तिलाअ की बाक़ी मान्दा तलछट को लेकर उसे साफ़ करते हैं, फिर उसमें मुनक़्क़ा भिगो कर तीन दिन तक पड़ा रहने देते हैं, फिर उसे साफ़ कर के रख छोड़ते हैं यहाँ तक कि वह तैयार हो जाती है, फिर हम उसे पी लेते हैं। (क्या ये दुरुस्त है?) उन्होंने कहा कि मकरूह और नाजायज़ है।

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مِسْكِينٍ، قَالَ سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ قُلْتُ إِنَّا نَأْخُذُ دُرْدِيَّ الْخَمْرِ أَوِ الطِّلاَءَ فَنُنَظِّفُهُ ثُمَّ نَنْقَعُ فِيهِ الزَّبِيبَ ثَلاَثًا ثُمَّ نُصَفِّيهِ ثُمَّ نَدَعُهُ حَتَّى يَبْلُغَ فَنَشْرَبُهُ قَالَ يُكْرَهُ .

तख़रीज :(सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5259.

फ़ायदा : मकरूह दो क़िस्म का होता है: मकरूहे तहरीमी और मकरूहे तन्ज़ीही। मकरूहे तहरीमी हराम की तरह ही होता है। अगर यहाँ मकरूह से मुराद मकरूहे तहरीमी हो तो ये सही है और हज़रत इब्राहीम के साबिक़ा अक़वाल के मुताबिक़ है। इसी मानी को तर्जीह होनी चाहिए क्योंकि शराब की तलछट भी शराब की तरह हराम है। इसमें भी शराब के असरात होते हैं, लिहाज़ा जिस नबीज़ में वह शामिल होगी, वह भी हराम होगी क्योंकि शराब का एक क़तरा भी हराम है। और अगर इससे मक़रूहे तन्ज़ीही मुराद हो कि इससे परहेज़ बेहतर है तो फिर ये अहनाफ़ के मशहूर क़ौल के मुताबिक़ होगा कि शराब के अलावा दीगर नशावर मशरूब नशे से कम इस्तेमाल किये जा सकते हैं।

(5753) हज़रत इब्ने शुब्रुमा ने कहा: अल्लाह तआला हज़रत इब्राहीम (नख़ई) पर रहम फ़रमाये कि लोगों ने (नशावर) नबीज़ के बारे में सख़्ती

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ رَحِمَ اللَّهُ

إِبْرَاهِيمَ شَدَّدَ النَّاسُ فِي النَّبِيذِ وَرَخَّصَ فِيهِ

की है मगर हज़रत इब्राहीम ने उसके पीने की रुख़्सत दी है।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5260.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इस रिवायत से (साबिक़ा रिवायात के बरअक्स) ये साबित होता है कि हज़रत इब्राहीम नख़ई का मस्लक आम नशावर शराब के बारे में आम अहनाफ़ वाला था कि उसे नशे से कम कम पीना जायज़ है मगर याद रहे कि इस रिवायत के नाक़िल वही इब्ने शुब्रुमा हैं जिन्होंने हज़रत इब्ने अब्बास (ﷺ) से भी इसी मफ़हूम की रिवायत बयान की है। (देखिये, रिवायत: 5689) जिसे इमाम नसाई (رحمه الله) ने ज़ईफ़ क़रार दिया है, लिहाज़ा इस रिवायत को भी मोतबर नहीं क़रार दिया जा सकता, ख़ुसूसन जब कि सख़्ती करने वाले लोग सहाबा और ताबेईन हैं। और सही अहादीस भी उनके साथ हैं। और अगर हज़रत इब्राहीम नशावर नबीज़ को थोड़ी मिक़्दार में पीना जायज़ समझते थे (जैसा कि आइन्दा रिवायात से भी मालूम होता है) तो उनकी बात सहाबा और जुम्हूर ताबेईन के मुक़ाबले में कोई हैसियत नहीं रखती ख़ुसूसन जब कि सही अहादीस भी इस क़ौल के ख़िलाफ़ हैं। तफ़्सीलात गुज़िश्ता सफ़हात में ज़िक्र हो चुकी हैं। **(2)** 'रहम फ़रमाइये' ये अल्फ़ाज़ बतौर अफ़सोस हैं न कि बतौर तहसीन क्योंकि हज़रत इब्ने शुब्रुमा ख़ुद ऐसे मशरूब को जायज़ नहीं समझते थे जैसा कि आगे आ रहा है। (देखिये, हदीस: 5761)

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ مَا وَجَدْتُ الرُّخْصَةَ فِي الْمُسْكِرِ عَنْ أَحَدٍ صَحِيحًا إِلاَّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ .

(5754) हज़रत अबू उसामा से रिवायत है कि मैंने अब्दुल्लाह बिन मुबारक से सुना, वह फ़रमा रहे थे कि मैंने इब्राहीम नख़ई के अलावा किसी (सहाबी या ताबेई) से नशावर नबीज़ के पीने की रुख़्सत सही सनद के साथ नहीं पाई।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5261.

फ़ायदा : गोया इस मसले में हज़रत इब्राहीम नख़ई मुन्फ़रिद हैं। तमाम सहाबा व ताबेईन हर नशावर मशरूब को मुत्लक़न ममनूअ क़रार देते हैं जब कि इब्राहीम नख़ई ने क़लील (कम) की इजाज़त दी है। इसी से उनके क़ौल की वक़्अत और हैसियत मालूम हो जाती है। सहाबा के इज्मा की मुख़ालिफ़त कोई मामूली बात नहीं। अगर कोई जानबूझ कर करे तो क़ुर्आन मजीद में इसके लिये बड़े सख़्त अल्फ़ाज़ आये हैं। अल्लाह बचाये!

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُسَامَةَ، يَقُولُ مَا رَأَيْتُ رَجُلاً أَطْلَبَ

(5755) हज़रत अबू उसामा ने फ़रमाया कि मैंने शाम के तमाम इलाक़ों: मिस्र, यमन और हिजाज़

में कोई शख़्स हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक से बढ़ कर इल्म का तालिब नहीं पाया।

لِلْعِلْمِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ الشَّامَاتِ وَمِصْرَ وَالْيَمَنَ وَالْحِجَازَ .

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5262.

फ़वाइद व मसाइल : (1) इमाम नसाई (رحمه الله) का मक़सूद हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक(رحمه الله) की जलालते क़द्र और इल्मी वजाहत को बयान करना है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मुबारक की ऊपर दी गई बात को ग़ैर मुहक़्क़क़ न समझा जाये। वह बहुत बड़े मुहक़्क़िक़ आलिम थे। और उनकी ये बात सौ फ़ीसद सही है कि सिवाए हज़रत इब्राहीम नख़ई के किसी सहाबी, ताबेई से नशावर नबीज़ की रुख़सत सही सनद के साथ नहीं आती, लिहाज़ा ये उनकी 'बहुत बड़ी' ग़लती है .... (رحمه الله) ...... **(2)** 'शाम के इलाक़े में' अरबी में इसके लिये लफ़्ज़ शामात इस्तेमाल किया गया है, यानी शाम की जमा जबकि बाक़ी इलाक़े मुफ़रद हैं क्योंकि शाम बहुत वसीअ सूबा था जिसमें बहुत से इलाक़े पाये जाते थे।

बाब : (58) मुबाह और जायज़ मशरूबात का बयान

باب(٥٨): ذِكْرِ الأَشْرِبَةِ الْمُبَاحَةِ

(5756) हज़रत अनस (رضي الله عنه) से रिवायत है, उन्होंने फ़रमाया: (मेरी वालिद-ए-मोहतरमा) हज़रत उम्मे सुलैम (رضي الله عنها) के पास लकड़ी का एक प्याला था जिसके बारे में वह फ़रमाया करती थीं कि मैंने इस प्याले में रसूलुल्लाह (ﷺ) को हर क़िस्म का मशरूब पिलाया है: पानी भी, शहद भी, दूध भी और नबीज़ भी।

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى، قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، رضى الله عنه قَالَ كَانَ لأُمِّ سُلَيْمٍ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ فَقَالَتْ سَقَيْتُ فِيهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كُلَّ الشَّرَابِ الْمَاءَ وَالْعَسَلَ وَاللَّبَنَ وَالنَّبِيذَ .

(5756) तख़रीज : (सनद सही)

फ़वाइद व मसाइल : (1) पहले बयान हो चुका है कि रसूलुल्लाह (ﷺ) रिश्तेदारी की वजह से अक्सर हज़रत उम्मे सुलैम (رضي الله عنها) उनकी हमशीरा हज़रत उम्मे हराम (رضي الله عنها) के घरों में तशरीफ़ ले जाते थे। इस तरह उन्हें रसूलुल्लाह (ﷺ) की ख़िदमत और ख़ातिर तवाज़ोअ के मौक़े हासिल होते रहते थे। कितने ख़ुशनसीब थे वह लोग! **(2)** याद रहे कि यहाँ नबीज़ से मुराद ताज़ा नबीज़ है जो नशे से कोसों दूर होती थी।

(5757) हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अब्ज़ा से रिवायत है कि मैंने हज़रत उबय बिन कअब (رضي الله عنه) से नबीज़ के बारे में पूछा तो उन्होंने फ़रमाया:

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ ذَرِّ بْنِ

عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ سَأَلْتُ أُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيذِ، فَقَالَ اشْرَبِ الْمَاءَ وَاشْرَبِ الْعَسَلَ وَاشْرَبِ السَّوِيقَ وَاشْرَبِ اللَّبَنَ الَّذِي نُجِعْتَ بِهِ . فَعَاوَدْتُهُ فَقَالَ الْخَمْرَ تُرِيدُ الْخَمْرَ تُرِيدُ .

पानी पी, शहद पी, सत्तू पी और दूध पी जिसके साथ तेरी परवरिश हूई थी। मैंने दोबारा सवाल किया तो (गुस्से से) फ़रमाने लगे: तू शराब पीना चाहता है? तू शराब पीना चाहता है?

(5757) तख़रीज : (सनद ज़ईफ़) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5264.

फ़वाइद व मसाइल : (1) हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) का मक़सूद ये था कि नबीज़ हर क़िस्म की होती है: नशावर भी और सादा भी। अगर मैं तुझे कह दूँ कि नबीज़ पिया कर तो ख़तरा है कि तू नशावर न पीने लगे क्योंकि बसा औक़ात मामूली नशा महसूस नहीं होता। लोग भी तसाहुल (सुस्ती) बरत लेते हैं, लिहाज़ा आम आदमी के लिये इससे परहेज़ ही बेहतर है। हज़रत उबय बिन कअ़ब (ﷺ) नशावर नबीज़ को शराब ही समझते थे और यही सही है। **(2)** मुहक़्क़िके किताब सुफ़ियान सौरी (رحمه الله) के अ़नअ़ना की वजह से हदीस़ को मुत्लक़ ज़ईफ़ क़रार देते हैं जबकि दीगर मुहक़्क़िक़ीन के नज़दीक उनकी अ़नअ़ना वाली रिवायत भी सही होती है क्योंकि वह क़लीलुत तदलीस थे, और जबकि उनसे मरवी इस क़िस्म की अहादीस़ से दीगर अहादीस़ की मुख़ालिफ़त भी न होती हो, इसलिये जिन रिवायात को उन्होंने सुफ़ियान सौरी के अ़नअ़ना की वजह से ज़ईफ़ क़रार दिया है हमारे नज़दीक वह रिवायात सही हैं।

أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ سَعِيدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ فَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ قَالَ أَرْبَعِينَ سَنَةً إِلاَّ الْمَاءُ وَالسَّوِيقُ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرِ النَّبِيذَ .

(5758) हज़रत (अ़ब्दुल्लाह) इब्ने मसऊ़द(ﷺ) ने फ़रमाया: अब लोगों ने कई क़िस्म के मशरूब ईजाद कर लिये हैं। मैं नहीं जानता, वह क्या और कैसे हैं? बीस या चालीस साल हो गये हैं कि मैंने पानी या सत्तु के अ़लावा कोई और मशरूब नहीं पिया। उन्होंने नबीज़ का ज़िक्र नहीं फ़रमाया।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5265.

أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ،

(5759) हज़रत अबीदा (सुलैमानी) ने फ़रमाया कि लोगों ने बेशुमार मशरूब बना लिये हैं। मैं नहीं जानता, वह कौन कौन से और कैसे हैं? मेरी

قَالَ أَحْدَثَ النَّاسُ أَشْرِبَةً مَا أَدْرِي مَا هِيَ وَمَا لِي شَرَابٌ مُنْذُ عِشْرِينَ سَنَةً إِلاَّ الْمَاءُ وَاللَّبَنُ وَالْعَسَلُ .

हालत तो ये है कि बीस साल गुज़र चुके हैं कि मेरे पास पानी, दूध और शहद के अलावा कोई और मशरूब नहीं होता।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5266.

फ़ायदा : कोई बईद नहीं कि दोनों बुज़ुर्गों ने अपना अपना मामूल बतलाया हो कि हमने कभी कोई मशकूक मशरूब पिया ही नहीं और मुमकिन है कि इमाम साहिब का मक़सूद दो रिवायात ज़िक्र करने से ये हो कि कुछ रावियों ने इसे हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद (ﷺ) का क़ौल बतलाया है और कुछ ने हज़रत अबीदा (ﷺ) का। वल्लाहु आलम!

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، قَالَ قَالَ طَلْحَةُ لأَهْلِ الْكُوفَةِ فِي النَّبِيذِ فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ فِيهَا الْكَبِيرُ قَالَ وَكَانَ إِذَا كَانَ فِيهِمْ عُرْسٌ كَانَ طَلْحَةُ وَزُبَيْدٌ يَسْقِيَانِ اللَّبَنَ وَالْعَسَلَ . فَقِيلَ لِطَلْحَةَ أَلاَ تَسْقِيهِمُ النَّبِيذَ قَالَ إِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْكَرَ مُسْلِمٌ فِي سَبَبِي.

(5760) हज़रत इब्ने शुब्रुमा से रिवायत है, उन्होंने कहा कि हज़रत तल्हा (ﷺ) ने नबीज़ के बारे में कूफ़े वालों से फ़रमाया कि ये ऐसा फ़ित्ना है जिसमें तुम्हारे छोटे परवरिश पाते हैं और तुम्हारे बड़े उसे पीते पीते खुसट बूढ़े हो जाते हैं। और जब कोई शादी होती तो हज़रात तल्हा व ज़ुबैर(ﷺ) लोगों को दूध और शहद पिलाया करते थे। हज़रत तल्हा (ﷺ) से कहा गया कि आप लोगों को नबीज़ क्यूँ नहीं पिलाते? उन्होंने फ़रमाया: मैं पसन्द नहीं करता कि मेरी वजह से कोई मुसलमान नशे में आये।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5267.

फ़वाइद व मसाइल : (1) 'फ़ित्ना है' मक़सूद ये है कि अहले कूफ़ा नबीज़ पर बहुत फ़रेफ़्ता है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े सब इसे पीते हैं। और बे तहाशा पीते हैं यहाँ तक कि मुस्किर (नशा आवर)और ग़ैर मुस्किर का फ़र्क़ रवा नहीं रखते। इसके दूसरे मानी ये हो सकते हैं कि नबीज़ में फ़ायदा भी है, नुक़सान भी। नौजवान और बच्चों के लिये तो मुफ़ीद है कि उससे उनकी नशो नुमा होती है और कुव्वत में इज़ाफ़ा होता है मगर बड़ी उम्र के आदमी के लिये ये मुज़िर (नुक्सान देह) है क्योंकि इससे वह जल्दी बूढ़ा हो जाता है। और उसके बुढ़ापे में इज़ाफ़ा होता है यहाँ तक कि वह खूसट बूढ़ा बन जाता है। चूंकि इसमें नफ़ा भी है और नुक़सान भी, लिहाज़ा इसे फ़ित्ना कहा गया। **(2)** 'नशे में आये' क्योंकि नबीज़ में नशा पैदा हो सकता है। मुमकिन है पीने से पहले नशे का पता न चले। पीने के बाद मालूम हो कि इसमें नशा पैदा हो चुका था। इस तरह अंजाने में नशे का इस्तेमाल हो जायेगा। इसकी बजाये वह मशरूब पिये जायें जिनमें नशे का इम्कान ही न हो।

أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، قَالَ كَانَ ابْنُ شُبْرُمَةَ لاَ يَشْرَبُ إِلاَّ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ .

(5761) हज़रत जरीर ने फ़रमाया: हज़रत इब्ने शुब्रुमा पानी और दूध के अलावा कोई मशरूब नहीं पीते थे।

तख़रीज : (सनद सही) सुनन अल कुब्रा लिन्नसाई: 5268.

फ़वाइद व मसाइल : (1) मक़सूद नबीज़ की नफ़ी है क्योंकि इसमें नशे का इम्कान होता है और वह नहीं चाहते थे कि कोई मशकूक मशरूब पिये। ये उनका कमाल तक़्वा है, और इससे मालूम हुआ कि हज़रत इब्ने शुब्रुमा नबीज़ को जब इसमें नशा न हो, जायज़ नहीं समझते, लिहाज़ा रिवायत: 5753 में हज़रत इब्राहीम नख़ई के बारे में उनके अल्फ़ाज़ 'अल्लाह तआला इब्राहीम नख़ई पर रहम फ़रमाये!' तहसीन के तौर पर नहीं बल्कि अफ़सोस के तौर पर हैं क्योंकि उनसे ऐसे नबीज़ का जवाज़ मन्क़ूल है। **(2)** हज़रत इब्ने शुब्रुमा (رحمه الله) कूफ़ा के क़ाज़ी और आदिल व सिक़ा शख़्स थे मगर उनके हाफ़िज़े में कुछ कमी थी जिसकी बिना पर उनको कमज़ोर भी कहा गया। क़ाज़ी होने के साथ साथ कूफ़ा के मोतबर फ़क़ीह भी थे और इन्तेहाई परहेज़गार, आबिद व ज़ाहिद भी। **(3)** हज़रत इमाम अबू अब्दुर्रहमान अहमद बिन शुऐब नसाई (رحمه الله) ने अपनी किताब को तक़्वा और वरअ के मज़मून पर ख़त्म फ़रमाया कि इल्म से मक़सूद तक़्वा है। (इन्नमा यख़्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमाउ) (फ़ातिर: 35/28) तक़्वा न हो तो मुस्लिम बेकार है। ये ख़त्मे किताब का बेहतरीन अन्दाज़ है। अल्लाह तआला हमारा ख़ातमा भी ईमान व तक़्वा पर फ़रमाये। आमीन!

मौल-ए-रहीम व करीम का लाख लाख शुक्र है कि ये इल्मी काम जो रबीउल अव्वल के महीने में शुरू हुआ था। डेढ़ साल के अर्से में रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने में जो कि नुज़ूले कुर्आन का महीना है,में पाय-ए-तकमील को पहुँचा। अल्लाह तआला के इस फ़ज़्ल व एहसान पर मैं जिस क़द्र भी शुक्र अदा करूँ, कम है और मुझ जैसा आजिज़ और बे पाया शख़्स तो शुक्र अदा करने के भी अहल नहीं।

हज़ार बार बशवैम दहानम ज़ि अर्के गुलाब
नामे तू गुफ़्तन हनूज़ बे अदबिस्त